राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 10] ग्यारहवीं विधान सभा के दसवें सत्र का सैंतीसवां दिवस [संख्या : 22

मंगलवार;

01 अप्रैल, 2003

राजस्थान विधान सभा की बैठक
11.00 बजे विधान सभा भवन,
जयपुर में प्रारम्भ हुई

(श्री परसराम मदेरणा, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष : प्रश्न, श्री कनकमल कटारा, श्री मदन दिलावर।

कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक में कार्यरत कर्मियों का आवश्यकतानुसार समायोजन

562. श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा) व **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक की वित्तीय समिति ने अनावश्यक लिपिकों के पद कम कर पर्यवेक्षक के पदों में इंटरचेंज के प्रस्ताव सरकार की स्वीकृति हेतु भिजवाए हैं? यदि हां, तो कब?

(2) क्या उक्त प्रावधानों की स्वीकृति प्रदान करने के लिए संयुक्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां, कोटा ने भी अभिशंसा की है?

(3) क्या फील्ड स्टाफ (पर्यवेक्षक) की कमी से बैंक की वसूली एवं ऋण वितरण व्यवसाय में कमी आई है ? ऋण वितरण व्यवसाय व वसूली में हुई कमी (एन.पी.ए. प्रावधान) से बैंक को अब तक कितनी हानि हुई है?

(4) फील्ड स्टाफ (पर्यवेक्षक) की कमी से बैंक ऋण वितरण व्यवसाय वसूली में हुई कमी को दूर करने के लिए सरकार की क्या योजना है?

(5) क्या नई नियुक्ति न करते हुए भी कार्यरत स्टाफ स्ट्रेंथ को बैंक आवश्कतानुसार समायोजित करने के लिए बैंक उपनियमानुसार बैंक प्रशासक/संचालक मण्डल अधिकृत हैं ?

(6) क्या बैंक हित में कार्यरत स्टॉफ स्ट्रेंथ को बैंक आवश्यकता अनुरूप "इंटरचेंज/समायोजन" के लिए अनुमति देने का सरकार का कोई नीतिगत विचार है ?

सहकारिता मंत्री (श्री परसादी लाल) : (1) जी हां। कोटा सहकारी भूमि विकास बैंक की स्टाफ समीक्षा समिति की बैठक दिनांक 17-12-1998 में बैंक में 2 लिपिक जो अधिक कार्यरत थे, के स्थान पर 2 सुपरवाइजर के पद स्वीकृत कर, लिपिकों की संख्या 11 के स्थान पर 9 करने एवं सुपरवाइजर के कुल पद 6 के स्थान पर 8 स्वीकृत करने के प्रस्ताव बैंक के पत्र दिनांक 24-12-1998 से सहकारी विभाग को भिजवाये गये थे।

(श्री परसादी लाल)

(2) जी हां।

(3) जी नहीं। बैंक वर्तमान में 419.69 लाख रुपये की हानि में है।

(4) बैंक में ऋण वितरण व्यवसाय एवं वसूली में कमी के लिए फील्ड स्टाफ की कमी का कोई कारण नहीं रहा है।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

श्री मदन दिलावर : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने स्वयं इस बात को स्वीकार किया है कि स्टाफ समीक्षा समिति ने इस प्रकार का प्रस्ताव भेजा है कि कनिष्ठ लिपिक अधिक और सुपरवाइजर वहां कम है तो कनिष्ठ लिपिकों की संख्या को कम करते हुए सुपरवाइजर बढ़ाए जाएं परन्तु इन्होंने कहा है आगे जवाब में कि हमारा ऐसा कोई विचार नहीं है, हम इनको इस प्रकार से इंटरचेंज नहीं करेंगे। मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं, वह क्या कारण है जिनके आधार पर आप उनको इस प्रकार से चेंज नहीं करना चाहते, जबकि आपने स्वयं बाद में 'जी नहीं' कहते हुए स्वीकार किया है कि बैंक में 419 लाख रुपये का घाटा है? फिर आप अधिकतर वसूली कार्यकर्ता, सुपरवाइजर बढ़ाकर इस वसूली को गति क्यों नहीं देना चाहते, कारण बताइये?

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, बैंक के प्रस्ताव को मंजूरी दिया जाना और नहीं दिया जाना रजिस्ट्रार के अधिकार क्षेत्र में आता है। वर्तमान में आपके बैंक में जितनी स्टाफ स्ट्रेंथ है उसी के अनुसार वहां पर लगे हुए हैं। लिपिक को सीधा सुपरवाइजर बनाना कहीं भी नियमों में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए हमने इस प्रस्ताव को मंजूर नहीं किया। अभी वर्तमान में आपकी जो स्टाफ स्ट्रेंथ हैं उसी के अनुसार लिपिक है, उसी के अनुसार अब वहां पर ज्यादा लिपिक नहीं है। इसलिए इस प्रस्ताव को मंजूरी दिया जाना सम्भव नहीं है।

श्री मदन दिलावर : मंत्री महोदय, क्या यह सही है कि कनिष्ठ लिपिक से ही सुपरवाइजर का काम लिया जा रहा है? यदि कनिष्ठ लिपिक से सुपरवाइजर का काम लिया जा रहा है तो क्यों लिया जा रहा है, कारण बताइये?

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में कनिष्ठ लिपिक से सुपरवाइजर का काम नहीं लिया जा रहा है। कनिष्ठ लिपिक के 9 पद सैंक्शन थे और 9 ही वर्तमान में काम कर रहे हैं। सुपरवाइजर के जितने सैंक्शन हैं उतने ही काम कर रहे हैं, इसलिए लिपिक से सुपरवाइजर का काम नहीं लिया जा रहा है। अगर कहीं आवश्यकता पड़ी तो उसके अनुसार, बैंक की सुविधा के अनुसार काम लेना सम्भव हो तो लिया जा सकता है, लेकिन आम तौर पर कहीं भी उनसे काम नहीं लिया जा रहा है।

श्री मदन दिलावर : लगातार चार कनिष्ठ लिपिकों से सुपरवाइजर का काम लिया जा रहा है और आप यहां मना कर रहे हैं कि काम नहीं लिया जा रहा है। जबकि इतने कनिष्ठ लिपिकों की आवश्यकता नहीं है, सुपरवाइजर की आवश्यकता है और आप स्वयं घाटा बता रहे हैं। मैंने पूछा था कि घाटे को पूरा करने के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं, क्या उपाय कर रहे है, यह बताइये ?

श्री परसादी लाल : अध्यक्ष महोदय, लिपिकों को सुपरवाइजर बनाने से तो आपके और ज्यादा घाटे की गति बढ़ेगी, इसलिए उसी स्टाफ से हम काम ले रहे हैं। वर्तमान में जो घाटा है उनके कारण, अकाल के कारण बैंक की दो वर्षों से वसूली भी कम है। इस वर्ष भी आप वसूली की स्थिति जानते हैं, ये सब कारण और अकाल के कारण बैंक के व्यवसाय में जो फर्क पड़ा है वह भी कारण रहा है घाटे का।

श्री मदन दिलावर : क्या पूर्व में कनिष्ठ लिपिकों का प्रमोशन किया गया था, यदि हां तो कब और कैसे किया गया था ?

श्री परसादी लाल : कनिष्ठ लिपिक को सीधा सुपरवाइजर नहीं बनाया जाता है। यदि वरिष्ठ लिपिक का पद हो तो बनाया जाता है, लिपिक से सीधा सुपरवाइजर बनाने का कोई प्रावधान नहीं है।

श्री अध्यक्ष : नैक्स्ट क्वेश्चन। श्री रामनारायण विश्नोई। श्री राजेन्द्र राठौड़।

विद्युत निगमों में नियुक्त सलाहकारों पर व्यय राशि

563. **श्री रामनारायण विश्नोई** (फलौदी), **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) व **श्री जसवन्त सिंह गुर्जर** (बाड़ी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) राजस्थान में स्थापित विभिन्न विद्युत निगमों द्वारा विश्व बैंक सहित किन–किन संस्थाओं से ऋण लिए गए हैं ? उक्त ऋण किस–किस निगम को कितना–कितना, किन–किन शर्तों पर तथा कितनी ब्याज दर पर स्वीकृत किया गया है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त विद्युत निगमों में देशी एवं विदेशी सलाहकार भी नियुक्त किए गए हैं ? यदि हां, तो उक्त के मासिक वेतन, भत्ते एवं अन्य खर्चों के अनुमान सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) गत पांच वर्षों में प्रदेश को किन–किन स्रोतों से किस दर पर बिजली प्राप्त हुई है व प्रदेश के स्वयं के स्रोत से उत्पन्न बिजली की उत्पादन लागत क्या रही है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) गत पांच वर्षों में तत्कालीन विद्युत मण्डल एवं वर्तमान निगमों को प्रतिवर्ष कितनी वित्तीय हानि हुई है व राज्य सरकार द्वारा किस किस वर्ष में कितनी राशि अनुदान के रूप में दी जानी थी व कितनी वास्वत में दी गई है ?

ऊर्जा मंत्री (श्री रामनारायण चौधरी) : (1) विभिन्न विद्युत निगमों द्वारा विश्व बैंक के अतिरिक्त भारतीय जीवन बीमा निगम, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक/भारतीय लघु औद्योगिक विकास बैंक, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम, पावर फाइनेंस कारपोरेशन, आवास एवं शहरी विकास निगम, कम्पनियों द्वारा जारी बंधक पत्र (बॉण्ड) एवं वाणिज्यिक बैंकों से ऋण प्रास किया गया है। ये ऋण समय–समय पर प्रचलित दर पर 10 प्रतिशत से 15.75 प्रतिशत ब्याज पर लिये गये हैं।

विश्व बैंक का ऋण भारत सरकार के माध्यम से प्रास होता है। भारत सरकार द्वारा यह ऋण 30 प्रतिशत अनुदान व शेष 70 प्रतिशत ऋण के रूप में राज्य सरकार को उपलब्ध कराया जाता है।

(श्री रामनारायण चौधरी)

उसे राज्य सरकार विद्युत निगमों को उनके प्रयोजनार्थ समय-समय पर प्रदान करती है। विश्व बैंक द्वारा 180 मिलियन यू.एस. डालर जो करीबन 850 करोड़ रुपये होता है, के कुल स्वीकृत ऋण के पेटे अभी तक 225 करोड़ रुपये का भुगतान विश्व बैंक द्वारा किया गया है, बाकी राशि का उपयोग जून, 2005 तक किया जाना है।

उपरोक्त सभी ऋण उत्पादन, प्रसारण एवं वितरण निगमों की विभिन्न परियोजनाओं एवं विकास कार्यों हेतु लिये गए हैं। ये सभी ऋण दीर्घकालीन प्रकृति के हैं। फरवरी, 2003 तक पांचों निगमों में कुल 8130.62 करोड़ रुपये के दीर्घकालीन ऋण बकाया थे।

दीर्घकालीन ऋणों के अतिरिक्त निगमों द्वारा कोयले, रेलभाड़ा, विद्युत क्रय हेतु कार्यशील पूंजी की पूर्ति एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए समय समय पर अल्पकालीन ऋण भी जुटाए गए हैं।

दीर्घकालीन ऋणों का विवरण परिशिष्ट अ-1 से अ-5 तक सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(2) विभिन्न निगमों द्वारा विभिन्न प्रयोजनार्थ देशी एवं विदेशी सलाहकारों की सेवाएं ली गई हैं।

उत्पादन निगम द्वारा विद्युत उत्पादन परियोजनाओं के लिए 2 सलाहकारों यथा मै. डवलपमेंट कंसल्टेंट लिमिटेड एवं मै. डेजिन प्रा.लि. की सेवाएं ली गई हैं। मै. डवलपमेंट कंसल्टेंट को सूरतगढ़ तापीय विद्युत परियोजना की इकाई-5 के डिजाइन इंजीनियरिंग एवं आपूर्ति कार्य में सहायता हेतु नियुक्त किया गया है। मै. डेजिन प्रा. लि. को कोटा तापीय विद्युत परियोजना की इकाई-6 के लिए नियुक्त किया गया है।

विद्युत प्रसारण निगम के संस्थानिक सुदृढ़ीकरण हेतु मै. प्राइस वाटर हाउस कूपर्स को नियुक्त किया गया है। प्रसारण निगम द्वारा नियुक्त अन्य सलाहकारों में मुख्यतया पावर ग्रिड कारपोरेशन, पावर फाइनेंस कारपोरेशन एवं क्रिसिल इंफ्रास्ट्रेक्चर एण्ड एडवाइजरी सम्मिलित है।

विभिन्न वितरण निगमों के लिए वितरण व्यवसाय के निजीकरण हेतु मै. आर्नर एंडर्सन इण्डिया, प्रा. लि. को नियुक्त किया गया है। इसके अतिरिक्त मै. एस.आर. बाटलीबॉय प्रा.लि. तथा मै. ई.आर.एम. इण्डिया प्रा. लि. की सेवाएं भी सलाहकार के रूप में ली गई हैं।

उपरोक्त मुख्य सलाहकारों के अतिरिक्त अल्प अवधि हेतु कुछ विशेषज्ञों की भी सेवाएं ली गई है।

देशी एवं विदेशी सलाहकारों से सम्बन्धित पूर्ण विवरण एवं देय शुल्क परिशिष्ट ब-1 से ब-3 तक सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) गत 5 वर्षों में विभिन्न उत्पादन गृहों एवं पड़ोसी राज्यों से खरीदी गई तथा स्वयं के स्रोतों से उत्पन्न बिजली की दरें निम्नानुसार रही है-

नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन के विद्युत गृह सिंगरौली, रिहन्द, वैस्टर्न ग्रिड, अन्ता, औरैया, दादरी, ऊंचाहार एवं विध्याचंल थर्मल पावर स्टेशनों से वर्ष 1998 से 2003 तक प्राप्त ऊर्जा

(श्री रामनारायण चौधरी)

की दर प्रति वर्ष क्रमशः 83.70 पैसे से 232.91 पैसे, 91.09 पैसे से 225.84 पैसे, 82.82 पैसे से 226.84 पैसे, 89.66 पैसे से 237.89 पैसे व 96.64 पैसे से 243.50 पैसे प्रति यूनिट रही।

न्यूक्लीयर पावर कारपोरेशन के रावतभाटा एवं नरोरा विद्युत गृहों से वर्ष 1998 से 2003 तक प्राप्त ऊर्जा की दर प्रति वर्ष क्रमशः 175 पैसे से 200.32 पैसे, 164 पैसे से 225.68 पैसे, 175 पैसे से 270.04 पैसे, 188.47 पैसे से 284.69 पैसे व 195 पैसे से 301.61 पैसे प्रति यूनिट रही।

नेशनल हाइड्रो इलैक्ट्रिक पावर कारपोरेशन के टनकपुर, सलाल, चमेरा व उरी जल विद्युत गृहों से वर्ष 1998 से 2003 तक प्राप्त ऊर्जा की दर प्रति वर्ष क्रमशः 58.13 पैसे से 262.55 पैसे, 56.35 पैसे 341.39 पैसे, 59.66 पैसे से 374.03 पैसे, 55.22 पैसे से 266.26 पैसे व 67.78 पैसे से 293.22 पैसे प्रति यूनिट रही। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, उत्तर को पढ़ा हुआ मान लिया जाए। और भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। वे घंटा भर तो पढ़ने में ही लगा देंगे।

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप। थोड़ा-सा ही है।

श्री रामनारायण चौधरी : पड़ोसी राज्यों तथा हिमाचल प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र एवं राजस्थान फर्टिलाइजर फैक्ट्री के पेटे से वर्ष 1998 से 2003 तक प्राप्त ऊर्जा की दर प्रति वर्ष क्रमशः 106.70 पैसे 210.90 पैसे, 117.37 पैसे से 245 पैसे, 129.10 पैसे से 240 पैसे, 142.01 पैसे से 250 पैसे व 155.31 पैसे प्रति यूनिट रही।

इसके अतिरिक्त पावर ट्रेडिंग कारपोरेशन से वर्ष 2002-03 में प्राप्त ऊर्जा की दर 234.28 पैसे रही।

उपरोक्त वर्णित ऊर्जा दर में पावर ग्रिड को ट्रांसमिशन चार्जेज वर्ष 1998 से 2003 तक प्रति वर्ष क्रमशः 11.50 पैसे, 11.15 पैसे, 12.20 पैसे, 12.21 पैसे व 12.05 पैसे प्रति यूनिट रहे।

राज्य में स्थित विद्युत उत्पादन केन्द्रों से वर्ष 1998 से 2003 तक प्राप्त ऊर्जा की दर प्रति वर्ष क्रमशः 176.52 पैसे, 162.52 पैसे, 195.09 पैसे, 203.91 पैसे व 207.94 पैसे प्रति यूनिट रही।

विस्तृत विवरण परिशिष्ट-स सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(4) गत पांच वर्षों में तत्कालीन विद्युत मण्डल एवं वर्तमान निगमों में कुल वित्तीय घाटा निम्नानुसार है :-

1997-1998	640 करोड़ रुपये
1998-1999	1041 करोड़ रुपये
1999-2000	1678 करोड़ रुपये
2000-2001	1580 करोड़ रुपये
2001-2002	1291 करोड़ रुपये

तत्कालीन विद्युत मण्डल को वर्ष 1997-1998 के अन्त में राज्य सरकार द्वारा 1211 करोड़ रुपये की अनुदान राशि देय थी। उसके बाद के तीन वर्षों यथा 1998-1999, 1999-2000 एवं 2000-2001 मे क्रमशः 1196, 1768 एवं 760 करोड़ रुपये की अनुदान राशि देय थी जिसके सापेक्ष वर्ष 1998-1999 में 278 करोड़ रुपये, 1999-2000 में 458 करोड़ रुपये एवं 2000-01

(श्री रामनारायण चौधरी)

में 19 जुलाई, 2000 तक 120 करोड़ रुपये की अनुदान राशि प्राप्त हुई।

उपरोक्त के अलावा राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2000-01 में अतिरिक्त विद्युत क्रय हेतु 180 करोड़ रुपये का अनुदान मिला। इसी प्रकार निगमों को विद्युत शुल्क एवं अन्य मदों में 147 करोड़ रूपये की राशि का अनुदान मिला।

विद्युत मण्डल के विभाजन के समय बकाया अनुदान की राशि जो लगभग 4068.77 करोड़ रुपये थी, में से राज्य सरकार ने 2670.91 करोड़ रुपये की राशि को राजकीय ऋण एवं अन्य के पेटे समायोजित कर लिया। शेष राशि 1397.87 करोड़ रुपये उत्पादन एवं प्रसारण निगमों को निम्नानुसार स्थानान्तरित की गयी–

राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड – 905.99 करोड़ रुपये

राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड – 491.87 करोड़ रुपये

वर्ष 2001-02 में राज्य सरकार द्वारा वितरण निगमों को 285.65 करोड़ रूपये का अनुदान दिया गया।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा, विश्व बैंक से आपने 850 करोड़ रुपये का ऋण लेने का करार किया और आपने अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि आपको 225 करोड़ रुपये ही मिले। क्या यह सही है कि विश्व बैंक से ऋण लेने के लिए आपने 21 मार्च, 2000 को एक फाइनेंशियल रीस्ट्रक्चरिंग प्लान पर दस्तखत किए थे और उस करार में यह तय किया था कि आप वर्ष 2001 से लेकर 2007 तक प्रति वर्ष कृषि क्षेत्र में जो टैरिफ है आपका, उसको 30 प्रतिशत बढ़ाएंगे, मसलन 2001 के अन्दर 90 पैसे, 2002 के अन्दर 110 पैसे, 2003 में 140 पैसे और 2004 में 175 पैसे प्रति यूनिट और आगे इस तरह से बढ़ाएंगे ?

क्या यह सही है कि आपने ऋण लेते वक्त यह करार किया था कि आप प्रति वर्ष 10 प्रतिशत अदर दैन एग्रीकल्चर विद्युत दरों की बढ़ोत्तरी करेंगे–नम्बर एक ? नम्बर दो, मैं मंत्री महोदय, आपसे जानना चाहूंगा, विद्युत सुधार कार्यक्रम लागू करते वक्त आपने विश्व बैंक से जो करार किया, आपने कहा कि हम घाटा कम करेंगे, आपने खुद अपने उत्तर में कहा कि 1997-98 में जो घाटा 640 करोड़ था वह 1291 करोड़ रुपये हो गया, आपने घाटे को कम करने के लिए क्या क्या काम किये ?

इसके अलावा, एक सबसे बड़ा सलाहकारों के बारे में मैंने सवाल किया था, आपने एक आर्थर एंडर्सन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड को काम दिया था विद्युत वितरण निगम के निजीकरण का और आपने इसको एक-दो नहीं 382 लाख रुपये दे दिये पर अभी तक आपका निजीकरण का काम नहीं हुआ। क्या यह सही है कि विदेशी सलाहकारों को 191 लाख रुपये और इसके अलावा उत्पादन निगम से जो आपने सलाहकार नियुक्त किये उनको 2,80,45,550 रुपये दिये ? इन सलाहकारों को जो आपने काम दिया, क्या यह सारा काम पूरा हो गया ? मेरा पाइंटेड सवाल इतना है कि एक तो मैं यह पूछना चाहता हूं कि आपने विश्व बैंक के साथ करार किया था, क्या करार के अनुसार विद्युत दरें बढ़ाना आपकी मजबूरी नहीं है ? नम्बर-दो, आपने इतनी बड़ी राशि 382 लाख रुपये निजीकरण के नाम

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पर सलाहकारों को दे दिये, आपने खुद अपने उत्तर में स्वीकार किया है कि आपको 1274 लाख रुपये देने थे और आपने 382 लाख रुपये दिये, तो क्या यह सारा काम निजीकरण का हो गया ? आप इसको कब तक पूरा कर लेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने इस बात की कोशिश की है कि माननीय सदस्यों को मेरे उत्तर में पूरक सामग्री भी मिल जाए और अधिक उनको सप्लीमैंटरी क्वेश्चंस नहीं करने पड़ें। फिर भी माननीय सदस्य की जानकारी हेतु मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कंसल्टेंट्स नियुक्त किये गये थे...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो पहले मेरे को उस एफ. आर. पी. के बारे में बता दो जिसमें आपके सचिव ने दस्तखत करके कहा था कि हम लोन ले रहे हैं, विद्युत दरें बढ़ाएंगे। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप पूरा जवाब सुनिये न।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं क्रमशः सब में आ जाऊंगा। जो कंसल्टेट्स नियुक्ति का आपने प्रश्न उठाया, मैंने कंसल्टेंट्स के नाम, उनको दिये जाने वाले वेतन-भत्ते, पूरा विवरण आपको दिया है। सबसे पहले 1995 के अन्दर विदेशी कंसल्टेट यू. के...(व्यवधान) नियुक्त किया गया था, जिनका काम अब भी चल रहा है। और अभी अभी उनका काम पूरा हुआ है उनको हमने, यह निर्णय किया है कि अब यह खर्चा हम नहीं करेंगे। जहां तक आपने वर्ल्ड-बैंक का प्रश्न उठाया है, वर्ल्ड-बैंक के करार के समय जो आपने पढ़कर सुनाया, तो आप क्या मेरे से कमिटमेंट कराना चाहते हैं कि विश्व बैंक से आपने यह करार किया था ? (व्यवधान) सुनिये आप। आपने प्रश्न कर दिया और मैं उत्तर दे रहा हूं कि हम इतना बढ़ाएंगें, प्रतिवर्ष ऐसा करेंगे, ऐसा कोई करार नहीं हुआ है और जो हुआ है वह राजस्थान के हित में ऊर्जा के हित में और राजस्थान के ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, मैं आपको टोकना नहीं चाहता, यह करार की कापी मैं टेबल करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप सुन तो लिजिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, इस सदन के अन्दर मंत्री गलत बयानी कर रहे हैं। यह वह करार है जिसके ऊपर एनर्जी सैक्रेटरी के दस्तखत है, जिसमें इन्होंने यह वादा किया है कि हम विद्युत की दरें बढ़ाएंगे। मंत्रीजी खड़े होकर कह दे कि करार नहीं किया। आपको लोन दिया, जिस वक्त आपने करार खुद ने किया, यह तारीख लगी हुई है 21 मार्च, 2000 और यह आपका कागज है, मेरा कागज नहीं है यह। यह आपको है, आपने करार किया है। नहीं, आप कह दीजिए, सही बात कह दीजिए। मैं टेबल करना चाहता हूं अगर आप इजाजत दें तो मेरे को। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, इनके पास ज्यादा जानकारी है, इस सदन के मार्फत ...(व्यवधान) इस सदन के मार्फत...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आप यह कह दो कि आपने करार के अनुसार विद्युत दरें 70 पैसे से 90 पैसे प्रति यूनिट की किसान की, तो फिर आप अब इनको...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप सुनिये मेरी बात, आप इस सदन के अन्दर राज्य सरकार की तरफ से इंफोरमेशन सीक...(व्यवधान) आप सुनिये, साहब, इंफोरमेशन सीक करने के अधिकारी हैं। आप इंफोरमेशन देने का अधिकार नहीं रखते हैं, आप इंफोरमेशन हमारे से लेंगे। आप हमारे से सीक कर सकते हैं। हां, यूं आपको आवश्यकता नहीं है कि आप इंफोरमेशन दें। अध्यक्ष महोदय, आपके इस महान आसन से ऐसी व्यवस्थाएं हैं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हां, आप गलत हो तो हम सुधारें नहीं ? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप क्या बोल रहे हो ? हम उसी का मानेंगे क्या ? और आप कोई गलती पर है तो आपको...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह सही नहीं है। आप बैठो। आपके बस की नहीं है और मेरे भी बस की नहीं है, आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : यह सूचना का अधिकार तो हम सबको दे रखा है आपने फिर राज्स सरकार ही क्या है जो एक मात्र सूचना उपलब्ध कराएगी ? सूचना का अधिकार देने का तो आपने सबको आश्वासन दे रखा है। He got the informations from all the sources.

डा. किरोड़ी लाल : है तो आपका ही। अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो हम आपकी जानकारी में दे रहे हैं, तो है तो आपका ही। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : आप कैसे कहते हैं कि आप ही देंगे ?

श्री केसाराम चौधरी : यह प्रश्न के खण्ड तीन में आपने जो...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मेरे को जानकारी की जरूरत नहीं है। मैं इस परपज के लिए हूं कि आप जानकारी मेरे से सीक करेंगे। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपसे जानकारी मांगी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैंने कागज रखा है। यह क्या बात हुई, अध्यक्ष महोदय, न्याय करवाओ। अध्यक्ष महोदय, मैंने जो कागज रखा है, वह आथेंटिक कागज है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप गलत कहेंगे तो हम जानकारी नहीं देंगे ? यदि आप गलत बात कहेंगे तो हम जानकारी भी नहीं देंगे ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और मैं आपकी आज्ञा से यह टेबल करना चाहता हूं यह सरकार विश्व बैंक के साथ करार करके आयी है और इस सरकार ने किसानों का अहित किया है, इन्होंने ब्याज की दरें बढ़ा दीं, डोमेस्टिक में दरें बढ़ा दी। और अब यह मंत्रीजी कह रहे हैं कि ऐसा कोई करार नहीं। नहीं, आप इससे मुकर रहे हैं न ? नहीं, आप यह कह दो कि करार नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, आपने जो पूछा है, मैं उसका उत्तर दे रहा हूं। मैं आपको आपने जो पूछा है उसका उत्तर दे रहा हूं। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य, इन्होंने जो कहा है, जो भी करार दिया है, वह ऊर्जा विभाग के और राजस्थान की जनता के हित में किया है, यह कहा है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह जो करार किया है, उससे तो...(व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : हित तो सभी मानकर चलते हैं पर...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : सुनिये तो सही आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह हित है, जिसके अन्दर आपने विद्युत दरें बढ़ाने का करार किया है ?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : क्या हित है, बता दो वह कौनसा हित है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नगर से आने वाले माननीय सदस्य, इसको हित मानते हैं तो खड़े होकर कह दो न। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : यह कह दो न।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, आप यह कह दो खड़े होकर कि यह हित है।

श्री हीरासिंह चौहान : वह हम भी सुन रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह हाल है।

श्री नाथूराम (किशनगढ़) : केन्द्र सरकार जो पैट्रोल और डीजल पर पैसा बढ़ा रही है, वह किस के ऊपर बढ़ा रही है, वह किसान के हित के लिए बढ़ा रही है क्या ?

मोहम्मद माहिर आजाद : अब हित का फैसला आप थोड़े ही करेंगे, वह सरकार करेगी। राजस्थान सरकार के हित में क्या है, यह कहा है। अब हित का फैसला आप थोड़े ही करेंगे, सरकार करेगी।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : चार दिन के हैं, इतनी वकालत मत करो, भाई साहब।

मोहम्मद माहिर आजाद : चार दिन नहीं, आपसे पहले से हूं। आपको हुए हैं चार दिन। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार...(व्यवधान) राज्य सरकार को 70 परसेंट ऋण, 30 परसेंट अनुदान के रूप में प्राप्त हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह है। यह आ गया, बस ठीक है।

श्री रामनारायण चौधरी : विश्व बैंक द्वारा भारत सरकार और राजस्थान सरकार तथा पांचों कम्पनियों से किये गये ऋण समझौते की मुख्य बातें इस प्रकार से हैं। आपकी अनुमति हो तो, मान्यवर, मैंने आपको...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो मेरे को स्पेसिफिक केवल यह बता दीजिए, हमें मालूम है आज क्या हालत है, आप तो यह बता दो कि यह जो फाइनेंशियल ऋण...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपको बता रहा हूं, मुख्य शर्तें यह हैं.....

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 21 मार्च को आपने दस्तखत किये हैं या नहीं यह बता दो ? ...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश हो तो मंत्रीजी से प्रश्न पूछ लूं।

श्री रामनारायण चौधरी : वह कोई खास बिजली नहीं मिलती है बिनानी को। बैठिये, बैठिये।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका आदेश हो तो पूछ लूं ?

श्री रामनारायण चौधरी : चूरू से आने वाले माननीय सदस्य का प्रश्न ही पूरा कहां हुआ है ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बता रहे हैं, पूरा कहां हुआ है ?

श्री रामनारायण चौधरी : आपका प्रश्न पूरा कहां हुआ, अब मैं दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मेरे को बता दो।

श्री रामनारायण चौधरी : हां, मैं बता रहा हूं।

श्री रोहिताश्व कुमार : एक लाइन पढ़ दी और जवाब ही नहीं दिया।

श्री रामनारायण चौधरी : परियोजना से सम्बन्धित खर्चा का सुव्यवस्थित लेखों, लेखांकन लेखों का अंकेक्षण...(व्यवधान)

श्री सुरेन्द्र व्यास : आप उसका जबाव दो न।

श्री केसाराम चौधरी : चन्द्रभानजी को खड़ा कर दो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : छह महीन के अन्दर बैंक को प्रस्तुत करना, यह हमारा एग्रीमेंट है उसमें...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : अब आप खड़े हो जाओ, जवाब दे दो। यह कोई जबाव नहीं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह क्या कह रहे हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : प्रस्तुत करना, यह हमारा एग्रीमेंट है। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : आपसे बढ़िया तो चन्द्रभानजी जवाब दे देंगे।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आपसे बढ़िया तो चन्द्राभानजी जवाब दे देंगे, चन्द्रभान जी को दे दो ये कागज। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान सरकार पांचों कम्पनियों द्वारा परियोजना को ...(व्यवधान) पूरी निष्ठा के साथ पूरा करना ...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : इनको मालूम नहीं है, जवाब आधा-अधूरा दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री अरुण सिंह : ऊर्जा मंत्रीजी, भोले भाले किसानों को मरवा रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान सरकार व पांचों कम्पनियों द्वारा परियोजना पूरी निष्ठा के साथ पूरा करना, यह हमारा एग्रीमेंट है। राजस्थान सरकार पांचों कम्पनियों द्वारा वित्तीय पुनर्संरचना योजना में वर्णित...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप यह क्यों बता रहे हो? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : वित्तीय लक्ष्यों की प्राप्ति...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आप तो यह बता दो, बिजली की दर और बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो आप ? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय अध्यक्ष महोदय, यह उत्तर आ गया...(व्यवधान)...

श्री अरुण सिंह : विद्युत मंत्री अब क्या कर सकते हैं इसमें ?...(व्यवधान) दस्तखत तो आपने किये हैं...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : चन्द्रभानजी, आप ही जवाब दे दें इनकी जगह। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : सुधार अधिनियम के तहत नियामक आयोग ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप नहीं पढ़ो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : सुनिये साहब, राजस्थान सरकार द्वारा सुधार अधिनियम रिफोर्म्स एक्ट के तहत नियामक आयोग की कार्यवाही को प्रभावी बनाये रखने, सभी आवश्यक कदम उठाना। राजस्थान सरकार द्वारा अपने विभाग की विद्युत बकाया के लिए बजट प्रावधान रखना। राजस्थान सरकार का जुलाई, 2000 तक वितरण कम्पनियों की अंश पूंजी में ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप विराज जाओ न, क्यो खड़े हो ? कुछ लेना-देना है नहीं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : निजी क्षेत्र की भागीदारी विनिवेश कार्यक्रम के अन्तर्गत करना...(व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : और बिजली की रेट बढ़ाते जाना...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बढ़ाओगे कि नहीं बढ़ाओगे बिजली की रेट, यह तो बताओ ? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे बिजली की रेट, यह बताओ आप तो ? (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : आप तो यह बता दो कि आप बिजली की रेट बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे ? (व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बढ़ा रहे हैं कि नहीं बढ़ा रहे, यह बता दो आप तो? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मैंनें इतनी मेहनत की है, रात के दो बजे तक मैंने इसमें सिर-फौड़ी की है, आप मेरी बात तो सुने। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : डा. चन्द्रभान जी , इस सबके लिए आप जिम्मेदार हैं। डा. चन्द्रभान जी, आप खड़े होकर कुछ जवाब तो दो। ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मंत्रीजी, यह बताओ कि यह पढ़ने के अलावा कोई अधिकार है क्या आपको? इन वितरण कम्पनियों में... (व्यवधान)... अधिकार है क्या आपके पास? ...(व्यवधान)... विधान सभा में पढ़कर सुनाने के अलावा कोई अधिकार रखते हो क्या आप? ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : सुनिये आप। सतत् मॉनिटरिंग एवं मूल्यांकन करना ये शर्तें हैं... (व्यवधान)

(व्यवस्था सूचक घंटी)

एक माननीय सदस्य : यह रामकथा बाद में सुनाना। (व्यवधान)

श्री अरुण सिंह : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी का नहीं...(व्यवधान)...गैरजिम्मेदार हैं इसके लिए...(व्यवधान)...

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय किरोड़ी लालजी, प्रभावी शर्त एग्रीमेंट की...(व्यवधान)...

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऊर्जा मंत्री जी, आप तो यह कह दो मैं जिम्मेदार नहीं हूं। सब काम इनके किए हुए हैं, आप तो यह कह दो। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : दे दूंगा न जवाब। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : इन्हीं के द्वारा किये हुए हैं। जो इन्होंनें सौंपे हैं,वह मेरे ऊपर है, मैं उनको स्वीकार करता हूं और निष्ठा, लगन और ईमानदारी के साथ पूरी करने की कोशिश करूंगा। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : मंत्रीजी को आपके माध्यम से पूछना चाह रहा हूं...

श्री रामनारायण चौधरी : अभी कहां पूछोगे, पहले बात तो होने दो पूरी। (व्यवधान) यह राजस्थान सरकार ...(व्यवधान)।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : यह राम कथा पूरी होने वाली नहीं है 12 बजे तक। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : यह समय की भी 12 बजाओगे और बिजली की भी 12 बजाओगे आप। (व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : यह आज 12 बजाना चाह रहे हैं, इसके अलावा आपका कोई उद्देश्य नहीं है। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : अध्यक्ष महोदय, प्रसारण एवं वितरण कम्पनियों द्वारा ...(व्यवधान) नियामक आयोग द्वारा ...(व्यवधान)... प्रतिपक्ष के नेता महोदय एक मिनट ...(व्यवधान)

श्री नन्दलाल बंशीवाल : बिजली की दरें बढ़ा रहे हो कि नहीं बढ़ा रहे हो, यह बताओ आप तो ? (व्यवधान) बिजली की दरें बढ़ाने की घोषणा करें आप। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : एक मिनट ...(व्यवधान) देखिये, बहुत इम्पोर्टेंट बात है, कम्पनियों ने और राजस्थान सरकार ...(व्यवधान)

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब साथ में ही आ जाएगा।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : आप यह बताओ मंत्री जी कि बिजली की दरों में वृद्धि कर रहे हैं कि नहीं कर रहे ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : विद्युत नियामक आयोग द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : जबरदस्ती है क्या ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : पूर्ण राजस्व प्राप्ति हेतु ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आर्डर.... (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : सुनिये आप। अध्यक्ष महोदय, माननीय राठौड़ साहब और दूसरे माननीय सदस्य बार–बार पूछ रहे हैं कि रेट बढ़ाएंगे कि नहीं बढ़ाएंगे मान्यवर, नम्बर 12 में जो बात है वह यह है कि प्रसारण/वितरण कम्पनियों द्वारा नियामक आयोग द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार वार्षिक अथवा बहुवार्षिक पूर्ण राजस्व की प्राप्ति हेतु विद्युत दर याचिका अयोग के समक्ष प्रस्तुत करें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : प्रस्तुत है, बढ़ाओ। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : यह विद्युत कम्पनियों का काम है, वे इसको प्रस्तुत करेंगी। यह नियामक आयोग का काम है ...(व्यवधान) क्या उचित समझते हैं ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपका क्या काम है, यह बता दो। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : राजस्थान सरकार का उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप क्या यहां जवाब देने के लिए खड़े हो गये, किसानों के लिये कुछ हित की सोचते भी हो कि नहीं ? (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता–प्रतिपक्ष) **:** अध्यक्ष महोदय, केवल आप तो दो ही बातों को स्पष्ट कर दें, 850 करोड़ का कर्जा लेने के लिये जिन टर्म्स एण्ड कंडीशंस को आपने डाला, उसके बाद जिस स्टेज में आपको लोन मिलना चाहिये था, वह मात्र 225 करोड़ रुपये क्यों मिला ? क्या उसके कारण से कोई बाधा आयी? एक तो इसको स्पष्ट कर दें कि रेट बढ़ाना या छीजत को कम करना या बाकी चीजें जो इस एग्रीमेंट में आपने की हैं, क्या उसके लिये आप उत्तरदायी हैं या नहीं ? यह पूरा लोन उसी आधार पर मिलेगा या नहीं मिलेगा ? इस कंडीशन को अपन पूरा नहीं करेंगे तो लोन नहीं मिलेगा ? दूसरा यह कि लगभग 1120 करोड़ रुपये साल की टैरिफ बढ़ने से लोगों पर भार पड़ा और उसके बाद भी आपका जो घाटा है वह हर साल उससे बढ़ता चला जा रहा है। जो घाटा हमारा केवल 640 करोड़ था वह 1200 करोड़ से ऊपर जा रहा है, बीच में 1600 करोड़ भी आ गया। टैरिफ बढ़ाने के बाद भी हमारा घाटा फिर और क्यों बढ़ रहा है, इसका कारण तो स्पष्ट करें। इस घाटे की पूर्ति के लिये क्या आप टैरिफ बढ़ाकर ही इसका एक मात्र रास्ता निकालेगे क्या ? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : आर्डर प्लीज। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि लागत बढ़ने का कारण क्या रहा है ?

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मुझे आदेश दें।

श्री अध्यक्ष : बैठिये, जसवन्त सिंहजी। ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने जो प्रश्न, अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से उठाया है, मैंने आपको शुरूआत में बताया था कि 2001–2002 में ...(व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : पढ़कर बताऊंगा।

श्री रामनारायण चौधरी : पढ़ करके नहीं बताऊं और कुछ उलटा–सुलटा हो जाए तो उसकी जिम्मेदारी मेरे पर आती है। मैं राजस्थान विधान सभा में सत्ता पक्ष की तरफ से, ट्रैजरी बैंच की

(श्री रामनारायण चौधरी)

तरफ से जिम्मेदारी के साथ उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं। (व्यवधान)

डा. चन्द्रभान : मंत्रीजी सक्षम हैं। (व्यवधान)...

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, अध्यक्ष महोदय, 2001-02 में 1500 करोड़ रुपये का घाटा था और 2000-01 में 1291 करोड़ रुपये का घाटा, घाटा घटा है, बढ़ा नहीं है। घटा है तो सोशल सर्विसेज हैं और इस वर्ष घटा है घाटा। प्रतिपक्ष के नेता महोदय घाटा बढ़ा नहीं है, घटा है। और जो लोसेज...(व्यवधान) आपने सुना, साहब। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : 2003 का घाटा बढ़ा है।

श्री रामनारायण चौधरी : आप सुनो, साहब। आप आपकी बात कह रहे हो, मेरी भी सुनो आप।

श्री केसाराम चौधरी : 2003 का घाटा बताओ। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : कहां बढ़ा ? बिराजिये आप।

श्री केसाराम चौधरी : आप घाटा तो बताओ। जवाब अधूरा छोड़ दिया। जवाब आप अधूरा दे रहे हैं। एक वर्ष का घाटा बता ही नहीं रहे हैं।

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय प्रतिपक्ष के नेता महोदय ने तीन बातें पूछीं, वे मैंने बतायीं। मान्यवर, राष्ट्रीय स्तर पर हमारे प्रधानमंत्री महोदय ने स्वयं यह कहा कि राष्ट्रीय स्तर पर 50 प्रतिशत विद्युत बिलिंग नहीं होती। विद्युत बिलिंग नहीं होगी तो घाटा नहीं बढ़ेगा तो मुनाफा कैसे बढ़ेगा ? नेशनल लेवल पर प्रधानमंत्रीजी ने स्वयं माना है 50 प्रतिशत का, लेकिन हम तो 40 प्रतिशत से नीचे हैं। राजस्थान बिलिंग में 40 प्रतिशत से नीचे है। हमारी एक कम्पनी 38 है, जयपुर में 36 है, और एक 40, टोटल मिलाकर हम 40 प्रतिशत से नीचे हैं लौसेज के अन्दर और बिलिंग हमारा 40 प्रतिशत नहीं हो पा रहा है। इसलिए हमारा घाटा बढ़ रहा है। घाटे की पूर्ति के लिये कम्पनियों का यह प्रयास है और हर साल सरकार का कम्पनियों को सहयोग है कि वे अपनी कार्य-कुशलता के द्वारा लौसेज को कम करें, समय पर उगाही करें और किसानों को रियायतें दी जा रही हैं वे दी जाएं। उपभोक्ताओं को रियायत दी जाए, लेकिन उनका इफैक्टिव कंट्रोल उसके ऊपर हो, रियलाइजेशन समय पर हो। हम अपने सुधारों के जरिये इस घाटे की पूर्ति करने की कोशिश करेगे। मान्यवर, जो नियामक आयोग हमारी, शर्त के मुताबिक मैंने पढ़ा था...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : विद्युत दर कब बढ़ा रहे हो ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : रेट बढ़ाने का काम आपको मैंने पहले निवेदन किया था, आप चाहते हैं, मान्यवर ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : वह रैगुलेटरी कमीशन की ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य चाहते हैं कि ऊर्जा मंत्रीजी ने यह कहा कि हम

(श्री रामनारायण चौधरी)

रेट बढ़ा रहे हैं। ऊर्जा मंत्री कह रहा है हम रेट नहीं बढ़ा रहे। (व्यवधान) यह काम नियामक आयोग का है, यह काम कम्पनियों का है। कम्पनियों का ...(व्यवधान)

श्री नाथूराम (किशनगढ़): +++ ...(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : कम्पनी जब आवश्यक समझेगी तो नियामक आयोग के पास जाएगी और अपनी बात रखेगी। यह देखने का काम नियामक आयोग का है। उसकी सलाह के लिये किसानों का ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपका कोई हस्तक्षेप नहीं होगा क्या? (व्यवधान) अगर वह रेट बढ़ा तो? आप बताइये स्पष्ट। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप सुनिये। ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप केवल यहां जवाब देने के लिये खड़े हैं या आपको कोई अधिकार है? क्या सरकार किसानों को लूटने की शक्ति दे देगी नियामक आयोग को? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : बैठिये, बैठिये। आप ज्यादा गुस्सा मत करो।

श्री सांवर लाल : आप बताइये न। ....(व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : बैठिये आप। ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आपके पास क्या अधिकार है, यह बताइये आप ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : उधर बात कहिये, उधर। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप केवल जवाब देने के लिए ही हैं या कुछ करने के लिए हैं ?

श्री रामनारायण चौधरी : यह क्लास नहीं है यूनिवर्सिटी की। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप पढ़ रहे हो.... (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : नियामक आयोग क्या घाटा घटाएगा, नियामक आयोग खुद के आफिस का मेंटिनेंस का एक करोड़ रुपये का बजट है। यह कम्पनी और एक करोड़ का घाटा उस पर डाल रही है, नियामक आयोग.... (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मंत्री महोदय कह रहे है यह घाटा इसलिए नहीं है, घाटा इसलिए है.....

श्री अध्यक्ष : इसके बाद में है, पहले वह। प्रश्नकर्ता जो हैं उनका नाम पुकारा है मैंने।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : हमारा भी पुकार लो।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकर्ता उनके साथ है राजेन्द्र राठौड़ के साथ।

श्री जसवन्त सिंह गुर्जर : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामनारायण चौधरी : मान्यवर, मैं माननीय सदस्य की बात से सहमत नहीं हूं। राजस्थान सरकार का जो देय था, यह बात सही है कि समय पर वह नहीं दिया गया। इसकी वजह से उनके कोई घाटा हुआ, वह बात नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसको आप ठीक मानते हो क्या ?

श्री रामनारायण चौधरी : हां, वह व्यवस्था तो हुई है। उसकी वजह से उनका काम कोई रुका नहीं है। राजस्थान सरकार का देय है, वह तो सरकार है, वह देय है, कहीं जाएगा नहीं, मिलेगा।

श्री अमराराम (धोद) : घाटा ही इस कारण से है। आपको देना था 1146 करोड़ और दिया आपने 278 करोड़।

श्री रामनारायण चौधरी : बाकी और दिया जाएगा।

श्री अमराराम (धोद) : नहीं, दिया जाएगा तो घाटा रहेगा ही नहीं। आपका घाटा है 640 करोड़ और आपका अनुदान देय था 1211 करोड़। अध्यक्ष महोदय, आपका घाटा है 1678 करोड़ 1999-2000 में और देय था 1768 करोड़।

श्री रामनारायण चौधरी : यह ठीक है, वह अगर कम कर देते हैं तो घाटा और कम हो जाएगा।

श्री अमराराम (धोद) : घाटा रहेगा ही नहीं।

श्री रामनारायण चौधरी : अब मान लो।

श्री अमराराम (धोद) : मान कैसे लें ? विद्युत निगम को और विद्युत बोर्ड को केवल-मात्र इस बात से प्रचारित करना कि घाटा इसलिए है।

श्री अध्यक्ष : अमरारामजी, बैठिये आप।

श्री अमराराम (धोद) : घाटा इसलिए है कि सरकार अनुदान नहीं देती और यह बहाना बना कर इसका निजीकरण करके राजस्थान का अहित करना चाहती है जो इसमें निहित है।

श्री रामनारायण चौधरी : निहित कैसे है ?

श्री अध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मंत्रीजी ने अभी फर्माया कि वह दरें नहीं बढ़ाएंगे तो क्या यह बात सही है कि विजिलेंस टोलियों के जरिये, चैकिंग के नाम पर अकेले झुंझुनु से दो करोड़ 24 लाख रुपये अकाल पीड़ित लोगों से एक साल में वसूल किया ? तो क्या घाटे की पूर्ति यूं करेंगे? आप दरें नहीं बढ़ाएंगे और यूं आप घाटे की पूर्ति करते रहेंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : झुंझुनुं से आने वाली माननीय सदस्या की बात से मैं सहमत नहीं हूं। मैंने कब कहा? टैरिफ बढ़ाने का काम मैने आपको बताया कि नियामक आयोग का है।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, मैने तो यह कहा आपको, दरें तो नहीं बढ़ाएंगे ? आप समझे नहीं। आप ठीक से मेरी बात समझ नहीं सके।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फिर आपने घोषणा कैसे की ? आपने कह दिया बढ़ाएंगे नहीं। (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : मैं आपके कहने से यहां यह नहीं कहूंगा कि मैं विद्युत की दर बढ़ा रहा हूं। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैंने कहा, दरें तो नहीं बढ़ाएंगे ? आप समझे ही नहीं बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बढ़ा सकते हैं क्या ?

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय, वह माननीय सदस्य के कहने पर नहीं कहेंगे कि दरें बढ़ाएंगे लेकिन दरें बढ़ाएंगे। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह आपके अधिकार में नहीं है, मंत्रीजी। रेट बढ़ाने का काम नियामक आयोग का है आप कैसे कह सकते हैं कि बढ़ाएंगे नहीं बढ़ाएंगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्या, आप स्वयं जानती हैं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आपने कहा, दरें नहीं बढ़ाएंगे कहा था न आपने ? आपने इस सदन में ही कहा कि दरें तो नहीं बढ़ाएंगे। ऊर्जा मंत्री कहते हैं कि दरें नहीं बढ़ाएंगे। आपने कही यह बात पहले।

श्री रामनारायण चौधरी : मैंने जो कुछ कहा है वह ठीक कहा है। इनको कहा है वह आपने सुना है और यहां दर्ज हुआ है। हां, वह मैंने ठीक कहा है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : मंत्रीजी, यह बता दो कि इस कम्पनियों का निजीकरण तक कर दोगे और कब तक इसको पूरा कर दोगे ?

श्री रामनारायण चौधरी : निजीकरण की प्रक्रिया चालू है। यह प्रोसेसिंग है सारा, एक दिन का काम नहीं है, इसमें टाइम लगेगा।

श्री अमराराम (धोद) : तो इसको पूरा कब तक कर दोगे ? और उसके बाद तो घाटा नहीं होगा ? निजीकरण के बाद तो आपकी सरकार की गारंटी है कि इसके बाद कोई घाटा नहीं होगा और रेट नहीं बढ़ेगी ? (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरे प्रश्न का जवाब दिया नहीं, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, निजीकरण के मामले में पहला कदम आपने क्या उठाया ?

श्री अध्यक्ष : अभी नहीं, सुरानाजी, बैठिए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : अध्यक्षजी, माननीय मंत्रीजी ने मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दिया।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : अध्यक्ष महोदय, निजीकरण की शुरूआत 1995 में तत्कालीन सरकार के कंसल्टेंट द्वारा की गयी थी। मैं मंत्रीजी से जानना चाहता हूं कि 1995 में आपने जो अन्तरराष्ट्रीय कंसल्टेंट मुकर्रर किया था, उसके माध्यम से निजीकरण की शुरूआत की गयी थी?

श्री अध्यक्ष : बैठिये आप।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मेरे प्रश्न का जवाब तो आने दीजिए, आप बीच में ही खड़े हो गये।

श्री अमराराम (धोद) : वह देंगे ही नहीं आपका जवाब।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : अगला लो, साहब। कभी-कभी तो नम्बर आता है, साहब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय मंत्रीजी, आप यह तो कह दीजिए कि बात सही है। आप खड़े होकर यह तो कहिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : प्रश्न संख्या-564.

श्री रामनारायण चौधरी : मैं यह कह रहा हूं कि जो लोग....

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : प्रश्न संख्या-564, कभी-कभी तो नम्बर लगता है, साहब।

श्री अध्यक्ष : बैठिये। मैंने कॉल ही नहीं किया, आप बीच में कहां बोल रहे हैं ?

श्री रोहिताश्व कुमार : अध्यक्ष महोदय, आप क्यों +++ ले रहे हो ? चलने दो.... (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मंत्री महोदय, आप खड़े हुए थे फिर बैठ गये। जवाब देने के लिए खड़े हुए थे, अब फिर बैठ गये आप। मैं सवाल रिपीट करूं, ऊर्जा मंत्रीजी ? मैंने आपसे यह पूछा था कि आपने यहां हमें आश्वासन दिया कि दरें नहीं बढ़ाएंगे तो क्या यह बात सही है कि अकाल पीड़ित जनता से अकेले झुंझुनं में विजिलेंस टोलियों के जरिये चैकिंग के नाम पर आपने दो करोड़ चौबीस लाख रुपये एक साल में वसूल किये हैं ? और सीकर में सात करोड़ रुपये वसूल किये हैं ? यह तो बता दीजिए। (व्यवधान) चोरी नहीं है, यह सरकार लूट रही है। किसान को आपकी वितरण कम्पनियां लूट रही हैं।

श्री मदन दिलावर : सरकार लूट रही है किसानों को, श्रीमान्।

श्री अमराराम (धोद) : लूटकर कहां भरोगे? जिस तरह से विजिलेंस के नाम से सात करोड़ रुपये अकेले सीकर से वसूले हैं....

श्री अध्यक्ष : आपने सप्लीमेंटरी पूछ लिये, अमरारामजी। (व्यवधान) आप सदन में व्यवस्था रखिए। डा. किरोड़ी लाल।

डा. किरोड़ी लाल : अध्यक्ष महोदय मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि यह कम्पनी है मैसर्स आर्थर एण्डरसन इण्डिया प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली। मंत्रीजी ने अपने उत्तर में लिखा है कि इनको 342 लाख रुपये निजीकरण के लिए दे दिये और आज तक इसका निजीकरण हुआ नहीं, बताओ।

श्री रामनारायण चौधरी : इस कम्पनी को क्या दिया, इसका चार्ट मैंने आपको दिया है। आप देख लीजिए।

डा. किरोड़ी लाल : निजीकरण तो हुआ नहीं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह कोई जवाब नहीं है। (व्यवधान)

+++ शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

श्री रामनारायण चौधरी : चार्ट दिया है उसमें देख लीजिए आप। आपके पास में प्रश्नकर्ता हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, ये हरेक चीज के लिए कह रहे हैं कि हम देख लें। सवाल स्पेसिफिक है कि आपने निजीकरण के नाम पर 1276 लाख रुपये देने थे, 382 लाख रुपेय एक ऐसी कम्पनी को दे दिये जिसको सिर्फ डाकूमेंट बनाकर देना था। इतनी बड़ी राशि देने के बाद काम क्या-क्या हुए, वह बता दो ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : आप जो जानकारी प्राप्त कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य और बामनवास से आने वाले माननीय सदस्य, दोनों ने पूछा, निजीकरण के अन्दर परामर्श देने में यह कम्पनी काम कर रही है, इन्होंने चार-पांच बैठकें की हैं, प्रोजेक्शन दिया है, राज्य सरकार ने भी देखा है, मुख्य मंत्रीजी ने भी देखा है और कम्पनियों के पदाधिकारियों ने भी देखा है। वह टाइम टू टाइम अपना प्रोग्रामिंग करते हैं। स्वीकार करना, अस्वीकार करना, उसको लिंगर ऑन करना और समय आने पर निर्णय करना, यह कम्पनी और राज्य सरकार का काम है। यह प्रोजेक्शन का कोई कसूर नहीं, हमने उनको पेमेंट कर दिया उसके बदले में उन्होंने काम भी किया। उनका काम ठीक रहा है। मैं यह नहीं कहता कि हमने उनको कोई धूल में डाल दिया, उन्होंने अच्छा काम किया है। वह प्रोजेक्शन दे रहे हैं, प्रोग्राम्स बता रहे हैं। जहां-जहां हुआ है, वहां के भी वह बता रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : क्या-क्या काम किये?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, आप यह बताइये कि कम्पनी इटली की है क्या ? (व्यवधान)

श्री रामनारायण चौधरी : सुनो। उड़ीसा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह कम्पनी इटली की है क्या, +++ की है क्या ? आप पूरी बात बताइये क्या प्रोजेक्शन दिया, क्या काम किया, कितना प्रोजेक्ट दिया, कितना नहीं दिया ?

श्री अध्यक्ष : श्री हरजीरामजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : चार करोड़ रुपये आपने पेमेंट किया है और चार करोड़ का आउटपुट कुछ नहीं है।

श्री अध्यक्ष : बैठिए। मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह क्या इटली की कम्पनी है क्या ? +++ की कम्पनी है क्या ?

श्री अध्यक्ष : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। श्री हरजीरामजी बुरड़क।

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो बी. जे. पी. वालो से पूछो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप बिराजो। आप मंत्री नहीं हैं।

डा. बी. डी. कल्ला (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, बिना वजह कोई

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(डा. बी. डी. कल्ला)

भी बात कह देते हैं। जो सदन के मैम्बर नहीं हैं, इन्होंने अभी +++ लिया इनको एक्सपंज किया जाए। जो मन में आए वह बोल देते हैं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने यह कहा कि कम्पनी उनकी रिश्तेदार की है क्या?

मोहम्मद माहिर आजाद : यह तो आप घनश्याम तिवाड़ी से पूछो। यह तो घनश्याम तिवाड़ी के टाइम पर कंसल्टेंट अपाइंट हुआ था, उनसे पूछो, कम्पनी उनकी रिश्तेदार है या किसकी रिश्तेदार है। 1995 में कंसल्टेंट अपाइंट हुआ था, यह पूछना है तो आप उनको पूछो। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपने खारिज क्यों नहीं किया ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, हमारे मुंह से +++ निकले तो इनको इतनी तकलीफ होती है। (व्यवधान) आप +++ जाप हमेशा करते रहते हैं कि हमने कभी एतराज ही नहीं किया।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा (बयाना) : अध्यक्ष महोदय, +++ निकले इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं लेकिन यह क्या मतलब है कि +++ यह क्या स्टेटमेंट है ?

डा. बी. डी. कल्ला : ऐसा है कि आप अनर्गल बात किसी के बारे में में नहीं कर सकते। हम उसको एक्सपंज करवाएंगे। (व्यवधान) जो मन में आता है बोल देते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अध्यक्ष महोदय, +++ विपक्ष के नेता हैं, हम नाम नहीं ले सकते ? (व्यवधान)

डा. बी. डी. कल्ला : नाम लीजिए, नाम में कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो +++ हमेशा करो। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : +++ नाम ले लेकिन अनर्गल बात करते हैं, यह क्या मतलब है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो हर चर्चा में नाम लेते हैं।

श्री अध्यक्ष : +++ नाम का जो आप जानबूझकर प्रयोग कर रहे हैं, मैं उसे एक्सपंज करता हूं। नैक्स्ट श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नैक्स्ट प्रश्न तो ले लो, साहब। प्रश्न संख्या-564 मेरा प्रश्न ले लो, साहब। ऐसा क्या कसूर कर दिया मैंने ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यही तो हम चाहते हैं कि +++ (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह संघवी : अध्यक्ष महोदय, मेरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल है, मेरे विधान सभा क्षेत्र से जुड़ा हुआ है। (व्यवधान) एक-दो सवाल पूछना चाहता हूं, साहब।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अध्यक्ष महोदय, मैं यही चाहता था कि +++ एक्सपंज हो जाए। मैं यही तो चाहता था कि पूरे भारत से हो जाए। (व्यवधान)

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत (थानागाजी) : सोनियाजी प्रधानमंत्री बनेंगी।

श्री अध्यक्ष : आप बैठ जाओ। श्री हरजी राम बुरड़क।

श्री कृष्ण मुरारी गंगावत : देश की प्रधानमंत्री बहुत जल्दी बनेंगी सोनियाजी।

श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि विद्युत वितरण कम्पनियां....

श्री मदन दिलावर : अध्यक्ष महोदय +++ एक्सपंज किया जाए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : 57 मिनट हो गये, साहब दो मिनट पूछने दीजिए।

श्री अध्यक्ष : श्री दिलावर। श्री सिंघवी।

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आप कांग्रेस के चुनाव घोषण पत्र को जेब में रखकर बराबर यहां पर बताते रहते हैं, ऐसे ही, आने वाले दिनों में बराबर आपको सोनियाजी के नाम का जाप करना ही पड़ेगा।

श्री धर्मपाल चौधरी (मुण्डावर) : यह तो आपको ही करना पड़ेगा, मैडम।

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, अब फिर +++ एक्सपंज कराएं। +++ फिर एक्सपंज करवाने की कृपा करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको अलवर में विलोपित कर दिया, बहनजी। हमारी तो सहानुभूति है। आपको अलवर में बोलने नहीं दिया, इससे बढ़िया बात क्या है।

डा. (श्रीमती) कमला : बताइये आप, जेब में नहीं रखते क्या हमारा घोषणा पत्र ? कितना अच्छा काम करते हैं। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमारी सहानुभूति है आपसे। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : अध्यक्ष महोदय, माननीय कमलाजी ने +++ वह भी एक्पसंज कराने की कृपा करें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आपको अलवर में नहीं बोलने दिया कांग्रेस के नेताओं ने। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : देवीलालजी, बैठिये आप। श्री हरजीराम बुरड़क।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या-564.

श्री हरजीराम बुरड़क : अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि विद्युत कम्पनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होने के बाद....

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, 50 मिनट हो गये, हमारा भी महत्वपूर्ण सवाल है। आप हर माननीय सदस्य को पूछने दे रहे हैं, साहब। ऐसे क्या करते हो ? फिर बारह बज जाएंगे। (व्यवधान) नहीं, +++

श्री हरजीराम बुरड़क : क्या यह सही है कि विद्युत कम्पनीज एक्ट में रजिस्ट्रेशन होने के

+++ नाम/अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

बाद राज्य सरकार केवल शेयर होल्डर है और शेयर होल्डर का राइट मैनेजमेंट बनाने तक सीमित है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैं धरने पर बैठता हूं, साहब। कोई मतलब नहीं है, साहब।

(माननीय सदस्य श्री प्रताप सिंह सिंघवी द्वारा सदन कूप में धरना)

श्री हरजीराम बुरड़क : फर्स्ट, कम्पनी एक्ट के अनुसार कम्पनियां बनाने के बाद, मैनेजमेंट बनाने के अलावा राज्य सरकार का कोई हस्तक्षेप करने का अधिकार है।

श्री अध्यक्ष : बैठ जाइए।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : आप दूसरा कोई क्वेश्चन लेना ही नहीं चाहते। तीस सप्लीमेंटरी के लिए आलाउ किया है और फिर अलाउ करते जा रहे हैं आप। किसी का विधान सभा क्षेत्र का महत्वपूर्ण क्वेश्चन होता है उसको आप नम्बर पर नहीं आने देते। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष : सिंघवी साहब, बैठिए। (व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री प्रताप सिंह सिंघवी का धरना समाप्त)

श्री हरजीराम बुरड़क : मंत्री महोदय, क्या कम्पनी एक्ट लागू होने के बाद राज्य सरकार को कम्पनियों के डे-टू-डे के वर्क में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार है ?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह कोई बात है क्या ?

श्री हरजीराम बुरड़क : राज्य सरकार शेयर होल्डर है, शेयर होल्डर केवल मैनेजमेंट बनाने तक ही सीमित है। क्या यह बात सही है ?

(12.00 बजे)

श्री रामनारायण चौधरी : यह सही है कि डे-टू-डे काम में हस्तक्षेप करने का काम राजस्थान सरकार का नहीं है और वह नहीं करती है। कम्पनियां स्वतन्त्र हैं, निष्पक्ष तरीके से काम कर रही हैं। उनके फंक्शनिंग में हमारा कोई इंटरफियरेंस नहीं है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : अध्यक्ष महोदय, मेरा तो प्रश्न ही नहीं आया। एक ही सवाल में पूरा कर दिया।

श्री अध्यक्ष : प्रश्नकाल समाप्त। सिंघवीजी, बैठ जाइये। माननीय सदस्य, प्लीज सिट डाउन।

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तर के लिए परिशिष्ट-1 देखें)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर के चिकित्सकों के विरुद्ध लम्बित प्रकरण

888. **श्री भंवरलाल शर्मा** (हवामहल) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर के सवाई मानसिंह चिकित्सालय के कितने चिकित्सकों के विरुद्ध विभिन्न आरोपों की जांच कब से विचाराधीन है?

(2) क्या यह सही है कि कतिपय चिकित्सकों के विरुद्ध चालान प्रस्तुत किये जाने की अनुमति

(श्री भंवरलाल शर्मा)

दिये जाने हेतु भी प्रकरण विचाराधीन है ? यदि हां, तो कब से ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) अब उक्त पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा ?

उत्तर

(1) सवाई मानसिंह चिकित्सालय के चिकित्सकों के विरुद्ध आरोपों की जांच एवं दिनांक की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न कर दी गई है।

(2) जी हां। निम्न दो चिकित्सकों के विरुद्ध उनके सामने अंकित दिनांक से मामले विभाग के विचाराधीन है :

1. डा. एस. के. चुट्टानी - 23.01.2003

2. डा. आर. के. जैनव - 14.06.2001

(3) डा. एस. के. चुट्टानी के प्रकरण का अभी परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण पूर्ण होने पर निर्णय लिया जावेगा। डा. आर. के. जैनव के विरुद्ध एक विभागीय जांच एवं एक जनहित याचिका विचारार्थ है। अतः विभागीय जांच एवं जनहित याचिका का निपटारा होने तक प्रकरण को लम्बित रखा हुआ है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-2 देखें)

राजस्थान स्पिनिंग मिल्स फैडरेशन की गंगापुर इकाई में महाप्रबन्धक के रिक्त पद पर नियुक्ति

889. डा. रतन लाल (सहाड़ा): क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान स्पिनिंग मिल्स फैडरेशन की तीनों इकाइयों के महाप्रबन्धक के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा संवर्ग की चयनित वेतन श्रृंखला के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लगाने के लिये सहकारी विभाग ने कार्मिक विभाग को मांग भिजवा रखी है ?

(2) क्या वर्तमान में उक्त इकाइयों में राजस्थान प्रशासनिक सेवा की चयनित वेतन श्रृंखला के अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया हुआ है ? उक्त अधिकारियों के नाम एवं वेतन श्रृंखला का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त फैडरेशन के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक द्वारा 2 नवम्बर, 2002 को गंगापुर इकाई के महाप्रबन्धक के प्रति दुर्भावनापूर्वक व्यवहार किये जाने के फलस्वरूप वह दिनांक 6-11-2002 से लम्बे अवकाश पर प्रस्थान कर गया है तथा समस्त वस्तुस्थिति के मद्देनजर मिल हित को ध्यान में रखते हुए सहकारिता विभाग ने इसका स्थानान्तरण अन्यत्र करके किसी अन्य अधिकारी को प्रतिनियुक्ति कर भिजवाने का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को दिनांक 30-12-2002 को भिजवाने के उपरान्त भी महाप्रबन्धक के पद पर अन्य अधिकारी को नहीं लगाया गया है ? यदि हां, तो इससे मिल का कार्य प्रभावित हो रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी नहीं। उक्त पदों पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा की किसी भी वेतन श्रृंखला के

(कार्मिक मंत्री)

अधिकारी को प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किया जाता रहा है। वर्तमान में पदस्थापित अधिकारियों की सूची पताका "क" पर संलग्न है।

(3) पी.पी. बिडियासर जो कि महाप्रबन्धक, स्पिनिंग मिल्स, गंगापुर (भीलवाड़ा) के पद पर पदस्थापित थे वह दिनांक 6.11.2002 से लम्बे अवकाश पर चलने के फलस्वरूप आदेश दिनांक 17.2.2003 के द्वारा उनका स्थानान्तरण अन्यत्र किया जा चुका है।

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक ने श्री पी. पी. बिडियासर के स्थान पर किसी उपयुक्त अधिकारी के पदस्थापना करने हेतु लिखते हुए यह भी अवगत कराया है कि उनके द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में फैडरेशन की स्पिनिंग इकाई गुलाबपुरा के महाप्रबन्धक श्री देवेन्द्र शर्मा को अग्रिम आदेशों तक स्पिनिंग इकाई गंगापुर के महाप्रबन्धक पद का अतिरिक्त कार्यभार दिया गया है। गंगापुर इकाई के महाप्रबन्धक के पद पर शीघ्र ही उपयुक्त अधिकारी का पदस्थापन किया जाना विचाराधीन है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-3 देखें)

राजकीय सेवा में अनुसूचित जाति जनजाति के बैकलाग के रिक्त पद

890. श्री बंशीलाल गहलोत (राजसमन्द) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राजकीय सेवा में अनुसूचित जाति/जनजाति के बैकलाग के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या सरकार अब उक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। आरक्षण अवशेष रहने के प्रमुख कारण, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के आरक्षित पदों के समकक्ष योग्य तथा पात्र व्यक्ति उपलब्ध नहीं होना, भौतिक रूप से रिक्तियां उपलब्ध नहीं होना, विभिन्न न्यायालयों में वरिष्ठता निर्धारण सम्बन्धी प्रकरण विचारधीन होना तथा पूर्व में प्रचलित नियम कि वर्ष विशेष में उपलब्ध रिक्तियों में आरक्षित पद 50 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकते, रहे हैं।

(2) जी हां। सरकार इन्हें शीघ्रतिशीघ्र भरने का विचार रखती है।

राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा प्रधानाध्यापक संवर्ग परीक्षा में अनुभवहीन अध्यापकों को अनुमति

891. श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या (बांसवाड़ा) : क्या कार्मिक मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा दिनांक 23 फरवरी, 2003 को आयोजित प्रधानाध्यापक संवर्ग परीक्षा के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए थे और उक्त परीक्षा के लिए कितने प्रवेश पत्र जारी किए गए तथा उक्त परीक्षा में कुल कितने परीक्षार्थी सम्मिलित हुए ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त परीक्षा में उक्त आयोग ने उन आवेदनकर्ताओं को भी परीक्षा में

(श्री रमेश चन्द्र पण्ड्या)

सम्मिलित होने के लिए प्रवेश पत्र जारी कर दिए जिनके पास पांच वर्ष का माध्यमिक कक्षाओं में अध्यापन का अनुभव नहीं था ? यदि हां, तो आवेदनकर्ताओं को पात्रता के बगैर परीक्षा में सम्मिलित करने के क्या कारण रहे ?

(3) उक्त अभ्यर्थियों की संख्या कितनी रही।

(4) क्या ऐसे परीक्षार्थियों के मेरिट में आने पर साक्षात्कार के लिए बुलाया जायेगा ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) दिनांक 23.02.2003 को आयोजित प्रधानाध्यापक परीक्षा के लिये कुल 16962 आवेदन प्राप्त हुए तथा उक्त परीक्षा के लिए 16904 प्रवेश पत्र जारी किए गए। इस परीक्षा में 13232 परीक्षार्थी सम्मिलित हुए हैं।

(2) जी हां। उन समस्त, आवेदकों को जिन्होंने निर्धारित समयान्तर्गत निर्धारित परीक्षा शुल्क के साथ एवं निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन किया उन समस्त आवेदकों को परीक्षा में अस्थाई रूप से प्रवेश दिया गया। आवेदन पत्र अत्यधिक मात्रा में होने के कारण परीक्षा से पूर्व आवेदन पत्रों की परीनिरीक्षा नहीं की जाती है।

(3) उक्त अभ्यर्थियों की निश्चित संख्या समस्त आवेदन पत्रों की परीनिरीक्षा किये जाने के पश्चात् ही बताया जाना सम्भव है। आवेदन पत्रों की परीनिरीक्षा अभी सम्पन्न नहीं की गई है।

(4) इस सम्बन्ध में माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर में कुछ अभ्यर्थियों द्वारा एस. बी. रिट याचिका संख्या 1682/2003 दायर की गई है, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्त्ताओं को अन्तरिम आदेश दिनांक 21.2.2003 के तहत परीक्षा में बैठाने के आदेश दिये हैं। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त याचिका पर अंतिम निर्णय दिये जाने के अनुसार ही कार्यवाही किया जाना अपेक्षित है।

रीको द्वारा फर्जी संस्थाओं/व्यक्तियों को ऋण स्वीकृत करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही

892. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रीको के करोड़ों रुपये खाकर गायब हुए लोगों के पते, ठिकानें, व्यापार, व्यवसाय, सम्पत्ति को खबर सरकार के पास नहीं है ? यदि हां, तो कौन-कौन से ऋणी कितनी-कितनी राशि/सम्पत्ति लेकर कब से लापता हैं ?

(2) सरकार ने अब तक उक्त ऋणियों की खोज कर वसूली के क्या-क्या प्रयास किये ? अब तक ऋण वसूली नहीं करने के लिए कौन कौन अधिकारी जिम्मदार ठहराये गये और उक्त के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त ऋण वसूली में निजी जासूसी एजेंसियों (कम्पनियों) का सहारा लिया जा रहा है ? यदि हां, तो कितना भुगतान कर कौन-कौनसी जासूसी एजेंसी से किन नियमों के तहत उक्त कार्य करवाया जा रहा है ?

उत्तर

(1) जी नहीं। परन्तु रीको द्वारा वित्त पोषित

(उद्योग मंत्री)

12 इकाइयों के प्रवर्तक उनके द्वारा पूर्व में अंकित किये गये पते पर उपलब्ध नहीं है। इन 12 इकाइयों कि परिसम्पत्तियों को एस.एफ.सी. एक्ट की धारा 30/29 के अन्तर्गत अधिग्रहण कर विक्रय द्वारा अब तक 4,71,7602 रुपये की वसूली हो चुकी है तथा शेष बकाया राशि 3,20,55,361 रुपये की वसूली हेतु न्यायालय से डिग्रियां प्राप्त कर ली गई है। इन डिग्रियों की पालना/निष्पादन हेतु निगम प्रवर्तकों/गारंटर्स की चल-अचल एवं अन्य सम्पत्तियों का विवरण प्राप्त करने हेतु प्रयासरत है। इकाई का नाम, कुल बकाया, वसूल की गई राशि, डिग्री प्राप्त करने की तिथि एवं शेष राशि का इकाइवार विवरण परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) उपरोक्त 12 इकाइयों के प्रवर्तकों एवं गारंटर्स की चल-अचल एवं अन्य सम्पत्तियों का विवरण एकत्रित किया जा रहा है। विवरण प्राप्त होने पर डिग्री के निष्पादन की कार्यवाही की जायेगी।

(3) जी नहीं।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-4 देखें)

बरमसर क्षेत्र (जैसलमेर) में औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

893. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जैसलमेर जिले में खनिज एवं इन्दिरा गांधी नहर के कृषि उत्पादन से उद्योगों की सम्भावना बढ़ गई है ?

(2) क्या यह भी सही है कि भारी उद्योग हेतु एक सौ प्लाट रामगढ़ रोड बरमसर फांटे पर आरक्षित किये हैं जहां तीन चार उद्योग स्थापित हुये हैं ?

(3) क्या यह सही है कि रीको उक्त क्षेत्र को अपनी योजना में सम्मिलित नहीं कर रहा ?

(4) क्या सरकार उक्त क्षेत्र को भारी उद्योग हेतु विकसित करने का विचार रखती हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि जैसलमेर जिले में खनिज एवं इन्दिरा गांधी नहर आने से कृषि उत्पाद उद्योगों की सम्भावना बढ़ी है। जिले में 6 (तेल मिल, आटा व ग्वार गम) उद्योग स्थापित हुए हैं।

(2) बरमसर फांटा रामगढ़ रोड पर जिला कलक्टर द्वारा औद्योगिक क्षेत्र हेतु भूमि सैट अपार्ट की है जिसमें 500 से 4000 वर्गमीटर के 151 भूखण्डों का प्रावधान किया है, उसमें एक भी उद्योग स्थापित नहीं हुआ है।

(3) जी हां। वर्तमान में इस प्रकार की कोई योजना रीको में विचाराधीन नहीं है।

(4) जी नहीं। क्योंकि ऐसे कोई प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुये है।

जिला सवाईमाधोपुर में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों हेतु एकीकृत आर्थिक विकास कार्यक्रम प्रशिक्षण में अनियमितताएं

894. श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री भगवान सहाय सैनी)

(1) क्या यह सही है कि जिला सवाईमाधोपुर में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए एकीकृत आर्थिक विकास कार्यक्रम (आई. ई. डी. पी.) प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया गया ? उक्त कार्यक्रम कब-कब चलाया गया एवं उक्त पर कितनी राशि किस मद में व्यय की गई ? उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में कितना-कितना कच्चा माल किस-किस ट्रेड के लिये दिया गया ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम में कच्चे माल से बना तैयार माल नमदा/बैडशीट कब-कब एवं किस-किस को किस आधार पर बांटे गये ? उक्त तैयार माल कितनी-कितनी मात्रा में बना और बांटा गया तथा अब स्टाक में कितना शेष है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त अभ्यर्थियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में टूल किट्स बांटने हेतु बैग बनाये गये ? यदि हां, तो कितने एवं क्या सभी एक ही श्रेणी के थे ? उक्त टूल किटों में क्या-क्या सामान था एवं कहां-कहां से किस आधार पर कितनी-कितनी राशि से खरीदा गया था ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) फैकल्टी डवलपमेंट प्रोग्राम, पिलानी में कितने बैग एवं स्मृति चिन्ह कितनी-कितनी कीमत के, किस-किस को बांटे गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या सभी आई. ई. डी. पी. में इसी प्रकार के कीमती आइटम बांटे जाते हैं ? यदि नहीं, तो क्या फैकल्टी का नकद भुगतान भी किया जाता है ? यदि हां तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह पूर्णत: सही है कि जिला सवाईमाधोपुर में अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों के लिए एकीकृत आर्थिक विकास कार्यक्रम (आई. ई. डी. पी.) चलाया गया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न ट्रेडर्स के 30.7.2001 से 13.2.2002 की अवधि में 20 स्थानों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित कर 368 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित था, इस पर कुल 7,84,896/- व्यय किये गये। सभी कार्यक्रमों में कच्चे माल एवं प्रशिक्षण सामग्री पर खर्चा रुपये 1,04,569/- हुआ। प्रशिक्षण (ट्रेडवाइज) कार्यक्रम के अनुसार हुए खर्चे का विवरण "परिशिष्ट-क" में उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। प्रशिक्षण कार्यक्रम में तैयार माल नमदा/बैडशीट किसी को भी नहीं बांटे गये। यह कार्यक्रम अनुसूचित जाति एवं अन्य ऐसे पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए लक्षित था जो पूर्णत: नये थे अत: प्रशिक्षण के दौरान प्रयुक्त सामग्री एवं उससे तैयार माल के बीच का अनुपात निर्धारित मानदण्डों के अनुसार ज्ञात करना कठिन था। प्रशिक्षण के दौरान तैयार किया गया सामान अपूर्ण एवं अधूरा था। फिर भी पूर्णत: तैयार एवं उच्च कोटी के स्टाक की सूची "परिशिष्ट-ख" में उपलब्ध है।

(3) जी हां। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में टूल किट्स बांटने हेतु बैग बनाये गये थे। कुल 400

(उद्योग मंत्री)

बैग बनाये गये थे जो दो श्रेणी के थे। 350 बैग टूल्स किट के लिए एवं पचास बैग समापन समारोह के लिए बनाये गये थे उक्त टूल्स किट्स में रखा गया सामान एवं आपूर्तिकर्ताओं के बारे में विवरण "पारिशिष्ट-ग" पर उपलब्ध है।

(4) फैकल्टी डवलपमेंट प्रोगाम, पिलानी में कुल 38 बैग एवं 16 स्मृति चिन्ह बांटे गये। बैग पर रुपये 120/- प्रति बैग की दर से रुपये 4560/- एवं स्मृति चिन्ह पर प्रति स्मृति चिन्ह रुपये 160/- रुपये की दर से 2560/- का खर्च आया। यह कार्यक्रम भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित किया गया था। बांटे गये बैग एवं स्मृति चिन्ह का विवरण "परिशिष्ट-घ" में उपलब्ध है।

(5) जी नहीं। किसी भी आई.ई.डी.पी. में कीमती आइटम नहीं बांटे जाते। विजिटिंग-गैस्ट फैकल्टी को रुपये 200/- प्रति सत्र की निर्धारित दर से नकद राशि का भुगतान किया जाता है। "बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी" में कार्यरत व्याख्यातागण एवं प्रोफेसर्स की निर्धारित मानदेय राशि संस्थान द्वारा निर्धारित दर से दुगनी से भी अधिक हैं, अतः केवल नौ व्याख्यातागणों को सम्मानपूर्वक समापन समारोह में स्मृति चिन्ह भी भेंट स्वरूप प्रदान किये गये थे। इन स्मृति चिन्हों की राशि मात्र एक सौ साठ रुपये प्रति स्मृति चिन्ह है। अतः इस मद पर कुल राशि एक हजार चार सौ चालीस रुपये मात्र खर्च हुई। इस अल्प राशि को "कीमती श्रेणी" में वर्गीकृत किया जाना तर्क सगंत नहीं है। इस प्रकार से यह स्पष्ट होता है कि केवल 9 व्याख्यातागणों को प्रदान किये गये स्मृति चिन्ह एवं दिये गये भुगतान की राशि का योग करने पर कुल राशि तीन सौ साठ रुपये आती है जो कि बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलोजी में निर्धारित प्रति कालांश मानदेय राशि जो चार सौ रुपये से भी अधिक है, कम आती है। इस प्रकार संस्थान द्वारा इस मद पर कम से कम चालीस रुपये प्रति कालांश की बंचत की गयी है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-5 देखें)

भीटा भंटेश्वर सरेवड़ी पेयजल योजना (भीलवाड़ा) के तहत पेयजल आपूर्ति

895. डा. रतन लाल (सहाड़ा) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा की पेयजल समस्या के समाधान के लिए कोई कारगर कदम उठाये गये हैं ? यदि हां, तो क्या-क्या ?

(2) क्या भीटा भंटेश्वर सरेवड़ी योजना के कुएं में पर्याप्त पानी होते हुए भी पाइप लाइन की खराबी की वजह से इस योजना से वर्षों बाद भी गांव वालों को अभी तक पर्याप्त पानी नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो इसके लिए कौन दोषी हैं तथा उक्त योजना से उक्त गांवों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु सरकार क्या कर रही है ?

(3) क्या विधायक कोटे से खानणियां में एक टयूब वैल खोदा गया है ? क्या इसे अभी तक चालू नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों व अब कब तक चालू कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) 1- गंगापुर (आबादी 15224 जनगणना 1991) की वर्तमान में रायथलियास बांध के पेटे में निर्मित कुओं एवं कृष्णा माइन्स कुएं से 4 लाख लीटर जल प्रतिदिन दिया जा रहा है।

सर्विस लेवल 20 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है तथा सप्लाई अन्तराल 96 घंटे है। वर्तमान में 68 हैण्ड पम्प भी चालू है। गंगापुर की पेयजल समस्या के समाधान हेतु अब तक निम्न कार्यवाही की गई–

(अ) मात्र कुण्डिया बांध को स्रोत लेकर 2/96 में रुपये 394.55 लाख लागत पर योजना स्वीकृत की गई। अल्पवृष्टि के कारण गत पांच वर्षों से बांध में पानी नहीं आया अत: स्रोत, फिल्टर प्लांट व राइजिंग मेन के कार्य नहीं करवाए गए। योजना के प्रावधानों के अनुसार शहर में उच्च जलाशय व वितरण व्यवस्था के कार्य करवाए गए।

(ब) 2/2003 में कृष्णा माइन्स के कुएं को चालू किया।

(स) रायथलियास बांध के पेटे में 2 कुएं बनवाकर मार्च, 2003 में चालू किए।

2- विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के लिए कंटींजेंसी में प्रस्तावित कार्यों व प्रगति का विवरण निम्नप्रकार है :

क्षेत्र	प्रस्तावित कार्य	प्रगति
गंगापुर शहर	1. रायथलियास बांध के पेटे में 2 कुओं का निर्माण 2. 2 कुओं की डिसिल्टिंग 3. कुआं किराये पर लेना	1. मार्च, 2003 में चालू कर दिए। 2. फरवरी, 2003 में कार्य पूर्ण। 3. 11/2002 से एक कुआं किराए पर लेकर चला दिया है।
ग्रामीण क्षेत्र तहसील सहाड़ा	1. 10 हैण्ड पम्प पर 2. आवश्कतानुसार ग्रीष्म 2003 में पेयजल परिवहन 3. 10 हैण्ड पम्पों में सिंगल फैज पम्प एवं टैंक लगाना (10 गांवों हेतु)	1. 5 का कार्य पूर्ण। 2. आवश्यकता के समय कार्य प्रस्तावित। 3. कार्य प्रगति में।
ग्रामीण क्षेत्र तहसील रायपुर	1. 10 नए हैण्ड पम्प 2. आवश्कतानुसार ग्रीष्म 2003 में पेयजल परिवहन 3. 10 हैण्ड पम्पों में सिंगल फैज पम्प एवं टैंक लगाना (10 गांवों हेतु)	1. 5 का कार्य पूर्ण। 2. आवश्यकता के समय कार्य प्रस्तावित। 3. कार्य प्रगति में।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिक मंत्री)

उपरोक्त के अतिरिक्त राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला कार्यक्रम तथा प्रधानमंत्री ग्रामोद्योग योजना में 2002–2003 में क्रमश: 30 व 39 हैण्ड पम्प बनवाकर चालू किए। वर्तमान में हैण्डपम्प मरम्मत अभियान भी चल रहा है तथा कार्य सतत् प्रक्रिया में हो रहा है।

(2) क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना भीटा-भटेवरी सरेवड़ी में (वर्तमान जनसंख्या क्रमश: 1232, 1034 व 1002 है) जल स्रोत सरेवड़ी व भंटेवर में ओपन वैल है तथा उक्त योजना का संधारण ग्राम पंचायत द्वारा किया जाता है। जनता जलयोजना से सरेवड़ी ग्राम को सरेवड़ी के कुएं से पानी वितरित किया जा रहा है व ग्राम भीटा व भंटेवर को ग्राम भंटेवर के कुएं से पेयजल उपलब्ध कराया जाना है। किन्तु भंटेवर के स्रोत में गत वर्षों से पानी कम आने के कारण जे. जे. वाई. संचालित समिति द्वारा प्रथम ग्राम भंटेवर में ही पर्याप्त पेयजल वितरण नहीं होन के कारण भीटा को पानी उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है।

पाइप लाइन की रिपेयरिंग पिछले वर्ष मार्च, 2002 में ही ठेकेदार द्वारा कर दी गई थी किन्तु भंटेवर स्रोत में पर्याप्त पेयजल उपलब्ध नहीं होने से भीटा में पानी दिया जाना फिजिबल नहीं हो रहा है। इस योजना से जुड़े ग्रामों की स्थिति निम्नप्रकार है :–

क्र.सं.	ग्राम का नाम (कोड नं.)	आबादी (1991)	स्रोत	पेयजल व्यवस्था
1.	सेरवड़ी (4)	1002	सरेवड़ी खुला कुआं	1. जनता जल योजना से पेयजल वितरण 12 किलोलीटर प्रतिदिन 2. हैण्ड पम्प चालू 4
2	भंटेवर (5)	1034	भंटेवर खुला कुआं	1. जे.जे.वाई. योजना से पेयजल वितरण 13 किलोलीटर प्रतिदिन 2. हैण्ड पम्प चालू 1
3.	भीटा (2)	1232	भंटेवर खुला कुआं	1. पेयजल वितरण नहीं 2. हैण्ड पम्प 4 चालू (आवश्यकता पड़ने पर प्रशासन के माध्यम से पेयजल परिवहन द्वारा जल वितरण किया जायेगा। वर्तमान में न्यूनतम आवश्यकता के अनुरूप पेयजल उपलब्ध हो रहा है।)

(3) विधायक मद से ग्राम खाननिया नलकूप खोदा गया, परन्तु जल आवक कम होने के कारण नलकूप चालू नहीं किया गया। विधायक मद से स्वीकृत राशि 2.26 लाख रुपये के विरुद्ध राशि 1.28 लाख रु. ही प्राप्त हुए उनका व्यय हो चुका है व उपयोगिता प्रमाण पत्र भिजवाया जा चुका है।

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

इस नलकूप में सिंगल फेस पम्प सैट व पनघट स्थापना हेतु राशि रुपये 1.05 लाख का तखमीना तैयार कर डी. आर. डी. ए. भीलवाड़ा को अ.अ. भीलवाड़ा के पत्र 14971 दिनांक 13.3.03 द्वारा विधायक मद में आवश्यक स्वीकृति व राशि उपलब्ध करवाने हेतु भिजवाया गया है जो राशि प्राप्त होने पर कार्य पूर्ण करवाया जा सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के स्वीकृति हैण्ड पम्प/पेयजल योजना

896. **श्री रूपलाल (सलूम्बर)** : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या अभावग्रस्त जिलों में जल समस्या के तत्काल निवारण हेतु कंटींजेंसी फण्ड से राशि आबंटित की गई है ? यदि हां, तो उदयपुर जिले हेतु कितनी राशि आबंटित की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या जिला उदयपुर में वर्ष 2002 से फरवरी, 2003 तक कंटींजेंसी की राशि पूरी व्यय हो चुकी है ? यदि हां, तो उक्त राशि किन-किन कार्यों में व्यय की गई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) विधायक और सांसद कोष की राशि से विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में कुल कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या विधायक कोष से आबंटित हैण्ड पम्प और पाइप लाइन लगाने का कार्य पूर्ण किया जा चुका है ? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण कर दिया जायेगा ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र के गांव बोरी, जगत तथा बेमला तहसील गिर्वा के गांवों में जनता को पीने का पानी नहीं मिल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों में नया कुआं खुदवाकर जनता को राहत प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

उत्तर

(1) अभावग्रस्त जिलों में जल समस्या के तत्काल निवारण हेतु आवश्यक स्वीकृतियां दी गई। उदयपुर जिले के सन्दर्भ में उक्त का कलेवर निम्नप्रकार था :

(अ) शहरी क्षेत्र

1. 7 नये नलकूप बनाकर चालू करना।
2. जयसमन्द से प्राप्त पानी की मात्रा बढ़ाने हेतु इंटर-मीडिएट पम्पिंग स्टेशन पर अतिरिक्त पम्प स्थापन व पावर लोड वृद्धि
3. आवश्यकतानुसार जल परिवहन।

(ब) ग्रामीण क्षेत्र

1. 412 नये हैण्ड पम्प (206 लाख रुपये)
2. 25 नलकूप व डी. सी. बी. कार्य (130 लाख रुपये)
3. हैण्ड पम्पों में पुराने पाइप बदलना व लम्बाई बढ़ाना (44 लाख रुपये)
4. 162 स्थानों पर हैण्ड पम्प सिंगल फैज पम्प लगाकर चालू करना (81 लाख रुपये)

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

5. पुरानी पम्पिंग मशीनरी बदलना (8 लाख रुपये)

6. जनता जल योजना में सुधार कार्य (8 लाख रुपये)

7. आवश्यकतानुसार जल परिवहन।

उक्त के अतिरिक्त समस्या के तत्काल समाधान हेतु कार्य स्वीकृत करने के लिए जिला कलक्टर को भी अधिकृत कर दिया गया है।

(2) कंटींजेंसी नाम से बजट मद नहीं है। कंटींजेंसी की स्थिति में स्वीकृत कार्यों का मानदण्डों के अनुसार विभिन्न मद यथा ए. आर. डब्ल्यू. एस. पी., एम. एन. पी. आदि में भुगतान किया जाता है। प्रश्न के भाग 1 के उत्तर में उल्लिखित कार्यों में से निम्नप्रकार कार्यों का निष्पादन हो चुका है तथा शेष प्रगति में है :

1. हैण्ड पम्प हेतु 395 बोर बने जिनमें 371 सफल हैं। इन 371 में से 344 चालू कर दिए गए।

2. 16 नलकूप बनाए गए जिनमें से 13 सफल है। इनमें से 10 चालू कर दिए गए।

3. 3 डी. सी. बी. कार्य प्रगति में है।

4. 51 हैण्ड पम्प पर सिंगल फैज पम्प लगाकर चालू कर दिया गया।

5. आवश्यकतानुसार पेयजल परिवहन किया जा रहा है।

(3) सांसद कोष से 35 तथा विधायक कोष से 9 हैण्ड पम्प वर्ष 2002-03 में स्वीकृत हुए जिनकी कार्यकारी एजेंसी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग नहीं है।

(4) विवरण प्रश्न के भाग 3 के उत्तर के अनुसार। विभाग को प्राप्त सूचना के अनुसार स्वीकृत 9 में से 7 हैण्ड पम्प बन चुके हैं। शेष 2 में सही रास्ता नहीं होने के कारण हैण्ड पम्प कार्य नहीं हुआ। रास्ता उपलब्ध होने के बाद कार्य सम्भव होगा।

(5) जी नहीं। ग्राम बोरी एवं बेमला हैण्ड पम्प योजना तथा ग्राम जगत पाइप्ड योजना से लाभान्वित है। पिछले 4 वर्षों से लागातार वर्षा के अभाव से इन गांवों के अधिकांश जल स्त्रोत सूख चुके हैं। भू-जल वैज्ञानिक की अभिशंसा के अनुसार वर्तमान स्थिति में नया कुआं बनाना उपयुक्त नहीं है। वर्तमान स्थिति निम्नप्रकार है :

गांव का नाम	आबादी 1991	योजना का प्रकार	पाइप्ड योजना से (सर्विस लेवल)	वर्तमान में चालू हैण्ड पम्प	वर्तमान में किया जा रहा जल परिवहन लीटर/दिन
जगत	3871	पाइप्ड	0	20	60000
बोरी	680	हैण्ड पम्प	–	3	5000
बेमला	891	हैण्ड पम्प	–	4	10000

अन्य पिछड़ा वर्ग के चयनित राज्यकर्मियों का चारित्रिक सत्यापन

897. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न अधिकारी वर्ग सेवाओं से पूर्व चारित्रिक सत्यापन का प्रावधान है ? क्या अन्य पिछड़ा वर्ग को प्रदेश में आरक्षण लागू होने के पश्चात् विभिन्न सेवाओं के चयनित अधिकारियों का चारित्रिक सत्यापन हुआ है ? यदि हां, तो वर्ष 1988-99 से 2001-02 में वर्षवार चयनित पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों के विभिन्न सम्बन्धित पुलिस थानों से चारित्रिक सत्यापन के व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, जाति, स्थाई पता, तहसील थाना, पद का नाम, विभाग आदि की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। राज्य में लोक सेवा आयोग द्वारा अधिकारियों को नियुक्ति देने से पूर्व चारित्रिक सत्यापन का प्रावधान है।

जी हां। अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रदेश में आरक्षण लागू होने के पश्चात् वर्ष-1998 से 2002 तक पुलिस थानों से पिछड़ा वर्ग के अधिकारियों का चारित्रिक सत्यापन हुआ है। जो वर्षवार सूची परिशिष्ट "अ" में संलग्न है।

नागरिक सुरक्षा विभाग तथा जेल विभाग में लोक सेवा आयोग के माध्यम से पिछड़ा वर्ग में किसी भी राज्य अधिकारी वर्ग की नियुक्ति नहीं हुई है।

अभियोजन विभाग में अभियोजन सेवा के अधिकारियों के पद पूर्णरूपेण पदोन्नति के द्वारा भरे जाते है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राजस्थान गृह रक्षा दल कोटा के अस्थाई सदस्यों का बकाया भुगतान

898. श्री मदन दिलावर (अटरू): क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राजस्थान गृह रक्षा दल कोटा द्वारा गृह रक्षा दल के अस्थाई सदस्यों की वर्ष 2001 में रिफ्रेशर एवं एडवांस ट्रेनिंग करवाई गई थी ? यदि हां, तो क्या उक्त को ट्रेनिंग का भुगतान कर दिया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों और अब कब तक भुगतान कर दिया जावेगा ?

(2) क्या गृह रक्षा दल के अस्थाई सदस्यों की प्रत्येक माह होने वाली सम्पर्क परेड का भुगतान भी बकाया है ? यदि हां, तो कब से तथा अभी तक भुगतान नहीं करने के क्या कारण रहे ? उक्त बकाया भुगतान अब कब तक कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां। बजट के अभाव में ट्रेनिंग का भुगतान नहीं किया गया था अब बजट प्राप्त हो गया है एवं बिल ट्रेजरी से प्राप्त हो गया है। भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

(2) जी हां। माह अप्रैल, 2001 से अगस्त, 2001 तक का भुगतान बकाया है। बजट के अभाव में भुगतान नहीं किया गया। अब बजट प्राप्त हो गया है। बिल ट्रेजरी से प्राप्त हो गया है। भुगतान की कार्यवाही की जा रही है।

राज्य की जेलों से फरार कैदियों की जांच के दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही

899. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में कुल कितनी जेल हैं ?

(2) उक्त में से किस-किस जेल से कब कब तथा कितने-कितने कैदी फरार हुए तथा उनमें से कितने पुन: पकड़े गये और पुन: पकड़े गये कैदियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(3) क्या उक्त कैदियों के फरार होने की जांच कराई गई ? यदि हां, तो उक्त जांच में कौन दोषी पाये गये ?

(4)क्या इसमें कोई साजिश पाई गई ? यदि हां, तो दोषी लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

उत्तर

(1) राजस्थान में कुल 93 कारगृह एवं 9 बन्दी शिविर है।

(2) दिनांक 1.1.1993 से दिनांक 9.3.2003 तक की अवधि में राजस्थान राज्य की कारागृहों में से 83 बंदी फरार हुए है, जिनमें से 50 बंदी पुन: गिरफ्तार हो गये है। पूर्ण विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है। इसके अतिरिक्त जेल अभिरक्षण से अन्य स्थानों से 14 बंदी फरार हुए, जिनमें से 6 बंदी पुन: गिरफ्तार हुए है। फरार हुए बंदियों के विरुद्ध पुलिस में प्रकरण दर्ज करवाये जाते है। अत: गिरफ्तार हुये बंदियों के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता के अन्तर्गत कार्यवाही होती है।

(3) हां। कैदियों के फरार होने की घटनाओं की जांच करायी गई है। जांच में पृथम दृष्टया दोषी पाये गये कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(4) उल्लिखित अवधि में फरारी की घटनाओं में कोई साजिश होना जांच में नहीं पाया गया है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

मृतक कांस्टेबल जिला विशेष पुलिस शाखा बाड़मेर के आश्रितों को एक्सग्रेसिया राशि का भुगतान

900. श्री अमराराम चौधरी (पचपदरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री भीखचन्द कांस्टेबल नम्बर 470 जिला विशेष शाखा पुलिस क अधीन बालोतरा जिला बाड़मेर में लगा हुआ था? यदि हां, तो क्या उक्त का देहान्त अरबन काआपरेटिव बैंक बालोतरा के चुनाव के समय ड्यूटी देते हुआ ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजकीय कर्मचारी की मृत्यु चुनाव सम्बन्धी ड्यूटी करते समय हो जाने पर रुपये एक लाख पच्चीस हजार की सानुग्रह राशि स्वीकृत करने का प्रावधान है ? यदि हां, तो क्या सरकार के निर्णयानुसार उक्त राशि मृतक के आश्रितों को दे दी गई ?

(3) क्या उक्त राशि का भुगतान अभी तक नहीं किया गया ? यदि हां, तो उसके विलम्ब के क्या कारण हैं ?

(श्री अमराराम चौधरी)

(4) अब मृतक के आश्रितों को कब तक उक्त राशि का भुगतान कर दिया जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां। बालोतरा में सहकारी बैंक के चुनाव ड्यूटी हेतु उन्हें तैनात नहीं किया गया था।

(2) जी हां। जी नहीं, उक्त अनुदान की राशि मृतक के आश्रित नियमों के अन्तर्गत प्राप्त करने हेतु पात्रता नहीं रखते हैं।

(3) जी हां। नियमानुसार देय नहीं है।

(4) नियमानुसार देय नहीं है।

जिला दौसा के विभिन्न थानों में दर्ज मुकदमों के मुलजिमों की गिरफ्तारी

901. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 357/98 थाना महवा, 196/98 थाना मण्डावर, 198/98 थाना मण्डावर, 179/98 थाना सलेमपुर एवं 180/98 थाना सलेमपुर में दर्ज कराई गई है? यदि हां, तो उक्त प्रथम सूचना रिपोर्टों में नामजद मुलजिम कौन–कौन है ?

(2) क्या उक्त सभी प्रथम सूचना प्रतिवेदनों में नामजद मुलजिमों को गिरफ्तार कर चालान पेश कर दिया है ? यदि हां, तो किन-किन का कब-कब और नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण है तथा किन-किन नामजद मुलजिमों का नाम किस-किस कारण से हटा दिया गया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त में अधिकतर पत्रावलियां सी. आई. डी. मुख्यालय जयपुर में लम्बित है और जानबूझकर अपराधियों को बचाया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मुकदमों का शीघ्र चालान कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां। मुकदमा नम्बर 357/98 थाना महवा में अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध श्री हरिसिंह महवा के विजय जुलूस के दौरान घटित घटना के सम्बन्ध में दर्ज किया गया था। मु.नं. 196/98 थाना मण्डावर में नामजद व्यक्ति निम्नलिखित हैं :-

1. श्री सीताराम पुत्र कल्याण सहाय 2. सत्यनारायण पुत्र कल्याण सहाय 3. सुरेश चन्द्र पुत्र शंकरलाल 4. दिनेश चन्द पुत्र सुरेश चन्द इनके साथ दो तीन अन्य अज्ञात व्यक्ति भी वर्णित है। मु.नं. 198/98 थाना मण्डावर में नामजद व्यक्ति सीताराम पुत्र क्लयाण सहाय है। मु.न. 179/98 थाना सलेमपुर में नामजद व्यक्ति संजय सिंह पुत्र हरिसिंह है। मु. नं. 180/98 थाना सलेमपुर में नामजद व्यक्ति रामदयाल पुत्र करण सिंह है।

(2) जी नहीं। मु. नं. 357/98 थाना महवा में अनुसंधान के बाद एफ. आर. अदमपता दी गई है। मु. नं. 196/98 थाना मण्डावर में अनुसंधान के बाद एफ. आर. अदमवकू। (नाकाबील दस्तअन्दाजी) जुर्म धारा 323 भादस में दी गई है। मु.नं. 198/98 थाना मण्डावर में अनुसंधान के बाद एफ. आर. अदमवकू (गलतफहमी बाबत) में दी गई है। मु. नं. 179/98 थाना सलेमपुर में अनुसंधान के बाद एफ. आर. (आमदन झूठ) में दी गई हैं। मु. नं. 180/98 थाना सलेमपुर में अनुसंधान के बाद एफ. आर. अदमवकू (नाकाबील दस्तनदाजी) जुर्म में दी गई है।

(गृह मंत्री)

(3) जी नहीं। उक्त प्रकरणों में से केवल एक मुकदमा नं. 357/98 थाना महवा का अनुसंधान सी. आई. डी. (सी. बी.) जयपुर द्वारा किया गया है। शेष सभी प्रकरणों में अनुसंधान से प्राप्त तथ्यों के आधार पर नतीजे दिये गये हैं।

थानाधिकारी आनन्दपुरी विधान सभा क्षेत्र बागीदौरा के विरुद्ध कार्यवाही

902. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा बागीदौरा के पुलिस थाना आनन्दपुरी के गांव उबापाण में माह सितम्बर में राजपूत समुदाय ने बन्दूकों से लैस होकर आदिवासियों के घरों पर फायर किया था ? क्या उक्त प्रकरण में आदिवासियों को घायल किया गया था ? यदि हां, तो नामजद अभियुक्तों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि भयभीत आदिवासियों ने बंदूकों को जब्त करने के लिए पुलिस थाना आनन्दपुरी में प्रथम सूचना रिर्पोट दी थी ? यदि हां, तो कब-कब ? रोजनामचा की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या भयभीत आदिवासियों ने अपनी सुरक्षा हेतु कई बार प्रार्थना पत्र दिये ?

(4) क्या यह सही है कि भयभीत आदिवासियों के गुहार करने के पश्चात् भी थाना अधिकारी ने राजपूत समुदाय के लोगों को पाबंद नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि भयभीत आदिवासियों को बंदूक से लैस होकर श्री केशव पारगी आये दिन डराया करता था ? क्या थाना अधिकारी की जानकारी पश्चात् भी बंदूक जब्त नहीं की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि थाना अधिकारी के अलावा उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ को भी उक्त जानकारी दी गई थी ?

(7) क्या थाना अधिकारी के द्वारा बंदूक जब्त नहीं करने पर उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ ने मौक पर केशव पारगी से बंदूक जब्त की ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(8) क्या उक्त घटना में थाना अधिकारी उच्च जाति के लोगों से मिलकर फायर करवाने का दोषी है ? यदि हां, तो सरकार उसके विरुद्ध क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ?

उत्तर

(1) गांव उबापाण में खेत खसरा नम्बर 106, 107, 110 एवं 117 की जमीन को लेकर रतन सिंह वगैरा राजपूत एवं सुन्दलाल वगैरा आदिवासियों के बीच लम्बे समय से विवाद चल रहा है। इसी विवाद को लेकर दिनांक 28.9.2002 को दोनों पक्षों में झगड़ा होकर राजपूत समुदाय के द्वारा बंदूकों से फायर कर घरों पर मौजूद आदिवासी श्री सुन्दरलाल एवं सुश्री शांता के चोटें पहुंचाई गई थी। नामजद अभियुक्त निम्नप्रकार है :-

(1) भरतसिंह (2) रणजीतसिंह (3) रामसिंह पुत्रान कल्याणसिंह (4) शिशुसिंह (5) कुशलसिंह (6) गजराज सिंह (7) दिलीप सिंह पुत्रान भारतसिंह जाति राजपूत निवासी आनन्दपुरी)

(गृह मंत्री)

(2) जी नहीं।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं। आदिवासियों की रिपोर्ट पर उनकी सुरक्षा हेतु राजपूत समुदाय के लोगों के विरुद्ध इस्तगासा नम्बर 48/2, 92/02, 106/02 अन्तर्गत धारा 107, 116 (3) जायेंगे। तहसीलदार बागीदौरा के समक्ष प्रस्तुत कर उनको पाबंद कराया गया है।

(5) जी नहीं।

(6) उपखण्ड अधिकारी, कुशलगढ़ को जैसे ही इस घटना की जानकारी हुई तत्काल उन्होंने प्रभावी कार्यवाही की।

(7) तहसीलदार बागीदौरा के पत्र क्रमांक–899 दिनांक 1.9.2002 द्वारा एक टोपीदार बंदूक थाना आनन्दपुरी पर अग्रिम आदेश तक जमा करने हेतु भिजवाई गई थी। उक्त बंदूक को तहसीलदार बागीदौरा द्वारा उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ के साथ ग्राम उबापाण में भ्रमण के दौरान केशवलाल व कृष्णलाल पारगी के पास बंदूक मिलना व लाइसेंस नहीं होना अंकित किया था। तहसीलदार के पत्र क्रमांक–992 दिनांक 21.9.2002 द्वारा बंदूक संदिग्ध अवस्था में पाई जाने की सूचना पर अभियोग संख्या–236/02 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना आनन्दपुरी में दर्ज किया गया। तफतीश के दौरान उक्त बंदूक का लाइसेंस नम्बर 1729 देशी टोपीदार का श्री कृष्णलाल पुत्र नगेन्द्रपाल पटेल निवासी आनन्दपुरी के नाम पाया जाने पर मुकदमे में एफ. आर. अदमवकू (तथ्य की भूल) में दिनांक 31.12.02 को दी गई है।

(8) जी नहीं।

थाना डूंगरगढ़ में पदस्थापित दोषी आरक्षी के विरुद्ध कार्यवाही

903. श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि थाना डूंगरगढ़ में प्रथम सूचना रिर्पोट संख्या 61 दिनांक 17-2-2003 धारा 452, 323, 147 दर्ज हुई ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में कितने मुलजिम गिरफ्तार किए गए ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त घटना में एक हरिजन की नाक काट ली गई तथा उक्त घटना में थाना डूंगरगढ़ में पदस्थापित सिपाही भी मुलजिम थे ? यदि हां, तो सरकार दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है? क्या उक्त घटना की निष्पक्ष जांच हेतु ग्रामीणजन के शिष्ट मण्डल ने कई बार पुलिस अधीक्षक व पुलिस महानिरीक्षक से भी मिले और ज्ञापन दिया? यदि हां, तो ज्ञापन के आधार पर क्या सरकार ने कोई कार्यवाही की ?

उत्तर

(1) जी हां। अभी तक किसी मुलजिम की गिरफ्तारी नहीं की गई है।

(2) जी नही। मु. नं. 51 दिनांक 16.2.2003 में मुलजिम मालाराम मेघवाल की गिरफ्तारी के समय इसकी नाक पर पूर्व की एक साधारण चोट थी। इस मुकदमे में थाना डूंगरगढ़ का सिपाही

(गृह मंत्री)

श्री सूरजाराम नम्बर 1077 नामजद है। सिपाही के विरुद्ध आरोप प्रमाणित होने पर इसके खिलाफ कानूनी एवं विभागीय कार्यवाही की जायेगी। यह सही है कि उक्त घटना की निष्पक्ष जांच हेतु ग्रामीणजनों के एक शिष्टमण्डल द्वारा पुलिस अधीक्षक एवं पुलिस महानिरीक्षक को ज्ञापन दिया गया जिसके आधार पर अभियोग का अनुसंधान वृताधिकारी वृत सदर बीकानेर को सुपुर्द किया गया है तथा अभियोग में धारा 3 एससी/एसटी एक्ट जोड़ी गई है। वर्तमान में अभियोग का अनुसंधान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, बीकानेर द्वारा किया जा रहा है।

दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

904. श्री नन्दलाल बंशीलाल (दौसा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) माननीय राज्य मंत्री, जेल, के पत्र क्रमांक रामं/जेल सैक /02/367 दिनांक 19-6-2002 पर क्या कार्यवाही की गई ? उक्त पत्र के संलग्न पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के प्रति उत्तर की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त जांच करवाकर पत्र में उल्लिखित अधिकारी को दोषी पाये जाने पर कार्यवाही कर दण्डित करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) माननीय राज्य मंत्री जेल के पत्र क्रमांक रामं/जेल/सैक/02/367 दिनांक 19.6.2002 पर उक्त पत्र के संलग्न पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के सम्बन्ध में जांच करवाई गई। बिन्दुवार तथ्यात्मक स्थिति निम्नानुसार है :-

1. श्री रोहित महाजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जयपुर (पूर्व) के पद पर दिनांक 7.12.2001 से पदस्थापित है। श्री महाजन दिनांक 27.4.1994 से 24.1.1996 तक अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (यातायात) जयपुर शहर के पद पर पदस्थापित थे, उस समय उनको आबंटित वायरलैस सैट चोरी हो जाने के कारण सी.सी.ए. रूल्स 17 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया गया था। विभागीय जांच में पुलिस मुख्यालय के निर्णयानुसार दिनांक 4.7.1998 को दोषमुक्त किया गया।

2. सम्भागीय आयुक्त जयपुर के जांच प्रतिवेदन में यह स्पष्ट अंकित किया हुआ है कि लाठी चार्ज नहीं किया जाकर केवल भीड़ को तितर बितर किया गया था ताकि अवरुद्ध रास्ता खोला जा सके व राहगीरों के वाहनों को जाने के लिये रास्ता मिल सके। जांच प्रतिवेदन के तथ्यों के आधार पर सक्षम स्तर से अनुमोदन के उपरान्त प्रकरण बन्द किया गया।

3. दि. 6.2.2001 की वी.वी.आई.पी. ड्यूटी के दौरान सांगानेर एयर पोर्ट पर श्री रोहित महाजन अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक व श्री योगेश दाधीच उप पुलिस अधीक्षक के बीच हुए विवाद के सम्बन्ध में दिनांक 8.4.2002 को महानिदेशक पुलिस द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई कर दोनों अधिकारियों के भविष्य में समुचित आचरण प्रदर्शन करने की हिदायत दी एवं भविष्य में इस प्रकार की घटना की पुनरावृति नहीं करने का निर्देश दिया।

(गृह मंत्री)

4. श्री रोहित महाजन आर.पी.एस. द्वारा अभियोग संख्या 405/93 थाना अशोक नगर (मूर्ति चोरी प्रकरण) के अनुसंधान में गलत कार्यवाही करने के आरोप की जांच सी.आई.डी. (सी.बी) राजस्थान जयपुर द्वारा की गई। प्रारम्भिक जांच से एवं माननीय लोकायुक्त राजस्थान द्वारा की गई स्वतंत्र जांच से श्री रोहित महाजन की प्रकरण में कोई दुर्भावना अथवा बदनियति नहीं पाई गई।

5. किसी भी पुलिस कर्मचारी/अधिकारी के विरुद्ध न्यायालय में पेश किये गये प्राइवेट इस्तगासे का कार्यालय में कोई रिकार्ड (अभिलेख) नहीं रहता है।

6. उप चुनाव संसदीय क्षेत्र दौसा के दौरान अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, जयपुर शहर (पूर्व) के पद पर पदस्थापित श्री रोहित महाजन का स्थानान्तरण नहीं किया गया। श्री रोहित महाजन का गृह जिला जयपुर शहर है तथा उक्त पद संसदीय क्षेत्र जयपुर के अन्तर्गत आता है जबकि दौसा संसदीय क्षेत्र में जयपुर ग्रामीण का क्षेत्र आता है।

7. श्री रोहित महाजन, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को फिल्ड ड्यूटी से हटाकर कार्यालय ड्यूटी पर लगाये जाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

8. दि. 30.5.2002 को थाना सांगानेर ब्रिज लोकापर्ण समारोह में सम्मिलित होने आये कुछ व्यक्तियों की जेबों से किसी अज्ञात चोर ने रुपये निकाल लेने की घटना पर पुलिस थाना सांगानेर पर अ.सं. 245/02 धारा 379 भादस के अन्तर्गत पंजीबद्ध किया गया था जिसमें अपराधियों का पता नहीं चलने के कारण एफ.आर. अदमपता में दि. 30.5.2002 को दी जा चुकी है। अभियुक्तगण की अन्य अभियोगों के अन्वेषण के साथ पतारसी की जा रही है।

(2) उक्त की जांच करवाई जा चुकी है जांच से श्री रोहित महाजन का कोई दोष नहीं पाया गया है।

क्षय रोग उन्मूलन अभियान हेतु विशेष कार्यक्रम

905. **श्री. कन्हैया लाल** (बस्सी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में प्रति बीस मिनट में औसतन एक क्षय रोगी की मौत हो जाती है ? यदि हां, तो वर्ष 1999 से 2002 तक कुल कितने क्षय रोगियों की मृत्यु हुई ?

(2) क्या यह भी सही है कि क्षय रोगियों की बढ़ती मृत्यु दर एवं बढ़ी क्षय रोगियों की संख्या की जानकारी होते हुए भी सरकार उक्त को रोकने में सक्षम नहीं रही ? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्षय रोग निवारण एवं क्षय पीड़ितों की मृत्यु दर घटाने के लिये अब तक सरकार ने क्या प्रयास किये ?

(4) क्या सरकार पोलियो उन्मूलन अभियान की भांति गली-मौहल्ले-गांव-ढाणी में चिकित्सकों की टोली को घुमाकर क्षय रोग उन्मूलन कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) वर्ष 1997 में भारत सरकार द्वारा प्रकाशित पुस्तक नेशनल कंसेनसस कांफ्रेन्स आन ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल के अनुसार भारत में प्रति मिनट एक क्षय रोगी की मृत्यु होती है। राज्य की जनसंख्या भारत की जनसंख्या के मुकाबले 1/20 है। उक्त आंकड़ों के अनुसार राज्य में हर 20 मिनट में एक क्षय रोगी की मृत्यु होती है। सन् 1999-2001 में राज्य में क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम की संशोधित प्रणाली को लागू किया जा चुका है। अतः इस कार्यक्रम में क्षय रोगियों की मृत्यु दर में 29 प्रतिशत से घटकर मात्र 4 प्रतिशत ही रह गयी है। विगत 3 वर्षों में संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत पंजीकृत रोगियों में मृत्यु संख्या निम्न प्रकार है :

वर्ष	कार्यक्रम से जुड़े जिलों की संख्या	क्षय रोगियों की मृत्यु संख्या	विशेष विवरण
1999	3	367	
2000	12	1761	
2001	32	3451	
2002	32	-	वर्ष 2002 में पंजीकृत रोगियों की मृत्यु दर वर्ष 2003 के अन्तिम क्वार्टर में प्राप्त होगी।

संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 1999 से 2002 तक कुल 5579 क्षय रोगियों कि मृत्यु हुई है। पूरे राज्य में संशोधित कार्यक्रम लागू होने के पश्चात् क्षय रोगियों की मृत्यु में काफी कमी आई है।

(2) यह पूर्णतया असत्य है कि राज्य सरकार बढ़ते हुए क्षय रोगियों की संख्या व अधिक मृत्यु दर को रोकने में सक्षम नहीं रही है। वरन सत्य यह है कि राज्य सरकार क्षय रोग के रोकथाम के विषय में काफी सजग है तथा रोग मुक्ति दर बढ़ाने एवं मृत्यु दर को कम करने के उद्देश्य से राज्य में संशोधित क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम चालू किया गया है जिसके अन्तर्गत रोग मुक्ति दर 25-30 प्रतिशत से बढ़कर 85 प्रतिशत एवं मृत्यु दर 29 प्रतिशत से घटकर मात्र 4 प्रतिशत रह गयी है।

(3) क्षय रोग प्रसार पर रोक एवं नये क्षय रोगियों में व्याप्त 29 प्रतिशत मृत्यु दर को प्रभावी रूप से रोकने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम के अन्तर्गत जिला स्तर पर सामान्य क्षेत्र में 5 लाख की आबादी पर एक सुपरवाइजरी जांच एवं उपचार टीबी यूनिट, प्रति एक लाख की जनसंख्या पर जांच एवं उपचार केन्द्र 25-30 हजार की आबादी पर उपचार केन्द्र व 11296 उपकेन्द्रों पर डाट्स पद्धति के अन्तर्गत औषधि सेवन केन्द्र स्थापित किये गये हैं।

पुनः मरुस्थलीय व जनजाति वाले दुर्गम क्षेत्रों में रोगियों को जांच व उपचार सुविधा उनके घर के निकट उपलब्ध हो सकें, इसलिये 2.5 लाख की जनसंख्या पर टीबी यूनिट, 50 हजार की जनसंख्या पर जांच केन्द्र, 25-30 हजार जनसंख्या पर उपचार केन्द्र व 3-5 हजार की आबादी पर औषधि सेवन केन्द्र स्थापित किये गये है। इस प्रकार वर्तमान में प्रदेश में 143 टीबी यूनिट,

(चिकित्सा मंत्री)

650 जांच केन्द्र, 1843 उपचार केन्द्र एवं 11296 औषधि सेवन केन्द्र रोगियों को जांच एवं इलाज की सुविधा मुहैया करा रहे है। इसके अतिरिक्त 86 स्वयं सेवी संगठन, 88 निजी चिकित्सक एंव 905 सामाजिक कार्यकर्ताओं को भी क्षय नियन्त्रण बाबत आवश्यक प्रशिक्षण देकर उनके माध्यम से क्षय रोगियों की यथाशीघ्र पहचान, जांच व उपचार सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन एवं भारत सरकार ने राज्य में संशोधित क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम के त्वरित विस्तार एवं क्रियान्वयन की निम्न प्रकार प्रशंसा की है–

"Rajasthan has accomplished one of the most rapid & effective expansion of DOTS Strategy ever documented for Which it deserves tremendous credit"- WHO Dated Oct. 11,200

If Rajasthan was a country it would be the second largest country in the world to have met global targets, affer Vietnam, CONGRATULATION" WHO Dated: Jan. 15,2002 (Copy enclosed)

(4) सम्पूर्ण प्रदेश में संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कर्यक्रम के अन्तर्गत स्वास्थ्य सेवाओं का विस्तार उपरोक्तानुसार कर दिया गया है तथा व्यापक प्रचार प्रसार कर क्षय रोगियों को क्षय रोग, उपलब्ध उपचार सुविधाओं की पूरी जानकारी सुलभ कराकर क्षय रोगी की जल्दी पहचान तथा निदान व उपचार की सुविधा रोगी को घर के निकट ही निरन्तर व रोजाना उपलब्ध कराई जा रही है। क्षय रोगी का उपचार कम से कम 6-8 माह अवधि का है। अत: चिकित्सक टोलियों को गांव व ढाणी में घुमाकर क्षय रोगी का निदान व उपचार की आवश्यकता नहीं है। इसी कारण संशोधित राष्ट्रीय क्षय नियन्त्रण कार्यक्रम में इस प्रकार का कोई प्रावधान नहीं है।

सामान्य क्षय रोगी में जहां मृत्यु दर 29 प्रतिशत से कम होकर लगभग 4 प्रतिशत रह गयी है। राज्य में एम.डी.आर. क्षय रोगियों के उपचार की सुविधा संशोधित क्षय नियन्त्रण प्रणाली के अन्तर्गत उपलब्ध नहीं है, अत:एव इस प्रकार के रोगियों में मृत्यु दर लगभग 50 प्रतिशत है। इस विभीषिका को भी नियन्त्रण में लाने के लिए राज्य सरकार जांच व उपचार बाबत सक्रिय कदम उठा रही है।

(प्रति के लिए परिशिष्ट-6 देखें)

जिला धौलपुर के चिकित्सालयों में रिक्त पद

906. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला धौलपुर के चिकित्सालयों में कितने-कितने पद कब से रिक्त हैं ? पंचायत समितिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला धौलपुर के अन्तर्गत आने वाले चिकित्सालयों में पंचायत समितिवार स्टाफ के

(चिकित्सा मंत्री)

रिक्त पदों का मय रिक्ति अवधि सहित विवरण परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त तथा चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। संगणक के रिक्त पद निदेशालय, आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग द्वारा एवं कनिष्ठ लेखाकार के रिक्त पद निदेशक, कोष एवं लेखा विभाग द्वारा भरे जाने है। वेतन शृंखला 1 से 6 तक के रिक्त पदों को भरने पर प्रतिबन्ध होने के कारण भरा जाना सम्भव नहीं हो सकेगा।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-7 देखें)

प्रदेश में प्रस्तावित नवीन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

907. श्री रमेश खींची (कठूमर) : क्या चिकित्सा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 2002-03 में प्रदेश में 200 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का प्रावधान था ?

(2) वर्ष 2002-03 में कहां-कहां प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले गये ? यदि नहीं, तो क्यों ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार अब नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक तथा कहां-कहां ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 2002-03 की बजट निर्णायक समिति द्वारा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध नहीं करवाया गया था। वित्त मंत्री जी की घोषणा के आधार पर आयोजना विभाग ने 200 नई डिस्पेंसरी (प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र) खोले जाने हेतु संशोधित सिलिंग दी, परन्तु भीषण अकाल के कारण नये आइटमों पर प्रतिबन्ध के कारण वित्त विभाग द्वारा वर्ष 2002-03 के संशोधित बजट अनुमानों में उक्त राशि का प्रावधान उपलब्ध नहीं करवाया।

(2) वर्ष 2002-03 में ग्राम चितरी पंचायत समिति सीमलवाड़ा जिला डूंगरपुर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने की स्वीकृति जारी की गई है।

(3) यह मामला राज्य सरकार के विचाराधीन है।

केन्द्रीय श्रम मंत्रालयाधीन संचालित चिकित्सालय में संधारित चिकित्सा पंजिका

908. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या श्रम नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय श्रम मंत्रालयाधीन चिकित्सा डिस्पेंसरी में राज्य के अभ्रक एवं डोला माइट खान मजदूरों तथा बीड़ी श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है ? यदि हां, तो क्या उक्त डिस्पेंसरीज पर इसके लिये कोई शुल्क वसूल किया जाता है या निःशुल्क

(श्री ललित भाटी)

सुविधा प्रदान की जा रही है ? अजमेर जिले के अन्तर्गत संचालित डिस्पेंसरीज की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि कार्ड धारक को ही उक्त सुविधा प्राप्त हैं ? यदि हां, तो कार्ड किसे एवं किसके द्वारा जारी किया जाता है ?

(3) क्या यह सही है कि चिकित्सक द्वारा कार्डधारकों का रजिस्टर संधारित किया जाता है ? अजमेर शहर की डिस्पेंसरी में संधारित रजिस्टर में नामजद कार्डधारकों एवं उनके नियोक्ताओं की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) केन्द्रीय श्रम मंत्रालयाधीन चिकित्सा डिस्पेंसरीज में राज्य के अभ्रक एवं डोलामाइट खान मजदूरों तथा बीड़ी श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा प्रदान की जा रही है, इस हेतु इस विभाग द्वारा कोई शुल्क वसूला नहीं जा रहा है। अजमेर जिले के अन्तर्गत इस विभाग द्वारा सम्बन्धित डिस्पेंसरीज की सूची निम्नानुसार है :

(अ) ऐलोपैथिक चिकित्सा भारत सरकार, बीड़ी श्रमिक कल्याण संगठन, मकान नम्बर 105 बी, वार्ड नम्बर 28 पोस्ट ऑफिस के सामने, भजनगंज, अजमेर,

(ब) ऐलोपैथिक औषधालय, भारत सरकार, बीड़ी श्रमिक कल्याण संगठन, परमेश्वरी भवन, सेन्दड़ा रोड, 8/11, ब्यावर।

(स) आयुर्वेदिक औषधालय, भारत सरकार, बीड़ी श्रमिक कल्याण संगठन, मकान नम्बर 3114, कीर मोहल्ला पंसानिया रोड, नसीराबाद, जिला अजमेर।

(2) कार्डधारकों को ही उक्त सुविधा प्राप्त है एवं कार्ड बीड़ी श्रमिकों को कार्यालय कल्याण आयुक्त, भारत सरकार, भीलवाड़ा एवं इसके द्वारा संचालित चिकित्सालयों के माध्यम से जारी किया जाता है।

(3) कार्डधारकों का रजिस्टर विभाग द्वारा संचालित चिकित्सालय के चिकित्सक द्वारा संचालित किया जाता है, अजमेर शहर की डिस्पेंसरी में संधारित रजिस्टर में नामजद कार्डधारकों की संख्या 8869 है एवं नियोक्ताओं की सूची निम्न प्रकार है :–

1. मै. शंकर सिंह एण्ड संस
2. मै. रामसिंह भाटी एण्ड कम्पनी
3. मै. ब्यावरवाला बीड़ी निर्माता
4. मै. दयाल बीड़ी फैक्ट्री
5. मै. खण्डेलवाल बीड़ी फैक्ट्री
6. मै. चन्दीराम ठाउमल बीड़ी निर्माता
7. मै. मिरचुमल बड़ी निर्माता
8. मै. हरूमल ईश्वरदास
9. मै. राम बीड़ी फैक्ट्री
10. मै. त्रिलोक चन्द हंसराज जैन
11. मै. भाऊ बीड़ी निर्माता
12. मै. रूपचन्द बीड़ी निर्माता

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महुवा (दौसा) में अस्थि विशेषज्ञ का रिक्त पद

909. डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महुवा (दौसा) में अस्थि रोग विशेषज्ञ का पद रिक्त है ? यदि हां, तो कब से ?

(2) क्या उक्त केन्द्र राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11 पर स्थित है, जिसके कारण राज्य सरकार ने दुर्घटना इकाई भी खोल रखी है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा जारी स्वीकृति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं दुर्घटना इकाई में दो अलग अलग एम्बूलेंस थी और दोनों ही दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण अब चालू स्थिति में नहीं है ? यदि हां, तो सरकार एम्बूलेंस चालकों को बिना कार्य वेतन क्यों दे रही है ?

(4) क्या सरकार उक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में रिक्त अस्थि रोग विशेषज्ञ के पद पर पदस्थापन एवं खराब एम्बूलेंसों के स्थान पर नई एम्बूलेंस भिजवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र महुवा में अस्थि रोग विशेषज्ञ का पद माह अक्टूबर, 2002 से रिक्त है।

(2) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(3) जी हां। उक्त चिकित्सा संस्थान पर वाहन चालक के दो पद स्वीकृत है, जिसमें से एक पद 6/97 से रिक्त है। एक रोगी वाहन (दुर्घटनाग्रस्त) की मरम्मत करवाये जाने की कार्यवाही की जा रही है, जिसकी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति दिनांक 31.3.2003 को जारी की जा चुकी है।

(4) कनिष्ठ विशेषज्ञ (अस्थि रोग) के रिक्त पद को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त भरा जाना सम्भव हो सकेगा, जो आयोग से तिथि मिलते ही की जावेगी। वर्ष 2002-03 की बजट निर्णायक समिति द्वारा रोगी वाहन उपलब्ध करवाये जाने हेतु बजट प्रावधान उपलब्ध करवाया गया है, जिसके प्रस्ताव राज्य सरकार के विचाराधीन है।

(प्रति के लिए परिशिष्ट-8 देखें)

ग्राम मीठड़ी एवं निम्बी जोधा (नागौर) के चिकित्सालयों में रिक्त पद

910. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम मीटड़ी और निम्बी जोधा तहसील लाडनूं जिला नागौर के राजकीय चिकित्सालयों में चिकित्सकों व अन्य स्टाफ के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो कौन-कौन से पद कब कब से रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री हरजीराम बुरड़क)

(2) क्या उक्त पदों को भरने की कोई योजना है ? यदि हां, तो उक्त पद कब तक किस प्रकार से भरे जावेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र, मीठड़ी एवं उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, निम्बी जोधा (सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र) में चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ के रिक्त पदों का मयरिक्ति अवधि सहित विवरण निम्नप्रकार है :-

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति की अवधि
उच्चीकृत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	12/00
(सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	चिकित्सा अधिकारी	1	10/02
निम्बी जोधा)	नर्स श्रेणी (प्रथम)	1	5/95
	नर्स श्रेणी (द्वितीय)	2	6/99 11/01
	लेब टेक्नीशियन	1	5/00
	वरिष्ठ लिपिक	1	4/01
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र मीठड़ी	चिकित्सा अधिकारी	1	8/01
	नर्स श्रेणी (प्रथम)	2	5/02 (दोनों पद)
	प्रसाविका	1	9/02
	स्वीपर	1	6/01

(2) नर्स श्रेणी प्रथम की डी.पी.सी हो चुकी है, आदेश जारी किए जाने की कार्यवाही विचाराधीन है। कनिष्ठ विशेषज्ञ, वरिष्ठ लिपिक के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त एवं चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जाना सम्भव हो सकेगा। नर्स श्रेणी द्वितीय, लेब टेक्नीशियन एवं प्रसाविका के रिक्त पदों को संविदा के आधार पर भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। स्वीपर के रिक्त पद कार्मिक एवं वित्त विभाग की स्वीकृति मिलने पर भरे जाने है।

जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ का नवीन भवन

911. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला चिकित्सालय प्रतापगढ़ के लिये भवन निर्माण में नागरिकों ने कितनी राशि का योगदान किया है ?

(2) उक्त भवन निर्माण में राज्य सरकार द्वारा कितनी राशि किस-किस वर्ष में आबंटित की गई है ?

(3) उक्त चिकित्सालय को नये भवन में स्थानान्तरित करने के पश्चात् पुराने भवन का उपयोग किस रूप में किया जा रहा है और पुराने भवन के रख-रखाव एवं सफाई आदि पर अब तक कितनी राशि व्यय की गई है ?

(4) क्या यह सही है कि नये भवन में सघन चिकित्सा के लिये निर्मित किए गए वार्ड

(श्री नन्दलाल मीणा)

का उपयोग किया जा रहा है ? उक्त में बिजली पानी के भुगतान की व्यवस्था किसके द्वारा की जा रही है।

उत्तर

(1) जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ के भवन निर्माण में नागरिकों के द्वारा कुल 30,11,721 रुपये का योगदान किया गया है।

(2) जिला चिकित्सालय, प्रतापगढ़ के भवन निर्माण में राज्य सरकार द्वारा आबंटन की गई राशि का वर्षवार एवं मदवार विवरण निम्न प्रकार हैं :

वर्ष	मद	आबंटित राशि (रुपये लाखों में)
7/87 से 3/92	8443 एस. डी–III	39.00
1991–92	8443 एस. डी–III	1.00
1991–92	4210 टी.ए. डी. प्लान	4.40
1992–93	8443 एस. डी–III	4.00
1993–94	4210 टी.ए. डी. प्लान	13.00
1993–94	4210 टी.ए. डी. प्लान	4.40
1993–94	8443 एस. डी–III	5.00
1998–99	टाडा योजना	5.00

(3) पुराने चिकित्सालय भवन का उपयोग निम्न कार्यों के लिए किया जा रहा है :

1. जनाना वार्ड, महिला चिकित्सालय।
2. राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय, प्रतापगढ़ को हस्तान्तरित किया गया है।
3. सीटी डिस्पेंसरी संचालित है।
4. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, प्रतापगढ़ का कार्यालय संचालित है।
5. उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, उप खण्ड कार्यालय संचालित है।
6. सहायक वाणिज्य कर अधिकारी कार्यालय, प्रतापगढ़ को हस्तान्तरित किया गया है।
7. राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग, प्रतापगढ़ कार्यालय को हस्तान्तरित किया गया है।

पुराने भवन का रख रखाव उक्त भवन में संचालित विभागों से प्राप्त बजट के अनुसार सार्वजनिक निर्माण विभाग के माध्यम से किया जाता है।

(4) जी हां। उक्त वार्ड के बिजली पानी की व्यवस्था चिकित्सालय के बजट द्वारा की जा रही है।

तहसील रावतभाटा (बेगूं) की सम्पर्क सड़कों का डामरीकरण

912. **श्री घनश्याम जैन (बेगूं) :** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(श्री घनश्याम जैन)

(1) विधान सभा क्षेत्र बेगूं की तहसील रावतभाटा व बेगूं में कौनसी मिसिंग लिंक सड़कें चिन्हित हुई है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिन्हित मिसिंग लिंक सड़कों का डामरीकरण करने का क्या कार्यक्रम निर्धारित किया है ? क्या कोई योजना बनाई है ?

(3) अब उक्त सड़कों का निर्माण कार्य कब तक हो जायेगा ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले के तहसील रावतभाटा व बेगूं में मिसिंग लिंक सड़कें निम्नप्रकार से चिन्हित हुई है :

क्र.सं.	सड़क का नाम	तहसील	लम्बाई
1.	तेजपुर–नन्दबई चरचा सड़क (मध्य प्रदेश सीमा तक)	बेगूं	5.00 किमी.
2.	समलिया धामन्या से मध्य प्रदेश सीमा तक	बेगूं	4.00 किमी.
3.	धनोरा से गोविन्द-पुरा	बेगूं	2.50 किमी.
4.	रेनखेड़ा से बड़ोदिया	रावत-भाटा	3.50 किमी.

(2) उक्त चिन्हित मिसिंग लिंक सड़कों के प्रस्ताव नाबार्ड को स्वीकृति हेतु भिजवाये गये हैं।

(3) उक्त सड़कों के निर्माण कार्यों को स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

ग्राम पंचायत सथूर (बूंदी) की अवाप्त भूमि का मुआवजा

913. श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत सथूर, तहसील हिण्डौली, जिला बूंदी में राष्ट्रीय राजमार्ग बाइपास सड़क निर्माण में चूने-भट्टे एवं अन्य आवासीय भवन/कृषकों की भूमि अवाप्त की गई थी ? यदि हां, तो किस–किस व्यक्ति की कितनी–कितनी भूमि अवाप्त की गई हैं ?

(2) क्या उक्त सभी प्रभावितों को मुआवजा राशि का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो किस–किस को कितनी–कितनी राशि कब–कब दी गई और नहीं, तो किस–किस का कितना मुआवजा अभी तक दिया जाना क्यों शेष है ?

(3) क्या यह सही है कि पत्रांक 1048 दिनांक 13–3–1993 द्वारा श्री बिरधी लाल रैगर पुत्र श्री नंदा निवासी तलाब गांव हिण्डौली के चूना–भट्टे के मुअवजा राशि 36,862/– का तखमीना उपखण्ड बूंदी से सरकार को प्राप्त हुआ ?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त तखमीना में वर्णित राशि का अब तक प्रार्थी को भुगतान नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्यों और इसके लिये कौन–कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं ?

(श्री नाथूलाल गुर्जर)

(5) क्या सरकार दोषी अधिकारी/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही कर उक्त राशि का भुगतान करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। अवाप्त की गई भूमि का विवरण परिशिष्ट (अ) में है।

(2) जी नहीं। तीन खातेदारों के अलावा सभी का भुगतान कर दिया गया है। भुगतान किये गये मुआवजे का विवरण संलग्न परिशिष्ट (ब) में अंकित है। जिनका मुआवजा भुगतान किया जाना शेष है का विवरण कारण सहित परिशिष्ट (स) में अंकित है।

(3) जी हां।

(4) जी हां। उक्त चूने का भट्टा सरकारी भूमि में था जिसका आगे नवीनींकरण हितकारी द्वारा नहीं कराने के कारण प्रार्थी मुआवजा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस प्रकरण में कोई अधिकारी/कर्मचारी दोषी नहीं है।

(5) जी नहीं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में सड़क निर्माण

914. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1998 से जनवरी, 2003 तक विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के किन-किन ग्रामों में किस-किस योजनान्तर्गत सड़कों का निर्माण कराया गया है ? उक्त निर्माण कार्यों पर कितनी कितनी राशि व्यय की गई ?

(2) उक्त कार्यों से किन-किन ग्रामों को सड़कों से जोड़ा गया और अभी कितने गांवों को जोड़ना प्रस्तावित है तथा उक्त प्रस्तावित ग्रामों को कब तक जोड़ दिया जावेगा ? उपखण्ड कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) व उपखण्ड कार्यालय, सुजानगढ़ (चूरू) के सड़क निर्माण कार्यों की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्ष 1998 से जनवरी, 2003 तक विधानसभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ के जिन जिन ग्रामों में सड़कों का निर्माण कराया गया है उन पर योजनावार व्यय राशि का विवरण प्रपत्र "अ" में सलंग्न है।

(2) उक्त कार्यों में जोड़े गये गांवों के नामों का विवरण प्रपत्र "अ" में सलंग्न है। सड़क से जोड़ने के लिये प्रस्तावित गांवों का विवरण प्रपत्र "ब" में सलंग्न है। उपखण्ड कार्यालय श्रीडूंगरगढ़ (बीकानेर) व उपखण्ड कार्यालय सुजानगढ़ (चूरू) के सड़क कार्यों की सूची प्रपत्र "स" में सलंग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

प्रधानमंत्री सड़क योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में निर्माणाधीन सड़कें

915. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री धर्मपाल चौधरी)

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर (अलवर) में कुल कितने गांव 1000 से ज्यादा आबादी वाले हैं एवं उक्त में से कितने गांवों को प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहत जोड़ा जावेगा तथा उक्त में से कितने कार्य पूर्ण हो चुके हैं और कितनी सड़कों का कार्य अपूर्ण है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से अभी तक कितनी सड़कों का निर्माण नहीं हुआ है और उक्त का कब तक निर्माण कार्य चालू हो जायेगा ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में जनगणना 2001 के अनुसार कुल 88 गांव 1000 से ज्यादा आबादी वाले हैं। इसमें से 23 गांवों को प्रधानमंत्री योजना के तहत जोड़ा जावेगा। उपरोक्त में से 5 कार्य पूर्ण हो चुके हैं तथा शेष 18 सड़कों के कार्य अपूर्ण या कार्य प्रारम्भ नहीं हुये हैं। सूची प्रपत्र "अ" पर सलंग्न है।

(2) उक्त 23 सड़कों में से 18 सड़कों का निर्माण नहीं हुआ। इनमें से 2 कार्य प्रगति पर हैं, एक कार्य भूमि विवाद के कारण शुरू नहीं हुआ है तथा शेष 15 कार्यों की निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं इनको वर्ष 2003-2004 में पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-9 देखें)

नियोजन कार्यालय करौली में पंजीकृत बेरोजगार

916. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला करौली के नियोजन कार्यालय में कितने बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या पंजीकृत है?

(2) वर्ष 1998 से 31 दिसम्बर, 2002 तक उक्त जिले में कितने लोगों को रोजगार दिया ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला करौली के नियोजन कार्यालय में दिनांक 31 दिसम्बर, 2002 को 17730 बेरोजगार व्यक्ति पंजीकृत हैं।

(2) वर्ष 1998 से 31 दिसम्बर, 2002 तक उक्त जिले में 117 आशार्थियों को रोजगार कार्यालय के माध्यम से रोजगार प्राप्त हुआ हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न हैं।

(सूची के लिए परिशिष्ट-10 देखें)

तहसील आसीन्द (भीलवाड़ा) के विद्यालयों में रिक्त पद

917. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) के किन किन प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में कितने-कितने पद अध्यापकों के रिक्त हैं ? अब उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जावेगा ?

उत्तर

तहसील क्षेत्र आसीन्द (भीलवाड़ा) के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त पदों

(शिक्षा मंत्री)

का विवरण परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दिया गया है। नव पद स्वीकृत होने एवं नियुक्तियों की अनुमति प्राप्त होने पर रिक्त पद भरे जा सकेंगे।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-11 देखें)

सेवानिवृत अध्यापक को माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार रिटायरियल बेनिफिट्स

918. श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर डी. बी. सिविल स्पेशल अपील सं. 910 सन् 1999 श्री रूप सिंह चौहान बनाम राजस्थान स्टेट के अन्तिम निर्णय दिनांक 15-5-1999 में राज्य सरकार को निर्देश दिये थे कि अपीलकर्ता अध्यापक श्री रूप सिंह चौहान निवासी कलालिया तहसील रायपुर जिला पाली को अधिकतम आयु प्राप्त करने के कारण 4 माह की अवधि में रिटायरियल बेनिफिट्स देकर पेंशन दी जावे ? यदि हां, तो सरकार ने माननीय न्यायालय के अंतिम फैसले अनुसार क्या कोई कार्यवाही की ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के निर्णय दिनांक 15-9-1999 की पालना में श्री रूप सिंह चौहान द्वारा चार सप्ताह की अवधि में प्रस्तुत अभ्यावेदन पर नियामों के परिप्रेक्ष में परीक्षणोपरान्त उप निदेशक (माध्यमिक) जोधपुर ने आदेश दिनांक 26.6.2001 के द्वारा स्पष्ट किया है कि श्री चौहान की नियमानुसार अहेता सेवा अवधि 20 वर्ष की पूर्ण नहीं हुई है और न ही इनकी 45 वर्ष की आयु पूर्ण होती है और दिनांक 20.9.1982 के पश्चात् स्वैच्छा से अनुपस्थित रहने के कारण इनकी सेवाएं दिनांक 20.9.1982 के मध्यान्ह पश्चात् समाप्त कर दी गई। परिणामस्वरूप श्री चौहान पेंशन, ग्रेच्यूटी, (रिटायरमेंट बैनिफिट्स) पाने के हकदार नहीं है।

अध्यक्ष, राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर द्वारा की गई अनियमितताओं की जांच

919. श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर के वर्तमान अध्यक्ष कौन हैं तथा उनकी साहित्यिक उपलब्धियां क्या हैं ?

(2) क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त साहित्य अकादमी के तत्कालीन अध्यक्ष की अनियमितताओं की जांच कराई थी ? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि सरकार ने साहित्य अकादमी का कार्यालय उदयपुर होने से अध्यक्षीय कार्यालय जयपुर में अलग से नहीं खोलने, अतिरिक्त राशि आबंटित नहीं करने और मितव्ययता बरतने हेतु निर्देश दिनांक 18.11.1993 से दिये थे ? यदि हां, तो क्या वर्तमान अध्यक्ष ने राज्य सरकार के निर्देशों की उपेक्षा

(श्री कनकमल कटारा)

कर जयपुर में अध्यक्षीय कार्यालय खोला है ? यदि हां, तो क्यों ?

(4) क्या यह सही है कि साहित्य अकादमी, उदयपुर में बिना अनुमति चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की नियुक्ति की है ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर के वर्तमान अध्यक्ष श्री वेदव्यास हैं तथा उनकी साहित्यिक कृतियां इस प्रकार हैं :-

1. परमवीर गाथा, 2. राजस्थान के लोक तीर्थ, 3. एक बनेंगे नेक बनेंगे, 4. भारत हमारा है, 5. लेखक और आज की दुनियां, 6. समय-समय पर, 7. जागते को कौन जगाये, 8. धरती हेलो मारे, 9. कीड़ी नगरो, 10. गांधी प्रकाश, 11. बारखड़ी, 12. आज रा कवि, 13. परिक्रमा

(2) तत्कालीन समय स्पष्ट नहीं है, समय स्पष्ट न होने से विवरण दिया जाना सम्भव नहीं है।

(3) जी हां। राजस्थान साहित्य अकादमी, उदयपुर के अध्यक्षीय कार्यालय जयपुर में खोलने की राज्य सरकार द्वारा स्वीकृति प. 12 (3) शिक्षा-3/-91 दिनांक 20.3.2003 के द्वारा प्रदान की गई है।

(4) जी नहीं।

तहसील बेगूं व रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) के विद्यालयों में रिक्त पद

920. **श्री घनश्याम जैन (बेगूं)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील बेगूं व रावतभाटा (चित्तौड़गढ़) में कितने माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय कार्यरत है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों में कितने-कितने पद स्वीकृत हैं और उक्त में से कितने-कितने कब से क्यों रिक्त हैं ?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) तहसील बेगूं एवं रावतभाटा में संचालित माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक निम्नानुसार हैं :-

क्र.सं.	तहसील	राउमावि	मावि
1.	बेगूं	05	11
2.	रावतभाटा	06	04

सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट-क में रख दी गई है।

(2) उक्त विद्यालयों में स्वीकृत एवं रिक्त पदों का विवरण सदन की मेज पर परिशिष्ट-''क'' में रख दिया गया है।

(3) जी हां। सीधी भर्ती से भरे जाने वाले प्रधानाध्यापक (मावि.) के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को 529 पदों की एवं व्याख्याताओं के रिक्त पदों को भरने हेतु विभिन्न विषयों की 1281 पदों हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को अर्थनाएं भिजवायी जा चुकी है। आयोग द्वारा परीक्षा का आयोजन करवाया जा चुका है, चयनित आशार्थी

(शिक्षा मंत्री)

उपलब्ध कराने पर रिक्त पदों को भरा जाना सम्भव हो सकेगा। डी. पी. सी. से भरे जाने वाले पदों हेतु डीपीसी आयोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। वरिष्ठ अध्यापकों की वर्तमान वेतन श्रृंखला 5500-9000 तथा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.7.1998 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर की परिधि में आने के परिणामस्वरूप नियमों में संशोधन करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभागीय पदोन्नति समिति पर लगाई गई रोक 28.12.2002 को हटाये जाने के फलस्वरूप विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित करने एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-12 देखें)

पंचायत समिति रानी (पाली) के विद्यालयों में रिक्त पद

921. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति रानी (पाली) में विभिन्न विद्यालयों के अध्यापकों को प्रतिनियुक्ति पर लगा रखा है ? यदि हां, तो किस-किस अध्यापक को कौन-कौन से विद्यालय से व किस आदेश के द्वारा कब से ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार ने अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबन्ध लगा रखा है ? यदि हां, तो किस आदेश से व कब से प्रतिबन्ध लगाया है ? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि प्रतिनियुक्ति पर प्रतिबन्ध होने के उपरान्त पंचायत समिति रानी के कार्यालय में अध्यापक लगा रखे हैं ? यदि हां, तो उसके लिये कौन जिम्मेदार है ? क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती हैं ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां। प्रतिनियुक्ति पर लगाए गए अध्यापकों का विवरण निम्नानुसार है:-

नाम विद्यालय	नाम अध्यापक	आदेश/ दिनांक	कब से
1. राबाप्रावि माण्डल (रानी)	श्री अमर सिंह	सहायता/ 2002/ 4008-9 24.8.02	30.8.02
2. राउमावि गुड़ाएंदला (पाली)	श्री मोती लाल	" "	29.8.02

(2) जी हां। आदेश की प्रति परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) यह सही है कि इन अध्यापकों को पंचायत समिति, रानी कार्यालय में लगा रखा है परन्तु यह प्रतिनियुक्ति नहीं है। जिला कलक्टर (सहायता) पाली द्वारा इन दो अध्यापकों को

(शिक्षा मंत्री)

विकास अधिकारी (रानी)की अनुशंसा पर अकाल सहायता कार्य के लिए कुछ समय के लिए लगा रखा है।

(प्रति के लिए परिशिष्ट–13 देखें)

सेवानिवृत्त शिक्षा उप निदेशक चूरू का लम्बित पेंशन प्रकरण

922. श्री प्रभुलाल करसौल्या (नैनवां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्री नाथूलाल परमार, सेवानिवृत्त शिक्षा उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा बीकानेर दिनांक 31.7.2000 को सेवानिवृत्त हुए थे ? यदि हां, तो क्या उक्त का पेंशन प्रकरण निपटा दिया गया है ? यदि नहीं, तो पेंशन प्रकरण के ढाई वर्ष तक लम्बित रहने के क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त द्वारा सभी औपचारिकताएं पूरी करने के बाद भी पेंशन की पत्रावली प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय, बीकानेर के यहां लम्बित है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) अब उक्त सेवानिवृत्त शिक्षा उप निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा चूरू का पेंशन प्रकरण कब तक निपटा दिया जायेगा ? क्या उक्त प्रकरण में और कोई कमी रह गई है ? यदि हां, तो उसकी पूर्ति कब तक करा ली जायेगी ?

उत्तर

(1) जी हां। श्री नाथूलाल परमार, सेवा निवृत्त उप निदेशक (प्रा.शि.) चूरू के विरुद्ध सी. सी. ए. नियम 16 के तहत जांच विचाराधीन होने के कारण सेवा संतोषजनक प्रमाण-पत्र जारी नहीं होने से पेंशन प्रकरण लम्बित रहा।

(2) जी नहीं।

(3) पेंशन प्रकरण पूर्ण कर दिनांक 11.3.1993 को पेंशन विभाग को भिजवाया जा चुका है।

जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम योजना में स्वीकृत राशि का उपयोग

923. श्री हरीश चन्द्र कुमावत (नावां) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

गत चार वर्षों में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में कितनी राशि किस-किस मद पर आबंटित की गयी तथा कितनी व्यय की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें

उत्तर

डी. पी. ई. पी. परियोजना ब्राह्य सहायता प्राप्त परियोजना है। जो कि 2 चरणों में संचालित की जा रही है। परियोजना को प्ररम्भ हुए अभी 4 वर्ष पूर्ण नहीं हुए हैं। अत: गत 3 वर्षों में प्राप्त राशि का विवरण निम्नानुसार है :

(राशि लाखों में)

वर्ष	भारत सरकार से प्राप्त राशि	राज. सरकार से प्राप्त राशि	योग राशि
1999-00	3050	210	3260
2000-01	1500	820	2320
2001-02	9000	800	9800
योग	13550	1830	15380

(शिक्षा मंत्री)

पिछले 3 वर्षों में मदवार तथा वर्षवार व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट ''ए'' सदन की मेज पर रख दिया है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-14 देखें)

शिक्षा आपके द्वार योजना के तहत सर्वे में वंचित बालकों को विद्यालय में प्रवेश

924. श्री रोहिताश्व कुमार (बानसूर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) शिक्षा आपके द्वार के तहत कराए गए सर्वे में विद्यालय से वंचित कितने बालक/बालिकाएं पाए गए ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) जनशाला/शिक्षा आपके द्वार योजना के तहत कराए गए वंचित बालकों के सर्वे में कितने कितने बालक/बालिकाओं को विद्यालय में प्रवेश कराया गया ? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) शिक्षा आपके द्वार अभियान के तहत सर्वे में विद्यालय से वंचित बच्चों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रख दी गई हैं। (परिशिष्ट ''क'')

(2) शिक्षा आपके द्वार योजना के तहत कराए गए सर्वे के आधार पर शिक्षा से वंचित बच्चों में से विद्यालय से जुड़ने वाले बच्चों की संख्या परिशिष्ट ''क'' के कालम 4 पर अंकित है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-15 देखें)

राज्य में प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु प्रति छात्र व्यय राशि

925. श्री रमजान खान (पुष्कर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु प्रति बच्चे पर कितना व्यय किया जा रहा है ? उक्त व्यय किन नियमों के आधार पर किया जाता है ? मानदण्डों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त व्यय में वृद्धि करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कितना और नहीं, तो क्यों ?

(3) प्रति वर्ष कक्षा 1 से 8 तक प्रति बच्चे पर औसतन कितना व्यय किया जा रहा है ? गत 10 वर्षों के औसत व्यय की सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक शिक्षा निदेशालय द्वारा प्राथमिक शिक्षा के विकास पर वर्तमान में 2604/- रुपये प्रति बच्चे पर व्यय किया जा रहा है। यह व्यय स्वीकृत बजट के अन्तर्गत किया जाता है। जिसके लिए कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं है।

(2) वित्तीय उपलब्धतान्तर्गत बजट के प्रावधानों का निर्धारण होने पर व्यय किया जाता है।

(3) गत 10 वर्षों का कक्षा 1 से 8 तक प्रति बच्चे पर औसतन व्यय का विवरण निम्नानुसार है :

शिक्षा मंत्री)

वर्ष	प्रति बालक औसत व्यय
1993-1994	950/-
1994-1995	1089/-
1995-1996	1213/-
1996-1997	1290/-
1997-1998	1270/-
1998-1999	2442/-
1999-2000	2777/-
2000-2001	2790/-
2001-2002	2666/-
2002-2003	2604/-

प्रश्न संख्या-926
(स्थगित)

राज्य में विधवा महिलाओं के अध्यापिका पद हेतु विचाराधीन आवेदन

927. **श्री मदन दिलावर** (अटरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में विधवा श्रेणी की महिला की अध्यापिका पद पर नियुक्ति का प्रावधान है ?

(2) क्या विज्ञप्ति निकालने पर ही इस प्रकार की नियुक्ति का प्रावधान है या सीधे ही इस हेतु आवेदन किया जा सकता है ? उक्त नियुक्ति के लिये कौन अधिकारी सक्षम है और नियुक्ति के लिये क्या नियम/प्रक्रिया निर्धारित है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान में नियुक्तियों पर रोक की स्थिति में ऐसी नियुक्तियों पर रोक हैं या छूट दी गई है ?

(4) गत चार वर्षों में उक्त प्रकार की कितनी नियुक्तियां की गई हैं तथा वर्तमान में कितने आवेदन विचाराधीन हैं और ऐसे विचाराधीन आवेदनकर्ताओं को अब कब तक नियुक्तियां दे दी जावेंगी ?

(5) उक्त में विलम्ब के लिये कौन-कौन दोषी हैं ? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) विज्ञप्ति निकलने पर ही इस प्रकार की नियुक्तियां की जाती है तथा वरिष्ठ अध्यापक के पद पर नियुक्ति के लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग ही सक्षम है। तृतीय वेतन श्रृंखला अध्यापक पद की नियुक्ति हेतु जिला शिक्षा अधिकारी (प्रा. शिक्षा.) तथा सम्बन्धित जिले की जिला परिषद् की स्थापना समिति सक्षम है। आवेदन पत्र सीधी भर्ती के जारी विज्ञापन की शर्तों के अनुसार सक्षम जिला शिक्षा अधिकारी/जिला परिषद को करना होता है।

(3) वर्तमान में नियुक्तियों हेतु वित्त एवं कार्मिक विभाग की सहमति लिया जाना आवश्यक है।

(4) माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत गत चार वर्षों में इस प्रकार की वरिष्ठ अध्यापक के पद पर 09 नियुक्तियां की गई है और वर्तमान में कुल

(शिक्षा मंत्री)

11 विधवा आशार्थियों के आवेदन पत्र विचारधीन है। माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय पारित करने के पश्चात् ही तद्नुसार आगामी कार्यवाही किया जाना सम्भव हो सकेगा। प्रारम्भिक शिक्षा विभाग में सीधी भर्ती के समय ही विधवा महिला को नियुक्तियां दी जाती है सीधे प्राप्त आवेदन पत्रों पर नियुक्तियां नहीं दी जाती हैं।

(5) किसी भी प्रकार का विलम्ब न होने से कोई भी दोषी नहीं है।

राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोमेश्वरपुरी जयपुर में पदस्थापित प्रधानाध्यापक

928. श्री मोहन लाल बारूपाल (जायल) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि उच्च प्राथमिक विद्यालयों के प्रधानाध्यापक पद पर विषय के वरिष्ठ अध्यापकों को हटाने का निर्णय किया था, यदि हां, तो जयपुर शहर में कितने विषय अध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रधानाध्यापक के पद पर लगे हुये हैं ?

(2) क्या राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय सोमेश्वरपुरी, झालाना फैज तृतीय जयपुर में विषय की वरिष्ठ अध्यापक को प्रधानाध्यापक के पद पर लगा रखा है ? यदि हां, तो क्या उसे हटाने का विचार है ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। फिलहाल ऐसी कोई कार्यवाही विचाराधीन नहीं है।

पंचायत समिति महुवा (दौसा) में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम में पदस्थापित कर्मी

929. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला दौसा की पंचायत समिति महुआ में वर्तमान में जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम चल रहा है ?

(2) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम महुआ में कुल कितने कर्मचारी कार्यरत हैं ? नाम पते सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या तहसील क्षेत्र महुआ के बाहरी निवासी को भी नियुक्ति दे रखी है ? यदि हां, तो क्या यह नियम संगत है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत खण्ड सन्दर्भ केन्द्र महुआ में 16 कर्मचारी प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत हैं। नाम, पते सहित विवरण परिशिष्ट "क" सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(3) जी नहीं।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-16 देखें)

जिला झुंझुनुं में माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नये परीक्षा केन्द्र

930. श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री मंगलाराम गोदारा)

(1) जिला झुंझुनुं के कुल कितने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विद्यालयों में नये परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं? विद्यालयों के नाम सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त विद्यालयों को परीक्षा केन्द्र किस किस तरह से किया गया है और उक्त में कितने विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें स्वयं की स्कूल में ही परीक्षा केन्द्र दे दिये हैं ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला झुंझुनुं के 62 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड विद्यालयों में नये परीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं। सूची सदन के पटल पर रख दी गई है।

(2) संलग्न सूची में प्रत्येक नवीन केन्द्र पर इसे बनाने का कारण अंकित है। उक्त परीक्षा केन्द्रों में से 39 विद्यालय ऐसे हैं जिन्हें स्वयं के विद्यालय में ही परीक्षा केन्द्र आबंटित है, जिनका उल्लेख संलग्न सूची में किया गया है।

(सूची के लिए परिशिष्ट–17 देखें)

तहसील क्षेत्र हिण्डौन (करौली) के विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पद

931. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) तहसील हिण्डौन (करौली) में कितने उच्च माध्यमिक एवं माध्यमिक विद्यालय हैं ?

(2) उक्त विद्यालयों में शिक्षकों के कितने कितने पद रिक्त हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) तहसील हिण्डौन के माध्यमिक/उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त पदों की सूची सदन की मेज पर परिशिष्ट "क" में रख दी गयी है।

(3) जी हां। व्याख्याताओं के रिक्त पदों की पूर्ति हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग अजमेर को विभिन्न विषयों की 1281 पदों हेतु अर्थनाएं प्रस्तुत की जा चुकी हैं वरिष्ठ अध्यापकों की वर्तमान वेतन शृंखला 5500–9000 तथा कार्मिक विभाग के परिपत्र दिनांक 22.7.1998 के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर की परिधि में आने के परिणामस्वरूप नियमों में संशोधन करवाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। विभागीय पदोन्नति समिति पर लगायी गयी रोक 28.12.2002 को हटाये जाने के फलस्वरूप विभागीय पदोन्नति समिति आयोजित करने एवं तृतीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पदों को भरने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(सूची के लिए परिशिष्ट–18 देखें)

प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय किशनगढ़ (अजमेर) का वरिष्ठता प्रतिवेदन

932. श्री नाथूराम (किशनगढ़) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 17.7.1997 को प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्रथमिक

(श्री नाथूराम)

विद्यालय महाराजा किशनगढ़ के प्रधानाध्यापक की पदोन्नति प्रधानाध्यापक माध्यमिक विद्यालय के पद पर की गई थी ? यदि हां, तो किस आदेश से उक्त अध्यापक राजकीय सेवा में कब आये और क्या ग्रेड II आदेश दिनांक 15.12.1978 व कार्यभार ग्रहण तिथि 23.12.1978 है ?

(2) क्या यह भी सही है कि श्री गोपीलाल तत्कालीन प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय नया शहर किशनगढ़ अजमेर उक्त प्रधानाध्यापक श्री भंवरलाल से वरिष्ठ हैं एवं राजकीय सेवा ग्रेड II में आदेश 18.4.1978 के है और कार्यभार ग्रहण तिथि 9.5.1978 है व द्वितीय ग्रेड में उक्त अध्यापक से पूर्व आये हैं ? क्या उक्त अध्यापक श्री भंवरलाल को पदोन्नति श्री गोपीलाल से पहले दी गई ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री गोपीलाल तत्कालीन प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च्व प्राथमिक विद्यालय नया शहर किशनगढ़ (अजमेर) को भी जो श्री भंवरलाल से वरिष्ठ हैं दिनांक 10 अगस्त, 1997 से पदोन्नति का लाभ देते हुए वेतन स्टेअप करके स्थिरीकरण एवं भूतलक्षीत पदोन्नति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त सम्बन्ध में अध्यापक श्री गोपीलाल द्वारा उच्च अधिकारी निदेशक शिक्षा, बीकानेर को प्रतिवेदन अभ्यावेदन भी दिये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त पर की गई कार्यवाही सहित प्रतिवेदन की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। श्री भंवरलाल कुमावत, प्रधानाध्यापक, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय, महाराजा किशनगढ़ की प्रथम नियुक्ति तृतीय श्रेणी अध्यापक के पद पर हुई तथा राज्य सेवा में 2.7.1960 को कार्यग्रहण किया तथा द्वितीय वेतन श्रृंखला में पदोन्नति पर 23.12.1978 को कार्यग्रहण किया गया।

(2) श्री भंवरलाल कुमावत की पदोन्नति के समय राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची वर्ष 1974–78 में क्रमांक–93 पर अंकित था तथा श्री गोपीलाल का राज्य स्तरीय वरिष्ठता सूची वर्ष 1974–78 के क्रमांक–2189 पर दर्ज है उक्त आधार पर वर्ष 1997–98 की डीपीसी के आयोजन के समय श्री भंवरलाल वरिष्ठता सूची के आधर पर वरिष्ठ थे। अत: इस आधार पर श्री गोपीलाल को श्री भंवरलाल की पदोन्नति तिथि से लाभ नियमानुसार देय नहीं हैं।

(3) जी हां। श्री गोपीलाल से प्राप्त अभ्यावेदन की प्रति का परिशिष्ट–'क' सदन के पटल पर रख दिया गया है। प्राप्त अभ्यावेदन का नियमों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया जा रहा है।

(प्रति के लिए परिशिष्ट–19 देखें)

जिला अलवर में विद्यालयों का क्रमोन्नयन

933. श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में कितने प्राथमिक शाला से उच्च प्राथमिक शाला, उच्च प्राथमिक शाला से माध्यमिक विद्यालय और माध्यमिक विद्यालय से उच्च माध्यमिक विद्यालय क्रमोन्नत किये गये ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री धर्मपाल चौधरी)

(2) क्या उक्त विद्यालय क्रमोन्नत करने में सरकार ने कोई मानदण्ड रखे थे ? यदि हां, तो क्या और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला अलवर में वर्ष 2002-2003 में क्रमोन्नत किए गए विद्यालयों की सूची परिशिष्ट 'क' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। विद्यालय क्रमोन्नति हेतु निर्धारित मानदण्ड की प्रति परिशिष्ट 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-20 देखें)

इंजीनियरिंग कालेज कोटा के शिक्षकों को पांचवां वेतन आयोग के परिलाभ का भुगतान

934. श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि इंजीनियरिंग कालेज, कोटा राजकीय है ? क्या उक्त में शिक्षकों को पांचवें वेतन आयोग के एरियर का भुगतान नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त कालेज को राज्य सरकार 100 प्रतिशत अनुदान देकर चलाती है एवं सोसाइटी के द्वारा संचालित संस्थान के शिक्षकों एवं कर्मचारियों का प्रोविडेंट फण्ड नियमानुसार 12 प्रतिशत (वेतन भत्तों) पर कटना चाहिए जो नहीं काट रहे हैं ? क्या सरकार उक्त कालेज में पेंशन योजना लागू करने का विचार रखती है? यदि हां तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोटा एक स्वायत्तशासी संस्थान है तथा राज्य सरकार से शत प्रतिशत अनुदानित है। उक्त महाविद्यालय में कार्यरत शिक्षकों को पांचवें ए.आई.सी.टी.ई. वेतनमान दिनांक 27.10.1999 में दिये जा चुके हैं, किन्तु एरियर का भुगतान नहीं हुआ है।

एरियर भुगतान के लिए वित्तीय प्रावधान कराने हेतु संस्थान द्वारा प्रतिवर्ष प्रस्ताव बजट निर्णायक समिति के समक्ष प्रस्तुत किए गए, किन्तु बजट निर्णायक समिति द्वारा उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृत नहीं होने के कारण एरियर का भुगतान सम्भव नहीं हुआ है।

(2) अभियांत्रिकी महाविद्यालय, कोटा एक पंजीकृत सोसायटी के माध्यम से संचालित है तथा राज्य सरकार से शतप्रतिशत अनुदानित है। संस्थान के शिक्षकों व कर्मचारियों के भविष्य निधि अशंदान की कटौती 12 प्रतिशत (वेतन भत्तों) की दर पर किये जाने हेतु वित्त विभाग द्वारा सहमति नहीं दी गई है। उक्त कालेज में कार्यरत शिक्षक एवं कर्मचारी अभियांत्रिकी महाविद्यालय सोसायटी, कोटा के कर्मचारी है, अत: उनके लिए पेंशन योजना लागू करना राज्य सरकार पर बाध्यकारी नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

935. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री भरोसी लाल)

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के ग्राम झारेड़ा, झिरना, कोटरी, कोटरा, ढहरा में 33/11 के.वी. ग्रिड सब स्टेशन स्थापित करने के प्रस्ताव सरकार को कब–कब प्राप्त हुए ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त ग्रामों में उक्त ग्रिड सब स्टेशन बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र हिण्डौन के अन्तर्गत ग्राम झारेड़ा में 33/11 के.वी. सब स्टेशन का प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता (प्लान), जयपुर को अधीक्षण अभियन्ता (पवस), दौसा से उनके पत्र क्र. 655 दिनांक 8.5.2002 के द्वारा प्राप्त हुआ था। प्रस्ताव जांच करने पर अपूर्ण पाया गया एवं अधीक्षण अभियन्ता (पवस), दौसा से और जानकारी प्राप्त की गई। इस प्रस्ताव की तकनीकी एवं आर्थिक जांच की जा रही है। ग्राम झिरना, कोटरी व कोटरा डहर में सब स्टेशन हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(2) ग्राम झारेड़ा में 33 के.वी. सब स्टेशन की स्वीकृति जारी होने व वार्षिक उप प्रसारण कार्यक्रम में सम्मिलित होने पर वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार निर्माण करना संभव होगा। ग्राम झिरना में सब स्टेशन के प्रस्ताव तैयार किये जा रहे हैं। तकनीकी व आर्थिक दृष्टि से साध्य पाये जाने पर स्वीकृति जारी करने की कार्यवाही की जावेगी। कोटरी व कोटरा डहर में सब स्टेशन बनाने की तकनीकी दृष्टि से आवश्यकता नहीं है क्योंकि इन गांवों से 4 किलोमीटर की दूरी पर कारवाड़ मीना में 33/11 के.वी. सब स्टेशन पहले से स्थापित है।

राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड के पेंशन योजना से वंचित कर्मी

936. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मंडल के पुनर्गठन के पश्चात् पांचों विद्युत कम्पनियों में कार्यरत ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जो कि राजस्थान राज्य विद्युत बोर्ड पेंशन योजना 1988 व कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना 1971/1995 के सदस्य नहीं है ?

(2) उक्त कर्मचारियों में से ऐसे कितने कर्मचारी है जिन्हें पेंशन लाभ नहीं दिया जा रहा तथा कितने कर्मचारियों के प्रतिवेदन पेंशन विकल्प हेतु लम्बित हैं ?

(3) क्या यह सही है कि विभिन्न विद्युत कम्पनियां उपभोक्ताओं से पेंशन फण्ड के लिए प्रति यूनिट 3.75 पैसे वसूल कर रही है ? यदि हां, तो इन परिस्थितियों में उक्त कर्मचारियों को पेंशन लाभ क्यों नहीं दिया जा रहा है ?

(4) अन्य राज्यकीय उद्यमों से अधिशेष हुआ कर्मचारी जो कि भविष्य निधि योजना के सदस्य थे और जिनका समायोजन पांचों विद्युत कम्पनियों में किया गया है, उनको पेंशन का लाभ दिया गया है तो विद्युत मण्डल के अन्य कर्मचारी जो पेंशन लाभ से वंचित रह गए हैं उनको पेंशन

(श्री रामप्रताप)

लाभ न देने के क्या कारण रहे हैं ? राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ?

उत्तर

(1) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन के पश्चात् पांचों विद्युत निगमों में ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या लगभग 980 है। जो राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल पेंशन योजना 1988 व कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना 1971/1995 के सदस्य नहीं है, हालांकि ये कर्मचारी सी.पी.एफ. योजना के सदस्य है।

(2) राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल के पुनर्गठन के पश्चात् पांचों विद्युत निगमों में ऐसे कर्मचारियों/अधिकारियों की संख्या लगभग 980 है जो राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल पेंशन योजना 1988 व कर्मचारी भविष्य निधि पेंशन योजना 1971/1995 के सदस्य नहीं है, हालांकि ये कर्मचारी सी.पी.एफ. योजना के सदस्य है। चूंकि वर्ष 1997 के पश्चात् कम्पनी द्वारा पेंशन विकल्प खोले ही नहीं गये हैं, अत: पेंशन विकल्प लम्बित होने का सवाल ही पैदा नहीं होता।

(3) जी हां। विभिन्न विद्युत वितरण कम्पनियां उपभोक्ताओं से विद्युत नियामक आयोग के निर्देशानुसार प्रति यूनिट 3.57 पैसे (ना कि 3.75 पैसे जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है) वसूल कर रही है। परन्तु यह राशि राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल पेंशन योजना के तहत विद्युत मण्डल के विभाजन से पूर्व के पेंशन एवं ग्रेच्युटी के दायित्व की पूर्ति हेतु ली जा रही है।

(4) निवर्तमान विद्युत मण्डल में लागू स्वयं की पेंशन योजना में सी.पी.एफ. स्कीम से इस पेंशन योजना को चुनने का विकल्प समय-समय पर (अंतिम बार 1997 में) उन कर्मचारियों को दिया गया था, जो नवम्बर, 1988 में पेंशन योजना लागू करने पर कार्यरत थे। नये कर्मचारियों के लिए कोई विकल्प देने का प्रावधान नहीं था। अत: नए कर्मचारियों को, जिन्हें सीधी भर्ती से लिया अथवा अन्य राजकीय उपक्रमों से अधिशेष हुए कर्मचारियों का समायोजन किया गया, उन्हें 1988 में मण्डल द्वारा लागू पेंशन योजना के अन्तर्गत ही लाभ दिया जा रहा है।

भीनमाल (जालौर) स्थित आदर्श विद्या मंदिर की प्रस्तावित जांच

937. डा. समरजीत सिंह (भीनमाल) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला जालौर के भीनमाल आदर्श विद्या मंदिर के सुप्रीमो डा. श्रवण कुमार मोदी शराब की तस्करी में लिप्त तथा आयकर छापामार प्रक्रिया में लिप्त तथा आदर्श शिक्षण संस्थान के सहकारी विभाग के पंजीकृत संविधान के तहत विधि सम्मत बैठकें न बुलाकर आय व्यय का 15 वर्षों से हिसाब न देने के दोषी हैं ? क्या उक्त सम्बन्ध में निदेशक, जोधपुर को जांच के निर्देश दिए थे ?

(डा. समरजीत सिंह)

(2) क्या राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1950 की धारा 4 तथा 4ए के अनुसार प्रत्येक पंजीकृत संस्थान के प्रत्येक वित्तीय वर्ष के आय-व्यय का लेखा-जोखा चाटर्ड एकाउंटेंट से प्रमाणित करवाकर उसे वार्षिक सभा में अनुमोदित करवाकर सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय में चौदह दिन के भीतर-भीतर देना अनिवार्य है और विपरीत परिस्थिति में देरी में हर एक दिन के लिए दोषी को 50-रुपये अर्थदण्ड परिनिर्धारित किया जाना निर्दिष्ट है ?

(3) जिला जालौर के सहायक रजिस्ट्रार कार्यालय में दिनांक 8.7.1987 को पंजीकृत आदर्श विद्या मंदिर के सुप्रीमो डा. श्रवण कुमार मोदी द्वारा गत 15 वर्षों में एक बार भी न तो बैठक, न चुनाव तथा न ही चाटर्ड एकाउंटेंट से प्रमाणित करवाकर आय-व्यय का लेखा-जोखा प्रस्तुत किया है, जिसके लिए उस परिनिर्धारित अर्थदण्ड राशि 15,69,500/-रुपये का एक परिवाद भी दो माह पूर्व सहायक रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत करवाया है ?

(4) क्या यह सही है कि दिनांक 31.7.2002 को जयपुर में उक्त परिवाद पर निर्दिष्ट जांच का प्रतिवेदन आठ माह बाद भी सरकार को प्राप्त नहीं हो सका है ?

(5) क्या इससे जांच में होने वाली देरी से डा. श्रवण कुमार मोदी को अपने बयान पलट कर दस्तावेजों में अदल-बदल कर जांच को प्रभावित करने का अवसर नहीं मिलता है ?

(6) अब उक्त प्रकरण की सरकार को जांच रिपोर्ट कब तक प्राप्त हो जावेगी ?

(7) क्या सरकार उक्त प्रकरण में दोषी व्यक्ति को सजा देने का विचार रखती है ?

(8) क्या सरकार निष्पक्ष जांच होने तक उक्त में प्रशासक नियुक्त करने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत उक्त सूचनाएं प्राप्त करने का रजिस्ट्रार को संस्थाओं को अधिकार प्राप्त नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) रजिस्ट्रार संस्थाएं, जालौर द्वारा पंजीकृत आदर्श शिक्षण संस्थान, जालौर मुख्यालय, भीनमाल जिसका पंजीयन क्रमांक 8/जालौर/86-87 है, ने पंजीयन के पश्चात् से ही रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 की धारा 4 एवं 4 (क) में विनिर्दिष्ट वार्षिक सूची एवं शासी निकाय और नियमों में हुए परिवर्तनों सम्बन्धी बाध्यकारी सूचना नहीं भिजवाई गयी। यह सही है कि दिनांक 3.10.2002 को श्री दिनेश कुमार दवे ने रजिस्ट्रार संस्थाएं, जालौर, के समय एक शिकायत पत्र प्रस्तुत कर उनके द्वारा पूर्व में की गई शिकायत की जांच के साथ ही रुपये 15,59,500/- के अर्थदण्ड के निर्धारण का आग्रह किया।

(4) जी नहीं। रिपोर्ट दिनांक 25.3.2003 को प्राप्त हो चुकी है।

(5) जी नहीं। जांच कार्य यथा समय पूर्ण कर दिया गया है।

(6) उक्त प्रकरण की रिपोर्ट विभाग को प्राप्त हो चुकी है।

(सहकारिता मंत्री)

(7) प्रकरण में धारा 4(ख) के अन्तर्गत रजिस्ट्रार संस्थाएं, जालौर द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। जहां तक सजा दिए जाने का प्रश्न है, ऐसे मामलों में सजा दिए जाने का अधिकार राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के प्रावधानान्तर्गत न्यायालय को प्रदत्त है।

(8) राजस्थान सोसायटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 में किसी संस्था में प्रशासक नियुक्त करने की शक्तियां रजिस्ट्रार संस्थाएं को प्रदत्त नहीं है।

पंचायत समिति सदस्य के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्वाचित व्यक्ति

938. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायत समिति सदस्य के लिये अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु आरक्षण व्यवस्था है ? यदि हां, तो कब से व कितने-कितने प्रतिशत ? उक्त पदों पर गत दो पंचायत चुनावों में वर्ष 1995 तथा 2000 में निर्वाचित व्यक्तियों के नाम, पिता का नाम, जाति, स्थाई पता, पद नाम, क्षेत्र की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में जिलेवार कितने-कितने पद आरक्षित है ? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 15 में आरक्षण की व्यवस्था रखें जाने का प्रावधान है जिसके तहत पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 15 प्रतिशत रखा गया था, जिसे बढ़ाकर दिनांक 25.10.1999 से 21 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है।

गत 2 पंचायत चुनाव वर्ष 1995 तथा 2000 में अन्य पिछड़ा वर्ग के निर्वाचित पंचायत समिति सदस्यों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-'अ')

(2) सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-'ब')

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रधान/जिला प्रमुख पदों पर अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण

939. श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पंचायती राज व्यवस्था के अन्तर्गत प्रधान/जिला प्रमुख पदों के लिए आरक्षण व्यवस्था है ? यदि हां, तो कब से व कितने-कितने प्रतिशत ? उक्त आरक्षित पदों पर गत दो पंचायत चुनाव में वर्ष 1995 तथा 2000 में निर्वाचित व्यक्तियों के नाम, पिता का नाम,जाति, स्थायी पता, पदनाम सहित क्षेत्र की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में कुल कितने पद अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षित है ? जिलेवार विवरण सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 16 में प्रधान, जिला प्रमुखों के पदों के लिए निम्नप्रकार से व्यवस्था है :

आरक्षित वर्ग	वर्ष 1995	वर्ष 2000
अनुसूचित जाति	14 प्रतिशत	14 प्रतिशत
अनु.जनजाति	11 प्रतिशत	11 प्रतिशत
अन्य पिछड़ा वर्ग	15 प्रतिशत	21 प्रतिशत
महिला	कुल सीट का एक तिहाई	

उक्त पदों पर गत दो पंचायत चुनावों में निर्वाचित व्यक्तियों के नाम, पिता का नाम, जाति, स्थाई पता, पद नाम क्षेत्र की जिलेवार सूची सदन के पटल पर रखी दी गई है। (परिशिष्ट–'अ')

(2) जिले वार सूची सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट–'ब')

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

सरपंच ग्राम पंचायत रूपसी (जैसलमेर) के विरुद्ध अनियमितता की शिकायतें

940. श्री कनकमल कटारा (सागवाड़ा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या सरपंच ग्राम पंचायत रूपसी पंचायत समिति जैसलमेर द्वारा करवाये जा रहे सरकारी हाल निर्माण कार्य में अनियमितता की शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है ? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। उक्त शिकायत संभागीय आयुक्त जोधपुर को प्राप्त होने पर उनके पत्र क्रमांक 2547 दिनांक 17.12.2002 द्वारा प्रकरण की जांच करने हेतु अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद् जैसलमेर को भेजी गयी है। जांच रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। शीघ्र प्रतिवेदन प्राप्त कर आरोप प्रमाणित पाये जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही कर ली जायेगी।

ग्राम आम्बा पंचायत समिति कोटड़ी में नाड़ी निर्माण में अनियमितताएं

941. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति कोटड़ा की पंचायत सामोली के ग्राम आम्बा में निर्माण नाड़ी किस योजना में कितनी कीमत से निर्मित हुई है ?

(2) उक्त निर्माण नाड़ी में कितने मजदूर किस-किस गांव के कितने दिन कार्यरत रहे ? क्या उक्त को भुगतान नकद एवं गेहूं के रूप में कर दिया है ? यदि हां, तो कब और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या उक्त नाड़ी का निर्माण टेक्नीकल रूप में सही हुआ है ?

(4) क्या उक्त कार्य में अनियमितताएं एवं तकनीकी गलतियां हुई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) पंचायत समिति कोटड़ी की सामोली के ग्राम पंचायत आम्बा में नाड़ी निर्माण सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना 50 प्रतिशत मद अन्तर्गत राशि रुपये 49175/–लागत से कार्य करवाया गया है।

(2) इस कार्य पर 200 मजदूर निम्न गांवों के निम्न दिनों तक कार्यरत रहे :

गांव का नाम	मजदूर	दिनों की संख्या
आम्बा	173	7
क्यारला	14	7
खूणा	12	7
जाड़ी माकनी	1	7

उक्त कार्य का भुगतान नकद एवं गेहूं के रूप में मजदूरों को दिनांक 3-1-2003, 24-1-2003 एवं 21-2-2003 को कर दिया गया है।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत जीवद तहसील बामनवास द्वारा कराये कार्यों का भुगतान

942. श्री रेवंतराम पंवार (नोखा) एवं श्री नाथूलाल गुर्जर (हिण्डौली) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) वर्ष 2000–2001 में ग्राम पंचायत जीवद तहसील बामनवास को विकास कार्यों (जे. आर. वाई.) के लिये कुल कितनी राशि आबंटित की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2002–2001 में ग्राम पंचायत जीवद के सरपंच व सचिव द्वारा जवाहर रोजगार योजना की रोकड़ से निजी आय की रोकड़ में अमानता लेकर विकास कार्य करवाये गये थे? यदि हां, तो किस-किस कार्य के लिये कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? करवाये गये कार्यों की उपयोगिता प्रमाण-पत्र सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त ग्राम पंचायत की वास्तविक आय-व्यय (रोकड़ गोसवारा) वर्ष 2000–2001 के नाम मद के क्रम संख्या 7, 8, 9 में उल्लिखित कार्य किस सरपंच द्वारा करवाये गये तथा उसका भुगतान किस व्यक्ति को कितनी राशि का कब किया गया? वास्तविक आय-व्यय (रोकड़ गोसवारा) की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत जीवद तहसील बामनवास के सचिव व सरपंच द्वारा राजनैतिक द्वेषता के कारण आय-व्यय 2000–2001 (रोकड़ गोसवारा) के नाम मद क्रम संख्या 7, 8, 9 की राशि पूर्व सरपंच को भुगतान नहीं करके अन्य कार्यों में खर्च कर दी? यदि हां, तो सरपंच एवं सचिव पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत में बैंक से लेन-देन के लिए सरपंच एवं ग्राम पंचायत सचिव के हस्ताक्षर आवश्यक हैं? यदि हां, तो ग्राम पंचायत जीवद तहसील बामनवास के बैंक

(श्री रेवंतराम पंवार)

खाते में दिनांक 20.9.2000 से 26.5.2001 तक रुपया होने के बावजूद पूर्व सरपंच को बकाया राशि का भुगतान नहीं करके अन्य कार्यों में पैसा खर्च करने वाले अधिकारी एवं सरपंच के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई?

उत्तर

(1) वर्ष 2000-2001 में ग्राम पंचायत जीवद को विकास कार्यों (जे.आर.वाई. परिवर्तित जे.जी.एस.वाई.) में 1,25,543/- रुपंये की राशि आबटित की गई। विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। इस संबंध में व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है। करवाये गये कार्यों की उपयोगिता प्रमाण पत्र पंचायत द्वारा जारी नहीं किये गये हैं, लेकिन ग्राम पंचायत द्वारा प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 5.1.2001 के अनुसार उक्त व्यय की स्वीकृति दी जा चुकी है। प्रस्ताव की प्रति संलग्न है।

(3) ग्राम पंचायत जीवद की वास्तविक आय व्यय (रोकड़ गोसवारा) वर्ष 2000-01 के नाम मद क्रम संख्या 7, 8, 9 में उल्लिखित कार्य पूर्व सरपंच श्री बाबूलाल जायसवाल द्वारा करवाये गये हैं। उक्त राशि के किये गये भुगतान का विवरण परिशिष्ठ 'स' पर संलग्न है तथा वास्तविक आय व्यय (रोकड़ गोसवास) परिशिष्ट 'द' पर संलग्न है।

(4) जी हां। संबंधित सरपंच श्री कल्याण मीणा के विरुद्ध इस संबंध में कार्यवाही प्रारम्भ की गई थी, लेकिन उनका स्वर्गवास दिनांक 10.7.2001 को हो जाने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं की जा सकी। जहां तक ग्राम सेवक का प्रश्न है, उसके विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवाएं (वर्गीकरण, अपील एवं नियंत्रण) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जाकर कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(5) जी हां। ग्राम पंचायत जीवद के बैंक खाते में 20.9.2000 से 26.5.2001 तक राशि होने के बावजूद पूर्व सरपंच को बकाया राशि का भुगतान नहीं करके अन्य कार्यों में खर्चा करने वाले सरपंच के विरुद्ध कार्यवाही उनकी मृत्यु हो जाने के कारण नहीं की जा सकी तथा ग्राम सेवक के विरुद्ध सी.सी.ए. नियम 16 के अन्तर्गत आरोप पत्र जारी किया जाकर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गई है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

सरपंच ग्राम पंचायत अयाना (कोटा) के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

943. श्री मांगीलाल गरासिया (गोगुन्दा) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत अयाना जिला कोटा के विरुद्ध अनियमितताओं की शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो कौन-कौनसी शिकायतें कब-कब प्राप्त हुईं? शिकायतों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त शिकायतों पर अब तक क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो उक्त के लिये

(श्री मांगीलाल गरासिया)

कौन दोषी है व कब तक कार्यवाही पूर्ण कर ली जावेगी?

उत्तर

(1) जी हां। यह सही है कि सरपंच ग्राम पंचायत अयाना जिला कोटा के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं। प्राप्त शिकायतों का विवरण परिशिष्ट-'अ' पर वर्णित है। शिकायतों की प्रति संलग्न है।

(2) प्राप्त शिकायतों के क्रम में की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट 'अ' में वर्णित है। सभी प्राप्त शिकायती प्रकरणों में जांच की कार्यवाही प्रारम्भ कर दी गयी है। कुल 7 प्रकरणों में से 3 में जांच पूर्ण होकर की गयी कार्यवाही का विवरण इसी परिशिष्ट के बिन्दु संख्या 5 में वर्णित है। शेष 4 में भी जांच शीघ्र पूर्ण कर वांछित कार्यवाही शीघ्र कर ली जावेगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति सांगानेर (जयपुर) की पंचायतों द्वारा जारी पट्टे

944. श्री आत्माराम मेघवाल (देसूरी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायतों द्वारा आबादी भूमि में जारी किये जाने वाले पट्टों की एक प्रति पंचायत समिति को भिजवाये जाने का प्रावधान है? यदि हां, तो पंचायत समिति, सांगानेर की ग्राम पंचायतों द्वारा गत चार वर्षों में कितने पट्टों की प्रतियां भेजी गई हैं?

(2) क्या पंचायत समिति, सांगानेर का वर्ष 2002-03 का बजट साधारण सभा द्वारा पारित करवाया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

(3) क्या गत चार वर्षों में उक्त पंचायत समिति में सदस्यों ने आवश्यक अभिलेख प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र दिये हैं? क्या उक्त को उक्त सूचनाएं उपलब्ध करवा दी गई हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) वर्ष 1999-2000 में ग्राम पंचायत नेवटा में कितने राशन कार्ड जारी किये गये? क्या शिक्षा कर की राशि पंचायत समिति में जमा करवाई गई है? यदि हां, तो कितनी?

(5) गत चार वर्षों में उक्त पंचायत समिति को जलग्रहण योजना मद में कितनी राशि प्राप्त हुई है तथा किस-किस गांव में कितनी-कितनी राशि का उपयोग हुआ है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत समिति द्वारा जारी की जाने वाली निविदाओं की स्वीकृति का अनुमोदन साधारण सभा द्वारा पारित करवाया जाना आवश्यक है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। गत चार वर्षों में 553 पट्टों की प्रतियां पंचायत समिति सांगानेर को प्राप्त हुईं।

(2) जी नहीं। परन्तु वास्तविक व्यय को पंचायत समिति की साधारण सभा में दिनांक 21.2.2003 को रखा जा चुका है। नियमानुसार बजट प्रस्तुत नहीं करने पर विकास अधिकारी का स्पष्टीकरण मांगा गया है।

(पंचायती राज मंत्री)

(3) जी हां। विकास अधिकारी द्वारा जानकारी दी गई है कि 7 प्रार्थना पत्र प्राप्त हुए उनका उत्तर नियमानुसार संबंधित सदस्यों को उपलब्ध करा दिया गया है।

(4) वर्ष 1999-2000 में ग्राम पंचायत नेवटा द्वारा 800 राशन कार्ड वितरण किये गये। शिक्षा कर की 16000 हजार की राशि पंचायत समिति में जमा नहीं कराई गई है। संबंधित ग्राम सेवक एवं अन्य के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु लिखा जा रहा है।

(5) गत चार वर्षों में जल ग्रहण योजना मद में 53.76 लाख रुपये की राशि प्राप्त हुई तथा इसमें से 48.76 लाख रुपये व्यय हुआ, जिसका ग्रामवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(6) जी नहीं। ऐसी निविदाएं साधारण सभा में नहीं वरन पंचायत की बैठक में स्वीकृत किये जाने का प्रावधान धारा 188 राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 में है।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-21 देखें)

सरपंच ग्राम पंचायत बलुन्दा पंचायत समिति जैतारण के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

945. श्री बाबूलाल सिंगारिया (केकड़ी) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत बलुन्दा पंचायत समिति, जैतारण के वर्तमान सरपंच को पद का दुरुपयोग करने व पंचायत को आर्थिक हानि पहुंचाने के आरोप सिद्ध होने पर अयोग्य करार दिया गया है व सरपंच पद को रिक्त घोषित किया गया? यदि हां, तो कब से? जांच रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायती राज विभाग ने अयोग्य घोषित कर पद रिक्त करने के बावजूद पुनः सरपंच ग्राम पंचायत बलुन्दा को पद पर यथावत कार्य करने के आदेश दिए? यदि हां, तो उक्त सरपंच को अयोग्य घोषित किए जाने का क्या औचित्य रहा एवं पुनः यथावत कार्य करने का आदेश किस नियम के तहत दिया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरपंच बलुन्दा को आयोग्य घोषित करने के बाद एक और जांच सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के पास विचाराधीन है? क्या उक्त का आरोप पत्र सरपंच को तामील कराया जा चुका है? उक्त आरोप पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? क्या बार-बार पद का दुरुपयोग करने वाले सरपंच के विरुद्ध सरकार कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) उक्त सरपंच, ग्राम पंचायत बलुन्दा के वर्तमान कार्यकाल व पूर्व के कार्यकाल में अनियमिताएं व पद का दुरुपयोग करने के कितने मामले कहां-कहां पर लम्बित हैं तथा कितने प्रकरणों में जांच की गई व अब तक क्या कार्यवाही की जा रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत बलुन्दा पंचायत समिति जैतारण के वर्तमान सरपंच को पद का दुरुपयोग

(पंचायती राज मंत्री)

करने व गैर मुमकीन रास्ते में आवासीय पट्टे काटने, आबादी भूमि के पट्टे अपेक्षाकृत कम राशि पर जारी कर पंचायत को आर्थिक हानि पहुंचाने के आरोप में विभाग के आदेश क्रमांक 4327 दिनांक 30.9.2002 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत बलुन्दा के पद से हटाते हुए सरपंच पद को रिक्त घोषित करने के आदेश जारी किये गये थे। तत्पश्चात् सरपंच द्वारा पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर उन्हें सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का पुन: परीक्षण किया गया। पुन: परीक्षण कर विभाग के आदेश क्रमांक 1060 दिनांक 25.2.03 द्वारा श्री गोपाल सिंह को सरपंच पद पर पुन: बहाल कर विभागीय आदेश क्रमांक 4327 दिनांक 30.9.2002 को प्रत्याहरित करते हुए उन्हें सरपंच ग्राम पंचायत बलुन्दा के पद पर पूर्ववत रखे जाने के आदेश प्रदान किये गये। उक्त सरपंच के विरुद्ध लगाये गये आरोपों के क्रम में प्राप्त जांच प्रतिवेदन परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) जी हां। सरपंच ग्राम पंचायत बलुन्दा को सरपंच पद से अयोग्य घोषित करने एवं पद रिक्त घोषित करने संबंधी विभागीय आदेश क्रमांक 4327 दिनांक 30.9.02 को उक्त सरपंच द्वारा प्रस्तुत पुनरावलोकन प्रार्थना पत्र पर विचार कर विभाग के आदेश क्रमांक 1060 दिनांक 25.2.03 द्वारा प्रत्याहरित किया जाकर सरपंच पद पर पुन: बहाल किया गया। उक्त कार्यवाही सरपंच द्वारा राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 97 के तहत प्रस्तुत पुनरावलोकन याचिका के संदर्भ में की गई है।

(3) जी हां। इस प्रकरण में सम्भागीय आयुक्त् जोधपुर द्वारा सरपंच को आरोप पत्र तामील कराया जा चुका है तथा अग्रिम कार्यवाही जारी है। प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही शीघ्र एवं अवश्य की जावेगी।

(4) उक्त सरपंच के ग्राम पंचायत बलुन्दा के पूर्व कार्यकाल में रास्ते की भूमि पर अनियमित तरीके से जारी किये गये भूखण्डों के आरोपों के संबंध में जांच की कार्यवाही की गई थी। इस संदर्भ में की गई कार्यवाही का विवरण बिन्दु संख्या 1 व 2 में वर्णित है।

इसी सरपंच के वर्तमान कार्यकाल का एक प्रकरण सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर के कार्यालय में विचाराधीन है। इस प्रकरण में आरोप पत्र जारी किये जा चुके हैं। अग्रिम कार्यवाही शीघ्र नियमानुसार की जा रही है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत सहायक कृषि अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही

946. श्री हेमन्त कुमार (दीगोद) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 134 "क" के अन्तर्गत जिला निर्वाचन अधिकारी, जयपुर के यहां कृषि विभाग के सहायक कृषि अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त कार्यवाही कब से विचाराधीन है एवं अब तक उक्त जांच कार्यवाही का निस्तारण नहीं होने के क्या कारण हैं?

(2) क्या उक्त गम्भीर प्रकृति के जांच प्रकरणों को निस्तारित करने की कोई समय सीमा निर्धारित

(श्री हेमन्त कुमार)

है? यदि हां, तो कितनी और नहीं, तो क्यों? क्या सरकार अब उक्त संबंध में कोई समय सीमा निर्धारित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

(3) अब सरकार उक्त दोषी सहायक कृषि अधिकारी के विरुद्ध कब तक जांच पूर्ण कर दोषी अधिकारी के विरुद्ध उक्त अधिनियम के तहत ठोस कार्यवाही करेगी?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त अधिकारी के दोषी पाये जाने पर उक्त के विरुद्ध उसके पैतृक विभाग द्वारा 16 सी.सी.ए. के तहत जांच कर दो वार्षिक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोकने के दण्ड से दण्डित किया जा चुका है? यदि हां, तो निर्वाचन अधिकारी द्वारा संबंधित के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही क्यों नहीं की जा रही है?

(5) अब उक्त सहायक कृषि अधिकारी के विरुद्ध उक्त अधिनियम की धारा 134 "क" के अंतर्गत कब तक कार्यवाही कर उसे दण्डित कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी नहीं। श्री रामकिशोर मीणा, कृषि अधिकारी मुख्यालय, हरमाड़ा द्वारा दिनांक 31.1.2000 को सरपंच/पंच ग्राम पंचायत गिनोई पंचायत समिति गोविन्दगढ़ के चुनाव में अभ्यर्थी पंच श्रीमती पुष्पा देवी शर्मा के गणना अभिकर्ता के रूप में कार्य किया है जो लोक सेवक के लिये नियम विरुद्ध है। जिला निर्वाचन अधिकारी, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि उनके कार्यालय में कार्यवाही विचाराधीन नहीं है बल्कि उप खण्ड अधिकारी, चौमूं द्वारा उक्त अधिकारी के विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की चौमूं की इजलास में इस्तगासा पेश किया जा चुका है। उक्त प्रकरण में आगामी तारीख पेशी 30.4.2003 नियत है।

(2) उक्त प्रकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 134-ए अंतर्गत आता है इसलिये निर्वाचन विभाग ही समय सीमा निर्धारण के संबंध में निर्णय लेने के लिये सक्षम है।

(3) दोषी सहायक कृषि अधिकारी के विरुद्ध उक्त प्रकरण लोक प्रतिनिधित्व अधिकारी की धारा 134-ए के अंतर्गत प्रकरण अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूं की इजलास में लम्बित है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) जी हां। कृषि निदेशालय ने अपने आदेश 22.7.2002 के द्वारा दो वार्षिक वेतन वृद्धियां संचयी प्रभाव से रोके जाने के आदेश दिये हैं। इसके अतिरिक्त अधिकारी के विरुद्ध अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चौमूं के यहां इस्तगासा भी पेश कर दिया गया है।

(5) मामला न्यायालय में सबजुडिस है, जिसका निर्णय माननीय अदालत द्वारा किया जाना है। माननीय न्यायालय के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम पंचायत सुंदरपुरा ढाढा (जयपुर) के सरपंच का त्याग पत्र प्रकरण

947. **डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) :** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान सरपंच सुन्दरपुरा ढाढा पंचायत समिति कोटपूतली ने दिनांक 16 अगस्त, 2002 को अपने पद से त्याग पत्र दिया था?

(2) क्या यह भी सही है कि दिनांक 17 अगस्त, 2002 को उक्त पंचायत के सभी पंचों ने सामूहिक त्याग पत्र देकर विकास अधिकारी को सूचित किया तथा दिनांक 21 अगस्त, 2002 को पंचायत बैठक बुलाई तथा पंचों ने सरपंच को त्याग पत्र वापस लेने का दबाव डाला?

(3) क्या यह सही है कि उक्त सरपंच इसके पश्चात् मार्च, 2003 तक कार्यरत रहे?

(4) क्या यह भी सही है कि दिनांक 4 मार्च, 2003 को विकास अधिकारी कोटपूतली ने उक्त सरपंच का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया? यदि हां, तो क्यों? क्या छह माह बाद त्याग पत्र स्वीकार किया जा सकता है? विशेष तौर पर उक्त सरपंच के निवेदन पर कि जब तक पंचायत 21.8.2002 की बैठक का जब तक निर्णय नहीं हो जाता पंचायत के चार्ज का आदान-प्रदान नहीं हो सकता?

(5) क्या विकास अधिकारी का उक्त कृत्य असंवैधानिक नहीं है? क्या उक्त अधिकारी ने पंचायत के सर्वसम्मत निर्णय की अवहेलना कर श्री शर्मा का त्याग पत्र स्वीकार कर लिया?

(6) क्या सरकार उक्त अधिकारी के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नही, तो क्यों?

(7) अब उक्त विकास अधिकारी के निर्णय को कब तक निरस्त कर दिया जावेगा?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी नहीं। दिनांक 17.8.2002 को ग्राम पंचायत सुन्दरपुरा ढाढा के कुछ पंचों ने विकास अधिकारी से निवेदन किया कि सरपंच का त्याग पत्र स्वीकार नहीं किया जावे एवं यह भी अभिशंसा व्यक्त की कि यदि सरपंच का त्याग पत्र स्वीकार किया जाता है तो सभी पंच अपना त्याग पत्र दे देंगे। दिनांक 21.8.2002 को ग्राम पंचायत ने प्रस्ताव पारित कर सरपंच से अपना त्याग पत्र वापस लेने का आग्रह किया।

(3) जी हां। यह सही है कि उक्त सरपंच दिनांक 21.3.2003 से अपने पद का अब तक निर्वहन कर रहे हैं।

(4) जी नहीं।

(5) जी नहीं।

(6) जी नहीं।

(7) प्रश्न ही उपस्थित नहीं होता है।

ग्राम पंचायत पापड़दा (दौसा) में विभिन्न योजनान्तर्गत स्वीकृत राशि

948. **श्री मंगलाराम गोदारा** (डूंगरगढ़) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत पापड़दा (दौसा) को जनवरी, 2000 से जनवरी, 2003 तक किस

(श्री मंगलाराम गोदारा)

किस योजनान्तर्गत कितनी-कितनी राशि किस किस कार्य हेतु स्वीकृत की गई? योजना का नाम, आबंटित राशि, व्यय की गई राशि, कार्य की वर्तमान स्थिति, उपयोगिता प्रमाण पत्र, नाप पुस्तिका आदि की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अवधि में सरपंच द्वारा कितने पट्टे जारी किये गये? जारी पट्टों का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त अवधि में पंचायत की निजी आय कितनी कितनी राशि की किस किस वर्ष में रही? प्राप्त राशि एवं व्यय का वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत पापड़दा द्वारा जनवरी, 2000 से जनवरी, 2003 तक कराये गये निर्माण कार्यों का योजनावार विवरण, आबंटित राशि, व्यय की गई राशि, कार्य की वर्तमान स्थिति, उपयोगिता प्रमाण पत्र, माप पुस्तिका की स्थिति का विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है। (अनुसूची 'अ')

(2) उक्त अवधि में ग्राम पंचायत द्वारा 17 पट्टे जारी किये गये हैं। उक्त अवधि में जारी किये गये पट्टों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। (अनुसूची 'ब')

(3) उक्त अवधि में ग्राम पंचायत की निजी आय एवं व्यय का विवरण वर्ष जनवरी, 2000 से जनवरी, 2003 तक का वर्षवार ब्यौरा सदन की मेज पर रख दिया गया है। (अनुसूची 'स')

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

ग्राम पंचायत पापड़दा (दौसा) द्वारा जारी आवासीय पट्टे

949. श्री ललित भाटी (अजमेर पूर्व) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) ग्राम पंचायत पापड़दा (दौसा) में वर्तमान में अनुसूचित जाति के किस व्यक्ति को किस खसरे में आवासीय पट्टे जारी किये हैं? जारी पट्टों की प्रति सहित व्यक्ति का नाम, पिता का नाम, खसरा नम्बर आदि की सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त पंचायत में अनुसूचित जाति के किसी व्यक्ति ने किसी अन्य व्यक्ति के आवासीय पट्टे को निरस्त करने हेतु आवेदन किया है? यदि हां, तो किस आधार पर? उक्त आवेदन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? अब तक उक्त आवेदन को निरस्त नहीं करने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत द्वारा मिसल संख्या 12 पट्टा संख्या 20 दिनांक 10.9.84 द्वारा सशुल्क कोई आवासीय पट्टा जारी किया गया था? यदि हां, तो किस किस को जारी किया गया था? जारी पट्टे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री ललित भाटी)

(4) क्या यह सही है कि उक्त ग्राम के ही श्री हजारी लाल बैरवा पुत्र श्री रेवडराम बैरवा, श्री हरिमोहन बैरवा पुत्र श्री हजारी लाल बैरवा ने प्रश्न के भाग (3) में अंकित पट्टे के सामने वाले आम रास्ते पर एवं अन्य आम रास्तों पर अतिक्रमण कर रखा है? यदि नहीं, तो उक्त द्वारा बनाये गये पक्के तामीरात की चारों दिशाओं के वर्णन सहित नक्शे की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह भी सही है कि पंचायत द्वारा पूर्व में जारी किये गये पट्टे की जमीन में से पंचायत बाद में आबंटित भूमि को कम कर सकती है? यदि हां, तो किस नियम के तहत?

उत्तर

(1) वर्तमान में ग्राम पंचायत पापड़दा (दौसा) में किसी भी अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पट्टे जारी नहीं किये गये हैं। परन्तु वर्ष 1984 व 1987 में भाग 3 व 4 के विवरण अनुसार पट्टे जारी किये गये (संलग्न है)।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। ग्राम पंचायत पापड़दा द्वारा दिनांक 10.9.84 को श्री बिहारी लाल पुत्र श्री जीवरण राम कोली, पापड़दा को 2 रुपये प्रति वर्ग गज से पट्टा बनाया गया। पट्टे की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है।

(4) जी नहीं। पट्टे के पृष्ठ भाग पर अंकित नक्शा की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई।

(5) जी हां। पंचायती राज अधिनियम की धारा 63(4) के अंतर्गत कार्यवाही करने के लिए पंचायती राज संस्था सक्षम है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

पंचायत समिति लूणकरणसर द्वारा शिक्षा कर की राशि का उपयोग

950. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 1993-94 से 2002-03 तक पंचायत समिति लूणकरणसर के क्षेत्राधिकार में स्थित कौन-कौनसी ग्राम पंचायतों द्वारा कितना कितना शिक्षा कर एकत्रित किया गया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त पंचायत समिति द्वारा उक्त शिक्षा कर की राशि का अब क्या उपयोग किया है और किस-किस मद में खर्च किया गया? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वित्तीय वर्ष 1993-94 से वर्ष 2002-03 तक पंचायत समिति, लूणकरणसर के अधीनस्थ ग्राम पंचायतों द्वारा शिक्षा उपकर की राशि संलग्न सूची परिशिष्ट 'अ' में दर्शाए अनुसार एकत्रित की गई है।

(2) पंचायत समिति लूणकरणसर द्वारा शिक्षा उपकर की राशि के मदवार उपयोग का विवरण संलग्न परिशिष्ट 'ब' पर उपलब्ध है।

(सूची के लिए परिशिष्ट-22 देखें)

पंचायत समिति प्रतापगढ़ व अरनोद में अकाल राहत कार्यों में श्रमिकों की संख्या बढ़ोतरी हेतु प्रस्ताव

951. श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) पंचायत समिति प्रतापगढ़ व अरनोद की किस-किस पंचायत द्वारा अकाल राहत कार्यों पर श्रमिक बढ़ाने एवं राहत कार्यों के प्रस्ताव अतिरिक्त कलक्टर, उपखण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार अरनोद के सम्मुख कब-कब प्रस्तुत किये गये? पंचायतवार एवं तिथिवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त प्रस्तावों के अनुसार कितने-कितने कार्यों को किस-किस ग्राम पंचायत में श्रमिक संख्या बढ़ाई गई?

(3) क्या सरकार द्वारा अति संवेदनशील पंचायत समिति घोषित कर आर्थिक दृष्टि से कमजोर लोगों को अधिक राहत देने के लिए किन्हीं पंचायत समितियों को चयनित किया गया है? यदि हां, तो उक्त पंचायत समितियों की श्रमिक संख्या कितनी बढ़ाई?

उत्तर

(1) पंचायत समिति प्रतापगढ़ व अरनोद में अकाल राहत कार्यों के श्रमिक संख्या बढ़ाने एवं नवीन राहत कार्यों हेतु प्राप्त प्रस्तावों का तिथिवार एवं ग्रामवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

(2) प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बढ़ाई गई श्रमिक संख्या पंचायतवार सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट-2)

(3) जी हां। सरकार द्वारा 74 विकास खण्डों को अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र घोषित किया गया है। इन विकास खण्डों में अन्य क्षेत्रों की तुलना में अधिक श्रमिक सीमा स्वीकृत की गई है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अकालग्रस्त अतिसंवेदनशील घोषित क्षेत्रों हेतु विशेष सहायता

952. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य के अकालग्रस्त क्षेत्रों में से 74 विकास खण्डों को अतिसंवेदनशील घोषित किया है? यदि हां, तो कौन-कौन से खण्ड और किन कारणों से? उक्त खण्डों के नामों सहित जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त खण्डों को विशेष सहायता दी जा रही है? यदि हां, तो क्या-क्या?

उत्तर

(1) जी नहीं। केन्द्र सरकार ने राज्य के अकालग्रस्त क्षेत्रों में से किसी भी विकास खण्ड को अतिसंवेदनशील क्षेत्र घोषित नहीं किया है। राज्य सरकार द्वारा विभिन्न जिलों के 74 विकास खण्डों को अत्यधिक सूखा प्रभावित क्षेत्र चिन्हित किया गया है। इन विकास खण्डों का जिलेवार विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है। (परिशिष्ट-1)

इस चयन के लिए लगातार 5 वर्ष से सूखे की स्थिति, फसलों में खराबे का प्रतिशत, वर्षा की

(सहायता मंत्री)

अत्यधिक कमी, भौगोलिक परिस्थितियां एवं गरीबी को आधार बनाया गया है।

(2) उक्त प्रभावित खण्डों में रोजगार हेतु अतिरिक्त श्रमिक संख्या, पंचायत स्तर पर 5 क्विंटल की बजाय 10 क्विंटल गेहूं अनुग्रह सहायता हेतु रखने, राजस्व ग्राम मुख्यालय पर 2 क्विंटल गेहूं रखे जाने, गेहूं का वितरण 5 किलोग्राम के स्थान पर 10 किलोग्राम प्रति व्यक्ति दिये जाने के निर्देश हैं।

इन खण्डों में चिकित्सा विभाग व पशुपालन विभाग द्वारा चल चिकित्सा इकाई भेजकर शिविर लगाने, आवश्यक मात्रा में दवाइयां उपलब्ध कराने व बीमारियों की रोकथाम करने की व्यवस्था की गई है। इन खण्डों में खाद्य एवं सामाजिक सुरक्षा योजना यथा पोषाहार योजना, मध्यान्ह भोजन योजना, अन्नपूर्णा योजना, अन्तोदय अन्न योजना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, वृद्धावस्था पेंशन आदि योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन की व्यवस्था की गई है। जन स्वास्थ्य विभाग द्वारा इन खण्डों के लिए आकस्मिक योजना में अलग से राशि चिन्हित की जायेगी।

(विवरण के लिए परिशिष्ट-23 देखें)

आंगनबाड़ी केन्द्र थालीतलाई (बांसवाड़ा) को ईंधन हेतु भुगतान राशि

953. श्री जीतमल खांट (बागीदौरा) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

पंचायत समिति गढ़ी जिला बांसवाड़ा के गांव थालीतलाई के आंगनबाड़ी केन्द्र पर शुरू से फरवरी, 2003 तक ईंधन हेतु कितनी राशि का भुगतान सरकार द्वारा किया गया है?

उत्तर

पंचायत समिति गढ़ी जिला बांसवाड़ा के गांव थालीतलाई के आंगनबाड़ी केन्द्र पर शुरू से फरवरी, 2003 तक ईंधन पर हुए व्यय का विवरण निम्नानुसार है :

क्र.सं.	वर्ष	व्यय राशि
1	जून, 1976 से 1981 तक	0.000
2	1982 से 1985 तक	685.44
3	1986 से 1988 तक	0.000
4	1989 से 2001 तक	6098.40
5	2002 से फरवरी, 2003	0.00
	योग	6783.84

अर्थात रुपये 6784/-

ग्रामीण विकास योजनाओं में केन्द्र सरकार की भागीदारी

954. श्री रूपलाल मीणा (सलूम्बर) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्तमान में ग्रामीण विकास की समस्त योजनाएं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित हैं?

(2) क्या कोई प्रांतीय विकास की योजना भी चल रही है? यदि हां, तो कौनसी? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त प्रांतीय योजनाओं में भी बहुत बड़ा अंश केन्द्र सरकार का है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। महिला एवं बाल विकास

(महिला एवं बाल विकास मंत्री)

विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में महिलाओं एवं बच्चों के समग्र विकास हेतु समेकित बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रम के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य में 237 बाल विकास परियोजनाएं संचालित की जा रही हैं।

(2) राज्य में महिलाओं के समग्र विकास के लिये राज्य सरकार द्वारा महिला विकास कार्यक्रम संचालन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत निम्न योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

(i) स्वयं सहायता समूह योजना

(ii) सामूहिक विवाह अनुदान योजना

(iii) जिला महिला सहायता समिति

(3) महिला विकास कार्यक्रम योजना के अंतर्गत शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। इसके अतिरिक्त समेकित बाल विकास सेवा कार्यक्रम के अंतर्गत लाभान्वितों को पूरक पोषाहार एवं अन्य सुविधाओं के लिये राज्य योजना के लिये शत-प्रतिशत राशि राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही है। 0-3 वर्ष के बच्चों के पोषाहार के लिए प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजनान्तर्गत 100% राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य को 70% ऋण व 30% अनुदान के रूप में उपलब्ध करवाई जा रही है।

जैसलमेर नगर में प्रस्तावित हवाई अड्डा

955. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या नागरिक उड्डयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि रियासतीकाल में जैसलमेर नगर के पास हवाई अड्डा था वह वायु सेना के कब्जे में चला गया है?

(2) क्या यह भी सही है कि जैसलमेर नगर पर्यटन हेतु विश्व विख्यात है तथा छह माह के लिये नागरिक उड्डयन की सेवाएं चलती हैं?

(3) क्या यह सही है कि राज्य का हवाई जहाज जब जैसलमेर हवाई अड्डे पर उतरता है तो सुरक्षा हेतु असुविधा होती है?

(4) क्या सरकार जैसलमेर नगर के पास नागरिक हवाई अड्डा बनाने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) रियासतकाल के समय का अभिलेख तो उपलब्ध नहीं है। जैसलमेर का हवाई अड्डा भारतीय वायु सेवा के पास है।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) नागरिक हवाई अड्डा बनाने बाबत निर्णय केन्द्र सरकार द्वारा लिया जाता है।

स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :

(1) श्री कन्हैया लाल मीणा, सदस्य की ओर से राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर में वरिष्ठ शोध सहायक के पद पर जनजाति का आरक्षण कोटा पूर्ण करने बाबत।

(2) श्री सांवर लाल जाट, सदस्य की ओर से जिला बारां की पुलिस द्वारा कई केसों का न्यायालय में चालान पेश नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में।

(श्री अध्यक्ष)

(3) श्री मदन दिलावर, सदस्य की ओर से डी. फार्मेसी के 1998 के बैच के छात्रों को लाइसेंस नहीं मिलने के संबंध में।

उपरोक्त प्रस्ताव स्थगन प्रस्ताव के विषय नहीं हैं, अतः अनुमति देने में असमर्थ हूं। राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त होने पर माननीय सदस्यों को उपलब्ध करा दी जाएगी।

(12.02 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव नियम 157 के तहत हमने प्रस्तुत किया था और हम यह चाहते हैं कि उस पर व्यवस्था हो, क्योंकि बामनवास से आने वाले माननीय विधायक श्रीमान् डाक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा पर कुछ आरोप यहां सम्माननीय धारीवाल जी ने एक पत्र रश्मि डिकिंसन का पढ़कर यहां लगाये थे। उसमें ऐसे अनर्गल आरोप लगाये गये, जिनसे माननीय सदस्य का कोई लेना-देना नहीं था, अतः हम आपसे व्यवस्था चाहते हैं।

घोषणा

रश्मि डिकिंसन, आमेर ट्रस्ट के विरुद्ध प्रस्तुत विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव विशेषाधिकार समिति को सुपुर्द

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो। मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि श्री मदन दिलावर व अन्य सदस्य, विधान सभा ने प्रक्रिया के नियम 157 के अंतर्गत रश्मि डिकिंसन, आमेर ट्रस्ट के विरुद्ध जो विशेषाधिकार हनन के प्रस्ताव की सूचना दी है, उसे मैं प्रक्रिया के नियम 162 के अंतर्गत जांच अनुसंधान एवं प्रतिवेदन के लिए सदन की विशेषाधिकार समिति को सौंपता हूं।

माननीय सदस्य, सभी माननीय सदस्य चाहते हैं कि हमारे 295 लगे, ये करीब पन्द्रह हैं। इच्छा तो थी कि इनको लगा दो लेकिन पढ़ा हुआ मान लिया जाए?

मोहम्मद माहिर आजाद : पढ़वाओ, साहब, आज तो। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, साहब ऐसा मत करिए आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : पढ़े हुए मानने का कोई सवाल नहीं है, पढ़वाइये आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह गलत बात है, साहब, ऐसा हम नहीं मानेंगे इस बात को।

मोहम्मद माहिर आजाद : हम तो पढ़ेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ा हुआ मान लिया जाए, वह कह रहे हैं पढ़वाओ, बोलो?

मोहम्मद माहिर आजाद : नहीं, नहीं, पढ़वाओ आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नहीं, नहीं, हम नहीं मानेंगे इस बात को।

श्री उपाध्यक्ष : बिराजो, पढ़ देते हैं, हमको क्या तकलीफ है? आप कहो जो कर रहे हैं हम तो।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ठीक है।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री उपाध्यक्ष : (1) श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य की ओर से विद्युत विभाग के सतर्कता दल के अधिकारियों को प्रदान की जा रही प्रोत्साहन राशि को बंद करने के संबंध में।

(2) श्री नन्दलाल पूनिया, सदस्य की ओर से सरपंच ग्राम पंचायत गालड़ पंचायत समिति राजगढ़ (चूरू) के दो से अधिक संतान होने के संबंध में।

(3) श्री कय्यूम खान, सदस्य की ओर से जिला अजमेर के मसूदा में पानी की भयंकर समस्या के संबंध में।

(4) श्री नगराज मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लसाड़िया की राजीव गांधी पाठशालाओं का निर्माण कार्य घटिया होने तथा श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नहीं करने के संबंध में।

(5) डा. किरोड़ी लाल मीणा, सदस्य की ओर से विद्युत वितरण निगम कार्यालय खेड़लीगंज (अलवर) के अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा कनेक्शन आवेदकों से जबरन वसूली करने के संबंध में।

(6) श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ (अलवर) का डार्क जोन खतम करने के संबंध में।

(7) श्री धर्मपाल चौधरी, सदस्य की ओर से बूंदी जिले की सहकारी शुगर मिल के संबंध में।

(8) श्री बाबूलाल नागर, सदस्य की ओर से जिला नेत्र भ्रमणशील इकाई की सेवाओं को ग्रामीण जनता के हित में पूर्ववत संचालित करने के संबंध में।

(9) श्री मानिक चन्द सुराना, सदस्य की ओर से सिद्धमुख नहर में मोघे बनाकर कच्चे खालों से सिंचाई का पानी उपलब्ध करवाने के संबंध में।

(10) श्री नाथूराम अहारी, सदस्य की ओर से राज्य में ट्रेण्ड युवक-युवतियों के मैरिट में नहीं आने से नियुक्ति नहीं होने के संबंध में।

(12) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मुण्डारा को उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने के संबंध में।

(13) श्री दिग्विजय सिंह, सदस्य की ओर से जिला सवाई माधोपुर के ग्राम माधोसिंहपुरा की खसरा नम्बर 58 की 49 बीघा भूमि के अवैध बेचान के संबंध में।

(14) श्रीमती सुमित्रा सिंह, सदस्य की ओर से झुंझुनुं शहर से पांच किलोमीटर दूर स्थित ग्राम बुड़ाना के कब्रिस्तान की भूमि में परिवर्तन करने के संबंध में।

(15) डा. रघुवीर सिंह गौड़, सदस्य की ओर से बाबा मुगिया पोलीटेक्निक कॉलेज पिलानी के छात्रों को अन्यत्र महाविद्यालय में स्थानान्तरित करने के संबंध में।

श्री भगवान सहाय सैनी

मोहम्मद माहिर आजाद : मेरा भी था 295.

श्री उपाध्यक्ष : था तो था। यहां आए जो बता रहा हूं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मेरा कहां गया, मैंने तो कल दिया था 295?

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगवान सहाय सैनी।

मोहम्मद माहिर आजाद : आप कह रहे हो सारे लग गये, मैंने भी एक सवाईमाधोपुर में ठींगला में एक जमीन के ऊपर कल दिया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री भगवान सहाय सैनी।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

विद्युत विभाग द्वारा सतर्कता दल को दी जा रही प्रोत्साहन राशि का औचित्य

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं) : उपाध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के अंतर्गत विद्युत विभाग द्वारा सतर्कता दल अधिकारियों को प्रोत्साहन राशि देने के संबंध में विशेष उल्लेख करना चाहता हूं।

विद्युत विभाग में कार्यरत सतर्कता दल के अधिकारियों/कर्मचारियों को उनके द्वारा जांच करके चोरी के पकड़े गये मामलों में वी.सी.आर. राशि का दस प्रतिशत प्रोत्साहन स्वरूप दिया जाता है जबकि सतर्कता दल में ड्यूटी करने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को वेतन जांच करने के कार्य के लिए ही दिया जाता है। जब वी.सी.आर. का प्रतिशत उन्हें भुगतान किया जाता है तो वेतन देने का औचित्य क्या है?

एक सहायक अभियंता जो जी.एस.एस. पर ड्यूटी करे या ओ.एण्ड एम. में ड्यूटी करे उसे केवल वेतन मिलता है, जबकि सतर्कता दल में काम करने वाले सहायक अभियंता को वेतन के साथ वेतन की राशि से भी अधिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है।

इस प्रोत्साहन राशि के लालच में किसानों के गलत वी.सी.आर. भरे जाते हैं। माननीय ऊर्जा मंत्री महोदय से अनुरोध है कि विद्युत विभाग अधिकारियों को वी.सी.आर. की प्रोत्साहन राशि का भुगतान देने का प्रावधान समाप्त करे तथा जो गलत झूठे वी.सी.आर. भरे जाते रहे हैं उसे बंद करवाएं, जिससे किसानों को राहत मिल सके।

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया...

श्री उपाध्यक्ष : आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है।

श्री रामनारायण चौधरी : देना पड़ेगा क्योंकि उन्होंने ऐसा ही उठाया है। जो चोरी करते हुए पकड़े जाएं उनकी वी.सी.आर. भरी जाती है। इन्होंने कहा कि जो पार्टी चैकिंग पर जाती है उसका कमीशन में हिस्सा होता है। (व्यवधान) माननीय सदस्य, सुनिये। माननीय सदस्य ने सुझाव दिया, उनकी मांग है कि जब हम उनको सैलेरी भत्ता वगैरह सब दे रहे हैं, वह तो उनकी ड्यूटी का पार्ट है और उन्होंने बात उठाई कि यह फिर उनको इसमें जो पकड़ा जाता है, पैनल्टी होती है उसमें इनका हिस्सा किस बात का? मान्यवर, इस व्यवस्था में मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि विभाग के कर्मचारीगण द्वारा मिल कर और कोल्यूजन करके काश्तकारों को और उपभोक्ता को परेशान करने की शिकायत

(श्री रामनारायण चौधरी)

बराबर आ रही है। मैं इस पक्ष में हूं और मैं चाहूंगा कि यह जो कमीशन का बंटवारा होता है, उनको किसी प्रकार का कोई कमीशन नहीं दिया जाना चाहिए। मैं यहां ऐसी व्यवस्था कराऊंगा।

श्री अमराराम (धोद) : आज से ही।

श्री रामनारायण चौधरी : आज से नहीं, मैं आदेश निकालवाऊंगा उसके बाद से।

श्री अमराराम (धोद) : आप आदेश दे दीजिए आज से ही बंद हो जाएगा।

श्री रामनारायण चौधरी : हो गया ना, मैं कह रहा हूं। मैं इसके पक्ष में नहीं हूं, यह सिस्टम गलत है।

श्री अमराराम (धोद) : आप पक्ष में नहीं हैं तो फिर करवा कौन रहा है, मुख्य मंत्री जी करवा रहे हैं? आप विद्युत मंत्री हैं, आप नहीं चाहते हो और फिर हो रहा है, इसका मतलब मुख्य मंत्रीजी कर रहे हैं क्या?

श्री रामनारायण चौधरी : आपके क्या हो गया है? मुख्य मंत्रीजी कहां है, क्या करवा रहे हैं मुख्य मंत्रीजी...(व्यवधान) आपका क्या मतलब है यह मुख्य मंत्रीजी करवा रहे हैं? (व्यवधान) आप अनुभवी हैं, पार्टी के लीडर हैं और हम आपको हमारा शुभचिंतक मानते हैं उसके बाद में कह रहे हो मुख्य मंत्रीजी करवा रहे हैं, आप यह कमाल की बात कह रहे हैं।

श्री नन्दलाल बंशीवाल : रात के दो बजे तक तैयारी करके आये हैं यह माथा पचा कर... (व्यवधान) यह तो भाषण झाड़ रहे हैं, साहब ... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। माननीय मंत्री महोदय, बिराजिये।

श्री केसाराम चौधरी : वह जो विजिलेंस की शीट भरते हैं और उनके जो चार्ज लगाया जा रहा है उनसे कमीशन लिया जा रहा है। मंत्रीजी पक्ष में नहीं हैं तो कौन पक्ष में है और कौन ले रहा है यह कमीशन? यह पक्ष में नहीं है तो फिर कौन ले रहा है कमीशन?

श्री उपाध्यक्ष : श्री नन्दलाल पूनिया।

(अनुपस्थित)

श्री कय्यूम खान।

(अनुपस्थित)

श्री नगराज।

(अनुपस्थित)

श्री नन्दलाल मीणा।

(अनुपस्थित)

डा. किरोड़ी लाल।

श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, कम से कम हाउस को तो आर्डर में कर लीजिये पहले। हम कुछ कहें उससे पहले आर्डर में तो कीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : अब आज आखिरी दिन है, कितना दफा इनको समझाएं? समझ में नहीं आता इनको, मैं क्या करूं?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सत्तारूढ़ पार्टी के लोग क्या कर रहे हैं?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ऐसे लोगों को ताड़ना दीजिये। जो लोग हाउस को डिसआर्डर करते हैं उन्हें ताड़ना दीजिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : उधर देखो आप, सब एक सरीखे हैं वह तो। बिराजो। (व्यवधान) बुला दूंगा आपको।

डा. किरोड़ी लाल : मेरा पढ़ा हुआ मान लो।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ा हुआ मान लेते हैं। इनका पढ़ा हुआ मान लें।

(माननीय सदस्य का नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख का प्रस्ताव जो पढ़ा हुआ माना गया)

अलवर के खेड़लीगंज में विद्युत वितरण निगभ कर्मियों द्वारा आवेदकों से जबरन वसूली

डा. किरोड़ी लाल (बामनवास) **:** नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना।

विषय : विद्युत वितरण निगम कार्यालय, खेड़लीगंज, अलवर के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा कृषक/गैर कृषक/विद्युत कनेक्शन आवेदकों से जबरन वसूली कर भ्रष्टाचार फैलाने बाबत।

महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन की नियमावली के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत कर निवेदन है कि सहायक अभियंता कार्यालय खेड़लीगंज, अधिशासी अभियंता कार्यालय राजगढ़ के सभी स्तर के अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा लम्बे समय से खेड़ली–कठूंमर सर्किल के कृषि/अकृषि विद्युत आवेदकों को फाइल जमा कराने से कनेक्शन जारी करने तक की प्रत्येक कार्यवाही के बदले 5,000 से 10,000 रुपये तक की रिश्वत मुंह खोलकर सरेआम मांगी जा रही है। मुंहमांगी रिश्वत देने पर उचित, अनुचित कार्य इनके द्वारा तत्काल निपटा दिया जाता है। रिश्वत नहीं देने वाले आवेदकों का बड़ी धनराशि का डिमाण्ड नोटिस जारी कर दिया जाता है। डिमाण्ड जमा होने के बाद भी भिन्न-भिन्न बनावटी तकनीकी खामियां बताकर आवेदकों को रिश्वत राशि देने को बाध्य किया जाता है।

इसी कड़ी में उल्लेखनीय है कि प्रार्थी मदन लाल जाट पुत्र मनोहरी लाल जाट ग्राम लिड़पुरी, तहसील कठूंमर, जिला अलवर ने कृषि कनेक्शन स्पेशल योजनान्तर्गत दिनांक 15.6.02 को फाइल के साथ सिक्योरिटी नकद राशि 12,075/- रुपये जमा कराये। 23 दिन बाद कनिष्ठ अभियंता भदोरिया एवं बाबू मुकेश ने गांव आकर प्रार्थी एवं अन्य आवेदक हरिया पुत्र गोकुल जाट जो उक्त प्रकृति का विद्युत आवेदक था, का साथ-साथ सर्वे व स्टेटमेंट बनाया। दोनों पक्षकारों से रिश्वत के 5000-5000 रुपये मांगे। हरिया से 5,000 रुपये लेकर उसके ट्यूबवैल से दो खम्भों की दूरी पर पहले से ट्रांसफार्मर रखी लाइन गुजरने के बावजूद कम राशि का एस्टीमेट बनाकर अनावश्यक ट्रांसफार्मर और रख निगम को लगभग दो लाख रुपये की आर्थिक हानि पहुंचा दी गयी, जबकि प्रार्थी से 5,000 रुपये रिश्वत के नहीं मिलने के कारण सही एस्टीमेट नहीं भेजा।

(डा. किरोड़ी लाल)

सहायक अभियंता से शिकायत की तो उसने भी 5,000 रुपये रिश्वत मांगी। कनिष्ठ अभियंता भदोरिया का स्थानान्तरण होने के बाद नये कनिष्ठ अभियंता श्री डी.के. गर्ग ने माननीय विद्युत मंत्रीजी पर 50,000 रुपये स्थानान्तरण फीस व दस हजार रुपये प्रति माह बन्धी विधायक कठूमर को देने की बात कहकर प्रार्थी आवेदक से 5,000 में से 2,000 रुपये की रिश्वत मांग ली। येनकेन प्रकारेण श्री गर्ग ने 5,000 में से 2,000 रुपये रिश्वत के रूप में प्रार्थी को परेशान कर ले ही लिये तथा 27.9.2002 को राशि रुपये 22,160 का डिमाण्ड नोटिस जमा कराया गया। इसके बाद शेष 3,000 रुपये की रिश्वत राशि वसूलने का भरसक प्रयास किया गया। कभी तार नहीं दिये, तो कभी समय पर सामान उपलब्ध नहीं कराया, तो ट्रांसफार्मर नहीं देने की धमकी दी। 13 जनवरी, 2003 को पूर्व विधायक श्री महेन्द्र शास्त्री द्वारा अधीक्षण अभियंता, अलवर से ट्रांसफार्मर अलाट कराया गया। अंत में विधायक लक्ष्मणगढ़ श्री राजेन्द्र गंडूरा ने सहायक अभियंता, खेड़ली पर दबाव बनाया, तब जाकर ट्रांसफार्मर दिया गया।

इस प्रकार प्रार्थी को एड़ी से चोटी का जोर लगाना पड़ा तब जाकर ट्रांसफार्मर मिला। इस बाबत प्रार्थी की शिकायत पर भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने भी कनिष्ठ अभियंता को रिश्वत लेने व 1,000 रुपये अधिशासी अभियंता, राजगढ़ को देने की बात टेप की। टेप निरोधक ब्यूरो के पास मौजूद है।

अत: माननीय ऊर्जा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि कनिष्ठ अभियंता भदोरिया, डी.के.गर्ग, सहायक अभियंता आर.के. तिवाड़ी, अधिशासी अभियंता राजगढ़ व अन्य दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करते हुए लोक महत्व के इस विषय पर नियम 295 के तहत विशेष उललेख प्रस्ताव की सूचना पर चर्चा की अनुमति दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री ज्ञानदेव आहूजा।

रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र की डार्क जोन से मुक्ति व वनों का विकास

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख डार्क जोन खतम करने एवं वनों का विकास विषयक।

मान्यवर, निवेदन है कि मेरा विधान सभा क्षेत्र डार्क जोन के अंतर्गत आता है जिसके कारण क्षेत्र की जनता को भारी परेशानी हो रही है। कुंओं के लोन आदि लेने में किसान मारे-मारे फिर रहे हैं। पूर्व कृषि मंत्रीजी ने इसे खतम करने के लिये कहा था किन्तु वह घोषणा मात्र रह गयी। कृपा कर इसे खतम कराने का आदेश सरकार को प्रसारित करने का कष्ट करें। साथ ही क्षेत्र में वनों की भारी कटाई हो रही है। इसे रोकने का प्रयास करते हुए नये पेड़ों को लगाने की वृहत् योजना भी वन विभाग बनाए ताकि क्षेत्र हरे पेड़ों से आच्छादित हो सके। इस हरियाली को बढ़ाने में मेरे क्षेत्र सहित सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि सहयोग करने को तैयार हैं। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री धर्मपाल चौधरी।

बूंदी की केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल

श्री धर्मपाल चौधरी (मण्डावर) : विशेष उल्लेख प्रस्ताव (प्रक्रिया के नियम 295 के

(श्री धर्मपाल चौधरी)

अंतर्गत) बूंदी जिले की सहकारी शुगर मिल के संबंध में।

महोदय, विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि बूंदी जिले की केशोरायपाटन सहकारी शुगर मिल्स राजस्थान की एक मात्र सहकारी चीनी मिल है। इससे क्षेत्र के किसानों, श्रमिकों एवं व्यवसायियों का सीधा संबंध है। यह मील इस क्षेत्र की धुरी है। इस मिल से दस करोड़ रुपयों का टर्न ओवर प्रति वर्ष जनता से होता आया है।

वर्ष 1997-98 में मिल के आधुनिकीकरण हेतु हमारी सरकार ने 352 लाख रुपये सहायता के लिये प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया था परन्तु वर्तमान सरकार ने सत्ता में आते ही मिल को सहायता उपलब्ध कराने के प्रस्ताव को नामंजूर कर दिया जिससे गन्ना विकास व आधुनिकीकरण के अभाव, गलत नीति, कुप्रबंधन के कारण वर्ष 1998 के पश्चात् 216 लाख की हानि उठानी पड़ी, जबकि इससे पूर्व में यह मिल चार करोड़ के लाभ में थी।

नेशनल फैडरेशन आफ काउपरेटिव शुगर फैक्ट्रीज लिमिटेड, नई दिल्ली द्वारा माह अप्रैल, 2000 में तथा एन.सी.डी.सी. द्वारा मिल चलाने की वायबिलिटी रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर भी मंत्रिमंडलीय उप समिति ने बंद करने का निर्णय रिपोर्ट को अंधेरे में रखकर कर लिया। वर्ष 2001-02 में मिल में उत्पादन बंद करने के कारण हानि उठानी पड़ी।

राज्य सरकार द्वारा जब 2000-2001 सत्र बंद करने का निर्णय लिया जा चुका था तो मिल प्रशासन को इस शर्त पर किसकी स्वीकृति/सहमति से 361.00 लाख का ऋण सहकारी संस्थाओं से दिलाया गया है कि मिल नहीं चलने पर इसका चुकारा ब्याज सहित मिल को बंद कर वसूल किया जाएगा। मिल को सहकारी संस्थाओं से उक्त राशि मिल प्रस्ताव केबिनेट मेमो द्वारा 352.00 लाख अंश पूंजी सहायता के विरुद्ध दिलाने पर भी मिल क्यों नहीं चलायी गयी और नहीं चलाने से होने वाली हानि व दिये गये ऋण व ब्याज के लिये कौन जिम्मेदार है?

सरकार ने इस मिल को बेचान करने की विज्ञप्ति निकाली तो इसकी कीमत मात्र दो करोड़ ही लगी। इसकी वर्तमान कीमत बुक वैल्यू से नहीं निकाली। कम कीमत लगने के कारण वहां की जनता ने भी इसका विरोध किया। इस मिल को वर्ष 1999 में बंद किया गया था, तब से ही आज तक यह बंद है। इस मिल में 570 कर्मचारी व मजदूर कार्यरत हैं और वर्ष 2000 से आज तक किसी कर्मचारी, मजदूर को वेतन का भुगतान नहीं किया गया। किन्तु लगातार सभी मजदूरों को बुलाया जा रहा है। मजदूरों को वर्ष 1999 तक की मजदूरी का भुगतान किया गया है जो भी हिन्डौली उप चुनाव के कारण। मजदूरों के सामंजस्य से मिल को चलाने की सलाह दी गयी थी। इस फैसले के खिलाफ सरकार डी.बी. में चली गयी, जिसका मामला विचाराधीन है। सिंगल बेंच ने तो यह भी निर्णय दिया था कि इनको मजदूरी का भुगतान किया जाए। अगर मिल का बेचान सरकार को करना है तो तीन साल से मजदूरों एवं कर्मचारियों को क्यों रख रखा है? सरकार तुरन्त मिल को बेचकर मजदूरों एवं कर्मचारियों का हिसाब चुकता कर दे जिससे वे

(श्री धर्मपाल चौधरी)

दूसरी जगह मजदूरी कर सकें और इन गरीब मजदूरों को न्याय मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : श्री बाबूलाल नागर।

(अनुपस्थित)

श्री मानिक चन्द सुराना।

सिद्धमुख नहर से कच्चे खालों द्वारा सिंचाई जल का वितरण

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत सिद्धमुख नहर के संबंध में विशेष उल्लेख।

महोदय, मैं प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के तहत सिद्धमुख नहर परियोजना के संबंध में निम्न विशेष उल्लेख करता हूं :-

सिद्धमुख नहर की क्षमता 80,025 हैक्टेयर में सिंचाई का पानी उपलब्ध कराने की है। सिद्धमुख नहर का डिस्चार्ज 535 क्यूसेक है और इसकी लागत 268.20 करोड़ रुपये है। 80,025 हैक्टेयर सिंचाई की क्षमता रखने वाली इस नहर में आज तक मोघे निर्माण का कार्य सम्पन्न न होने के कारण व चकों के सर्वे का कार्य सम्पन्न न किये जाने के कारण आज भादरा व नोहर तहसील की 3,20,000 बीघा भूमि सिंचाई सुविधा से महरूम हो रही है जो राजस्थान के लिये अत्यन्त लोक महत्व का विषय है।

सिद्धमुख नहर निर्माण के साथ नहर में मोघे न लगाया जाना व चकों का सर्वे करवाकर यह तय न करना कि किस चक को कौनसे मोघे से पानी मिलना है, एक ऐसा प्रशासनिक आपराधिक-किसान विरोधी कृत्य है, जिसके लिये राज्य सरकार के उच्चाधिकारियों, सिंचाई के अभियंताओं व राज्य सरकार को किसी भी प्रकार से माफ नहीं किया जा सकता।

सरकार द्वारा भादरा-नोहर क्षेत्र के इस सिंचित क्षेत्र में खालों का निर्माण करने के लिये 4,97,00,000 लाख रुपये की निविदाएं भी जारी की गयी थीं लेकिन उन निविदाओं का कार्य इस वित्तीय वर्ष के वित्तीय संसाधनों को मद्देनजर रखते हुए करवाने की बात कही गयी है। राज्य सरकार का यह सोच कि खालों के निर्माण के बिना किसानों के खेत में पानी नहीं पहुंच सकेगा, पूर्णतया अव्यवहारिक व अविवेकपूर्ण है क्योंकि 30 साल पूर्व बनी भादरा तहसील के लिये भाखरा नहर से सिंचाई का पानी प्राप्त कर रही अमर सिंह ब्रांच के बूंद-बूंद पानी का उपयोग आज बिना खाले बनाए इसी क्षेत्र के किसानों द्वारा किया जा रहा है।

नोहर व भादरा के किसान सिद्धमुख नहर व नोहर फीडर में मोघे न लगाने व गांवों के चक प्लानों का सर्वे न करवाये जाने के लिये पूर्णतया आंदोलित हैं। नोहर-भादरा में 15 मार्च को किसानों द्वारा व्यापक पैमाने पर धरने व प्रदर्शन किये गये। उक्त प्रदर्शनों की मुख्य मांग निम्न रही है :

1. नोहर फीडर, सिद्धमुख कैनाल, बसवाली-11 व अमरसिंह ब्रांच आदि समस्त नहरों में हरियाणा से अपने हिस्से का पूरा पानी नियमित व लगातार लिया जाए,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

2. नोहर फीडर, सिद्धमुख कैनाल के अंतर्गत चकबंदी सर्वे का कार्य शीघ्र पूरा किया जाए,

3. स्थायी मोघों का निर्माण शीघ्र किया जाए,

4. समस्त नहरों व माइनरों से पानी के समान वितरण हेतु बाराबंदी लागू की जाए।

अधीक्षण अभियंता ने आंदोलनकारियों को यह अवगत कराया है कि भादरा क्षेत्र के 28 चकों की व नोहर क्षेत्र के 22 चकों की चक प्लान स्कीमें स्वीकृत हो चुकी हैं। यह भी अवगत कराया गया है कि नोहर क्षेत्र के 86 चकों का सर्वे कार्य पूर्ण कर स्कीम प्लानिंग हेतु आई.डी.आर. यूनिट भिजवायी जा चुकी है। उक्त चक प्लानों के प्लान को राज्य सरकार द्वारा तत्काल स्वीकृत किया जाना आवश्यक है।

मैं इस सदन के माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करता हूं कि इस क्षेत्र में पक्के खाले बनाने से पूर्व ही किसानों को कच्चे खालों से सिद्धमुख नहर में मोघों का निर्माण कर सभी गांवों के चक प्लानों को शीघ्रातिशीघ्र स्वीकृत कर किसानों को अवसर प्रदान करें कि वे सिद्धमुख नहर की पूरी क्षमता के पानी को कच्चे खालों से अपने खेतों में इस खरीफ व आगामी रबी की बुवाई से पूर्व उपयोग कर सकें। इस हेतु आवश्यक कार्यवाही युद्ध स्तर पर सरकार द्वारा की जाए ताकि सिद्धमुख नहर के 535 क्यूसेक पानी का उपयोग होकर नोहर-भादरा के किसानों की 3,20,000 बीघा बारानी भूमि सिंचाई के पानी से सिंचित हो सके और सिद्धमुख नहर बनाने का उद्देश्य पूरा हो सके।

राज्य सरकार ने पूरे सिद्धमुख नहर फीडर क्षेत्र में खालों के निर्माण के लिये 176 करोड़ रुपये की आवश्यकता बतलाई है व दूसरी तरफ 487 लाख रुपये की खालों की निविदाओं में भी वर्क आर्डर जारी करने की अभी तक स्थिति नहीं आयी है। अतः यह आवश्यक है कि सरकार पक्के खाले बनाकर सिंचाई का पानी देने का मोह छोड़े और नहर में मोघे बनाकर कच्चे खालों से सिंचाई का पानी पूरे क्षेत्र को उपलब्ध कराने के महती कार्यक्रम को क्रियान्वित करे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप क्या कर रहे हैं? आप हाउस को भी आर्डर में नहीं रखते हैं। यह हाउस डिसआर्डर है। इसे पहले आर्डर में करिये। यह किस तरह से हो रहा है, कोई खड़ा है कोई बात कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री नाथूराम अहारी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : मैं आसन से निवेदन कर रही हूं, मैं आपसे निवेदन कर रही हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य विराजें।

श्री मानिक चन्द सुराना : यहां सिंचाई मंत्री जी मौजूद हैं, मैंने सिद्धमुख नहर का प्रश्न खड़ा किया है, माननीय सिंचाई मंत्री जी से कहें कि इसका उत्तर दें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय विद्युत मंत्री महोदय, माननीय सदस्या एतराज कर रही हैं। आपकी झुंझुनुं की माननीय सदस्या एतराज कर रही हैं। आप क्या कर रहे हैं। श्री नाथूराम अहारी।

राजस्थान में प्रशिक्षण प्राप्त उम्मीदवारों के चयन में प्राथमिकता

श्री नाथूराम अहारी (डूंगरपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान में एस.टी.सी., बी.एड., नर्स/कम्पाउण्डर ट्रेनिंग करते हैं लेकिन मैरिट में इनका नम्बर 65 प्रतिशत से नीचे रहता है। उक्त ट्रेनिंग बाहर के प्रांतों में भी होती है, वहां पैसे देकर ज्यादा से ज्यादा नम्बर प्राप्त कर लेते हैं। जब इंटरव्यू होता है, तब ऊंचे नम्बर वाले विद्यार्थियों का चयन हो जाता है। पैसों के बलबूते पर ज्यादा नम्बर होने से हमारे यहां के छात्र चयन से वंचित रह जाते हैं और बाहर के छात्र चयनित हो जाते हैं। कम नम्बर वाले जो वास्तविक हैं वे सारे के सारे रह जाते हैं।

अत: मेरी सरकार से मांग है कि सर्वप्रथम हमारे यहां के छात्र लिये जाएं और बाद में बाहर से ट्रेनिंग पाये हुए या बाहर से आये हुए छात्रों को लिया जाए, जिससे हमारे यहां के जो छात्र ट्रेनिंग किये हुए हैं, वे तमाम चयनित हो सकें। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री केसाराम चौधरी।

खारची विधान सभा क्षेत्र में सड़क उन्नयन हेतु स्वीकृत राशि का अपूर्ण उपयोग

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि खारची विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2001-2002 में 23 सड़कों की 60 किलोमीटर लम्बाई के सड़क उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण योजना के तहत 150 लाख रुपये की स्वीकृति जारी की गयी थी। लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र खारची में जो सड़कें बनायी गयी हैं वे काफी घटिया किस्म की सड़कें बनायी हैं, उनमें से काफी सड़कें टूट गयी हैं और बाकी सड़कों का कार्य अभी भी अपूर्ण पड़ा हुआ है।

जो सड़क आउवा से बाता वाया कराड़ी 13 किलोमीटर से 16 किलोमीटर तक बनानी थी उसके स्थान पर नया गांव से बाता सड़क का डामरीकरण करना। 3 किलोमीटर पूर्ण करना बताया है जबकि इस सड़क के बीच में 150 फीट अधूरी सड़क बिना डामर के है। एप्रोच रोड खारची जो 2 किलोमीटर स्वीकृत थी उसका भी 900 मीटर अधूरा कार्य छोड़ दिया गया है, जबकि वहां पर किसी तरह का पानी सड़क पर नहीं आता है। ए.आर. से इसाली वाया जानूदा 2 किलोमीटर करनी थी उसके स्थान पर 1.69 किलोमीटर ही सड़क की है। गुढ़ा मोखम सिंह से गुढ़ा केशर सिंह 0.75 किलोमीटर सड़क कम बनाई है तथा रपट को भी अधूरा छोड़ दिया है। ए.आर. से फुलाद एक किलोमीटर बनाई उसमें 170 मीटर सड़क पर रपट बनाकर उस पर डामर किया ही नहीं है। ए.आर. राणवास से राणवास स्टेशन 0.65 किलोमीटर सड़क बनानी थी, उसको बिलकुल बनाया ही नहीं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र खारची में जो 150 लाख रुपये की 60 किलोमीटर की सड़क बनायी जानी थी वहां पर राशि रुपये 100.92 लाख की लागत की 54.46 किलोमीटर की सड़क बनायी गयी है और बाकी स्वीकृत राशि रुपये 49.08 को

(श्री केसाराम चौधरी)

खारची विधान सभा क्षेत्र की सड़कों के लिए खर्च नहीं किया गया है। अत: जो राशि सड़क बनवाने में खर्च की गयी है, उसमें तकमीने के अनुसार जैसी सड़कें बननी चाहिये थीं वैसी सड़कें नहीं बनी हैं। अधिकारियों द्वारा हमारी अनुशंसा पर ध्यान नहीं देते हुए उत्तम किस्म की सामग्री नहीं लगायी गयी है, बनायी गयी सड़क दिन प्रतिदिन टूटती जा रही है। जहां पानी की वजह से सड़कों को नहीं बनाया गया है, वहां पर शेष राशि के साथ विधायक कोष से पैसे लगाकर सी.सी. रोड करवाने को भी तैयार हैं किन्तु उनको भी सरकार द्वारा सड़कों से पूर्ण नहीं करवाया जा रहा है, जिससे किये हुए कार्यों का भी पूर्ण रूप से मेरे क्षेत्र की जनता को लाभ नहीं मिल पा रहा है। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि अपूर्ण सड़कों को शेष बजट 49.08 लाख रुपये से पूर्ण करवाया जाए तथा उसमें कमी रहती है तो मेरे विधायक फण्ड से आवश्यकतानुसार मैं अनुशंसा के लिए तत्पर हूं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

बाली के राजकीय माध्यमिक विद्यालय, मुण्डारा का क्रमोन्नयन

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बाली, जिला पाली के राजकीय माध्यमिक विद्यालय मुण्डारा, माध्यमिक विद्यालय गुढ़ालास, लटाडा, शिवतलाब, लुणावा, कोटाबालियान, बारवां आदि सात माध्यमिक राजकीय विद्यालयों में अध्ययन पूर्ण कर चुके छात्र-छात्राओं को माध्यमिक स्तर का अध्ययन करने के बाद इस क्षेत्र में आस-पास नजदीकी एरियों में उच्चतर/उच्च माध्यमिक विद्यालय के अभाव के चलते माध्यमिक स्तर के बाद अपनी पढ़ाई बंद करनी पड़ती है। इसी समस्या के चलते अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्र/छात्राओं तथा सभी वर्ग की बालिकाओं का उच्च माध्यमिक स्तर का शैक्षणिक अनुपात तो बहुत ही कम है। इन स्कूलों से निकले हजारों साधन सम्पन्न या कुछेक छात्र 15 से 20 किलोमीटर की दूरी तय कर बाली या सादड़ी के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में पहुंच कर बड़ी मुश्किल से उच्च शिक्षा पाने का प्रयास कर रहे हैं। इनका भी अधिकांश समय, माता-पिता का धन इनके आवागमन पर खर्च हो रहा है।

अत: माननीय के समक्ष विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत कर निवेदन है कि मुण्डारा पंचायत जहां वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार 11 हजार से ज्यादा की आबादी है, लगभग 38 वर्ष पूर्व सन् 1965 में माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत की गयी राजकीय माध्यमिक विद्यालय मुण्डारा को उच्च माध्यमिक स्तर तक क्रमोन्नत किया जाए ताकि इस स्कूल की 6 किलोमीटर की परिधि में पड़ने वाले 6 राजकीय माध्यमिक विद्यालय क्रमश: 1. गढ़ालास 2. लटाडा 3. शिवतलाब 4. लुवाणा 5. कोटबालियान 6. बारवां आदि से निकले हजारों छात्र/छात्राओं को आसानी से उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा मिल सके। साथ ही अनुसूचित जाति/जनजाति बहुल क्षेत्र, बीपीएल चयनित परिवारों के आधिक्य तथा बालिका वर्ग की उच्च माध्यमिक स्तर की शिक्षा के न्यूनतम अनुपात को देखते हुए राजकीय माध्यमिक विद्यालय मुण्डारा को उच्च माध्यमिक स्तर तक

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

क्रमोन्नत किये जाने के इस लोक महत्व के विषय पर विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर अनुमति देकर सकारात्मक कार्यवाही की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री दिग्विजय सिंह।

सवाईमाधोपुर के ग्राम माधोसिंहपुरा की खसरा नम्बर 58 की भूमि का अवैध बेचान

श्री दिग्विजय सिंह (उनियारा) : उपाध्यक्ष महोदय, विधान सभा प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत निवेदन करना चाहता हूं कि राज्य सरकार के आदेश संख्या 2(355)राज./ग्रुप-3/81 दिनांक 6.12.82 के द्वारा ग्राम माधोसिंहपुरा में 49 बीघा जमीन अपनी तथा कथित खातेदारी की भूमि जो अनुपगढ़ जिला गंगानगर में श्री फतेहसिंह पुत्र श्री सगत सिंह राठौड़, निवासी चौरड़िया को एक्सचेंज में आबंटित की गयी थी, इसी भूमि का खसरा नम्बर 58 है और उसने 49 बीघा के स्थान पर अधिक भूमि अपने कब्जे में कर ली। श्री सिंह द्वारा खसरा नम्बर 58 की 49 बीघा भूमि में से 30 बीघा भूमि का बेचान मै. ई.आई.एच. लिमिटेड कोलकाता को जरिए पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 27.6.2000 के अंतर्गत कर दिया। इसके अलावा श्री फतेहसिंह द्वारा जो अधिक भूमि अपने कब्जे में ले ली गयी थी, उसको उन्होंने सर्व श्री हारून पुत्र निजाम निवासी 179 फातिमा मंजिल, अंबर कालोनी, उधाना सूरत (गुजरात), अमीन पुत्र मोहम्मद सिद्दीक कुरैशी निवासी 90/केक केस्ट, माडल टाउन, चार बंगला, अंधेरी पश्चिम, मुम्बई-53 (महाराष्ट्र) आदि 5 व्यक्तियों को बेच दिया, जिसके विरुद्ध उपरोक्त व्यक्तियों ने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर पीठ के समक्ष एस.बी. सिविल रिट याचिका संख्या 6741/2002 राज्य सरकार के विरुद्ध दायर करते हुए प्रार्थना की। याचिका गण की खातेदारी की भूमि को राजकीय भूमि बताकर उसे राज के कब्जे में ले लिया।

इस पर माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर पीठ ने उक्त रिट याचिका का निस्तारण करते हुए निर्णय दिनांक 22.10.02 के अंतर्गत निर्देश दिये कि याचिकाकर्ता जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर के समक्ष अभ्यावेदन एवं सबूत प्रस्तुत करें।

याचिकाकर्ताओं द्वारा दिनांक 2.11.02 को जिलाधीश, सवाईमाधोपुर के यहां अभ्यावेदन किया गया और उन्होंने अपने फैसले दिनांक 2.12.02 को निर्णय देते हुए यह माना है कि भूमि की माप व जांच करने के बाद यह बेचान की गई भूमि श्री फतेह सिंह पुत्र श्री सगत सिंह ने अवैध रूप से बेचान की है और उस 7 बीघा भूमि का कब्जा राज लेते हुए श्री फतेह सिंह पुत्र श्री सगत सिंह के विरुद्ध थाना कोतवाली, सवाईमाधोपुर में प्रथम सूचना 32/03, दिनांक 8.2.03 को तहसीलदार, सवाईमाधोपुर के माध्यम से दर्ज करायी जा चुकी है अंतर्गत धारा 402 आई पीसी। इस रिपोर्ट को दर्ज हुए लगभग डेढ़ माह हो गया है पर उस पर जिलाधीश, सवाईमाधोपुर व तहसीलदार, सवाईमाधोपुर द्वारा अभी तक पुलिस विभाग को कोई कागजात उपलब्ध नहीं कराए जा रहे हैं और वे मुलिजम को अपरोक्ष रूप से मदद कर रहे हैं।

अत: माननीय राजस्व मंत्री का ध्यान नियमों के नियम 295 की ओर दिलाते हुए श्री फतेह सिंह राठौड़ के विरुद्ध तुरन्त गिरफ्तार कर अग्रिम

(श्री दिग्विजय सिंह)

कार्यवाही की जाए, जिससे कि भविष्य में ऐसी कार्यवाही करने का साहस नहीं हो।

झुंझुनुं जिले के ग्राम बुडाना की कब्रिस्तान भूमि का परिवर्तन

श्री उपाध्यक्ष : श्रीमती सुमित्रा सिंह।

श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनुं) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के जरिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि राजस्थान सरकार ने नियमों तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के विपरीत मनमाना एवं अद्‌भुत फैसला करके अपनी हठधर्मिता एवं व्यक्ति विशेष के पक्ष में फैसला करके न केवल अल्पसंख्यकों और ग्राम पंचायत की स्वायत्तता को ही ठेस पहुंचाई है, अपितु कानून की अवहेलना करके अपनी साख भी गिराई है।

झुन्झुनुं जिले में झुन्झुनुं शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम बुडाना बसा हुआ है। इस ग्राम के खसरा नम्बर 662 एवं 663 पर कुल 7 बीघा 14 बिस्वा जमीन कब्रिस्तान के नाम से वर्षों से काम में आ रही है। खसरा नम्बर 662 में 14 बिस्वा तथा 663 में 7 बीघा जमीन है जिस पर जिलानी पुत्र मजीद खान पठान ने कब्रिस्तान की भूमि पर अतिक्रमण करना प्रारम्भ किया। इसकी शिकायत वहां के निवासियों ने तत्कालीन वक्फ मंत्री श्री अब्दुल अजीज को की। जिस पर 22.11.01 को उन्होंने जिला कलेक्टर, झुन्झुनुं को इस मामले में देखने के लिए लिखा।

इस बीच ग्रामीणों ने ग्राम पंचायत में भी शिकायत की। पंचायत ने तामीर रोक दी, कार्य रुक गया। परन्तु फिर ग्राम पंचायत के सरपंच ने पंचों के फर्जी दस्तखतों से जिला कलेक्टर को कब्रिस्तान के आबादी विस्तार हेतु लिखा। पंचों ने फौरन कलेक्टर को शिकायत की कि कब्रिस्तान की आबादी विस्तार हेतु यदि कोई निर्णय सरपंच बुडाना ने किया है तो इस पर हमारे दस्तखत फर्जी किए गए हैं तथा यदि ऐसा किया गया तो वहां साम्प्रदायिक तनाव पैदा होगा और उसके परिणाम खतरनाक होंगे। हम कब्रिस्तान को यथावत रखना चाहते हैं।

इसके बावजूद तत्कालीन जिला कलक्टर ने कब्रिस्तान के खसरा नम्बर 662-663 को आबादी में तथा खसरा नम्बर 664 को कब्रिस्तान में परिवर्तित करने हेतु राज्य सरकार को लिख दिया। राज्य सरकार की तत्परता देखिए कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की अवहेलना करके वक्फ बोर्ड की सम्पत्ति में हेराफेरी करने का दुस्साहस कर दिखाया।

उप मुख्य मंत्रीजी जो राजस्व मंत्रीजी भी हैं, किस प्रकार बिना सोचे समझे, किसके प्रभाव में आकर इस प्रकार कब्रिस्तान की जमीन में परिवर्तित करने के आदेश कर दिये, यह तो वे ही जानें।

व्यक्ति विशेष को नियमों को ताक में रखकर तथा सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना करके फायदा पहुंचाने का इससे बढ़कर और कोई नमूना शायद ही होगा।

यह सरकार स्वच्छंद एवं निरंकुश तरीके से कार्य कर रही है। कल ही विधान सभा में राज्य सरकार के वक्फ मंत्री ने स्पष्ट घोषणा की थी कि

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

वक्फ बोर्ड में जो सम्पत्ति दर्ज है, उसका यदि जिले के रेवेन्यू रिकार्ड में इन्द्राज नहीं भी है तो भी उसे खुर्दबुर्द करने का या परिवर्तित करने का किसी को भी यानि राज्य सरकार को भी अधिकार नहीं है। परन्तु राज्य सरकार ने अनजाने या जानबूझकर गम्भीर अनियमितता की है।

अत: मैं चाहूंगी कि राज्य सरकार अपने गलत और गैर कानूनी आदेश को निरस्त करे अन्यथा बुडाना का नहीं अपितु राजस्थान का अल्प संख्यक समुदाय उद्वेलित हो उठेगा जिसके अति गम्भीर परिणाम होंगे।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह रजिस्ट्रेशन राजस्थान बोर्ड आफ मुस्लिम वक्फ ने और माननीय उप मुख्य मंत्रीजी यहां विराज रही है, जिन्होंने यह काम किया है, इसलिए मैं चाहूंगी कि अब इस गलती को दुरुस्त करें।

डा. (श्रीमती) कमला (उप मुख्य मंत्री) : माननीय सदस्या ने जो मुद्दा यहां उठाया, इस बाबत उन्होंने मुझे भी कुछ दिन पहले एक आवेदन दिया था। मैंने कलक्टर से उसकी रिपोर्ट मांगी है और अगर उसमें कोई भी इस प्रकार की अनियमितता और विधि के विपरीत कोई कार्य करने की बात की पुष्टि होती है तो उसकी समुचित कार्यवाही करने में कोई हिचक नहीं होगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : वह ठीक है। धन्यवाद आपको इसके लिए। लेकिन मैंने तो जिला कलक्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड के अंदर तो होगा वह इन्द्राज, लेकिन चूंकि यहां रेवेन्यू रिकार्ड में इन्द्राज नहीं है इसलिए हो सकता है कि यह गलत कर दिया हो। लेकिन चूंकि कल ही इसी विधान सभा के प्रांगण में वक्फ मंत्रीजी ने कहा कि अगर इस तरह का इन्द्राज नहीं भी हो तो उनको दुरुस्त करने के लिए कह दिया। अभी चल रहा है और उसमें शायद कर दिया जाएगा।

डा. (श्रीमती) कमला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी पिछले दिनों जो प्रशासन गांवों के संग अभियान चलाया था, उसमें बाकायदा सारे अधिकारियों को बहुत पाबन्दी से यह कह दिया गया था कि जहां भी करेक्शन आफ रिकार्ड्स का मामला हो, उसको आप इसके अंदर करें। उसके बावजूद यह भी आपको जानकारी होगी कि जो अधिकृत अधिकारी हैं, उनको साल भर जहां कहीं उसके नोटिस में आए कि एक्चुअल पजेशन किसी का है और रिकार्ड में इन्द्राज कुछ और है तो करेक्शन आफ रिकार्ड का अधिकार भी उनको दिया हुआ है, फिर भी अगर उस कैम्प में भी नहीं हुआ, वे अपने अधिकार को उपयोग में भी नहीं ले रहे हैं और इस तरह की स्थिति पैदा हुई है तो जल्दी से जल्दी इसकी बाबत में कार्यवाही करूंगी।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : थैंक यू। धन्यवाद।

पिलानी के बाबा मुगिया पोलीटैक्निक कालेज के छात्रों का स्थानान्तरण

श्री उपाध्यक्ष : डाक्टर रघुवीर सिंह।

डा. रघुवीर सिंह गौड़ (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम

(डा. रघुवीर सिंह गौड़)

295 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के जरिये निवेदन करना चाहता हूं कि मार्च, 2001 में जारी विज्ञप्ति में राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ–5/144/डीटीई/ई–2/बीएएमपी/99–2000/1276 दिनांक 28.02.02 के अनुसार सिविल/इले. इंजीनियरिंग (तीन वर्षीय डिप्लोमा) में प्रवेश हेतु आमंत्रित किए गए थे।

(क) इस कालेज में प्रथम वर्ष से तृतीय वर्ष तक लगभग 156 (90 + 60 + 6) विद्यार्थी नामांकित हैं।

(ख) बोर्ड आफ टैक्निकल एजुकेशन राजस्थान, जोधपुर से यह संस्था एफिलिएटेड है।

(ग) ए. आई. सी. टी. ई. द्वारा भी यह एप्रूव्ड है। ई.एस.टी.डी. दिनांक 1983 से संस्थापित है।

(घ) बी.टी.ई.आर. जोधपुर द्वारा समय समय पर सैशनल्स प्रैक्टिकल्स बोर्ड एक्जाम्स नियमानुसार करवाए जाते रहे हैं।

वर्तमान स्थिति यह है कि :

(1) अगस्त-सितम्बर, 2002 से कालेज तालाबंद है। लम्बे समय से स्टाफ को वेतन नहीं देने के कारण वे भी नदारद हैं।

(2) छात्रों द्वारा बार–बार बी.टी.ई.आर., जोधपुर को सूचित करने पर माह नवम्बर, 2002 में सहायक निदेशक द्वारा निरीक्षण किया गया तथा उन्हें भी तालाबंद कालेज से रूबरू होना पड़ा।

(3) 9.12.02 को बी.टी.ई.आर., जोधपुर द्वारा सहायक निदेशक श्री डी.एस. यादव व उप निदेशक श्री मेहता को कालेज के छात्रों से लिखित जांच के लिए भेजा गया।

(4) छात्रों ने लिखित में अपनी शिकायत व कालेज में भ्रष्ट अनियमितता के बारे में बताया। बोर्ड अधिकारियों द्वारा 10–15 दिनों में कार्यवाही कर स्थानान्तरण राज्य के अन्य कालेजों में करने का आश्वासन दिया।

(5) तब से आज तक उक्त सभी विद्यार्थी लगभग 4 महीनों से घर बैठे भविष्य को कोस रहे हैं।

(6) बोर्ड के निदेशक का कहना है कि कालेज को बंद करना सरकार का काम है। बंद होने पर ही स्थानान्तरण सम्भव होगा।

अत: लोक महत्व के उक्त विषय पर विशेष उल्लेख प्रस्ताव के जरिये माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित कर निवेदन है कि राष्ट्र के भविष्य बाबा मुगिया पोलीटेक्निक कालेज, पिलानी के छात्रों को अन्य महाविद्यालय में अविलम्ब स्थानान्तरण कर इनके सुचारू अध्ययन की व्यवस्था की जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय..

श्री उपाध्यक्ष : आपका पढ़ा हुआ मान लेंगे। पढ़ा नहीं सकते। डा. रामप्रताप।

मोहम्मद माहिर आजाद : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने एक ही नहीं पढ़ा पूरे सैशन में।

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रताप।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, दो मिनट लगेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : इनका तो निवेदन मान लिया, मेरा नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, विराजिए। ये लैक्सिटी दे रहे हैं जो ही बहुत है, आपके पास जवाब आ जाएगा सरकार का।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ इंफोर्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष : और माननीय सदस्य जिनके 295 रह गये उन सबको मान लिया। नहीं आए तो पढ़ा हुआ मानकर आपके पास जवाब आ जाएगा। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, उनसे पढ़वाया तो मेरे साथ ही अन्याय क्यों?

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रताप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मेरे विधान सभा क्षेत्र के जेबला में...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : एक मिनट लगेगी।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : सर, पाइंट आफ इंफार्मेशन।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, विराजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मेरे विधान सभा क्षेत्र के जेबला गांव में हिन्दू और मुस्लिम समुदाय के बीच झगड़ा हो गया है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। विराजिए। अंकित न हो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : अंकित न हो। आप विराजिए। डा. रामप्रताप। आप विराजिए प्लीज। माननीय सदस्य, आप विराजिए। काहे को कह रहे हैं आप? क्या है? आप विराजो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो। डा. रामप्रताप।

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : घटना सभी जगह होती है, लेकिन उसमें तरीका होता है, ऐसा नहीं होता है। ऐसे नहीं आती कोई घटना। आप कोई इश्यू लाइए, नोटिस दीजिए। जवाब मंगाएंगे।

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : xxx

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं। डा. रामप्रताप। आप विराजो प्लीज। अंकित नहीं होगा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो, माननीय सदस्य। माननीय प्रताप सिंह जी, विराजिए। आप विराजिए। आप विराजिए।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : क्या करें इसमें? अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए प्लीज। अंकित नहीं होगा। आप बैठिए, बैठिए।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय दिलावर जी, आप बैठिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रताप। आप विराजिए प्लीज। आप विराजो। डा. रामप्रताप।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : डा. रामप्रताप (व्यवधान)। हो गया न प्लीज। विराजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रताप सिंह जी। माननीय प्रताप सिंह जी।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ×××

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, मैंने न समय दिया, न अंकित हुआ। समय भी नहीं दिया और अंकित भी नहीं हुआ। डा. रामप्रताप।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

हनुमानगढ़ में स्थापित आई.पी.एम. लेबोरेटरी का संचालन और पेस्टिसाइड्स के अंधाधुंध प्रयोग के दुष्प्रभाव

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान का किसान अपने स्वयं के प्रयासों से, मैं स्वयं के प्रयासों से इसलिए कह रहा हूं दिस गवर्नमेंट ऑर माई गवर्नमेंट, कोई–सी सरकार रही है, राजस्थान के कृषि विभाग का सहयोग नगण्य रहा है। तो उसने अपने स्वयं के प्रयास से अच्छे बीज, फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके राष्ट्रीय स्तर पर अन्न उत्पादन में, चाहे काटन का उत्पादन हो, अपना योगदान दिया है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है, उपाध्यक्ष महोदय, कि पिछले कुछ सालों से पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल इतने अंधाधुंध तरीके से किया गया, अंधाधुंध शब्द का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूं कि उसको कोई गाइड करने वाला या जानकारी देने वाला नहीं था, एक किस्म के पेस्टिसाइड् का इस्तेमाल किया। उसका नतीजा नहीं आया तो वह कहीं से पूछता है कि यह महंगी दवाई है, इसको इस्तेमाल करो तो वह दूसरी इस्तेमाल करता है। इस तरीके से नतीजा यह निकला जैसे काटन की फसल है,

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामप्रताप)

6-6, 7-7 फुट तक बढ़ जाती है, लेकिन उसके ऊपर एक भी काटन का बाल नहीं लगता, घास की तरह से वह खड़ी रहती है। नतीजा यह हुआ कि पिछले दो-तीन साल में 90 से लेकर शत प्रतिशत तक फसलें बरबाद हो गईं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, फसलें ही बरबाद नहीं हुईं जब पेस्टिसाइड्स का आप इस्तेमाल करते हो तो जहां वह बीमारी वाले कीट को खतम करती है, वहीं निश्चित तौर पर जो मित्र कीट हैं वे भी उस पेस्टिसाइड से खतम होते हैं। तो फसल को बचाने के लिए जो कुदरती तौर पर मित्र कीट थे उनका भी नाश हुआ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इसके साथ-साथ मैं एक बहुत ही गम्भीर विषय की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। मैंने विशेषज्ञों से राय ली है, बीकानेर मेडिकल कालेज के प्रिंसिपल जो कि खुद कैंसर के विशेषज्ञ हैं, उन्होंने मुझे खुद बताया कि ज्यादा पेस्टिसाइड्स के इस्तेमाल से कैंसर और हार्ट अटैक जैसी भयंकर बीमारियों का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। ऐसी स्थिति में, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्र सरकार के सहयोग से राज्य सरकार ने पूरे प्रदेश में 8 आई.पी.एम. लेबोरेटरीज की स्थापना की, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट के लिए, मित्र कीट के लिए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां विशेष तौर से आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, पूरे बीकानेर डिवीजन के लिए हनुमानगढ़ जिला मुख्यालय पर एक आई.पी.एम. लेबोरेटरी की स्थापना की गई। कृषि विभाग ने 18 जनवरी, 2003 को आदेश निकाला और उस आदेश के हिसाब से बाकी की 7 लेबारेटरीज ने डिप्टी डाइरेक्टर स्तर के अधिकारी नियुक्त किये, लेकिन हनुमानगढ़ की लेबोरेटरी है, उसका संचालन एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी कर रहा है। 31 लाख रुपये वहां पर हमने इंवेस्ट कर दिये, पैसा चाहे केन्द्र सरकार से मिलता हो, चाहे राज्य सरकार का हो, पैसा हमारा है, उस पैसे का सदुपयोग होना चाहिए। किसान मारा-मारा फिर रहा है मित्र कीट लेने के लिए। या तो वह प्राइवेट डीलर्स के पास जाता है या पास पड़ोस के प्रदेशों से जाकर लेकर आता है। उसका नतीजा यह होता है उसे पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से वह अंधाधुंध पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल कर रहा है। हमारे अन्न उत्पादन में इसका बड़ा भारी असर पड़ने जा रहा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कल इसका जिक्र किया था कि अचानक पूरे बीकानेर डिवीजन के अंदर एक लहलहाती फसल को 10 दिन के अंदर तेलिया नामक कीट ने पूरी की पूरी लील लिया, लाखों एकड़ भूमि के अंदर वह फसल खड़ी थी। इसलिए आपसे आग्रह है कि राज्य सरकार कम से कम ऐसे मामले में, मैं यह नहीं करता कि दूसरी 7 लेबोरेटरीज में क्यों डिप्टी डाइरेक्टर लगाये गये, निश्चित तौर पर जहां पर हमने लेबोरेटरी की स्थापना की है, वहां पर पूरे वैज्ञानिक होने चाहिए जिससे कि वे मित्र कीट उत्पादन में सहयोग कर सकें, लेकिन पूरे बीकानेर डिवीजन में हनुमानगढ़ जैसे महत्वपूर्ण स्थान पर आज की तारीख में एक फोर्थ क्लास आदमी उसको मैनेज कर रहा है, जबकि उसके संस्थापन पर कम से कम हम डेढ़-दो लाख रुपये व्यय कर रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : फोर्थ क्लास ही?

श्री रामप्रताप : यस। आन रिकार्ड है। यह ऑन रिकार्ड है कि एक फोर्थ क्लास उसको मैनेज

(श्री रामप्रताप)

कर रहा है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा आग्रह है, कृषि मंत्रीजी यहां नहीं है, लेकिन इस व्यवस्था को देखें और इस किस्म का जो आपके नीचे बैठे हुए अधिकारी कर रहे हैं, कम से कम उनको कुछ प्रताड़ित तो करें कि यह क्या हो रहा है इस तरीके से? इसलिए आपके माध्यम से मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कृषि मंत्रीजी से, उप मुख्य मंत्रीजी बैठी हैं, लेकिन इनकी जानकारी में शायद नहीं होगा, आप निर्देशित करें कि इसमें व्यवस्था की जाए जिससे कि हमने जो पैसा इंवेस्ट किया है, उसका लाभ मिले और जो भयंकर रूप से अंधाधुंध पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर रोक लगे। बहुत बहुत धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मेरा पाइंट आफ इंफार्मेशन है।

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय..

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। आप विराजो प्लीज। विराजिए।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : नहीं, सर मेरा बहुत महत्वपूर्ण मामला है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। कोई पाइंट ऑफ इंफार्मेशन नहीं है। आप विराजिए। (व्यवधान) आप विराजिए।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आज अंतिम दिन है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। श्री संयम लोढ़ा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, आज तो बोलने का मौका देना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : बोल चुके।

श्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ : जब इस तरह का सम्प्रदायवाद...(व्यवधान) आप आगे बढ़कर कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : श्री संयम लोढ़ा।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कोई मोहम्मद हुसैन, ए.एस.आई. जांच कर रहा है। उसकी जगह कोई दूसरा जांच अधिकारी लगाएं।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए। आप विराजिए, आ गया। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह छबड़ा में दूसरी बार घटना हुई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, 15 दिन के अंदर-अंदर दूसरी बार घटना हुई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो। आप विराजो पहले।

श्री मदन दिलावर : बहुत गम्भीर मामला है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो।

श्री मदन दिलावर : वह शांत एरिया अशांत हो जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो। आप बैठिए। आप क्या बताना चाहते हो? पहले मुझे लिखकर दो क्या पाइंट आफ इंफार्मेशन है।

भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को संसाधनों की उपलब्धता

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से बोलते हुए आपके माध्यम से राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री और हमारे भ्रष्टाचार निरोधक विभाग के मंत्री को बधाई देते हुए अपनी बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने इन चार सालों में अपनी पूरी प्रतिबद्धता रखते हुए और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को पूरी स्वतंत्रता देते हुए राजस्थान में काम करने की चेष्टा की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, पूर्ववर्ती सरकार के वक्त में....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी पर्ची क्या है और क्या बोल रहे हैं?

श्री संयम लोढ़ा : अब मैं वही बात निवेदन कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : क्या बोल रहे हो आप?

श्री संयम लोढ़ा : मैं स्वच्छ प्रशासन के उपाय बता रहा हूं, आप दो मिनट सुन लीजिए, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : मैं सुन रहा हूं इसलिए कह रहा हूं।

श्री संयम लोढ़ा : हां, तो मैं उसी पर आ रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी पर्ची को पढ़ूं क्या मैं?

श्री संयम लोढ़ा : मैं जो कह रहा हूं वह तो सुनिए आप।

श्री उपाध्यक्ष : मैं तो नहीं सुन सकता, सुनूंगा वही जो इसमें लिखा है।

श्री संयम लोढ़ा : मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग बहुत अच्छा काम कर रहा है लेकिन आप जाकर उनके कार्यालयों की स्थिति देखें कि उनके पास क्या संसाधन हैं। आज आवश्यकता इस बात की है कि अगर हम स्वच्छ प्रशासन लोगों को उपलब्ध कराना चाहते हैं, हमारे नेता स्वर्गीय राजीव गांधी यह बात कहते थे कि मैं एक रुपया भेजता हूं और 15 पैसे पहुंचते हैं। आज जरूरत इस बात की है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को ताकतवर बनाया जाए, उसको संसाधन उपलब्ध कराये जाएं। आज जालौर और सिरोही जिले के अंदर एक डी.वाई.एस.पी. बैठा हुआ है उसके पास मोटर साइकिल नहीं, उसके पास गाड़ी नहीं। आप देखिये, अभी जोधपुर में 40 लाख रुपये का मुख्य अभियंता का घोटाला ए.सी.डी. ने पकड़ा है। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इस महकमे को पूरी तरह ताकतवर बनाना चाहिए और भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को एक स्वतंत्र कैडर खड़ा करना चाहिए जिससे हम जो प्रयास करते हैं, इस राजस्थान की विधान सभा के माध्यम से वास्तविक रूप से लोगों को उसका लाभ मिले।

(श्री संयम लोढ़ा)

उपाध्यक्ष महोदय, सदन में उप मुख्य मंत्री महोदया विराजमान हैं, प्रतिपक्ष के नेता महोदय भी विराजमान हैं, हम सब जानते हैं कि राजस्थान की वित्तीय स्थिति कैसी है और इन परिस्थितियों में सरकार की अपनी सीमाएं हैं पैसे और साधन देने की, मैं आपके माध्यम से दोनों से ही यह निवेदन करना चाहता हूं कि बैठकर तय करें और विधायक स्थानीय क्षेत्रीय विकास योजना से हर विधायक से 5-5 लाख रुपये लेकर 10 करोड़ रुपये इस ए.सी.डी. को उपलब्ध कराएं जिससे कि राजस्थान का आम आदमी इस सरकार के माध्यम से लाभान्वित होना चाहता है, अच्छे प्रशासन के माध्यम से लाभान्वित होना चाहता है वह लाभ उसको प्राप्त हो सके। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं यही निवेदन कर रहा हूं।

अजमेर के 'ढाई दिन का झोपड़ा' का नाम परिवर्तन

श्री उपाध्यक्ष : श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अजमेर के विश्वविख्यात धार्मिक दरगाह के पीछे सड़क के दाहिनी ओर जमीन से थोड़ी ऊंचाई पर एक विश्वविख्यात संस्कृत महाविद्यालय व स्थापत्य कला से परिपूर्ण हिन्दू मंदिर था, मैं कला और संस्कृति, पर्यटन विभाग ने जो पुस्तिका जारी की है उसमें जो लिखा है उसको हूबहू पढ़ रहा हूं।

स्थापत्य कला से परिपूर्ण हिन्दू मन्दिर था। भारत के प्रथम चौहान सम्राट बीसलदेव ने सन् 1153 के लगभग इसे बनाया था। अजमेर पर विजय प्राप्त करने के बाद शहाबुद्दीन गौरी ने इस महाविद्यालय को मस्जिद के रूप में परिवर्तित करने का आदेश दिया। जिस आदेश की क्रियान्विति सुल्तान शम्सुद्दीन अल्तमज के समय में सन् 1213 में पूरी हुई। परिवर्तन के समय सात मेहराब बनाये गये, तीन केन्द्रीय मेहराब तीन पंक्तियों की लिखावट में घिरे हुए हैं। ये लिखावट की पंक्तियां पीले पत्थर पर अरबी तथा सूफी लिपि में खुदी हुई हैं। परिवर्तित भवन का नाम ढाई दिन का झोपड़ा उस समय पड़ा जब मुसलमान फकीर पंजाबशाह ढाई दिन का उर्स मनाने यहां आये थे। इस स्थान पर संस्कृत के अनेक शिलालेख उपलब्ध हैं। यहां से प्राप्त लगभग 100 स्थापत्य के सुन्दर नमूने जिनमें कीर्ति मुकुट, नटराज तांडव नृत्य की मुद्रा मूर्तियां तथा चामुण्डा, कुबेर आदि की मूर्तियां अजमेर स्थित संग्रहालय में उपलब्ध हैं। कर्नल टाड ने झोपड़े के दालान के खम्भों की बनावट को अद्वितीय बताते हुए हिन्दू शिल्प कला का चरम उत्कर्ष प्रदर्शित करने वाले प्राचीनतम स्मारकों में इसकी गणना की है। जब कि भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के एक भूतपूर्व महानिदेशक श्री कनिंधम ने इस इमारत को अब तक संसार में बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतों की स्पर्धा में अग्रणीय स्थान प्राप्त करने के योग्य माना है। कारीगरी की कष्टसाध्य यथार्थता और बारीकी की असीम विभिन्नताओं का श्रेय उन्होंने हिन्दू कारीगरों को ही दिया है।

यही नहीं, श्रीमान् महाविद्यालय व मंदिरों की दीवारों पर उकेरी हुई देवी-देवताओं की मूर्तियों में कमल के फूल दिखाई दे रहे हैं जिस पर छैन्नियों से ठोक-ठोक कर, तोड़ कर कुरान की आयतें बाद में लिखी गयी हैं। खम्भों पर सीढ़ियों में भी मूर्तियों को तोड़-तोड़ कर लगाया हुआ है। उक्त

(श्री मदन दिलावर)

स्थान पर खुदाई में संस्कृत काव्य निकला है जो अकबर के बिला संग्रहालय में रखा है। यह संस्कृत काव्य पत्थर की पट्टिकाओं पर लिखा हुआ है तथा साइड में...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आपकी पर्ची यह है कि इसका नाम बदल दिया।

श्री मदन दिलावर : हां, यही कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह इसी पर आ रहे हैं।

श्री मदन दिलावर : मेरी यह पूरी हो जाए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये ऐतिहासिक विरासतें हैं, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप काहे को बोल रहे हो?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और इस सदन के अन्दर ऐतिहासिक विरासत और ऐतिहासिक विरासत का किस तरह...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय राठौड़ साहब, इस मामले में ये आपसे ज्यादा एक्सपर्ट हैं, आप काहे को बोल रहे हैं?

श्री मदन दिलावर : जो अकबर के बिला संग्रहालय में रखा हुआ है। यह संस्कृत काव्य पत्थर की पट्टिकाओं पर लिखा हुआ है तथा साइड के गोदाम पर पत्थर पड़े हुए हैं उस पर मूर्तियां उकेरी हुई हैं। पदम्भूषण प्रोफेसर बी.बी. लाल द्वारा भी इसकी पुष्टि की गई है। राजस्थान सरकार द्वारा प्रस्तावित सुजस वार्षिकी 1998 के पृष्ठ संख्या 366 पर जिला दर्शन अजमेर के दर्शनीय स्थल ढाई दिन का झोपड़ा पैरा में लिखा हुआ है। यही नहीं, सरिता प्रथम 1999 के पृष्ठ संख्या 124 पर अजमेर कैसे जाएं के पैरा ढाई दिन का झोपड़ा में भी इसका उल्लेख किया है कि वहां मंदिर संस्कृत/महाविद्यालय को तोड़कर यह झोपड़ा बनाया गया है। यही नहीं, श्रीमान् जब हम वहां ढाई दिन का झोपड़ा देखने के लिए जाते हैं तो सर्वप्रथम हमारे पूज्य देवी-देवताओं की टूटी हुई मूर्तियों से जो सीढ़ियां बनाई हुई हैं, उन पर पैर रखकर चढ़ना पड़ता है। यह ढाई दिन का झोपड़ा इसलिए बनाया हुआ है कि हिन्दुओं को अपमानित कैसे किया जा सके, हिन्दुओं के देवी-देवताओं का अपमान कैसे किया जा सके, इसलिए इस मंदिर को तोड़ कर यहां ढाई दिन का झोपड़ा नाम कहलाया है, संस्कृत महाविद्यालय को तोड़कर बनाया हुआ है। मेरी मांग है सरकार से कि इस 'ढाई दिन का झोपड़ा' का नाम बदला जाए और इसको पुनः संस्कृत महाविद्यालय और मंदिर में परिवर्तित किया जाए, इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं यदि आप हिन्दुओं का सम्मान करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खान।

श्री मदन दिलावर : आप देवी-देवताओं में विश्वास रखते हैं, आप हमारे सम्मान की रक्षा करना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रमजान खान।

श्री मदन दिलावर : तो, श्रीमान्, यह 'ढाई दिन का झोपड़ा' वह हमारे माथे पर कलंक है।

श्री उपाध्यक्ष : हां, विराजो, हो गया, हो गया।

श्री मदन दिलावर : यह कलंक है। पूरे हिन्दू समाज को अपमानित कर रहा है, यह हमारे स्वाभिमान को ठेस पहुंचा रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजे प्लीज।

श्री मदन दिलावर : इसलिए इस ढाई दिन का झोपड़ा का नाम बदलकर...

श्री उपाध्यक्ष : अब विराजिये, हो गयी न बात। आपने डिमाण्ड कर ली, खतम हो गया, आप विराजें।

श्री मदन दिलावर : इसको संस्कृत महाविद्यालय और मंदिर में परिवर्तित किया जाए, अन्यथा यह रामजन्म भूमि की तरह राजस्थान में भी एक बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है क्योंकि हिन्दू उद्वेलित हैं। श्रीमान्, ढाई दिन का झोपड़ा नामक जो कलंक है हमारे माथे पर है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री मदन दिलावर : हमारे कलंक लगा हुआ है उसको हटाया जाए, यह हमारा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय श्री रमजान खान।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : जवाब दो सरकार की तरफ से, आप संवेदनशील सरकार के मंत्री हो। जवाब दो, विधि मंत्रीजी।

चूरू जिले के दूधवाखारा के थानेदार के निलम्बन की मांग

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, आप बोलिये।

श्री रमजान खान (पुष्कर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं पर्ची के माध्यम से आपका ध्यान ऐसे पुलिस अधिकारियों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं, जिन पुलिस अधिकारियों की वजह से गांव के अंदर आपस में भाई-चारा खतम हो, साम्प्रदायिकता फैले, जो हठधर्मी, अहंकार से भरे हुए पुलिस आफिसर हैं। चूरू जिले के गांव राणासर में दिनांक 17.3.2003 को होली के दिन, यह एक परम्परा रही है, उपाध्यक्ष महोदय, कि होली का त्यौहार हो, चाहे दीवाली का त्यौहार हो, चाहे ईद का त्यौहार हो, गांव के अन्दर हिन्दू और मुसलमान सब मिलकर उस त्यौहार को मानते हैं और उसी सन्दर्भ में गांव राणासर में भी हिन्दू और मुसलमान मिलकर होली का त्यौहार मना रहे थे। राणासर गांव के अन्दर एक परम्परा रही है, दूसरे गांव में तो पटाखे दीवाली के त्यौहार पर छोड़े जाते हैं परन्तु राणासर गांव में पटाखे होली के त्यौहार पर छोड़ते हैं। तो कुछ बच्चे आपस में पटाखे छोड़ रहे थे और एकाध पटाखे औरतों के समूह में जाकर गिरे, उसकी वजह से गांव में थोड़ा तनाव पैदा हो गया। परन्तु आपस की समझाइश से दूसरे समुदाय के लोग थे, अपने घरों में चले गये और वह बात वहां की वहां खतम हो गई। करीबन रात के तीन बजे होली का दहन हुआ, बड़े शांतिपूर्ण ढंग से होली वहां पर लोगों ने जलाई।

(13.00 बजे)

दूसरे दिन धुलण्डी के दिन भी किसी प्रकार का कोई खराब वातावरण वहां पर नहीं था परन्तु वहां दूधवाखारा के एस एच ओ संदीप शर्मा हैं वो 19.03.2003 को रात्रि के समय गांव राणासर में आये। वो दोनों ही समुदायों के पास गये और उन्होंने कहा कि आपने एफ आई आर लाज कराई क्या? हिन्दुओं ने भी कहा कि हम एफ. आई. आर. लाज नहीं कराना चाहते, मुसलमानों ने भी कहा कि हम एफ आई आर लाज नहीं कराना चाहते, हमने आपस में हमारी समझाइश कर ली है इसलिए हम किसी प्रकार का वातावरण

(श्री रमजान खान)

खराब नहीं करना चाहते। कुछ मुसलमान युवक थानेदार से भिड़ गये, थानेदार साहब नाराज होकर चले गये। दूसरे दिन वो एस डी ओ कोर्ट में गये और उन्होंने इस्तगासा खुद पेश किया और इस्तगासा पेश करके एक ही समुदाय के पांच व्यक्तियों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट ले लिये। इस्तगासे में 25.03.2003 तारीख पेशी डाली हुई थी, उसकी परवाह नहीं करके वो 20 तारीख की रात को गांव के अंदर आये और एक ही समुदाय के पांच लोगों को ताबड़तोड़ गिरफ्तार करके थाने में ले गये और पूरी रात भर उन युवकों को इस तरह से पीटा गया। इनकी फोटो मेरे पास है, उपाध्यक्ष महोदय, आप हुकुम करोगे तो मैं सदन की टेबल पर रख दूंगा। उनकी हालत बहुत खराब कर दी।

जब दूसरे दिन गांव वालों को सबको मालूम पड़ा तो, यह बड़ी खुशी की बात है कि वहां पर एक नोरतमल शर्मा, पूर्व सरपंच, राणासार गांव के नेतृत्व में हिन्दू और मुसलमान सब एस डी ओ कोर्ट में गये और उन बच्चों को हिन्दुओं और मुसलमानों ने मिलकर छुड़वाया। जब थाने से उनको बाहर निकाला और उनके चोट इस भांति की देखी तो उनका मेडिकल करवाया और हास्पिटल में एडमिट करके उनका इलाज करवाया। तारीख 23 को एस पी मधुसूदन सिंह, चूरू से पूरा का पूरा प्रतिनिधिमण्डल मिला और इस सम्बन्ध में उन्होंने लिखित में शिकायत की। एस पी साहब ने तुरन्त वहां पर डीवाईएसपी विश्नोई साहब को जांच के लिए भेजा और डीवाईएसपी विश्नोई ने थानेदार की गलती मानी तो एस पी साहब ने उसको तुरन्त लाइन हाजिर कर दिया। उसके बाद में गांव वालों की यह मांग थी कि इसने इस ढंग का काण्ड किया है, इसने बच्चों की जेब से पैसे भी निकाल लिये और जो नाबालिग बच्चे थे उनकी भी पीट-पीट कर बुरी हालत कर दी, इस आदमी को सस्पैंड करना चाहिए, खाली लाइन हाजिर करने से काम नहीं चलेगा। उसके बाद में 26 तारीख को माननीय मुख्य मंत्रीजी से राणासर का एक प्रतिनिधिमण्डल मिला और उन्होंने तमाम हालत से माननीय मुख्य मंत्रीजी को अवगत कराया। उन्होंने उनको यह कहा कि हमारे साथ इस तरह की ज्यादती हुई है और एक ही समुदाय के लोगों को मारा-पीटा गया है, इसमें न हिन्दुओं की गलती है, किसी ने एफ आई आर लॉज नहीं कराई है, किसी ने शिकायत नहीं की, हमने आपस में समझौता कर लिया, हमारे कोई द्वेषता नहीं है मगर फिर भी उस थानेदार संदीप शर्मा ने जानबूझकर इन बच्चों को पीटा है इसलिए उसको निलम्बित करके उसके खिलाफ जांच की जाए। तो, उपाध्यक्ष महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने भी सतर्कता दल से जांच कराने का आश्वासन दिया। मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसे पुलिस अफसरों को यदि बख्शा गया तो बार बार इस तरह की हरकतें होंगी। गांव वाले लड़ना नहीं चाहते परन्तु कई-कई पुलिस अफसर ऐसे हैं जिनका दिमाग बहुत ही खराब रहता है, वो आपस में गांव वालों को लड़ाकर अपना उल्लू सीधा करते हैं। इसलिए मैं मांग करता हूं कि एस. एच. ओ. संदीप शर्मा को दूधवाखारा के थानेदार हैं, जो इस वक्त लाइन हाजिर हैं उसको लाइन हाजिर नहीं रखकर उसको सस्पैंड किया जाए, उसके खिलाफ जांच की जाए और उसको कठोर से कठोर सजा दी जाए। भविष्य में किसी भी थाने

(श्री रमजान खान)

में उसको थानेदार नहीं लगाया जाए वर्ना इस तरह की हरकतें और करेगा। धन्यवाद।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, इतनी बुरी तरीके से मारा है उस थानेदार ने, उसको लाइन हाजिर करने से ही काम नहीं चलेगा, ऐसे लोगों को तो निलम्बित किया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। आप बैठिये। माननीय सदस्य, आप बैठिये। अंकित नहीं हो। आप बैठिये। हर सब्जैक्ट पर आपको बोलना जरूरी होता है क्या? कोई नियम से बोला जाए, ऐसे नहीं बोला जाता है। डोंट टेक लिबर्टी प्लीज।

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्रीमती सुमित्रा सिंह : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, कह दिया इन्होंने। अपनी बात कह दी है। वह फोटो इन्होंने बता दिया, सारा बता दिया। नई बात क्या कह रहे हो? नहीं प्लीज। (व्यवधान) व्हाट फार?

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्रीमती सुमित्रा सिंह : xxx

श्री उपाध्यक्ष : बता दिया माननीय सदस्य ने।

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आपको इतनी पीड़ा थी तो आप उठा लेते इसको। कौन रोक रहा था आपको?

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्रीमती सुमित्रा सिंह : xxx

श्री सुरेन्द्र व्यास : xxx

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई डिबेट की बात नहीं है। माननीय सदस्य ने कह दी, बात खतम हो गई। श्री प्रताप सिंहजी, आप क्या कहना चाह रहे हो?

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री उपाध्यक्ष : इस पर कोई डिबेट नहीं होती। पर्ची पर डिबेट नहीं होती। अब विराजो। प्रताप सिंहजी, आपका पाइंट आफ इंफोर्मेशन है?

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्रीमती सुमित्रा सिंह : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्या, जो सिस्टम है, नियम है, उसको कृपा करके फालो कीजिये। आप विराजो। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : xxx

श्री राजेन्द्र राठौड़ : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज। श्री प्रताप सिंहजी, आपका क्या पाइंट आफ इंफार्मेशन है, बोलिये।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

सूचना

छबड़ा तहसील में साम्प्रदायिक तनाव की आशंका

श्री प्रताप सिंह सिंघवी (छबड़ा) : दो मिनट में बोल रहा हूं। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस पक्ष का कतई नहीं हूं कि आपस में किसी समुदाय में झगड़ा हो और मैं किसी एक समुदाय को प्रोत्साहन दूं। मैं इस तरह का नहीं हूं। मुझे मुसलमान भी काफी संख्या में मेरी कांस्टीट्यूएंसी में वोट देते हैं। मेरा निवेदन यह है कि छबड़ा तहसील में 15 दिन में दो बार इस तरह की घटनाएं घट गईं जिनसे वहां पर साम्प्रदायिक वातावरण बिगड़ता जा रहा है, पुलिस प्रशासन उसको ढंग से आंक नहीं रहा है। मेरा निवेदन है कि होली के दिन, जिस दिन होली जलती है, वहां पर एक नाच-गाने का प्रोग्राम डीवाई एस पी कार्यालय के सामने हुआ। वहां पर एक नादिर नाम के लड़के ने एक हरिजन लड़के के सिर में लट्ठ मार दिया। लट्ठ मारने से उसका सिर फट गया, 15-20 टांके आये और वहां पर उलटा मुकदमा हरिजनों के खिलाफ 307 में दर्ज किया।

श्री उपाध्यक्ष : आपकी इंफार्मेशन क्या है? भाषण थोड़े ही हो रहा है। व्हाट इज योअर पाइंट आफ इंफार्मेशन? इंफोर्मेशन क्या है?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : पाइंट आफ इंफार्मेशन यह है कि जो लोग तलवारें और गंडासे लेकर आये उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मेरा दूसरा निवेदन है कि कल की घटना है...

श्री उपाध्यक्ष : आप सूचना क्या देना चाह रहे हो, यह बताओ न?

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : कल की घटना है। छबड़ा तहसील में एक जेपला गांव है, वहां थाना भी है। वहां पर एक दिनेश चौरसिया नाम का व्यक्ति एक चाय की दुकान लगाता है, कुछ लोग उसके घर पर पहुंचे और उसके साथ मारपीट की। वो एक अल्पसंख्यक समुदाय के थे सारे लोग, इसलिए वहां का वातावरण बिगड़ गया और वहां साम्प्रदायिक घटना घटित हो गई।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उसकी जांच वहां का ए. एस. आई. मोहम्मद हुसैन कर रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये प्लीज, माननीय सदस्य। आपने इंफार्म कर दिया।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मेरा निवेदन यह है कि एक मिनट जो मैं बात कहना चाह रहा हूं वह यही है...

श्री उपाध्यक्ष : इस पर भाषण थोड़े ही हो रहा है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : वहां की जांच ए. एस. आई. मोहम्मद हुसैन कर रहा है। इसकी जांच मोहम्मद हुसैन से न करवाकर छबड़ा सर्किल, जो डीवाई. एस. पी. का सर्किल है, उसके बाहर के किसी अधिकारी से करवा ली जाए, यह वहां के लोगों की मांग है। मेरा इतना-सा निवेदन है ताकि वहां का जो साम्प्रदायिक वातावरण है वह बिगड़े नहीं और प्रशासन इसको ढंग से ले। धन्यवाद।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सवाईमाधोपुर सांसद द्वारा 'सांसद कोष' की राशि का दुरुपयोग

श्री उपाध्यक्ष : प्रक्रिया के नियम 131 के अन्तर्गत, श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही) : उपाध्यक्ष महोदय, नियमों के नियम 131 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव...

व्यवस्था का प्रश्न

जिस विषय पर उसी सत्र में चर्चा हो चुकी, उस विषय पर पुनः चर्चा नहीं हो सकती

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : पाइंट आफ आर्डर, सर। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य जिस विषय को उठाना चाहते हैं...

श्री उपाध्यक्ष : संयमजी, विराजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं माननीय उपाध्यक्षजी का ध्यान रूल 131 (ए) के क्लाज 4 की ओर आकर्षित करता हूं- "In order that a motion may be admissible, it shall satishy the hollowing conditions, namely :- ...(iv) it shall not revive discussion on a matter which has been discussed in the same session." उसके किसी ऐसे विषय पर चर्चा पुनः नहीं की जाएगी, जिस पर उसी सत्र में चर्चा की जा चुकी है।

श्री उपाध्यक्ष : कौनसा रूल पढ़ रहे हैं आप? आप बैठिये न। आप जल्दी क्यों कर रहे हो?

श्री मानिक चन्द सुराना : 131 (ए) का रूल सब क्लाज 4.

श्री उपाध्यक्ष : 131 ?

श्री मानिक चन्द सुराना : 131 (ए) पेज 53 पर है मेरी किताब में, आप देखें।

श्री उपाध्यक्ष : हां, बोले।

श्री मानिक चन्द सुराना : क्योंकि एडिशन अलग-अलग हैं-"...it shall not revive discussion on a matter which has been discussed in the same session." मेरा निवेदन यह है कि यह मामला श्रीमती जसकौर मीणा के द्वारा 'अपनी संस्था को 10 लाख, 9 लाख रुपये दिये जाने का और एक्सरे मशीन के लिए पत्र दिये जाने का' के ऊपर इस सदन में चर्चा हो चुकी। (व्यवधान) चर्चा हो चुकी और बहुत जोर से हो चुकी।

श्री संयम लोढ़ा : आई. सी. डी. एस. पर हुई है।

श्री उपाध्यक्ष : पाइंट आफ आर्डर उठा है, I will dispose it. You will not dispose it.

श्री मानिक चन्द सुराना : जो चर्चा हो चुकी है, मेरा निवेदन यह है कि इस पर 131 के रूल के तहत ध्यानाकर्षण नहीं हो सकता। नम्बर दो, उपाध्यक्ष महोदय, लोक सभा और राज्य सभा के सदस्यों को एम.पी. लैड से रुपया भारत सरकार

(श्री मानिक चन्द सुराना)

से मिलता है और राजस्थान विधान सभा के सदस्यों को जो रुपया एम.एल.ए. लैड में है, वह राजस्थान सरकार की निधि है, उसके कोष से मिलता है और उसके कोष से मिलने के कारण राजस्थान विधान सभा में इसकी चर्चा हो सकती है, जो रुपया भारत सरकार से मिला और जिसके लिए कलक्टर और डी.आर.डी.ए., गाइड लाइंस भी भारत सरकार की हैं और कलक्टर ने जारी की स्वीकृतियां, और डी.आर.डी.ए. ने जारी की स्वीकृतियां और हम कोई आडिट आब्जेक्शन पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह मैटर इस सदन में आया हुआ है, चर्चा हो चुकी है और इसलिए इस नियम के तहत इसमें प्रतिबन्धित है, मेरा निवेदन है कि आप इस चर्चा को प्रतिबन्धित करने की कृपा करें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, जो विषय यह सामने आया है, इस पर चर्चा नहीं हुई, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आप ऐसा क्यों मान रहे हैं कि माननीय लोक सभा की सदस्या के खिलाफ है? यदि कलक्टर ने गलती की है, यदि किसी अधिकारी ने गलती की है या जो कुछ गलती हुई है, उसकी जांच होनी चाहिए। यह प्रश्न उठा रहे हैं, इसमें आपको क्या एतराज है? यह कौन कह रहा है? यह क्या प्रसंग है, जिसमें आप कह रहे हैं कि यह कोई उन पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, आरोप नहीं लग रहा है ...(व्यवधान) बिराजिये, बिराजिये। अगर मैं एम.एल.ए. हूं और मैंने किसी से स्वीकृति चाही है, It is the duty of the collector कि उसने सही निकाली या गलत निकाली। अगर उसने गलत निकाली तो वह सजा पाएगा, आपको क्या तकलीफ हो रही है इसमें? It is not the question.

श्री मानिक चन्द सुराना : प्रश्न यह नहीं है। प्रश्न यह है कि इस सदन में यदि कोई चर्चा हो चुकी है, उस पर हंगामा हुआ, माननीय मंत्री महोदय, इस पर हंगामा होता रहा पौन घंटे तक और इसी विषय पर ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : जिस विषय पर पहले चर्चा हुई है वह महिला बाल विकास से सम्बन्धित था और यह सार्वजनिक कोष का मामला है, उपाध्यक्ष महोदय, जो मैं उठा रहा हूं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : इसकी एडमिसि-बिलिटी कौन तय करेगा? ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की ग्राह्यता को कौन तय करता है? यह तो आसन का काम है और आसन से एक बार तय कर दिया और उसको ग्राह्य मान लिया, इसमें एतराज की गुंजाइश कहां है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, जो पाइंट आफ आर्डर माननीय सदस्य ने उठाया है....(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : माननीय डाक्टर साहब ने जो आरोप लगाये हैं आसन पर, वह तो चर्चा करवा दी है धारीवालजी ने। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप और हम इसलिए हैं कि आसन का ध्यान दिलाने के लिए, इसकी चर्चा नहीं हो सकती। यह चर्चा नियमों के अन्तर्गत होगी तो हम...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : ...उसका जो झूठा पत्र यहां पर पढ़ा है...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आसन को यह तो ध्यान रखना चाहिए ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं तो यह निवेदन कर रहा हूं कि शायद आसन को...

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** यह आसन का काम है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह आसन का काम है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : चर्चा कराने का निर्णय आसन करेगा चर्चा हो सकती है या नहीं हो सकती है।

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** उपाध्यक्ष महोदय ने गाह्य मान लिया, कार्य सूची में दर्ज कर लिया।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : यह आसन का दायित्व है कि चर्चा हो या नहीं हो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : लेकिन आसन को हम ध्यान तो दिलाएं। (व्यवधान) आसन तो नियमों के अन्तर्गत ही तो माननीय सदस्य ने ध्यान दिलाया है।

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** इस तरह आसन को बाध्य नहीं किया जा सकता।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, आप बैठिये। एक मिनट, आप विराजिये। (व्यवधान) आपको क्या कहना है?

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मेरा अनुरोध यह है कि एडमिसिबिलिटी कैसे हो वह आसन तय करता है। 131 में इसके लिए साफ लिखा हुआ है कि कौनसे प्रश्न गाह्य होंगे और कौनसे नहीं होंगे। अपने स्तर पर अध्यक्ष महोदय ने इसको ग्राह्य मान लिया, अब यह स्टेज नहीं है कि इस पर किसी प्रकार का कोई एतराज उठाया जाए। कार्य सूची में दर्ज हो गया, अध्यक्षजी ने इसको गाह्य मान लिया और विधान सभा सचिवालय में इसकी पूरी स्क्रूटनी करके और सब बातें देखकर, आपके सब-सैक्शन (4) भी देख लिया उन्होंने और उसके बाद में भी इसको ग्राह्य बनाया है और कार्य सूची में दर्ज किया है तो मैं समझता हूं कि यह स्टेज इस समय एतराज की नहीं है और इसको ओवर रूल किया जाए। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : नहीं, कौनसा रूल है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, शायद आसन को स्मरण नहीं होगा, सभापति महोदय आसन पर विराज रहे थे, इस मामले के अन्दर लगभग घंटे-डेढ़ घंटे तक विस्तृत चर्चा हो चुकी है ...(व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : नहीं, वह तो महिला बाल विकास का मामला था। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, वह महिला बाल विकास का मामला था, यह मामला नहीं था। (व्यवधान)

डा. किरोड़ी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, उसी संस्था से जुड़ा हुआ मामला है।

श्री संजीव कुमार : ... महिला बाल विकास का मामला था और यह मामला सांसद कोष का है, दोनों में अलग-अलग अन्तर है। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : इस मामले को लेकर, दोनों के ऊपर एक घंटे तक चर्चा हुई है। वह महिला बाल विकास का मामला था। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन कर रहा था, उपाध्यक्ष महोदय....

श्री जुगल काबरा : पहले चर्चा हुई है महिला बाल विकास के मामले पर और आज सांसद कोष पर चर्चा हो रही है।

श्री संजीव कुमार : वह मामला महिला बाल विकास का था, वह सांसद कोष का मामला नहीं था, उपाध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उस समय चर्चा हुई थी जनजाति महिला विकास संस्थान, सवाईमाधोपुर पर और आज भी बात इसी पर आएगी। या तो आप यह स्पष्ट कर दें कि यह जनजाति.... (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : महिला बाल विकास का मामला कहां से आ गया, उपाध्यक्ष महोदय? (व्यवधान) आज सांसद कोष पर चर्चा हो रही है, सांसद कोष का मामला है। उस दिन चर्चा नहीं हुई है, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह पाइंट आफ आर्डर तो आपको डिस्पोज-आफ करना है।

श्री संजीव कुमार : महिला बाल विकास के अलावा जो सांसद कोष है, उसमें जो दुरुपयोग हुआ है, उस पर चर्चा हुई है। जो कार्य सूची में है, उस पर चर्चा हो रही है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, नियम एवं प्रक्रिया का नियम 131 4(7) यह कह रहा है कि सदन में वह नहीं लाया जा सकता।

श्री रमेश खींची : आज जो चर्चा है, वह सांसद कोष के दुरुपयोग की है।

श्री संजीव कुमार : उपाध्यक्ष महोदय, उस दिन मामला था महिला एवं बाल विकास का।

श्री रमेश खींची : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो सांसद कोष का दुरुपयोग हुआ है, उस पर चर्चा नहीं की है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, 40 ध्यानाकर्षण लगाये हुए हैं 131 में, हमारा नम्बर तो नहीं आता, हमारे ध्यानाकर्षण तो ग्राह्य नहीं होते।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : और ये योजनापूर्वक कैसे हो रहे हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये, आप बैठिये, एक मिनट।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरे भी 40 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव हैं।

श्री हरिसिंह (महुवा) **:** आप सीधे-सीधे आसन पर आक्षेप लगा रहे हैं। यह आसन का काम है, आसन का काम आसन तय करता है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : क्या हुआ? मैं भी आसन से कह रहा हूं, मैं आपसे थोड़े ही कह रहा हूं? मैं भी आसन से कह रहा हूं, आप क्यों खड़े हो जाते हैं? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप आसन से ही कहिये। मेरा काम आसन को असिस्ट करने का है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं भी आसन से ही कह रहा हूं। मेरा भी काम असिस्ट करने का है, मैं भी सदस्य हूं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : आपको जानकारी नहीं है। नहीं, आप सदस्य हैं लेकिन मेरा काम आसन को असिस्ट करने का है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मेरा भी असिस्ट करने का काम है।

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं है आपका। कैसे है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : है तो, हां है। मैं भी सदस्य हूं, मैं भी चुनकर आया हूं। क्या बात हुई? मैं आसन से ही तो कह रहा हूं। आप विराजिये। मैं आसन से ही तो कह रहा हूं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : नहीं है। ये राजेन्द्र राठौड़ है, यह आपका नहीं है। नो नो, यह ठीक है,आपने अपना एतराज उठा लिया, यह आपका काम नहीं है, यह आपका काम नहीं है। आपके सचेतक महोदय बैठे हैं। आप आसन से बात कर रहे हैं, मैं आप से बात नहीं कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री अरुण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा एक सुझाव है कि एम.एल.ए. कोटा एम.पी. कोटा बंद हो, खतम हो। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, वह तो अपन नहीं कर सकते।

श्री अरुण सिंह : एम. पी. कोटा, एम. एल. ए. कोटा है, भ्रष्टाचार का असली अड्डा है, यह खतम होना चाहिए। यह एम.एल.ए. कोटा खतम करें, उपाध्यक्ष महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज।

श्री अरुण सिंह : आप भ्रष्टाचार खतम करें, मंत्री महोदय। फाइनेंस मिनिस्टर आये हैं, यह एम.एल.ए. कोटा खतम कराओ, खतम कराओ यह। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे साथ भी अन्याय हुआ है। भ्रष्टाचारियों को खतम करो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये। आप विराजिये। एक मिनट, आप विराजिये। माननीय राठौड़ साहब, आर्डर प्लीज। आपने जो प्रश्न उठाया है...

श्री अरुण सिंह : हमीं लोग 15 प्रतिशत मांगते हैं कि यह एम.एल.ए. का कोटा है, हम मांगते हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, एक मिनट। आप इनका जवाब दे दो पहले। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ठीक कह रहे हैं, मायावतीजी ने तो खुले आम पैसा मांगा था, सबने देखा था।

श्री ज्ञानेदव आहूजा : आप मायावती के चेले हो क्या?

श्री अरुण सिंह : उपाध्यक्ष महोदय, आप मायावती का नाम मत लो यहां पर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सोनियाजी का नाम लेने पर आग लग जाती है और मायावती यहां पर उपस्थित नहीं है, उनका नाम ले रहे हैं काबरा साहब।

श्री उपाध्यक्ष : क्या मतलब है इससे? (व्यवधान) आर्डर, आर्डर। आर्डर प्लीज।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** उपाध्यक्ष महोदय, आपके सामने प्रश्न स्पष्ट है, यह जो आपने अनुमति दी है, आप यह जो चर्चा कराना चाहते हैं, उसमें यह प्रतिबंधित है। अगर यह विषय पहले इस सैशन में आ गया है तो इस पर चर्चा नहीं हो सकती इस सैक्शन के अन्तर्गत, यह तो क्लीयर हुई बात। अब दूसरा प्रश्न यह रह गया कि इसमें चर्चा हुई कि नहीं हुई, अगर यह प्रश्न आता है, यदि चर्चा हुई है तो क्या इस पर चर्चा नहीं हो सकती। इसमें कोई दो राय नहीं है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप एक मिनट विराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** नहीं, मुझे बात तो करने दें।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे यह नियम बताइये कि किसी प्रश्न पर यदि किसी दूसरे सैक्शन के तहत चर्चा हुई है तो दुबारा दूसरे सैक्शन के तहत इस पर चर्चा नहीं हो सकती, यह कौनसा नियम है, आप बताएं मुझे?

श्री संजीव कुमार : और वह महिला बाल विकास पर चर्चा हुई है, महिला बाल विकास पर। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, यह कहां रोक है, आप मुझे समझाओ ना, मैं सुनना चाहता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** नही, नहीं, मुझे अपने हिसाब से पूरी बात कहने दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : किस विषय पर चर्चा हुई, कौनसे विषय पर चर्चा हुई या किस विषय पर चर्चा हो रही है, यह कौनसा नियम है कि आप इसको 131 के तहत नहीं उठा सकते, यह आप मुझे सैटिस्फाई कर दीजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** मैं यह निवेदन कर रहा हूं आपको, यह जो 131 है...

श्री उपाध्यक्ष : बोलिये। श्री सुरेन्द्रजी व्यास। आप भी इसमें कुछ लाइट डालिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** मैं तो बोलूं साहब, पहले। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अभी वह लाइट बाद में डाल देंगे, पहले मुझे टार्च डालने दीजिये आप। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि आपको कि सैक्शन 131 है, 131 का ए....

श्री उपाध्यक्ष : 131 को तो पढ़ लिया इन्होंने।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** मैं उसको एक्सप्लेन कर रहा हूं "....it shall not revive discussion on a matter which has been discussed in the same session." यह है इसमें।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपको पूछ रहा हूं जिसका जवाब दें आप। यह पहले चर्चा हुई, प्रश्न आया और प्रश्न का जवाब आया। अब यह प्रश्न 131 के तहत आया है...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सो व्हाट?

श्री उपाध्यक्ष : यह कौनसा कानून है, नियम है सदन में कि 131 के तहत प्रश्न आया है, उसको वापस नहीं उठाया जा सकता, यह आप बता दें? (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वही, वही। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो। यह ऐसे नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, 131 (1) तो वैरी सिम्पल। 131 ए का एक पढ़ लीजिये, वैरी सिम्पल।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : 131 ए पढ़ लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे हांके से काम नहीं चलेगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, ठीक है, ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : ऐसे हांके से काम नहीं चलेगा, आप किताब में....(व्यवधान)

श्री रमजान खान : उपाध्यक्ष महोदय, 131 में है कि जिस प्रश्न पर हाउस में चर्चा हो जाए वह प्रश्न फिर से हाउस में नहीं उठ सकता। (व्यवधान)

श्री संजीव कुमार : इस विषय पर चर्चा हुई नहीं है अभी तक...(व्यवधान)

श्री दिग्विजय सिंह : माननीय सदस्य, जो आपने 131 ए का कहा....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : Please, don't interrupt me.

श्री दिग्विजय सिंह : आप 131 (बी) भी पढ़ो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : आप पढ़ देना वह।

श्री दिग्विजय सिंह : आप 131 (बी) पढ़ें, ए तो आपने पढ़ दिया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह आप पढ़ देना न।

श्री दिग्विजय सिंह : 131 (बी) पढ़ो आप, 131 (बी) कहता है....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बाकी आपको पढ़ना है जो आप पढ़ना।

श्री दिग्विजय सिंह : "The Speaker may, before deciding ...."

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : "I will read only the relevant..." मुझे रेलेवेंट पढ़ना है खाली।

श्री दिग्विजय सिंह : ".... the admissibility of the motion, call for such information from the member who has given notice, as he may consider necessary..."

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह...

श्री दिग्विजय सिंह : "... He may also ascertain in writing the facts of the case from the minister."

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ठीक है।

श्री दिग्विजय सिंह : तो 131 बी, this given the Hon'ble Speaker the discretion.

श्रीमती सुमित्रा सिंह : ना, पहले ए पढ़ा जाएगा उसके बाद पढ़ेंगे इसको।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए।

श्री दिग्विजय सिंह : वह माननीय सदस्य पूछ रहे हैं और रीति से पूछ रहे हैं, उसके बाद एडमिसबिलिटी कर लें। जब वह लिस्ट हो गया तो फिर वह हाउस में डिस्कस होगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, यह तो आपका कहना है न, यह जो फोर है, वह डिबार करता है अपने को। It shall not receive.

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, और कुछ नहीं, मैं तो सीधी-सी बात पूछ रहा हूं....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, पूछिये आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे कोई सैक्शन यह बता दीजिये, जो प्रश्न किसी के जरिये आया है, मान लीजिये क्वेश्चन के जरिये आया है....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ठीक है।

श्री उपाध्यक्ष : वह 131 के तहत नहीं उठ सकता, यह मुझे आप जवाब दे दें, यह बता दीजिये आप।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : इन द सेम सैशन नहीं उठ सकता।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वही मैं निवेदन कर रहा हूं। चाहे वह किसी भी प्रकार...

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, एक मिनट।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : किसी भी प्रोसीजर से हो, पाबंदी इस बात की है...

श्री उपाध्यक्ष : आप इसको क्लैरीफाई कर दें। (व्यवधान) आप विराजें, विराजें। आपको बोलने दूंगा, सब को बोलने दूंगा। इसमें जितने माननीय विद्वान सदस्य अपने विचार रखना चाहेंगे, सब को मौका दूंगा।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : 131 बी, क्लीयर है, साफ है...

श्री उपाध्यक्ष : मैं भी समझना चाहता हूं, प्लीज....

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : Then try to understand. समझने की कोशिश करिये फिर आप।

श्री उपाध्यक्ष : हां, विराजें। बोलो न आप।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : व्यासजी हैं, साहब विद्वान तो।

श्री उपाध्यक्ष : हां-हां, मैं तो उनको रिक्वैस्ट कर रहा हूं, मैंने ही काल किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : इसमें लिखा हुआ है, साहब। वह डिस्कस किस आधार पर आए, यह लिखा हुआ नहीं है, प्रश्न में आता है, पर्ची पर आता है या और ढंग से आता है, अगर एक बार आ गया वह किसी भी तरीके से उसी सत्र में....

श्री उपाध्यक्ष : कहां रोक है इसमें, वह बताएं आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यही है न लिखा हुआ, साहब, यह।

श्री उपाध्यक्ष : ना, नहीं है रोक इसमें। आप पढ़कर बताओ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, मैं बताता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : बताओ।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : "....it shall not revive discussion on a matter which has been discussed in the same session." इसी सैशन में यदि वह डिस्कस हो गया, किसी भी तरीके से हो गया, किसी भी प्रकार से हो गया (व्यवधान) क्यों, और क्या आएगा, यह कहां लिखा है?

श्री गोवर्द्धन कल्ला : स्पीकर महोदय ने इसको देख लिया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह नहीं, डिबार उसको, एक्सेप्शन नहीं कि प्रश्न के माध्यम से....

श्री गोवर्द्धन कल्ला : 131 बी देखिये न, साहब, इसका।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बोलने दीजिये न, क्या है यह?

श्री गोवर्द्धन कल्ला : 131 बी देखें, स्पीकर महोदय ने देख लिया है इसको।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह कह दीजिये....

श्री दिग्विजय सिंह : This dicision is not open for discussion.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हां, यह सही है। Then it is a question of fact. आप बिलकुल ठीक है, यह डिस्कशन हुआ कि नहीं हुआ...

श्री उपाध्यक्ष : अच्छा, एक मिनट, अब आप विराजो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : अगर डिस्कस हुआ है तो प्रतिबंधित है और नहीं हुआ तो आप पूछ सकते हैं। Now it is a question of fact.

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो।

श्री दिग्विजय सिंह : अगर आप यह बात कहते हो तो आप ताम्बीजी का क्यों बार-बार में लाये थे? जब क्यों नहीं बोले?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : काहे के लिए?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सेम सत्र में।

श्री दिग्विजय सिंह : ताम्बीजी के ऊपर जो प्रस्ताव, बोल रहे थे ताम्बीजी पर...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : किन पर?

श्री दिग्विजय सिंह : जब तो आपने वह रूल कोट नहीं किया।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : किस पर? किस पर, भई?

श्री दिग्विजय सिंह : ताम्बीजी के ऊपर भी चर्चा हुई थी, सदन में चर्चा हो चुकी थी, फिर वापस ले आए। (व्यवधान) फिर 131 (1) क्यों नहीं एप्लाई हुआ? 131 एप्लाई क्यों नहीं हुआ? और 131 बी भी पढ़ते आप।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** यह हमारी ड्यूटी नहीं है।

श्री गोवर्द्धन कल्ला : बी पढ़िये। 131 बी पढ़िये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** यह ड्यूटी मेरी नहीं है।

श्री दिग्विजय सिंह : आप तो मेरे से ज्यादा ज्ञाता हो ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, बोफोर्स पर भी चर्चा हो जाए।

श्री दिग्विजय सिंह : 131 बी पढ़ों न आप।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। ना-ना, आपके वश की बात नहीं है यह।

श्री दिग्विजय सिंह : 131 बी भी तो पढ़ों। आप 131 बी पढ़ें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बोफोर्स पर भी चर्चा हो जाए अगर ऐसा है तो। बोफोर्स पर भी हो जाए, किसने घोटाले किये, कौन-सी इटली की कम्पनी थी और कौन इटली का व्यक्ति था।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** यह सेम सैशन, तो मेरा निवेदन है, साहब, now it is a question of fact.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, उपाध्यक्ष महोदय...

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, आपको बोलने दूंगा। मैंने तो आपको काल अपान किया है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** अब यह क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि डिस्कशन हुआ कि नहीं हुआ।

श्री उपाध्यक्ष : यह इश्यू नहीं है मेरे सामने।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** आपके सामने यही तो है।

श्री उपाध्यक्ष : डिस्कशन हुआ कि नहीं हुआ, It is not the question. मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि एक किसी मैटर को यदि, पहली बात तो यह है वह मैटर नहीं है, इनस्पाइट ऑफ दैट, यदि एक कोई मैटर पहले कोई जरिये आ चुका है तो दोबारा यह 131 के तहत नहीं आ सकता, यह आप बताओ मुझे तो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** यह क्या है, साहब, फिर यह? यह बता रहा हूं न, आप बार-बार...

श्री उपाध्यक्ष : यह तो, I am not satisfied with this.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** इसमें और क्या होगा, साहब?

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप विराजें। आप क्या कह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री गोवर्द्धन कल्ला : प्रश्न नहीं है। अध्यक्ष महोदय ने इसको एडमिट किया है....

श्री जुगल काबरा : उपाध्यक्ष महोदय, यह मामला ही अलग है। पहले महिला बाल विकास के मामले में चर्चा हुई और आज सांसद कोष के दुरुपयोग पर हो रही है, इन दोनों मामलों को मिक्स-अप किया जा रहा है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप बोलेंगे, आपको बुलाऊंगा, आप विराजें। आपको बुलाऊंगा मैं, तसल्ली रखें न। मैंने यह कह दिया है पहले ही।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** यह क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है फिर।

श्री उपाध्यक्ष : I will invite every body's opinion.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** यह क्वेश्चन ऑफ फैक्ट है कि डिस्कशन हुआ कि नहीं हुआ। It is a question of fact.

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिए प्लीज। आप क्या कह रहे हैं?

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) **:** मैं तो, उपाध्यक्ष महोदय, सिर्फ जो है टू पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, आपका यह इंटरप्रिटेशन उचित नहीं है क्योंकि 131 का फोर्थ क्लीयर कहता है–

"....it shall not revive discussion on a matter which has been discussed in the same session." In whatever mode.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** पर्ची से हुआ हो, क्वेश्चन से हुआ हो, इसमें है, किसी से भी हुआ हो।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब यह अलग है कि वह आई सी डी एस का क्वेश्चन है, महिला बाल विकास का। उससे मैं असहमत नहीं हूं। अगर वह महिला बाल विकास का है, यह अलग है, यह एक अलग प्रश्न है। पर आप, उपाध्यक्ष महोदय, आसन से यह व्यवस्था नहीं दें कि नहीं, साहब, वह तो यह बताओ। यह तो निश्चित है कि अगर यहां सदन में चर्चा हो चुकी है किसी भी प्रकार से तो उस विषय पर चर्चा, यह जो बार-बार कह रहे हैं कि, साहब, आपने तीन दफा कर दी, तो मैम्बर तो कर लेते हैं लेकिन आसन से अनुमति प्राप्त नहीं होती है उनको। उपाध्यक्ष महोदय, आसन नियमों के प्रतिकूल अनुमति नहीं देगा।

श्री उपाध्यक्ष : आसन से तो अलाउ किया न।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, किया है तो इसलिए किया है कि यह सब्जैक्ट अलग है।

श्री उपाध्यक्ष : आसन ने तो अलाउ किया है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : सब्जैक्ट अलग मानकर किया है न, उपाध्यक्ष महोदय। उस पर कहीं आपत्ति नहीं है। यह महिला बाल विकास अलग है।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है फिर।

श्री सुरेन्द्र व्यास : अब उसकी परिधि, एक बात जरूर मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह एक एम.पी. लैड फण्ड का प्रश्न आया है, अब यह जब चालू होती है चर्चा, मैं बड़ी विनम्रता से कहता हूं, फिर आसन के लिए बहुत मुश्किल

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

होगा रैगुलेट करना। अपने मैम्बर्स कितना रेस्ट्रेन रखेंगे, आप में क्या जूरिस्डिक्शन है, राजस्थान गवर्नमेंट का पैसा नहीं है, सेन्ट्रल गवर्नमेंट का पैसा है, उसको आप देख लें, उपाध्यक्ष महोदय, बाकी जो है।

डा. चन्द्रभान : वह तो देश का पैसा है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, देश का पैसा नहीं होता है। यह नहीं होता है। यह नहीं होता।

एक माननीय सदस्य : देश के पैसे पर चर्चा होती है क्या? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें, विराजें, माननीय सदस्य। एक मिनट, आप विराजें। माननीय सदस्य, इस पैसे को ऑपरेट कौन करता है?

श्री सुरेन्द्र व्यास : एक्जीक्यूट कौन करता है, आपरेट नहीं। एक्जीक्यूट कौन करता है।

श्री उपाध्यक्ष : आपरेट करती है गवर्नमेंट, यस। गवर्नमेंट आपरेट करती है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान आपरेट करती है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं–नहीं, एक्जीक्यूट करती है। एक्जीक्यूट करती है, साहब, ऑपरेट नहीं करती।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** सवाल यह है कि यह लिया जाए कि नहीं लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : सैंक्शन कौन निकालता है? सैंक्शन कलक्टर निकालता है? then it is operated by the State Government.

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं, गाइड लाइन कौन देता है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** उपाध्यक्ष महोदय, then it is a matter of merit.

श्री सुरेन्द्र व्यास : गाइड लाइन कौन देता है? गवर्नमेंट आफ इण्डिया की गाइड लाइन है।

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट आप कह रहे हैं न, बात यह हो रही है, this has not been, sanctioned within the guidelines. यही बात हो रही है। इसमें जिसने सैंक्शन किया है, out of the guidelines, he is subject to punishment. What is the problem? क्वेश्चन क्या था इसमें?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** अब यह विषय नहीं है पहले। नहीं, यह विषय नहीं है, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : इसमें क्या बात है, आप यह बताइये? एक मिनट आप विराजें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** नहीं, ठहरो जी। पहले इसमें डिस्कशन हो गया। नहीं, साहब, ऐसा नहीं है। पहले डिस्कशन हो कि नहीं इस पर, यह है।

श्री उपाध्यक्ष : आप यह बताइये, यह क्वेश्चन आया, डी आर डी ए का पी.डी. या कोई इंवाल्व हुआ क्या?

श्री सुरेन्द्र व्यास : पहले नहीं हुआ है, महिला एवं बाल विकास का हुआ है पहले।

श्री उपाध्यक्ष : फिर, क्या बात है इसमें? What is the problem?

श्री जुगल काबरा : रिकार्ड देख लीजिये न, सर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : दैन यह क्वेश्चन आफ फैक्ट है, मिस्टर व्यास। यह क्वेश्चन आफ फैक्ट है। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : पहले महिला बाल विकास के ऊपर चर्चा हुई है, आज सांसद कोष के दुरुपयोग का मामला है, दोनों मामले ही अलग-अलग हैं, आप रिकार्ड देख लें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सुनो, यह तो क्वेश्चन आफ फैक्ट है कि चर्चा हुई कि नहीं हुई। (व्यवधान) पहले चर्चा हो गई तब तो फिर तो हो नहीं सकती। (व्यवधान) हां, यह अलग है न।

एक माननीय सदस्य : एम.एल.ए. लैड पर नहीं होता है करप्शन ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : क्यों उलझ रहे हैं आप, आपका कोई लेनादेना ही नहीं है।

श्री अरुण सिंह : वित्त मंत्रीजी, यह एम.एल.ए. कोटा ही खतम कराओ। एम.एल.ए. लैड पर यह करप्शन पहले बंद करो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, ज्ञानदेवजी इसके बारे में प्रकाश डालना चाहते हैं, साहब। इसके बारे में जितने रूल्स की जानकारी आहूजा साहब को है..

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ऐसा है, बोफोर्स की भी चर्चा करा ली जाए कि बोफोर्स में कौन कौन गबन-घोटाले करने वाले थे और कौन उसमें कमीशन एजेंट थे?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मदनजी को और ज्ञानदेवजी दोनों को....

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजें। शिवनाथ सिंहजी।

श्री जुगल काबरा : ताबूत घोटाले की भी चर्चा करा लीजिये। ताबूत घोटाले की भी चर्चा करा लीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप करवा लो बोफोर्स की पहले। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए। विराजिए। (व्यवधान) आप बैठिये।

डा. (श्रीमती) कमला : बोफोर्स की जांच तो कारगिल के युद्ध में हो चुकी, अब गबन घोटालों की कराओ।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : तहलका काण्ड पर भी जांच करा लीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सारे घोटाले नम्बर से कराओ। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : तहलका काण्ड पर भी जांच करा लीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर, माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सारे घोटालों की कराओ न।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : इस पर भी करा लो और तहलका काण्ड पर भी करा लीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, माननीय ज्ञानदेवजी।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : आप तहलका काण्ड की भी करा लीजिये।

श्री अरुण सिंह : मामला करप्शन का है, जन प्रतिनिधियों के करप्शन का मामला है....

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बंद हो जाए, ठीक बात है बिलकुल। आपकी बात सही है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ज्ञानदेवजी।

श्री अरुण सिंह : चाहे हां पक्ष करो, ना पक्ष करो, एम.पी., एम.एल.ए. लैड पर....

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सब पर डाइवर्ट मत करिये, सारे करप्शन की जांच कराओ।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय ज्ञानदेवजी। आप विराजिए। लॉ मिनिस्टर। आर्डर, आर्डर।

श्री खेतसिंह राठौड़ (विधि मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव जब स्वीकृत किया गया और आज इसके लिए टाइम तय कर दिया गया, स्पीकर महोदय को यह सारी बात मालूम थी कि इस में चिट पर थोड़ा-बहुत डिस्कशन हुआ है लेकिन इस मामले में तो कई और इश्यूज भी हैं, जिनको देखते हुए ही एडमिट किया गया। एडमिट होने के बाद में कोई प्रश्न पैदा नहीं होता और इसको लिया जाना चाहिए।

श्री उपाध्यक्ष : लिये जाने को तो एतराज कर ही नहीं रहा हूं मैं। मैं लिये जाने को एतराज नहीं कर रहा हूं।

डा. चन्द्रभान : तो क्या हो रहा है?

श्री उपाध्यक्ष : यह हो रहा है, I want understand, इनकी विद्वता को देख रहे हैं कि भाई कितनी विद्वता है आप लोगों में। इस इश्यू को खतम करो, इसको थोड़े ही चैलेंज कर रहा हूं।

डा. चन्द्रभान : तो शिवनाथ सिंहजी बोल रहे हैं।

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक इसको एडमिट करने का सवाल है, हम चैलेंज नहीं कर सकते यहां। माननीय उपाध्यक्षजी....

श्री उपाध्यक्ष : Quite right.

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, जहां तक एडमिट करने का अधिकार था वो स्पीकार साहब का था। उन्होंने अपनी एक्सरसाइज कर ली। अब मैं यह लाइन पढ़ता हूं "प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 131 के अंतर्गत श्री संयम लोढ़ा, सदस्य, विधान सभा सांसद, सवाईमाधोपुर द्वारा सांसद कोष की राशि का कथित रूप से दुरुपयोग" ये शब्द है इसमें। माननीय उपाध्यक्षजी, सांसद कोष जो है अभी आपने जो फर्माया उसमें मैं निवेदन करना चाहता हूं कि....

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप तो यह कहिये कि यह लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है।

श्री शिवनाथ सिंह : मैं यही कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : Nothing more than that. नहीं लिया जा सकता है तो अध्यक्ष महोदय ने इसकी स्वीकृति दी उसके बाद क्यों नहीं लिया जा सकता, यह बता दीजिये?

श्री शिवनाथ सिंह : मैं तो कह रहा हूं, अध्यक्ष जी ने इजाजत दे दी उसको मैं चैलेंज नहीं कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : फिर आप क्या कर रहे हो?

श्री शिवनाथ सिंह : आप नहीं सुनेंगे तो कैसे बताऊंगा कि क्या कर रहा हूं। दो मिनट आप सुनेंगे तो होगा। माननीय उपाध्यक्षजी, इसमें सांसद द्वारा दुरुपयोग किया गया, आपने अभी फर्माया कि इसको आपरेट कौन करता है। आपरेट राज्य सरकार नहीं करती है यह सीधा रुपया पार्लियामेंट से आता है, सब रुपया पार्लियामेंट से आता है और कलक्टर जो है उसके पास रुपया आता है कलक्टर इसको एग्जीक्यूट करता है इसलिए....

श्री उपाध्यक्ष : आप मुझे यह बताइये कि कलक्टर के पास जो सांसद महोदय अपनी डिजायर भेजते हैं, यदि उसकी गाइड लाइंस में नहीं आता है तो वो उसको रिजक्ट करता है या नहीं करता?

श्री शिवनाथ सिंह : मैं आप से निवेदन करूं गाइड लाइंस पार्लियामेंट ने दी हैं।

श्री उपाध्यक्ष : फिर it is part of that.

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष जी, वो गाइड लाइंस पार्लियामेंट ने दी है और गाइड लाइंस के अनुसार यह कैरी आउट होता है। रुपया राजस्थान सरकार या राजस्थान की कोई मशीनरी आपरेट नहीं करती है, वो पार्लियामेंट के आदेश की पालना करता है।

दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वहां पार्लियामेंट की एक कमेटी अलग बनी हुई है, सांसद कोष का क्या उपयोग-दुरुपयोग होता है वो कमेटी निर्णय करती है। इसलिए किसी भी सांसद ने वो रुपया किस काम में खर्च कर दिया, नहीं कर दिया, यह एक विचारणीय विषय है। मैं यह एडमिट हो इसको चैलेंज नहीं करता हूं, लेकिन एक परम्परा जो हमारी बैठेगी उसके हिसाब से जो पार्लियामेंट का रुपया है ..

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह इश्यू ही नहीं है, न आप इस पर बोल रहे हो। This is not the issue.

श्री शिवनाथ सिंह : नहीं, आपने फर्माया था इसलिए कह रहा हूं आपको। मैं पहले बोलना ही नहीं चाहता था, लेकिन आपने यह फर्माया कि यह ऑपरेट कौन करता है, मैं आपसे निवेदन करता हूं ऑपरेट नहीं करते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : ऑपरेट स्टेट गवर्नमेंट कर रही है, बिलकुल स्टेट गवर्नमेंट करती है आपरेट। पी.डी. एकाउंट में जमा होता है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट आपरेट करती है और यदि गलत कोई आउट आफ गाइड लाइंस हो तो कलक्टर उसको रिजक्ट कर सकता है।

श्री शिवनाथ सिंह : जी।

श्री उपाध्यक्ष : फिर?

श्री शिवनाथ सिंह : इसलिए सांसद का दुरुपयोग जो है यह उसमें नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये प्लीज। माननीय तैयब साहब।

श्री तैयब हुसैन (ग्रामीण विकास मंत्री) **:** माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सांसद महोदया सवाई

(श्री तैयब हुसैन)

माधोपुर ने अपने पत्र दिनांक 30.11.2000 एवं पत्र दिनांक 30.11.2000 द्वारा ...(व्यवधान)...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मंत्री महोदय, मैं एक बात पूछना चाहता हूं आपसे।

श्री उपाध्यक्ष : क्या पूछना चाहते हो आप?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह जो आपत्ति है, जो हम कर रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, तैयब साहब।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह जो हम आपत्ति कर रहे हैं....

श्री उपाध्यक्ष : पूछ लेना बाद में। विराजिये।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : एक सैकेंड।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, आप सुनिये इधर। मंत्री महोदय, आप सुनिये, वरिष्ठ सदस्य कह रहे हैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मैं यह निवेदन कर रहा हूं...

श्री तैयब हुसैन : ....पी.एच.सी. नादौती एवं पी.एच.सी. सपोटरा के लिए उनके द्वारा संलग्न किये गये स्टेटमेंट के अंकित कार्यों के लिए राशि आबंटित करने की अभिशंसा की गयी। यहां यह उल्लेखनीय है कि...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, क्या उल्लेखनीय है क्या नहीं है...

श्री तैयब हुसैन : माननीय सांसद महोदया ने अपने पत्र के साथ संलग्न स्टेटमेंट में उपकरणों के मेक एवं फर्मों के नाम भी दर्शा रखे थे ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ का भी गाइड लाइंस से अलग जाकर पैसा दिया गया है अलवर में।

श्री मोहन लाल मोदी : वो भी आप लाइये, गलत दिया है तो। यों +++ करने से कोई काम नहीं चलता है।

श्री तैयब हुसैन : ....जबकि सांसद महोदया को केवल उपकरणों के नाम मय उनके लिए प्रस्तावित राशि की अभिशंसा करनी थी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नटवर सिंहजी ने भी गलत पैसा दिया है।

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये। बैठिये आप, दो मिनट।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप तो बोलते हो यहां पर।

श्री रमेश खींची : ....(व्यवधान) ये क्या कहना चाह रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : तैयब हुसैनजी, बैठिये आप, मंत्री महोदय।

श्री उपाध्यक्ष : शुरू कर दिया उन्होंने, आप बाद में कर लेना।

+++ अभिव्यक्ति/शब्द अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

एक माननीय सदस्य : ...(व्यवधान) जो भी कहा ...(व्यवधान) किसी ने सुना नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : आपको अलाउ करूंगा न मैं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं पहले। उनके पहले ही कर दो, साहब। व्यवस्था का प्रश्न है। साहब।

श्री तैयब हुसैन : ...परन्तु संलग्न स्टेटमेंट में उपकरणों के मेक/फर्मों के नाम अंकित कर स्वीकत करने वाले अधिकारियों को तद्नुसार मेक के उपकरण संलग्न स्टेटमेंट में अंकित फर्मों से क्रय करने के लिये प्रभावित किया...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : हमारा जो व्यवस्था का प्रश्न है उस पर अभी निर्णय नहीं हुआ ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री जी।

डा. किरोड़ी लाल : मंत्री जी।

श्री तैयब हुसैन : ...जिसके क्रम में अतिरिक्त कलक्टर (विकास), करौली ने बिना कलक्टर से अनुमोदन कराए उपकरणों के मय मेक व फर्म के दिनांक 8.2.2001 को प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कर दी गईं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप व्यवस्था का प्रश्न तो डिस्पोज आफ करे, उपाध्यक्ष महोदय। डिस्पोज आफ तो करें उसको।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष महोदय, क्या है यह? (व्यवधान)

श्री मोहन लाल मोदी : मंत्रीजी सही बात बता रहे हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कई दिनों के बाद बोल रहे हैं इसलिए क्या? कई दिनों के बाद बोलने का चांस मिला है क्या?

श्री तैयब हुसैन : प्रशासनिक स्वीकृतियों में इन उपकरणों के लिए संबंधित पी.एच.सी. को कार्यकारी संस्था बनाया गया। इस प्रकार अतिरिक्त कलक्टर (विकास) द्वारा जारी की गयी स्वीकृति अनियमित थी। जो स्वीकृति है वो अनियमित थी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता-प्रतिपक्ष) : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार जो व्यवस्था का प्रश्न खड़ा किया...

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर।

श्री तैयब हुसैन : तदनन्तर कलक्टर, करौली ने अपने पत्र दिनांक 13.6.2001 द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्रीजी को बोलने का मौका नहीं मिला। कई दिनों बाद बोल रहे हो क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : उपाध्यक्ष महोदय, एक बार जो व्यवस्था का प्रश्न उठा दिया उसको रिजक्ट करो या कुछ करो, वह आप आसन की तरफ से तो कहो...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : वह तो कर दिया न।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नेता प्रतिपक्ष खड़े हैं, बैठ जाइये।

श्री मानिक चन्द सुराना : व्यवस्था का प्रश्न है, उपाध्यक्ष महोदय, आप निर्णय फर्मा दीजिये। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : मैंने रिजेक्ट कर दिया।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपने बता दिया क्या?

श्री मानिक चन्द सुराना : आप निर्णय तो फर्मा दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : जो व्यवस्था का प्रश्न खड़ा किया (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : व्यवस्था के प्रश्न पर व्यवस्था दे दी है।

श्री तैयब हुसैन : तत्कालीन जिला कलक्टर, करौली ने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के पार्ट 2 के परिशिष्ट–"ए" (नियम 30) के अन्त में दी गई टिप्पणी संख्या 3 के तहत इन उपकरणों की राशि का भुगतान फर्म को करने की स्वीकृति दी।

अतिरिक्त कलक्टर (विकास), करौली से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार...

श्री मानिक चन्द सुराना : हमने तो सुना ही नहीं कि आपने निर्णय क्या दिया है। आप निर्णय तो फर्माएं ...(व्यवधान) माननीय मंत्रीजी, रुक जाइये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य। एक मिनट, माननीय मंत्री जी। आपको ध्यान नहीं रहा होगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप निर्णय फर्माइये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बैठ जाइये। बहुत दिनों के बाद मौका मिला है क्या, तैयब हुसैन साहब? बोलते ही जा रहे हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल आसन से जो व्यवस्था का प्रश्न है ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यह प्रश्न जब समाप्त हो गया उसके बाद में मैंने कहा, अब इसका कोई इश्यू नहीं रहा, आप इसको शुरू करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं-नहीं, मतलब यह था, केवल यही है आप...

श्री उपाध्यक्ष : अब आप चाहते हो कि यह कहूं कि I disallow this point of order. यह कह देता हूं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : केवल आपकी तरफ से यह व्यवस्था होनी थी कि यह 131 क में चौथे में जो आया है इसमें यह कवर नहीं हो रहा है और इसलिए मैं इसको रिजक्ट करता हूं। उसके बाद शुरू करते, पर जब तक आप रिजक्ट नहीं करते तब तक उस व्यवस्था के प्रश्न का क्या हुआ?

श्री उपाध्यक्ष : वो तो कर दिया है, कहा न मैंने। वापस कह देता हूं आपको, इसमें क्या बहस है?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** आप सुनिये फिर, एक बार और, अभी नहीं। अभी सुनिये, एक बार और सुनिये। एक बार सुन लीजिये रिजैक्ट करने से पहले।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, आपकी व्यवस्था हमारे लिये इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हो गयी।

श्री उपाध्यक्ष : मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, मैंने कहा है।

श्री मानिकचन्द सुराना : एक मिनट सुने, प्रश्न के माध्यम से चर्चा हो भी जाए यह हमारे लिए तो बहुत शुभ है। प्रश्नों के माध्यम से चर्चा हो भी जाए तो भी 131 में आ सकते हैं, हमें इसमें कोई दिक्कत नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं कर सकते हो।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, यह माननीय उपाध्यक्षजी का निर्णय हुआ है कि प्रश्नों के माध्यम से चर्चा हो भी जाए तो भी 131 में उस पर पाबंदी नहीं है। यही तो कहा है। यही कहा है माननीय उपाध्यक्षजी ने।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** कह देंगे अब।

श्री उपाध्यक्ष : मैंने कहा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं तो क्या कहा है, आप बता दो? आप फर्मा दो, साहब, आपने निर्णय क्या दिया?

श्री जुगल काबरा : ...(व्यवधान) इसको मिलाने की कोशिश क्यों कर रहे हो आप? पहले चर्चा अलग विषय पर हुई, आज चर्चा अलग विषय पर हो रही है, आप इन दोनों को मिला कर आसन की रूलिंग को इंटरप्रेट गलत कर रहे हैं।

श्री संजीव कुमार : ...(व्यवधान)... महिला एवं बाल विकास पर चर्चा हुई है, एम.पी. कोष पर चर्चा नहीं हुई। महिला बाल विकास पर चर्चा हुई है, साहब, आप महिला-बाल विकास की बात को ऐसी जगह कर रहे हैं। चर्चा नहीं हुई पहले इस विषय पर।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** आप सुन लीजिये। उपाध्यक्ष महोदय, एक और है। आप जो निर्णय दें, एक बिन्दु पर और निर्णय दे दीजिये। एक निर्णय और दे दीजिये। कि यह जो हमने आपत्ति की कि यहां विचार हो चुका है, दुबारा विचार नहीं किया जाए, यह कौनसा अवसर है जब इस पर आपत्ति करें? हमारा और कौनसा अवसर है जब हम इस पर आपत्ति करें? हमसे पूछ कर तय करते नहीं आप, तो आप जब इसका निर्णय कर रहे हैं तो हमारा यह होता नहीं है तो हम इसकी आपत्ति कब कर सकते हैं? वो कौन-सा प्रोविजन है? फिर यहां आने के बाद ही तो करेंगे। आपत्ति कब करेंगे हम?

श्री उपाध्यक्ष : आप अगर डिटेल चाहते हैं तो बताएं, मैं नार्मली इतनी डिटेल में ...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** इसकी आपत्ति को हम कब करेंगे? नहीं, इस आपत्ति को उठाएंगे फिर हम?

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, आप विराजिये। मैं नार्मली इतनी डिटेल में जाता नहीं हूं क्योंकि आप सभी सदस्य समझते हो इस बात को, लेकिन चूंकि आप डिटेल में व्यवस्था चाहते हैं तो मैं डिटेल में व्यवस्था दे देता हूं।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** इसकी भी दे दीजिये फिर कि हम आपत्ति कब करें, आप बता दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष : हां, दे देता हूं। आप विराजिये।

व्यवस्था

भिन्न विषय वस्तु के आधार पर उसी सत्र में एक ही विषय पर ध्यानाकर्षण प्रस्ताव उठाया जा सकता है

विद्यमान ध्यानाकर्षण की गाह्यता माननीय अध्यक्ष द्वारा प्रस्ताव की विषय वस्तु पर विचार करके नियम 131 बी में निश्चित की गयी है। निश्चय के समय इस बिन्दु पर भी विचार किया गया कि पूर्व में माननीय सांसद जसकौर मीणा के संबंध में जो चर्चा सदन में हुई उसकी विषय वस्तु वर्तमान प्रस्ताव से भिन्न है इसलिए मैं पाइंट ऑफ आर्डर जो माननीय सदस्य श्री मानिकचन्द सुराना ने उठाया है उसको निरस्त करता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : +++ के पैसे में भी घोटाला हो रहा है। उन्होंने जो पैसा दिया है उसमें भी गड़बड़ी हो रही है। +++ की भी चर्चा की जाए।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री तैयब हुसैन : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तत्कालीन जिला कलक्टर, करौली ने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के पार्ट-2 के परिशिष्ट-ए नियम 30 के अंत में दी गई टिप्पणी संख्या 3 के तहत...

श्री ज्ञानदेव आहूजा : हमारे भी 131 लगे हुए हैं।

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। माननीय मंत्री जी।

श्री तैयब हुसैन : ....इन उपकरणों की राशि का भुगतान फर्म को करने की स्वीकृति दी। अतिरिक्त कलक्टर (विकास) करौली से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार...

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। माननीय मंत्री जी।

श्री तैयब हुसैन : एलेंजर्स मेडिकल सिस्टम, मद्रास से एक्सरे मशीन क्रय की गयी जिसका मुख्यालय चण्डीगढ़ बताया गया है।

श्री रोहिताश्व कुमार : आपको चण्डीगढ़ ज्यादा याद है।

श्री तैयब हुसैन : इसके बाबत् जयपुर में डीलर होने अथवा जयपुर के डीलर द्वारा...

श्री मानिक चन्द सुराना : आप शुरू से पढ़िये।

श्री तैयब हुसैन : शुरू से पढ़ना है, साहब?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हल्ले में हो गया। दुबारा और।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, शुरू से पढ़ दें। आप कहें जैसा कर लेते हैं, हमारे को कहां तकलीफ है?

श्री तैयब हुसैन : मैं पढ़ देता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बहुत दिनों बाद मौका मिला है।

+++ नाम अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित किया गया।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

सवाईमाधोपुर सांसद द्वारा 'सांसद कोष' की राशि का दुरुपयोग

श्री तैयब हुसैन : माननीय सांसद महोदया, सवाईमाधोपुर ने अपने पत्र दिनांक 30.11.2000 एवं पत्र दिनांक 30.11.2000 द्वारा पी.एच.सी. नादौती एवं पी.एच.सी. सपोटरा के लिए उनके द्वारा संलग्न किये गये स्टेटमेंट के अंकित कार्यों के लिये राशि आबंटित करने की अभिशंसा की। यहां यह उल्लेखनीय है कि माननीय सांसद महोदया ने अपने पत्र के साथ संलग्न स्टेटमेंट में उपकरणों के मेक एवं फर्मों के नाम भी दर्शा रखे थे, जबकि सांसद महोदया को केवल उपकरणों के नाम मय उनके लिये प्रस्तावित राशि की अभिशंसा करनी थी। परन्तु संलग्न स्टेटमेंट में उपकरणों के मेक/फर्मों के नाम अंकित कर स्वीकृत करने वाले अधिकारियों को तद्नुसार मेक के उपकरण संलग्न स्टेटमेंट में अंकित फर्मों से क्रय करने के लिये प्रभावित किया। जिसके क्रम में अतिरिक्त कलक्टर (विकास), करौली ने बिना कलक्टर से अनुमोदित कराए उपकरणों के मय मेक व फर्म के दिनांक 8.2.2001 को प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी कर दीं। प्रशासनिक स्वीकृतियों में इन उपकरणों के लिये संबंधित पी.एच.सी. को कार्यकारी संस्था बनाया गया। इस प्रकार अतिरिक्त कलक्टर (विकास) द्वारा जारी की गई स्वीकृति अनियमित थी। तदनन्तर कलक्टर, करौली ने अपने पत्र दिनांक 13.6.2001 द्वारा वित्तीय स्वीकृति जारी की। तत्कालीन जिला कलक्टर, करौली ने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के पार्ट-II के परिशिष्ट-"ए" (नियम 30) के अंत में दी गई टिप्पणी संख्या 3 के तहत इन उपकरणों की राशि का भुगतान फर्म को करने की स्वीकृति दी। अतिरिक्त कलक्टर (विकास), करौली से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार एलेंजर्स मेडिकल सिस्टम, मद्रास से एक्स-रे मशीन क्रय की गयी, जिसका मुख्यालय चंडीगढ़ बताया गया है। इसके बाबत जयपुर में डीलर होने अथवा जयपुर के डीलर द्वारा उक्त मशीन मय उपकरण 3.35 लाख रुपये व 3.80 लाख रुपये में उपलब्ध कराने बाबत जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, करौली को जानकारी नहीं थी। यदि इन उपकरणों को क्रय करने के लिये नियमानुसार निविदाएं जारी की जातीं तो इस बाबत सारी जानकारी हो जाती।

इस प्रकार उक्त कार्यों हेतु जारी की गई स्वीकृतियां एवं क्रय का तरीका अनियमित रहा।

(2) भारत सरकार के पत्र दिनांक 15 अक्टूबर, 1999 के अनुसार रेडक्रास, रामकृष्ण मिशन आदि जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं को एम्बुलेंस उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया। उक्त पत्र में यह भी व्यवस्था दी गई है कि चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने को गैर सरकारी सेवा संस्थाओं को एम्बुलेंस उपलब्ध कराने की योजना का हिस्सा नहीं बनाया जाना चाहिये। परन्तु माननीय सांसद महोदया ने भारत विकास परिषद्, सवाईमाधोपुर के लिए एम्बुलेंस की जो अभिशंसा की वह उचित प्रतीत नहीं होती है।

आप आराम से सुन लीजिये, मैं क्या कह रहा हूं कि कुछ हो गया? आप आराम से सुन लीजिये, परेशानी क्यों हो रही है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता-प्रतिपक्ष) : काहे की परेशानी? परेशानी हो तो आपके राज

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को हो, हमको काहे को हो? देने वाले आप, हमारा क्या लेना-देना?

श्री तैयब हुसैन : हालांकि जिला कलक्टर, सवाईमाधोपुर द्वारा भारत विकास परिषद् को रेडक्रास, रामकृष्ण मिशन जैसी प्रतिष्ठित संस्था मानते हुए तथा उनके द्वारा किये जा रहे चिकित्सा एवं स्वास्थ्य के कार्य को दृष्टिगत रखते हुए एम्बुलेंस मय स्पेशल फिटमेंट इक्विपमेंट (उपकरण) की स्वीकृति भारत विकास परिषद् की सवाईमाधोपुर शाखा को जारी की गयी जो उचित नहीं थी। क्योंकि भारत विकास परिषद्, शाखा सवाईमाधोपुर में वर्ष 1993 से अस्तित्व में बताई गई है, ऐसी स्थिति में 1993 में अस्तित्व में आने वाली संस्था रेडक्रास, रामकृष्ण मिशन जैसी प्रतिष्ठित संस्था हो सकती है। गाइड लाइंस से संबंधित परिपत्र के बिन्दु संख्या 2.6 के अनुसार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से सृजित परिसम्पत्तियों का स्वामित्व सरकार का होना होता है, परन्तु इस प्रकरण में भारत विकास परिषद् के नाम एम्बुलेंस क्रय की गयी जो भी उचित प्रतीत नहीं होती है। गाइड लाइंस के अनुसार रख-रखाव एवं व्यवस्था का भार लाभार्थी संस्था द्वारा उठाया जाना है, जबकि बीमा प्रीमियम की राशि का भुगतान भी सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना से कर अनियमितता की गई। ऐसा भी प्रतीत होता है कि भारत विकास परिषद्, सवाईमाधोपुर ने सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियमों के तहत दी गई व्यवस्था के अनुसार एम्बुलेंस क्रय नहीं की है।

(3) हां, यह सही है कि जिस जनजाति महिला विकास संस्थान, मैनपुरा के सांसद महोदय, सवाईमाधोपुर स्वयं अध्यक्ष हैं, जिसके लिये उन्होंने 19 लाख रुपये के नियमानुसार कार्य स्वीकृत कराये। 1999 में ग्रामीण महिला विद्यापीठ, मैनपुरा में छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण 10 लाख रुपये में, जो पूर्ण हो चुका है। छात्राओं के छात्रावास हेतु कमरों व अन्य सुविधाओं का निर्माण 9 लाख रुपये।

हालांकि तत्कालीन समय में भारत सरकार द्वारा जारी पत्र दिनांक 26.5.2000 में किये गये प्रावधान के अनुसार पंजीकृत संस्था के लिये कुछ शर्तों पर परिसम्पत्तियां निर्मित कराने का प्रावधान था। परन्तु बाद में सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका से संबंधित परिपत्र दिनांक 24.4.2002 के द्वारा यह स्पष्ट किया गया कि जिस संस्था की कार्यकारिणी के सांसद महोदय स्वयं अध्यक्ष या सदस्य हों, उन संस्थाओं को सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना का लाभ नहीं दिया जाए।

(4) इसमें पहले पंचायत को किया गया, फिर उसमें करौली पी.डब्ल्यू.डी. को किया गया, फिर उसके बाद हिण्डौन के पी.डब्ल्यू.डी. को किया गया। हालांकि उक्त कार्यों की जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, करौली द्वारा इनके कोटे की राशि में बचत नहीं रहने से आदिनांक तक वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है। (व्यवधान) मैं तो बता रहा हूं आपको, यह तो फैक्ट्स की बात है कि उसमें बदली गई, लेकिन इसमें स्वीकृति या पैसा नहीं ....(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : सुन लो, आप विराजो।

श्री संयम लोढ़ा : पूरा उत्तर तो पढ़वाओ, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : पढ़ रहे हैं और क्या कर रहे हैं?

श्री संयम लोढ़ा : पूरा नहीं पढ़ा, चार का खाली पीछे की दो लाइन पढ़ दी। पूरा पढ़िये आप बिन्दु संख्या 4 का, पूरा डेढ़ पेज का है, आप पढ़िये तो सही।

श्री तैयब हुसैन : मैंने तो उनसे ब्रीफली की। पहले पंचायत को किया, फिर करौली को किया गया, फिर हिण्डौन को किया गया लेकिन आखिर में है कि इस मद में कोई पैसा नहीं गया, इतनी बात मैंने कही है। बाकी अगर आप कहते हैं कि मैं डिटेल में पढ़ दूं कि कब हुआ, यह तो...

श्री उपाध्यक्ष : आप पहले इसको पढ़ दीजिये। (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : (5) अतिरिक्त कलक्टर (विकास), करौली से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अजीजपुर के सरपंच के खिलाफ कोई एफ.आई.आर. दर्ज नहीं की गयी।

यहां यह निवेदन है कि श्री रामसिंह मीणा पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत मंडेरू जो वर्तमान सरपंच, अजीजपुर श्रीमती कामेरी देवी मीणा के पति हैं, के विरुद्ध उनके कार्यकाल के निर्माण कार्यों से संबंधित राशि 1,36,469/– के गबन से संबंधित टोडाभीम थाने में एफ.आई.आर. नम्बर 59/92 दर्ज हुई थी, जिसमें टोडाभीम थाने ने नम्बर 75 दिनांक 28.7.1995 तथा माननीय न्यायालय द्वारा अदम सबूत होने के कारण दिनांक 18.10.2000 को एफ.आर. दी गयी।

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत ग्राम पंचायत अजीजपुर पंचायत समिति टोडाभीम को राशि 15.76 लाख रुपये के स्वीकृत 7 कार्यों में से 6 कार्यों की जांच अवर सचिव, जांच, पंचायती राज विभाग के निर्देश पर जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, करौली द्वारा की जाकर 2.25 लाख रुपये की वसूली निकाली गयी तथा उक्त जांच के आधार पर अजीजपुर के सरपंच के विरुद्ध पंचायत राज की धारा 38 (ख) के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्यवाही हेतु प्रकरण कलक्टर, करौली व सम्भागीय आयुक्त, कोटा के मध्य विचाराधीन है। वसूली योग्य राशि 2,25,255/– रुपये का चैक दिनांक 26.2.2003 को जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, करौली को प्राप्त हो चुका है। वर्तमान में उक्त कार्य पूर्ण होकर कार्य का पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त हो चुका है।

(6) हां, यह सही है कि जनजाति महिला विकास संस्थान, मैनपुरा, जिसकी माननीय सांसद महोदया स्वयं अध्यक्ष हैं, को निम्नानुसार 6 कार्यों के लिए कार्यकारी संस्था बनाने की अभिशंसा कर जिला कलक्टर द्वारा स्वीकृतियां जारी की गयीं।

क्र.संख्या	वर्ष	कार्य का नाम	राशि	कार्य की स्थिति
1.	1999–2000	दौसा सवाईमाधोपुर मुख्य सड़क से महिला विद्यापीठ के रास्ते का निर्माण।	2.46	पूर्ण
2.	1999–2000	ग्रामीण महिला विद्यापीठ मैनपुरा में छात्राओं हेतु छात्रावास का निर्माण।	10.00	पूर्ण

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, अनियमितता क्या हुई, आप तो यह बता दीजिये। (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : जी?

श्री उपाध्यक्ष : अनियमितता क्या हुई, यह बताइये? (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : मैं अर्ज कर रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : इश्यू यह है, इन्होंने कहा है कि सांसद महोदय ....(व्यवधान) आर्डर, आर्डर। सांसद महोदय ने इस राशि का दुरुपयोग किया है, यह है 131, वह क्या अनियमितता हुई है, यह बताइये? (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : मैं अर्ज कर रहा हूं। मैं अर्ज तो कर रहा हूं कि इसमें जो भी .. (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, विराजिए। (व्यवधान) आपके बस की बात नहीं है।

श्री तैयब हुसैन : उसी संस्था के अध्यक्ष हैं और उसी को आप पैसा दे रहे हैं तो अनियमितता नहीं है तो और क्या है? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलिए।

श्री तैयब हुसैन : सरकारी पैसा, जैसे मैं एम.एल.ए. फण्ड ...(व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कौनसे नियम में बना यह? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री रमजान खान : आपके गांव में नहीं दे सकते क्या पैसा आप? (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : आगे चलिए।

श्री रमजान खान : आपके गांव में नहीं दे सकते क्या? (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : उसी संस्था के थ्रू पैसा खर्च होना है ...(व्यवधान)

श्री रमजान खान : आपके गांव में नहीं दे सकते हो क्या जहां आप रहते हो? (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : आप इसे सुन लीजिये।

श्री रमजान खान : जब आपके गांव में दे सकते हो तो संस्था में भी दे सकते हो। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : जनहित में गया है तो अनियमितता क्या हो गई, यह बताइये आप तो? (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : उपाध्यक्ष महोदय, सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि सांसद महोदया ने ...(व्यवधान) गलती कलक्टर की ....(व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : जनहित में खर्चा हुआ, अनियमितता क्या हुई? What is wrong?

एक माननीय सदस्य : मैं कोई गलत सिफारिश करता हूं। (व्यवधान)

श्री हफीज मोहम्मद : कलक्टर ने उसको सैंक्शन कर दी। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : कलक्टर ने सैंक्शन..... (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : कलक्टर को पकड़ो अगर गलत है तो। कलक्टर ने कैसे सैंक्शन दी? (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह अर्ज कर रहा हूं, ये क्यों परेशान हो रहे हैं? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय रोहिताश्व कुमारजी।

श्री रोहिताश्व कुमार : इस तरह की भावना रखोगे तो एक-दूसरे पर खूब आरोप लगेंगे। (व्यवधान)

श्री रमजान खान : सांसद महोदया ने कहीं अनियमितता नहीं की। (व्यवधान) आप जानबूझकर अनियमितता, अनियमितता... (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : जनप्रतिनिधि... (व्यवधान) कोई नहीं बचेगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : एक-एक चीज को साबित करूंगा। (व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, एक एक साबित करूंगा, सारे प्रमाण लेकर आया हूं। (व्यवधान)

श्री तैयब हुसैन : .....

क्र.संख्या	वर्ष	कार्य का नाम	राशि	कार्य की स्थिति
3.	2000-2001	तालाब-सफाई एवं पाल निर्माण कार्य, मैनपुरा।	1.00	पूर्ण
4.	2000-2001	मैनपुरा गांव में पीने के पानी की टंकी व मवेशियों के पीने के पानी की खेल (गोनेर रोड़ पर ग्रामीण महिला विद्यापीठ की बाउण्डरी के पास)।	0.28	पूर्ण
5.	2000-2001	देवस्थान से पीपली साजोड़ तक बडीला तक ग्रेवल सड़क निर्माण।	2.85	पूर्ण
6.	2000-2001	छात्राओं के छात्रावास हेतु कमरों व अन्य सुविधाओं का निर्माण।	9.00	पूर्ण

हालांकि सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना की मार्गदर्शिका के बिन्दु संख्या 2.1 के अनुसार किसी भी गैर सरकारी संस्था को कार्यकारी संस्था बनाने का प्रावधान है।

भारत सरकार के पत्र दिनांक 26.5.2000 के द्वारा कार्य के स्वरूप को देखते हुए 25.00 लाख रुपये से बड़े कार्य भी करवाये जाने का प्रावधान किया हुआ है। उसी को दृष्टिगत रखते हुए गाडाडूब एनीकट के लिए सिंचाई विभाग को कार्यकारी संस्था बनाते हुए राशि 36.83 लाख रुपये स्वीकृत किये गये। उक्त कार्य के अलावा कोई भी कार्य 25.00 लाख रुपये से अधिक का स्वीकृत नहीं किया गया। अत: जो स्वीकृतियां जारी की गयी हैं वे गाइडलाइन के अनुसार हैं।

श्री रोहिताश्व कुमार : चोरी कहां है, वह तो पकड़ते नहीं हो और मंत्री महोदय ने जो पढ़ा ...(व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : गलत कार्य स्वीकृत किए उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की, यह बताइये? (व्यवधान) आज तक आपने सस्पैंड किया है क्या?

श्री उपाध्यक्ष : धर्मपाल जी।

श्री तैयब हुसैन : जहां तक मौके पर कार्य का प्रश्न है कार्य पूर्ण हो चुका है। 36.83 लाख रुपये के सिंचाई विभाग से उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त हो चुके हैं तथा उनका समायोजन भी हो चुका है। (व्यवधान)

(7) प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत धार्मिक स्थलों को राशि आवंटित करने से संबंधित कोई स्वीकृति जारी नहीं की गई है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप इतनी जल्दी क्यों कर रहे हो, क्या बात है? (व्यवधान)

श्री रमजान खान : ये सात के सात पाइंट आपने गलत पढ़े हैं। इसमें कोई तथ्य नहीं है, सब तथ्यहीन हैं। (व्यवधान) सांसद महोदया ने कोई भी अनियमितता नहीं की है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य....। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : बिलकुल गलत आरोप हैं। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : गलत कार्य स्वीकृत किए हैं उनके खिलाफ क्या कार्यवाही की? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह राजस्थान विधान सभा का यह प्रांगण राजनीतिक विद्वेष का मंच बनाना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : आप व्यवस्था दीजिए।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये तो सही (व्यवधान) माननीय धर्मपालजी।

श्री धर्मपाल चौधरी : यह कहा कि यह गलत कार्य स्वीकृत हुए ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आपको क्या कहना है, बोलिए। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : गलत कार्यों पर स्वीकृत किए, उन अफसरों के ऊपर क्या कार्यवाही की? आज तक अफसरों के खिलाफ आपने कोई कार्यवाही की है क्या? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कई एम.एल.ए. अपनी कार्यकारिणी रोज चेंज ....(व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : गलत काम क्या है? (व्यवधान) What is wrong?

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट। (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : आपने उन अफसरों के खिलाफ क्या कार्यवाही की? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : सांसद को तो क्या, एम.एल.ए. कई बार ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : मैं खुद आपसे कह रहा हूं कि डी.आर.डी.ए. ... (व्यवधान)

श्री धर्मपाल चौधरी : गलत स्वीकृत ... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कलक्टर पी.डी. के खिलाफ आपने क्या कार्यवाही की? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : एक्सरे मशीन... (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मंत्री महोदय, आपने कलक्टर पी.डी. के खिलाफ क्या कार्यवाही की जो गलत इश्यू करते हैं? (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : 5 लाख 66 हजार 720 प्रत्येक राशि की प्रशासनिक स्वीकृति दिनांक 8.2.2000 को जारी की गई। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा : मैं उसी एलेंजर्स कम्पनी के कोटेशन टेबल कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, यह भाषण देना चालू कर रहे हैं। यह भाषण देना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : 5 लाख 62 हजार रुपये में उसी कम्पनी से ...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। आप विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए, बैठिए।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री धर्मपाल चौधरी : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप नीचे बैठिए।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, स्पष्ट बात यह है, हम आपसे यह पूछ रहे हैं कि 131 नियम के तहत जो नोटिस दिया गया है उसमें यह कहा गया है कि माननीय सांसद महोदया ने राशि का दुरुपयोग किया है। यह प्रश्न है। राशि का दुरुपयोग अगर कोई माननीय सदस्य, कोई अनुशंसा करता है कलक्टर को अथवा उसको, तो यह कलक्टर की जिम्मेदारी है कि वह उसको नहीं माने। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए। बैठिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए, आप बैठिए। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिए, बैठिए। (व्यवधान) चर्चा समाप्त हुई।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय वित्त मंत्रीजी। (व्यवधान) आप सुनना नहीं चाहते।

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

सदन की मेज पर रखे गये पत्र

अधिसूचना
वित्त विभाग

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : मैं कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार निम्नांकित 111 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं :- (व्यवधान) (संलग्न)

1. अधिसूचना संख्या प.4(50)वित्त/कर/99-102 दिनांक 5.9.2002 जिसके द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण से मै.जी.ई. केपीटल इंटरनेशनल सर्विसेज द्वारा क्रय जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर पर 11487 वर्गमीटर भूमि के लिये निष्पादित विलेखों पर संदेय मुद्रांक शुल्क को निर्धारित शर्तों के अध्यधीन हटाया गया है।

2. अधिसूचना संख्या प.4(50)/वित्त/कर/99-103 दिनांक 5.9.2002 जिसके द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण से मै.जी.ई. केपीटल इंटरनेशनल सर्विसेज द्वारा क्रय जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर पर 11487 वर्गमीटर भूमि को निर्धारित शर्तों के अध्यधीन भूमि एवं भवन कर से मुक्त किया गया है।

3. अधिसूचना संख्या प.2(26)/वित्त/कर/98-पार्ट/104 दिनांक 6.9.2002 जिसके द्वारा राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर सुधार न्यासों, नगरपालिकाओं, कृषि उपज मण्डियों, मण्डी समितियों, पंचायतों, पंचायत समितियों, रीको, राजस्थान राज्य सहकारी आवासन संघ और राज्य सरकार के अन्य उपक्रमों द्वारा आबंटित/विक्रीत स्थावर सम्पत्ति के सम्बन्ध में मूल आबंटी/क्रेता के पक्ष में लेख पत्र पंजीबद्ध होने के बाद उस सम्पत्ति को मूल आबंटन की स्थिति में मूल आबंटन/विक्रय की तिथि से एक वर्ष अथवा दो वर्ष या तीन वर्ष की अवधि में पुन: हस्तान्तरण का विलेख निष्पादित एवं पंजीयन हेतु प्रस्तुत होने पर मुद्रांक कर घटाया जाकर सम्पत्ति के बाजार मूल्य के स्थान पर मूल आबंटन/विक्रय के प्रतिफल की राशि में से क्रमश: 5%, 10% एवं 15% वृद्धि करके गणना की जाएगी।

4. अधिसूचना संख्या प.4(61)/वित्त/कर/98-105 दिनांक 16.9.2002 जिसके द्वारा विश्व खाद्य कार्यक्रम द्वारा भारतीय मुद्रा रुपये में क्रय किये गये खाद्यान्न को भी कर मुक्त किया गया है।

5. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/कर/94-106 दिनांक 19.9.2002 जिसके द्वारा जलमहल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना, जयपुर की नव-सृजित सम्पत्ति के निजी निवेशक द्वारा उसके पक्ष के निष्पादित लीज डीड व मोरगेज डीड पर देय मुद्रांक का पंजीयन शुल्क का 30 वर्षों की अवधि के लिये परिहार किया गया है।

6. अधिसूचना संख्या प.2(2)/वित्त/कर/02-107 दिनांक 19.9.2002 जिसके द्वारा जलमहल टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना, जयपुर के अंतर्गत अनुबंध के अनुसार विकसित सम्पत्ति को भूमि एवं भवन कर से छूट प्रदान की गई है।

7. अधिसूचना संख्या प.1(24)/वित्त/कर/96-108 दिनांक 19.9.2002 जिसके द्वारा बोब हाउसिंग फाइनेंस लि., जयपुर द्वारा जारी किये जाने वाले 20 करोड़ के नोन कनवर्टेबल रीडीमबेल डिबेंचर (डीमेट फॉर्म में) हेतु 15

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

लाख रुपये कंसोलीडेटेड स्टाम्प ड्यूटी जमा कराने की अनुमति दी गई है।

8. अधिसूचना संख्या प.4(31)/वित्त/कर/02-109 दिनांक 23.9.2002 जिसके द्वारा वित्त विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक प.4(30)/वित्त/कर/02-143 दिनांक 22.3.2002 में संशोधन करते हुए कम्प्यूटर्स एवं इसकी एसेसरीज पर 4% कर दर निर्धारित की गई है।

9. अधिसूचना संख्या प.4(58)/वित्त/कर/02-110 दिनांक 23.9.2002 जिसके द्वारा बायो टैक्नोलोजी पार्क या बायो टैक्नोलोजी इंडस्ट्रीज जो कि रीको द्वारा विकसित प्रवर्तित को सशर्त मुद्रांक में छूट प्रदान की गई है।

10. अधिसूचना संख्या प.4(58)/वित्त/कर/02-111 दिनांक 23.9.2002 जिसके द्वारा बायो टैक्नोलोजी पार्क बायो टैक्नोलोजी इंडस्ट्रीज जो कि रीको विकसित प्रवर्तित को सशर्त भूमि एवं भवन कर से छूट प्रदान की गई है।

11. अधिसूचना संख्या प.8(5)/वित्त/कर/99-112 दिनांक 27.9.2002 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ लि. की मुख्यालय एवं नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित भूमि एवं भवन की ओर सम्पूर्ण बकाया देय भूमि एवं भवन कर राशि का 50 प्रतिशत तक तथा बकाया राशि पर देय ब्याज एवं शास्ति-प्रतिशत सशर्त परिहार किया गया है।

12. अधिसूचना संख्या प.4(60)/वित्त/कर/02-113 दिनांक 27.9.2002 जिसके द्वारा मै. हिन्दुस्तान जिंक लि. द्वारा जिंक एवं शीशे के अन्तरराज्यीय विक्रय पर कर की दर विहित शर्तों के अधीन एक प्रतिशत निर्धारित की गई है।

13. अधिसूचना संख्या प.4(1)/वित्त/कर/01-114 दिनांक 27.9.2002 जिसके द्वारा राज. बिक्री कर अधिनियम, 1994 की धारा (9) की उपधारा (1) के अधीन निर्धारित स्थानों पर केजुअल कमोडिटी बजरी, चूना पत्थर, पटरी, ग्रिट एवं मोरम आदि पर प्रति टन की दर निर्धारित की गई है।

14. अधिसूचना संख्या प.4(1)/वित्त/कर/01-115 दिनांक 27.9.2002 जिसके द्वारा राज. बिक्री कर अधिनियम, 1994 की धारा-15 के अन्तर्गत चम्बल, बनास, माही एवं खारी स्थानों पर उपरोक्त वस्तुओं को एक विमुक्ति शुल्क जमा करवाने के पश्चात् कर से मुक्त किया गया है।

15. अधिसूचना संख्या प.1(12)/वित्त/कर/97-116 दिनांक 28.9.2002 जिसके द्वारा जयपुर विकास प्राधिकरण के 6 तहसीलदारों के "ऑपरेशन संकल्प" के दौरान दिनांक 31.12.2002 तक के लिये उप पंजीयक की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

16. अधिसूचना संख्या प.4(4)/वित्त/कर/99-11-117 दिनांक 30.9.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना क्रमांक प.4(4)/एफ.डी./टैक्स-डिवी/99-221 दिनांक 30.4.99 में संशोधन किया गया है।

17. अधिसूचना संख्या प.2(1)/वित्त/कर/01-118 दिनांक 30.9.2002 जिसके द्वारा नवजीवन संस्थान, जोधपुर को दानदाताओं द्वारा वृद्धाश्रम स्थापना हेतु भूखण्ड के हस्तान्तरण

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

दस्तावेजों पर देय पंजीयन शुल्क का परिहार किया गया है।

18. अधिसूचना संख्या प.4(30)/वित्त/कर/97-पार्ट-1-119 दिनांक 1.10.2002 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने भारत सरकार द्वारा भारतीय खाद्य निगम की आबंटित 56 लाख मीट्रिक टन गेहूं की बिक्री कर एवं क्रय कर से विहित शर्तों के अध्यधीन कर मुक्त किया गया है।

19. अधिसूचना संख्या प.4(43)/वित्त/कर/02-120 दिनांक 5.10.2002 जिसके द्वारा राज्य सरकार ने राज. स्थानीय क्षेत्रों में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 की धारा-9 के अन्तर्गत इस विभाग की पूर्व अधिसूचना क्रमांक-190 दिनांक 22.3.2002 में संशोधन किया गया है।

20. अधिसूचना संख्या प.4(110)/वित्त/कर/97-121 दिनांक 17.10.2002 जिसके द्वारा राज. बिक्री कर अधिनियम, 1995 की धारा-15 के अन्तर्गत शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुख औद्योगिक इकाइयों जिन्होंने 100 करोड़ रुपये विनियोजित किये गये हैं, को उनके द्वारा क्रय और विक्रय हेतु कच्चे माल को कर मुक्त किया गया है।

21. अधिसूचना संख्या प.4(110)वित्त/कर/97-122 दिनांक 17.10.2002 जिसके द्वारा ग्वार गम का भारत से बाहर निर्यात करने वाली शत-प्रतिशत निर्यातोन्मुखी औद्योगिक इकाइयों को प्रवेश कर से कर मुक्त किया गया है।

22. अधिसूचना संख्या प.8(16)वित्त/कर/102-123 दिनांक 25.10.2002 जिसके द्वारा रीको के स्वामित्वाधीन एवं अभिकथित संबंधित नगरीय क्षेत्रों में अवस्थित भूमि एवं भवनों पर अप्रैल, 2002 तक देय कर सशर्त निर्धारित किया गया है।

23. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/कर/2001-124 दिनांक 30.10.2002 जिसके द्वारा कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों/अधिकारियों की विधवाओं को राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा आबंटित/विक्रीत फ्लैट/आवास के दस्तावेजों पर जिनका प्रमाणीकरण निदेशक, सैनिक कल्याण विभाग, जयपुर द्वारा किया गया है, को मुद्रांक कर एवं पंजीयन शुल्क में छूट दी गई है।

24. अधिसूचना संख्या प.8(14)वित्त/कर/93-125 दिनांक 8.11.2002 जिसके द्वारा मोनीलेक अस्पताल एवं शोध संस्थान, जवाहर नगर, जयपुर को भूमि एवं भवन कर से कतिपय शर्तों के अध्यधीन छूट दी गई है।

25. अधिसूचना संख्या प.10(16)वित्त/कर/02-126 दिनांक 8.11.2002 जिसके द्वारा मकड़ी फिल्म को एक वर्ष के लिये मनोरंजन कर से छूट दी गई है।

26. अधिसूचना संख्या प.4(30)वित्त/कर/पार्ट-127 दिनांक 8.11.2002 जिसके द्वारा दूरसंचार उपकरणों पर देय विद्यमान विक्रय कर की दरों में 4 प्रतिशत से अधिक देय कर को समाप्त किया गया है।

27. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/कर/94/पार्ट-128 दिनांक 18.11.2002 जिसके द्वारा तत्कालीन आर.एस.ई.बी. द्वारा उसके पक्ष में मार्च, 95 से सितम्बर, 96 के बीच निष्पादित कतिपय

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

विक्रय पत्रों एवं लीज डीड जिनके संबंध में महालेखाकार (अंकेक्षण) द्वारा आक्षेप किये गये हैं, के संबंध में देय मुद्रांक कर की राशि में सशर्त छूट दी गई है।

28. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/कर/01-129 दिनांक 21.11.2002 जिसके द्वारा मै. आई.आई.ई.एल. नई दिल्ली को नीमराना औद्योगिक क्षेत्र में आबंटित भूमि के संबंध में निष्पादित लीज डीड पर देय मुद्रांक कर में 50 प्रतिशत की छूट दी गई है।

29. अधिसूचना संख्या प.10(3)वित्त/कर/95/पार्ट-130 दिनांक 23.11.2002 जिसके द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम संस्कार, 2002 को सशर्त मनोरंजन कर से छूट दी गई है।

30. अधिसूचना संख्या प.2(6)वित्त/कर/02-131 दिनांक 5.12.2002 जिसके द्वारा रजिस्ट्रेशन फीस आर्टिकल-7 के उपखण्ड-1 में संशोधन किया गया है।

31. अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर/01-पार्ट-132 दिनांक 11.12.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर/2001-114 दिनांक 27.9.2002 में संशोधन किया गया है।

32. अधिसूचना संख्या प.4(43)वित्त/कर/02-पार्ट-133 दिनांक 13.12.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर/2000-299 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

33. अधिसूचना संख्या प.4(43)वित्त/कर/02-पार्ट-134 दिनांक 13.12.2002 जिसके द्वारा पूर्व अधिसूचना संख्या 298 दिनांक 30.3.2000 में संशोधन किया गया है।

34. अधिसूचना संख्या प.4(43)वित्त/कर/02-पार्ट-135 दिनांक 13.12.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर/99-246 दिनांक 15.10.1999 में संशोधन किया गया है।

35. अधिसूचना संख्या प.4(43)वित्त/कर/02-पार्ट-136 दिनांक 13.12.2002 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(30)वित्त/कर/02-190 दिनांक 22.3.2002 में संशोधन किया गया है।

36. अधिसूचना संख्या प.2(17)वित्त/कर/02-137 दिनांक 17.12.2002 जिसके द्वारा मै. रास सीमेंट को पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क में 50% की छूट दी गई है।

37. अधिसूचना संख्या प.2(24)वित्त/कर/97-138 दिनांक 17.12.2002 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि., राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लि. एवं राजस्थान राज्य विद्युत वितरण निगम लि. (जयपुर, अजमेर एवं जोधपुर) द्वारा जीवन बीमा निगम से प्राप्त 130 करोड़ रुपये के बंधक विलेखों पर प्रभारित मुद्रांक कर 5% के स्थान पर 0.80% प्रभारित किया गया है।

38. अधिसूचना संख्या प.10(3)वित्त/कर/95-139 दिनांक 19.12.2002 जिसके द्वारा लायंस क्लब, जयपुर कैपीटल द्वारा आयोजित

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

फिल्म 'कांटे' के चैरिटी शो को मनोरंजन कर से छूट प्रदान की गई है।

39. अधिसूचना संख्या प.8(3)वित्त/कर/02 दिनांक 20.12.2002 जिसके द्वारा प्रसार भारती केन्द्रों को भूमि एवं भवन कर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

40. अधिसूचना संख्या प.8(14)वित्त/कर/91पार्ट–140 दिनांक 1.1.2003 जिसके द्वारा भूमि एवं भवन कर निर्धारण की दरों में संशोधन किया गया है।

41. अधिसूचना संख्या प.4(43)वित्त/कर/02-पार्ट–141 दिनांक 3.1.2003 जिसके द्वारा राजस्थान स्थानीय क्षेत्रों के अन्तर्गत माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1999 के अन्तर्गत राज्य में कर चुकाये गये कागज पर मुजराई स्वीकृत किया गया है।

42. अधिसूचना संख्या प.8(27)वित्त/कर/97–142 दिनांक 13.1.2003 जिसके द्वारा केन्द्रीय भण्डारण निगम, कोटा के भूमि एवं भवन कर पर बकाया भूमि एवं भवन पर ब्याज एवं शास्ति में छूट प्रदान की गई है।

43. अधिसूचना संख्या प.4(5)वित्त/कर/91–पार्ट–141 दिनांक 15.1.2003 जिसके द्वारा वृत्ति कर के संबंध में जारी किये गये नियम क्रमांक प.4(1)वित्त/कर/2000–315 दिनांक 30.3.2000 का सरलीकरण किया गया है।

44. अधिसूचना संख्या प.4(5)वित्त/कर/91–144 दिनांक 15.1.2003 जिसके द्वारा वृत्ति कर के संबंध में जारी किये गये नियमों क्रमांक प.4(1)वित्त/कर/2000–317 दिनांक 30.3.2000 का सरलीकरण किया गया है।

45. अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर/01–पार्ट–145 दिनांक 15.1.2003 जिसके द्वारा राजस्थान बिक्री कर अधिनियम, 1994 की धारा–99 के अन्तर्गत ठेकेदारों द्वारा कर संग्रह के बारे में विद्यमान नियम–42 में संशोधन किया गया है।

46. अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर/01–पार्ट–146 दिनांक 15.1.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर/01–114 दिनांक 27.9.2002 में संशोधन किया गया है।

47. अधिसूचना संख्या प.4(11)वित्त/कर/01–पार्ट–147 दिनांक 15.1.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर/2001–115 दिनांक 27.9.2002 में संशोधन किया गया है।

48. अधिसूचना संख्या प.2(26)वित्त/कर/98–पार्ट–148 दिनांक 16.1.2003 जिसके द्वारा पंजीयन एवं मुद्रांक कर राहत योजना में दिनांक 31.3.2003 तक समय सीमा बढ़ाई गई है।

49. अधिसूचना संख्या प.1(12)वित्त/कर/97–पार्ट–149 दिनांक 16.1.2003 जिसके द्वारा 'संकल्प अभियान' के अन्तर्गत नियमन शिविरों में जयपुर विकास प्राधिकरण के तहसीलदारों को उप पंजीयक की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

50. अधिसूचना संख्या प.1(12)वित्त/कर/97–पार्ट–150 दिनांक 18.1.2003 जिसके द्वारा पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग में कार्यरत अधिसूचनानुसार अधिकारियों को लीव रिजर्व उप पंजीयक घोषित किया गया है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

51. अधिसूचना संख्या प.4(30)वित्त/कर/02-151 दिनांक 20.1.2003 जिसके द्वारा लाइट स्पीड डीजल आयल, प्राकृतिक गैस आदि के अंतराज्यिक विक्रय पर विक्रय कर की रियायती दर अधिसूचित की गई है।

52. अधिसूचना संख्या प.4(45)वित्त/कर/2000-152 दिनांक 20.1.2003 जिसके द्वारा विक्रय कर घोषणा प्रारूप प्रस्तुत करने के लिए समय बढ़ाया गया है।

53. अधिसूचना संख्या प.4(5)वित्त/कर/91-पार्ट-153 दिनांक 23.1.2003 जिसके द्वारा व्यापार, वृत्ति, आजीविका और नियोजन पर कर नियमों में सरलीकरण किया गया है।

54. अधिसूचना संख्या प.2(26)वित्त/कर/98-154 दिनांक 23.1.2003 जिसके द्वारा नियमन दरों पर प्रभारित मुद्रांक शुल्क प्राप्ति में समय वृद्धि की गई है।

55. अधिसूचना संख्या प.2(26)वित्त/कर/98-155 दिनांक 23.1.2003 जिसके द्वारा नियमन दरों पर प्रभारित मुद्रांक शुल्क प्राप्ति समय में वृद्धि की गई है।

56. अधिसूचना संख्या प.1(12) वित्त/कर/97-156 दिनांक 28.1.2003 जिसके द्वारा 'सकल्प अभियान' के अन्तर्गत नियमन शिविरों में जयपुर विकास प्राधिकरण के तहसीलदारों को उप पंजीयक की शक्तियां प्रदान की गई हैं।

57. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/कर/01-157 दिनांक 29.1.2003 जिसके द्वारा श्री झाबरमल दुग्गड़, निवासी पड़िहारा, तहसील रतनगढ़ जिला चूरू वर्तमान निवासी किशनगंज (बिहार) द्वारा अपनी निजी कृषि भूमि कुल 6944 वर्गगज भूमि व उसमें निर्मित भवन बस स्टेण्ड को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के प्रयोजनार्थ दानपत्र के दस्तावेजों पर देय पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

58. अधिसूचना संख्या प.2(1)वित्त/कर/01-158 दिनांक 29.1.2003 जिसके द्वारा श्री महावीर स्थानकवासी जैन श्रावक समिति, आदर्श नगर, अजमेर को आदर्श गृह निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड, अजमेर द्वारा 206.28 वर्गमीटर नि:शुल्क आबंटित भूखण्ड के दस्तावेज पर देय पंजीयन एवं मुद्रांक शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

59. अधिसूचना संख्या प.4(30)वित्त/कर/02-159 दिनांक 29.1.2003 जिसके द्वारा राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा हाई स्पीड डीजल के क्रय पर देय विक्रय कर में आंशिक छूट प्रदान की गई है।

60. अधिसूचना संख्या प.8(23)वित्त/कर/98-160 दिनांक 31.1.2003 जिसके द्वारा भूमि एवं भवन कर की सम्पूर्ण बकाया राशि दिनांक 31.3.2003 तक जमा कराये जाने पर देय ब्याज एवं शास्ति छूट प्रदान की गई है।

61. अधिसूचना संख्या प.4(49)वित्त/कर/97-161 दिनांक 1.2.2003 जिसके द्वारा काली अरण्डी व अरण्डी पर देय कर की दर में कमी की गई है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

62. अधिसूचना संख्या प.4(26)वित्त/कर/94-162 दिनांक 1.2.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(26)वित्त/कर/94-58 दिनांक 4.6.2002 को विखण्डित किया गया है।

63. अधिसूचना संख्या प.2(26)वित्त/कर/98 पार्ट-163 दिनांक 1.2.2003 जिसके द्वारा कलक्टर (मुद्रांक) द्वारा निर्णीत प्रकरणों में ब्याज की छूट प्रदान की गई है।

64. अधिसूचना संख्या प.8(25)वित्त/कर/02-164 दिनांक 1.2.2003 जिसके द्वारा भारतीय शिल्प संस्थान जयपुर के भूमि एवं भवन को भूमि एवं भवन कर से छूट प्रदान की गई है।

65. अधिसूचना संख्या प.8(14)वित्त/कर/93-165 दिनांक 3.2.2003 जिसके द्वारा मोनीलेक अस्पताल एवं शोध संस्था, जवाहर नगर, जयपुर से सम्बन्धित भूमि एवं भवन की करदेयता की समय सीमा में वृद्धि की गई है।

66. अधसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-पार्ट-166 दिनांक 4.2.2003 जिसके द्वारा मैं. इण्डियन इंफ्रास्ट्रक्चर इक्युपमेंट लिमिटेड को निर्धारित शर्तों के अध्यधीन अधिभार सहित राजस्थान विक्रय कर के संदाय से परिहार किया गया है।

67. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-पार्ट-167 दिनांक 4.2.2003 जिसके द्वारा मै. इण्डियन इंफ्रास्ट्रक्चर इक्युपमेंट लिमिटेड को उसके उपकरणों पर राज्य में अथवा उसके बाहर बार-बार लाने ले जाने पर इस शर्त पर प्रवेश कर की छूट दी गई है कि कम्पनी द्वारा ऐसे माल के प्रथमतः प्रवेश पर ही प्रवेश कर का संदाय कर दिया गया हो।

68. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-पार्ट-168 दिनांक 4.2.2003 जिसके द्वारा मै. रास सीमेंट (श्री सीमन्ट लि. की इकाई) को प्रवेश कर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

69. अधिसूचना संख्या प.4(4)वित्त/कर/99-II-169 दिनांक 4.2.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(4)वित्त/कर/99-221 दिनांक 30.4.1999 में संशोधन किया गया है।

70. अधिसूचना संख्या प.4(4)वित्त/कर/99-II-170 दिनांक 4.2.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(4)वित्त/कर/99-227 दिनांक 7.5.1999 में संशोधन किया गया है।

71. अधिसूचना संख्या प.4(4)वित्त/कर/99-II-171 दिनांक 4.2.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(4)वित्त/कर/99-220 दिनांक 30.4.1999 में संशोधन किया गया है।

72. अधिसूचना सख्या प.4(4)वित्त/कर/99-II-172 दिनांक 4.2.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(30)वित्त/कर/02-167 दिनांक 22.3.2002 में संशोधन किया गया है।

73. अधिसूचना संख्या प.4(4)वित्त/कर/99-II-173 दिनांक 4.2.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(4)वित्त/कर/99-265 दिनांक 20.1.2000 में संशोधन किया गया है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

74. अधिसूचना संख्या प.4(4)वित्त/कर/99-II-174 दिनांक 4.2.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(4)वित्त/कर/99-261 दिनांक 15.1.2000 में संशोधन किया गया है।

75. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-पार्ट-स्पेशल दिनांक 7.2.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-पार्ट-168 दिनांक 4.2.2003 को वापस लिया गया है।

76. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02 दिनांक 11.2.2003 जिसके द्वारा मै. कजारिया सेरेमिक्स लिमिटेड भिवाड़ी, जींस ओवरसीज लिमिटेड जयपुर व जी. पी. सेवाल प्राइवेट लिमिटेड बूंदी को औद्योगिक उत्पादन प्रारम्भ करने की समय सीमा में वृद्धि की गई है।

77. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-175 दिनांक 13.2.2003 जिसके द्वारा 100 प्रतिशत निर्यातोन्मुखी इकाइयों को, जिनका विनियोजन 25 करोड़ रुपये है, क्रय कर में छूट प्रदान की गई है।

78. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-176 दिनांक 13.2.2003 जिसके द्वारा मै. जी. ई. कैपीटल इण्डिया को सीतापुरा इण्डस्ट्रीयल एरिया, जयपुर व जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर में कॉल सेंटर प्रोजेक्ट्स स्थापित करने हेतु आवश्यक माल पर प्रवेश कर में छूट प्रदान की गई है।

79. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-177 दिनांक 13.2.2003 जिसके द्वारा कोटा, जोधपुर व श्रीगंगानगर में रीको द्वारा विकसित एग्रो फूड पार्क्स में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को उनके भूमि एवं भवनों को भूमि एवं भवन कर से छूट प्रदान की गई है।

80. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-178 दिनांक 13.2.2003 जिसके द्वारा कोटा, जोधपुर व श्रीगंगानगर में रीको द्वारा विकसित एग्रो फूड पार्क्स में स्थापित इकाइयों को उनकी भूमि एवं सम्पत्तियों के क्रय और विक्रय के विलेखों के निष्पादन पर मुद्रांक शुल्क को हटाया गया है।

81. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-179 दिनांक 13.2.2003 जिसके द्वारा कोटा, जोधपुर व श्रीगंगानगर में रीको द्वारा विकसित एग्रो फूड पार्क्स में स्थापित औद्योगिक इकाइयों को उनके उत्पादन प्रारम्भ करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

82. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-180 दिनांक 13.2.2003 जिसके द्वारा मै. सेवन ईगल्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग कम्पनी को रीको औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाई में कम से कम 32 करोड़ के निवेश पर उसकी भूमि एवं सम्पत्तियों पर देय मुद्रांक शुल्क व पंजीयन फीस में 50 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की गई है।

83. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-181 दिनांक 13.2.2003 जिसके द्वारा मै. सेवन ईगल्स इंटरनेशनल ट्रेडिंग कम्पनी को इस शर्त पर कि कम से कम स्थायी पूंजी निवेश 32 करोड़ रुपये करेगी, उसके उत्पादन प्रारम्भ की तिथि से 5 वर्ष तक के लिए 100 प्रतिशत की विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

84. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-182 दिनांक 13.2.2003 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या प.4(66)वित्त/कर/82-73 दिनांक 26.9.1987 में संशोधन किया गया है।

85. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-183 दिनांक 13.2.2003 जिसके द्वारा मै. सुप्रीम टैक्नोलॉजी लिमिटेड को निर्धारित शर्तों के अध्यधीन केन्द्रीय बिक्री कर में छूट प्रदान की गई है।

86. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-184 दिनांक 13.2.2003 जिसके द्वारा मै. सुप्रीम टैक्नोलॉजी लिमिटेड को निर्धारित शर्तों के अध्यधीन 50 प्रतिशत तक विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

87. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-185 दिनांक 13.2.2003 जिसके द्वारा मै. गुडलास नेरोलक पेन्ट्स लिमिटड को निर्धारित शर्तों के अध्यधीन विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की गई है।

88. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-186 दिनांक 13.2.2003 जिसके द्वारा मै. गुडलास नेरोलेक पेंट्स लिमिटेड को निर्धारित शर्तों के अध्यधीन केन्द्रीय बिक्री कर में छूट प्रदान की गई है।

89. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-187 दिनांक 13.2.2003 जिसके द्वारा मै. गुडलास नेरोलेक पेंट्स लिमिटेड को निर्धारित शर्तों के अध्यधीन 50 प्रतिशत तक मुद्रांक शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

90. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-188 दिनांक 13.2.2003 जिसके द्वारा रीको द्वारा विकसित अपारेल पार्क्स की इकाइयों को उनके भूमि एवं सम्पत्तियों के क्रय-विक्रय के दस्तावेजों पर 100 प्रतिशत मुद्रांक शुल्क की छूट प्रदान की गई है।

91. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-189 दिनांक 13.2.2003 जिसके द्वारा रीको द्वारा विकसित अपारेल पार्क्स की इकाइयों को उनकी भूमि एवं भवनों को भूमि एवं भवन कर से छूट प्रदान की गई है।

92. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-190 दिनांक 13.2.2003 जिसके द्वारा मै. अशोका मेटल डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, नीमराना को निर्धारित शर्तों के अध्यधीन केन्द्रीय बिक्री कर में छूट प्रदान की गई है।

93. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-191 दिनांक 13.2.2003 जिसके द्वारा मै. अशोका मेटल डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, नीमराना को निर्धारित शर्तों के अध्यधीन 50 प्रतिशत तक विद्युत शुल्क में छूट प्रदान की गई है।

94. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-192 दिनांक 13.2.2003 जिसके द्वारा मै. अक्श ब्रोडबैंड लिमिटेड को निर्धारित शर्तों के अध्यधीन मनोरंजन कर से छूट प्रदान की गई है।

95. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-193 दिनांक 13.2.2003 जिसके द्वारा स्पेशल इकोनोमिक जोन में स्थापित होने वाली इकाइयों को विद्युत शुल्क से मुक्ति प्रदान की गई है।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

96. अधिसूचना संख्या प.2(40)वित्त/कर/98-194 दिनांक 14.2.2003 जिसके द्वारा सम्पत्ति के बाजार मूल्य निर्धारण हेतु सम्पत्ति के पक्के निर्मित भाग की दर 300 रुपये प्रति वर्गफुट निर्धारित की गई है।

97. अधिसूचना संख्या प.2(5) वित्त/कर/02-195 दिनांक 14.2.2003 जिसके द्वारा मुद्रांक शुल्क चार्ज करने की प्रक्रिया का सरलीकरण किया गया है।

98. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-196 दिनांक 21.2.2003 जिसके द्वारा मै. रास सीमेंट को निर्धारित शर्तों के अध्यधीन राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के तहत छूट प्रदान की गई है।

99. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-197 दिनांक 21.2.2003 जिसके द्वारा मै. रास सीमेंट को प्रवेश कर में 50 प्रतिशत की छूट प्रदान की गई है।

100. अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर/01-पार्ट-198 दिनांक 22.2.2003 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के अधीन कच्ची सामग्री पर आंशिक छूट प्रदान की गई है।

101. अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर/01-पार्ट-199 दिनांक 22.2.2003 जिसके द्वारा राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के अधीन कच्ची सामग्री पर कर की रियायती दर अधिसूचित की गई है।

102. अधिसूचना संख्या प.4(1)वित्त/कर/01-पार्ट-200 दिनांक 22.2.2003 जिसके द्वारा केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 के अधीन कच्ची सामग्री पर आंशिक कर की छूट प्रदान की गई है।

103. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-201 दिनांक 26.2.2003 जिसके द्वारा रीको के एग्रो फूड पार्क्स की इकाइयों को राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के अधीन पूंजीगत माल पर आंशिक छूट प्रदान की गई है।

104. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-202 दिनांक 26.2.2003 जिसके द्वारा रीको के एग्रो फूड पार्क्स की इकाइयों को राजस्थान विक्रय कर अधिनियम, 1994 के अधीन प्रवेश कर में आंशिक छूट प्रदान की गई है।

105. अधिसूचना संख्या प.8(3)वित्त/कर/95-203 दिनांक 28.2.2003 जिसके द्वारा ताराबाई देसाई आई हास्पिटल एण्ड सेंटर, ई-22, शास्त्रीनगर, जोधपुर को विहित शर्तों के अधीन भूमि एवं भवन कर एवं उस पर देय ब्याज एवं शास्ति से छूट प्रदान की गई है।

106. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-204 दिनांक 1.3.2003 जिसके द्वारा रीको द्वारा विकसित स्पेशल इकोनोमिक जोन की इकाइयों को मुद्रांक अधिनियम के तहत मुद्रांक शुल्क से मुक्ति दी गई है।

107. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-205 दिनांक 1.3.2003 जिसके द्वारा रीको द्वारा विकसित स्पेशल इकोनोमिक जोन के तहत स्थापित इकाइयों को क्रय कर से छूट प्रदान की गई है।

108. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-206 दिनांक 01.3.2003 जिसके द्वारा रीको

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

द्वारा विकसित स्पेशल इकोनोमिक जोन के तहत स्थापित इकाइयों को वर्क्स कांट्रेक्ट टैक्स से छूट प्रदान की गई है।

109. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-207 दिनांक 1.3.2003 जिसके द्वारा रीको द्वारा विकसित स्पेशल इकोनोमिक जोन के तहत स्थापित इकाइयों को राजस्थान विक्रय कर से छूट प्रदान की गई है।

110. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-208 दिनांक 1.3.2003 जिसके द्वारा विकसित स्पेशल इकोनोमिक जोन के तहत स्थापित इकाइयों को भूमि एवं भवन कर से छूट प्रदान की गई है।

111. अधिसूचना संख्या प.4(10)वित्त/कर/02-209 दिनांक 1.3.2003 जिसके द्वारा जयपुर एवं जोधपुर में रीको द्वारा विकसित स्पेशल इकोनोमिक जोन के तहत स्थापित इकाइयों को प्रवेश कर से छूट प्रदान की गई है।

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री उपाध्यक्ष : श्री कन्हैया लाल। (व्यवधान) आप विराजिये, अंकित नहीं होगा।

याचिका का उपस्थापन

वर्ष 1980 से पूर्व काबिज आदिवासी कृषकों को जमीन के पट्टे

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : वर्ष 1980 से पूर्व काबिज आदिवासी कृषकों की जमीन के पट्टे जारी करने बाबत, पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करता हूं।

विधायी कार्य

प्रवर समिति को निर्दिष्ट विधेयक राजस्थान अभिधृत्ति विधेयक, 2003

श्री बनवारी लाल बैरवा (उप मुख्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान अभिधृति विधेयक, 2003 प्रवर समिति के निर्दिष्ट किया जाए। यह समिति आगामी सत्र के प्रथम सप्ताह के अन्तिम दिन तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर देगी। (व्यवधान) समिति के सदस्यों के नामों की सूची बाद में प्रस्तुत कर दी जाएगी। (व्यवधान)

(14.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान अभिधृति विधेयक, 2003 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाय?

(स्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया गया। (व्यवधान)

श्री प्रद्युम्न सिंह।

श्री संयम लोढ़ा : ×××

श्री धर्मपाल चौधरी : ×××

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2003

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : बैठिए आप। आपको मुद्दा ही नहीं मालूम है, आप यूं ही बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? (व्यवधान) आप बैठिये, आप बैठिये। आप तो भाषण दे रहे हैं। (व्यवधान) आपको डिमाण्ड करनी चाहिए थी, आपकी क्या डिमाण्ड थी? (व्यवधान) आप भाषण दे रहे हो। (व्यवधान) विराजिए आप। श्री शिवनाथ सिंह जी।

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंहजी।

श्री रमेश खींची : xxx

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सचेतक महोदय, आप अपने सदस्यों को आर्डर में लाइये। (व्यवधान)

श्री रमेश खींची : xxx

श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक को जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाए। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : xxx

श्री रमेश खींची : xxx

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2003 को एक माह के लिये जनमत जानने के लिये परिचालित किया जाए। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : बैठिये, आप विराजिये। कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है। आप बैठिये, कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री रमेश खींची : xxx

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : xxx

श्री शिवनाथ सिंह : मैं निवेदन यह कर रहा हूं, बिक्री कर ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप बैठिये। विराजिए आप। प्लीज, बहुत ज्यादा हो गया। (व्यवधान) श्री शिवनाथ सिंहजी।

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : xxx

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री रमेश खींची : xxx

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि बिक्री कर हमारी आय का एक प्रमुख साधन है। (व्यवधान) टोटल जो बजट आता है, या हमारी आमदनी होती है उसमें बिक्री कर का बहुत बड़ा योगदान है। (व्यवधान)

श्रीमती सुमित्रा सिंह : xxx

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : xxx

श्री रमेश खींची : xxx

श्री उपाध्यक्ष : क्या है यह? आप बैठिये न। ...(व्यवधान) मैं देख लूंगा, क्या कार्यवाही है। (व्यवधान)

श्री बृजेन्द्र सिंह सूपा : बिक्री कर के माध्यम से हमारी बहुत-सी योजनाएं, जो हमें विकास करने के लिये करनी हैं, उसमें उनका योगदान है इसलिये बिक्री कर के संबंध में... (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री शिवनाथ सिंह : बिक्री कर के सम्बन्ध में....(व्यवधान) उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन यह है कि पहली बात तो मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हाउस को आर्डर में लाइये। तब तक मैं नहीं बोलूंगा। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप विराज जाइये। (व्यवधान) आप विराजिये प्लीज। सब्जैक्ट खतम हो गया अब। हां, कुछ नहीं होगा। (व्यवधान) विराजिये।

श्री जुगल काबरा : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये। यह मंत्रीजी का जवाब हो गया। (व्यवधान) अंकित नहीं हो।

श्री जुगल काबरा : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिवनाथ सिंहजी के अलावा और कोई अंकित नहीं हो। (व्यवधान) विराजिये, माननीय काबराजी, विराजिये। आप बैठिये। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : xxx

श्री मदन दिलावर : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजिये, आपका खुद का देखो। (व्यवधान)

श्री जुगल काबरा : xxx

श्री रोहिताश्व कुमार : xxx

श्री सांवर लाल : xxx

श्री संयम लोढ़ा : xxx

---

xxx अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय काबरा साहब, मैं माननीय सदस्यों से निवेदन कर रहा हूं, मुझे मजबूर मत कीजिए, आप लोग विराजिये। Let the debate start. माननीय शिवनाथ सिंहजी।

श्री शिवनाथ सिंह : माननीय उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन यह कर रहा था कि बिक्री कर हमारी आय का एक बहुत बड़ा साधन है और बिक्री कर के मामले में हमें बहुत सतर्क रहना चाहिए। मंत्री महोदय ने विधेयक में संशोधन पेश किया है, अच्छा संशोधन है। हमारी बहुत-सी रकम बकाया चली आ रही है और उस बकाया को हम वसूल नहीं कर पा रहे हैं। इसलिये आपने एक समझौता कमेटी के रूप में कचहरी के बाहर एक व्यवस्था करने की चेष्टा की है। (व्यवधान) उपाध्यक्षजी, मेरा निवेदन यह है कि इस बिक्री कर के मामले में हम कई एक्सपेरीमेंट कर चुके हैं। पहले भी एक ट्रिब्यूनल बनाया था और हाई कोर्ट से मामले उस ट्रिब्यूनल को दिये गये थे कि वहां इनकी वसूली जल्दी हो जाए। हमारा वह प्रयत्न निष्फल हुआ। उसके बाद अब आप यह नया संशोधन ला रहे हैं।

उपाध्यक्षजी, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सब तो आप कर लोगे लेकिन जब तक आप अपने विभाग को चुस्त नहीं करेंगे तब तक चाहे कितने ही संशोधन आप लाइये, कारगर नहीं होंगे। मैं मंत्री महोदय की जानकारी के लिये यह निवेदन करना चाहूंगा, मैंने एक सवाल पूछा था, गत 5 वर्षों में बिक्री कर की मांग और वसूली निम्न प्रकार से की गयी। वर्ष 1997-1998 में मांग हमने 638 करोड़ की की थी और वसूली हुई 161 करोड़ की। सन् 1998-1999 में मांग हमने 853 करोड़ की की और वसूली 295 करोड़ की हुई। वर्ष 1999-2000 में 632 करोड़ की मांग के खिलाफ 191 करोड़ की वसूली हुई। वर्ष 2001-2002 में 1110 करोड़ की मांग के खिलाफ 421 करोड़ की वसूली हुई और 2001-2002 में 1008 के खिलाफ 333 करोड़ की वसूली हुई।

माननीय उपाध्यक्षजी, मैं ये फिगर्स इसलिये दे रहा हूं कि यह सब जो कार्यवाही हो रही है आपके विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से यह रकम बकाया हो रही है। समय पर डिमाण्ड पेश नहीं होती है। डिमाण्ड का नोटिस व्यवहारी को जाता नहीं है और इस तरह से उनसे मिलकर यह मांग लिंगर-आन होती रहती है। वरना कोई कारण नहीं, पिछली बकाया तो हो सकती हैं लेकिन हर साल बकाया में बढ़ोतरी बढ़े, यह समझ में आने वाली बात नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, चर्चा होती है, बहुत दफा चर्चा होती है। विभाग की तरफ से कहा जाता है हमने डिमाण्ड कायम कर दी, लेकिन नोटिस इसलिये अगले को नहीं दिया गया कि हमारे पास टिकटों के पैसे नहीं हैं। यह बड़ी अजीब बात है। इस प्रकार की जो व्यवस्था है इसके चलते, मंत्री महोदय, आप चाहे ट्रिब्यूनल बनाओ, जब तक आपका यह विभाग सक्रिय नहीं होगा और सहयोग नहीं करेगा तब तक आपकी बिक्री कर की वसूली हो नहीं सकती है। बहुत-से मामले ऐसे आते हैं,

(14.08 बजे)

(श्री दिग्विजय सिंह, सभापति, पदासीन)

जिनमें जब जांच होती है तो 2-2, 3-3 साल तक मांग कायम नहीं होती है। आपके लोएस्ट लेवल के अधिकारी, मांग कायम करने की जिनकी

(श्री शिवनाथ सिंह)

जिम्मेदारी है, मांग कायम नहीं करते हैं और फिर धीरे-धीरे निकलते हुए जो व्यवहारी पैसे देता नहीं है उसको छूट मिल जाती है और जो व्यवहारी समय पर रुपया देता है वह इससे दण्डित होता है। इसलिये मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने यह प्रावधान किया, यह स्वागत योग्य है और यदि आउट आफ कोर्ट कोई समझौता होकर कुछ भी हमारी वसूली होती है हम आपका आभार मानेंगे। लेकिन सिर्फ गलती आपके विभाग की होती है, विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से यह हो रहा है और उसके लिये बार-बार विधान सभा में चर्चा होती है। आपके विभाग में भी चर्चा होती है। सबसे बड़ा काम यह है कि आपके विभाग के उच्चाधिकारी जिनकी जिम्मेदारी है समीक्षा करने की, कितनी मांग कायम हुई, कितनी वसूली हुई, कितनी बकाया और किस कारण से बकाया रही, वह समीक्षा कभी किसी स्टेज पर नहीं होती है। आप जिस लेवल पर यह समीक्षा करें, उस समय पर आपकी डिमाण्ड कायम हो और अगले को सर्विस हो जाए तो कोई भी व्यवहारी रुपया देने से चूकेगा नहीं। लेकिन जो अपने हर साल में अलग-अलग प्रावधान होते रहते हैं, बिक्री कर में छूट के समझो, कंसेशन के समझो, उनका फायदा उठाते हुए वे लोग सरकारी खजाने में जो रकम आनी चाहिए वह नहीं भेज पाते हैं। इसलिए मैं इस सम्बन्ध में इतना ही निवेदन करना चाहूंगा, आपने जो संशोधन चाहा है एक्ट में, उसका तो मैं स्वागत करता हूं लेकिन जनमत जानने के लिए इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि कोई पिक्चर सामने आए, व्यवहारियों की भी बात सामने आए, अधिकारियों की बात भी सामने आए और इस सब मामले में विचार करके एक एक्जास्टिव कानून आप लाएं, जिसमें सरकार के जो आपके विभाग के कर्मचारी हैं, उनकी भी कुछ ड्यूटी आप कायम करें। सिर्फ समझौता कमेटी नहीं, जिन अधिकारियों की जिम्मेदारी है समय पर डिमाण्ड कायम करना, जिन अधिकारियों की ड्यूटी है समय पर नोटिस सर्व करना और जिन अधिकारियों की ड्यूटी है समय पर वसूली करना, वे यदि अपने काम में कोताही बरतते हैं, उनके लिए भी कोई न कोई प्रावधान कानून में आपको रखना चाहिए। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय श्री हरजीराम बुरडक।

(अनुपस्थित)

श्री भंवर लाल (हवामहल)।

(अनुपस्थित)

श्री कन्हैया लाल।

(अनुपस्थित)

श्री सांवर लाल।

श्री सांवर लाल (भिनाय) : माननीय सभापित महोदय, जो संशोधन लेकर आ रहे हैं : "Notwithstanding anything contained in this Act the State Government may, by notification in the Official Gazette, constitute a Tax Settlement Board consisting of a Chairman and

(श्री सांवर लाल)

such other Members, as it may deem fit, to resolve such disputes, as may be prescribed, relating to outstanding demand of tax, or arrears of tax, interest or penalty payable under this Act."

माननीय सभापति महोदय, वित्त मंत्रीजी से मेरा आपके माध्यम से आग्रह है कि आपकी जो टीम है उस टीम को थोड़ा एक्टिव कीजिए। आपके यह टैक्स एरियर और ब्याज कितने समय से बकाया हैं? इस एक्ट के अब पास होने के बाद में अगर गत वर्ष का बकाया है तो वह भी इसके दायरे में आ जाएगा। तो इस प्रकार का लाभ देकर जो टैक्स नहीं देना चाहते हैं उनको प्रोत्साहित करना मेरे खयाल से उचित नहीं। मैं यह भी जानकारी चाहूंगा कि जिन-जिन में टैक्स बकाया है उन्होंने क्या अपना धंधा बंद कर दिया है? उनका कारोबार चल रहा है और जो बकाया है उसको वे देना आपको चाहते नहीं हैं, आपकी मशीनरी उनसे वसूल नहीं करना चाहती है। आज राजस्थान में चार साल से लगातार अकाल पड़ रहा है और अकाल के कारण किसानों की, गांवों में रहने वालों की हालत बहुत खराब है, उसके बारे में तो आपने कोई प्रावधान नहीं किया। उसके बारे में कोई लोन लेने की हमने बात की कि चलिए लोगों को पालिये, चारे-पानी की व्यवस्था कीजिए, तब तो आप कहते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है। सारा पैसा हमको भारत सरकार देती है, उसका मैनेजमेंट आप नहीं कर पाते हैं। एक तरफ तो आपको खजाने में पैसे की आवश्यकता है, आप उनकी लगान वसूल कर रहे हैं। जो किसान खेती करता है उसको आप रियायत देने के मूड में नहीं है। उनके ट्रेक्टर कुर्की किये जा रहे हैं, वे लोन चुकाने की स्थिति में नहीं हैं क्योंकि चार साल से उनकी फसल भी नहीं हो रही है। इस बारे में आपका विचार या सोच किसी प्रकार का नहीं बन रहा है और जिनके धंधे चल रहे हैं, लगातार धंधा चल रहा है, जो शराब के ठेकेदार हैं, वे लगातार ठेके लेते जा रहे हैं, करोड़ों रुपये लगभग 150-200 करोड़ बकाया हैं, उनको आप रियायत देने जा रहे हैं। और जो किसान असहाय हैं, उनके बारे में किसी प्रकार की रियायत देने की आपकी मंशा नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं इस अमेंडमैंट को जनहित में किसी प्रकार से उचित नहीं मानता हूं। माननीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि राजस्थान की जनता के लिए भेजिये। एक ओर तो जो वर्ग परेशान है, उसके लिए आप किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं और दूसरी तरफ जो बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रकार का बिजनेस हो, उनके वर्षों से जो बकाया चल रहे हैं, उसके सैटलमेंट के लिए कमेटी बनाकर राजकीय कोष को जो घाटा पहुंचाने का प्रयास हो रहा है, मैं इसका विरोध करता हूं और मेरा निवेदन है कि इसको जनमत जानने के लिए परिचालित किया जाए।

श्री सभापति : माननीय श्री सुरेन्द्र गोयल।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री हीरासिंह चौहान।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : माननीय सभापति महोदय, मंत्री महोदय प्रस्ताव लेकर आये हैं राजस्थान विक्रय कर अधिनियम,1994 की धारा 56 से पूर्व 55 (क) जोड़ने का और यह प्रस्ताव इसलिए लेकर आए हैं आपने अपने उद्देश्यों और कारणों में यह स्पष्ट किया है कि 24,000 से ज्यादा मामले बिक्री कर के बकाया हैं, लम्बित हैं। समझौता बोर्ड का गठन करने का आप जो प्रस्ताव लेकर आये हैं, इस समझौता बोर्ड में उन्हीं लोगों को आप अधिकार सौपेंगे, जिनको सरकार चाहेगी। मैं आपका ध्यान इन समझौता समितियों की ओर आकर्षित करना चाहूंगा।

जब से सरकार आयी है, चाहे समझौता बोर्ड हो, चाहे समझौता समिति हो, किसी एक्ट के माध्यम से समझौता समितियां बनीं, बोर्ड बने उनमें ऐसे घपले हुए हैं कि जिनकी चर्चाएं पूरे राजस्थान में चलीं। मंत्री महोदय, इसमें कोई शक नहीं कि सेल्स टैक्स रेवेन्यू का सबसे बड़ा कम्पोनेंट है और सेल्स टैक्स के अंदर जो लोग डिफाल्टर हैं, जिन लोगों में सेल्स टैक्स बकाया है, जो व्यवहारी आज भी व्यापार कर रहे हैं, उनको आप लाभ देना चाहते हैं। आप अधिकार क्या दे रहे हैं? मैं निवेदन करना चाहता हूं 55 (क) का खण्ड 2 कर समझौता बोर्ड को ऐसी शक्तियां होंगी, वह ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा जो विहित की जाएं। कर समझौता बोर्ड द्वारा पारित किया गया समझौते का आदेश अंतिम होगा और किसी भी सिविल न्यायालय, अन्य किसी प्राधिकरण में प्रश्नगत नहीं होगा। मतलब किसी कोर्ट में भी नहीं जा पाएंगे। यह फैसला करेंगे और फैसला करके बोर्ड में, जितना रुपया बकाया है, उसमें चाहे कितना भी कम कर दें, उसको अधिकार नहीं होगा कि वह किसी कोर्ट में जाए। मंत्री महोदय, जब-जब इस सरकार ने कोई योजना बनाई है, हरेक योजना के पीछे मोटिव क्या रहता है, यह बाद में मालूम पड़ता है।

सेल्स टैक्स विभाग द्वारा किये गये एक-दो प्रकरणों की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, आप यह कहते हैं कि राजस्थान के अंदर हमारा राजस्व कम है, यहां मुख्य मंत्रीजी यह कह गये कि हम तो बड़ी मुश्किल से वेतन चुका रहे हैं, बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। आपके सारे वित्तीय प्रबंधन जिस तरह से हो रहे हैं, वेतन, पेंशन और ब्याज इन तीनों पर जितना भार आता है, उसके पश्चात् तो आप इन तीनों का मिला लें सेल्स टैक्स रेवेन्यू, टैक्स रेवेन्यू और नॉन टैक्स रेवेन्यू, तो आपका न तो पूरा वेतन चुका। वेतन, पेंशन और प्रति वर्ष ब्याज का भार इन सबको जोड़ें तो यह भी पूरा आपका हो नहीं पा रहा है।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने एक बिक्री कर मुक्ति आस्थगन योजना बनाई। यह इसलिए बनाई गई कि कुछ उद्योगों को बढ़ावा मिले और उसके अन्दर आपने खुद कुछ शर्तें निहित कीं। आपने कहा कि इसमें उन्हीं इकाइयों को लाभ दिया जाएगा बिक्री कर मुक्ति का, या तो जिनका पंजीकरण हो, औद्योगिक इकाई के पास जमीन हो और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का सपोर्ट हो और वह अपना वाणिज्यिक उत्पादन 31.12.2001 को प्रारम्भ कर दे। अब आपका सेल्स टैक्स विभाग कर क्या रहा है? वाणिज्यिक उत्पादन चालू उनको करना चाहिए 31.12.2001 को और आप छूट देते जा रहे हैं। मैं 15 करोड़ रुपये की जो अवैधानिक छूट आपने दी जे.पी.

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

स्वाल प्रोटिन एण्ड इंवेस्टमेंट प्राइवेट लिमिटेड, उसकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, इस औद्योगिक इकाई ने विभाग के पास आवेदन किया कि उसको बिक्री कर मुक्ति योजना का लाभ दिया जाए। उसके ऊपर विभाग ने सेल्स टैक्स कमिश्नर साहब ने बूंदी के असिस्टेंट सेल्स टैक्स कमिश्नर को एक पत्र लिखकर यह कहा कि पूरी टिप्पणी भेजें। टिप्पणी के अन्दर एनेक्सचर, मैं निवेदन करना चाहूंगा, असिस्टेंट सेल्स टैक्स कमिश्नर ने अपने पत्र दिनांक 24.12.2002 में यह कहा कि यह यूनिट बिक्री कर आस्थगन योजना में लाभान्वित नहीं हो सकती क्योंकि यह उनके द्वारा जो शर्तें निर्धारित की गयी हैं, उन शर्तों की पालना नहीं करती। अब उसके पश्चात् होता क्या है? जब इसके पश्चात् न जाने किस दबाव से 15 करोड़ रुपये की इसको छूट दी जाती है तो मैंने 28.12.2002 को मुख्य मंत्रीजी को एक पत्र लिखा कि आप पारदर्शिता की बात कर रहे हैं। आप यह कह रहे हैं कि रेवेन्यू रिसाव जो हो रहा है, उसको रोकने के लिए सुझाव दो, तो मैं सुझाव के रूप में आपको पत्र लिख रहा हूं कि इस कम्पनी को अवैधानिक रूप से सेल्स टैक्स की छूट दी जा रही है। मुख्य मंत्रीजी मुझे 1.1.2003 को पत्र लिखते हैं कि आपका पत्र प्राप्त हो गया। मुख्य मंत्रीजी का पत्र है- सी.एम./डिप्टी सैक्रेटरी/एम.एफ.-29/फाइनेंस/20/कोटा-202/48820 दिनांक 1.1.2003, मेरे को लिखते हैं कि मैं इस पूरे प्रकरण की जांच एडिशनल चीफ कमिश्नर से करवा रहा हूं। उसके बाद होता क्या है? वित्त मंत्रीजी, यह फाइल आपके यहां आती है और न जाने किस दबाव में आप 15 करोड़ रुपये का लाभ उस कम्पनी को दे देते हो, जो पात्रता नहीं रखती है। आपका खुद का असिस्टेंट सेल्स टैक्स कमिश्नर लिखता है, अपनी टिप्पणी में लिखता है, आप कहें तो मैं उसकी टिप्पणी पढ़कर सुनाऊं? पूरी जांच के पश्चात् सहायक वाणिज्यिक कर आयुक्त ने निम्नांकित टिप्पणी की।

नम्बर-एक, मुक्ति योजना की धारा 2 एक (एक-1) में निर्णीत निम्नांकित शर्तों को यह फर्म पूरा नहीं करती इसलिए किसी भी हालत में इसको सेल्स टैक्स एग्जम्प्शन नहीं दिया जाए। पर आप सेल्स टैक्स एग्जम्प्शन देते हैं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस तरह यह समझौता बोर्ड बनाएंगे और जिस तरह की पहले की आदत रही है, आपके सेल्स टैक्स विभाग के अधिकारी/कर्मचारियों की और विशेष तौर पर शीर्ष में बैठे लोगों की जिस तरह की आदत बन गयी है, उनके ध्यान में आना चाहिये। इस तरह के प्रकरण जब उनके ध्यान में आएं तो उनको आगे बढ़कर, यह चूंकि गवर्नमेंट रेवेन्यू का मामला है, इसमें कार्यवाही करनी चाहिये।

यह एक ही मामला होता तो समझ में आता। इसके अलावा मानसिंह आयल प्रोडक्ट लिमिटेड, बूंदी, वित्त मंत्रीजी, मैं चाहूंगा कि आप इसके बारे में जानकारी प्राप्त करें, यह किस स्तर पर कैसे हो रहा है। मानसिंह आयल प्रोडक्ट लिमिटेड, बूंदी, आपने 80 लाख रुपये सेल्स टैक्स वसूल करने के लिये नोटिस दिया इस कम्पनी को। यह कम्पनी बी.आई.एफ.आर. द्वारा वाइन्ड-अप कम्पनियों में थी। आफिस लिक्विडेटर से राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा 7 जून, 2002 को कम्पनी का विक्रय हुआ, 27 जून, 2002 को ए.पी.एल.

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इंटरनेशनल बॉम्बे ने 5.55 करोड़ रुपये में इस इकाई को खरीदा। उसके बाद यह सिक यूनिट की श्रेणी में नहीं आती थी, आपने इस पर 80 लाख रुपये सेल्स टैक्स लेने का नोटिस जारी कर दिया लेकिन फिर इसको बैक डेट में सिक यूनिट दिखाकर आपने 80 लाख रुपये माफ कर दिये। मैं पूछना चाहता हूं, यह सारा क्या हो रहा है? इसी तरह एक के.सी. मर्चेंट आयल है, जिसने अपना कमर्शियल प्रोडक्ट चालू किया 21.6.2002 को। आपकी शर्तों के अनुसार कमर्शियल प्रोडक्ट चालू करना चाहिये 31.12.2001 को। आपने इसमें एक्सटेंशन दे दिया कि इसने 21.6.2002 को भी कमर्शियल प्रोडक्ट चालू किया है तो भी इसको लाभ दे दें। अगर आप कोई भी नीतिगत फैसला करते हैं, आप 21.12.2001 को कमर्शियल प्रोडक्ट चालू कर दिया जिन इकाइयों ने, उनको सेल्स टेक्स से मुक्त करने की तिथि बढ़ाते तो सबकी बढ़ाते। इसिलए मैं निवेदन करना चाहता हूं यह कानून भ्रष्टाचार को बढ़ाएगा। इस समझौता समिति के माध्यम से ऐसा भ्रष्टाचार मचेगा, मंत्री महोदय, जो आपके बस की बात नहीं रहेगी। यह इस बात से सिद्ध होता है कि जयपुर विकास प्राधिकरण में आपने समझौता समितियां बनायीं थीं, उन समझौता समितियों को अब आपकी सरकार स्वयं रद्द कर रही है। उन समझौता समिति के माध्यम से जमीन की लूट हुई। सबसे बड़ा कम्पोनेंट है सेल्स टैक्स कम्पोनेंट, इस सेल्स टैक्स कम्पोनेंट को तो बचाओ।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, जनमत जानने हेतु जो संकल्प प्रस्ताव किया है आपने, उसके ऊपर आप बोलिये न, कारण क्या है? (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं इसलिये कह रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट। आप व्यक्तिगत इश्यू रख रहे हैं। जनमत जानने के लिये जो कर रहे हैं, उस पर आप बोलो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं इसीलिए कह रहा हूं, सभापति महोदय, यह जनमत जानने हेतु इसलिए परिचालित किया जाए कि जिस रूप में मंत्री महोदय संशोधन लेकर आये हैं, ब्रूटल मैजोरिटी है, यह पास भी करवा लेंगे। इस समझौता समिति के माध्यम से आप 24 हजार उन लोगों को जो कह रहे हैं कि विभिन्न न्यायालयों में वाद चल रहे हैं, उनको लाभ देने, बाहर सैटल करने की आड़ के अंदर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दोगे। राजस्थान का जो कर राजस्व है, उसमें सेल्स टैक्स कम्पोनेंट सबसे बड़ा कम्पोनेंट है, उसमें पहले भी आप देख लें, आपके बजट अनुमानों से हमेशा, आप संशोधित अनुमानों में गये हैं तो आपको कम राशि मिली है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं और मेरा प्रस्ताव है कि जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए। मंत्रीजी, तीन इकाइयों के बारे में मैंने अति संक्षिप्त, क्योंकि मैं ये सारी बातें एप्रोप्रिएशन बिल पर कहना चाह रहा था पर मुझे मालूम है कि उस पर बहस किसी कारण से नहीं हो सकेगी, अति संक्षिप्त रूप में मैंने तीन इकाइयों का जिक्र किया है और इन तीनों इकाइयों में, मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि, कम से कम 20 करोड़ से ज्यादा रुपये का सेल्स टैक्स का एग्जम्प्शन उन इकाइयों को दिया गया है जो पात्रता नहीं रखते। मैं कोई आरोप

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नहीं लगाना चाहता, परन्तु मैंने जो सुझाव रखे हैं, उन सुझावों के अनुसार अगर वास्तव में आपकी सरकार पारदर्शी है तो आपको सारी जांच करवा कर इस सदन में कहना चाहिये कि मैं जांच कराऊंगा और जांच करवाकर हमें सूचित करें कि आपने जांच करवा ली। वरना यह सारी की सारी शक की सुई कहां घूमती है इसके लिये मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है। यह मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखते हैं, मुख्य मंत्रीजी जांच की बात कहते हैं और सेल्स टैक्स कमिश्नर साहब पीछे आदेश करते हैं और सेल्स टैक्स एग्जम्प्शन दे देते हैं। अगर यही बात रहेगी तो मैं समझता हूं इन समझौता समितियों के माध्यम से जो आप अधिकार लेने जा रहे हैं, किसी कोर्ट में नहीं जा पाएंगे। यह खुद कह रहे हैं। सभापति महोदय, यह जो संशोधन लेकर आये हैं 55 के की धारा (3) के अंदर, यह अधिकार ले रहे हैं कि समझौता समिति का फैसला अंतिम फैसला है। 938 करोड़ से ज्यादा की बकाया है, 24000 से ज्यादा आपके पास वाद लम्बित है, समझौता समिति में आपने यह भी नहीं बताया कि कितने प्रतिशत कम राशि तक समझौता समिति पर कोई बाइंडिंग नहीं है। उसमें किसको रखोगे आप, यह भी आपने अधिकार अपने पास ले लिया। आप जस्टिस इसरानी जैसा आदमी ढूंढ लेंगे। मैं समझता हूं, मंत्री महोदय, आप अनुभवी हो, इस मामले में आप समझौता नहीं करें और कृपया भगवान के लिये इसको बाद में ले आए। इस पर खुले मन से आप विचार कर नहीं पाये, न जाने किस व्यस्तता के कारण। आपको अधिकारियों ने लाकर यह बिल बनाकर दे दिया और आपने सदन में रख दिया, इसको कृपया आप वापस लें।

श्री सभापति : माननीय श्री रघुवीर सिंह गौड़।

(अनुपस्थित)

माननीय डा. किरोड़ी लालजी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री मदन दिलावर।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री रामप्रतापजी।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री शिवराम सिंह कुशवाह।

(अनुपस्थित)

माननीय जसवन्त सिंह गुर्जर।

(अनुपस्थित)

माननीय हरीशजी कुमावत।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री गणेशीराम मेघवाल।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री अमरारामजी।

(अनुपस्थित)

श्री मोहन लाल मोदी (नीमकाथाना) : माननीय सभापति महोदय, कोरम का अभाव है,

(श्री मोहन लाल मोदी)

मैं निवेदन करना चाहता हूं कोरम के लिये घंटी बजायी जाए, कोरम पूरा नहीं है।

श्री सभापति : कोरम है, अभी 20 है, आप गिन लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, सभापति महोदय, कोरम का अभाव है। कोरम पूरा नहीं है। नहीं है, सभापति महोदय, और यह कम हो जाता है, मैं यह चला। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप अभी चले जब नहीं हुआ। अभी तो आप हाउस में मौजूद हैं तब तक कोरम है। इसलिए आप विराजो। नहीं, कोरम है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : नहीं, 19 ही हैं।

श्री सभापति : कोरम है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, मुख्य सचेतकजी को कहिये, वह खुद तो सदन में रहें।

श्री सभापति : माननीय श्री पुष्पेन्द्र सिंहजी।

(अनुपस्थित)

श्री केसारामजी चौधरी।

(अनुपस्थित)

श्री सुरेन्द्रजी व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री अमरारामजी (धोद)।

(अनुपस्थित)

प्रभारी मंत्रीजी।

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) **:** माननीय सभापति महोदय, यहां पर जो अमेंडमैंट लाये हैं, सैटलमेंट बोर्ड में, उसके आब्जेक्शन के बारे में मैंने अपने बिल के अन्दर चर्चा की है। मूल में, सभापति महोदय, काफी केसेज की पेडेंसी है और बहुत बड़ी रकम अदालतों के आदेश के तहत लम्बे समय से लम्बित पड़ी हुई है और यह धीरे-धीरे रकम और केसेज की संख्या बढ़ती जा रही है। इनकम टैक्स एक्ट के अन्दर भी एक सैटलमेंट बोर्ड का प्रस्ताव है और उसी के अनुरूप सैटलमैंट बोर्ड का गठन करने का विचार, जब टैक्स एडवाइजरी कमेटी की बैठक पिछले साल हुई थी, उस वक्त टैक्स सैटलमैंट बोर्ड के गठन की बात यहां पर डिफरेंट आर्गनाइजेशंस के माध्यम से सामने आई थी और उसी के अनुरूप मैंने पिछले साल के बजट भाषण में इसको इनक्लुड किया था। तब यह मानकर चल रहे थे कि कानून के तहत नोटिफिकेशन के जरिये हम इसको कांस्टीट्यूट कर देंगे। लेकिन उसमें कानूनी बाधा आयी और कानूनी बाधा के तहत हम नहीं कर पाये इसको। फिर हम ओर्डिनेंस लाये। ओर्डिनेंस लेकर आये इसलिए हमको ओर्डिनेंस लाना पड़ा। यह बात सही है कि विभाग में सब तरह के अधिकारी हैं। अच्छे भी हैं, किन्हीं के बारे में कमी भी हो सकती है, मैं उनको यहां डिफेंड करने के लिये खड़ा नहीं हुआ हूं, लेकिन अगर कोई स्पेसिफिक मामला निगाह में लाया जाता है सरकार के...

श्री गुलाब चन्द कटारिया : अब तो हो गया कोरम।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आ गये। मानिकजी आ गये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : क्या दशा है, क्या कानून पास कर रहे हो?

श्री प्रद्युम्न सिंह : इसलिए इसकी यहां पर स्थापना की जा रही है।

दूसरी बात यहां पर चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने और जिला झुंझुनुं से आने वाले माननीय सदस्य ने विस्तार से कही। चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर तीन केसेज का, जो हालांकि इसके दायरे से बाहर था, मुझे भी पत्र लिखा था आपने। जो आपने मुख्य मंत्रीजी को पत्र लिखा था, उसकी कापी मुझे भी दी थी या अलग लिखा था। मैंने तुरन्त ही उसको सैक्रेटरी इण्डस्ट्रीज को भेज दिया था क्योंकि मूलतः हमारे पास जो सिफारिशें आती हैं टैक्स एग्जम्प्शन के बारे में, आम तौर से सिफारिशें इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट इनको रिकमण्ड करता है और उसके ऊपर या तो बी.डी. में जाता है मामला या एस.एल.ई.सी. के अंदर वह मामला जाता है। एस.एल.ई.सी. एक तरह की क्वासी जुडीशियल बाडी है, उसका गठन भी आपके वक्त में ही हुआ है। मैं उसके विगत में नहीं जाना चाहता कि उसके ऊपर विस्तार से मैं चर्चा करूं कि क्यों बनी किसलिए बनी। जो आपकी इण्डस्ट्रियल पालिसी है उसके तहत वह बनी। क्वासी जुडीशियल बाडी के बारे में अगर हम चर्चा करने बैठेंगे तो कोई अधिकारी इस कार्य को सम्पन्न नहीं कर पाएगा। क्योंकि आज होता क्या है कि अधिकारी... मैं एक मिनट अपनी बात कह लूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं टोकना नहीं चाहता लेकिन आपने खुद कह दिया, मैंने आपको भी पत्र लिखा था, आपके ध्यान में आ गया उसके बाद भी उसको एग्जम्प्शन मिला। इसको एग्जम्प्शन मिला, ठीक मिला क्या? (व्यवधान) नहीं, आप इतना ही कह दो, आप इनकी जांच करवाने की बात कह दें, बस।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : राठौड़ साहब, यह गया एस.एल.ई.सी. के अंदर तो मैंने सैक्रेटरी, इण्डस्ट्रीज को मार्क कर दिया। मैंने आपको निवेदन किया कि हमारे यहां इण्डस्ट्रीज डिपार्टमेंट से प्रकरण आते हैं और उसके उपरांत उनके ऊपर हम निर्णय लेते हैं। एस.एल.ई.सी के अंदर जाता है मामला, और जगह जाता है। यह तो आपने कहा। बाकी दो मामलों के बारे में मुझे जानकारी नहीं है, आपने बताया है। अगर आप मुझे डिटेल्स दे देंगे तो मैं आपका आभारी होऊंगा, और निश्चित रूप से सदन के माध्यम से मैं आपसे वादा करता हूं कि मैं शीघ्र इनके तथ्यों की जानकारी प्राप्त कर आपको जानकारी निश्चित रूप से उपलब्ध कराऊंगा। यह इस सदन के माध्यम से आप से मेरा यहां पर कमिटमेंट है। आप मुझे डिटेल्स दे दीजियेगा। अन्य किसी मामले में भी आप मुझे डिटेल दे देंगे तो मैं निश्चित रूप से आपको उसकी जानकारी उपलब्ध कराऊंगा।

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

सभापति महोदय, जो समझौता समिति है, उसकी हमारी कल्पना दूसरे प्रकार की है। आप जे.डी.ए. की समझौता समिति से जो इसकी तुलना कर रहे हो, जे.डी.ए. के बारे में मुझे कोई जानकारी प्राप्त नहीं है इसलिए मैं दूसरे विभाग की समझौता समिति के बारे में कोई कमेंट पसंद नहीं करूंगा और मेरी जानकारी में नहीं है ...(व्यवधान)... नहीं, नहीं, जानकारी में ही नहीं है। भंवरलालजी, आप जबरदस्ती मुझसे कहलाना चाहते हो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** समझ गये, बिना कहे ही कि आप क्या कहना चाहते हो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : अब आप विराजें। आप तो बहुत चतुर हो, साहब मैं आपका मुकाबला कहां कर सकता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप बहुत भोले हो, साहब।

श्री प्रद्युम्न सिंह : सभापति महोदय, यह निश्चित है कि समझौता समिति कोई विभाग के अधिकारियों की नहीं बनेगी। निश्चित रूप से बहुत अनुभवी, योग्य, जिनके ऊपर कोई, सब तरफ से संदेह से परे एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को...(व्यवधान)...मिलेंगे, मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। आप ढूंढ़ेंगे तो आपको निश्चित रूप से मिलेंगे और आप मुझे कोई नाम सजेस्ट करें। मैं यहां सदन से कहता हूं, मुझे आप कोई नाम सजेस्ट करें, मैं बिलकुल इंडिपेंडेंट तरीके से उसके ऊपर विचार करूंगा, इसके बारे में मैं सदन में विश्वास दिलाना चाहता हूं। और इसके अंदर एक सुपर टाइम स्केल का रिटायर्ड आई.ए.एस. अधिकारी, जो कभी इस विभाग में रहा है, इसी विभाग से जो नालेज वाले लोग हैं, उनको अन्दर लिया जाएगा। मूल में भावना यह है कि जो बहुत सारा पैसा सरकार का लिटिगेशन के तहत पड़ा हुआ है, समझौते के द्वारा यहां व्यक्ति स्वयं आएगा। व्यक्ति स्वयं आएगा कि भाई, मैं समझौता समिति में जाता हूं। जिस प्रकार सैटलमेंट बोर्ड ने इसके दिशा-निर्देश, इनकम टैक्स में ही सैटलमेंट बोर्ड है आपका, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आप मुस्करा रहे हैं, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इनकम टैक्स की तर्ज के ऊपर ही सैटलमेंट बोर्ड को बनाने की हमारी कल्पना है।

इसमें जो आपने जनमत जानने के लिए बात कही है, कृपया अगर आप उसे वापस ले लें तो जल्दी ही यह पास होकर उसके ऊपर शीघ्र अमल हो सके तो जो हमारा रुपया ब्लाक हुआ पड़ा है लिटिगेशन के आधार पर, उसमें कुछ राज्य सरकार को राजस्व प्राप्त हो सकेगा, मैं यही निवेदन आपसे करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैं बस थोड़ी-सी जानकारी चाहता हूं, आपने इसके वित्तीय ज्ञापन में कहा...

श्री सभापति : एक मिनट। माननीय सदस्य, अब इस समय में तो आप नहीं कर सकते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : थर्ड रीडिंग पर।

श्री सभापति : इसके बाद। हां, थर्ड-रीडिंग पर।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2003 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्ड 2 और 3 में कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 व 3 स्वीकार किये जायें?

(स्वीकृत)

खण्ड दो और तीन स्वीकार किये गये।

खण्ड एक- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं।

(स्वीकृत)

खण्ड एक- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री प्रद्युम्न सिंह, प्रभारी मंत्री प्रस्ताव करेंगे राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2003 को पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री प्रद्युम्न सिंह (वित्त मंत्री) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2003 को पारित किया जाए।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : माननीय मंत्री महोदय, यह जो "Chairman and such other members" आप लगाएंगे, उनके अन्दर न क्वालिफिकेशन लगायी आपने और न यह तय किया कि वे सरकारी होंगे कि प्राइवेट होंगे। मैम्बर होंगे तो कितने होंगे? तो यह भी हो सकता है, जब आप इसका उल्लेख नहीं करेंगे तो कि एस.डी.ओ. कैडर का आदमी भी चेयरमैन बन सकता है और तहसीलदार इसका मैम्बर बन सकता है। इसमें कोई पाबंदी नहीं है आप पर। और ये फैसले क्या करेंगे? ये फैसला करेंगे करोड़ों रुपये की सम्पत्ति का।

श्री सुरेन्द्र व्यास : कोई नहीं बनाएं तहसीलदार को, चिंता मत करो। "as it may deem fit"

श्री भंवर लाल शर्मा (हवामहल) : बना दें, तो कौन रोकता है? अभी कानून की बात कर रहे हैं अपन, नीयत साफ होगी, लेकिन अगर कोई बनाना चाहे, कल यह नहीं रहेंगे तो, वही बनाएंगे यह तो। तो मेरा निवेदन है कि जब तक आप इसको कानूनन पाबंद नहीं करेंगे, आपकी बातचीत से कोई अर्थ निकलने वाला नहीं है। न तो मैम्बर की संख्या बतायी कि मैम्बर बनाओगे तो कितने बनाओगे।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप बोलो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : नहीं, ऐसे मजा नहीं आएगा, साहब। आप पूछ लो, उनसे राय ले लो।

श्री प्रद्युम्न सिंह : Please carry on.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : You please understand by them. समझ लो उनसे आप। पूछ आओ।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आप जारी रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, कमिश्नर साहब, खड़े होकर वहीं से बोल दो आप।

श्री सभापति : आप जारी रखें। आप तो जानते हैं, रहे हुए हो मंत्री।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं तो कोई सवाल पूछ रहा था।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : यह कानून की बात है, कानून बन रहा है इसलिए जरा पूछ लीजिये। मैं मना कब करता हूं? (व्यवधान) वो ही आ गया न, जो मर्जी आए तो करो।

यह तो करो, मैम्बर कितने होंगे, दो होंगे, चार होंगे, पच्चीस होंगे, 51 होंगे? यह तो करना चाहिए न।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नोट नैसेसरी। भंवरलालजी साहब, देखिये, मैं सही कह रहा हूं। मालपुरा से आने वाले सम्माननीय सदस्य ने कहा है कि आवश्यक नहीं है। यह आवश्यक नहीं है। फर्स्ट इंस्टैंस के अंदर एक बोर्ड बनेगा। मान लीजिये, केस वर्क बहुत ज्यादा बढ़ गया तो then the second Board can be there.

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : सैटलमेंट बोर्ड लिखा है फिर आपने, तो उनको बोर्ड्स करिये फिर। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : जैसे-जैसे केस बढ़ेंगे ...(व्यवधान)...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : कोई आपत्ति नहीं है उसमें। जो आपकी भावना है वह तो ठीक है, लेकिन ठीक आगे तक रहे इसलिए कानून में ऐसी पाबंदियां रखनी चाहिए कि गड़बड़ करना चाहे तो भी गड़बड़ न करे कोई। यह जरूरी है कि आप ही मंत्री रहोगे इस डिपार्टमेंट के? नाट नैसेसरी। यहां तो रोज बदलते हैं और चुनाव के पहले कई बदलते होंगे अभी तो। आपकी जैसी नीयत बाकी की नहीं रही तो? (व्यवधान) आप इसको लाइटली मत लीजिये। कानून से इतना पाबंद करिये जिस पर अगर कोई चाहे तो भी इधर-उधर न हो। फिर आपने यह लिख दिया, "हैज सच पावर्स" क्या पावर होंगी? देखिए, जो सिविल कोर्ट्स हैं, उसमें भी जूरिस्डिक्शन रहता है। क्षेत्र का भी रहता है, पैसे का भी रहता है और फाइनेंशल भी। अगर दस हजार तक है या लाख तक है तो मुंसिफ करेगा, उसके ऊपर डी.जे. करेगा, इस प्रकार की पाबंदी रहती है। अब सारे पावर दे दिये, चाहे करोड़ का काम हो तो भी वही करेंगे। कितने ही करोड़ हो, अरब हो तो भी यही करेंगे। यह बोर्ड ही करेगा। फिर उसके बाद आपने यह कह दिया कि वह जो कुछ कर देगा वह फाइनल है। इसके अलावा उसकी कोई सुनवाई नहीं होगी। मान लीजिये, विभाग यह

(श्री भंवरलाल शर्मा)

अनुभव करता है कि बोर्ड ने जो फैसला किया है वह इनके हित में नहीं है, इतनी रियायत नहीं देनी चाहिए। विभाग मान लो यह तय करता है, विभाग की फीलिंग है कि आपने जो रियायत दी है वह बहुत ज्यादा है। (व्यवधान) तो काहे का है? सुनो तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, नहीं, कुछ नहीं होगा।

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, नहीं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : नो, नो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : वह ठीक है। You are right.

श्री सुरेन्द्र व्यास : रिट का जुरिस्डिक्शन कभी बाहर होता ही नहीं है।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : बांध रहे हैं न उसको तो। रिट के बाद तो वह जाएगा न?

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, रिट में जाएगा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : तो भी सेल्स टैक्स के अधिकारियों की अपील नहीं होती है। सेल्स टैक्स के आफिसर्स कोई फैसला करते हैं तो उसकी अपील विभाग में होती है। (व्यवधान) नहीं, नहीं, अथोरिटी कह दिया उन्होंने।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप तो दोनों ही वकील हैं, आपस में बहस मत करो।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ज्यादा अच्छा लगता है। दोनों वकील हैं तो अच्छी बात निकलकर आती है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : वकील साहब ज्यादा प्रैक्टिकल बात कह सकते हैं। (व्यवधान)

श्री भंवरलाल शर्मा : इसमें यह लिखा है "in any Civil Court or any other authority" इसमें ट्रिब्यूनल कहां आ गया? इसमें डिबार कर दिया न उसको?

एक माननीय सदस्य : चेयर की तरफ बोलो न।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : चेयर सुन रही है बराबर। तो यह अथोरिटी जो है उसने ट्रिब्यूनल को रोक दिया। यानी विभाग यह फील करे कि इसमें कोई गड़बड़ हो गयी है, चाहे वह गड़बड़ बोनाफाइड ही हुई हो, उस बोर्ड में बेईमानी से नहीं, बोनाफाइड ही हो गयी हो, तभी बात खतम हो गयी, यानी डिपार्टमेंट भी यदि फील करे कि यह तो ठीक नहीं हुआ, उसके लिए भी कोई रास्ता नहीं छोड़ा आपने। या मान लीजिये, मैं यह अनुभव करता हूं कि आपने बोर्ड में जो फैसला किया है वह मिलीभगत से किया है, तो मैं भी कहीं जाकर शिकायत नहीं कर सकता। आज मैं सैटलमेंट में जाकर शिकायत कर सकता हूं, इनकम टैक्स में जाकर शिकायत कर सकता हूं, तो आपने इसमें उसके लिए भी पाबंद कर दिया। तो क्या जरूरत है इसकी? आप कम से कम ऐसी व्यवस्था रखिए कि इनके निर्णय को कहीं तो चैलेंज किया जाए। यह आपने क्लैरीफाई नहीं किया कि आप किन लोगों को बनाएंगे, सरकारी होंगे, गैर सरकारी होंगे, किस कैडर के

(श्री भंवरलाल शर्मा)

होंगे। अभी जवाब में जरूर आपने जिक्र किया, परन्तु इसमें कहीं भी नहीं लिखा हुआ है इसलिए इन्हीं को इनकारपोरेट करना ज्यादा जरूरी था। इनके निर्णय को चैलेंज करने के लिए कोई न कोई, चाहे कोर्ट में मत करिए लेकिन जैसे बोर्ड बनाया, आपकी अपीलांट आथोरिटी हाइएस्ट होती है, वहां तो जा सकता है कम से कम आदमी। तो मैं समझता हूं कि जिस विचार से आप लाये हो उसकी क्रियान्विति तभी होगी, वर्ना तो इसमें कई विसंगतियां होंगी, कई घाटे भी होंगे और कई नुकसान भी हो सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि इस पर विचार करके आप कानून में जोड़ दीजिए, जो आपकी मंशा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मंत्री महोदय जो असीमित अधिकार देने जा रहे हैं इस बोर्ड को, इस बोर्ड के अन्दर कितने सदस्य होंगे, इसके बारे में आपने कोई चर्चा नहीं की। इसके साथ-साथ, इस बोर्ड को कितनी राशि तक के मामलों में निर्णय करने का अधिकार होगा? जिस तरह की सैटलमेंट कमेटियां आप बना रहे हैं, मैं उदाहरण ही दे रहा हूं, जिस तरह जे.डी.ए. में आपने बनायीं, एक लोकल लेवल की बनायी और एक स्टेट लेवल की बनायी। पचास लाख के नीचे के मैटर्स लोकल लेवल की सुनेगी और उससे ऊपर के मैटर्स को स्टेट लेवल की सुनेगी। आप कह रहे हैं कि इतने बड़े वाद इसमें लम्बित हैं, तो जो आप सैटलमेंट कमेटी बनाएंगे, मान लो आपने बना दी, तो वह दूर-दराज से यहां आकर निवेदन करेगा और उसके बाद आप एग्री करोगे तब वह सैटलमेंट कमेटी में जाएगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप जब नियम बनाएं, इसमें सारी की सारी चीजों को बताएं। कम से कम जिस तरह का आज तक का इतिहास रहा है आपकी सरकार आने के बाद समझौता समितियों का, उससे यह शंका पैदा हुई है लोगों के मन में। जब आप कानून लेकर आये, दूसरे संशय उठने लगे, क्योंकि 938 करोड़ रुपया बकाया चल रहा है। चुनाव का साल चल रहा है और चुनावी साल के साथ दूसरा यह भी आ रहा है। दो-तीन बातें तो मैंने यहीं रख दीं, और इस तरह की सीरीज इर्रेगुलरिटीज हैं जो सेल्स टैक्स विभाग करता आ रहा है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, एक तो इसकी शक्तियां क्या होंगी? और एक, कोर्ट में जाने के अलावा, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, दूसरा कोई अधिकार ही नहीं रहेगा, सिविल कोर्ट और दूसरे कोर्ट्स में जा ही नहीं सकता। इसलिए इसमें आप समझौता कर बोर्ड बनाएं जरूर, पर उसको असीमित अधिकार नहीं दें, और आप स्पष्ट करें कि किस-किस लेवल के बोर्ड बनेंगे? जिला लेवल पर बनेगा या स्टेट लेवल पर बनेगा? इनमें कौन रहेंगे? एक आदमी रहेगा, चार आदमी रहेंगे? इनको क्या-क्या वेतन देंगे और क्या सुविधाएं देंगे? ये सारी बातें स्पष्ट हों तो बात समझ में आती है। हाई कोर्ट के जज का बनाएंगे तो क्या एक ही बोर्ड बनाएंगे? और आज 24 हजार वाद जो लम्बित है उनको सैटल करना चाहते हैं, आपकी मंशा से यह लगता है कि आप एक ही बोर्ड बनाना चाहते हैं। यह संभव नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान : सभापति महोदय, सैटलमेंट बोर्ड ये बनाना चाहते हैं, जिस प्रकार

(श्री हीरासिंह चौहान)

से माननीय सदस्यगण ने माननीय वित्त मंत्रीजी के सामने भावना प्रकट की कि यहां पर बोर्ड किस प्रकार का होगा, उसकी कितनी संख्या होगी, कितने अमाउंट तक के मैटर्स को वे सुनेंगे, क्या क्वालिफिकेशंस होंगी ...(व्यवधान) यूं तो यह माननीय वित्त मंत्रीजी बता रहे हैं, लेकिन आपने कुछ नहीं बताया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जरूरत नहीं है उसकी।

श्री हीरासिंह चौहान : यूं तो आप कुछ भी कह दो। जब कानून बनाते हैं तो सारा गवर्नमेंट की मंशा पर छोड़ दिया जाए, यह सही बात है क्या? जैसा सैक्शन 55–ए Constitution of Tax Settlement Board है इसके शब्द हैं–

"Notwithstanding anything contained in this Act, the State Government may, by notification in the Official Gazette, constitution a Tax Settlement Board consisting of a Chairman and such other Members;" "such other members" "how many members" संख्या भी आपने निश्चित नहीं की। क्वालिफिकेशंस के बारे में कुछ नहीं कहा। आप कह रहे हैं कि हम हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को लगाएंगे, रिटायर्ड आई.ए.एस. जिसके बारे में लोगों की बहुत अच्छी भावना हो, अच्छा मानते हों, उसको लगाएंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : देवल को लगाएंगे।

श्री हीरासिंह चौहान : हां, देवल को लगाएंगे। देवल बहुत योग्य हैं।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपसे चुनाव लड़ा वही न?

श्री हीरासिंह चौहान : लगा दीजिए न। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : इसरानी साहब को जज लगा दें और सी.डी. देवल को यहां लगा दें।

श्री हीरासिंह चौहान : हां, वह हैं रिटायर्ड आई.ए.एस.। इसलिए, माननीय सभापतिजी, आप लाये हैं, आप चाहते हैं, आपने संख्या दी है कि 24 हजार के आसपास पैंडिंग केस पड़े हैं...

मोहम्मद माहिर आजाद : रमाकान्तजी शर्मा साहब को लगा दें, वे वित्त सचिव भी रहे हैं। यह चाहते हो क्या आप? सुझाव मांगा है आपसे, सुझाव दे देना आप।

श्री हीरासिंह चौहान : हां, वह लग जाएंगे। दे देंगे। वह हमारे ही रिटायर्ड आई.ए.एस. हैं। सभापति महोदय, हमारा निवेदन है कि जब एक्ट को बनाया जाए, हमारी मंशा कुछ भी नहीं है, यह बना हुआ अच्छा है लेकिन इंट्रोड्यूस किया जाए, किसी एक्ट का प्रावधान बनाया जाए उस समय कम से कम इन सारी बातों की व्याख्या होना बहुत आवश्यक है। लॉ डेफिनिट लॉ बने, अनसरटेन लॉ से क्या लेना देना? इस प्रकार का लॉ बनाते हैं और फिर विधान सभा में तो हां–ना से आप पारित करवा दोगे, लेकिन जिस प्रकार की मंशा आपकी है उसके अनुसार उनकी क्वालिफिकेशन, मैम्बर्स की संख्या कितनी हो, ये सारी बातें आपको लेकर आना चाहिए, यही मेरा निवेदन है।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : सभापति महोदय, माननीय वित्त मंत्रीजी जो विक्रय कर (संशोधन) बिल, 2003 लाये हैं, मैं उसका इस चुनाव के वर्ष के संदर्भ में पूरा विरोध करता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यस। यही है मामला।

श्री मानिक चन्द सुराना : मेरा नम्र निवेदन है कि बिना सैटलमेंट बोर्ड के, सन् 1953 से जब से यह सेल्स टैक्स एक्ट बना तब से लगातार आज तक आपका काम चल गया तो 24 हजार जो पैंडिंग मैटर्स हैं उन 24 हजार में कौन से 500 मैटर्स महत्वपूर्ण होंगे जो यह फैसला बोर्ड कर लेगा और जो भी परिवादी हैं वे चले जाएंगे?

श्री प्रद्युम्न सिंह : It is by mutual consent.

श्री मानिक चन्द सुराना : No. By mutual consent.

श्री प्रद्युम्न सिंह : It is by mutual consent. आप इसको चुनाव के साल से जोड़ रहे हैं। यह म्युचुअल कंसेंट के आधार पर होगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं बिलकुल चुनाव के साल से इस सैटलमेंट बोर्ड को जोड़ रहा हूं, माननीय वित्त मंत्रीजी।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : That is the right thing. He is doing right.

श्री मानिक चन्द सुराना : यदि आप 24 हजार मामले निपटाना चाहते तो आप एक बोर्ड का गठन नहीं करते। 24 हजार मामलों को निपटाने के लिए आप हैडक्वार्टर पर ट्रिब्यूनल सैटलमेंट बोर्ड, अलग पावर, जिसको करोड़-दो करोड़ की पावर हो, पांच करोड़ की पावर हो, उस तक रखते और उसके बाद स्टेट का सैटलमेंट बोर्ड बनाते जिसको उसके ऊपर की पावर देते। आपकी रीयल इंटेंशन यदि चौबीस हजार में दस, पांच, पन्द्रह हजार को भी सैटल करने की हो तो आप बनाते डिवीजन सैटलमेंट बोर्ड। आप एक बोर्ड बनाएंगे और इस विधान सभा को और राजस्थान को यह संदेश देंगे कि चौबीस हजार मामले हम निपटा देंगे, ऐसा कोई सम्भव नहीं है। इसलिए मैं नम्र निवेदन करूंगा आपको कि चौबीस हजार मामले निपटाने हों तो कम से कम डिवीजनल हैडक्वार्टर्स पर सैटलमेंट बोर्ड बनाएं। रीजनेबल क्लासिफिकेशन करें कि डिवीजन सैटलमेंट बोर्ड को क्या अधिकार होंगे, किस वित्तीय सीमा तक अधिकार होंगे, कितने मामले निपटाने के अधिकार होंगे।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, एक मिनट, जो बिल आया है Let this Bill go under the test. इसका एक टैस्ट हो जाएगा, उसके बाद के अन्दर आप बोल रहे हो सुझाव।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय सभापति महोदय, यहां टैस्ट होने का कोई सवाल नहीं है। विक्रय कर (संशोधन) आर्डिनेंस आया था, अब बिल आ गया। माननीय वित्त मंत्रीजी ने हमको यह थोड़े ही बताया कि आर्डिनेंस के बाद में सैटलमेंट बोर्ड ने कितने मामले निपटा दिये और उसमें कितनी कर देयता है और कौन-कौनसे लोगों के निपटा दिये। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आप यह सैटलमेंट बोर्ड बनाएं तो डिवीजनल

(श्री मानिक चन्द सुराना)

हैडक्वार्टरों पर बनाएं। माननीय वित्त मंत्रीजी, जब यशवन्त सिन्हा वित्त मंत्री थे तो उन्होंने एक आदेश पारित किया था कि मैं एक्साइज ड्यूटी में कोई एग्जम्पशन मेरी कलम से नहीं दूंगा। सारे हिन्दुस्तान में यह पहला उदाहरण है जब किसी वित्त मंत्री ने जो उनके पूर्व सभी मंत्रियों के अधिकार थे उनको अपने लिए कर्टेल किया, समाप्त कर दिया और आज भी वही व्यवस्था चल रही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपके डिस्क्रिशनरी पावर में जो भी अधिकार हों, आप उनका भी परित्याग कर दें। यह चुनाव का वर्ष है, सैटलमेंट बोर्ड डिवीजनल हैडक्वार्टरों पर बनाने का काम करें और वर्गीकरण करें कि डिवीजनल हैडक्वार्टर को क्या पावर होगी और राज्य के सैटलमेंट बोर्ड को क्या पावर होगी। मैं इसी के साथ मेरी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सुरेन्द्र गोयल : माननीय सभापति महोदय, मेरा तो इतना ही निवेदन है, जो यह समझौता बोर्ड है, उसके डिस्क्रिशनरी पावर जो हैं उनका थोड़ा-सा खुलासा हो जाए। चौबीस हजार मामले पैंडिंग हैं उनमें यह भी है कि जो सुओ मोटो आकर समझौता बोर्ड के सामने एप्लीकेशन देगा कि मुझे समझौता बोर्ड के सामने डिसीजन करवाना है, तो किसी के ऊपर लाख रुपया बकाया है उसमें से उसका पच्चीस हजार माफ कर दिया, किसी के चालीस हजार माफ कर दिया। तो कोई न कोई ऐसे कानून-कायदे होने चाहिए, उस बोर्ड की भी लिमिटेशन होनी चाहिए कि ऐसे मामलों में किन-किन को क्या-क्या यूज करने के पावर हैं। यह इतना-सा बता दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सभापति महोदय, सरकार को इस बात की बहुत चिन्ता है कि उसके चौबीस हजार पैंडिंग केस हैं और बहुत बड़ी रेवेन्यू फंसी हुई है। यह बात लगभग चार साल ध्यान में नहीं आयी कि कितने केस पैंडिंग हैं, क्या हैं। अचानक आर्डिनेंस के माध्यम से...

श्री प्रद्युम्न सिंह : ना, ना, पिछले साल मैंने बजट में अनाउंसमेंट किया था। लास्ट ईयर के बजट में अनाउंसमेंट था, मैंने शुरू में कहा। प्रतिपक्ष के नेता महोदय, मैं आपको इंटरवीन कर रहा हूं, मुझे अफसोस है, मैंने शुरू में कहा कि लास्ट ईयर के बजट में मैंने अनाउंस किया, तब यह थी कि बाई नोटिफिकेशन हम इसका गठन कर सकेंगे। लॉ डिपार्टमेंट ने राय दी कि आपको अमैंडमेंट लाना पड़ेगा, बिना अमैंडमेंट लाए आप इस सैटलमेंट बोर्ड का गठन नहीं कर सकते। उसके उपरांत हमको आर्डिनेंस निकालना पड़ा। और आर्डिनेंस के अनुरूप आपको मालूम है, इस सदन में बिल तो लाना ही था। उसके अनुरूप आया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : 17 दिसम्बर को आया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : मैं यही कह रहा था। आपको इतना आवश्यक था कि आर्डिनेंस लाए बिना काम चलने वाला नहीं था। और आर्डिनेंस आपने कब पेश किया, जबकि आपको पता था कि फरवरी में सदन आहूत हो रहा है? निश्चित रूप से मंशा हमारी बहुत अच्छी है, भावना भी बहुत अच्छी है कि हमारा यह सारा समझौता होकर राज्य की आय बड़ी आसानी से

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमें प्राप्त हो, उद्देश्य बहुत अच्छा है। लेकिन इस उद्देश्य के पीछे जिस प्रकार की भावना निकलेगी, अभी तो आप इसको क्योंकि अपने बहुमत से पास कराएंगे, जरूर होगा, लेकिन अगर आप और मैं दोनों जिंदा रहे तो भविष्य बताएगा, समझौता जो बोर्ड आपने बनाया है इसके तहत हमारी रेवेन्यू किस तरह से लीकेज होनी शुरू होगी। कारण क्या कि जो सम्बन्धित पक्ष होगा, जो फँसा हुआ होगा वह निश्चित रूप से, आपने इसमें लिखा है–"the dealer or person concerned." तो स्वाभाविक है जब वह उलझा हुआ है कोर्ट केसेज में तो वह तो आपके यहां हाथ जोड़ने आएगा ही, और जब हाथ जोड़ने आएगा तो आप इस समझौता बोर्ड में उसे ले जाएंगे और मैं सोचता हूं कि आप एक नया ऐसा अध्याय शुरू करेंगे। मंशा इसके पीछे कितनी भी अच्छी क्यों न हो, हमारे यहां सब मंशाएं अन्ततोगत्वा जाकर रसातल में गिरती हैं। कोई दो साल में जाती हैं, कोई पांच साल में जाती हैं लेकिन जाती हैं। इतना बड़ा अधिकार हम दे रहे हैं कि उसके बाद कहीं कोई उसकी सुनवाई नहीं। जब उसके सामने टार्गेट है कि इसके बाद कोई सुनवाई नहीं होगी तो अपने टैक्स के करने में वह फाउल खेलेगा। तो यह उसमें से भावना नहीं निकलेगी। अगर मान लो उसका दस करोड़ का टैक्स है, इस दस करोड़ के टैक्स में अगर उसको मान लो दो करोड़ की भी छूट मिल जाए, वह समझौता बोर्ड के सामने आकर अपने केस को रफा-दफा करने की दृष्टि से जिस तरह से भी कर डाले और यह बोर्ड उसका फैसला कर दे, इससे स्टेट की रेवेन्यू बचेगी या स्टेट की रेवेन्यू का लीकेज प्रारम्भ हो जाएगा? कृपा करके इस पर कुछ राइडर्स जरूर लगाइये। इतनी खुली छूट देकर हम अगर बंद करेंगे तो हम अपनी भावनाओं को भले ही रखें लेकिन स्टेट की रेवेन्यू के लीकेज को हम रोक नहीं सकेंगे।

चौबीस हजार केसेज के बारे में आपको चिंता है, पर एक बोर्ड के द्वारा इन सात-आठ महीनों में कितना तो इसमें से समझौता हो जाएगा? मैं सोचता हूं, इसमें वही बड़े-बड़े लोग आएंगे, जिनके केसेज बहुत बड़ी रकम के उलझे हुए हैं, इस बोर्ड में आकर समझौता बोर्ड के माध्यम से उसका वे लाभ उठाएंगे, अनड्यू एडवांटेज और सरकार इस पर कुछ भी नहीं कर सकेगी चाहे वह चाहे या न चाहे। समझौता बोर्ड और जो भी व्यवहारी हैं वे दोनों मिलकर इसका लाभ उठाएंगे और सरकार को भी देखते रहना पड़ेगा, इसके अलावा सरकार के पास कोई दूसरा चारा नहीं होगा।

श्री सभापति : माननीय प्रभारी मंत्रीजी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : दो सवाल हैं, मंत्रीजी। मैं तो सिर्फ यह जानकारी चाहता हूं कि 17 दिसम्बर, 2002 को आपने यह आर्डिनेंस प्रोमलगेट किया है, बना ही दिया होगा बोर्ड आपने अब तक?

श्री प्रद्युम्न सिंह : अभी नहीं बनाया।

श्री सुरेन्द्र व्यास : फिर काहे को आर्डिनेंस प्रोमलगेट किया?

श्री प्रद्युम्न सिंह : ऐसा था, बोर्ड नहीं बनाया क्योंकि उसके रूल्स के बारे में अभी गहन विचार-विमर्श हो रहा था, स्कोप के बारे में। (व्यवधान)

(श्री प्रद्युम्न सिंह)

पावर हम लेना चाह रहे हैं। देखिए, आर्डिनेंस के जरिए पावर लिया हमने अपने पास कि हम इस बोर्ड का गठन कर सकें। वह लॉ डिपार्टमेंट में मैंने जैसे शुरू में आपसे कहा, जो मैंने पिछले साल बजट भाषण में बात कही थी, कि बाई नोटिफिकेशन कर सकेंगे, We were under this impression. लॉ डिपार्टमेंट ने कहा कि without amending the Sales Tax Act you cann't do it, तब यह आर्डिनेंस लाये। आर्डिनेंस लाये तो इसके ऊपर अभी प्रक्रिया चल रही है तब तक यह विधान सभा में आ गया तो बिल तो लाना ही था।

श्री सुरेन्द्र व्यास : विधान सभा का तो आपको पता था there was no urgency for promulgating this Ordinance in the first place. सैकण्डली, जो लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़े वैलिड पाइंट उठाए हैं उन पर आप विचार करें, क्योंकि जे.डी.ए. वाला जो समझौता समिति का है, वित्त मंत्री जी, आप सब जानते हो and I understand from the newspapers, कोई सैकण्ड थॉट गवर्नमेंट दे रही है, वापस वाइंड-अप करने की सोच रही है। कोर्ट में नहीं जा सकते। कितना घपला किया है, राष्ट्रदूत ने सीरीज निकाली है बाकायदा, कितनी बेशर्मी से बेईमानी की है और अनफार्चुनेटली हाई कोर्ट जज भी हैं उसके अन्दर। तो अब उस गार्व में या कहीं जाकर बदमाशी वह नहीं हो कि उलटा आपके टैक्स से, यह बहुत विचारणीय विषय है। आपकी नीयत में कहीं कोई संदेह नहीं है। बोनाफाइड्स आपको प्रिय हैं लेकिन आपके ध्यान में लाना आवश्यक है कि आप समझिये, जो मानिकचन्दजी सुराना कह रहे हैं यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है कि पूरे के पूरे केसेज तो आ नहीं सकते, अगर कुछ चुनिन्दा केसेज को भी इन्होंने सैटलमेंट से किया है जिसके अंदर भारी आर्थिक लाभ अगर पहुंचाया कुछ लोगों को, तो, वित्त मंत्रीजी, फिर तो यह चुनाव के वर्ष से जोड़ना बिलकुल वाजिब हो जाएगा। आपका प्रयोजन चुनाव की वजह से न हो लेकिन बाद में तो सिद्ध हो जाएगा। इसके अगर परिणाम सामने आये कि कुछ लोगों को आपने ऐसा फायदा पहुंचाया है। समझौता समिति, बोर्ड सब बनाकर ऐसा घपला मत करो, वित्त मंत्रीजी ....(व्यवधान) बहुत डिपार्टमेंट्स में घपला हो रहा है, इस पाप के भागी आप तो मत बनो कम से कम।

श्री प्रद्युम्न सिंह : माननीय सभापति महोदय, लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य, प्रतिपक्ष के सम्माननीय नेता, हवामहल के सम्माननीय सदस्य, आप काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर ...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने मेरा नाम नहीं लिया।

श्री प्रद्युम्न सिंह : आपका नाम तो पहले ले चुका हूं सबसे पहले। आप तो सर्वप्रथम हैं आजकल। माननीय सभापति महोदय, कुछ काल्पनिक सवाल यहां खड़े किये गए हैं, एप्रीहेंशन जिसे कहना चाहिए, अब काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना मेरे लिए सम्भव नहीं है।

(15.00 बजे)

श्री सुरेन्द्र व्यास : नहीं, यह एप्रीहेंशन का...(व्यवधान) जरूरी नहीं है...काल्पनिक...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आशंका, आशंका। आशंका जो जतायी है...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : ऐसा नहीं है, मत्री महोदय...(व्यवधान)...ऐसा नहीं है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री प्रद्युम्न सिंह : लेकिन मैं वह निश्चित रूप से आज सदन में विश्वास दिलाना चाहता हूं, श्रीमन्...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : दिलाते रहो, बस यही है।

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं पूरी प्रिकॉशन बरतूंगा। इतना महत्वपूर्ण बोर्ड बनने जा रहा है, मैं नहीं चाहता हूं कि इसके अन्दर कोई कमी रह जाए, इसलिये एक-एक चीज को बहुत ठोक बजाकर सोच-विचार करने के उपरान्त ही इस पर निर्णय लेंगे।

एक बात, प्रतिपक्ष के नेता महोदय, आपसे कहता हूं कि इसका स्कोप, जूरिस्डिक्शन, आप मुनासिब समझें तो मैं आपको दिखा दूंगा। मैं आपसे वादा करता हूं, जैसे ही तैयार होगा, जारी करने से पहले मैं आपको दिखाउंगा। ट्रांसपेरेंसी बनी रहेगी। I want utmost transparency in this case. इसमें ट्रांसपेरेंसी मैं चाहता हूं बिलकुल बनी रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उदय होते ही इसकी हत्या हो जाए। एक प्लासिबल आदमी इसमें लगाउंगा। As plausible, I can assure you. क्योंकि हम नहीं देंगे केस इसके अन्दर, इसके अन्दर हम केस देने नहीं जा रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : सम्बन्धित आदमी आएगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : समझौते से आए ..

श्री प्रद्युम्न सिंह : म्युचुअली यूं तो देखिये, हर सिस्टम पर आप उंगली उठा सकते हैं। आज इनकम टैक्स का सैटलमेंट बोर्ड बना हुआ है, कई सैटलमेंट बोर्ड भारत सरकार के विभिन्न एक्टों के तहत बने हुए हैं, तो आज इनके ऊपर भी उंगली उठाना शुरू कर दें, वहां पर भी दुनिया भर के फैसले होते हैं। अगर इस प्रकार एप्रीहेंशन से हम काम करेंगे...

श्री सुरेन्द्र व्यास : उसका आधार नहीं है। उसका आधार नहीं है, वित्त मंत्रीजी। इसका आधार यह जे.डी.ए. समझौता समिति है न।

श्री प्रद्युम्न सिंह : जे.डी.ए. में देखिये, जे.डी.ए. के बारे में मैंने पूर्व में कह दिया, ईमानदारी से कहता हूं, मुझे कोई जानकारी नहीं है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : हां, यह मानता हूं। मानता हूं। आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, आपके तो ध्यान में नहीं है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : मैं आपसे कह सकता हूं, मैं इसमें अच्छे से अच्छे आदमी लगाउंगा और इसके लिये भी रूल्स बन रहे हैं उनमें पूरा प्रिकाशन बरता जाएगा, जिससे इसके मिसयूज की कोई बात न रहे।

अब मैं निवेदन करूंगा कि इसको पारित किया जाए।

श्री मानिक चन्द सुराना : एक सैकण्ड, आप सुन लें। इतना पल्ला क्यों झाड़ रहे हैं कि मेरे को जानकारी नहीं है?

श्री प्रद्युम्न सिंह : मुझे जानकारी नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप वित्त मंत्री हैं और इतनी जानकारी तो आपको रखनी पड़ेगी कि जे.डी.ए. में क्या-क्या घपले हो रहे हैं। ध्यान करिए, वहां वित्तीय घोटाले हो रहे हैं। राज्य के वित्त का वहां पर नुकसान किया जा रहा है इसलिये आपको ध्यान देना आवश्यक है। जानकारी, आप कह रहे हो, नहीं है, तो मैं कहता हूं तत्काल जानकारी करें, करने का कष्ट करें।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** शाम तक कर लीजिये। मंत्री महोदय, यह बताइये, आपने म्युचुअल शब्द कहा है, जब बोर्ड में मामला आएगा बाई म्युचुअल कसेंट, म्युचुअल कौन-कौनसी पार्टी होगी? एक तो जो टैक्सपेयर है वह होगा, दूसरी पार्टी कौनसी होगी? तो म्युचुअल से मतलब क्या है आपका? लैट हिम से? आपने यह फर्माया है...

श्री प्रद्युम्न सिंह : आया नैचुरली डिपार्टमेंट। हां, डिपार्टमेंट। निश्चित रूप से डिपार्टमेंट। अगर डिपार्टमेंट फील करता है कि our case is very strong, we should not go for any settlement, why we should go for settlement?

(15.07 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** यानि वह डिपार्टमेंट के हाथ की बात रह गयी फिर...?

श्री गुलाब चन्द कटारिया : यह तो सरकार चाहेगी जो करेगी, इसलिये म्युचुअल छिपा हुआ यही है...

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** यह है बात। आ गयी सामने वही बात।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मंत्री महोदय, मैंने बूंदी प्रकरण के अंदर...

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2003 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विक्रय कर (संशोधन) विधेयक, 2003 पारित किया गया।

माननीय श्री शैलेन्द्र जोशी।

विधेयक पर विचार

बीकानेर विश्वविद्यालय विधेयक, 2003

श्री शैलेन्द्र जोशी (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बीकानेर, विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलालजी शर्मा।

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) **:** यह बोलेंगे, राजेन्द्रजी बोलेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : उनका नाम आएगा जब बोलेंगे। आप बोलोगे कि नहीं, पहले यह बताओ?

श्री भंवरलाल शर्मा (हवामहल) : मेरा चांस इनको दे देता हूं। मैं नहीं बोलूंगा फिर भले ही।

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है, तो आगे चलें न। ....(व्यवधान) तो आ जाएगा। विराजो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह आपने उनके ...(व्यवधान) किया था।

श्री उपाध्यक्ष : नम्बर आएगा। ऐसे चांस नहीं मिलता।

श्री कन्हैया लालजी।

(अनुपस्थित)

श्री हीरासिंह चौहान।

(अनुपस्थित)

श्री जसवन्त सिंहजी।

(अनुपस्थित)

श्री शिवराम सिंहजी।

(अनुपस्थित)

श्री रामप्रतापजी।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़जी।

श्री सुरेन्द्र व्यास : आया न?

श्री उपाध्यक्ष : आया तो इतने तो निपटे न?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, सदन के सम्मुख बीकानेर, विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 विचारार्थ है। मंत्री महोदय ने अपने उद्देश्य और कारणों के कथन में यह कहा है- खण्ड मुख्यालयों पर उच्च शिक्षा की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने, बीकानेर खण्ड के लोगों की दीर्घकाल से चली आ रही मांग को पूरा करने और वित्त मंत्री द्वारा सत्र 2002-2003 में की गयी घोषणा की पालना को दृष्टिगत रखते हुए बीकानेर में नया विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है।

मंत्री महोदय, आप बुद्धिजीवी भी है, मैं समझता हूं कि उच्च शिक्षा के क्षेत्र में और विश्वविद्यालय के नाम पर हम जो कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं, इसमें कम से कम आप जैसे दबंग मंत्री को शामिल नहीं होना चाहिये। आपने एक वर्ष पूर्व इसी सदन के अन्दर घोषणा की थी कि बीकानेर के अन्दर छात्रों ने आंदोलन किया, बीकानेर, विश्वविद्यालय स्थापित होना चाहिए। मैं इसका पक्षधर हूं और एक वर्ष पूर्व घोषणा की तो बीकानेर में विश्वविद्यालय खोला जा रहा है, पर एक वर्ष के समय में आपने किया क्या?

आपने 2002-2003 में एक करोड़ का बजट प्रावधान रखा और उस बजट को भी फिर संशोधित अनुमानों में कम करके सिर्फ दस लाख रुपये रखा और वह भी पूरा आप व्यय नहीं कर सके। जा रहे हैं विश्वविद्यालय खोलने। बजट में एक साल पहले एक करोड़ का प्रावधान कर रहे हैं, संशोधित अनुमान लेकर आ रहे हैं दस लाख, दस लाख में तो, मंत्री महोदय, किसी गांव में उच्च प्राथमिक विद्यालय भी नहीं खुलता। और

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अब आप क्या कर रहे हैं? अपने वित्तीय ज्ञापन में आपने लिखा है कि वर्ष 2003-2004 के बजट में 57.70 लाख रुपये उपलब्ध होंगे और ऊपर आप लिख रहे हैं कि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिये उपगत होने वाले अनावर्ती व आवर्ती व्यय की संगणना कर ली गयी है। तद्नुसार भवनों के निर्माण और मूल अवसंरचनाओं के विकास के लिये 20 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी और आवर्ती व्यय के लिये प्रति वर्ष एक करोड़ की आवश्यकता होगी। मतलब 20 करोड़ से इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा और रेकरिंग अमाउंट के लिये इनको एक करोड़ रुपया चाहिये। और आप 57 लाख रुपये का प्रावधान ले रहे हैं।

मंत्री महोदय, एक साल पहले तो जो आपने किया सो किया, लेकिन मेरी समझ में नहीं आया, इसी रफ्तार से चले और इसी तरह वित्तीय प्रबन्धन करते रहे तो आपको बीस साल लगेंगे बीकानेर के अन्दर विश्वविद्यालय बनाने में। बीस साल नहीं, तीस साल लगेंगे। मैं निवेदन करना चाहता हूं, विश्वविद्यालय की स्थापना की घोषणा सरकार कितनी भी कर दे, पर नगर से आने वाले माननीय सदस्य को मालूम होगा कि विश्वविद्यालय को मान्यता देने का काम यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करता है और यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के कुछ मापदण्ड हैं। मापदण्डों में विश्वविद्यालय का दर्जा तब दिया जाएगा जब उसका स्वतंत्र परिसर हो, उसकी स्वतंत्र टीचिंग यूनिट्स हों, उसमें शोध विद्यार्थियों के शोध करने के लिये अलग से प्रयोगशालाएं हों, उसके लिये अलग प्ले ग्राउंड हो। आप अभी कागजों में लिये बैठे हैं, आप अभी उत्तर देने खड़े होंगे, बड़े जोर-जोर से बोलेंगे, मुझे मालूम है, आपकी आदत है, और जोर से बोलने की कला के मर्मज्ञ होने के नाते ही आप वहां बैठे हो, वरना आप वहां बैठे थे पीछे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा आपने कई बार कर दी और बीकानेर के अन्दर बड़े-बड़े पोस्टर छपवा लिये, मुख्य मंत्रीजी का साफा लगा हुआ फोटो है, मैं इन्हीं दिनों बीकानेर गया हुआ था, एक मैंने इतना बड़ा बोर्ड देखा, उस बोर्ड की कीमत ही कोई पचास हजार रुपये होगी। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद तीन बार लिख रखा था। यह लिख रहा था – बीकानेर में विश्वविद्यालय खोलने पर धन्यवाद और नीचे था एन.एस.यू.आई. के अध्यक्ष का नाम। मैं समझता हूं, आप इस तरह गुमराह करने का जो काम कर रहे हैं उसे न करें तो ही अच्छा है।

अब आप यह कानून लेकर आये हैं, इस कानून की धारा जो आप पास कराना चाहते हैं, इसमें निवेदन करना चाहता हूं बीकानेर, विश्वविद्यालय विधेयक का सैक्शन-19 – प्रबन्ध बोर्ड का गठन और संरचना। प्रबन्ध बोर्ड विश्वविद्यालय में उच्चतम कार्यपालक निकाय होगा, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे। आप देखें, मुलाहिजा फर्माएं। एक तो विश्वविद्यालय का कुलपति इसका अध्यक्ष होगा, और इसमें पदेन सदस्य किसको रखा आपने? शासन सचिव, वित्त विभाग, राजस्थान, शासन सचिव, उच्चतर शिक्षा विभाग, राजस्थान, निदेशक, महाविद्यालय शिक्षा, राजस्थान और विश्वविद्यालय का कुल सचिव, ये चार रखे हैं। एक भी नॉन आफिशियल नहीं है। मतलब, आप इस विश्वविद्यालय की स्वायत्ता को क्यों समाप्त करना चाहते हैं? आगे आपने

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जब अलग से नामिनीज रखे हैं उसमें भी कुलपति द्वारा और राज्य सरकार द्वारा दो लोगों का नामांकन, मतलब इसमें कहीं नहीं यह लगता कि विश्वविद्यालय की स्वायत्ता इस सरकार के रहते बचेगी।

पहली बात तो मैं इसको विश्वविद्यालय ही नहीं मानता। बीकानेर विश्वविद्यालय नहीं, बीकानेर कागजी विश्वविद्यालय आप कह दें। इसको बीकानेर विश्वविद्यालय कागजी विधेयक आप कह दें तो ज्यादा ठीक रहेगा। और इसके अलावा सैक्शन 34 के अन्दर लेकर आये हैं राज्य सरकार का नियंत्रण, एक तरफ तो बात यह चल रही है, वैसे तो, मंत्री महोदय आपकी सरकार ने विश्वविद्यालय की, कोआर्डिनेशन कमेटी के अनुसार एम.ओ.यू. किया था, उसके माध्यम से आपने विश्वविद्यालय की स्वायत्ता तो बहुत पहले ही समाप्त कर दी, और अब आप जो कानून लेकर आये हैं वैसे तो इसको डिस्कशन करने की आवश्यकता इसलिए नहीं है क्योंकि इसका कोई औचित्य नहीं है, यह विश्वविद्यालय हो ही नहीं सकता 57 लाख के प्रावधान से 40 साल तक इस धरती पर नहीं आ सकता है। आप करना क्या चाहते हैं? परन्तु फिर भी आप कानून लेकर आये हैं। आप तो पेशे से वकील हो, कानून तो इस तरह का लेकर आते। जहां स्वायत्ता की बात हमें नहीं करनी चाहिए विश्वविद्यालय में, वहां इस तरह का कानून लेकर आये हैं।

सैक्शन 34 में राज्य सरकार का नियंत्रण- क्या नियंत्रण करेगी राज्य सरकार? अध्यापकों, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के नये पदों का सृजन बिना राज्य सरकार की पूर्व अनुज्ञा के नहीं होगा। अध्यापकों, अधिकारियों एवं अन्य कर्मचारियों के वेतन भत्ते, सेवानिवृत्ति के पश्चात् जो फायदे हैं वे भी बिना सरकार की आज्ञा के नहीं होंगे। अध्यापकों, अधिकारियों और कर्मचारियों को किसी कार्य के लिये विशेष अतिरिक्त वेतन यानि ओवरटाइम के लिए भी सरकार के पास जाएगा। अब यह मेरी समझ में नहीं आता है, इसके अलावा आपने आगे भी लिख रखा है, चाहे किसी निश्चित निधि से ऐसे प्रयोजन के लिए जिसके लिये पूर्ति की है, कुछ तो समझ में आ सकता है, परन्तु सारे वित्तीय नियंत्रण आप लेते जा रहे हैं और वित्त के नाम पर पैसा उनको दे नहीं रहे हैं।

अब आपने सैक्शन 35 में लिखा है - आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार वित्तीय नियंत्रण की आवधारणा करेगी। मतलब वित्तीय कुप्रबन्ध के नाम पर जब चाहे सारा का सारा अधिकार सरकार अपने हाथ में ले लेगी। मैं समझता हूं, यह करके आप जो कागजी विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, इसमें जिस तरह का कानून इस विधेयक के माध्यम से बनाने जा रहे हैं, यह राजस्थान के शिक्षा जगत की स्वायत्ता पर हमला है। विश्वविद्यालय को स्वायत्त निकाय मानने की बात और कल्पना आज नहीं पूर्व से थी और विश्वविद्यालय का मायना हुआ करता था। मंत्री महोदय, जब से आपकी सरकार आयी है, आपने कोई वर्ष ऐसा छोड़ा ही नहीं जब दो विश्वविद्यालय नहीं खोले हों। कभी तो कोटा विश्वविद्यालय और कभी बीकानेर विश्वविद्यालय। एक विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए इन्होंने 20 करोड़ का जो आकलन किया है वह भी कम है। यूनिवर्सिटी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

ग्रांट कमीशन के जो निर्धारित मापदण्ड हैं उससे तो एक अरब रुपये में भी एक विश्वविद्यालय नहीं खुल सकता है। परन्तु चूंकि आपको खोलना नहीं है, आप तो यूं खोलते आये हैं विश्वविद्यालय जिस तरह से कि हाई स्कूल खोल रहे हैं, प्राइमरी स्कूल खोल रहे हैं। मंत्री महोदय, आपके मन में थोड़ी बहुत ग्लानि नहीं हुई? यह विधेयक जब आ रहा था तब आपके मन में यह नहीं हुआ? जहां वित्तीय प्रबन्ध नहीं है, दो साल से मात्र कागजी घोड़े दौड़ा रहे हैं? आप किसको बेवकूफ बनाने जा रहे हैं? यह चुनावी वर्ष है, मैं समझता हूं कि इसके पीछे मन्तव्य यही है कि चुनावी वर्ष के अन्दर कल समाचार पत्रों में छपेगा, शैलेन्द्र जोशी ने जवाब देते हुए कहा, बीकानेर में विश्वविद्यालय होगा, यह होगा, वह होगा। परन्तु धरती पर कहां होगा? यह आपकी कल्पना है। आपके शासन में रहते हुए मूर्त रूप तो इसका हुआ नहीं। मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आप भी इस सदन में विराजें, साक्षी रहें, यह विश्वविद्यालय खुलेगा और यू.जी.सी. के मापदण्डों के अनुसार खुलेगा। इसमें पूरा वित्तीय प्रबन्धन होगा, परन्तु यह होगा तब जब इस तरह कागजी घोड़े दौड़ाने वाले लोगों की सरकार के बजाय सरकार उन लोगों की आएगी जो वास्तव में धरती पर चलकर राजस्थान के शिक्षा जगत में राजस्थान में उच्च शिक्षा लोगों को मिले, इसका प्रबन्धन करने की मंशा रखती है।

इसलिए ईश्वर के लिए, आप खड़े होंगे, एक तो धीरे बोलना, अब आपका प्रमोशन तो होना नहीं, जोर से बोलेंगे तो। वह तो आपका हो गया, दो घंटे लगातार बोलकर आपने एक रिकार्ड बनाया है।

श्री उपाध्यक्ष : यह भी इसमें आया है क्या? यह भी अमैंडमेंट में आया है, क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं निवेदन कर रहा था कि आप चुपचाप बिना कुछ सोचे गम्भीरता से कह दें कि आपने पूरा देखा नहीं, वित्तीय प्रबन्ध देखा नहीं, और वापस ले लीजिये। अगर जनमत जानने के लिये प्रचारित हो गया तो, शिक्षा मंत्रीजी, जगह-जगह पुतले जलेंगे। वह देखेगा कि एक करोड़ रुपये देने की बात थी एक साल में और 10 लाख रुपये दिये। और 57 लाख रुपये में विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं। जनमत जानने वाला मेरा प्रस्ताव तो है परन्तु आपसे मेरी मित्रता भी रही है इसलिए जनमत जानने के लिए परिचालित तो कर मत देना, वरना आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, जयपुर से बांदीकुई जाना मुश्किल हो जाएगा। आप तो इसको वापस ले लें और उपाध्यक्ष महोदय से प्रार्थना कर दें कि यह कागजी विश्वविद्यालय खोलने की बात करके राजस्थान के उच्च शिक्षा जगत के साथ अन्याय किया है, उनको गुमराह करने का प्रयास किया है। जिस तरह का कानून आप लेकर आये हैं, यह विश्वविद्यालय की स्वायत्ता पर आप एक तरह से अंकुश लगाना चाहते हैं, इसलिए मेरा निवेदन है कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित करके ऐसा मार्ग खोल दिया जाए ताकि शैलेन्द्र जोशी के नाम पर जगह-जगह पुतले जलाये जाएं। शैलेन्द्र जोशी अमर रहें, इस तरह के नारे लगें।

श्री उपाध्यक्ष : श्री हरीशचन्द।

(अनुपस्थित)

श्री अमरा राम।

(अनुपस्थित)

श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं जो सही होता है वह बोलता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि यहां जैसे राज्य सरकार ने घोषणा कर दी कि कोटा विश्वविद्यालय, बीकानेर विश्वविद्यालय खोलना...

श्री उपाध्यक्ष : कोटा का आगे आ रहा है। अभी तो बीकानेर का ही है।

श्री सुरेन्द्र गोयल : मैं कह रहा हूं कि दोनों विश्वविद्यालय खोलने के लिए घोषणा हो गयी, घोषणा हुए एक साल हो गया। और जब विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा हो गयी तो एक्ट भी लाना पड़ेगा, बिल भी लाना पड़ेगा। बिल लाये हैं, बिल पास भी होगा पर मेरा तो निवेदन यह है कि आपकी मंशा साफ होनी चाहिए। किसी मंशा से आपने विश्वविद्यालय खोले हैं तो कम से कम फाइनेंशियली ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि वह आगे जाकर फलीभूत हो। आपने पिछले साल एक करोड़ रुपये की घोषणा की और दस लाख रुपये लगाये। दस लाख भी मेरे हिसाब से जब 31 मार्च के बाद हिसाब-किताब होगा तो यह आएगा कि 5-6 लाख ही खर्च हुए हैं। इस बार जो आपने 57 लाख रुपये दे रखे हैं तो कम से कम ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, लोगों को गुमराह नहीं करना चाहिए। विश्वविद्यालय ऐसी संस्थाएं हैं जिनमें बड़े-बड़े वयस्क छात्र पढ़ते हैं और पेरेंट्स बहुत मुश्किल से पैसा खर्च करते हैं तो विश्वविद्यालय की आइडेंटिटी होनी चाहिए, उसका नाम होना चाहिए। विश्वविद्यालय जो आप खोल रहे हैं वह कार्य रूप में परिणत हो, लोग आगे जाकर उसको याद करें, वह तभी सम्भव होगा जब आप उसे फाइनेंशियली साउंड करेंगे। मेरा यह निवेदन है कि जैसा कहते हो वैसा बरतो और वह काम करो जिससे कि वह फलीभूत हो।

श्री उपाध्यक्ष : डा. किरोड़ी लाल।

(अनुपस्थित)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री रघुवीर सिंह गौड़।

(अनुपस्थित)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : डा. रामप्रताप जी को भी बुलाएं।

श्री उपाध्यक्ष : बुलाता हूं, चिंता मत करो। मैं उनसे लास्ट में बुलाना चाहता हूं। असरदार आदमी हैं, अच्छा बोलते हैं इसलिए उनको लास्ट में बुलाना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : उपाध्यक्ष महोदय, आज सत्र के अंतिम दिन में यह क्या कम्प्लीमेंट हुआ? बाकी हम असरदार नहीं हैं?

श्री उपाध्यक्ष : यह तो आप अपने आप में समझ लो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह वैसे तो हमारे उप नेता हैं...

श्री हरिसिंह (महुवा) : आप रिजक्ट हो गये।

श्री उपाध्यक्ष : अगर असरदार नहीं होते तो उप नेता आप बनते। वह बन गये न।

श्री गणेशीराम मेघवाल।

(अनुपस्थित)

श्री सुरेन्द्र व्यास।

(अनुपस्थित)

श्री अमराराम।

(अनुपस्थित)

डा. रामप्रतापजी।

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे प्रदेश में जितने भी विश्वविद्यालय चल रहे हैं, करीब-करीब उन सबका नामकरण हमने ऐसी महान विभूतियों के पीछे किया है, जिनका सामाजिक या राजनीतिक क्षेत्र में बहुत बड़ा योगदान रहा है। आज यह विधेयक आप बीकानेर विश्वविद्यालय का लेकर आ रहे हो, इसमें एक वित्तीय वर्ष में एक करोड़ का प्रावधान किया, फिर दस लाख रह गये, परन्तु वास्तव में कितना रहा, इसमें मैं नहीं जाना चाहता। मेरा आपसे एक सुझाव है, शिक्षा मंत्रीजी कि पश्चिमी राजस्थान में एक विभूति पैदा हुई स्वामी केशवानंद जी, जिनका पूरे पश्चिमी राजस्थान में शिक्षा में बहुत बड़ा योगदान रहा। माननीय मंत्रीजी जो आपके पास में बैठे हैं, मेरी बात की ताईद कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, वह इसलिए कर रहे हैं कि इनको जानकारी है कि चूरू, गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, पूरा रेगिस्तानी इलाका और इतना दुर्गम जहां पर आदमी जाने की कल्पना ही नहीं कर सकता था, उस विभूति ने अपनी कार्यस्थली उस क्षेत्र को चुना, हालांकि उनका जन्म स्थान सीकर जिला था और वहां पर उन्होंने एक साथ कम से कम 297 पाठशालाओं का संचालन किया। इतना ही नहीं, उसके बाद में कहा तो यहां तक भी जाता है कि देश का विभाजन हुआ तो यह उस आदमी की ही देन थी कि जिसने हिन्दी का इतना प्रचार-प्रसार किया कि जो हमारा फाजिल्का क्षेत्र है बार्डर का, वह भाषा के आधार पर, अगर स्वामीजी वहां पर नहीं होते तो शायद उर्दू की वजह से पाकिस्तान में जाता।

इतना ही नहीं, इन्होंने केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही काम नहीं किया, आजादी की लड़ाई में भी इन्होंने अपना पूर्ण योगदान दिया। यहां तक कि रोलेट एक्ट के टाइम पर उसका जो विरोध किया जा रहा था, उसके पेटे दो साल की सजा भी इन्होंने भुगती और उसके बाद में दुबारा फिर 1930 के अन्दर इनको जेल की सजा हुई।

उपाध्यक्ष महोदय, इस शख्सियत के राजनीतिक क्षेत्र में और शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए भारत सरकार ने राष्ट्रपति महोदय ने इनको दो दफे राज्य सभा के लिए मनोनीत किया। इतना ही नहीं, राजस्थान सरकार की स्वर्ण जयन्ती समारोह समिति, जयपुर ने भी राजस्थान के स्वतंत्रता संग्राम के अमर पुरोधा स्वामी केशवानंद नामक पुस्तिका का प्रकाशन किया। उपाध्यक्ष महोदय, सिक्खों की सबसे बड़ी आस्था की जगह स्वर्ण मंदिर, महाराजा रणजीत सिंह ने जिसके स्वर्ण छत्रों का उद्धार करवाया था, यह माननीय स्वामीजी के व्यक्तित्व की ही वजह थी

(श्री रामप्रताप)

कि दूसरी दफा उनके द्वारा उसका जीर्णोद्धार करवाया गया। उपाध्यक्ष महोदय, ऐसी विभूति के लिए, मेरा आपसे विनम्र सुझाव है कि उनके इतने बड़े योगदान को देखते हुए हमें इस विश्वविद्यालय का नाम स्वामी केशवानंद विश्वविद्यालय रखना चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह मानकर चलता हूं कि शिक्षा मंत्रीजी पूरे बीकानेर डिवीजन के जितने भी विधायक महोदय हैं, उनसे अगर परामर्श करें तो इसमें किसी को दो राय नहीं होगी, इसलिए मेरा सुझाव है कि इसका नामकरण स्वामी केशवानंदजी के नाम से किया जाए। धन्यवाद।

श्री उपाध्यक्ष : श्री शिवनाथ सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया है और एक और विश्वविद्यालय का विधेयक भी आज ही लिस्टेड है, कोटा विश्वविद्यालय, 2000, चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बहुत सही कहा कि ये घोषणाएं एक साल पहले हुई थीं और घोषणा में एक-एक करोड़ रुपये का उस वक्त के बजट में प्रावधान किया गया था। यह बिल भी आज आखिरी दिन इसलिए लाया गया ताकि कांग्रेस पार्टी के दो मंत्री, माननीय श्री बी.डी. कल्लाजी और माननीय श्री शांतिकुमार जी धारीवाल अपने अपने क्षेत्रों के वोटरों को यह कह सकें कि बिल पास करवा दिया, विश्वविद्यालय बनवा दिया, चाहे जो प्रावधान राज्य सरकार ने किया है उससे उन विश्वविद्यालयों की बाउण्डरी नहीं बन सकती। 100 एकड़ से कम से विश्वविद्यालय का परिसर नहीं बन सकता और 100 एकड़ के परिसर की 57 लाख से बाउण्डरी नहीं बन सकती। तो बाउण्डरी बनवाकर मतदाताओं को भ्रमित करने की दृष्टि से ये चुनावी विश्वविद्यालय खोले गये हैं, जो अस्तित्व में नहीं आएंगे। जब तक चुनाव होंगे, अस्तित्व में नहीं आएंगे। जब तक चुनाव होंगे इनकी भूमियां नहीं ली जाएंगी, इनकी बाउण्डरी नहीं बनेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, आज सुबह मैं राजस्थान के बजट का पारायण कर रहा था, प्लान और नॉन प्लान में हम विश्वविद्यालयों पर क्या खर्च कर रहे हैं? उपाध्यक्ष महोदय, 85 करोड़ रुपये तो हम नॉन प्लान से विश्वविद्यालयों पर खर्च कर रहे हैं- 40 करोड़ की ग्रांट हम राजस्थान विश्वविद्यालय को देते हैं, 21 करोड़ की ग्रांट जोधपुर को देते हैं। फिर कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर, कृषि विश्वविद्यालय, उदयपुर? कुल मिलाकर 85 पाइंट कुछ करोड़ की ग्रांट हर साल तो रेवेन्यू बजट से हम उनको देते हैं, हम दे रहे हैं 85 करोड़ की ग्रांट, 40 करोड़ रुपये एक विश्वविद्यालय को चलाने के लिए और उसको बनाने के लिए आपने कह दिया कि 20 करोड़ का भवन काफी है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, कृषि विश्वविद्यालय के जो भवन बने हैं, आप जाकर देखें, आप मूल्यांकन कराएं किसी भी विश्वविद्यालय के भवन का, कोई भी भवन 100 करोड़ से 150 करोड़ से कम का नहीं है और जयपुर में विश्वविद्यालय का भवन 200 करोड़ से

(श्री मानिक चन्द सुराना)

ऊपर की लागत का आज बना हुआ है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि क्यों हमको आप मूर्ख बनाना चाहते हैं, क्यों आप राज्य की जनता को धोखा देना चाहते हैं कि कोटा में विश्वविद्यालय बना दिया, बीकानेर में विश्वविद्यालय बना दिया, 57 लाख 70 हजार की ग्रांट इस साल के बजट में दे दी, 57 लाख से क्या बनेगा? शिक्षा मंत्रीजी, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये जो आंकड़े आपने हमको दिये कि 85 करोड़ हम खर्च कर रहे हैं, प्लान फण्ड से जो विधि विश्वविद्यालय बना दिया और संस्कृत विश्वविद्यालय बना दिया, उनको डेढ़-डेढ़ करोड़ की ग्रांट तो अभी आप दे रहे हैं। अभी वे भी नहीं बने। संस्कृत विश्वविद्यालय आप जितना बड़ा बनाना चाहते थे, वह नहीं बना पाये, और यह विधि विश्वविद्यालय भी उसका जो स्वरूप आपने सोचा था, वह आप नहीं बना पाऐ। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह चुनावी विश्वविद्यालय खोलना बंद कर दें। आपको विश्वविद्यालय खोलने थे तो आप इस साल के बजट में 25-25 करोड़ का प्रावधान उनकी बिल्डिंग बनाने के लिए रखते कि हम 25 करोड़ रुपये कोटा के लिए और 25 करोड़ रुपये बीकानेर के लिए प्रावधान करते हैं, तब तो कुछ माना जाता कि आप कोई विश्वविद्यालय खोलना चाहते हैं, आपकी कोई गम्भीरता है, आप बड़े सीरियस हैं, उसमें और अपने आब्जैक्ट को अचीव करने के लिए इस वर्ष चुनाव से पहले कुछ बड़ा भवन बनाने का कोई काम शुरू करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विश्वविद्यालय कौन खोल रहा है? क्या विश्वविद्यालय खुल चुके या खुल रहे हैं? यह जो कोटा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : उपाध्यक्ष महोदय, नहीं खुले हैं, नहीं खुलेंगे।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : नाम तो हो गया खोलने का।

श्री मानिक चन्द सुराना : खोले हैं। ये तो चुनावी विश्वविद्यालय होंगे जो सिर्फ इन दो व्यक्तियों को जनता दे दे वोट इस दृष्टि से लाए जा रहे हैं। मेरा स्पष्ट आरोप है कि शांति धारीवालजी के लिए और बी.डी. कल्लाजी को अपने-अपने क्षेत्र में यह कहने की सुविधा बनाने के लिए कि विश्वविद्यालय खोल दिये, इसके लिए यह विश्वविद्यालय का विधेयक आप हमसे पास करवाना चाहते हैं। अब बहुमत आपका है। (व्यवधान)

श्री कनकमल कटारा : शिलान्यास भी बहुत हुए हैं।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : खुले हैं नहीं, न खुलेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बूंदी के अन्दर भी विश्वविद्यालय खोला जाए।

श्रीमती ममता शर्मा (संसदीय सचिव) : कोटा-बूंदी में कोई फर्क नहीं है इसलिए हमने कोटा में खोला है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर-आर्डर, विराजो। माननीय मंत्रीजी। हां, सुराना साहब, समाप्त हो गया?

श्री मदन दिलावर : परन्तु जब जनता का डण्डा लगेगा तो, इस प्रकार का नाटक और षड्यंत्र कर रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : आपके तो खोल रहे हैं, विरोध मत करो, नहीं तो वहां पता चल जाएगा।

श्री मदन दिलावर : मैं विरोध नहीं कर रहा, खुलना चाहिए लेकिन खुल नहीं रहा है, नाटकबाजी हो रही है।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय, मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि आखिर इस सदन की सैंक्टिटी है, आप हमसे बिल पास करवाइये, विश्वविद्यालय खोलिए, विश्वविद्यालय खोलने के लिए हम हामी हैं, हम चाहते हैं कि वह वास्तव में खुले, उसका स्वरूप बिलकुल निखरे, पर आप ये 57 लाख रुपये देकर किनको भ्रमित करना चाहते हैं शिक्षा मंत्रीजी? बीकानेर की जनता और कोटा की जनता आपके 57.70 लाख के प्रावधान से भ्रमित नहीं होगी। आप जिनको बचाना चाहते हैं, यह माहौल उनके खिलाफ ही बनेगा कि इन्होंने फर्जी रूप से 57 लाख की ग्रांट देकर हमको बेवकूफ बनाया है।

उपाध्यक्ष महोदय, एक तीसरा बिल और है आज, कोटा विश्वविद्यालय का बिल।

श्री उपाध्यक्ष : आगे आएगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : आगे आएगा, मैं जिक्र ही कर रहा हूं। और एक बिल और है, उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान विश्वविद्यालय (अध्यापक तथा अधिकारी नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2003।

श्री उपाध्यक्ष : वह भी आएगा।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह भी आएगा। उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि सैक्शन 34 और 35 जो कोट किया गया है सदन में, कंट्रोल आफ द स्टेट गवर्नमेंट, कोई भी पोस्ट क्रिएट होगी तो राज्य सरकार से पूछ कर होगी, तो आप इसको शिक्षा के डिपार्टमेंट के नीचे ही दे दो न और शिक्षा सैकेटरी को ही इसका वाइस चांसलर बना दो। आपको विश्वविद्यालय की स्वायत्ता की कोई समझ नहीं है इसलिए मैंने प्रस्ताव रखा है कि इसको प्रवर समिति को भेजा जाए। प्रवर समिति को इसलिए भेजा जाए ताकि हमने जो विश्वविद्यालय बनाया, उनमें जो प्रावधान रखे, उनमें हमको क्या अनुभव हुए, उनसे बैटर विश्वविद्यालय को बनाने में, वह छनाई प्रवर समिति के अलावा नहीं हो सकती है। जनमत जानने के लिए सुझाव भी माननीय सदस्यों ने दिया है, पर मैं कहता हूं कि रियल तरीके से, विस्तार में, इसके स्वरूप को, इसकी अवधारणा को और इसके उद्देश्यों को जांचने के लिए यह प्रवर समिति को जाए और विश्वविद्यालय के जितने भी अधिनियम बने हैं, उन सबका तुलनात्मक अध्ययन करके एक अच्छे प्रारूप में बीकानेर और कोटा के विश्वविद्यालय का प्रारूप बनाने का प्रयत्न करें।

उपाध्यक्ष महोदय, विश्वविद्यालय के आज जो हम बिल लाने वाले हैं, उसमें हम सन् 1974 के बाद जो नियुक्तियां अवैधानिक हुई हैं, आज हम घोषणा करेंगे उस बिल के पास होने के साथ

(श्री मानिक चन्द सुराना)

कि वे नियुक्तियां अवैध, अकृत्य और शून्य मानी जाएंगी। इसका तात्पर्य क्या है? उपाध्यक्ष महोदय, इसका तात्पर्य यह है कि विश्वविद्यालय भी अनियमित नियुक्तियों के अड्डे बने हुए हैं। एक नहीं सैकड़ों नियुक्तियां अनियमित हुई हैं और हो रही हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यहां, कृषि विश्वविद्यालय के नीचे वेटरिनरी कॉलेज है, उससे सम्बन्धित है, उस विश्वविद्यालय में, माननीय पशु पालन मंत्रीजी विराज रहे हैं, मैंने उनको एक दिन जिक्र भी किया था, मैंने 131 का नोटिस भी सरकार को दिया है, प्रतिनियुक्ति पर 14 पशु चिकित्सक आए हुए थे अनुदेशक, इंस्ट्रक्टर। वेटरिनरी के डाक्टर्स जिनको यहां इंस्ट्रक्टर कहा जाता है वेटरिनरी कालेज में। उनको प्रतिनियुक्ति पर चार साल से अधिक हो गये हैं। राज्य सेवा का नियम 144 यह कहता है कि चार साल से अधिक प्रतिनियुक्ति हो नहीं सकती। हमारे तत्कालीन वाइस चांसलर श्री मधुकर गुप्ता जो डिवीजनल कमिश्नर भी हैं, उन्होंने आदेश दे दिया कि इनको घर भेजो, प्रतिनियुक्ति समाप्त करो। यह फैसला जनवरी, 2003 में कर दिया। पर दिसम्बर में पशुपालन सचिव ने जो 14 गैर कानूनी तरीके से प्रतिनियुक्ति पर आये, बिना कोई कम्पीटिशन के आये, बिना किसी चयन के आये, उनके समायोजन के लिए आदेश कर दिया कि इनका समायोजन कर दीजिए और उस आदेश में एक लाइन और डाल दी कि भविष्य में यह कृषि विश्वविद्यालय हमसे कोई इस तरीके के अनुदेशक नहीं मांगे, नहीं दिये जाएंगे। आप पीछे के कामों को गलत तरीके से करते जा रहे हो और कह रहे हो कि आगे मत करवाना।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर विश्वविद्यालय, कोटा विश्वविद्यालय इनमें भी और अन्य विश्वविद्यालयों में भी जिस तरीके से अवैधानिक, गैर-कानूनी नियुक्तियां हुई हैं, जिसको आज हम इस विधेयक के द्वारा कहेंगे कि वे नियुक्तियां अवैधानिक हैं, अकृत हैं और फिर भी राज्य सरकार छह महीने तक उनको रख सकेगी जब तक नई नियुक्तियां हों, मुझे वो छह महीने की पावर रखने में कोई दिक्कत नहीं है, आप छह महीने के भीतर भी यदि उनकी नई नियुक्तियां वैधानिक तरीके से कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम आपको साधुवाद अदा करेंगे कि आपने देर से ही सही, लेकिन आपने इन अवैधानिक नियुक्तियों को समाप्त करने का कोई ठोस कदम उठाया।

मैं निवेदन करना चाहता हूं इन विश्वविद्यालयों में भी ध्यान रखें। और ये जो नियंत्रण आपने सरकार के रखे हैं मैं इसका तीव्र विरोध करता हूं कि आपने सरकारी विश्वविद्यालय, बल्कि विभागीय विश्वविद्यालय के तौर पर इसके नियंत्रण के लिए प्रावधान रखे हैं।

मैं इन सब प्रावधानों का विरोध करता हूं और विश्वविद्यालय के बिल लाने का स्वागत करता हूं, पर आपने जो इसको चुनावी विश्वविद्यालय के तौर पर 57.70 लाख रुपये देकर लोगों के आंसू पोंछने और लोगों को बहकाने का मौका दिया है मैं उसके पुरजोर खिलाफ हूं। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 57.70 लाख नहीं, आपको विश्वविद्यालय बनाना है तो दोनों

(श्री मानिक चन्द सुराना)

विश्वविद्यालयों के लिए 25-25 करोड़ रुपये का प्रावधान इसी बजट में करें, उन पर खर्च करें और इस सदन के सामने सप्लीमेंट्री ग्रांट ले आएं। आप यदि 25-25 करोड़ खर्च करेंगे तो यह सदन सहर्ष आपकी मांग को स्वीकार करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, उपाध्यक्ष महोदय, मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्रीजी। माननीय मंत्रीजी।

डा. बी.डी. कल्ला : बिल का स्वागत तो किया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : 57 लाख का स्वागत नहीं है, ध्यान रखना। बाउण्डरी नहीं बन सकती, कल्लाजी।

डा. बी.डी. कल्ला : बाउण्डरी बनना शुरू हो गई।

श्री मानिक चन्द सुराना : बाउण्डरी बनना शुरू हो गई होगी, लेकिन 57.70 लाख में कम्पलीट नहीं होगी।

डा. बी.डी. कल्ला : बाउण्डरीवाल बनना शुरू हो चुकी है, मैं अपनी आंखों से देखकर आया हूं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आप तो 57 लाख में ही विश्वविद्यालय खोल देंगे। आप तो बहुत मेधावी हैं, आप तो 57 लाख में ही खोल देंगे।

डा. बी.डी. कल्ला : कई 57 करोड़ रुपये खर्च हो गये, बिल पास होकर बनने दो आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने सुना नहीं। मैंने कहा 100 करोड़ की बिल्डिंग बनेगी, 150 करोड़ की बिल्डिंग बनेगी।

डा. बी.डी. कल्ला : बनेगी, बनेगी। बनेगी, साहब।

श्री मानिक चन्द सुराना : तब विश्वविद्यालय बनेगा। आपके इन लालीपापों से विश्वविद्यालय नहीं बनेगा।

डा. बी.डी. कल्ला : कोई लालीपाप नहीं दे रहे हैं। हमने विश्वविद्यालय बनाये हैं और विश्वविद्यालय डवलप करेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : 57.70 लाख के लालीपाप से विश्वविद्यालय नहीं बनेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : धारीवाल साहब, आप तो मालाओं से लद कर गये थे न। कोटा गये थे न, माला ही माला पहन लीं। विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय, काहे का विश्वविद्यालय?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : अभी बताता हूं आपको, आप विराज जाएं। उपाध्यक्ष महोदय, सुराना साहब ने कोटा विश्वविद्यालय के बाबत कहा।

श्री उपाध्यक्ष : कोटा विश्वविद्यालय आगे आ रहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आगे आ रहा है, लेकिन रेफरेंस आ गया, उसी की बात कह रहा हूं।

श्री उपाध्यक्ष : अब क्यों डिस्टर्ब हो रहे हो?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं तो आपको जानकारी देना चाहता हूं। शायद जानकारी के अभाव में...

श्री मानिक चन्द सुराना : बीकानेर विश्वविद्यालय पर बोल रहे हैं तो बोलो।

श्री उपाध्यक्ष : बाद में कह देना। माननीय सदस्य। माननीय मंत्रीजी।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपको जानकारी के अभाव में गलत सूचना दी गई है।

श्री मानिक चन्द सुराना : जब कोटा विश्वविद्यालय का मुद्दा आएगा तब आप बोलेंगे, मैं सुनूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप उस वक्त बोलना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप बोल लेते हैं और फिर मुझे बोलने नहीं देते हो।

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं थोड़े ही बोला, वो तो उपाध्यक्ष महोदय ने कहा है। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आप जैसे सीनियर आदमी को कम से कम (व्यवधान) ऐसा न करें, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय शिक्षा मंत्रीजी।

श्री मानिक चन्द सुराना : उपाध्यक्ष महोदय तय करेंगे कि आपको अभी बोलना है या कोटा विश्वविद्यालय पर बोलना है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : हम तो आपसे बहुत जूनियर हैं। लोग गलत सूचनाएं आपको देते हैं, ताकि आप उनको प्रतिपादित कर सको।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवाल साहब। माननीय धारीवाल साहब।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : कोटा विश्वविद्यालय का नाम नहीं आया था तो रूठ कर चले गये थे, क्या बोलेंगे आप अब?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं सूचना देना चाहता हूं आपको।

श्री उपाध्यक्ष : आप सूचना कोटा विश्वविद्यालय में देना। आपका तो अभी प्रश्न आ रहा है।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं वही अर्ज कर रहा हूं, साहब, आपको।

श्री उपाध्यक्ष : आपको जल्दी है क्या जाने की?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरा निवेदन यही है कि इसी के साथ अगर रेकार्ड में आ जाएगा तो ठीक रहेगा। मेरा निवेदन यह है कि आपको शायद जानकारी नहीं है, कोटा में एक साल पहले कोटा विश्वविद्यालय के लिए जिस रोज फाइनेंस मिनिस्टर ने यहां पर डिक्लेयर किया था कोटा विश्वविद्यालय, ठीक उसके एक महीने बाद नगर विकास न्यास, कोटा ने वहां पर 150 बीघा जो प्राइम लैण्ड है, कोटा विश्वविद्यालय को सौंप दी, एक बात।

श्री मानिक चन्द सुराना : उससे क्या हो गया?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मेरी बात सुनिए आप। आप बता रहे हैं न, 25 करोड़ रुपये चाहिए। मैं आपको 40 करोड़ रुपये का खर्च बता रहा हूं जो हो चुका है। उस पर पूरी हमने बाउण्डरीवाल खींच दी नगर विकास न्यास के द्वारा। साथ में यह भी प्रस्ताव लिया कि इसमें और भी करोड़ रुपये की मदद अगर नगर विकास न्यास से मांगी गई तो नगर विकास न्यास देगा। ठीक इसी तरीके से हाउसिंग बोर्ड में यह विचारार्थ है कि कोटा विश्वविद्यालय को हाउसिंग बोर्ड की तरफ से मदद दिलवायी जाए।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप राज्य सरकार की मदद नहीं चाहते न?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : किसकी? वो तो हम लेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : नहीं, नहीं, आप नहीं चाहते।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : वो तो निश्चित तौर पर लेंगे। प्लान बन जाएगा, प्लान बनने के बाद लेंगे।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप सिर्फ यू.आई.टी. और हाउसिंग बोर्ड उन्हीं की मदद से विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं।

श्री उपाध्यक्ष : विराजो, विराजो।

श्री मानिक चन्द सुराना : उन्हीं की मदद से क्या विश्वविद्यालय बनाना चाहते हैं?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : उसी के पास में जो डाइट की बहुत बड़ी बिल्डिंग थी।

श्री उपाध्यक्ष : विराजिए, माननीय सदस्य। विराजो।

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, तीन करोड़ रुपये इंजीनियरिंग कालेज में यू.आई.टी. बीकानेर ने खर्च किये।

डा. बी.डी. कल्ला : कितने?

श्री मानिक चन्द सुराना : तीन करोड़।

डा. बी.डी. कल्ला : नो।

श्री मानिक चन्द सुराना : तीन करोड़ का प्रावधान किया।

डा. बी.डी. कल्ला : नहीं। डेढ़ करोड़ रुपये में यू.आई.टी...

श्री मानिक चन्द सुराना : मैं उसके विरोध में नहीं हूं, कल्ला जी, आप बैठें।

डा. बी.डी. कल्ला : डेढ़ करोड़ रुपया किया है। मैं केवल आपको करैक्ट कर रहा हूं, डेढ़ करोड़ रुपये यू.आई.टी. ने खर्च किये हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : तीन करोड़ का प्रावधान किया, वो बता दूंगा आपको।

डा. बी.डी. कल्ला : वो दूसरा पैसा है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराना साहब।

श्री मानिक चन्द सुराना : यू.आई.टी. के द्वारा...

डा. बी.डी. कल्ला : वो दूसरा पैसा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : वो दूसरा नहीं, इंजीनियरिंग कालेज का है। कोटा इंजीनियरिंग कालेज और कोटा विश्वविद्यालय की बाउण्डरी यू.आई.टी. और हाउसिंग बोर्ड से बनेगी, यह तथ्य भी उजागर हो जाए।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : क्या हो गया? क्या आपत्ति है इसमें?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराना साहब।

श्री मानिक चन्द सुराना : ये सारी चीजें यू.आई.टी. और हाउसिंग बोर्ड से बनेंगी, राज्य सरकार के पास तो निर्णय लेने को रामजी का नाम है और 57 लाख रुपये हैं। (व्यवधान)

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोटा की तो बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज कोटा यूनिवर्सिटी को वित्तीय मदद देंगी।

श्री उपाध्यक्ष : विराजो, विराजो। माननीय धारीवाल जी, विराजो।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपके मन में अगर इस बात का दुःख है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवाल साहब।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : कोटा में जो बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज लगी हुई हैं वे कोटा विश्वविद्यालय को कोई वित्तीय मदद नहीं दें, हाउसिंग बोर्ड नहीं दें, नगर विकास न्यास नहीं दे, अगर इस प्रकार का दुःख है तो मुझे कुछ कहना नहीं है।

श्री मानिक चन्द सुराना : आपने विश्वविद्यालय के बिल में लिखा है कि हम कोटा की जनता से ही इकट्ठा करके विश्वविद्यालय बनाएंगे?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह बिल में लिखने की कहीं आवश्यकता नहीं है, आप फाइनेंस मिनिस्टर रह चुके हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : आप जरा विधेयक पर जो बहस हो रही है...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह क्या बिल में लिखा जाए कि कहां से कितनी मदद मिलेगी?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवाल साहब, विराजो प्लीज।

श्री मानिक चन्द सुराना : विधेयक की बहस पर सीमित रहिए और आप किस किस से कितना रुपया चंदा ले आएंगे, विश्वविद्यालय बना लेंगे, यह मुद्दा नहीं है इस सदन का।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सुराना साहब। विराजो, विराजो। माननीय सुराना साहब, यह कोई... (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : मुद्दा यह है कि 57.70 लाख का प्रावधान आपने किया है ...

श्री शांतिकुमार धारीवाल : आपने इसको चुनाव से जोड़ा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : 57.70 लाख का प्रावधान सरकार ने किया है।

श्री रोहिताश्व कुमार : चुनाव के हिसाब से ही कर रहे हो आप।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : मैं कोटा की धरती पर इतना कमजोर नहीं हूं, यह सन् 1998 के रिजल्ट भी दिखा चुके हैं आपको और अब भी कोई तोप हो तो फिर ले आना आप।

श्री मानिक चन्द सुराना : ये विश्वविद्यालय चुनावी विश्वविद्यालय हैं जो चुनाव के पहले निर्मित नहीं होंगे, चुनाव के पहले चलेंगे नहीं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय धारीवाल साहब। समझाओ न इनको, क्या है यह?

श्री शांतिकुमार धारीवाल : यह यूनिवर्सिटी का चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। 1998 के चुनाव में भी मैं दिखा चुका हूं और आपकी मेहरबानी होगी तो फिर दिखा दूंगा।

श्री रोहिताश्व कुमार : दिखा देना।

श्री शांतिकुमार धारीवाल : जिस किसी तोप को उतारना हो, उतार देना।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी।

श्री सांवर लाल : तमंचा ही बहुत है आपके लिए, तोप की क्या जरूरत है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : तमंचा बहुत है।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर, आर्डर।

श्री शैलेन्द्र जोशी (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले चूरू से आने वाले माननीय सदस्य राजेन्द्र जी राठौड़ का, जैतारण से आने वाले सुरेन्द्र गोयल साहब का, हनुमानगढ़ से आने वाले डा. रामप्रताप का और लूणकरणसर से आने वाले मानिकचन्द जी सुराना साहब का स्वागत करता हूं कि उन्होंने अमूल्य विचार रखे और कुछ ऐसे मुद्दे उठाये जो वास्तव में वास्तविकता रखते हैं और उनके परिप्रेक्ष्य में ही मैं मेरी बात कहना चाहता हूं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जब भारत आजाद हुआ उस समय 1946 में राजपूताना विश्वविद्यालय था। तदुपरान्त 1962 में जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर और मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय, उदयपुर की स्थापना हुई। तदुपरान्त सरकार कोई भी रही हो, लेकिन उच्च शिक्षा में विकास करना सभी सरकारों का ध्येय रहा। वर्ष 1987 में अजमेर में सामान्य शिक्षा का विश्वविद्यालय स्थापित हुआ, बीकानेर में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। उसके उपरांत जब यह देखा गया कि लगभग कुछ ही डिवीजन रह गये हैं जहां पर सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालय नहीं हैं तो हमारी कांग्रेस की सरकार ने, लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदय ने यह उचित माना कि राजस्थान के प्रत्येक सम्भाग पर सामान्य शिक्षा का एक-एक विश्वविद्यालय होना आवश्यक है। ये जन-आकांक्षाएं थीं और इन जन-आकांक्षाओं को फलीभूत करने के लिए ही सम्भागीय स्तर पर दो विश्वविद्यालयों की घोषणा की गई जो कि एक साल पहले की गई, यानी चुनाव से करीब पौने दो साल पहले की गई। तो इसको आप चुनावी घोषणा इसलिए नहीं कह सकते कि यह पौने दो साल पहले घोषणा की गई। अब हमने एक समानता का...

श्री रोहिताश्व कुमार : माननीय मंत्रीजी, असली विश्वविद्यालय खोलते तो बांदीकुई में, लालसोट में खोलते। आपको पता है कि ये नकली विश्वविद्यालय हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य।

डा. बी.डी. कल्ला : (व्यवधान) फिर जिला हैडक्वार्टर को पूरा होने दो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मुझे बहुत खुशी होती यदि आप अलवर में कहते कि अलवर में शिक्षा की घनीभूतता है और अब नैक्स्ट यूनिवर्सिटी खुलेगी तो कहां खुलेगी, तो मैं निश्चित तौर पर कुछ कहने की स्थिति में बनता। लेकिन आपने वो भी नहीं कहा। एनी वे।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है कि इन दोनों विश्वविद्यालयों की स्थापना और अब इनके कार्य संचालन के साथ ही राजस्थान के समस्त सम्भागीय स्तर पर सामान्य शिक्षा के विश्वविद्यालय बन चुके हैं और यह हम अचीवमेंट ले चुके हैं।

अब आपने यह कहा कि विश्वविद्यालय के लिए गये बजट में एक-एक करोड़ का प्रावधान था और मात्र 10-10 लाख रुपये ही खर्च हुए, उसमें भी कम खर्च हुए और यह प्रावधान कम कर दिया गया। हां, यह स्थिति सही है, लेकिन भला आपने कभी यह भी सोचा कि बीकानेर यूनिवर्सिटी बन रही है और बीकानेर यूनिवर्सिटी बनने के लिए क्या-क्या इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी हैं, माननीय सदस्यों ने कभी चिंता व्यक्त की, कभी सरोकार किया है मेरे से? या पत्र व्यवहार करके यह जानना चाहा है कि इस मार्ग में क्या-क्या कमियां हैं, क्या-क्या अवरोध हैं? मैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपको यह बताना चाहता हूं...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप यह देखो, मदन जी दिलावर ने आपको पत्र लिखा और पत्र में डिटेल दी है।

डा. बी.डी. कल्ला : नहीं लिखा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ऐसा है, दिलावर साहब ने जरूर लिखा होगा, लेकिन धारीवाल जी को लिखा होगा, मेरे को नहीं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि सबसे पहले विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए भूमि का चयन और आबंटन करना जरूरी था, जो बहुत ही दुष्कर कार्य था। हमने बीकानेर विश्वविद्यालय के लिए 11 जगह जमीनें देखीं, अलग-अलग, और उनमें मैप बनाये। खसरा, गिरदावरी, जमाबंदी, खींवत, खतौनी इकट्ठी की, फिर यह देखा कि जन आंदोलन तो कहीं नहीं हो जाएगा। कई जगह चरागाह जमीनें थीं उन चरागाह जमीनों पर अलग अलग लोगों ने दावे कर दिये कि यदि चरागाह जमीन ले ली गई तो झगड़े हो जाएंगे और जन आंदोलन होगा क्योंकि मवेशी कहां चराई करेंगे। ऐसी स्थिति में वह जो चयन प्रक्रिया है यह बहुत लम्बी हो गयी। इसके लिए हमारे शिक्षा सचिव ने दो-तीन बार विजिट किया। कलक्टर, बीकानेर को यह कार्य सौंपा गया। हमारे मंत्रिमण्डल के साथियों ने भी इस काम में भागीदारी की, जन प्रतिनिधियों ने भी सहयोग किया और उसके बाद यह कार्य सम्पन्न हुआ। इसी तरह जब तक

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

विश्वविद्यालय का भवन बनकर तैयार नहीं हो तब तक अस्थाई विश्वविद्यालय कहां चले, क्योंकि एक दिन में, जैसा कि आप मूल रूप में मानते हैं, 20 करोड़ की बिल्डिंग बन जाए, वह सम्भव नहीं। पहले यहां पर प्रस्तावना आएगी, फिर बजट का प्रोविजन होगा, फिर जमीन देखी जाएगी।

इसके अतिरिक्त, उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि तीसरा कार्य था कोटा विश्वविद्यालय के लिए अधिनियम तैयार करना। यूनिवर्सिटी के लिए एक्ट बनाना बहुत सहज कार्य नहीं, सरल कार्य नहीं, बड़ा दुष्कर कार्य है। इसका कम्पोजीशन, इसका कांस्टीट्यूशन सब कुछ पैरामीटर देखकर, आज की आवश्यकताओं को देखकर, जन आवश्यकताओं को देखकर, जन चुनौतियों को देखकर ही किया जाता है। उसके लिए ड्राफ्ट बनाया गया। ड्राफ्ट भी जो बनाया जाता है...

श्री रोहिताश्व कुमार : यह तो नकल की है पहले वालों की।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : पहले के एक्ट की नकल कर ली।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अगर हमने नकल की है तो मेरी यह चुनौती है, आप में से कोई भी बुद्धिजीवी व्यक्ति बता दे कि हमने किस विश्वविद्यालय की कार्बन कापी की है, इमीटेशन किया है, मैं आपके सामने यह सहर्ष स्वीकार कर लूंगा। आप बता नहीं सकते, आप कल्पना में भी नहीं बता सकते।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हां, तो आप बताना जरा। आप बताना, डाक्टर साहब, आपको मालूम है।

डा. करण सिंह यादव : आप में से कोई बुद्धिजीवी बताए।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप में से कोई बुद्धिजीवी बताए क्योंकि चारों विचार बुद्धिजीवी पक्ष के ही आये हैं, जैसा कि आप कहते हैं। (व्यवधान)

डा. बी.डी. कल्ला : लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य का कहना है कि कापी नहीं है।

एक माननीय सदस्य : महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय की नकल की है आपने।

श्री शैलेन्द्र जोशी : कतई नहीं की है। अगर उसमें की है...

एक माननीय सदस्य : उसमें देखा आपने अन्दर? (व्यवधान)

डा. बी.डी. कल्ला : प्रवर समिति को सौंपने का मतलब क्या है? आप यूनिवर्सिटी को नहीं बनाना चाहते क्या?

एक माननीय सदस्य : एक लिखा है न आपने?

डा. बी.डी. कल्ला : प्रवर समिति से 3-3, 4-4 साल में नहीं आते हैं।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह बिल पिछले साल क्यों नहीं लेकर आये? इसमें आर्डिनेंस जारी क्यों नहीं किया? (व्यवधान)

डा. बी.डी. कल्ला : ला डिपार्टमेंट से वेटेज होने में, फाइनेंस से वेटेज होने में टाइम लगता है। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : आर्डिनेंस जारी क्यों नहीं किया? (व्यवधान)

डा. बी.डी. कल्ला : यह तो आज बिल पास होगा और यूनिवर्सिटी बनेगी।

श्री मानिक चन्द सुराना : वह तो आर्डिनेंस जारी करने की समझ नहीं आई और आज आखिरी दिन बजट सैशन के दिन यह लाये हैं। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : पहले घोषणा की थी, बिल पहले क्यों नहीं आया? (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : ताकि कह सको जनता से कि पास करा दिया। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : लोगों को गुमराह करने का षड्यंत्र है, उपाध्यक्ष महोदय, यह। यह पौने दो साल बाद बिल क्यों नहीं आया घोषणा के? पहले क्यों नहीं आया? (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह तो आप लोगों को गुमराह कर रहे हो क्योंकि चुनाव नजदीक हैं। यूनिवर्सिटी एक्ट में, आपके मास्टर नहीं है... (व्यवधान) यह यूनिवर्सिटी बना रहे हो, जो काम ढाई सौ-तीन सौ अलग-अलग विश्वविद्यालय भी हो जाएं तो क्या कर लेते, यह तो बताओ?

श्री मदन दिलावर : जनता जानती है, लोग जानते हैं, बहकावे में आने वाले नहीं हैं। जैसे बानसूर और सागवाड़ा में आपको दिया न धक्का, वैसे ही यह फिर ले रहे हो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन यह है कि इसके लिए अधिनियम तैयार करने में समय लगा। विश्वविद्यालय की स्थापना, उससे सम्बन्धित कार्यों को सूचीबद्ध करने के लिए एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई गई जो बहुत डिटेल और ब्राड स्पेक्ट्रम की बनाई गई। इसके अलावा, ओ.एस.डी. की नियुक्ति और आवश्यक पदों का सृजन इस तरह का किया गया। भूमि चिन्हित किया जाना और अस्थाई भवन को भी देखा जाना यह सब तैयारी में समय लगा। अब मैं बताता हूं कि बीकानेर यूनिवर्सिटी के लिए भूमि का आबंटन किस जगह किया, कितना किया और कितने समय और श्रम के बाद किया, जिससे कि आप यह जो कालावधि की बात कह रहे हैं कि यह चुनावी वर्ष की है, यह पौने दो साल पहले यहां घोषणा की जा चुकी है। और इसके अतिरिक्त मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जिला कलक्टर बीकानेर के द्वारा कड़वीसर, सजलदेसर क्षेत्र में विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु 144 एकड़ जमीन...

श्री मानिक चन्द सुराना : घोषणा हुई, माननीय मंत्री जी, गत बजट सैशन में हुई।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जी?

श्री मानिक चन्द सुराना : तो पौने दो साल कैसे कह रहे हो?

श्री शैलेन्द्र जोशी : हां, मैं बता रहा हूं।

श्री मानिक चन्द सुराना : बजट में ही तो घोषणा हुई थी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं एक-एक महीना और एक-एक सप्ताह का आपको बता रहा हूं। लूणकरणसर के माननीय सदस्य महोदय, यह कोई छोटा पार्क बनाने की बात नहीं, कोई स्कूल जैसा भी नहीं, यह विश्व का विद्यालय है, वह भी विश्व का विद्यालय है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने तो इसका राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशाला से भी ज्यादा बेहाल कर दिया। इतना लम्बी लम्बी मैंने पहले आपको सलाह दी थी मित्र के रूप में... (व्यवधान) आपका उत्तर क्या कह रहा है, हमने भूमि का चयन कर लिया है, भूमि की चारदीवारी बना दी।

श्री शैलेन्द्र जोशी : नहीं तो हवा में ही बना देते, भूमि का चयन नहीं करते तो? आप सुनिये तो सही।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सुन लिया।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप ही की बातों का जवाब दिया जा रहा है। आपकी बातों का कैटेगरीकली, पाइंटेडली, स्पेसिफिकली जवाब दिया जाएगा एक-एक का।

श्री मदन दिलावर : तो आदमी की तरह जवाब दो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अब धारीवाल जी नहीं हैं।

श्री मदन दिलावर : भूमि का चयन कर लिया है, बाउण्डरीवॉल बना ली है, यह क्या तीर मार लिया क्या पौने दो साल में?

डा. बी.डी. कल्ला : आप आदमी की तरह पूछो।

श्री मदन दिलावर : पौने दो साल में आपने यह कर लिया तो तीर मार लिया क्या? धारीवाल जी तो वहां कह रहे थे, कोटा में विश्वविद्यालय की कोई आवश्यकता नहीं है, अब क्यों आ गया? डण्डा पड़ा जनता का, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् ने जो दौड़ा-दौड़ा कर वहां भगाया, उसके डर के मारे आपको लाना पड़ा यह सब।

डा. बी.डी. कल्ला : आप कोटा के बारे में बोलो, विषयान्तर क्यों हो रहे हो?

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन करना यह है कि जिला कलक्टर के द्वारा सात स्थानों पर उपलब्ध भूमि के नक्शे देखे गये, नक्शे में यह देखा गया कि लीगल काम्प्लीकेशन में तो यह जमीन नहीं फंस जाएगी, एक-एक सैंक्टिटी देखी गई और जब देखा कि लीगल तरीके से क्लीन कट है उस जमीन को ही हमने चुना, और इस सब चयन की प्रक्रिया में काफी समय लगा।

इसके अतिरिक्त, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि दो जगह की ही जमीन आई उसको फाइनलाइज करने के लिए एक कमेटी का निर्माण किया गया। माननीय मुख्य मंत्री जी के द्वारा 15.10.2002 से और माननीय कार्मिक/स्वायत्त शासन मंत्री...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्री जी, जिस वक्त पारण हो, उस वक्त बोल लेना, इसको आगे चलने दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो पारण की बात करो, छोड़ो।

श्री उपाध्यक्ष : अभी तो इसको आगे चलने दो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं आपका उत्तर तो दे दूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप तो गीता का श्लोक सुना दो आखिर में जो लिखा हुआ है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपका मूल चेचिस यह है कि...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : चेचिस बताओ।

श्री शैलेन्द्र जोशी : चेचिस जिस पर कि बात का आधार, बुनियाद, तह, धरातल, ग्रास रूट।

मोहम्मद माहिर आजाद : जिस पर आप अभी नहीं हो।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप बीकानेर में अगर नहीं चाहते हैं तो यह अलग बात है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बीकानेर यूनिवर्सिटी में बीकानेर, चूरू, श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ जिले आएंगे, और, चूरू से आने वाले सदस्य, आपको तो प्रसन्नता होनी चाहिए, प्रसन्नता यह होनी चाहिए कि आपकी जगह आ रहा है।

श्री मदन दिलावर : यह शैलेन्द्र जी रूपी चेचिस के नम्बर क्या हैं?

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप चिन्ता मत करो।

आपने फाइनेंशियल इम्पोजीशन की बात कही है कि सैक्शन 1920 में हमने फाइनेंशियल इम्पोजीशन लगाये हैं, माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आप से यह निवेदन करना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों की यह जो भावना है, यह सार रहित है। इस वजह से कि 23.3.2002 को हमारे कुलाधिपति यानी कि गवर्नर महोदय की उपस्थिति में राजस्थान विश्वविद्यालय सहित समस्त विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में उन्होंने यह उचित माना कि हमको जो पावर दी गई है सैक्शन 3(17)3 में, उसको अलग-अलग विश्वविद्यालयों ने मिसयूज किया है और फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन बिलकुल गड़बड़ा गया है। इसलिए आज हमको जो पावर दी गई है वे सीज कर ली जाएं, वे डिलीट कर दी जाएं। एक कहावत है कि मांजी जो नाव डुबोए उसे कौन बचाए। यदि कुलपति महोदय सब सामूहिक रूप से यह निर्णय लेते हैं कि हमको जो पावर दी गई हैं उसको हटा दिया जाए, उसको विलोपित कर दिया जाए, उसको डिलीट कर दिया जाए तो क्या राजस्थान सरकार नहीं माने? राजस्थान सरकार ने मानी और आज उसी के तहत सैक्शन 3(17)3 में प्रावधान किया गया है, इसलिए बहुत जरूरी हो गया है, राजस्थान विश्वविद्यालय में 289 लैक्चरर जो टैम्परेरी है, एडहाक है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ : ये कहां चले गये? विषयान्तर हो गये, यह तो बिल बाद में आएगा...

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं आर्थिक स्वायत्तता की बात कर रहा हूं। आपका उत्तर दे रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : अब, उपाध्यक्ष महोदय, हमें बचाओ। मान गये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको तो पब्लिक ही नहीं बचा सकती, मैं क्या बचाऊंगा? मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, माननीय सदस्य...

डा. बी.डी. कल्ला : यूनिवर्सिटी का विरोध कर रहे हो तो चूरू में लोग आपका विरोध करेंगे, ध्यान कर लेना।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, बचाएंगे नहीं, यमदूत बनकर आये हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : मैं यूनिवर्सिटी का विरोध नहीं कर रहा हूं।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय कल्ला साहब, यह तो चाहते ही नहीं थे कि यूनिवर्सिटी खुले।

श्री मानिक चन्द सुराना : यूनिवर्सिटी के बिल का स्वागत किया गया है और आपके द्वारा मामूली और साधारण प्रावधान रखे जाने का विरोध किया गया है।

डा. बी.डी. कल्ला : सबसे बढ़िया यूनिवर्सिटी का बिल आया है यह।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, विराजो। अभी बाकी है। आप फिर बोलोगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह खाली कागजी विश्वविद्यालय का विरोध किया है। हमने चुनावी विश्वविद्यालय का विरोध किया है, कागजी विश्वविद्यालय का विरोध किया है, जो विश्वविद्यालय धरती पर नहीं है उसका विरोध किया है, आप जो झुनझुना पकड़ा रहे हो न...

डा. बी.डी. कल्ला : यह कोई कागजी विश्वविद्यालय नहीं है, विश्व का बढ़िया से बढ़िया स्टैण्डर्ड का विश्वविद्यालय बनेगा, आप देखेंगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अत: मेरा मानना यह है कि इस बिल को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि बीकानेर विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि बीकानेर विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को प्रवर समिति को निर्दिष्ट किये जाने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि बीकानेर विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को विचारार्थ लिया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

खण्डशः विचार

खण्ड 2 से 50 कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 50 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 50 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री शैलेन्द्र जोशी प्रस्ताव करेंगे कि इसको पारित किया जाए।

विधेयक का पारण

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बीकानेर विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : आप बोलेंगे? बोलिये। वो बोल रहे हैं।

डा. करण सिंह यादव (बहरोड़) **:** मैं माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि बीकानेर मेरी जन्मभूमि भी रही है और कर्मभूमि भी रही है, वहां पर विश्वविद्यालय के लिए वहां से आने वाले माननीय सदस्य एवं शिक्षा मंत्री कल्लाजी और राजस्थान सरकार के प्रयासों से जो बीकानेर में अनूठा काम हो रहा है, अच्छा काम हो रहा है, उसके लिए तो बधाई देना चाहूंगा। यहां एक बात का निवेदन जरूर मैं माननीय मंत्री महोदय से करना चाहूंगा कि जब विश्वविद्यालयों के नामकरण की बात आती है तो निश्चित रूप से बीकानेर सम्भाग में बहुत लोकप्रिय शासक हुए हैं। महाराजा गंगासिंहजी ने गंग नहर लाकर उस पूरे सम्भाग को आज की स्थिति प्रदान की और बीकानेर में उन महाराज साहब का बहुत बड़ा नाम है। बीकानेर में चाहे किसी तबके का आदमी हो, किसी जाति का आदमी हो, किसी बिरादरी का आदमी हो, वह अपने आपको गौरवान्वित समझता है। और तो और, बीकानेर के लोग अगर पेरिस में गये या हावड़ा में गये तो वहां भी जाकर कहते हैं कि वाह। महाराजा गंगासिंहजी, क्या चीज बनाई है आपने, ऐसे लोकप्रिय शासक थे। सिर्फ इतना ही नहीं, आजादी से पहले, मैं यहां पर सदन में उस पत्र की चर्चा करना चाहूंगा जब ब्रिटिश शासन ने तत्कालीन स्वतंत्रता सेनानी, राजस्थान के प्रथम मुख्य मंत्रीजी, बाद में बने हैं, हीरालाल जी शास्त्री को देश निकालने के आदेश दिये थे तो उस वक्त महाराजा गंगासिंहजी का ब्रिटिश रेजीडेंट के नाम पर लिखा हुआ एक ऐतिहासिक पत्र जिसमें उन्होंने यह चर्चा की है कि ऐसे व्यक्ति जो आजादी के आंदोलन में जुटे हुए हैं, इनको देश निकाला नहीं दिया जाना चाहिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : हीरालालजी शास्त्री नहीं, जयनारायणजी व्यास की बात है, कुंभाराम आर्य हैं।

डा. करण सिंह यादव : सॉरी, जयनारायण व्यासजी के लिए उस पत्र में उन्होंने लिखा है कि कुछ दिनों बाद में, देखिये दूरदर्शी थे, उन्होंने लिखा है कि कुछ दिनों बाद में जब हम यहां शासन में रहेंगे नहीं, ब्रिटिश सरकार जब हुकूमत में नहीं रहेगी तब पण्डित जयनारायण व्यास जैसे लोग राजनीति में रहें। यह इस प्रदेश और देश की राजनीति में सक्रिय रहें, इसलिए उन्होंने उस पत्र के माध्यम से निवेदन किया कि इनको देश निकाला नहीं दिया जाए। वह एक ऐसा पत्र है। जिसके माध्यम से यह परिलक्षित होता है कि उनको इस बात का ज्ञान था कि आजादी आ रही है, आजादी देनी होगी और आजादी के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनका मान और सम्मान रखना होगा। तो ऐसे महाराजा जिनका बीकानेर के पूरे विकास में, समूचे क्षेत्र के विकास में बहुत बड़ा योगदान है, मैं यहां सदन के माध्यम से उस क्षेत्र की भावना को व्यक्त करना चाहूंगा कि उस विश्वविद्यालय का नाम जब रखने की बात आए तो, माननीय मंत्री महोदय, महाराजा गंगासिंह जी विश्वविद्यालय के नाम से उस विश्वविद्यालय को जाना चाहिए। यही शब्द कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रभारी मंत्रीजी। और बाकी है क्या?

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं रिपीटीशन के बावजूद यह अर्ज करना चाहूंगा कि जिस सरकार ने एक साल पहले बजट में कोटा और बीकानेर और फिर माननीय शांति धारीवालजी के नाराज हो जाने के कारण कोटा का नाम भी उसमें जोड़ा...

श्री उपाध्यक्ष : कोटा का आ रहा है न इसके बाद में। अभी इसके बाद कोटा का ही आ रहा है।

श्री मानिक चन्द सुराना : हां, कोटा का आ रहा है। बीकानेर विश्वविद्यालय की जो घोषणा की और कोटा की, इस राज्य सरकार का दायित्व था कि ये यदि बिल नहीं भी ला सकते थे तो आर्डिनेंस जारी करते और आर्डिनेंस समय पर जारी करते। अप्रैल में हमारी विधान सभा खतम हो गई, यदि इनकी गम्भीरता होती तो ये मई-जून में आर्डिनेंस जारी करके, जो अधिनियम अब लाये हैं इसमें जो भी प्रावधान किये गये हैं उन सब प्रावधानों को करके इसके कार्य को सुचारू रूप से चलाने की कुछ नींव, इंफ्रास्ट्रक्चर और कुछ ढांचा बनाने का काम करते। आपकी सरकार ने जो 9-10 महीने की देरी आर्डिनेंस के द्वारा या बिल उसी सत्र में पास नहीं करने की की है, मैं कहना चाहूंगा कि यह दूरी प्रशासनिक आपराधिक देरी है और उसके लिए बीकानेर की जनता आपको माफ नहीं करेगी।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा, जैसा मैंने पहले भी निवेदन किया, कि हमें आदर्श विश्वविद्यालय बनाने हैं। हमारे पास जितने विश्वविद्यालय उपलब्ध हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, जयनारायण विश्वविद्यालय, जोधपुर है, कृषि विश्वविद्यालय है, दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय है, कोटा ओपन यूनिवर्सिटी है, हमें उन सबके अनुभवों का संचय करके बीकानेर और कोटा के लिए आदर्श प्रारूप बनाने चाहिए। यह विश्वविद्यालय कोई यह न समझे कि किसी एक व्यक्ति के लिए बन रहा है। विश्वविद्यालय में हजारों, दसों हजार जो विद्यार्थी आने वाले हैं,

(श्री मानिक चन्द सुराना)

उनके भविष्य के नाम पर जो प्रश्न हैं वो उन विश्वविद्यालयों से सम्बन्धित हैं और इसलिए मैं इस सरकार को पुनः कहना चाहूंगा कि 57.70 लाख के प्रावधानों को लाकर माननीय मंत्रीजी न स्वयं धोखा खाएं, न उन दोनों डिवीजंस की जनता को धोखा देने का काम करें। कोई कह दे कि यू.आई.टी. बनाएगी, कोई कह दे कि तीन करोड़ रुपया खर्च हो गया, मैं कहता हूं, जहां 100 करोड़ खर्च होने हैं, कौनसी यू.आई.टी. की ताकत है और कौनसे हाउसिंग बोर्ड की ताकत है कि 100 करोड़ रुपये खर्च कर देगी और उसका प्रावधान कर देगी? इनको पता नहीं है। यूनिवर्सिटी आफ राजस्थान को चलाने के लिए, एक विश्वविद्यालय को चलाने के लिए राजस्थान सरकार ने 40 करोड़ रुपये के अनुदान का इस साल प्रावधान किया है। माननीय डाक्टर जितेन्द्र सिंहजी, जयनारायण विश्वविद्यालय के लिए 25 करोड़ 70 लाख, सुखाड़िया विश्वविद्यालय को 11 करोड़ 71 लाख, ओपन यूनिवर्सिटी के लिए साढ़े तीन करोड़, वनस्थली विद्यापीठ को 3 करोड़ 19 लाख। यह तो नॉन प्लान एक्सपेंडिचर होगा। पर आप अभी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में भी यदि कोताही करेंगे और 57 लाख रुपये या कोई एक करोड़ से ही काम चलाना चाहेंगे तो विश्वविद्यालय नहीं बना पाएंगे। आप किसी भी मंत्री के कहने से भ्रमित न हों, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, कि कोई यू.आई.टी. या हाउसिंग बोर्ड से विश्वविद्यालय बन जाएंगे। विश्वविद्यालय बनेंगे सरकार के खजाने से, विश्वविद्यालय बनेंगे इस विधान सभा द्वारा दी गई ग्रांट से। इसलिए हमें आप उचित ग्रांट, जैसा मैंने कहा 25 करोड़ रुपये खर्च करने का, आप तो लोन देने के आदी हो, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, आपकी सरकार आती है तो पचास करोड़ का, और इस साल पांच हजार करोड़ लोन लेना भी है तो जो लोन ले रहे हैं उसमें से 25 करोड़ का खर्चा हमारे बीकानेर शहर के लिए करें। और कोटा की बात आएगी तब कोटा के लिए निवेदन करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं मेरी बात को समाप्त करता हूं।

(16.00 बजे)

श्री उपाध्यक्ष : कोटा के लिए भी आप यही कहेंगे, और क्या कहेंगे? फिर क्या है?

श्री मानिक चन्द सुराना : यही कहूंगा, साहब। चलो, अभी कह देता हूं ताकि बाद में कहने की आवश्यकता नहीं हो। कोटा के लिए भी 25 करोड़ का प्रावधान करें।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, आप विराजिये पहले।

डा. बी.डी. कल्ला : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आन ए पाइंट आफ इंफॉर्मेशन। लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बातें यहां पर रखीं, मैं इस सम्बन्ध में खास तौर से आपसे यह आग्रह करना चाहता हूं कि बी.जे.पी. के राज में भी यूनिवर्सिटी की घोषणा हुई थी लेकिन वह... नहीं, मैं आपको बजट की घोषणा बता दूं। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : इसके लिए... भाजपा ने घोषणा की और पूरी नहीं की तो बी.जे.पी. का क्या हुआ हाल, आप वही करना चाहते हैं तो वही करें।

डा. बी.डी. कल्ला : हम उन घोषणाओं को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अब उन्होंने आर्डिनेंस के बारे में कहा, आर्डिनेंस महामहिम राज्यपाल महोदय को प्रस्तुत कर दिया गया था लेकिन इसी बीच में विधान सभा सत्र आहूत हो गया था इसलिए वह आर्डिनेंस जारी नहीं हो सका। इसलिए मैंने करेक्ट करने के लिए आपको यहां बताया है।

श्री मानिक चन्द सुराना : मई-जून, 2002 में लाना चाहिए था, आर्डिनेंस लाने में आपराधिक देरी हुई है।

डा. बी.डी. कल्ला : लॉ विभाग में वेटेज होने में समय लगा, उसके बाद में एक दिन की भी देरी नहीं हुई है। बराबर हम उसको परस्यू करते रहे हैं और यथा सम्भव शीघ्र इसको लेकर आये हैं। बहुत जल्दी ही यूनिवर्सिटी आपके सामने नजर आएगी, चुनाव तो अभी बहुत दूर हैं।

श्री रोहिताश्व कुमार : 57 लाख कहां से आएंगे?

डा. बी.डी. कल्ला : 57 लाख के बजट को भी बढ़वाएंगे।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी। विराजिये, विराजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : यह तो हुई पहली बात, सकारात्मक बात की। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, बहरोड़ से आने वाले डॉक्टर करण सिंह यादव ने कहा है कि इस विश्वविद्यालय का नाम गंगासिंहजी के नाम पर रखा जाए और हनुमानगढ़ से आने वाले डाक्टर रामप्रतापजी का कहना है कि स्वामी केशवानन्द के नाम पर रखा जाए। अपनी-अपनी भूमि की महत्ता आप दोनों विधायक महोदय ने बताई है, मेरा निवेदन यह है कि बीकानेर विश्वविद्यालय का नाम क्या रखा जाए, इसके लिए अभी तक अनेकों प्रस्ताव हमारे पास प्राप्त हुए हैं, उन सब प्रस्तावों पर हम गौर करेंगे, जन आकांक्षाओं को देखेंगे और उसके बाद ही राजस्थान मंत्रिमण्डल उस पर निर्णय लेगा जो कि मैं समझता हूं, हर दृष्टि से उचित होगा। ऐसी स्थिति में जब कि विधान सभा के दो माननीय सदस्यों ने नो मेंक्लेचर की बात की और दोनों की बातें कहने में अलग-अलग महानुभावों के नाम हैं, मैं किसी भी एक व्यक्ति के नाम पर नामकरण संस्कार रखा जाए, इसकी घोषणा करने में असमर्थ हूं और यह बाद में ही तय हो पाएगा।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : आप इन दोनों की बात को छोड़िये, मेरी राय में लोक देवता अशोक यूनिवर्सिटी रख दो आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : अगली बार हम सरकार में आएंगे तब आप भी बोलना। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि बीकानेर विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

बीकानेर विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 पारित किया गया।

(श्री उपाध्यक्ष)

विधेयक पर विचार

कोटा विश्वविद्यालय विधेयक, 2003

कोटा विश्वविद्यालय विधेयक, माननीय शैलेन्द्रजी जोशी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोटा विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा। श्री कन्हैयालाल मीणा। श्री केसाराम चौधरी। श्री सांवर लालजी। श्री जसवंत सिंह गुर्जर। श्री शिवराज सिंह कुशवाह। श्री हीरासिंह चौहान। श्री राजेन्द्र राठौड़। बोल रहे हैं, बोल रहे हैं।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आपकी तो गाड़ी चलती रहती है, मैं खड़ा हूं न।

यह जो बिल कोटा विश्वविद्यालय के लिए लेकर आये हैं, इसमें अभी शैलेन्द्रजी जोशी ने बोला था कि हमने बिल की नकल नहीं की है। मैं इसके पेज 29 पर 48 नम्बर है, वह पढ़ देता हूं :

"48. अन्तकालीन उपबन्ध :- (1) महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय अधिनियम, 1987 (1987 का अधिनियम संख्या 38) के अधीन बनये गये समस्त परिनियम, आर्डिनेंस और विनियम, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत नहीं हों, इस अधिनियम के अधीन बनाये हुए समझे जाएंगे और तब तक प्रवृत्त रहेंगे, जब तक कि उन्हें इस अधिनियम के अधीन बनाये गये विनियमों, आर्डिनेंसों का परिनियमों द्वारा अतिष्ठित या उपान्तरित नहीं कर दिया जाता है।"

तो यह तो आपने नकल की है और आप कहते हैं कि नकल नहीं की है, पहले अभी बताया था आपने। आपने एक साल में केवल 57.70 लाख रुपये का उपबन्ध किया है, मतलब आप कैसे विश्वविद्यालय की कल्पना कर रहे हैं। केवल जनता को गुमराह बनाने के लिए यह बिल लेकर आये हैं, एक साल में उसके लिए 57.70 लाख रुपये खर्च करके आप कैसा विश्वविद्यालय

(16.04 बजे)

(श्री शिवनाथ सिंह, सभापति, पदासीन)

बनाएंगे? इससे तो अच्छा यह होता कि आप इसको प्रवर समिति को सौंपते और सुझाव लेकर इस बिल को सदन में लाते। मैं तो आपसे निवेदन कर रहा हूं कि यह बिल प्रवर समिति को सौंपा जाए। धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री राजेन्द्रजी राठौड़।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू) : सभापति महोदय, सरकार की पुरानी आदत है लोक लुभावनी घोषणा करना और घोषणा के बाद में कभी पीछे मुड़ कर देखना नहीं कि सरकार की की गई घोषणाओं के क्रियान्वयन में क्या-क्या हुआ, क्योंकि सरकार की बुनियाद ही...

श्री सभापति : शेर कभी पीछे मुड़ता नहीं है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, इस सरकार की बुनियाद थोथी घोषणाओं पर टिकी हुई है और कोटा विश्वविद्यालय की घोषणा जिस आनन-फानन में हुई, श्रीमान् भी साक्षी रहे। जब बजट प्रस्तुत किया गया पिछले वर्ष का, तब उसमें कोटा विश्वविद्यालय का कहीं नाम नहीं था, परन्तु वर्तमान पर्यटन मंत्रीजी जो कोटा से आते हैं और जिनका प्रभाव आल इण्डिया कांग्रेस कमेटी से लेकर यहां तक विभिन्न कारणों से बहुत बड़ा है, मैं समझता हूं, उनके बिना सरकार के संचालन में कई तरह की दिक्कतें आती हैं, इसलिए उन्होंने जब अपनी आंख दिखाई तो बिना वित्तीय प्रावधान के कोटा विश्वविद्यालय खोले जाने की घोषणा की गयी। मुझे तकलीफ इस बात की है कि विश्वविद्यालय यह सरकार यूं खोलने की घोषणा कर रही है जिस तरह राजीव गांधी स्वर्ण जयन्ती पाठशालाएं खोल रही है। छह विश्वविद्यालय खोले हैं और आज उन छह विश्वविद्यालयों में से एक भी विश्वविद्यालय ऐसा नहीं है विधिवत रूप से जिस विश्वविद्यालय को विश्वविद्यालय ग्रांट कमीशन ने मान्यता दी हो। अभी यहां बीच में इंटरवीन करते हुए पर्यटन मंत्रीजी लम्बी-चौड़ी बात कर गये और सबसे बड़ी उपलब्धि बता गये कि नगर विकास न्यास, कोटा ने विश्वविद्यालय के लिए जो जमीन अधिगृहित की गयी है, उस जमीन पर बाउण्डरी बनाने के लिए पर्याप्त राशि दे दी। एक साल का समय और इसके साथ ही लम्बा-चौड़ा अपना स्वागत करवा लिया, मालाएं पहन लीं और बूंदी से आने वाली माननीय सदस्या भी उस समारोह में सम्मिलित हुईं, लम्बी-चौड़ी अपनी जय जयकार करवा ली। आज ये विश्वविद्यालय, मैं पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय, आपने जो विश्वविद्यालय खोले हैं, आप भी अभी यह कह गये कि विश्वविद्यालय बन चुके हैं, अगर विश्वविद्यालय बन चुके हैं तो इन विश्वविद्यालयों में कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं, कितने अध्यापक और प्राध्यापक लगे हुए हैं, आप अपना उत्तर दें तो बताएं? भूमि आबंटन करने के लिए बड़ी मशक्कत करनी पड़ी, एक ओ.एस.डी. लगा दिया, बड़ा दुरुह कार्य आपने कर लिया। मैं समझता हूं यहां कुछ बातें कहने के लिए तो बहुत हैं, पर मुझे अफसोस इस बात का है कि न जाने सत्ता पक्ष में बैठे माननीय सदस्यों को कैसी ट्रेनिंग दी है, और तो और, बहरोड़ से आने वाले माननीय सदस्य भी उसी राग में राग अलापने लगे, जिसकी मुझे उम्मीद नहीं थी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो कोटा विश्वविद्यालय का आप विधेयक लेकर आये हैं, इसके अंदर वे सारी बातें हैं। पिछले साल आपका बजटीय प्रावधान एक करोड़ का, खर्चा आप संशोधित अनुमानों में गये तो 10 लाख रुपये का। यही इस बार, बजट के अंदर आपने 57.70 लाख रुपये रखें। खुद यह कह रहे हैं कि रैकरिंग एक्पेंसेज के लिए प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये चाहिए। अब रैकरिंग एक्सपेंसेज जहां नहीं हैं, वहां विश्वविद्यालय कैसे चल रहा होगा, कहां चल रहा होगा, मेरी समझ के परे की बात है।

आपने बड़ा लम्बा-चौड़ा कह दिया यहां पर खड़े होकर कि हमने किसी दूसरे एक्ट की नकल नहीं की, मंत्री महोदय, नकल में भी अकल लगाते तो थोड़ा ठीक रहता। आप इन दोनों को देख लें बीकानेर विश्वविद्यालय और कोटा विश्वविद्यालय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

को, आप सैक्शन देख लें, प्रबन्ध बोर्ड से लेकर सरकार के नियंत्रण की बात धारा 34-35 में की है, वही बात आपने इसमें की है और आपने महर्षि दयानन्द विश्वविद्यालय का एक्ट जो हमारे समय में बना था, उसकी कापी की है। परन्तु उस कापी के साथ-साथ अच्छाइयां तो आपने लीं नहीं, जो उस एक्ट में थीं।

विश्वविद्यालय की स्वायत्तता को समाप्त करने के लिए जिस तरह से आप लेकर आये हैं, सैक्शन 50 के अंदर "कठिनाइयों का निराकरण", मंत्री महोदय, आप जवाब दें तो जरूर बताएं, "राज्य सरकार इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्र और मामलों में किन्हीं भी कठिनाइयों के निराकरण के प्रयोजन के लिए राजपत्र में कोई भी आदेश प्रकाशित कर सकती है..." यह है विश्वविद्यालय की स्वायत्तता। मतलब, राज्य सरकार गजट नोटिफिकेशन जारी करती है और जो भी चाहेगी, जैसा भी चाहेगी, सारे अधिकार अपने में निहित कर लेगी। विश्वविद्यालय के अंदर बुद्धिजीवियों द्वारा बुद्धिजीवियों की पौध तैयार करने के लिए काम हो रहा है, उसमें जब आपका यह पारित किया हुआ एक्ट पढ़ेंगे, और आपने जिस तरह बांधने का काम किया है, मैं समझता हूं, यह विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के ऊपर तो हमला है ही, और मेरी मान्यता है कि जिस तर्ज पर आप चल रहे हैं, जिस रफ्तार से आप चल रहे हैं, मैंने पहले गलती कर दी थी जो इसको कागजी विश्वविद्यालय कहा, यह विश्वविद्यालय पशु विश्वविद्यालय है। पशु विश्वविद्यालय मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूं कि इन विश्वविद्यालयों में, बीकानेर और कोटा विश्वविद्यालयों में चारदीवारी बनी है, 120 बीघा के लगभग इन्होंने जमीन घेरी है, उस जमीन के अंदर जानवरों के बड़ा आनंद है। सभापति महोदय, आप वहां चले जाएं और, मंत्री महोदय, चाहे आप अपने ओ.एस.डी. साहब से पूछ लें, चारदीवारी में वहां कुछ घास हो गई पशुओं के लिए। विश्वविद्यालय तो बहुत हैं, आज जिन विश्वविद्यालयों में उम्मीद की जाती थी कि विद्यार्थी जाएंगे, जहां अध्ययन होगा, वहां पठन-पाठन होगा...

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपने बीकानेर विश्वविद्यालय को पशु विश्वविद्यालय के लिए भी कहा है क्या, या कोटा को ही कहते हैं? बीकानेर के बारे में भी बता दें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कोटा। नहीं, कोटा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : बीकानेर भी पशु है?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : नहीं, कोटा पशु है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : यही आपकी जनता जानना चाहती है कि बीकानेर विश्वविद्यालय को भी आप पशु विश्वविद्यालय मानते हैं?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बीकानेर विश्वविद्यालय और कोटा विश्वविद्यालय, दोनों विश्वविद्यालयों के अंदर जहां विद्यार्थियों को जाना चाहिए था, जहां पठन-पाठन होना चाहिए, वहां पशु जा रहे हैं मंत्री महोदय, आप जाकर मालूम कर लें।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, माननीय सदस्य की प्रवृत्ति सामंतशाही है और सामंतशाही प्रवृत्ति के होने के कारण....

श्री हेमन्त कुमार : सभापति महोदय, आप जो कोटा को पशु विश्वविद्यालय कह रहे हैं, वह गलत है।

श्री सभापति : विराजिए, विराजिए।

श्री हेमन्त कुमार : वहां पर विद्यार्थी पढ़ेंगे, समय लगेगा। आप पशु विश्वविद्यालय बता रहे हैं उसको?

श्री राजेन्द्र राठौड़ : हेमन्तजी, आपको पता ही नहीं, विराजो आप।

श्री हेमन्त कुमार : पता है मेरे को, मैं कोटा से हूं इसलिए कह रहा हूं।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : उसमें अभी तो पशु चल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : कहां है विश्वविद्यालय, कहां है विश्वविद्यालय वह?

श्री हेमन्त कुमार : कोटा के विश्वविद्यालय को पशु विश्वविद्यालय बता रहे हैं, यह शर्म की बात है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, आप पारीक साहब, फर्माइये।

श्री राजेन्द्र पारीक (सीकर) : माननीय सभापति महोदय, मेरा आप से निवेदन यह था कि माननीय सदस्य जिस पृष्ठभूमि से आते हैं, इनकी प्रवृत्ति ही सामंतशाही है और आम आदमी इनको पशुवत लगता है। तो इसमें यह किसी को भी पशु कहें या कुछ भी कहें, इस पर सदन को तो, माननीय, कम से कम ऐसी बातों पर, आपकी कही गई बातों पर गौर ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपकी प्रवृत्ति स्पष्ट झलक रही है इन सब बातों से। एक विश्वविद्यालय बना है जहां पर इस देश की भावी पीढ़ी तैयार होगी और उस विश्वविद्यालय पर विवेचना करते हुए जिस तरह से अपने उद्‌गार व्यक्त किये जा रहे हैं, यह बड़ा खेदजनक है। सामंतशाही प्रवृत्ति को गये पचास साल हो गये, हम आजाद हो गये अब, आप पुन: हमें कहां ले जाकर धकेलना चाह रहे हैं?

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह मनुवादी बोल रहे हैं।

श्री सभापति : अब आप चालू रखें अपनी बात को।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : यह वह मनुवादी बोलते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सभापति महोदय, मैंने इसलिए पशु विश्वविद्यालय कहा कि जहां हमारे को आशा थी, सरकार ने मेजें थपथपाईं और कोटा के मंत्री और बूंदी से आने वाली हमारी सम्माननीय विधायिका लम्बा-चौड़ा काला चश्मा लगा कर वहां ट्रेन से पधारीं, और....

मोहम्मद माहिर आजाद : संसदीस सचिव। माननीय राठौड़ साहब, संसदीय सचिव हैं, अब विधायक नहीं हैं।

श्रीमती ममता शर्मा : आप प्लेन का इंतजाम करते तो मैं प्लेन से चली जाती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और आज वह विश्वविद्यालय कागजों में ही सीमित है। कोटा में डाइट के अंदर विश्वविद्यालय को अस्थाई बोर्ड लगा दिया, यह एक मजाक नहीं है तो क्या है, सभापति महोदय? जिस विश्वविद्यालय के लिए यू.जी.सी. ग्रांट कमीशन ने मापदण्ड तय कर रखे हैं कि उन मापदण्डों को पूरा करने के बाद उसको विश्वविद्यालय का दर्जा मिलेगा, जिस विश्वविद्यालय के अंदर विद्यार्थी और अध्यापकों को होना चाहिए था, आज वहां मात्र चारदीवारी बनाकर थोथी बातें करते हों। ये सारी बातें इसलिए मैं कह रहा हूं कि कोटा विश्वविद्यालय विधेयक आप विचारार्थ लाये हैं, आपके मंत्रिमण्डल ने फैसला किया था कि इस विश्वविद्यालय का नाम आप महावीर जैन के नाम से करेंगे, उसका कहीं आपने जिक्र नहीं किया। आप बाद में नामकरण करेंगे। इसके बारे में तो आपकी केबिनेट का फैसला हो गया, इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा, मंत्री महोदय, केबिनेट के फैसले के बाद इस सदन के अंदर यह घोषणा हुई थी, अच्छा रहता, आप लिखते महावीर जैन कोटा विश्वविद्यालय विधेयक, 2003। परन्तु आपने तो कभी देखने को कोशिश ही नहीं की, क्योंकि सदन तो अप्रासंगिक हो गया। आज इस सत्र का अंतिम दिन है, मुझे कहते हुए अफसोस है, पहले सदन के अंदर कोई बात कही जाती थी उस बात का मायना होता था, उस बात का असर हुआ करता था, यहां सदन में कही गई घोषणा को यह मानते थे कि यह बाध्यकारी है। परन्तु जब से यह सरकार आई है, माननीय सदन के नेता तो कभी सदन में बैठना ही पसंद नहीं करते, आज पर देख लें सभापति महोदय, आज इस सत्र के अंतिम दिन तक, आप उनकी गणना कर लें, वह दो घंटे से ज्यादा सदन में नहीं बैठे। जहां सदन के नेता ही सदन के प्रति गम्भीर नहीं, वहां सरकार किस तरह गम्भीर होगी? इसलिए कुछ भी करते जाएं, आप आज भी कुछ भी घोषणा कर देंगे, अभी भी आप लम्बी-चौड़ी बात कह देंगे, परन्तु उस बात को यथार्थ में नहीं बदल पाएंगे क्योंकि आपका विश्वास ही नहीं है। आपने तो इस लोकतंत्र के पवित्र मंदिर का मजाक बना दिया थोथी घोषणाएं करते-करते।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जित तरह की रफ्तार, जिस तरह की मंशा आपकी है, अभी पर्यटन मंत्रीजी कह गये, कोटा के उद्योगपति उसमें मदद करेंगे, हम स्वागत करते हैं, हमारे समय के अंदर भामाशाह के पुरस्कार से उनको सम्मानित किया करते थे, परन्तु कभी आपने योजना बनाई, आप खुद कह रहे हो इसी में, आपने जो वित्तीय ज्ञापन लगाया है, आप खुद कह रहे हो कि उसमें बीस करोड़ रुपये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए चाहिए। बीस करोड़ में विश्वविद्यालय नहीं बनता, और बीस करोड़ की जगह आप सत्तावन लाख रुपये दे रहे हैं। सत्तावन लाख रुपये में आज किसी जगह पर जाएं तो मैं समझता हूं कि हायर सैकेण्डरी स्कूल भी नहीं बनेगा। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं ये थोथी बातें बंद करो। आपकी यह सरकार अब अंतिम चरण की ओर है, अब जनता आपसे हिसाब पूछेगी। आप लम्बी-चौड़ी बात, जिसका जिक्र उप मुख्य मंत्रीजी, इस घोषणा पत्र को दोबारा लिखोगे तो सोझ समझ कर लिखोगे। आपकी एक-एक घोषणा हम लोगों ने इतनी बार जनता के सामने रखी है कि इन्होंने यह कहा कि नहीं कहा, लोग कहते हैं कहा, इन्होंने पूरा कितना किया। उसी तरह के घोषणा पत्र, जिस

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

तरह का आपका झूठ का पुलिन्दा है, उसी तरह का मात्र आप लोगों को गुमराह करने के लिए यह विश्वविद्यालय का विधेयक लाये हो।

इस विधेयक के अंदर आपने जिस तरह के प्रावधान किये हैं, विशेष तौर पर मैं निवेदन करना चाहूंगा और ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, इसकी धारा 50 में जहां कठिनाई और निराकरण में आपने राज्य सरकार को इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाले क्षेत्रों में किन्हीं कठिनाइयों और निराकरण के प्रयोजनार्थ राजपत्र प्रकाशित करने की बात कही है, वहीं इसके साथ ही सैक्शन 34 और 35 के अंदर राज्य सरकार के नियंत्रण की बात की है। सैक्शन 35 में तो आप कह रहे हैं, आपात उपाय के रूप में राज्य सरकार द्वारा वित्तीय नियंत्रण की धारणा

''यदि राज्य सरकार को यह समाधान हो जाए कि विश्वविद्यालय में कुप्रशासन का वित्तीय प्रबन्ध है, के कारण ऐसी स्थिति पैदा हो गई है कि विश्वविद्यालय की वित्तीय स्थिति असुरक्षित हो गई है तो वह अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकती है कि विश्वविद्यालय का वित्तीय नियंत्रण राज्य सरकार के अधीन है।''

यह है, सभापति महोदय, इस सरकार की मंशा। इसलिए, मंत्री महोदय, मेरा आपसे पुन: निवेदन है, आपने विश्वविद्यालय की स्वायत्तता तो समाप्त कर ही दी। और मेरा आपसे निवेदन है, उच्च शिक्षा मंत्रीजी, कि कम से कम आप तो इस असत्य के भागीदार नहीं बनें, आपको बड़ा मौका मिल गया एक बार, दोबारा शायद आपको मौका मिले या नहीं मिले, परन्तु राजस्थान की जनता इसको याद रखेगी। आप उत्तर देते हुए बताएं, अभी माननीय कल्ला साहब कह रहे थे, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में फलां घोषणा हुई थी, हमने घोषणा की और उसका क्रियान्वयन नहीं किया। हमने कोई खोटा किया उसी लाइन पर चलना चाहते हो? अगर आज आपकी सरकार अपने अंतिम चरण में है, आज भी हमारी घोषणाओं के आधार पर, और कोई भी बात कहें, किसी भी रूप में कहें, हमेशा उठकर खड़े होकर कहना प्रारम्भ कर देते हो, आपके समय में यह होता था, ये बातें चलने वाली नहीं हैं।

इसलिए मेरा प्रस्ताव है कि इसको जनमत जानने हेतु परिचालित किया जाए ताकि कोटा की जनता को वास्तविकता का मालूम पड़ जाए। बूंदी से आने वाली संसदीय सचिवजी, दोबारा जब आप जाओगे कोटा की धरती पर, पहले तो आपने माला पहनी, अब वही लोग, वही विद्यार्थी और वही अभिभावक आपसे पूछेंगे कि आपकी सरकार के अंतिम चरण के अंदर आपने एक वर्ष पहले जो घोषणा की थी वह विश्वविद्यालय कहां है? कोटा की धरती पर ढूंढ़ने पर आज उसका एक छोटा-सा बोर्ड एक डाइट की बिल्डिंग पर लटका हुआ नजर आता है, मैं समझता हूं कि यह हाड़ौती की जनता के साथ आप लोगों ने अपमान किया है, खिलवाड़ किया है जिसका बदला जनता समय आने पर लेगी।

श्री सभापति : माननीय श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्यों हंस रही हो, बहनजी? माननीय सभापति महोदय, कोटा विश्वविद्यालय विधेयक, 2003...

श्री रोहिताश्व कुमार : मदन दिलावरजी खड़े होते हैं तब हमारे कम्पकम्पी आती है।

श्री मदन दिलावर : पर चर्चा करने से पहले मैं विक्रम सम्वत् 2060 जो कल से प्रारम्भ हो रहा है, उसके लिए मैं राजस्थान की जनता को, विधान सभा के माननीय सदस्यों को और सभी को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं करता हूं और भगवान से प्रार्थना करता हूं कि यह अकाल इस राजस्थान से दूर चला जाए और सब खुशी, समृद्धशाली और निरोगी हों।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : और कांग्रेसी प्रशासन का?

श्री मदन दिलावर : नाश हो।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह गलती से दूसरी कैसेट चढ़ा दी थी, मूल कैसेट पर तो अब आएंगे यह।

श्री मदन दिलावर : माननीय सभापति महोदय, कोटा विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 अभी लाया गया है, आप सब जानते हैं कि इसके लिए यदि मुझे किसी को धन्यवाद देना चाहिए, बधाई देनी चाहिए तो 1998 में तत्कालीन उच्च शिक्षा मंत्री श्रीमान् ललित किशोर चतुर्वेदीजी को मैं बधाई देता हूं कि उन्होंने 1998 के बजट सत्र में घोषणा करके एक करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया था और ओ. एस. डी. भी वहां लगा दिया था। दुर्भाग्यवश भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही और दुर्भावनावश आने वाली सरकार ने उस घोषणा की पालना नहीं की, इसके कारण से पांच साल तक कोटा की जनता, कोटा के विद्यार्थी इस विश्वविद्यालय से वंचित रह गये।

मान्यवर, कहा गया है कि विश्वविद्यालय बनने से कोटा में बहुत भला हो जाएगा। मैं तो चाहता हूं, मैं तो यह सोचता हूं कि विद्यार्थियों को लाभ होगा, परन्तु इस सरकार के रहते हुए यह कैसे सम्भव है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोटा खुला विश्वविद्यालय वहां है और जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तब विश्वविद्यालय से 28 हजार से ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए थे, आज स्थिति क्या हो गयी? कोटा खुला विश्वविद्यालय में आज चार हजार से भी कम विद्यार्थी उससे जुड़े रह गये और उसके कारण से...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : कोई बुद्धिजीवी बोले तो बीच में नहीं बोलते। कोई बुद्धिजीवी जब बोले तो बीच में नहीं बोलते, राजेन्द्रजी।

श्रीमती ममता शर्मा : पहले अपने ऊपर लागू करिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : ...(व्यवधान)... जब इस विधान सभा की घड़ी में 420 आये तब माननीय सदस्य बोलने के लिए खड़े हुए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया : आपका ध्यान गया उस पर।

श्री मदन दिलावर : और उसके कारण से विश्वविद्यालय के प्रति जो सम्मान था हाड़ौती के विद्यार्थियों में, उसमें एक कटुता का भाव मन में आने लगा है कि क्या यह सरकार जो नया विश्वविलय खोलने जा रही है, इसी प्रकार से

(श्री मदन दिलावर)

चलाएगी क्या। यदि इसी प्रकार से विश्वविद्यालय चला तो मैं समझता हूं कि इस विश्वविद्यालय का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। हमें पता है कि सरकार ने थोथी घोषणा की है और इसलिए की है यह घोषणा भी, क्योंकि माननीय शांतिकुमारजी धारीवाल साहब जो वहां से मंत्री हैं, कोटा से चुनकर पधारते हैं, उन्होंने एक बार तो वहां सभा में यह कहा सार्वजनिक रूप से कि कोटा में विश्वविद्यालय की कोई आवश्यकता नहीं है। उससे वहां का जनमानस उद्वेलित हुआ, लोगों में आक्रोश की भावना पनपी और जब बहुत विरोध हुआ और धारीवालजी को लगा कि अब मैं कोटा की धरती पर सामान्य रूप से पैर रखने में असमर्थ हूं, वहां की जनता, यहां की अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् इस वाजिब मांग के लिए निरन्तर रूप से संघर्ष कर रही है और हाड़ौती का समस्त छात्र समूह अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद् के साथ है तो आने वाले चुनाव में ऐसा न हो जाए कि मुझे पटकनी लग जाए, इसलिए....

मोहम्मद माहिर आजाद : साहब, ये बिल पर बोल रहे हैं या धारीवालजी पर बोल रहे हैं?

श्री सभापति : माननीय सदस्य। यही मैं कह रहा हूं।

श्री मदन दिलावर : मैं विश्वविद्यालय पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय, एक मिनट के लिए। मंत्री महोदय आपके ज्ञान से अपना ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं इसलिए आप इस बिल को क्यों सर्कुलेट करना चाहते हो उस बिन्दु पर कहिये आप।

श्री मदन दिलावर : मैं निवेदन यही कर रहा हूं, सर।

श्री शैलेन्द्र जोशी (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य का यह कहना है कि मात्र माननीय धारीवालजी के लिए कोटा यूनिवर्सिटी की स्थापना की जा रही है, बाकी आप नहीं चाहते हैं कि कोटा सम्भाग में आपके सम्भागीय स्तर पर जो ओपन यूनिवर्सिटी है उसके अलावा एक अलग यूनिवर्सिटी हो सामान्य शिक्षा की?

श्री सांवर लाल : नहीं, माननीय सदस्य कह रहे हैं कि आपको मजबूरी में खोलना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के... (व्यवधान)...

श्री सभापति : हां, हां, कैसे भी खोलना पड़ा।

श्री शैलेन्द्र जोशी : हम हमारे सम्भाग के माननीय विधायकों की जो इच्छा है उसकी पूर्ति के लिए, जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए जरूर कार्य करते हैं।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बहुत-से काम मजबूरी में करने पड़ते हैं, आपको क्या पीड़ा है इससे? हां, फर्माएं आप।

श्री मदन दिलावर : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं कि यदि इनकी

(श्री मदन दिलावर)

सद्भावना होती तो यह 1999 में प्रारम्भ हो जाता क्योंकि 1999 में बजट में घोषणा हो गयी थी, यदि उसमें प्रावधान हो जाता...

श्री सभापति : नहीं, आप माननीय सदस्य विषय पर आइये।

श्री मदन दिलावर : हां, मैं विषय पर आ रहा हूं, श्रीमान्, पहले भी विषय पर ही हूं। मेरा निवेदन इतना है कि जो इन्होंने प्रावधान किया है 57 लाख रुपये लगभग का वह अपर्याप्त है, और...

श्री सभापति : बहुत ठीक बात है।

श्री मदन दिलावर : इससे यह लग रहा है कि विश्वविद्यालय खोल कर चलाने की इनकी भावना नहीं है, सद्भावना नहीं है, केवल हाड़ौती की जनता के साथ मजाक किया जा रहा है। क्योंकि, जैसा मैंने पहले भी कहा, इनकी सद्भावना होती तो अभी तक प्रारम्भ हो जाता। सद्भावना होती तो यह सारी सरकार बैठते ही इस बात की सबसे पहले बात करती जो विश्वविद्यालय की घोषणा हो चुकी है उसको पूरा करें। अब मैं निवेदन यह कर रहा हूं, जैसा इन्होंने जमीन का कहा कि हमने जमीन ले ली, बाउण्डरी बनवा रहे हैं, यह ठीक है। जमीन भी ले ली, बाउण्डरी भी बनवा रहे हैं। यू.आई.टी. पैसा देगी। क्या सरकार यू.आई.टी. के आधार पर ही इस विश्वविद्यालय का संचालन या आर्थिक मदद के आधार पर इस विश्वविद्यालय को चलाने की कल्पना रखती है? यदि ऐसा है तो फिर यह विश्वविद्यालय न तो बनेगा और न चल पाएगा, क्योंकि यू.आई.टी. इतना खर्चा वहन नहीं कर सकती। दूसरी तरफ, 57 लाख रुपये में विश्वविद्यालय न तो पूरा हो सकता है न चल सकता है, इसलिए यदि यह सरकार गम्भीर है तो मेरा निवेदन सुन ले, कि 25 करोड़ रुपये का आज प्रावधान करें। वित्त मंत्री से घोषणा कराएं कि कोटा विश्वविद्यालय के लिए हम 25 करोड़ रुपये का प्रावधान करते हैं और ये 25 करोड़ रुपये इसी वित्तीय वर्ष में खर्च करके उसे पूरा करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि कोटा बसा है तब से वहां बहुत पुराने स्वतंत्रता सेनानी कोट्या भील के नाम से जाने जाते हैं। वहां के राजा हुए हैं कोट्या भील और कोट्या भील के नाम से ही कोटा बसा है, तो मेरा निवेदन है कि इस विश्वविद्यालय का नाम कोट्या भील विश्वविद्यालय रखा जाए। आदिवासी लोग जिन्होंने वहां राज किया है और बहुत लोगों की सेवा की है, उनके नाम पर इस विश्वविद्यालय का नामकरण किया जाएगा तो अति उत्तम रहेगा।

मैं इसलिए इस विधेयक को तीन माह के लिए जनमत जानने के लिए परिचालित करने के लिए निवेदन कर रहा हूं।

श्री सभापति : माननीय डा. रामप्रताप।

(अनुपस्थित)

श्री अमराराम (पचपदरा)।

(अनुपस्थित)

श्री गणेशीराम मेघवाल।

(अनुपस्थित)

श्री हरीशचन्द्र।

(अनुपस्थित)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

(अनुपस्थित)

श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : माननीय सभापति महोदय, चूंकि बीकानेर विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 पारित हो गया है और अब कोटा विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 पारित होने के लिए...

श्री सभापति : तैयारी में है।

श्री सुरेन्द्र गोयल : इंतजार कर रहा है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन है, जो मैंने पहले निवेदन किया था, कि जो यह बिल अपन लाये हैं इसके अंदर सभी माननीय सदस्यों की मंशा साफ होनी चाहिए। जिस उद्देश्य को लेकर अपन यह बिल लाये हैं और विश्वविद्यालय खोला है, उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए, बच्चों को इसका लाभ मिलना चाहिए। जो एक से पचास तक के प्रोविजन इस विश्वविद्यालय विधेयक, कोटा में रखे हैं वो सभी दयानन्द विश्वविद्यालय में भी हैं, जयनारायण विश्वविद्यालय में भी हैं, मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय में भी हैं। वो सभी सही हैं, मैं तो यही निवेदन करता हूं कि इस विश्वविद्यालय के लिए 57 लाख का जो बजट रखा है इसमें बढ़ोतरी की जाए और जल्दी से जल्दी सुचारू रूप से किस प्रकार से कार्य रूप में यह विश्वविद्यालय चल सके, ऐसी व्यवस्था अपना साफ मन रख कर करें, जिससे लोगों को फायदा मिल सके और बच्चे पढ़ सकें।

श्री सभापति : माननीय डा. किरोड़ी लाल।

(अनुपस्थित)

माननीय डा. रघुवीर सिंह गौड़।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री सुरेन्द्र व्यास।

श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : सभापति महोदय, करंट आता है देखिये इसमें।

मैं, सभापति महोदय, कुछ मौलिक बातें अपने इस प्रस्ताव के माध्यम से सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। यह कोटा विश्वविद्यालय का विधेयक भी पारित हो जाएगा, बीकानेर का भी पारित हो गया और विश्वविद्यालय आप लगातार खोलते आ रहे हैं और अब समय इतना नहीं है, चुनाव आ गये। मैं सुन रहा था तो आप बहुत नाराज हो रहे थे कि मैंने किसी की नकल नहीं की। क्या नकल नहीं की, साहब, इसमें? यूनिवर्सिटीज का आब्जैक्ट एक है, एकेडेमिक एक्सीलेंस है, मैनेजमेंट एक है, क्यों नहीं करेंगे नकल आप? करनी चाहिए आपको। तमाम यूनिवर्सिटीज प्राविजन्स के अंदर यूनिफार्मिटी हो, इसको सरकार को एनश्योर करना चाहिए, इसमें गलत क्या है? आप क्यों ऐसा ओफेंड फील करते हो इसमें। जब यूनिवर्सिटी काम कर रही है, नया कोई भी लैजिस्लेशन आता है, कोई भी गवर्नमेंट हो फॉर दैट मैटर, ये बैठे हों तो ये क्या कर लेंगे? पुराने ड्राफ्ट को निकाल कर देखते हैं, उसमें

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

इम्प्रूवमेंट करते हैं। ऐसे तो नहीं होता है कि नहीं, हम तो पुराना देखेंगे ही नहीं, कोई नया बनाएंगे। नया कोई परशियन और अरबी में थोड़े ही बनाएंगे? इस तरह का इनहिबिशन आपको नहीं रखना चाहिए। शैलेन्द्रजी, मैं तो खास तौर पर इसलिए खड़ा हुआ हूं, आप उच्च शिक्षा मंत्री हो गये, और हमारे बांदीकुई और बांदीकुई का मतलब जयपुर और जयपुर का मतलब राजस्थान यूनिवर्सिटी इसको कितना इग्नोर किया हुआ है, आप क्या करोगे यूनिवर्सिटीज का? भारतवर्ष एक अकेला देश है पूरे विश्व में जहां सब स्टेण्डर्ड और थर्ड रैंक स्टूडेंट को पढ़ने की अनुमति है। कभी इस बात को आप सोचते नहीं, काहे की यूनिवर्सिटी खोलते हो? आप यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा करो। डाक्टर मोहन सिंह मेहता ने राजस्थान यूनिवर्सिटी को कहां लाकर खड़ा किया था। आप तो शायद बहुत बच्चे होंगे, हम खुद भी स्टूडेंट थे उस जमाने में, जब मोहन सिंह मेहता थे और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को इतना मान-सम्मान पूरे देश में मिलता था। One of the premier universities in the country. और आपने कहां लाकर खड़ा कर दिया। (व्यवधान)

श्रीमती इन्दिरा मायाराम : मैं उसमें पढ़ी हुई हूं, पीएच.डी. की है।

श्री सुरेन्द्र व्यास : इन्दिराजी, आप तो हमसे भी सीनियर हैं, पढ़ती होंगी। लेकिन आज वह यूनिवर्सिटी कहां चली गई? शैलेन्द्रजी, कभी इस बात पर विचार कीजिए। रीजनल इंटरेस्ट को मीट करने के लिये, लोकल पोलिटिक्स डिमाण्ड को मीट करने के लिए। आपके शिक्षा विभाग में भी यही था, जब मैंने वित्त मंत्रीजी का बजट भाषण पढ़ा तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ, उन्होंने कहा, हम इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे इसलिए अब की बार नये स्कूल और नये विश्वविद्यालय हम नहीं खोल रहे हैं। क्या इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करेंगे? 40 हजार अध्यापकों की जरूरत है वह तो भर्ती नहीं करेंगे, बनाएंगे। आपके राजस्थान यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर के प्रमोशन नहीं हुए, कितने साल से नहीं हुए? अभी तक तो झगड़ा चल रहा है। अभी भी आप आर्डिनेंस लाये, लॉ लाये इनकी सर्विसेज को रैगुलराइज करने के लिये। आपसे मेरा विनम्र निवेदन है कि आपने खोल तो दिया, किसी से रुकेगा नहीं, लेकिन सबसे दुःखद स्थिति यह है कि यूनिवर्सिटी का मतलब आपने एम्प्लायमेंट के वेटिंग रूम बना रखते हैं। ये फार्चूनेटली लड़कों के लिये तो सूटेबल एम्प्लायमेंट मिले उसके वेटिंग रूम हैं और लड़कियों के लिये फार्चूनेटली सूटेबल मैच मिले उसके लिये वेटिंग रूम हैं। हायर एजुकेशन में गवर्नमेंट का कितना पैसा खर्च होता है, पब्लिक मनी खर्च होता है, कोई फीस से कभी चलता है? लेकिन आपको यह भी मालूम होना चाहिये कि एक टीचर का, बड़ा अजीब लगेगा आपको, लेकिन, सभापति महोदय, एक टीचर का जो प्राइमरी जॉब है, रेस्पांसिबिलिटी है वह टीचिंग नहीं है, उसकी प्राइमरी रेस्पांसिबिलिटी रिसर्च है- To carry on research or to guide in research रिसर्च सबसे बड़ी चीज है। आपकी कांस्टीट्यूएंसी में रिसर्च हो रही है, कितनी रिसर्च हो रही है? और रिसर्च में कितनी नकल हो रही है? ये कुछ मूलभूत प्रश्न हैं।

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

और अभी सदन में चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने बार-बार यह बात कही, मैं खुद भी बड़ी दुविधा में हूं इस बात पर, कि यूनिवर्सिटी की आटोनोमी होती थी, उस आटोनोमी को हमेशा हर गवर्नमेंट और हर समाज रैस्पेक्ट करता था। अब अनफार्चूनेटली क्या हो गया, अकांउंटेबल तो गवर्नमेंट है, हाउस में अकाउंटेबल है। नहीं-नहीं करते हम सवाल पूछते हैं, मिनिस्टर को जवाब देना पड़ता है, मिनिस्टर की घेराबंदी भी करते हैं, बाध्य भी करते हैं, ऐसा तो नहीं है कि बिलकुल साफ निकल जाएं। उस एकेडेमिक आटोनोमी के नाम पर यूनिवर्सिटी में कितनी निरंकुशता हो गई थी। आपको याद है, सभापति महोदय, इसी सदन में एक चर्चा में आया था तत्कालीन वाइस चांसलर का और शिक्षा मंत्री ने अपनी विवशता प्रकट की थी कि मैं कुछ नहीं कर सकता। यह एक ऐसी डैलीकेट सिचुएशन है कि एकेडेमिकली तो आटोनोमी होनी चाहिये यूनिवर्सिटी की, और प्रैक्टिकली आटोनोमी अगर अपन रखते है वह टाइम और था। सभापति महोदय, हम बहुत छोटे थे, I was just a child. Mohan Lal Sukhadia would call on the Vice-Chancellor. वह डिग्निटी कहां रही? वाइस चांसलर तो बैठे रहते हैं मिनिस्टर के घर पर, हाई कोर्ट जजेज बैठे रहते हैं, यह तो आपका टोटल डाइल्यूशन सोसाइटी का हुआ है, वैल्यूज का हुआ है। मैं ये सब बातें सिर्फ अपने दिल के उद्‌गार निकालने के लिये कह रहा हूं। न तो इनके पास समय है कि यह कुछ कर सकें इसमें, न ही इसमें कोई मौलिक विचार आए। आप तो इसको पारित करो और लगे हाथ ऐसा है, 2-4 यूनिवर्सिटीज और खोल दो। सभापति महोदय, वर्ना आप बताइये कि पिलानी डीम्ड यूनिवर्सिटी कैसे हो गई, वनस्थली कैसे डीम्ड यूनिवर्सिटी हो गई? Let some institutions come up like Banasthali and Pilani and they will earn the status of deemed university. Why is it for the Government to start opening universities everywhere just to feed regional interests, to meet the local demands? यह बड़ा अनफार्चूनेट है, मेरी नजीर के लिये बता रहा हूं, आज पिलानी की कंट्री में क्या पोजीशन है, कितनी पोजीशन बढ़ी है? It is a matter of pride for us. हमारे प्रदेश में ऐसे इंस्टीट्यूट्स को एनकरेज कीजिए। उनको हम एनकरेज करें, उनको आप पेट्रोनाइज करो, उनको आप हैल्प करो, उनको कोआपरेट करो वह तो समझ में आता है। 57 लाख रुपये लगाकर एक तिबारे में खोल कर छोटे-छोटे गांवों में कोई मतलब है यूनिवर्सिटी का? एक छोटा-छोटा खोल दो। लास्ट में अगर आपको यूनिवर्सिटी ज्यादा ही बांटने की इच्छा हो तो एक टोडारायसिंह और मालपुरा में भी खोल देना।

इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा तो यही निवेदन है कि विश्वविद्यालय की जो मूल रूप से एक गम्भीरता थी उसके ऊपर इस सरकार ने विचार नहीं किया और विश्वविद्यालय के पूरे कंसैप्ट का एक मखौल बना कर रख दिया। सालभर में इन्होंने क्या किया, वह इस कंडक्ट से प्रमाणित है कि इन्होंने इसको बिलकुल हास्यास्पद स्थिति में ला कर रख दिया और जैसा पब्लिक

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

कंजम्पशन का बार-बार कहा जा रहा है कि डमरू बजाकर यूनिवर्सिटी दे दी। मैं इस प्रकार की प्रवृत्ति का विरोध करता हूं, बिल आप पारित कीजिए, धन्यवाद।

श्री सभापति : माननीय श्री अमराराम धोद।

(अनुपस्थित)

माननीय श्री मानिक चन्द सुराना।

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : माननीय सभापतिजी, बीकानेर विश्वविद्यालय विधेयक पर मैंने अपने विचार व्यक्त किये थे, मैं इस सदन के ध्यान में और माननीय मंत्रीजी के ध्यान में, पूरे सदन के ध्यान में भी यह लाना चाहता हूं कि बीकानेर, विश्वविद्यालय विधेयक और कोटा विश्वविद्यालय विधेयक, मैंने इनके कोई 25 प्रोविजन मिलाये, नम्बर भी वही है, भाषा भी वही है, नाम सिर्फ एक में बीकानेर लिखा हुआ है, एक में कोटा लिखा हुआ है। समस्त प्रावधान वही के वही हैं। अभी मालपुरा से आने वाले हमारे आदरणीय साथी कह रहे थे कि पुराने विधेयकों से, पुराने अधिनियमों से भी लेने में कोई बुराई नहीं है। निश्चित रूप से जहां लॉ फ्रेम करेंगे तो जो बना हुआ लॉ है उसको भी देखेंगे और उसको इम्प्रूव करेंगे। पर मुझे यह कहते हुए बहुत कष्ट है कि आपने विश्वविद्यालयों की स्वायत्तता की अवधारणा का पूर्ण रूप से परित्याग कर दिया है।

आप बता सकते हैं, मेरे बीकानेर के साथी कह रहे थे बोर्ड आफ मैनेजमेंट, अनेक विश्वविद्यालयों के बोर्ड आफ मैनेजमेंट में यह लिखा हुआ है कि चांसलर और वाइस चांसलर, जब वाइस चांसलर की नियुक्ति होगी तब चांसलर और वाइस चांसलर स्टेटस के अनुसार बोर्ड आफ मैनेजमेंट का गठन करेंगे। आपने तो बोर्ड आफ मैनेजमेंट का गठन दोनों में कर ही दिया और ऐसा गठन किया है कि सारे वित्त सचिव को लगा दिया, शिक्षा सचिवजी को लगा दिया, और भी अनेक सचिव लगा दिये। इसीलिए मैंने आपसे पहले कहा था कि इन विश्वविद्यालयों को खोलते वक्त यह कह देते कि विभागीय विश्वविद्यालय खुलेंगे तो ज्यादा अच्छी अवधारणा होती। जब बोर्ड आफ मैनेजमेंट में पूरा कंट्रोल सचिवों का ही है तो निश्चित रूप से वह विभागीय विश्वविद्यालय है। माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, कुछ विश्वविद्यालयों के उच्च अधिकारियों द्वारा वाइस चांसलर द्वारा वित्तीय अनियमितता करने की बात यहां कही गई। मैं निवेदन करना चाहता हूं क्या राज्य सरकार ने कभी इस पर गम्भीरता से देखा कि जितने विश्वविद्यालय हमने बनाये उनके ज्यादा वाइस चांसलर और उनके एकेडेमिक काउंसिल के बड़े सदस्य नियुक्तियों में आपाधापी कर रहे हैं? तो हमने क्या कभी कोई ऐसा प्रावधान किया? और सब विश्वविद्यालयों में गलत नियुक्तियों के लिये जिस तरह ट्रिब्यूनल बनाया तो यूनिवर्सिटी का भी कोई ट्रिब्यूनल बनाने की सोचते, जिसमें किसी भी विश्वविद्यालय की अवैधानिक नियुक्ति को चैलेंज किया जा सकता है और उस नियुक्ति को निरस्त कराया जा सकता है। हम उस दिशा में तो गये नहीं और उन वाइस चांसलर द्वारा जो अपने स्तर से नीचे आकर गैर कानूनी अनियमित गतिविधियां नियुक्तियों में की गईं और वित्तीय आपाधापी की गई, हमने उसका

(श्री मानिक चन्द सुराना)

निराकरण सरकार के सचिवों में देखा। सरकार चल रही है सरकार के सचिवों के नीचे ही। माननीय शिक्षा मंत्रीजी, लाखों ऑडिट आब्जेक्शन रोज होते हैं, यानि इनको उस पद पर बिठा देने से सब काम नियमित हो जाते तो फिर सरकार तो नियमित रूप से ही चलती।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ब्लाक ग्रांट्स दें और कोई चैक एण्ड बैलेंस नहीं रखें, क्या आप यह चाहते हैं? राजस्थान गवर्नमेंट फाइनेंशियली ब्लाक ग्रांट दे यूनिवर्सिटी को और कोई चैक एण्ड बैलेंस नहीं रखे, क्या आप यह चाहते हैं?

श्री मानिक चन्द सुराना : माननीय मैं यह चाहता हूं कि एकेडेमिक एक्सीलेंस से भी हमको प्राप्त करनी हैं तो हम एकेडेमिक एक्सीलेंस प्राप्त करने की दिशा में कोई प्रभावी कदम उठाएं। पर यह नियंत्रण ही रखना है तो विश्वविद्यालय की जरूरत क्या है? विभागीय विश्वविद्यालय खोल दीजिए न, मैं कह रहा हूं। विभागीय विश्व-विद्यालय, बीकानेर, विभागीय विश्वविद्यालय, कोटा खोल दीजिये, हमें कहां दिक्कत है? हमें सरकार का नियंत्रण रखना है इसलिए विभागीय विश्वविद्यालय। हम देंगे ग्रांट, सब चीजें हम तय करेंगे। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, सरकार की कोई अवधारणा हो। विश्वविद्यालय की स्वायत्तता का परित्याग करने का मानस इस सरकार ने बना लिया हो तो हमें कोई आपत्ति नहीं है, पर हम यह कहेंगे कि आप विश्वविद्यालय की स्वायत्तता की रक्षा करने के लिए, काम कठिन है लेकिन आप उसकी रक्षा करने का काम करें।

रहा सवाल कोटा के लिए, माननीय पर्यटन मंत्रीजी जो वर्तमान में हैं, पहले वह यू.आई.टी. और पता नहीं किस-किसके मंत्री थे, वह उछल कर कह रहे थे कि हमने 120 बीघा जमीन अलाट करा ली यू.आई.टी. से, क्या कर लिया? जो जमीन वहां थी वह जमीन आपने अलाट करा ली, यू.आई.टी. में आपके आदमी बैठे हैं, सरकार के मनोनीत व्यक्ति हैं, उनका दायित्व नहीं है क्या कि कोई विश्वविद्यालय बनेगा, यदि कोई भूमि उनके क्षेत्र में उपलब्ध है तो वह उसको अलाट करें? उन्होंने कोई एहसान नहीं किया है। बाउण्डरी के लिए करोड़-दो करोड़ रुपये किसी यू.आई.टी. ने खर्च कर दिये, मैं कहना चाहूंगा कि मेरे खुद के बीकानेर शहर की यू.आई.टी. ने, एल.एस.जी. मंत्रीजी अभी हैं या नहीं हैं, पिछले 5 साल में 54 करोड़ रुपये खर्च किये। हमको कभी एहसास नहीं हुआ कि शहर में 54 करोड़ रुपये लग गये। 14-14 लाख रुपये के सर्किल बन रहे हैं, 20-20 लाख रुपये के सर्किल बन रहे हैं, गोगा गेट और फलां गेट के आधुनिकीकरण पर 25-25 लाख रुपये लग रहे हैं, लेकिन सड़क टूटी हुई मिलेगी, नाली टूटी हुई मिलेगी, मेन रोड पर गोदे घूमते हुए मिलेंगे। जो शहर की खूबसूरती है उस खूबसूरती को बनाने में असमर्थ रहे। आज करोड़-दो करोड़ रुपये किसी विश्वविद्यालय की बाउण्डरी बनाकर देने के लिए, माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी, वह इसलिए दे रहे हैं ताकि जो जमीन 60 लाख की है उस जमीन को 2 लाख के अंदर अपने चहेतों को अलाट कर सकें। बीकानेर में भी ऐसा हुआ। मैंने इस सदन में दो प्लाट का दावा किया है कि उनकी आक्शन वैल्यू 60-60 लाख थी, लेकिन उनको डेढ़-डेढ़ लाख, दो-दो लाख में वहां के चेयरमैन ने अलाट किया। जो तथ्य इस

(श्री मानिक चन्द सुराना)

सदन में आते हैं, आपकी सरकार और आपके मंत्री उन पर कार्यवाही नहीं करते, उनकी फाइल तलब नहीं करते। क्या मुझे कहना चाहिए कि मंत्रीजी भ्रष्टाचार से प्रेरित हैं, वह कार्यवाही नहीं कर रहे? क्या मंत्रीजी भिज्ञ नहीं है? क्या कानून नहीं जानते? सब जानते हैं, पर फिर भी एक्शन नहीं होता। माननीय मंत्रीजी कहना पड़ेगा कि कोई दूसरी प्रेरणा है, जिसके कारण से प्रभावी कदम नहीं ले पाते।

मैं उच्च शिक्षा मंत्रीजी से यह उम्मीद करता हूं, जो भी आप विधेयक लाये और जो हमने निवेदन किया है, हम आपके बिल लाने का स्वागत करते हैं कि बीकानेर का बिल लाये, कोटा का बिल लाये, निश्चित रूप से यह रीजनल डिमांड्स थी उसकी पूर्ति हुई है। आपने जो प्रावधान रखा है, मैंने पहले भी कहा कि 57 लाख 70 हजार के प्रावधान से नहीं। विश्वविद्यालय के लिए इस वर्ष में आप तो 50 करोड़ रुपये लेंगे ही लेंगे। कृपा करके दोनों विश्वविद्यालयों के भवन पर और इनके निर्माण पर कम से कम 25-25 करोड़ रुपये खर्च करें। यदि आपकी बोनाफाइड विल है, आप निश्चित रूप से चाहते हैं कि इस विश्वविद्यालय के निर्माण में बहुत तीव्र गति से प्रगति की जाए, तो मेरा आपसे निवेददन है कि 25-25 करोड़ रुपये का प्रावधान, चाहे बजट में नहीं हो, अनुपूरक अनुदान की मांगों में ले आइयेगा, यह सदन उसको पास करेगा, आप उचित प्रावधान के माध्यम से विश्वविद्यालय को स्थापित करने का काम करें, इसी निवेदन के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी।

श्री शैलेन्द्र जोशी (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) **:** माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम तो मैं इस बात का स्पष्टीकरण देना चाहता हूं कि वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा का नामकरण किया गया, न कि प्रस्तावित कोटा विश्वविद्यालय का किया गया था। माननीय सदस्य ने आपत्ति उठाई थी कि राजस्थान सरकार ने कोटा विश्वविद्यालय का नाम महावीर स्वामी के नाम पर रखा है। मैं विनम्रतापूर्वक आपकी स्मृति को ताजा करना चाहूंगा कि हमने वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय, कोटा यूनिवर्सिटी का नाम रखा था, जिसका नामकरण संस्कार भव्य समारोह के साथ करीब 5-6 महीने पहले सम्पादित हो गया।

आपको मेरा यह भी निवेदन है, मालपुरा से आने वाले हमारे साथी सुरेन्द्रजी व्यास ने उच्च शिक्षा को विश्व स्तर पर जो चुनौती मिल रही है उसके बारे में चिंता प्रकट की, मैं उनकी चिंता से सहमत हूं। उन्होंने कहा कि अब हर छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ रहा है, यह बात सही है। माननीय सभापति महोदय, आने वाले एक दशक बाद विश्वविद्यालय का जो परिदृश्य होगा, वह अलग तरह का होगा। उच्च शिक्षा जन सामान्य छात्रों के लिए उपलब्ध नहीं हो पाएगी। उच्च शिक्षा केवल तर्क-वितर्क के लिए एक परिशोध का विषय रहेगी। (व्यवधान) ऐसा विश्व स्तर का आने वाला चैलेंज आपको, मेरे को दिखाई देता है। जो भी एजुकेशनिस्ट है उसको दिखाई देता है। आप एजुकेशनिस्ट के रूप में अपने को मानें, आपको भी दिखाई देना चाहिए। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप राजस्थान के सदन में बोल रहे हैं और यह कह रहे हैं कि आने वाले

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

10 साल के बाद विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा नहीं होगी, तो यह आपकी अधिकाधिक घोषणा माने? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप भला सुन भी तो नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : सुन रहे हैं न। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप ठीक ढंग से सुन भी नहीं पा रहे हैं। (व्यवधान) जो सही ढंग से सुनेगा नहीं, तो सही ढंग से समझेगा भी नहीं। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : यह समझ नहीं पा रहे कि आप समझा नहीं पा रहे, यह बताइये? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : यह तो आप समझें। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : आप क्या कहना चाह रहे हैं? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपकी जरूरत नहीं है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हायर एजुकेशन नहीं होगी....(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आपने कह दिया न अभी। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैंने क्या कह दिया, क्या नहीं कह दिया, वह सबको मालूम है।

श्री सांवर लाल : आप तो यह जवाब दीजिए कि विश्वविद्यालय की स्वायत्तता के पक्ष में हैं कि नहीं है? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य जो कि बी.जे.पी. के सदस्य नहीं हैं, इन्होंने अच्छी बात कही है। मैं उस बात का एप्रिशिएशन करूंगा, उसमें किसी तरह कोई कंजूसी नहीं बरतूंगा। आपको ऐसा नहीं होना चाहिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बी.जे.पी. वाले अच्छी बात कहें तो नहीं करेंगे? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : उनको भी करेंगे लेकिन धैर्य तो रखिए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : विश्वविद्यालय पूर्वी राजस्थान में खोलिए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप धैर्य तो रखिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : जहां पहले से दो-दो, तीन-तीन विश्वविद्यालय हैं वहां खोले हैं। (व्यवधान) आप अलवर भरतपुर में खोलते। आप बांदीकुई के हैं, बांदीकुई से उधर की तरफ खोलते, वहां पैसा लगाते। पूर्वी राजस्थान की उपेक्षा राजस्थान सरकार ने क्यों की है? (व्यवधान) आप अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर, धौलपुर को बरबाद क्यों करना चाहते हैं? बार-बार यह बात आती है कि अलवर, भरतपुर का खयाल क्यों नहीं रखते। शैलेन्द्रजी, आप खुद भी बांदीकुई के हो, आप आज तत्काल घोषणा कर दीजिए। आप वित्त मंत्रीजी से स्वीकृति ले लीजिए, हम

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

आपका वहां मालाओं से ही नहीं, भरपूर स्वागत करेंगे, पर आंखों पर बिठाएंगे। जरा अलवर का भी ध्यान रखिए, बांदीकुई से आगे का। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य, बैठिए।

मोहम्मद माहिर आजाद : माननीय सभापति महोदय, यह बात सही है कि जहां आलरेडी यूनिवर्सिटी है, जोधपुर में एक, इनकी भी यूनिवर्सिटी खोल दी। बीकानेर में दो, कोटा में दो। अलवर, भरतपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा, सरकारी मुख्य सचेतकजी बैठे हैं, आप खुद वहां के हो, डाक्टर साहब बैठे हैं, आप उसकी बात कीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य। (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : ज्ञानदेव आहूजाजी ने सही बात कही है। आखिर पूर्वी राजस्थान के इन सात जिलों के साथ यह अन्याय कब तक होगा? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : जहां आवश्यकता है क्या वहां छात्र नहीं रहते? क्या वहां के लोगों को शिक्षा की जरूरत नहीं है? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

मोहम्मद माहिर आजाद : इसलिए मैं भी आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम घर का पूत कंवारा डोले और पड़ोसी के फेरे करने का काम मत कीजिए। (व्यवधान) आप अलवर, भरतपुर में भी विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा कर दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय हरिसिंहजी, आप मुख्य सचेतक हैं, मूंछे लेकर बैठे हैं, स्वाभिमान नाम की कोई चीज नहीं है? (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेवजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अलवर, भरतपुर, धौलपुर, महुवा में खुलवाते। मूंछे रखने से, सचेतक बनने से काम नहीं चलता। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य विचार इस बात पर हो रहा है कि इस विधेयक को जनमत के लिए परिचालित किया जाए। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : निवेदन है कि जनमत में अलवर, भरतपुर में खोले....(व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : थर्ड रीडिंग में बुलवा देना। (व्यवधान) विश्वविद्यालय की आवश्यकता कहां है, क्यों खोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : वहां बच्चे पढ़ने वाले नहीं हैं क्या? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पूर्वी राजस्थान तो सौतेला बेटा है। (व्यवधान) कांग्रेस शासन का सौतेला बेटा है इसलिए वहां कोई कालेज नहीं, मेडिकल, इंजीनियरिंग कालेज नहीं, यूनिवर्सिटी नहीं। वहां के बच्चे.....(व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : अलवर, भरतपुर, सवाईमाधोपुर सभी की उपेक्षा। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : बिलकुल ठीक हैं।

श्री सभापति : विराजिए, विराजिए। (व्यवधान)

श्रीमती कमला बृजलाल : विराजेंगे, साहब, लेकिन इतनी बात तो रखिए। पूर्वी राजस्थान के बारे में इतनी मेहरबानी करें। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय सदस्य।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : शैलेन्द्रजी, अब देखिए, कांग्रेस के लोग भी बोले न। आज घोषणा कर ही दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेवजी, माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : सभापति महोदय, यह डिमाण्ड तो यूं होने लगी जैसे कोई हम प्राइमरी स्कूल खोल रहे हैं। (व्यवधान) देखिये तो सही आप। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये।

श्री रोहिताश्व कुमार : 57 लाख में तो प्राइमरी स्कूल ही खुलती है।

श्री राजेन्द्र पारीक : यह विश्वविद्यालय खोले जा रहे हैं, विश्वविद्यालय, पता है क्या आपको?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पता है। आप जानते हो, क्या होता है?

श्री राजेन्द्र पारीक : और विश्वविद्यालय पर चर्चा करते-करते आप यह मांगने लगें कि एक प्राइमरी स्कूल मेरे भी खोल देना, एक सीकर में भी खोल देना।

श्री सभापति : माननीय डाक्टर साहब, माननीय ज्ञानदेवजी, माननीय पारीक साहब, विराजिये। (व्यवधान)

श्री मानिक चन्द सुराना : सीकर से आने वाले माननीय सदस्य, 57 लाख में खुल रही है, आप भी खुलवा लो सीकर में।

श्री राजेन्द्र पारीक : मैं आपकी बात से पूर्णतया सहमत हूं कि जिस तरह के प्रोविजंस किये गये हैं फाइनेंशियल, वे वास्तव में नहीं किये जाने चाहिये थे। इसमें समुचित व्यवस्था होनी चाहिए, इस बात पर तो आपसे मैं खुद भी सहमति व्यक्त करता हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेवजी, माननीय सदस्य, माननीय पारीक साहब, विराजिये, विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 57 लाख का चूर्ण बांट रहे हो तो अलवर में भी बांट दो, यह कहना है हमारा, अगर 57 लाख का चूर्ण बांट रहे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेवजी, आपसे यह उम्मीद नहीं है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मैं पूरे एम.एल.ए. फण्ड का 60 लाख रुपया, 57 लाख से 3 लाख ऊपर, 60 लाख रुपया पूरा दे दूंगा। (व्यवधान) अगर अलवर यूनिवर्सिटी की घोषणा करें तो। (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय ज्ञानदेवजी, आप विराजिये, आप विराजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 57 लाख ही तो कर रहे हैं, साहब। तो 60 लाख रुपया देने के लिये तैयार हूं और महाराज विश्वेन्द्र सिंहजी से और दो करोड़ रुपया दिलवा दूंगा। (व्यवधान)

श्री सभापति : आप विराजिये, आप विराजिये न। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : 60 लाख मैं और डाक्टर करण सिंहजी भी दे देंगे, अब तो खोल दो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : करण सिंहजी भी दे देंगे और डाक्टर रोहिताश्व भी दे देंगे, हम लोग पूरा बजट दे देगें। अलवर में यूनिवर्सिटी खोलने की घोषणा करें तो 11 के 11 विधायक, अलवर के सब..... (व्यवधान)

मोहम्मद माहिर आजाद : और ऐसा नहीं है, पर्यटन मंत्रीजी कह गये कि उद्योगपति और पूंजीपति कोटा में ही रहते हों। अलवर और भरतपुर के गरीब किसान भी उगा कर यूनिवर्सिटी के लिए पैसा दे देंगे। (व्यवधान) अगर आप पूर्वी राजस्थान के अंदर यूनिवर्सिटी खोलो तो।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, यह अलवर नहीं है, आप विराजिये। माननीय सदस्य, यह अलवर नहीं है आपकी बात कहने का।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : यह विधेयक पर बहस है।

श्री सभापति : माननीय सदस्य विराजिये। माननीय मंत्री महोदय।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सदस्य, आप तो कभी चूरू चले जाएंगे, कभी सीकर आ जाएंगे, कभी और कहीं चले जाएंगे, आपका तो कोई निर्धारित स्थान है नहीं।

श्री सभापति : पारीक साहब, माननीय पारीक साहब विराजिये।

श्री राजेन्द्र पारीक : माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य के साथ तो मुश्किल यह है कि यह उत्तर, पश्चिम, पूर्व, दक्षिण कहीं भी चुनाव लड़ने के लिये चले जाएंगे तो यूनिवर्सिटी इनके पीछे-पीछे थोड़े ही चलेगी?

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये। आप विराजिये, एक बार विराज जाएं पहले।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : पर हम तो परमानेंट हैं। माननीय राजेन्द्रजी, हम तो परमानेंट हैं, वहां 11 के 11 एम.एल.ए. 60 लाख देने के लिये तैयार हैं।

श्री सभापति : आप विराजिये, माननीय ज्ञानदेवजी, आज सबको जाना है। आप विराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय सभापति महोदय, अभी जैसा कि माननीय सदस्यों ने चर्चा

(श्री शैलेन्द्र जोशी)

की, उस के प्रश्नगत होते हुए मैं इस बात को कहना आवश्यक समझता हूं कि आज से 7 दिन पहले माननीय मुख्य मंत्री महोदय अलवर के अंदर उपस्थित थे और उस दिन अलवर डिस्ट्रिक्ट के करीब आधा दर्जन विधायकगण की जो एक सर्वोपरि मांग उन्होंने बतायी.... (व्यवधान)

श्री सभापति : माननीय मंत्री महोदय, नया सब्जैक्ट क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो आप?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : माननीय सभापति महोदय, सही कह रहे हैं, घोषणा करने दीजिए इनको।

श्री सभापति : माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री मानिक चन्द सुराना : सभापति महोदय, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, कहने दीजिए उनको। (व्यवधान) सभापतिजी, उनको रोक क्यों रहे हो? वह अलवर के लिये कोई यूनिवर्सिटी की घोषणा कर रहे हैं तो करने दीजिये।

श्री रोहिताश्व कुमार : सभापति महोदय, महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं, अलवर में क्या किया, वह बता रहे हैं।

श्री सभापति : मंत्री महोदय, इसको जनमत जानने के लिये परिचालित करने का है... (व्यवधान) जो डिबेट है उसका उत्तर दीजिए आप।

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, मैं बहुत संक्षेप में कह रहा हूं कि माननीय सदस्यों ने जो बात की है उसके बारे में...(व्यवधान) आप सुनिएगा तो सही।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप प्रभारी भी हो अलवर के। अलवर के प्रभारी भी हो आप।

मोहम्मद माहिर आजाद : हम भी थे वहां।

श्री शैलेन्द्र जोशी : राजस्थान में यह बात सही है कि सभी सम्भागीय स्तर पर विश्वविद्यालय की स्थापना इस सरकार के द्वारा कर दी गई है। जब सभी सम्भागीय स्तर पर हमने कर दी है, अब जो जिला स्तर पर भविष्य में विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी उसमें एजुकेशनल पोटेंशियलिटी अलवर में बहुत है ... (व्यवधान) उसमें प्राथमिकता पर विचार किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : माननीय मंत्रीजी, संभागीय स्तर पर विश्वविद्यालय पहले से ही हैं, आपने क्या कर दिया? (व्यवधान) सारे सम्भागीय मुख्यालयों पर पहले ही विश्वविद्यालय हैं, कौनसा नया खोल दिया, यह तो बताओ?

श्री सभापति : आप विराजें।

श्री शैलेन्द्र जोशी : जैसे मैंने आपको बोला अलवर जिले में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की बहुत पोटेंशियलिटी है इसलिये आने वाले समय में प्राथमिकता के आधार पर जो अलवर का दर्जा है उसको ऑनर किया जाएगा और प्राथमिकता पर विचार किया जाएगा। (व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : यह भी थोथी घोषणा।

मोहम्मद माहिर आजाद : और भरतपुर का क्या होगा? भरतपुर का क्या होगा? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : और यही अभिव्यक्ति हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने की थी 7 दिन पहले।

श्री राजेन्द्र चौधरी : सभापति महोदय, मंत्री महोदय ने बिलकुल ठीक बात कही है, सदस्य यूं ही उत्तेजित हो रहे हैं। यह अलवर का तो ध्यान रखेंगे, इनका ससुराल है अलवर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : वह तो "जानते हैं जन्नत की सब हकीकत पर दिल बहलाने को गालिब यह खयाल अच्छा है"- आपकी ससुराल के बारे में आपने कहा है।

श्री सभापति : प्रश्न यह है कि कोटा विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को जनमत जानने हेतु परिचालित किये जाने का संशोधन प्रस्ताव स्वीकार किया जाए?

(अस्वीकृत)

विधेयक को जनमत जानने हेतु परिचालित करने का संशोधन प्रस्ताव अस्वीकार किया गया।

प्रश्न यह है कि कोटा विश्वविद्यालय, विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

खण्डशः विचार

खण्डशः विचार खण्ड 2 से 50 तक, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 50 तक स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 50 तक स्वीकार किये गये।

खण्ड एक- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड एक- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड एक- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

माननीय प्रभारी मंत्रीजी प्रस्ताव करेंगे।

विधेयक का पारण

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि कोटा विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को पारित किया जाए।

मोहम्मद माहिर आजाद : सभापति महोदय, अब तो मौका दो। अब थर्ड रीडिंग में तो समय हमारा है। (व्यवधान)

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री हरिसिंह (महुवा) : सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की कार्य सूची के पूरे होने तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति : क्या सदन की अनुमति है?

(स्वीकृत)

समय बढ़ाया गया।

विधेयक का पारण

श्री सांवर लाल : माननीय सभापति महोदय, विश्वविद्यालय खोलना उच्च शिक्षा और शोध के लिये..., उच्च शिक्षा के लिये, शोध के लिये विश्वविद्यालय की स्थापना शुरू हुई और विश्वविद्यालय में कोई सरकारी दखल नहीं होगा इस आधार पर राजस्थान में हिन्दुस्तान में विश्वविद्यालय खोले गये। विश्वविद्यालयों को यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से बहुत बड़ी सहायता मिलती है, सभापति महोदय। शिक्षकों के वेतन के रूप में भी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से बहुत बड़ा हिस्सा मिलता है और हर तरह के शोध वगैरह के लिये भी पैसा मिलता है यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन से। मंत्री महोदय ने विश्वविद्यालय की परिकल्पना के लिये यह जो विधेयक पेश किया है, इसे मैं कतई उचित नहीं मानता हूं। मंत्री महोदय ने हर जगह बेरियर्स लगा दिये, हर जगह सरकारी दखल डाल दिया, फाइनेंस पर कंट्रोल कर दिया। अगर शिक्षक लगाने हैं तो उस पर भी नियंत्रण। और अभी तो एक बिल और लेने जा रहे हैं जहां राजस्थान विश्वविद्यालयों और अन्य विश्वविद्यालयों में लगभग 250-300 जो अस्थाई शिक्षक हैं उनके लिये यह करने जा रहे हैं कि 6 महीने के बाद कोई एक्सटेंशन नहीं होगा। और 6 महीने का एक्सटेंशन भी राज्य सरकार की अनुमति से ही मिलेगा। अब उनके भविष्य का क्या होगा? उनके साथ जो लड़के लगे हुए हैं, जो पढ़ते हैं, जिनको वे पढ़ाते हैं उनके लिये कोई व्यवस्था नहीं, सभापति महोदय। वर्षों से प्रमोशन, वर्षों से सलेक्शन आप नहीं कर पा रहे हैं। 20-20, 25-25 वर्षों से जो शिक्षक कार्यरत हैं उनके बारे में कोई व्यवस्था नहीं और 50-50 लाख का प्रावधान करके आप लोगों के सेंटिमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिये कोटा में विश्वविद्यालय खोल रहे हैं, बीकानेर में विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। वहां पर क्या करेंगे आप? कौन-कौन से संकाय की शिक्षा प्रारम्भ करेंगे? वहां पर किस प्रकार की व्यवस्था करेंगे? शिक्षकों की भर्ती भी समय पर होगी कि नहीं होगी? आपने जो हायर एजुकेशन की हालत इन 4 सालों में बनायी, सब जगह गैस्ट लैक्चरर लगा दिये। आपके सरकारी महाविद्यालयों में शिक्षक नहीं और आपके पास यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का पैसा आया हुआ है, करोड़ों रुपये सरकारी खजाने में पड़े हुए हैं, सभापति महोदय, साल साल भर का समय हो गया उनको आप नहीं दे पा रहे हैं। फिजीकल डायरेक्टर जिन यूनिवर्सिटीज में लगे हुए हैं उनका आप प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, उनके एरियर का भुगतान नहीं कर रहे। काले नाग की तरह उस यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के फण्ड के ऊपर आप बैठे हुए हैं। तो यह निश्चित रूप से यूनिवर्सिटी की परिकल्पना नहीं हो सकती है। सभापति महोदय, अगर वास्तव में यूनिवर्सिटी बनानी है, वास्तव में आप शोध को प्रोत्साहन देना चाहते हैं, आज शोध में हिन्दुस्तान की

(17.00 बजे)

हालत और राजस्थान की हालत बहुत कमजोर है। विदेशों के मुकाबले में यहां पर हम बहुत कम अच्छा शोध कार्य कर पा रहे हैं जिनके

(श्री सांवर लाल)

नतीजे आते हों और जिनकी समाज में कोई उपयोगिता रही हो। इसलिए मेरा निवेदन है कि जो अधिनियम आप लाये हैं, अधिनियम में जितने बेरियर्स आपने लगाये हैं, उनको हटाइये। जो आपने व्यवस्था की है फण्ड की, 50-50, 60-60 लाख रुपये से अगर विश्वविद्यालय खोल रहे हैं तो सारे ही एम.एल.ए. दे देंगे आपको, तो फिर ये दुकानें हर जगह खोल दो। इसलिए इसके ऊपर आप विचार कीजिए।

आपने कहा कि हमने कोटा खुला विश्वविद्यालय पहले से है उसका नाम वर्धमान जैन विश्वविद्यालय कर दिया। कई जगह पर आपने समाज सेवियों के नाम से और प्रतिष्ठित लोगों के नाम से किया है। आपने राजस्थान के गांवों के ज्यादातर लोगों की भावना है, जो अपने राजस्थान में लोक देवता रहे हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति रहे हैं, उनके बारे में भी कभी विचार किया क्या? आज तेजाजी के प्रति बहुत सम्मान है, बीकानेर यूनिवर्सिटी आप खोल रहे हैं, उसका नाम वीर तेजाजी यूनिवर्सिटी क्यों नहीं करते? कोई भी जाति हो, कोई भी बिरादरी हो, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी के अंदर आप जाइये, तेजाजी की पूजा करते हैं, श्रद्धा रखते हैं, उनके नाम की परिकल्पना आपके दिमाग में नहीं आती है। क्या रामदेवजी के नाम की याद नहीं आती? देवनारायण भगवान का नाम आपके दिमाग में नहीं आता? अगर इन लोगों के नाम पर आप विश्वविद्यालय खोलेंगे तो लोगों की भावना बढ़ेगी और वे वास्तव में महसूस करेंगे कि अगर इस विश्वविद्यालय में पढ़ेंगे तो निश्चित रूप से हमको कुछ लाभ मिलेगा। तो मेरा निवेदन है कि यूनिवर्सिटी खोलने का यह विधेयक पास करवा रहे हो, आपकी भावना शुद्ध होनी चाहिए। अगर भावना शुद्ध नहीं है तो केवल कागजों में और चुनाव आ गये इसलिए कोटा विश्वविद्यालय विधेयक पास करवा रहे हो, बीकानेर विश्वविद्यालय विधेयक पास करवा रहे हो। अभी माननीय सदस्य कह रहे हैं, उनकी तो आपको परवाह ही नहीं है, न अलवर की है और न भरतपुर की है। आलरेडी यूनिवर्सिटीज चली हुई हैं क्या आज कोटा में यूनिवर्सिटी नहीं हैं? आप कह रहे हो कि हमने सारे सम्भाग मुख्यालयों पर यूनिवर्सिटी खोल दी, कोटा में पहले से यूनिवर्सिटी नहीं है?

श्री शैलेन्द्र जोशी : सामान्य शिक्षा की नहीं है, ओपन यूनिवर्सिटी है?

श्री सांवर लाल : सामान्य शिक्षा तो आप रहेंगे जब तक चालू ही नहीं कर सकते हो कहीं पर।

श्री शैलेन्द्र जोशी : ऐसा है कि आप तो प्रोफेसर हैं और आप राजस्थान विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं इसलिए आप को ज्यादा मालूम है क्वालिटेटिव एजुकेशन का मेरे से ज्यादा, इसलिए आप कुछ तो ऐसे उपादेयता के सुझाव दीजिये कि जिससे ऐसा लगे कि वास्तव में प्रोफेसर साहब, मतलब आप अपने विचार रखते हुए कुछ लाभान्वित कर रहे हैं माननीय सदस्यों को। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मैंने आपको बताया है।

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप बानगी के रूप में कुछ तो प्रकट कीजिये।

श्री सांवर लाल : आपने जो बेरियर लगाये हैं ये हटाइये इन बिलों में से। सरकारी अंकुश कम से कम करिये। क्या आप समझते हैं कि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अन्दर जो स्टाफ है, वाइस चांसलर है, वे इस प्रकार का नियंत्रण नहीं रख सकते हैं? अगर यह विश्वास आप में नहीं है, आप पैसा देते हो बहुत कम, नियंत्रण रखते हो सारा तो यह चलने वाली बात नहीं है, मंत्री महोदय। आज यूनिवर्सिटी में जो काम करने वाले अध्यापक हैं, बड़े-बड़े प्रोफेसर हैं, उनमें यह भावना घर करती जा रही है कि आप यूनिवर्सिटी को एक सरकारी संस्थान बनाना चाहते हैं। यह कतई उचित नहीं है। आप रिसर्च की फैसिलिटी अवेलेबल करवाइये। यू.जी.सी. ग्रांट कमीशन से जो पैसा आता है, उस पैसे का रिसर्च में उपयोग हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसकी जानकारी आप ले सकते हैं यूनिवर्सिटी से।

श्री रोहिताश्व कुमार : यह है सुझाव।

श्री सांवर लाल : कितने आज तक रिसर्च स्कालर निकले हैं, कितने शोध ग्रंथ हुए और इनके क्या-क्या फायदे समाज को मिले हैं, इन चीजों को आप सदन में बताइये कि हमारे राजस्थान विश्वविद्यालय में इतने विषयों के ऊपर शोध हुआ है, बीकानेर कृषि विश्वविद्यालय में इन पर हुआ है। ये सारी चीजें जानकारी में आएं तब हम कह सकते हैं कि वास्तव में विश्वविद्यालय की कोई उपादेयता है। जो शिक्षकों की बात है, शिक्षकों की भर्ती अगर सरकार को पूछ कर करेंगे तो एडमिशन तो हो जाएंगे वहां पर। और लड़के छोटे नहीं हैं, बहुत बड़े-बड़े लड़के पढ़ते हैं वहां पर, बारहवीं पढ़ने के बाद तो आप टीचर्स समय पर नहीं लगा पाएंगे। समय पर नहीं लगा पाएंगे तो फिर कालेज में रोळे होंगे, इसलिए इनके ऊपर भी आप थोड़ा ध्यान रखिये कि शिक्षक लगाने की स्वतंत्रता भी इनको मिले। और कम से कम लोक देवता के नाम पर एक विश्वविद्यालय का नाम करने का जो मानस बनाइये आप जिससे राजस्थान की जनता को मैसेज जाए। चुनाव का वर्ष है, अगर आप कर देंगे वीर तेजाजी विश्वविद्यालय, बीकानेर को, तो आपका नाम होगा, मैं यही कहना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : बाबा रामदेव यूनिवर्सिटी।

श्री सांवर लाल : बाबा रामदेव, देवनारायण।

श्री राजेन्द्र पारीक : सांवलिया सेठ का नाम भी ले लो।

श्री सांवर लाल : सांवलिया सेठ का, किसी नेता का नाम नहीं ले रहा हूं मैं इसमें।

मोहम्मद माहिर आजाद (नगर) : माननीय सभापति महोदय, अभी बीकानेर विश्वविद्यालय विधेयक पास किया गया और अब कोटा विश्वविद्यालय विधेयक को आप पारित करने जा रहे हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि लार्ड मैकाले द्वारा बनाई हुई हमारी शिक्षा पद्धति आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हायर डिग्रीधारियों की संख्या बहुत कम होती थी, लेकिन जो मैट्रिक और इंटर भी होते थे उनका ज्ञान आज के एम.ए. और बी.ए. पास से ज्यादा होता था। आज उच्च

(मोहम्मद माहिर आजाद)

शिक्षा के अंदर जो डिग्रीधारियों का प्रतिशत बढ़ा है वह कोई ज्ञान अर्जन करने के लिए नहीं बढ़ा है, आज जो हायर एजुकेशन की तरफ नौजवानों का प्रतिशत बढ़ रहा है वह केवल बेरोजगारी को छुपाने के लिए बढ़ रहा है। जब लड़का मैट्रिक पढ़ लेता है और उसको नौकरी नहीं मिलती है तो हायर सैकण्डरी करता है। हायर सैकण्डरी करने के बाद भी नौकरी नहीं मिलती है तो बी.ए. में प्रवेश ले लेता है। बी.ए. करने के बाद भी उसको नौकरी नहीं मिलती है तो एम.ए. कर लेता है। एम.ए. करने के बाद भी अगर नहीं मिलती है तो एलएल.बी. कर लेता है। यानि, वह डिग्री हासिल किये जा रहा है केवल अपनी बेरोजगारी को छुपाने के लिये, क्योंकि कोई उससे पूछे कि आप क्या करते हो, अभी मैं पढ़ रहा हूं। अगर पढ़ाई छोड़ दे और पूछे, क्या कर रहे हैं, मैं रोड मास्टरी कर रहा हूं, वह बड़ा अपमान महसूस करता है। ये वास्तविक बातें हैं, हकीकत बात है। आप रोजगार देने की व्यवस्था तो करो नहीं और यूनिवर्सिटी आप खोले चले जाओ।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान की जो भौगोलिक स्थिति है, जलवायु की दृष्टि से राजस्थान को बांट रखा है, राजस्थान तीन हिस्सों में विभाजित है। एक शुष्क क्षेत्र, जिसमें पश्चिमी राजस्थान आता है, दूसरा आर्द्र क्षेत्र, जिसमें मेवाड़ और हाड़ौती का क्षेत्र आता है और तीसरा अर्द्ध शुष्क क्षेत्र जिसमें पूर्वी राजस्थान के सात जिले, अलवर, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाईमाधोपुर, दौसा आते हैं। माननीय सभापति महोदय, हम शिक्षा का प्रचार-प्रसार करना चाहते हैं, हम विश्वविद्यालयों की संख्या और कॉलेजों की संख्या में बढ़ोतरी करना चाहते हैं लेकिन केवल राजस्थान के एक ही हिस्से के अंदर करने का अगर हम इरादा रखते हैं तो यह मेरी दृष्टि से न्यायोचित नहीं है। जहां आलरेडी यूनिवर्सिटी मौजूद है जोधपुर में दो यूनिवर्सिटी पहले से ही थीं, लॉ यूनिवर्सिटी आप खोल रहे हैं, वह भी जोधपुर में खोली, बीकानेर में आलरेडी कृषि विश्वविद्यालय है। आज स्थिति क्या है कृषि विश्वविद्यालय की? भरतपुर और अलवर को, करौली, टोंक, सवाईमाधोपुर को आपने बीकानेर के साथ लगा रखा है। आज स्थिति यह है कि नौगावां में भी 400 बीघा जमीन कृषि विपणन केन्द्र के पास पड़ी है, कुम्हेर में 500 बीघा जमीन है, दौसा में सैकड़ों बीघा जमीन है, सवाईमाधोपुर में भी है, इस जमीन का भी उपयोग हो सकता है। इसमें रिसर्च हो सकता है, यहां भी परीक्षण, बीज, पानी के ऊपर काम हो सकता है। मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि जहां आलरेडी यूनिवर्सिटी है, वहां आप और विश्वविद्यालय खोल रहे हैं। मैं विश्वविद्यालय खोलने के खिलाफ नहीं हूं, आप चाहे बीकानेर में खोले, चाहे कोटा में खोले, लेकिन मैं यह मांग आपके माध्यम से माननीय उच्च शिक्षा मंत्रीजी से करना चाहता हूं कि पूर्वी राजस्थान के सात जिले हैं जिससे इतने बड़े-बड़े लोग आते हैं। माननीय ग्रामीण विकास मंत्रीजी बैठे हैं, माननीय सरकारी मुख्य सचेतकजी बैठे हैं, माननीय समाज कल्याण राज्य मंत्रीजी, कारागार मंत्रीजी बैठे हैं और स्वयं उच्च शिक्षा मंत्रीजी, आप वहां से हैं, डाक्टर साहब भी वहां से आते हैं, वित्त मंत्रीजी वहां से आते हैं, खाद्य मंत्रीजी भी वहां से आते हैं, उस क्षेत्र की इतनी खराब स्थिति हो रही है।

(मोहम्मद माहिर आजाद)

माननीय ज्ञानदेव आहूजाजी ने जो बात कही है वह बिलकुल सही है। मैं तो आपके माध्यम से यही निवेदन करना चाहता हूं कि हम भी राजस्थान का हिस्सा हैं, हमें आप उत्तरप्रदेश या मध्यप्रदेश का मत समझिये। इस पूर्वी राजस्थान का भी राजस्थान को बनाने में, राजस्थान के विकास में बड़ा सहयोग है, इसलिए आप पूर्वी राजस्थान के अंदर भी यूनिवर्सिटी खोलें। कोटा और बीकानेर में आप एक-एक और खोल दें, और भले ही खोल दें, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन भरतपुर के अन्दर डी.आई.जी. रेंज भी है, या अलवर में जहां से आपका फीड बैक भी आता है, सात-सात कालेज नीचे हैं और वहां पर बात भी हुई है। आपने आज यह बात तो कह दी कि यह तय हुआ है, लेकिन आप भविष्य में जब भी अब नया विश्वविद्यालय खोलें, पूर्वी राजस्थान का आप उसमें ध्यान रखेंगे, पूर्वी राजस्थान के लोगों के साथ अन्याय नहीं करेंगे, यह मैं आसन के माध्यम से आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति : माननीय मंत्रीजी, थोड़ा संक्षेप में लीजिए।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : मुझे बोलने दीजिए, साहब।

श्री सभापति : एक बिल और आएगा। एक बिल और आ रहा है, उसमें बोल लेना। मुझे एतराज नहीं है, सबको जाना है इसलिए मैं आपको कह रहा हूं। अगले वाले में बोल लेना।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : अभी ही बुला दो।

श्री सभापति : फिर बुला देंगे।

श्री शैलेन्द्र जोशी (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) : माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य प्रोफेसर सांवर लाल जाटजी ने जो बोला है कि सरकारी दखल बढ़ता जा रहा है, ऐसा कदाचित नहीं है अपितु यह पहली बार राजस्थान सरकार ने चिंता व्यक्त की है कि राजस्थान यूनिवर्सिटी में और राजस्थान के अन्य विश्वविद्यालयों में हमने जो एक्ट के द्वारा पावर दिये थे उन पावर का फाइनेंशियली मिस्मैनेजमेंट हुआ, मेल-एडमिनिस्ट्रेशन हुआ। राजस्थान विश्वविद्यालय में 289 लैक्चरर टैम्परेरी हैं, एडहॉक हैं और यह स्थिति 15 साल से चली आ रही है। एक माननीय प्रोफेसर महोदय तो रिटायर भी हो गये। टैम्परेरी कैपेसिटी से ही। ऐसी विकट स्थिति में, ऐसी त्रिशंकु स्थिति में जबकि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के कई स्टे आ गये, वर्डिक्ट आ गये और कोई भी इसका क्योर नहीं निकला, तब राजस्थान सरकार ने चिंता की। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ : यह एक्ट बाद में आएगा, कहां से बोल रहे हो? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : भिनाय से आने वाले माननीय प्रोफेसर जो बोल गये, उसका उत्तर तो सुनने में एतराज नहीं होना चाहिये आपको। आप इस पार्टी के उप नेता हैं और अभी-अभी निर्वाचित हुए हैं, थोड़े दिन तो लाज रखो इस पद की। (व्यवधान)

श्री सभापति : थोड़ा संक्षेप में लीजिये। माननीय मंत्रीजी, थोड़ा संक्षेप में लीजिये।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : उपाध्यक्ष है। (वयवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : डा. रामप्रतापजी भी हैं। आप चीफ व्हिप हैं। आप प्रतिपक्ष के चीफ व्हिप हैं इसलिए आपका भी सम्मान उतना है जितना डा. रामप्रतापजी का।

(17.10 बजे)

(श्री देवेन्द्र सिंह, उपाध्यक्ष, पदासीन)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : लेकिन आप इस बात को तो समझिये कि डा. रामप्रतापजी हैं।

श्री शैलेन्द्र जोशी : डा. रामप्रतापजी हैं और व्हिप है अब। आप नॉमिनेटेड हैं, मुझे मालूम है। फिर भी हम यह मानते हैं कि इलेक्टेड हैं आप।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता था, भिनाय से आने वाले माननीय सदस्य यदि कोई ऐसा प्रस्ताव लाएं जैसा कि उन्होंने अपने मन की इच्छा प्रकट की है, तो उस पर सरकार सोचेगी, गौर करेगी। आपके सदन में कह देने मात्र से अगले स्तर पर कार्यवाही नहीं होगी। आप वीर तेजाजी या और किसी के नाम का प्रस्ताव लाएंगे तब बात विचारणीय होगी।

श्री सांवर लाल : और जगह नामकरण हुए हैं, और जगह नाम हुए हैं, उनका प्रस्ताव आया था क्या सदन में?

श्री शैलेन्द्र जोशी : सभी जगह प्रस्ताव आता है, बगैर प्रस्ताव के कागज आगे नहीं चलता है। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : महावीर दिगम्बर वाला प्रस्ताव कहां आया था? सरकार की तरफ से ही प्रस्ताव आ जाए तो क्या आपत्ति है? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह (महुवा) : हीरासिंहजी चौहान ने अजमेर विश्वविद्यालय के लिये रखा था, उसमें आपकी तरफ से क्या नुकसान है? आप को कौनसा पर्दा लग रहा है? ...(व्यवधान)

श्री सांवर लाल : हां, मेरी तरफ से दे दूंगा। मैं दे दूंगा न। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आपको एक कागज लिखने में मैं नहीं समझता कि कोई तकलीफ, दिक्कत, मुसीबत होगी। (व्यवधान)

श्री सांवर लाल : मैं, उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव करता हूं कि बीकानेर विश्वविद्यालय का नाम श्री वीर तेजाजी के नाम से कर दिया जाए। (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : आप लिखित में लाइये, उसका समर्थन कीजिये। उसका बैक ग्राउण्ड बताइये। सब कुछ लाइये सही तरीके से।

श्री रोहिताश्व कुमार : इसके बारे में प्रस्ताव लाने की जरूरत क्या है? (व्यवधान)

श्री शैलेन्द्र जोशी : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं अन्त में, नगर से आने वाले माहिर आजाद ने जो चिंता व्यक्त की कि पूर्वी राजस्थान के ये चार-पांच जिले हैं, इनमें विश्वविद्यालय नहीं है, इस बारे में यह निवेदन करना चाहूंगा, और मैं इस बात से सहमत हूं...(व्यवधान)

श्री रोहिताश्व कुमार : हम संतुष्ट हैं आप से, आप विराजिये।

श्री शैलेन्द्र जोशी : मैं इस बात से सहमत हूं कि सम्भागीय स्तर पर विश्वविद्यालय सब खुल चुके हैं, अब जिला स्तर पर जब विश्वविद्यालय खुलने की स्थिति प्रारम्भ होगी, उस समय निश्चित तौर पर अलवर, जो कि शिक्षा का बड़ा क्षेत्र है, उसका नाम रखकर विचार किया जाएगा।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि कोटा विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

कोटा विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 पारित किया गया।

शासकीय वक्तव्य

बस्सी जिले में स्पेशल श्रेणी के कृषि विद्युत कनेक्शन

माननीय बिजली मंत्री, आपका स्टेटमेंट। स्टेटमेंट मांगा है बिजली मंत्रीजी से, दिला रहे हैं न।

श्री रामनारायण चौधरी (ऊर्जा मंत्री) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, कल बस्सी से आने वाले माननीय विधायक ने स्पेशल श्रेणी के कृषि कनेक्शन के सम्बन्ध में नियम 295 के तहत सदन का ध्यान आकर्षित किया था। उस समय मैं उपस्थित नहीं था, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से माननीय उप मुख्य मंत्री महोदया डा. कमला जी ने आज ऊर्जा मंत्री की तरफ से वक्तव्य देने की बात कही थी, उस अनुसरण में आपकी अनुमति से मैं इस सम्बन्ध में यह स्टेटमेंट संक्षेप में देना चाहता हूं।

मान्यवर, राज्य सरकार ने हरा चारा उगाने के लिये स्पेशल योजना लागू की थी तथा अंतिम बार 15 मई, 2002 से 30 जून, 2002 तक इच्छुक कृषकों से आवेदन पत्र मांगे गये थे। सम्पूर्ण राज्य में इस योजना के अन्तर्गत तीन चरणों में 56,169 आवेदन पत्र प्राप्त हुए जिनमें से 32,834 आवेदकों को माह फरवरी, 2002 तक कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं। वर्तमान में 4,295 आवेदकों की मांग पत्र की राशि जमा हो चुकी है जिन्हें कनेक्शन तुरन्त दिये जा रहे हैं तथा शेष बचे आवेदकों को मांग पत्र जारी करने की प्रक्रिया चालू है। मांग पत्र जमा करवाने वाले समस्त आवेदकों को जून, 2003 तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे। स्पेशल स्कीम में जिन आवेदकों के मांग पत्र लाइन में बी.आर. 8 प्रतिशत से अधिक होती है उन्हें 11 के.वी. वोल्टेज को सही करके ही कनेक्शन दिये जाएंगे। यह शर्त स्पेशल स्कीम के लिये शुरू से ही लागू है। यह शर्त सभी श्रेणी के कनेक्शनों के लिये लागू थी परन्तु अकाल को ध्यान में रखते हुए

(श्री रामनारायण चौधरी)

साधारण श्रेणी के आवेदक, जिनकी बारी आने में लगभग 10-15 वर्ष का समय लगता है, उसमें मात्र एक बार के लिये छूट प्रदान की गयी है। अन्य किसी भी श्रेणी के आवेदकों को यह छूट देय नहीं है। जिन आवेदकों के 11 के.वी. बी.आर. 8 प्रतिशत से अधिक हैं, उन्हीं लाइनों के वोल्टेज सुधार का कार्य हाथों में लिया जा रहा है तथा उनका तीव्र गति से कार्य पूर्ण किया जा रहा है। वर्ष 2002-03 में विद्युत वितरण निगमों में लगभग 100 से अधिक 33/11 के.वी. सब-स्टेशन बनाये गये तथा वोल्टेज सुधार करके इन क्षेत्र के आवेदकों को कनेक्शन प्रदान किये गये। वर्ष 2003-04 में भी इसी प्रकार नये सब-स्टेशन बनाकर 11 के.वी. के नये फीडर खींचकर स्पेशल स्कीम के बचे हुए आवेदकों को कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। क्योंकि वोल्टेज सुधारने में कहीं-कहीं समय लगने की सम्भावना रहती है, अत: जो आवेदक अधिक समय तक इंतजार नहीं कर सकते, उनको अपनी जमा राशि को वापस लौटाने का प्रावधान विद्युत मण्डल के समय से सदैव रहा है। जो कृषक वोल्टेज सुधार की प्रतीक्षा करके कनेक्शन लेना चाहते हैं, उन्हें पैसा वापस लौटाने की बाध्यता नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी में स्पेशल स्कीम श्रेणी के कुल 970 आवेदकों ने 12 हजार रुपये जमा करवाये थे जिनमें से माह फरवरी, 2003 तक 509 कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं तथा जो आवेदक 8 प्रतिशत बी.आर. की सीमा में आते हैं उनको मांग पत्र जारी कर जून, 2003 तक कनेक्शन दे दिये जाएंगे। शेष बचे 300 आवेदक, जिनकी 33 के.वी. बी.आर. 8 प्रतिशत से अधिक है, उन्हें वोल्टेज सुधार करने के पश्चात् कनेक्शन देय होंगे। विधान सभा क्षेत्र बस्सी में देव गांव में 33/11 के.वी. का सब-स्टेशन का कार्य लगभग पूर्ण है तथा माह अप्रैल, 2003 में चालू होने की पूर्ण सम्भावना है। इस क्षेत्र की 11 के.वी. वोल्टेज अधिक होने वाले अन्य फीडरों का तकनीकी रूप से अध्ययन करवाकर इसी वित्तीय वर्ष में ही सबका कनेक्शन करवाने की योजना है।

श्री उपाध्यक्ष : आपको कुछ पूछना है?

श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने बताया, 500 कुछ कनेक्शनों में से स्पेशल योजना के 300 कुछ कनेक्शनों के आपने जो नोटिस दे दिये कि पैसा वापस ले जाओ स्पेशल योजना के, एक तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि 300 व्यक्तियों को जो आपने नोटिस दिये हैं कि आप अपने पैसे वापस ले लें, जनवरी, 2000 में जमा कराये थे 12 हजार रुपये। आपके इस सिस्टम में कोई डवलप करके इन 300 कनेक्शनों को आपको देना चाहिये। आप वापस उनसे पैसे लेने का कह रहे हो 2000 के बाद में, बिना किसी ब्याज के। किसान ने इसलिए महंगी बिजली लेना पसन्द किया था कि जल्दी नम्बर आ जाएगा और जल्दी उसको बिजली मिल जाएगी। आपने वादा किया था कि तीन महीने में मैं कनेक्शन दूंगा, तीन महीने में कनेक्शन दे देंगे, लेकिन तीन महीने के बजाय दो साल होने के बाद में आप

(श्री कन्हैया लाल)

कनेक्शन नहीं देकर उनकी राशि उल्टी लौटा रहे हो।

दूसरा, मेरा आपसे निवेदन है, पांच हजार की आबादी के जो गांव थे उनके लिये आपने कहा था कि 24 घंटे बिजली देंगे, उनको 24 घंटे बिजली नहीं देकर शेष अन्य के हिसाब से आप बिजली दे रहे हो। साथ ही मेरा निवेदन है कि आज विद्यार्थियों की परीक्षाएं चल रही हैं, देश आजाद हुआ, उससे पहले जैसे अंधेरे में चिमनी लेकर पढ़ते थे, आज उसी प्रकार से आपके राज में विद्यार्थी चिमनी में अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है। मेरा आपसे निवेदन है कि जब तक विद्यार्थियों की परीक्षा चले, एक माह डेढ़ माह परीक्षा चलेगी, कम से कम उस समय सिंगल फेज पूरी रात्रि आप दें।

श्री उपाध्यक्ष : और कोई माननीय सदस्य?

श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) **:** उपाध्यक्ष महोदय, मैं विद्युत मंत्रीजी के ध्यान में यह लाना चाहता हूं, आपने यह स्पेशल स्कीम जारी की, यह तो अपनी जगह सही है। श्रीडूंगरगढ़ में 150 ट्यूबवैल बनाने की स्वीकृति आपके अधिकारियों ने दे दी, उन कुंए वालों ने ट्यूबवैल बना लिये और उसका तहसीलदार से वैरिफिकेशन करा कर आपके अधिकारियों को दे दिया। अब अधिकारी उन 150 काश्तकारों को जिन्होंने चार चार लाख रुपये खर्च किये हैं, 6 करोड़ रुपये का विनियोजन किया है, उनको कनेक्शन नहीं दे रहे हैं जबकि उन्होंने विधिवत उनको कहा था कि आप ट्यूबवैल बनाएं। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करता हूं और यह निवेदन करूंगा कि आप इस सम्बन्ध में अधिकारियों से आवश्यक जानकारी कर आवश्यक आदेश उन्हें प्रदान करें ताकि उनको ट्यूबवैल का कनेक्शन मिल सके।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी कुछ पूछ लेना। पीछे भी पूछ रहें है वह। हां, हां, आप बोलो।

श्री आदराम मेघवाल (टिब्बी) **:** उपाध्यक्ष महोदय, बिजली पर चर्चा चल रही है।

श्री उपाध्यक्ष : चर्चा नहीं चल रही है।

श्री आदराम मेघवाल : चर्चा ही चल रही है, बात दूसरी बता दो। 132 के.वी. का रावतसर, टिब्बी में...(व्यवधान) सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, एक-एक सब स्टेशन का जवाब देने की स्थिति में अभी नहीं हैं। जो स्टेटमेंट आया है...(व्यवधान)

श्री आदराम मेघवाल : कब खोलोगे? 132 के.वी. का न तो टिब्बी में है, न रावतसर में है, कनेक्शन तो दूर रह गया। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : यों तो हर माननीय सदस्य 132 के.वी. का मांगने लग जाएगा तो कहां से लाएंगे? माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय को एक मैसेज दे रहा हूं। जो इनके जोधपुर वितरण निगम...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजिये आप, वो बोल रहे हैं। आपको बोलने देंगे न। एक-माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री आदराम मेघवाल : समस्या यह है कि 132 के.वी. का नहीं है। मतलब, 30-30 हजार वोटों के गांव हैं, शहर है और 33 के.वी. का ही है, 132 के.वी. का दोनों ही जगह नहीं है। तो कनेक्शन तो दूर रह गया, 132 के.वी. का जरूरी है। लोड पड़ रहा है, हजार-हजार ट्यूबवैल हैं फोर भी हैं। यह भी जरूरी है। अब आगे आपकी मर्जी। (व्यवधान)...गोधुनगर तो दूर रहा, रावतसर और टिब्बी तो करवा दो न। समस्या तो है ही।

श्री उपाध्यक्ष : विराजो।

श्री केसाराम चौधरी (खारची) : उपाध्यक्ष महोदय, गांवों में जो बिजली की स्थिति हो रही है, वास्तव में बहुत ही जबरदस्त और दयनीय स्थिति है और गांवों में बिलकुल लाइट नहीं मिल रही है। इस तरह का आपका एक आदेश निकला है-

"Copy of the message no. 91 dated 10.02.2003 from the Superintending Engineer (Power Controller), Jodhpur Discom : To Executive Engineer (220 KV GSS)/Assistant Engineer (132 KV GSS) \nodel officers and copy to circle officers. No supply be given in rural areas between 5.00 PM to 6.00 PM and 10.00 PM to 11.00 PM. Only single phase be supply given between 6.00 PM to 10.00 PM. If any load drawn in rural areas between 6.00 PM to 10.00 PM, please disconnect the supply of rural area. Compiance strictly adhere."

यह एक सर्कुलर निकाला है। इस तरह गांवों की जनता के साथ आप क्या करना चाह रहे हो? अगर लोड कोई लेवे और पूरे क्षेत्र की बिजली काट दे...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, यह क्या करना चाहते हैं जिसकी चिंता नहीं, आप क्या कहना चाहते हो जो बता दो।

श्री केसाराम चौधरी : मैं यह बोलना चाह रहा हूं, उपाध्यक्ष महोदय, कि गांवों और शहरों के बीच यह सरकार इस तरह से भेद कर...

श्री उपाध्यक्ष : सरकार छोड़ो, आप काश्तकार के लिए क्या फायदा कराना चाहते हो, वह बोलो न।

श्री केसाराम चौधरी : काश्तकार के लिए 8 प्रतिशत बी.आर. की छूट दी जाए।

श्री उपाध्यक्ष : हां, यह बात बोलो न।

श्री केसाराम चौधरी : जो 8 प्रतिशत की छूट साधारण श्रेणी में दी गयी है इसी तरह से, स्पेशल कैटेगरी में भी 8 प्रतिशत वी.आर. में छूट दी जाए। यह हरा चारा उगाने के लिए अकाल की वजह से कनेक्शन है, आपने इसलिए स्कीम निकाली थी कि काश्तकार अपने पशुओं को पालने के लिए हरा चारा उगाए और कनेक्शन लेकर अपने पशुओं को पाल सके। साधारण श्रेणी में जब छूट दे दी है तो स्पेशल श्रेणी में भी छूट दी जाए। जिस तरह से आपके अधिकारी लोग 8 प्रतिशत वी.आर. के चक्कर में लूट रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : हो गया, माननीय सदस्य।

श्री केसाराम चौधरी : मारवाड़ जंक्शन में एक कनेक्शन अभी कोर्ट के आदेश से आपको करना पड़ा। एक कनेक्शन में 8 प्रतिशत में वी.आर. का पहले तो फिजिबल बताया, फिर उसका डिमांड जारी किया, फिर उसी कनेक्शन को अनफिजिबल बताया और फिर उसको कैंसिल किया। फिर कोर्ट ने आदेश किया तो अब वो ही कनेक्शन, उसी जगह पर, उसी लाइन पर, न वी.आर. बढ़ाया न कोई दूसरी बात की, फिर भी वह कनेक्शन आज चल रहा है। तो ऐसे काम आपके राज में हो रहे हैं। तो क्या आप 8 प्रतिशत वी.आर. की छूट देना पंसद करेंगे अथवा नहीं?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मिर्धाजी।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा (डेगाना) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे ही राजस्थान में चार साल से लगातार अकाल पड़ रहा है, राजस्थान का काश्तकार मारा गया। स्पेशल योजना के तहत जिन काश्तकारों ने कनेक्शन लिया, उन्होंने पैसे पूरे भरे और आज यूनिट की रेट भी पूरी दे रहे हैं। राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि दो साल पूरे होने पर इनको सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर देंगे।

मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे ही राजस्थान में चार साल से लगातार अकाल पड़ रहा है, राजस्थान का काश्तकार मारा गया। स्पेशल योजना के तहत जिन काश्तकारों ने कनेक्शन लिया, उन्होंने पैसे पूरे भरे और आज यूनिट की रेट भी पूरी दे रहे हैं। राज्य सरकार ने यह घोषणा की थी कि दो साल पूरे होने पर इनको सामान्य श्रेणी में परिवर्तित कर देंगे। मैं आपके माध्यम से ऊर्जा मंत्रीजी से यह मांग करता हूं कि आज तक उन कनेक्शनों को सामान्य श्रेणी में परिवर्तित नहीं किया गया, आप राजस्थान के किसानों के साथ न्याय करें। जो आपने वादा किया, जिन किसानों के दो साल उन कनेक्शनों को पूरे हो गये उनको सामान्य श्रेणी में परिवर्तित करें।

उपाध्यक्ष महोदय, बिजली कम्पनियां नाजायज तरीके से चैकिंग कर रही हैं, 10 एच.पी. की मोटर है उसका 30 एच.पी. का शीट भर रहे हैं, किसी के 40 का भर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करता हूं कि इस चैकिंग को रोका जाए और जो काश्तकारों को बिना वजह परेशान करते हैं, उस पर आप रोक लगाएं।

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय

श्री उपाध्यक्ष : एक मिनट, आपका सब्जैक्ट नहीं है। श्री सुरेन्द्र गोयल।

श्री मदन दिलावर : है। +++ श्रीमान्, कैसे नहीं है?

श्री उपाध्यक्ष : विराजिये।

श्री सुरेन्द्र गोयल (जैतारण) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है ऊर्जा मंत्रीजी से, जैसे रिछपालजी ने बताया कि चाल साल से भयंकर अकाल है और इस समय लोगों के फसलें नहीं

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

(श्री सुरेन्द्र गोयल)

हुईं। वर्षा ज्यादा होने से हमारे उधर जीरे की फसल पूरी ही खराब हो गयी। वैसे ही बिजली चार-छह घंटे मिल रही है, जल स्तर बहुत नीचे चला गया है और काश्तकारों के इनकम कुछ है नहीं, तो बिजली के बिल की थोड़ी छूट दी जाए। जो काश्तकार समय पर नहीं भर रहे तो अकाल के समय में 4-6 माह की छूट देकर उनको कुछ न-कुछ राहत दिलाएं, जिससे कम से कम वो अपना परिवार पाल सकें।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा दूसरा निवेदन है कि अकाल के समय में इनकी जो विजिलेंस की टीम है, कुओं का जल स्तर बहुत नीचे चला गया है, जो मोटर 25 हार्स पावर की है उसको वे पता नहीं कहां से, जापान से मशीन लाये, मोटर में लगाते हैं और उसको 40 हार्स पावर की बताते हैं। 25 हार्स पावर की मोटर है उसको 40 हार्स पावर की मोटर बता कर शीट भर देते हैं और 50-50 हजार, 60-60 हजार रुपये निकाल देते हैं। अब आप सोचें कि जो बिल के पैसे जमा नहीं करवा सकता है...

श्री उपाध्यक्ष : संक्षेप में। आप क्वेश्चन पूछ लो।

श्री सुरेन्द्र गोयल : मैं संक्षेप में ही कह रहा हूं। मैं यही निवेदन कर रहा हूं, दो-तीन क्वेश्चन हैं।

एक तो यह कि वह शीट भर रहे हैं तो कम से कम ऐसी व्यवस्था करें कि जो 25 हार्स पावर की मोटर है, वापस चैक कर-करके उनके पैसे निकाले हैं, उनको माफ किया जाए वर्ना संकट की घड़ी होगी उनके साथ। वो कनेक्शन काटने पर उतारू हैं। घर बेचने जैसी पोजीशन है। उपाध्यक्ष महोदय, तो इसमें कम से कम थोड़ी शिथिलता बरतें।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय अमरारामजी। आपको बुलाऊंगा, आप चिंता मत करो। वह भी माननीय सदस्य बैठे हैं। सब एक तरफ थोड़े ही हैं।

श्री अमराराम (धोद) : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, विद्युत मंत्रीजी से एक तो मेरा यह निवेदन है कि जब से स्पेशल योजना आपने शुरू की है उससे पहले जिन किसानों ने राज्य में नर्सरी योजना और चारा योजना के अन्तर्गत कनेक्शन लिये थे, नर्सरी योजना में यह स्पष्ट प्रोविजन था कि जो किसान कनेक्शन लेगा चारा, नर्सरी और थैफ्ट योजना में, उसको दो साल के बाद में सामान्य श्रेणी में बदल दिया जाएगा। लेकिन 01.04.2000 के बाद में आपने आदेश निकाल दिया। जिस किसान ने उस योजना के तहत कनेक्शन एप्लाई किया, कनेक्शन लिया उसको कट आफ डेट के लिए, जिस तरह से स्पेशल योजना में, आपने किया है जब कट आफ डेट का आएगा उस तारीख को वह सामान्य में बदला जाएगा, लेकिन उस किसान ने क्या गुनाह किया है जिसने नर्सरी योजना में, चारा योजना में...

श्री उपाध्यक्ष : हो गयी न, समझ गये।

श्री अमराराम (धोद) : दो साल के बाद में उनको निश्चित रूप से वापस सामान्य में बदलने के लिए, एक तो मैं यह कहना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : हां हो गयी न दो साल, ठीक है।

श्री अमराराम (धोद) : एक निवेदन है कि वी.सी.आर. जिस तरह से भरी जा रही है, अभी आपने क्वेश्चन आवर के बाद 295 में कहा था कि हम उनको कमीशन, क्योंकि दिन–दहाड़े जैसे डकैत डाका डालकर जंगल में जाकर हिस्सा–पत्ती करते थे, सरकार ने इतना प्रोविजन कर दिया कि किसान जिसके कनेक्शन है, विद्युत मंत्रीजी, मेरा दावा है, कोई भी मोटर जो आज खरीद कर लाया, आज उसका कनेक्शन हुआ है, वह 15 एच.पी. की मोटर है और आपके किसी भी बिजली के टाप टैस्टर से टैस्ट कवा लीजिये, वह 15 एच.पी. की बजाय 17 या 22 एच.पी. की बताएगी। आपके विद्युत विभाग के अधिकारी कहते हैं कि हम क्या करें। यह तो कम्पनियां कर रही हैं। अब किसानों के सामने तो यह परेशानी है कि बाजार से 15 एच.पी. की मोटर लाया है और 15 के बजाय 22 एच.पी. बताएगी। उपाध्यक्ष महोदय, आपको आश्चर्य होगा कि 15 एच.पी. के कनेक्शन और 43 एच.पी. के कनेक्शन में 68 से 70 हजार रुपये विजिलेंस के माध्यम से, और महज इसलिए कि 10 से 15 प्रतिशत अधिकारियों का कमीशन है। नाजायज रूप से। जितनी साल भर में तनखाह नहीं मिलती है अधिकारियों को, उससे ज्यादा उनका कमीशन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजें। हो गया, माननीय सदस्य।

श्री अमराराम (धोद) : आश्चर्य है, सीकर में सात करोड़ रुपये। जिसका कनेक्शन है, असेस करे, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है।

दूसरा आपने कहा कि हम पैसे दे देंगे, उपाध्यक्ष महोदय, बारह हजार रुपये तो आप दे देंगे, लेकिन मेरा आपसे निवेदन है कि किसान ने स्पेशल योजना में जिसकी घोषणा आपने की, बारह हजार रुपये जमा करवाकर तीन लाख रुपये का ट्यूबवैल खुदवा लिया, तीन लाख रुपया उसने इंवैस्ट कर दिया, उसको आप कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। आपने अकाल को ध्यान में रखते हुए सामान्य कृषकों का जिनका नम्बर आ गया है, उनको वी.आर. में छूट दी है, तो स्पेशल योजना में कनेक्शन के लिए जिन्होंने एप्लाई किया है जिनकी संख्या सात–आठ हजार है, उनको भी वी.आर. के सिस्टम में छूट दें तो मैं समझता हूं कि उनका फायदा होगा। एक जो मुर्गी पालन के नाम से हजारों कनेक्शन हैं, आपने योजना शुरू की चोर योजना मुर्गी पालन की, वे किसान केवल खेती कर रहे हैं, कोई मुर्गी नहीं पाल रहा है। दस से बारह हजार किसान होंगे, जिन्होंने मुर्गी पालन के नाम से कनेक्शन लिया पर खेती कर रहे हैं...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजो। माननीय दिलावरजी।

श्री अमराराम (धोद) : उनके सामान्य से डेढ़ गुना, एक रुपया और पिचहेत्तर पैसा लग रहा है, जो मुर्गी पाल रहे हैं उनसे रेट लें और उनसे रेट नहीं लें...

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजो। हो गया न। माननीय सदस्य, जो बात आ गयी उसको रिपीट नहीं करें। कोई नयी बात हो तो कह दें।

श्री मदन दिलावर (अटरू) : मैं तो हमेशा नयी ही बताता हूं, साहब। रिपीट का सवाल ही नहीं उठता।

श्री उपाध्यक्ष : जो मंत्रीजी का स्टेटमेंट आया है....

श्री ज्ञानदेव आहूजा : नयी बात कह रहे हैं, साहब।

श्री उपाध्यक्ष : हां, नयी बात तो मैं जानता हूं दिलावरजी को तो, कहेंगे ही कहेंगे। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि इस सरकार ने बहुत बाजा बजाकर यह कहा था कि....

श्री उपाध्यक्ष : डायरेक्ट क्वेश्चन करो। यह भाषण मत दो।

श्री मदन दिलावर : क्या, श्रीमान्?

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, अदरवाइज नहीं। आप कृपा करें। बैठ जाओ। सरकार क्या कर रही है और आप क्या कर रहे हैं। It is not the question. क्वेश्चन क्या है? (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : भूमिका तो बननी चाहिए, श्रीमान्।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, काश्तकार का मामला है।

श्री मदन दिलावर : काश्तकार का मामला है, यह सदन गम्भीर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, ऐसा नहीं है।

श्री मदन दिलावर : यह सरकार गम्भीर नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : तो फिर विराजो आप। डा. रामप्रतापजी। आप नहीं बोलना चाहते हैं।

श्री मदन दिलावर : मेरा निवेदन यह है कि इन्होंने चोर योजना चालू की है, चोरा योजना चालू की।

श्री उपाध्यक्ष : यह सब बात आ गयी। डा. रामप्रतापजी।

श्री मदन दिलावर : चारा योजना में बारह बारह हजार रुपये लिये इस अकाल के समय, जब लोगों के पास पैसे नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो। कोई फायदा नहीं है। आप खाली बोलने के लिए बोलते हैं।

श्री मदन दिलावर : माता और बहनों के जेवर गिरवी रखकर बारह हजार रुपये जमा करवाये हैं, ट्यूबवैल खुदवाये हैं, आज उनको कनेक्शन नहीं देकर उनके साथ अत्याचार किस बात के लिए किया जा रहा है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, विराजो। You are not serious about it.

डा. रामप्रतापजी।

श्री मदन दिलावर : वे कौनसे कारण हैं, कारण बताने पड़ेंगे, उपाध्यक्ष महोदय।(व्यवधान) आखिर सरकार ने कहा है कि हम किसानों की सेवा करते हैं, हम कल्याण की बात करते हैं। क्या इस सरकार की समझ में नहीं आता?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो। अंकित नहीं हो।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इतनी सीरियस प्राब्लम है, इसको आप क्यों डाइवर्ट कर रहे हो? इससे कोई मतलब ही नहीं है। आप विराजो।

डा. रामप्रतापजी।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है तो फिर बंद कर देता हूं। ऐसे थोड़े ही होता है। कोई जवाब नहीं।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : ठीक है तो फिर बंद करें इसको? कोई मतलब नहीं है। आप पोलिटिकल भाषण दे रहे हो। आप काश्तकार की समस्या का समाधान ही नहीं चाहते हो। (व्यवधान)

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो।

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री उपाध्यक्ष : अगले सत्र में मिलेंगे। अब तो विराजो आप। माननीय रामप्रतापजी। माननीय सदस्य, मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं इसलिए अलाउ कर रहा हूं कि काश्तकारों से सम्बन्धित प्रश्न हैं। सरकार क्या कर रही है, सरकार आएगी, सरकार जाएगी, इसका इससे कोई लेना-देना नहीं है। काश्तकार के हित में अगर आप कोई सुझाव देते हैं तो इसका लाभ होगा। अगर सरकार समाधान करती है तो डायरेक्ट काश्तकार को फायदा होगा। भाषण थोड़े ही दिला रहे हैं? कोई बिजली पर डिबेट थोड़े ही है?

श्री मदन दिलावर : ×××

श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, अभी विजिलेंस के बारे में जब बात आयी है तो मैं थोड़े-से शब्दों में निवेदन करूंगा, एक काश्तकार, ग्राउण्ड वाटर मीठा था, वहां से चार किलोमीटर अण्डरग्राउण्ड पाइप लाइन लेकर आया और कम से कम उसका दस लाख रुपया लगा। मीटर सप्लाई थी उसको, उसने बिल भी जमा करवा रखे हैं 38,441 रुपये के। विजिलेंस की टीम आयी, शायद राजस्थान में यह पहला उदाहरण होगा कि उसके फाइन किये तीन लाख छब्बीस हजार तीन सौ पिचहेत्तर रुपये। उपाध्यक्ष महोदय, कहां जाएंगे हम? एक किसान, दस लाख रुपये उसने लगाये, जहां पानी मीठा है वहां से अण्डर ग्राउण्ड पाइप डाल कर पानी लेकर आया।

श्री उपाध्यक्ष : यह कोई बात हुई न।

श्री रामप्रताप : बिना किसी कंफरमेशन के, जमीन उसकी है, उसको यह कहते हैं कि तू पानी बेच रहा है। तीन लाख छब्बीस हजार तीन सौ पिचहेत्तर रुपये का उसके ऊपर फाइन लगाया।

××× अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अंकित नहीं किया गया।

(श्री रामप्रताप)

इससे ज्यादा दयनीय स्थित और क्या हो सकती है, उपाध्यक्ष महोदय, इस अकाल के मौके पर? किसान का नाम है अवतार सिंह पुत्र श्री दयाल सिंह, गांव– सहजीपुरा, हनुमानगढ़ तहसील।

दूसरा, नर्सरी योजना के बारे में जिक्र आया, उपाध्यक्ष महोदय, बहुत पहले के पैसे जमा पड़े हैं किसानों के। उस वक्त एक कमिटमेंट हुआ था कि हम इसको दो साल बाद में साधारण श्रेणी में कर देंगे और साथ में जो प्रति हार्स पावर पैसा लिया गया था उसको बिल्स में एडजस्ट करेंगे। यह काफी समय से लम्बित पड़े हैं, किसानों के पैसे उसमें अटके पड़े हैं। इतना ही मेरा निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय हीरासिंहजी। (व्यवधान) आपके अगले खड़े हैं। बैठो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : विधिवत बोलते हैं तो आप बोलने नहीं देते और वैसे बोलते हैं तो फिर, इसलिए दो मिनट का समय दे दो।

श्री उपाध्यक्ष : मैं बुलवा दूंगा। कोई तकलीफ नहीं है।

श्री हीरासिंह चौहान (रायपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार का डायरेक्शन आपने दिया है कि इस विषय में कोई समस्या हो उसके बारे में कहें माननीय विद्युत मंत्रीजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र में हरिपुर में एक ऐसा प्रशिक्षण केन्द्र है। "वर" में बाबूलाल घांची (तेली) है, उसके तेल निकलाने के घाणी का विद्युत कनेक्शन है। सम्माननीय उपाध्यक्षजी, महीने के जितने बिल आते थे, सब ठीक प्रकार से उसके जमा हो रखे हैं। अब एक आडिट और निकाला है इन्होंने, पैसे की वसूली का एक और तरीका निकाला है। क्या आडिट इंस्पेक्शन करते हैं? जितना बिल था उतना तो पेमेंट हो गया लेकिन इसके बाद यह आडिट में निकला है। हमारे कोई समझ में नहीं आ रहा है कि यह किस प्रकार का आडिट है, किस प्रकार से होता है। दोनों के कनेक्शन काट दिये और कहते हैं आप सैटलमेंट में जाइये, सैटलमेंट में जाकर समझौता कीजिए। एस.ई. लेवल पर एक कमेटी बनी होती है। सैटलमेंट में क्या होगा, एक दो बार बुलवा देंगे। और हमारे तो बिल हैं, इसके अलावा कुछ है नहीं। जितना मीटर रीडिंग था, जिस प्रकार का बिल आता था उसका पेमेंट करते रहे। लेकिन एक आडिट वाला तीसरा तरीका, आपके निगम ने व्यवस्था कर रखी है कि किस प्रकार से इस घाटे की पूर्ति की जाए और किस प्रकार से उपभोक्ताओं से लगातार लूट–खसोट की जाए। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे बड़े विनम्र शब्दों में निवेदन करना चाहता हूं कि यह सरकार इससे बदनाम हो रही है। मैं गाड़ी में सफर नहीं कर रहा हूं और मेरे से किराया लिया जा रहा है। मैं किसी चीज का उपभोग, उपयोग नहीं कर रहा हूं फिर उसकी वसूली की जा रही है। गरीब किसान जो आप कनेक्शन लेने के लिए आ रहे हैं, किसी के दो दो, तीन–तीन लाख की डिमांड आती है, क्या हम उस डिमांड को दे सकते हैं? इसलिए मैं तो आरोप लगाता हूं कि सरकार पर कि इस निगम के माध्यम से या आपने जो भी बोर्ड बना रखे हैं उनके माध्यम से खुली लूट की जा रही है और सम्पूर्ण राजस्थान की जनता के साथ लूट हो रही है।

श्री उपाध्यक्ष : विराजो। माननीय ज्ञानदेवजी।

श्री हीरासिंह चौहान : इस लूट-खसोट को, माननीय मंत्रीजी, अगर आप बंद कर दें तो ठीक रहेगा, अन्यथा बहुत गम्भीर परिणाम आपको भी भुगतने पड़ेंगे और हम जनप्रतिनिधियों को भी सुनना पड़ रहा है।

श्री उपाध्यक्ष : ज्ञानदेवजी, आपको क्या बोलना है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : उपाध्यक्ष महोदय, पिछले पांच वर्षों से लगातार मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में 132 के.वी. के लिए मैं प्रयासरत हूं। मैं मंत्री महोदय से भी व्यक्तिगत रूप से मिला, नियम 295 में भी रखा और बाकी ध्यानाकर्षण भी रखे, लेकिन 132 के.वी. वहां आप नहीं बना पाये, निर्माण नहीं करा पाये। ग्रिड स्टेशन पर विधान सभा क्षेत्र का पावर आता है वह 220 के.वी. का मत्स्य औद्योगिक क्षेत्र अलवर से आता है जो फैक्ट्री एरिया में है, और फैक्ट्री एरिया के लोग जब मर्जी आये वहां के कर्मचारियों को सैट करके वहां का पावर काट देते हैं। पावर ही नहीं काटते, शाम को छह से चार बजे जो हमने कहा है, गांव में बिजली नहीं मिलती है और अगर मिलती है तो डिम मिलती है, और अगर थोड़ा भी पावर बढ़ जाए तो कट जाती है। एक बात। दूसरा, बानसूर का जब उप चुनाव हुआ, उस समय अगर ट्रांसफार्मर फूंक गया तो प्रतिदिन...

श्री रामनारायण चौधरी : आपकी कोई बात होगी तो आपके पत्र पर ही मैं आपको मदद कर दूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : एक-एक का जवाब थोड़े ही दे सकते हैं?

श्री रामनारायण चौधरी : यह तो सिर्फ स्पेशल स्कीम्स की और स्पेशल बस्सी के बारे में बात थी। बस्सी से माननीय विधायक 295 में पढ़ रहे थे और हमारी आनरेबल डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहिबा ने आश्वासन दे दिया कि कल इसके ऊपर ऊर्जा मंत्रीजी से वक्तव्य दिलवा देंगे, तो उनके उस एश्योरेंस पर माननीय उपाध्यक्ष जी की अनुमति से मैंने यह वक्तव्य बस्सी के बारे में दिया है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 132 के.वी. की बात...

श्री रामनारायण चौधरी : 132 का नहीं आता है इसमें, मान्यवर।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : खम्भे, तार नहीं है और स्पेशल कैटेगरी में लगभग डेढ़ सौ किसान हैं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इंडिविजुअल बात का अभी जवाब नहीं दे सकते।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : 132 के, नवम्बर दिसम्बर में तो लगाएंगे, लेकिन 132 के अलावा छोड़िये, वहां पर तार और खम्भे नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मंत्रीजी, अपको कुछ कहना है?

श्री ज्ञानदेव आहूजा : ट्रांसफार्मर उपलब्ध नहीं है, खम्भे तार नहीं है। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य बोले हैं उस पर कुछ कहना है क्या आपको?

श्री रामनारायण चौधरी : माननीय सदस्य ने कहा है उन पर तो कहना है, 132 और इन पर मुझे कुछ नहीं कहना है।

श्री उपाध्यक्ष : नहीं, नहीं, यह जनरल बात आयी इसमें कोई...

श्री रामनारायण चौधरी : जनरल बात स्पेशल स्कीम्स के बारे में आयी है उस पर मैं जरूर कहूंगा। जनरल जो स्कीम है काश्तकारों के लिए उस पर जो बातें उठाई हैं वह कहने लायक हैं।

श्री हरजीराम बुरड़क : जनरल सवाल है, एक छोटा-सा सवाल, उपाध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं।

श्री ज्ञानदेव आहूजा : स्पेशल कैटेगरी का तो बताएं।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : फिर हमको भी अलाउ करना।

श्री हरजीराम बुरड़क : एग्रीकल्चर कनेक्शन के बारे में जनरल सवाल मैं यह पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय, आपने काश्तकारों को राहत देने के लिए एग्रीकल्चर कनेक्शन ट्रांसफर करने के लिए एक आदेश जारी किया और उस आदेश में यह कहा, पहले गांव में ट्रांसफर होने का था, आपने यह सुधार किया कि कम्पनी के एरिये में कहीं भी विद्युतीकृत गांव में वह काश्तकार अपना कनेक्शन शिफ्ट करा सकता है, लेकिन पानी वह पहले वाले खेत में पिलाएगा। हमारी जोधपुर कम्पनी का एरिया माउंट आबू से लेकर हनुमानगढ़ तक है, अब वह कनेक्शन हनुमानगढ़ से माउंट आबू ट्रांसफर करा ले। (व्यवधान) एक मिनट, सुनो तो सही आप। नहीं हो तो आप कह देना। मेरे पास आदेश की कापी है। आप यह बताइये कि जो ट्रांसफर कराकर कनेक्शन हनुमानगढ़ से ले जाएगा माउंट आबू और पानी वह उस खेत में पिलाएगा, उसका क्या मतलब है?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, जो स्थिति है...

श्री हरजीराम बुरड़क : हैं, ऐसे आदेश हैं मेरे पास।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2003, श्री परसादीलाल जी। (व्यवधान) इन्होंने कह दिया कि जनरल बात का मैं जवाब नहीं दे सकता।

श्री रिछपाल सिंह मिर्धा : उपाध्यक्ष महोदय, दे रहे हैं वह। विशेष बात का उत्तर दे रहे हैं, साहब, दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : विराजो, विराजो। दे रहे हैं तो मैं कोई रोक रहा थोड़े ही हूं? आप कुछ कहना चाह रहे हो क्या?

श्री रामनारायण चौधरी : हां, कहना चाह रहा हूं। मान्यवर, आज के इस स्टेटमेंट पर... (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : उपाध्यक्ष महोदय, सब जवाब-सवाल कर रहे हैं, +++ हमको भी पूछने दो।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, इंडिविजुअल जवाब अभी नहीं आ सकते।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : तो आप सबको अलाउ कर रहे हो, मुझे क्यों नहीं अलाउ कर रहे हो?

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो। जो इंडिविजु-अल बोले उनका कोई जवाब आना नहीं है।

श्री प्रताप सिंह सिंघवी : मैं तो यह सवाल पूछना चाह रहा हूं कि आपके यहां ए.ई.एन. हैडक्वार्टर खोलने का क्या मापदण्ड है, किस आधार पर आप ए.ई.एन. कार्यालय खोलते हो? (व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो, विराजो।

श्री रामनारायण चौधरी : उपाध्यक्ष महोदय, यह स्टेटमेंट जो मैंने दिया, माननीय विधायक, बस्सी से आने वाले...

श्री उपाध्यक्ष : वो तो हो गया। उसके उपरांत और कुछ?

श्री रामनारायण चौधरी : उसको तो उन्होंने बढ़ा दिया। मैं स्पेशल स्कीम्स के बारे में यह निवेदन करना चाहता हूं आप यह ठीक कहते हैं कि 1993 और 1998 के बीच में तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदय ने नर्सरी योजना चालू की थी और कई माननीय विधायकों की आलोचना से क्षुब्ध होकर उन्होंने उस योजना को बंद करने की घोषणा कर दी। उस वक्त मैं भी एक था, जिसने उनको यह कहा था कि इस पर आप पुनर्विचार कीजिए और कुछ माननीय सदस्यों के कहने से जिनका काम खेती नहीं है, उनके कहने से आप इसको वापस मत करिए। तो मेरे से पूछा कि आप कह रहे हो या आपकी पार्टी। मैंने कहा, मैं कह रहा हूं, पार्टी के मेरे लीडर हैं वह कह रहे हैं। परसराम जी ने मेरी बात का समर्थन किया, तो वह वापस हुई थी। उसमें यह व्यवस्था थी कि दो साल बाद वह सामान्य श्रेणी में कंवर्ट हो जाएगा। लेकिन यह स्पेशल स्कीम जो मेरे से पहले 1998 और मेरे आने के बीच में चालू की गयी, सामान्य श्रेणी में तब्दील हो जाएगी, यह व्यवस्था नहीं है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (धोद) : उनकी तो कर दो।

श्री केसाराम चौधरी : नर्सरी में जो पैसे जमा हैं, जो बिलों में बांट देने थे वह आप बिलों में कब तक बांट देंगे?

श्री उपाध्यक्ष : माननीय सदस्य, आप सुनना चाहते हो कि नहीं? (व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी : नर्सरी के पैसे जमा हैं, वह बांट देने थे बिल में...(व्यवधान) यह जवाब नहीं दे रहे हैं...(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष : आप विराजो।

+++ अभिव्यक्ति अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार अपलोपित की गयी।

श्री रामनारायण चौधरी : मैं बस्सी से आने वाले माननीय सदस्य से यह निवेदन करना चाहता हूं, आपने जो विशिष्ट योजना की आपके क्षेत्र के काश्तकारों की बात कही थी उसके समाधान के लिए मैंने मेरे स्टेटमेंट में व्यवस्था की है। आप जो और बातें कह रहे हैं वे इस स्टेटमेंट से कवर नहीं होती हैं, फिर भी कुछ बातें आपने ऐसी कहीं जो गवर्नमेंट के बिजली के पैकेज से ताल्लुक रखती हैं। छह से दस बजे तक चार घंटे बिजली हम देंगे, वह दे रहे हैं। वे गांव जिनकी पांच हजार की जनसंख्या है और जिनका फीडर अलहदा है और उस फीडर से किसानों के एग्रीकल्चर कुएं कनेक्टेड नहीं है, उन गांवों को पांच हजार वालों को भी हम चौबीस घंटे बिजली देने के लिए तैयार हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ : आप असत्य कह रहे हैं, आप असत्य कह रहे हैं। (व्यवधान)

श्री हीरासिंह चौहान : कोई चौबीस घंटे बिजली नहीं मिल रही है। (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा : आप जिला हैडक्वार्टर पर चौबीस घंटे बिजली नहीं दे रहे हैं, पांच हजार गांवों को कहा देंगे? (व्यवधान)

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2003.

श्री परसादी लालजी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2003

श्री परसादी लाल (सहकारिता मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : श्री भंवरलाल शर्मा (हवा महल), श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री हीरासिंह चौहान, श्री जसवन्त सिंह गुर्जर, श्री सुरेन्द्र गोयल, श्री कन्हैया लाल, श्री शिवराम सिंह कुशवाहा, श्री रामप्रताप, श्री मदन दिलावर, डा. किरोड़ीलाल, डा. रघुवीर सिंह गौड़, श्री केसाराम चौधरी, श्री सांवर लाल, श्री पुष्पेन्द्र सिंह, श्री अमराराम (पचपदरा), श्री गणेशीराम मेघवाल, श्री हरीश चन्द, श्री सुरेन्द्र व्यास, श्री अमराराम (धोद), श्री शिवनाथ सिंह, श्री मांगीलाल डांगा।

प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसाइटी (संशोधन) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार। खण्ड 2 से 4, कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये जाएं?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

खण्ड 2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1 - अधिनियमन सूत्र, नाम आदि - कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1- अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड 1-अधिनियमन सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री परसादी लाल।

विधेयक का पारण

श्री परसादी लाल : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2003 को पारित किया जाए।

श्री मानिक चन्द सुराना : मान्यवर, जो नर्सरी के कनेक्शन किये गये हैं उनको दो साल बाद जो जनरल करने की बात है, साधारण श्रेणी में परिवर्तित करने की बात है, उसको तो करो।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान सहकारी सोसायटी (संशोधन) विधेयक, 2003 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक पारित किया गया।

श्री मानिक चन्द सुराना : मंत्रीजी, आप कुछ घोषणा तो करें। नर्सरी के कनेक्शनों को साधारण श्रेणी में करने की घोषणा तो करें।

श्रीमती सुमित्रा सिंह: कुछ इस सम्बन्ध में अपनी बात स्पष्ट करें।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारे)

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2003 श्री शैलेन्द्र जोशी।

विधेयक पर विचार

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक 2003

श्री शैलेन्द्र जोशी (उच्च शिक्षा राज्य मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन), विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए।

श्रीमती सुमित्रा सिंह : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह कोई तरीका नहीं है। आप जिस तरीके से शोर-शराबे के अंदर सारे बिलों को पास करवा रहे हैं यह तो कोई ठीक बात नहीं है।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2003 को विचारार्थ लिया जाए?

(श्री उपाध्यक्ष)

(स्वीकृत)

विधेयक विचारार्थ लिया गया।

विधेयक पर खण्डशः विचार

खण्डशः विचार

खण्ड–2 से 4–कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड–2 से 4 स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड–2 से 4 स्वीकार किये गये।

खण्ड 1–अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि–कोई संशोधन नहीं।

प्रश्न यह है कि खण्ड 1–अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये जाएं?

(स्वीकृत)

खण्ड–1–अधिनियमन, सूत्र, नाम आदि स्वीकार किये गये।

श्री शैलेन्द्र जोशी।

विधेयक का पारण

श्री शैलेन्द्र जोशी : उपाध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पारित किया जाए।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

राजस्थान विश्वविद्यालयों के अध्यापक तथा अधिकारी (नियुक्ति के लिए चयन) (संधोधन) विधेयक, 2003 पारित किया गया।

सदन की बैठक अनिश्चितकाल के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 17.51 बजे अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हुई)

राष्ट्रीय गान

जन गण मन अधिनायक जय हे

भारत भाग्य विधाता

पंजाब सिन्धु गुजरात मराठा

द्राविड़ उत्कल बंगा

विन्ध्य हिमाचल यमुना गंगा

उच्छल जलधि तरंगा

तव शुभ नामे जागे

तब शुभ आशिष मांगे

गाहे तव जय गाथा

जन गण मंगलदायक जय हे

भारत भाग्य विधाता

जय हे जय हे जय हे

जय जय जय जय हे।

परिशिष्ट-1

(समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्न व उनके उत्तर)

पंचायत समिति छबड़ा व छीपा बड़ौद में स्वीकृत पेयजल योजनाओं का क्रियान्वयन

564. **श्री प्रताप सिंह सिंघवी** (छबड़ा) एवं **श्री सांवर लाल** (भिनाय) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र छबड़ा की पंचायत समिति छबड़ा व छीपा बड़ौद में दिनांक अप्रैल, 2002 से फरवरी, 2003 तक किन-किन गांवों में सरकार द्वारा किस-किस मद से पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हैण्ड पम्प व पेयजल योजनाएं स्वीकृत कर क्रियान्वित की गई हैं? स्वीकृत हैण्ड पम्प व पेयजल योजनाओं की गांववार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त स्वीकृत हैण्ड पम्प व पेयजल योजनाओं का कार्य पूर्ण करा लिया गया है और पर्याप्त पानी उपलब्ध हो गया है? यदि नहीं, तो फिर क्या सरकार उक्त गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने हेतु टैंकर से पानी उपलब्ध करा रही है?

(3) क्या यह सही है कि भू-जल स्तर नीचे चले जाने के कारण पूर्व के वर्षों में लगाये गये हैण्ड पम्प व नलकूपों से पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त हैण्ड पम्पों व नलकूपों को और गहरा कराकर या फिर उनके स्थान पर नवीन हैण्ड पम्प व नलकूप लगाकर लोगों को पानी उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) संदर्भित सूचना पंचायत समिति छबड़ा व छीपा बड़ौद के गांवों के संदर्भ में परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(2) उक्त स्वीकृत 123 योजनाओं में से 105 योजनाएं सफलता के साथ पूर्ण हो चुकी हैं। 3 योजनाओं पर प्रस्तावित एक-एक हैण्ड पम्प असफल रहा। शेष 15 योजनाओं को ग्रीष्म, 2003 में पूर्ण करवाने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। वर्तमान में पेयजल हेतु परिवहन नहीं हो रहा है परन्तु आवश्यकतानुसार करवाया जावेगा।

(3)जी हां। नवम्बर, 2002 तक जिन हैण्ड पम्पों व नलकूपों में पानी उपलब्ध नहीं था एवं जहां जल सेवा स्तर 25 से नीचे चला गया उनके स्थान पर नये हैण्ड पम्प व नलकूप लगाये गये, जिनकी सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(सूचना विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

पुलिस थाना कोतवाली भिवाड़ी (अलवर) में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 222 एवं 223 की जांच

565. **श्री जगमाल सिंह यादव** (तिजारा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जगमाल सिंह यादव)

(1) क्या यह सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट नम्बर 222 एवं 223 थाना कोतवाली भिवाड़ी (अलवर) की पत्रावली सी.आई.डी. (सी.बी.) भरतपुर में वास्ते तफतीश भेजी गई थी? क्या भ्रष्टाचार निरोधक मुख्यालय ने उक्त केस के तफतीश कुनिन्दा को ट्रेप करने के लिये टेप दिया था? यदि हां, तो क्या पार्टी ने रुपये लेने और वापस देने सम्बन्धित बातें टेप की थीं?

(2) क्या यह भी सही है कि सम्बन्धित पक्ष ने सारी बातें लेनदेन की टेप करने के बाद भी सम्बन्धित पुलिस अधिकारी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम में केस दर्ज नहीं किया गया? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त सम्बन्ध में कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

जी हां।

जी हां।

(2) जी हां। चूंकि मामले में ऐसे सबूत मौजूद नहीं थे, जिनके आधार पर मुकदमा दर्ज कर अदालत में सजा दिलवाई जा सकती हो, इसलिए निर्णय लिया गया कि इंस्पेक्टर के विरुद्ध 16 सीसीए के तहत विभागीय कार्यवाही की जावे।

(3) जी हां।

जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक) भरतपुर द्वारा समानीकरण के तहत किये गये स्थानान्तरणों की जांच

566. श्री शिवराम सिंह कुशवाह (धौलपुर) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला भरतपुर में ब्लॉक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा किस-किस अध्यापकों के किस किस स्थान के लिये समानीकरण के तहत प्रस्ताव जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) भरतपुर को दिये गये?

(2) क्या जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) भरतपुर ने ब्लाक प्राथमिक शिक्षा अधिकारी द्वारा दिये गये प्रस्तावों में परिवर्तन कर स्थानान्तरण आदेश जारी किये? यदि हां, तो क्या क्या परिवर्तन किये गये?

(3) क्या यह सही है कि जिला शिक्षा अधिकारी (प्राथमिक शिक्षा) भरतपुर द्वारा किये गये समानीकरण के तहत स्थानान्तरणों की शिकायत जिला कलक्टर एवं उच्चाधिकारियों को की गई? यदि हां, तो और उस पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला भरतपुर के ब्लाक प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा दिए गए समानीकरण प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट 'क' सदन की मेज पर रख दिया गया है।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां।

परिवर्तित प्रस्तावों की सूची परिशिष्ट 'ख' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां। जिला कलक्टर, भरतपुर एवं निदेशालय, प्रारम्भिक शिक्षा, बीकानेर द्वारा जांच के आदेश दिए गए हैं। जांच की रिपोर्ट मिलने पर कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बाल श्रमिक एक्ट के उल्लंघन के विचाराधीन प्रकरण

567. श्री ललित भाटी (अजमेर-पूर्व) : क्या श्रम एवं नियोजन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या राज्य में चाइल्ड लेबर प्रोहिबिशन एण्ड रेग्यूलेशन एक्ट, 1986 लागू है? यदि हां, तो कब से?

(2) उक्त अधिनियम के क्लॉज 3 के मुताबिक राज्य में किन-किन आक्यूपेशन एण्ड प्रोसेस में बाल श्रमिक काम नहीं कर सकते हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) राज्य में अब तक किन-किन नियोक्ताओं को उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन किए जाने पर दण्डित किया गया तथा अभी कितने मामले विचाराधीन हैं?

(4) उक्त अधिनियम में जिला अजमेर में किन-किन नियोक्ताओं पर कार्यवाही कर न्यायालय में चालान पेश किया गया?

(5) क्या उक्त अधिनियम के प्रावधानों की पालना एवं निगरानी जिला एवं राज्य स्तरीय व्यवस्था उक्त स्तर के सक्षम अधिकारियों द्वारा की जा रही है?

(6) क्या उक्त के लिये अलग से कोई नियम बनाए गए हैं? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। राज्य में बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 दिनांक 23.12.1986 से लागू है।

(2) बाल श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 की धारा-3 के अन्तर्गत जिन व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में बाल श्रमिकों का नियोजन प्रतिबंधित किया गया है, की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) राज्य में उक्त अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर जिन नियोक्ताओं को दण्डित किया गया उनकी सूची परिशिष्ट-'ब' संलग्न है। विचाराधीन मामलों की संख्या 786 है।

(4) अजमेर जिले में जिन नियोक्ताओं के विरुद्ध न्यायालय में चालान पेश किए गए हैं, की सूची परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, श्रम एवं नियोजन)

(5) जी हां।

(6) जी हां। प्रति परिशिष्ट–'द' पर संलग्न है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रश्न संख्या–568

(स्थगित)

इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अभियंताओं के विरुद्ध अनियमितताओं के दर्ज प्रकरण

569. श्री रोहिताश्व कुमार (बानसूर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के अभियंताओं/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा ठेकेदारों से कमीशन लेने के मामले में परिवाद दर्ज किया गया? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध एवं उनके विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। इंदिरा गांधी नहर परियोजना के अभियंताओं/कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा ठेकेदारों से कमीशन लेने के मामले में चार परिवाद निम्नानुसार अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरुद्ध दर्ज किये गये हैं :

1– श्री सुनहरी लाल उपाध्याय, कनिष्ठ अभियंता (इनके विरुद्ध परिवाद संख्या 196/97 दर्ज है)

2– श्री भागीरथ नागर, कनिष्ठ अभियंता (इनके विरुद्ध परिवाद संख्या 68/99 दर्ज है)

3– श्री गोकुल दास गहलोत व श्री लक्ष्मीकांत सुथार कनिष्ठ अभियंता, श्री आर.के. विरमानी, अधिशासी अभियंता (वर्तमान अधीक्षण अभियंता), श्री डी.आर. दाधीच सहायक अभियंता, श्री बजरंगपुरी एवं श्री बनवारी लाल शर्मा, वरिष्ठ लिपिक (इनके विरुद्ध परिवाद संख्या 150/2001 दर्ज है)

4– श्री रामसिंह मीणा, सहायक अभियंता (इनके विरुद्ध परिवाद संख्या 245/2001 दर्ज है)

उक्त परिवाद क्रमांक 1 में माननीय सैशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जोधपुर द्वारा अपने निर्णय में श्री सुनहरी लाल उपाध्याय, कनिष्ठ अभियंता को तीन वर्ष के कठोर कारावास एवं पांच हजार रुपये के जुर्माने की सजा देने के कारण इन्हें राज्य सेवा से बरखास्त कर दिया गया है।

परिवाद क्रमांक 2 में माननीय सैशन न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम जोधपुर द्वारा अपने निर्णय में श्री भागीरथ नागर कनिष्ठ अभियंता को

(राज्य मंत्री, इन्दिरा गांधी नहर परियोजना)

दोषी मानकर एक वर्ष का कठोर कारावास तथा एक हजार रुपये के अर्थ दण्ड से दण्डित किया गया है। (प्रार्थी द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में दायर की गई अपील पर न्यायालय द्वारा दिनांक 14.2.2003 को अपील की सुनवाई तक प्रकरण को लम्बित रखने की व्यवस्था दी है। श्री भागीरथ नागर को दिनांक 31.5.1999 को ही निलम्बित किया जा चुका था।)

प्रकरण संख्या-3 में सर्व श्री लक्ष्मीकांत सुथार एवं गोकुल दास गहलोत, कनिष्ठ अभियंता को निलम्बित कर दिया गया है एवं शेष अधिकारी/कर्मचारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित कर दिया गया है। वर्तमान में प्रकरण भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में विचाराधीन है।

प्रकरण संख्या-4 में श्री रामसिंह मीणा, सहायक अभियंता को निलम्बित किया जा चुका है। प्रकरण में भ्रष्टाचार निरोधक विभाग द्वारा अपेक्षित कार्यवाही के तहत अधिकारियों के विरुद्ध सक्षम न्यायालय द्वारा प्रसंज्ञान करने व अभियोग चलाने की स्वीकृति कार्मिक विभाग द्वारा प्रदान कर दी गई है। प्रकरण वर्तमान में न्यायालय में विचाराधीन है एवं सरकार द्वारा न्यायालय निर्णयों के अनुसार दोषियों को सजा दी जावेगी।

सरेडी स्टेशन-रोड-बंक्यारानी माताजी (भीलवाड़ा) सम्पर्क सड़क का निर्माण

570. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) **:** क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि तहसील क्षेत्र आसींद (भीलवाड़ा) में आसींद से शाहपुरा वाया सरेडी स्टेशन रोड को बंक्यारानी माताजी तक के सड़क के टुकड़े को पक्का करने हेतु पर्व में बी.एम.एस.पी. योजना के तहत राशि स्वीकृत हुई थी? यदि हां, तो किन कारणों से उक्त कार्य नहीं हो पाया है?

(2) क्या उक्त योजना को मर्ज करके प्रधानमंत्री सड़क योजना के नाम से नई योजना जारी की है? यदि हां, तो उक्त योजना के तहत उक्त सड़क कार्य अब कब तक करा दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। बजट पर उक्त मद में दिसम्बर, 1999 में रोक लगाये जाने तथा तत्पश्चात् मार्च, 2000 में योजना बन्द होने के कारण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया।

(2) जी नहीं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत बी.एम.एस.पी. के केवल अपूर्ण कार्यों की ही स्वीकृति प्रदान की गई है।

सरकारी कर्मचारियों के समर्पित अवकाश के बदले नकद भुगतान पर रोक

571. श्री रामप्रताप (हनुमानगढ़) **एवं श्री मदन दिलावर** (अटरू) **:** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकारी सेवा में कार्यरत कर्मचारियों का बोनस व समर्पित

(श्री रामप्रताप)

अवकाश के बदले मिलने वाली नकद राशि को बन्द कर दिया गया? यदि हां, तो कब से एवं क्यों?

(2) क्या सरकार उक्त सुविधा पुनः चालू करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजकीय वित्तीय स्थिति को ध्यान में रखते हुए तदर्थ बोनस वर्ष 1998–99 से स्वीकृत नहीं किया गया है एवं उपार्जित अवकाश के बदले मिलने वाली नकद राशि देने की सुविधा ब्लाक वर्ष 2000–2002 से स्थगित कर दी गई है।

(2) जी नहीं। राज्य की वित्तीय स्थिति में अपेक्षित सुधार होने तक पुनर्विचार किया जाना सम्भव नहीं है।

पश्चिमी राजस्थान में ग्रामीण विकास हेतु पंचायतों का पुनर्गठन

572. श्री गोवर्द्धन कल्ला (जैसलमेर) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्रामीण विकास की मुख्य कार्यकारी एजेंसी ग्राम पंचायत है?

(2) क्या यह भी सही है कि पंचायती राज की मुख्य सभा ग्राम सभा है?

(3) क्या यह सही है कि पश्चिमी राजस्थान में जहां जनसंख्या का घनत्व 10 से 20 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है वहां पंचायत मुख्यालय से कई राजस्व गांव 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर हैं, जहां कभी ग्राम सभा सम्भव नहीं है?

(4) क्या सरकार ग्रामीण विकास को ध्यान में रखते हुए पंचायत पुनर्गठन कराने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) यह सत्य है कि पश्चिमी राजस्थान में कुछ राजस्व ग्राम पंचायत मुख्यालय से 20–25 किलोमीटर की दूरी पर है। जहां ग्राम सभा का आयोजन किया जाना सम्भव है, परन्तु सुविधापूर्ण नहीं है। सामान्यतया पंचायत मुख्यालय के गांव से दूरी 8 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए।

(4) जी फिलहाल नहीं। लोक सभा एवं विधान सभा क्षेत्र के पुनर्गठन के लिये परिसीमन आयोग द्वारा वर्तमान क्षेत्र की सीमाओं के परिवर्तन पर रोक लगाई हुई है। ऐसी स्थिति में परिसीमन आयोग के निर्णय के पश्चात् ही पुनर्गठन पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

कार्यरत लोकमित्र केन्द्रों पर व्यय राशि

573. श्री जसवन्त सिंह (बाड़ी) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (चूरू) : क्या सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री जसवन्त सिंह)

(1) जयपुर शहर में वर्तमान में कितने लोकमित्र केन्द्र कार्यरत हैं एवं किन-किन इलाकों को किस प्रकार कवर करते हैं?

(2) क्या उक्त केन्द्र की पूर्व में विधिवत स्वीकृति प्राप्त की गई थी? क्या इस प्रकार के माडल को टास्क फोर्स समिति में स्वीकृति प्रदान कर दी गई थी? यदि हां, तो स्वीकृति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त केन्द्रों पर अब तक किस-किस प्रकार कितनी-कितनी राशि किस मद पर व्यय की गई? हार्डवेयर, सोफ्टवेयर, ए.एम.सी., मानवीय श्रम, संस्थापन व्यय, बिजली, टेलीफोन लीज लाइन के व्यय सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त केन्द्रों से किस-किस मद से कितनी-कितनी राजस्व की प्राप्ति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि लोकमित्र केन्द्रों की बिल जमा करवाने की लागत पेंशनर सहकारी समिति से अधिक आ रही है? यदि हां, तो इसे कम करने हेतु राज्य सरकार उक्त केन्द्रों को बन्द करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्तमान में लोकमित्र नाम से तीन सेंटर निम्नलिखित केन्द्रों पर कार्यरत हैं :-

1. गवर्नमेंट हास्टल

2. सामुदायिक केन्द्र सैक्टर 10 विद्याधर नगर

3. योजना भवन

गवर्नमेंट हास्टल की लोकेशन जयपुर शहर के केन्द्र में होने से आम जनता लाभान्वित होती हैं। सामुदायिक केन्द्र विद्याधर नगर से नजदीकी आवासीय कालोनियों एवं औद्योगिक क्षेत्र की जनता लाभान्वित होती है तथा योजना भवन केन्द्र के माध्यम से सचिवालय व इसके आसपास के विभिन्न कार्यालयों के अधिकारी एवं कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं।

(2) जी हां। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार हेतु गठित टास्क फोर्स समिति की द्वितीय बैठक में दिनांक 26.9.2001 को इस परियोजना का अनुमोदन किया गया। बैठक की कार्यवाही विवरण परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

सचिवों की समिति द्वारा इस परियोजना का अनुमोदन दिनांक 31.10.2001 को हुई बैठक में किया गया। बैठक की कार्यवाही विवरण परिशिष्ट 'ब' पर संलग्न है।

लोकमित्र सेंटर्स की पूर्व में ही विधिवत स्वीकृति वित्त विभाग की आई.डी. संख्या 3104 दिनांक 20.12.2001 से प्राप्त की गयी थी।

(3) लोकमित्र सेंटर्स की स्थापना हेतु पूंजीगत व्यय रुपये 49,62,036.00 किये गये। जिसके तहत हार्डवेयर एवं साफ्टवेयर पर रुपये 31,21,073.00 संस्थापना पर रुपये 9,81,433.00

(सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री)

टेलीफोन लीज लाइन पर रुपये 4,00,330.00 एवं अन्य मद में रुपये 4,59,200.40 खर्च किये गये।

तीनों लोकमित्र सेंटर्स के संचालन हेतु 1 अप्रैल, 2002 से 28 फरवरी, 2003 तक कुल 19,17,178.00 रुपये का आवर्तक व्यय किया गया। जिसके तहत बिजली तथा पानी पर रुपये 3,35,881.00 मानव श्रम पर रुपये 8,86,239.00 संस्थापना पर रुपये 3,67,665.65 टेलीफोन एवं लीज लाइन पर रुपये 1,15,183.00 एवं अन्य मद में रुपये 1,94,209.35 खर्च किये गये।

माहवार खर्चों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है।

(4) तीनों लोकमित्र केन्द्रों पर 30.3.2002 से 28.2.2003 तक कुल 36,47,55,667.93 रुपये के राजस्व की प्राप्ति की गयी। विभागवार राजस्व प्राप्ति का विवरण परिशिष्ट 'द' पर उपलब्ध है।

(5) जी हां। वर्तमान में लोकमित्र केन्द्रों पर बिल जमा करने की लागत पेंशनर सहकारी समिति से ज्यादा है।

राज्य सरकार इन सेंटर्स को बन्द करने का इरादा नहीं रखती है। क्योंकि राज्य सरकार द्वारा एकीकृत सूचना प्रौद्योगिकी केन्द्र, प्रशासन एवं नागरिकों को बहुउद्देश्य एवं बहुपयोगी सेवाएं प्रदान करने के लिये परीक्षण के तौर पर चलाये जा रहे हैं। इन सेवाओं को लेने के लिये व्यक्तियों की संख्या में निरन्तर बढ़ोतरी देखी जा रही है।

इस परियोजना के अन्तर्गत पायलेट बेसिस पर ये तीन केन्द्र आम जनता की सुविधा के लिये खोले गये हैं एवं यह एक ऐसी परियोजना है जिसके माध्यम से एक ही छत के नीचे विभिन्न विभागों की विभिन्न सेवाएं प्रदान की जा रही हैं।

राज्य सरकार द्वारा इस लागत को कम करने के सतत् प्रयास किये जा रहे हैं। जिनके फलस्वरूप माह मार्च, 2002 से अब तक यह लागत लगातार कम हो रही है। प्रति बिल लागत का माहवार विवरण परिशिष्ट 'क' पर उपलब्ध है।

माह जून, 2002 में प्रति बिल लागत रुपये 59.50 से कम होकर माह फरवरी, 03 में मात्र रुपये 5.01 रह गयी है। आने वाले कुछ माह में यह और कम होकर पेंशनर सहकारी समिति पर हो रहे व्यय से भी कम होने की सम्भावना है। इसे और कम करने हेतु लोकमित्र में अन्य विभागों की सेवाएं भी सम्मिलित की जा रही है। इस क्रम में माह फरवरी, 2003 से भारत संचार निगम लिमिटेड जो कि एक केन्द्र सरकार का उपक्रम है, के टेलीफोन बिलों को जमा करने की सुविधा सम्मिलित की गयी है। जिसके तहत निगम द्वारा राज्य सरकार को प्रति बिल रुपये 5.00 देय होंगे। माह फरवरी में कुल 4351 बिल जमा किये गये एवं प्रति बिल 5.00 रुपये के हिसाब से कुल 21,755.00 रुपये का राजस्व राज्य सरकार को प्राप्त हुआ। माह मार्च, 2003 में लगभग 10,000 टेलीफोन बिलों को इन केन्द्रों के माध्यम से जमा किया जाकर राज्य सरकार को कुल 50,000.00 रुपये का राजस्व मिलने की अपेक्षा है।

(सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री)

अतिरिक्त राजस्व प्राप्ति हेतु इसी प्रकार के अन्य विभागों की सेवाएं भी इन केन्द्रों में सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि प्रति माह होने वाले ट्रांजेक्शंस में बढ़ोतरी हो सके एवं जिसके फलस्वरूप प्रति ट्रांजेक्शंस लागत में कमी होकर पेंशनर सहकारी समिति पर होने वाले व्यय से कम लागत पर केन्द्र संचालित हो सके।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

भूमि विकास बैंक हिण्डौन द्वारा स्वीकृत अवधिपार ऋण की वसूली

574. श्री भरोसी लाल (हिण्डौन) : क्या सहकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) भूमि विकास बैंक हिण्डौन व केन्द्रीय सहकारी बैंक हिण्डौन द्वारा गत 5 वर्षों में कितने कितने व्यक्तियों को ऋण वितरित किया गया?

(2) उक्त बैंकों द्वारा कितना-कितना ऋण वसूल किया गया एवं कितने व्यक्तियों पर अवधि पार ऋण बकाया है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि हिण्डौन, टोडाभीम, करौली क्षेत्र को डार्क जोन घोषित कर रखा है? क्या सरकार उक्त क्षेत्र को डार्क जोन से हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(4) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में डार्क जोन की वजह से काश्तकारों को ऋण नहीं मिलता है? यदि हां, तो सरकार कब तक उक्त क्षेत्र को डार्क जोन से मुक्त करेगी?

उत्तर

(1) प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंक, हिण्डौन द्वारा गत 5 वर्षों में वितरित ऋण का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। केन्द्रीय सहकारी बैंक, हिण्डौन नाम से कोई बैंक राज्य में पंजीकृत नहीं है।

(2) भूमि विकास बैंक, हिण्डौन द्वारा वसूल किये गये ऋण एवं अवधिपार बकाया का विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) जी नहीं। केवल हिण्डौन एवं टोडाभीम पंचायत समिति क्षेत्रों को ही डार्क जोन घोषित किया हुआ है। डार्क जोन हटाने का क्षेत्राधिकार विभाग के पास नहीं है।

(4) जी नहीं। डार्क जोन घोषित क्षेत्र में पात्रताधारक आवेदक काश्तकारों को लघु सिंचाई उद्देश्यों जैसे नवकूप, नलकूप निर्माण, कूप गहरा एवं पम्प सैट आदि उद्देश्यों को छोड़कर अन्य उद्देश्यों यथा फव्वारा संयंत्र, पाइप लाइन, ट्रैक्टर, प्लांटेशन, डेयरी एवं अकृषि उद्देश्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाता है। वर्ष 2002-2003 में अकाल की विषम परिस्थिति को देखते हुए नाबार्ड द्वारा उक्त क्षेत्र में कूप गहरा करने हेतु भी ऋण उपलब्ध कराने की विशेष अनुमति दी है।

परिशिष्ट-1

भूमि विकास बैंक, हिण्डौन द्वारा गत 5 वर्षों में वर्षवार निम्नप्रकार ऋण वितरण किया गया

क्र.सं.	वर्ष	ऋणी व्यक्तियों की संख्या	राशि (लाख रुपयों में)
1.	1997-1998	1922	352.33
2.	1998-1999	1075	404.17
3.	1999-2000	963	566.80
4.	2000-2001	1261	606.09
5.	2001-2002	1179	606.07

परिशिष्ट-2

भूमि विकास बैंक, हिण्डौन द्वारा गत 5 वर्षों में की गई ऋण वसूली एवं अवधिपार बकाया का विवरण निम्नानुसार है

वर्ष	मांग	ऋण वसूली	प्रतिशत	अवधिपार बकाया	
				संख्या	राशि (लाखों में)
1997-1998	534.78	334.33	62.51	3480	200.45
1998-1999	626.09	385.45	61.56	3751	240.64
1999-2000	721.21	372.92	51.71	4215	348.29
2000-2001	801.29	376.41	46.97	4484	424.88
2001-2002	1049.66	406.47	38.72	4956	643.19

विद्युत कम्पनियों द्वारा खरीदे गये सामान की जांच हेतु गठित निरीक्षण प्रकोष्ठ

575. श्री मानिक चन्द सुराना (लूणकरणसर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1999 में निरीक्षण सैल बन्द कर दिया गया था? यदि हां, तो क्यों व कब?

(2) उक्त निर्णय किस स्तर पर लिया गया?

(3) क्या यह सही है कि कम्पनियों में खरीदे गये सामान की जांच हेतु पुन: उक्त सैल को वर्ष 2002 में पुनर्जीवित किया गया? यदि हां, तो किस किस कम्पनी में कितनी-कितनी राशि की अनियमितता के प्रकरण उजागर हुए? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त अनियमितता में कौन-कौन दोषी पाये गये एवं उक्त के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या यह सही है कि उक्त प्रकरणों के दोषी अधिकारियों कर्मचारियों को पुन: बहाल कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल में क्रय किये जाने वाले सामान के इंसपैक्शन की पद्धति को बदलने हेतु इंसपैक्शन सैल को दिनांक 17.08.1999 से बन्द कर दिया गया था। नई प्रक्रिया के तहत उपयोगकर्त्ता स्तर पर सामान के नमूने की प्रयोगशाला जांच पर ज्यादा जोर दिया गया है।

(2) तत्कालीन अध्यक्ष, रा.रा.वि.मं. के स्तर पर निर्णय लिया गया था।

(3) जयपुर विद्युत वितरण निगम द्वारा वर्ष, 2002 में खरीदे गये सामान के इंसपैक्शन हेतु इंसपैक्शन सैल को पुनर्जीवित किया गया है जबकि अजमेर व जोधपुर डिस्कॉम में इस सैल को पुनर्जीवित नहीं किया है। जोधपुर डिस्कॉम में सामान खरीदने में कोई अनियमितता प्रकाश में नहीं आई है। जयपुर व अजमेर डिस्कॉम में वितरण ट्रांसफार्मर क्रय करने में क्रमश: 141.21 लाख रुपये व 24.84 लाख रुपये की अनियमितता पाई गई है। इसके अतिरिक्त जयपुर डिस्कॉम में केबल क्रय में भी 15.24 लाख रुपये की अनियमितता प्रकाश में आई है।

(4) उक्त प्रकरणों में जिन अधिकारियों को प्रथम दृष्टया दोषी माना गया है उनकी सूची परिशिष्ट 'अ' सदन के पटल पर रख दी गई है। दोषी माने गये अधिकारियों को निलम्बित किया गया था तथा नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है।

(5) जयपुर डिस्कॉम ने उक्त प्रकरण में दोषी माने गये अधिकारियों (परिशिष्ट 'अ' में वर्णित क्रम सख्या 1 से 7 तक) को पुन: बहाल कर दिया है। इन अधिकारियों ने आरोप पत्र का जवाब प्रस्तुत कर दिया था, इसलिये जांच विचाराधीन रखकर इन्हें पुन: बहाल कर दिया है। अजमेर डिस्कॉम ने निलम्बित किये गये अधिकारियों को अभी तक बहाल नहीं किया है। जयपुर डिस्कॉम द्वारा केबल क्रय में निलम्बित किये मये तीन अधिकारियों को अभी तक बहाल नहीं किया गया है। जिनका विवरण उपरोक्त संलग्न परिशिष्ट 'अ' में दर्शा दिया गया है।

परिशिष्ट 'अ'

विद्युत वितरण निगमों में ट्रांसफार्मर मामले में निलम्बित अधिकारियों का विवरण

क्र.सं.	नाम	पद
	जयपुर वि.वि.नि.	
1.	श्री एस.एल. गुप्ता	अधिशासी अभियंता
2.	श्री के.एस. अरोड़ा	--- " ---
3.	श्री आर.डी. चौधरी	--- " ---
4.	श्री आर.के. गर्ग	--- " ---
5.	श्री पी.के.माली	सहायक अभियंता
6.	श्री एल.के. दरगन	--- " ---
7.	श्री टी.एस. शर्मा	--- " ---
	अजमेर वि.वि.नि.	
1.	श्री एस.के. बांठिया	अधीक्षण अभियंता
2.	श्री ए.के. जालौरी	अधिशासी अभियंता
3.	श्री पी.सी. शर्मा	--- " ---
4.	श्री ए.के. सक्सेना	--- " ---
5.	श्री एस.सी. कोठारी	--- " ---
6.	श्री डी.के. शर्मा	--- " ---
7.	श्री आर.के. मित्तल	--- " ---
8.	श्री एस.के. भार्गव	--- " ---
9.	श्री मिनाजुद्दीन	--- " ---

जयपुर वि.वि.नि. में केबल मामले में निलम्बित अधिकारियों का विवरण

1.	श्री एस.एल. गुप्ता	अधिशासी अभियंता
2.	श्री जे.एस. लूनिया	--- " ---
3	श्री आर.के. भाटिया	सहायक अभियंता

विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के नाकारा हैण्ड पम्पों की मरम्मत

576. श्री घासीलाल मेघवाल (पाटन) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के अन्तर्गत जनवरी, 1999 से जनवरी, 2003 तक सरकार द्वारा कितने हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये तथा कितने हैण्ड पम्प अब तक लगाये गये एवं कितने शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त क्षेत्र में वर्तमान में किस-किस ग्राम में हैण्ड पम्प चालू हालत में हैं तथा किस किस ग्राम/शहर में चालू हालत में नहीं हैं?

(3) उक्त क्षेत्र में कितने नाकारा हैण्ड पम्पों को ठीक किया जा चुका है तथा जो ठीक नहीं किये गये हैं उसके क्या कारण रहे हैं और इसके लिए कौन अधिकारी/कर्मचारी दोषी हैं व उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

(4) उक्त विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त अवधि में विधायक कोष से कितने हैण्ड पम्प किस-किस स्थान पर स्वीकृत किये गये हैं?

(5) क्या उक्त स्वीकृत हैण्ड पम्प लगाये जा चुके हैं?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र केशवरायपाटन के अन्तर्गत जनवरी, 1999 से फरवरी, 2003 तक 198 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये तथा अब तक 173 हैण्ड पम्प लगाये गये एवं 25 हैण्ड पम्प शेष रहे। सूची संलग्न है (परिशिष्ट-'अ')

(2) ग्रामवार विवरण परिशिष्ट-'ब' पर संलग्न है।

(3) उक्त क्षेत्र में 73 नकारा हैण्ड पम्प हैं। नकारा हैण्ड पम्प वे ही होते हैं, जो तकनीकी कारणों से ठीक नहीं हो सकते हैं, अतः कोई दोषी नहीं है।

(4) विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत उक्त अवधि में विधायक कोष से ऐसे हैण्ड पम्प जिनमें विभाग को कार्यकारी संस्था बनाया गया है, स्वीकृत नहीं किये गये हैं। उक्त अवधि में विधायक कोष से जिला ग्रामीण विकास अभिकरण बूंदी के माध्यम से 56 हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं। स्वीकृत हैण्ड पम्पों का विवरण मय स्थान एवं कार्यकारी एजेंसी के परिशिष्ट-'स' पर संलग्न है।

(5) जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, बूंदी से प्राप्त सूचना के अनुसार विधायक कोष से स्वीकृत 56 हैण्ड पम्पों में से 52 हैण्ड पम्प लगाए जा चुके हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

निजी कृषि भूमि पर पेयजल हेतु टांका/कुण्ड निर्माण की स्वीकृति

577. श्री वृद्धिचन्द जैन (बाड़मेर) : क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार ने राहत कार्य सम्वत् 2059 के अन्तर्गत दिनांक 4.12.2002 को पत्रांक एफ.1(2)(1)संख्या/राका/2002-03 के परिपत्र द्वारा कृषकों की निजी कृषि भूमि पर पेयजल हेतु टांका/कुण्ड आदि के निर्माण की स्वीकृति के सम्बन्ध में निर्देश जारी किये थे?

(श्री वृद्धिचन्द जैन)

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त परिपत्र के अनुसार विभिन्न जिलों में कृषकों ने आवेदन-पत्र भी प्रस्तुत किये? यदि हां, तो बाद में उक्त पर रोक लगाने के क्या कारण रहे?

(3) क्या राज्य सरकार उक्त व्यक्तिगत लाभ की योजना को शुरू कर भीषण अकाल में उपयोगी कार्य शुरू करेगी? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। भारत सरकार से गेहूं की पर्याप्त मात्रा आबंटित नहीं होने के कारण ये कार्य कुछ समय के लिए स्थगित किये गये थे। जो कार्य प्रारम्भ हो चुके थे उन्हें यथावत चालू रखा गया।

(3) राज्य सरकार द्वारा व्यक्तिगत लाभ योजना के अन्तर्गत टांकें/कुण्ड निर्माण के कार्यों पर लगी रोक, आदेश दिनांक 24.2.2003 द्वारा पूर्व में ही हटाई जा चुकी है।

विधान सभा क्षेत्र बस्सी के विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पद

578. श्री कन्हैया लाल (बस्सी) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बस्सी के समस्त राजकीय माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र अध्यापक (बालक-बालिका) संख्या कितनी-कितनी है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि उक्त में से अधिकांश विद्यालयों में निर्धारित छात्र/छात्रा अनुपात में अध्यापक/अध्यापिकाओं की संख्या मौजूद नहीं होने से अध्ययन अध्यापन कार्य बाधित हो रहा है? यदि हां, तो कौन-कौनसे विद्यालय में कब से निर्धारित छात्र अनुपात में अध्यापक नहीं हैं? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बोर्ड की परीक्षाओं को नजदीक देखते हुए छात्र हित में तत्काल अध्यापकों की तैनाती करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) पंचायत समिति बस्सी एवं चाकसू में माध्यमिक शिक्षा के अन्तर्गत संचालित राजकीय माध्यमिक विद्यालयों/उच्च माध्यमिक विद्यालयों की विद्यालयवार छात्र-अध्यापक संख्या का विवरण परिशिष्ट 'क' सदन के पठन पर रख दिया गया है।

(2) जी नहीं। उक्त विद्यालयों में रिक्त पदों एवं पद रिक्त रहने का कारण सहित सम्पूर्ण विवरण परिशिष्ट 'क' सदन के पटल पर रख दिया गया है।

(3) अध्यापक के अभाव में व्यवधान न हो इस हेतु गेस्ट फैकल्टी योजना के तहत शैक्षणिक व्यवस्था की गई है। सीधी भर्ती के रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान लोक सेवा आयोग को विभिन्न विषयों की अर्थनाएं प्रस्तुत की जा चुकी हैं तथा डीपीसी से भरे जाने वाले पदों हेतु डीपीसी आयोजन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। द्वितीय श्रेणी अध्यापकों के रिक्त पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से भरे जाने हेतु नियमों में संशोधन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(परिशिष्ट - 'क')

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	छात्र संख्या	स्वीकृत पदो की संख्या			रिक्त पदो की संख्या			कब से रिक्त हैं	रिक्त होने का
			व्या.	व.अ.	अध्या.	व्या.	व.अ.	अध्या.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	राउमावि, बस्सी	1271	21	13	03	01	–	–	02/2001	
2.	राउमावि, बासयों	463	04	07	07	–	–	–	–	
3.	राउमावि, तूंगा	1020	17	09	06	09	02	–	7, 10, 12/01 एवं 10, 11/2002	
4.	राउमावि, जटवाड़ा	483	08	08	02	–	02	–	11/01 एवं 10/02	
5.	राउमावि, रोजवाड़ी	231	–	06	01	–	–	–	–	
6	राउमावि, कोटखावदा (चाकसू)	799	05	11	07	–	03	–	07/01, 12/01	
7.	राबाउमावि, बस्सी	475	08	06	05	04	01	–	11/2002	
8.	रामावि, बड़वा	394	–	06	03–	–	–	–		
9.	रामावि, देवगांव	542	–	06	04	–	–	–	–	
10.	रामावि, झर	281	–	06	03	–	–	–	–	
11.	रामवि, कानोता	314	–	06	03	–	–	–	–	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
12.	रामावि लालगढ़	250	–	06	02	–	02	–	11/2002	
13.	रामावि, माधोगढ़	247	–	06	02	–	02	–	11/2002	
14.	रामावि, पाटन	261	–	06	02	–	02	–	07/2002	
15.	रामावि, राजपुरा पातलवास	176	–	06	01	–	01	–	10/2002	
16.	रामावि, साम्भरिया	348	–	06	05	–	–	–	–	
17.	रामावि, सुजानपुरा	216	–	06	03	–	01	–	08/2001	
18.	रामावि, रामनगर (चाकसू)	217	–	06	03	–	02	–	01/2003	
19.	रामावि, रूपाहेड़ाकलां (चाकसू)	197	–	06	02	–	02	–	09/1999, 01/2001	
20.	रामावि, गरूड़वासी (चाकसू)	325	–	06	02	–	–	–	–	
21.	रामावि, ठीकरियामीणान् (चाकसू)	137	–	05	01		–01	–	10/2002	
22.	रामावि, महादेवपुरा (चाकसू)	299	–	06	04	–	04	–	11/2002 एवं 09/2002	

औद्योगिक विवाद अधिनियम के तहत लम्बित प्रकरणों का निस्तारण

579. श्री अमराराम (धोद) : क्या श्रम राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 के तहत राजस्थान में वर्ष 1998 से दिसम्बर, 2002 तक कितने वाद असफल वार्ता के बाद श्रम विभाग में न्याय निर्णय के लिये लम्बित हैं?

(2) क्या श्रम सलाहकार मण्डल द्वारा निर्णय किया गया है कि असफल वार्ता के बाद दो माह में श्रम न्यायालय में प्रेषित कर देना चाहिये? ऐसे प्रकरण कौन-कौन से दो माह से अधिक समय से लम्बित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) वर्तमान विचाराधीन मामलों में नौकरी से बर्खास्त करने के कितने वाद हैं और क्या सरकार उक्त को वरीयता से शीघ्र निपटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) श्रम विभाग में न्याय निर्णय हेतु 1125 वाद लम्बित हैं।

(2) जी नहीं। दो माह से अधिक अवधि से लम्बित प्रकरणों की सूची परिशिष्ट-'अ' पर संलग्न है।

(3) वर्तमान विचाराधीन मामलों में नौकरी से बर्खास्त करने के 603 वाद हैं और सरकार प्राथमिकता से इन वादों के निपटारे का विचार रखती है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

औद्योगीकरण के प्रोत्साहन हेतु उठाये गये कदम

580. श्री हरजीराम बुरड़क (लाडनूं) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार द्वारा उद्योगों को सहायता प्रदान की जा रही है? यदि हां, तो क्या-क्या सहायता किस-किस प्रकार के उद्योगों को दी जा रही है?

(2) क्या सरकार द्वारा अनुदान भी दिया जा रहा है? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितना कितना व किस-किस प्रकार से?

(3) क्या राज्य में उद्योगों के विकास के लिए अनिवासी भारतीयों को आकर्षित करने के लिए भी प्रयास किया गया है? यदि हां, तो क्या-क्या तथा उसका परिणाम क्या रहा?

(4) भविष्य में राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाये जायेंगे?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा निम्नांकित योजनाओं में उद्योगों को सहायता प्रदान की जा रही है :

(उद्योग मंत्री)

1. डीजल जनरेटिंग सैट अनुदान

लघु स्तर के उद्योगों में, जिनमें प्लांट एवं मशीनरी में 60.00 लाख रुपये तक का विनियोजन है, डीजल जनरेटिंग सैट क्रय करने पर उसके मूल्य का 25% (अधिकतम 2.50 लाख) रुपये अनुदान दिया जाता है।

2. ब्याज अनुदान

लघु स्तर के उद्यमियों, जिनका प्लांट एवं मशीनरी में 60.00 लाख रुपये तक का विनियोजन है, उद्यम स्थापना के लिए सस्ती दर पर ऋण उपलब्ध कराने की दृष्टि से वित्तीय संस्थाओं को डाक्यूमेंट रेट ऑफ इंटरेस्ट का 2% राशि ब्याज अनुदान के रूप में देने का प्रावधान है। यह सुविधा उन उद्यमियों को उपलब्ध होगी, जो समय पर अपनी ऋण किस्तें चुकायेंगे।

3. बिक्री कर मुक्ति/आस्थगन योजना 1998

नये उद्योगों को प्रोत्साहन देने तथा विद्यमान उद्योगों के विस्तार एवं विविधीकरण करने एवं रूग्ण इकाइयों को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से बिक्री कर प्रोत्साहन/आस्थगन योजना–1998 लागू की। यह योजना 30 अप्रैल, 2000 से समाप्त कर दी गई है परन्तु ऐसे उद्योग जिनके द्वारा उक्त तिथि तक पंजीयन करा लिया गया है, को योजनान्तर्गत लाभ प्रदान किया जा रहा है। योजना का लाभ उद्योग की श्रेणी के अनुसार 5 से 13 साल की अवधि तक उपलब्ध कराया जाता है।

(2) राज्य सरकार द्वारा लघु उद्योगों हेतु डीजल जनरेटिंग सैट क्रय करने पर 25% (अधिकतम 2.50 लाख रुपये) अनुदान दिया जाता है ब्याज अनुदान योजना में 60.00 लाख रुपये तक के पूंजी निवेश के उद्योगों को वित्तीय संस्थाओं को रेट ऑफ इंटरेस्ट का 2% राशि ब्याज अनुदान के रूप में दी जाती है। मार्च, 2000 तक पंजीकृत उद्योगों को बिक्री कर मुक्ति/आस्थगन योजना–1998 के अन्तर्गत उद्योगों की श्रेणी के अनुसार 5 से 13 वर्ष की अवधि के लिये लाभ उपलब्ध कराया जाता है। उक्त अनुदान/वित्तीय सुविधाएं राज्य के समस्त जिलों में समान रूप से उपलब्ध है।

(3) राजस्थान औद्योगिक नीति 1998 के पैरा–13 के अन्तर्गत विदेशी निवेश एवं अप्रवासी भारतीयों के लिये उत्कर्ष तकनीकी एवं आधारभूत सुविधा के क्षेत्र में सुविधाएं देने की घोषणा की गई, जिसके अन्तर्गत निवेश सम्बन्धी नीति, नियम एवं प्रक्रिया को पारदर्शी बनाना राजस्थान हाउसिंग बोर्ड, जयपुर विकास प्राधिकरण, नगर विकास न्यास/ट्रस्ट द्वारा रिहायशी मकान तथा उद्योग हेतु भूखण्ड को प्राथमिकता के आधार पर आबंटन, औद्योगिक क्षेत्र में प्राथमिकता के आधार पर भूखण्ड का आबंटन तथा निवेश संवर्द्धन ब्यूरो द्वारा प्रत्येक सीधे विदेशी विनियोजन/अप्रवासी भारतीय परियोजनाओं के लिये एक नोडल अधिकारी की नियुक्ति ताकि उन परियोजनाओं को समस्त सुविधाएं प्रदान की जा सकें, आदि सम्मिलित है।

(4) राज्य में औद्योगीकरण को बढ़ावा देने हेतु और अधिक उधमी सहयोगी वातावरण तथा आधारभूत (इंफ्रास्ट्रक्चर) सुविधाओं का विकास

(उद्योग मंत्री)

किया जायेगा। राज्य में अधिक से अधिक उद्योग स्थापित हो इसके लिये प्रक्रिया में और सरलीकरण किया जावेगा तथा राज्य सरकार की नीतियों में पारदर्शिता लाने के प्रयास किये जावेंगे। राज्य में स्पेशियल इकोनोमिक जोन एवं एग्रो प्रोसेसिंग जोन स्थापित किये जावेंगे।

उदयपुर बाइपास के पुनः डामरीकरण में चिह्नित शर्तों की पालना

581. श्री खेमराज कटारा (उदयपुर ग्रामीण) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या अटलांटा इंफ्रास्ट्रक्चर द्वारा उदयपुर के बाइपास का निर्माण करवाया गया? यदि हां, तो कब एवं कितनी लागत का तथा किन-किन शर्तों पर? शर्तों की प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त में टोल-टैक्स वसूलने एवं पुनः डामरीकरण पेवर के माध्यम से करवाये जाने की भी शर्त थी? यदि हां, तो क्या उक्त शर्तों की पालना की गई और नहीं, तो क्यों?

(3) क्या गत द्वितीय वर्ष में पुनः डामरीकरण किया गया? यदि नहीं, तो उक्त के लिये कौन कौन अधिकारी जिम्मेदार हैं? क्या सरकार दोषियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो किस-किस के विरुद्ध कब तक और नहीं तो क्यों?

(4) गत वर्ष में जब पुनः डामरीकरण ही नहीं किया गया तो टोल-टैक्स की जनता से वसूली गई राशि किन नियमों के तहत एवं कितनी थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। यह निर्माण कार्य 31.3.98 को पूर्ण हुआ। इस कार्य की अनुबंध के अनुसार रुपये 23.99 करोड़ लागत है। शर्तों की प्रति प्रपत्र 'अ' में संलग्न है।

(2) जी हां। अनुबंध की शर्त के अनुसार कार्यवाही की जा रही है।

(3) जी नहीं।

(4) अनुबंध की शर्तों के अनुसार टोल वसूली की जा रही है।

प्रपत्र- 'अ'

LIST OF DRAWINGS AND SECTION IX - AGREEMENT BETWEEN GOR & ENTREPRENEUR, ACCEPTANCE OF GOR TO RAILWAYS ABOUT ROB's shall be deemed to form and be read and construed as part of this Agreement (all these documents and letters adre hereinafter collectively referred to as "Contract Document")

2.14.2 Other documents such as B.O.T. booklet alongwith additional details of the proposal of the Entrepreneur, and other correspondence between the Department and Entrepreneur are attached herewith as part of contract documents.

2.14.3 The words and expression used in this Agreement shall have the same meanings as are respectively assigned to them in the contract documents.

2.14.4 In case of conflict in between the provisions of this contract and the contract documents mentioned hereinbefore the terms of contract shall prevail over the conditions and details contained in the contract documents.

3. RIGHTS AND RESPONSIBILITIES OF THE ENTREPRENEUR.

3.0 In consideration of the GOI having agreed to allow the Entrepreneur to recover in the manner hereinafter provided for the project cost amounting to Rs. 23.99 crore including interest and profit thereon as specified in the financial quotation submitted by the Entrepreneur and/or the amount as varied in terms of this contract or any addition/deletion ordered by the Steering Group by way of the fee fixed by the Government under the National Highway Act, 1956, on the Motor Vehicles using the Udaipur Bypass Phase II and to be collected and retained by the Entrepreneur during the concession period, the Entrepreneur do hereby agree :

3.1.1 To execute and complete the project in all respects entirely at the cost of the Entrepreneur and strictly in accordance with the project profile specifying basic features and requirements of the project including its technical and financial requirements, codal provisions, design, drawings and work specifications as provided in the contract documents and as modified by the Steering Group and within the time limit specified therein, and to hand over the facility to Government at the end of the concession period in proper condition.

3.1.2 To duly carry out necessary repairs and maintenance to the project at his own cost (viz. Construction of Udaipur Bypass (Phase II) along with cross drainage works, 2 ROBs, bridge and underpasses, road intersections, road signs and pavement markings, landscaping, arboriculture, maintaining environmental requirements, fee collection arrangement and all other works connected with same strictly in accordance with the "level of service" provided in para 3.1.3 hereinafter and to keep them in proper condition till the end of concession period i.e. 11 years 8 months or as varied and to finally hand over the project in proper condition as specified herein-under, to the Government :

3.1.3 Level of Service :

That the Entrepreneur at his own cost shall maintain the pavement to following level of service standards :

Roughness	:	Below 4000 mm/km
Rutting	:	Below 20 mm
Cracking	:	Below 50% of cracks with width above 10 mm
Deflection	:	Upto 1 mm

The Engineer-in-Charge shall carry out the measurements of level of surface every six months and intimate the same to the Entrepreneur to carry out the necessary maintenance to bring the road back to the level of service mentioned above.

3.1.4 That the Entrepreneur shall repair and maintain the facility (bypass cross drainage works and Fee Collection arrangement, etc.) till it is finally handed over to the Government and maintain it in the same conditions and standard specified herein at his own cost, which is deemed to be included in the cost. The specifications for construction are given elsewhere in these documents in all pertinent particulars. The Entrepreneur shall in consultaion with the Engineer-in-Charge evolve repairs and maintenance manual and supply 10 copies within one month period from the start of maintenance period to the Steering Group for systematic monitoring of the maintenance of the facility. Periodicity of inspection, both routine and major, shall be fixed and inspection shall be carried out jontly by Entrepreneur's Engineer and the Engineer-in-Charge. The maintenance and repairs shall also include maintenance and repairs of electrical lighting of toll plaza, road signs, markings, road side furniture,

arboriculture, drainage works and all other connected components. The repairs and required payment of energy charges must be carried out causing minimum sible disturbance to the traffic. Charges for maintaining of this (keeping in good repair) and all other charges as specified in the contract entered into between GOR and Railway Authorities between GOR and the Entrepreneur (Section IX) shall be payable by the Entrepreneur to the Railway Authorities or GOR as required, for which concession period shall be suitably modified. The following specifications/code/manuals etc. shall apply to maintenance.

a) The roads and Cross Drainage works on them shall be maintanied as per the provision of Manual for Maintenance of Roads of IRC.

b) The Entrepreneur must maintain the road to the required standards. The roughness index (Bump integrator value) shall not be more than 2000 mm per km for the newly laid surface and it shall not be allowed to be deteriorated to beyond 4000 mm/km.

c) The Entrepreneur shall take suitable corrective measures for rectification of the camber and surface. The renewal of 25 mm thick semi dense asphaltic concrete wearing course shall be done on entire length on the Bypass in the 4th year and 50 mm BM with 25 mm thick asphaltic concrete at the end of 8th year. The period for renewal shall be reckoned from the date of completion of construction.

d) The Entrepreneur shall carry out repairs to pitching and other protective works promptly. Repairs to pot holes shall be carried out by the Entrepreneur in between the period of renewals and as soon as they are formed. Repairs to the roads surface in the form of patching and sealing the cracks etc. shall also be carried out whenever required. The Entrepreneur shall maintain the entire road profile longitudinally as well as transversely in a well drained condition. Any loss of earthwork in the embankments of shoulders shall be made good immediately. The maintenance of longitudinal drains, cross-drains is also the responsibility of the Entrepreneur. If necessary, the pavement shall be strengthened for the increased traffic load.

3.1.5 That if in the opinion of the Government of India GOR the repairs and maintenance is not done satisfactorily by the Entrepreneur, the same shall be done

by Government of Rajasthan at the risk and cost of the Entrepreneur after giving a notice of atleast 30 days and recover this from BG of performance Guarantee.

3.2 The Entrepreneur shall complete the entire project within 18 months or period as extended by the SG and the progress shall be in proportion to time as stated hereunder :

Time	Progress
1/4	1/8
1/2	3/8
3/4	3/4

3.3 The entire investment on the project including capital cost, interest on capital, collection and maintenance cost of the facility and any other charge incidental to the project during the period of concession, which shall be from the peroid of handing over landfor construction till end of concession period, will be borne/invested by the entrepreneur. Such investment will be recovered by him by levy of fee from the users of the. . . . . .

GOI GOR ENTREPRENEUR

प्रश्न संख्या–582

(स्थगित)

पंचायत समिति जहाजपुर (भीलवाड़ा) में कुओं की ब्लास्टिंग हेतु आमंत्रित निविदाओं में अनियमितताएं

583. श्री सांवर लाल (भिनाय) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या पंचायत समिति जहाजपुर (भीलवाड़ा) में राजीव गांधी पेयजल मिशन के अन्तर्गत सार्वजनिक कुओं को गहरा कराने की स्वीकृतियां जारी की गई? यदि हां, तो उक्त सम्बन्धी सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त कुओं में ब्लास्टिंग हेतु निविदाएं आमंत्रित की गई? यदि हां, तो किन किन शर्तों पर व किस-किस की निविदा प्राप्त हुई?

(3) क्या उक्त में न्यूनतम दर से निविदा भरने वाले को कार्य करने का आदेश दिया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री सांवर लाल)

(4) क्या नेगोशिएशन में निविदा देने वालों को आमंत्रित किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

(5) क्या उक्त कार्यवाही नियम विरुद्ध है? यदि नहीं, तो कैसे?

(6) क्या सरकार उक्त में दोषी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। पंचायत समिति जहाजपुर में राजीव गांधी पेयजल मिशन में सार्वजनिक कुओं को गहरा कराने बाबत जारी स्वीकृतियों की सूची संलग्न है। (अनुसूची 'अ')

(2) जी हां। निविदा की शर्तों की प्रति संलग्न है। (अनुसूची 'ब')

ब्लास्टिंग हेतु निम्न 3 ठेकेदारों की निविदाएं दर सहित प्राप्त हुई :

क्र.सं.	निविदादाता	दर
1.	मै. लाम्बा एन्टर-प्राइजेज- सांवर (अजमेर)	रु. 44.90 प्रति होल
2.	श्री पुखराज/लादू-लाल - किशनगढ़	रु. 45.00 प्रति होल
3.	श्री राम भंवर/जुवारा धाकड़-जामोली	रु. 47.00 प्रति होल

(3) जी नहीं। उक्त निविदा में न्यूनतम दर के निविदा भरने वाले को कार्य आदेश नहीं दिया गया क्योंकि कमेटी ने विचार विमर्श पश्चात् निर्णय लिया कि भीलवाड़ा जिले की अन्य पंचायत समिति में प्रचलित दर तथा कार्य भी बड़े पैमाने पर होने से यदि प्राप्त न्यूनतम दर में रुपये दो रुपये बातचीत से कम हो जाएं तो राजकीय मितव्ययता की दृष्टि से उचित रहेगा लेकिन न्यूनतम निविदादाता ने अपनी दरें कम नहीं की।

(4) जी हां।

(5) जी नहीं। दरें उचित नहीं होने के कारण निविदा कमेटी के सर्वसम्मत निर्णय दिनांक 9.12.2002 के मुताबिक निविदाएं निरस्त कर कार्य सम्बन्धित पंचायतों द्वारा अपने स्तर पर 43/- रुपये प्रति होल की दर तक ब्लास्टिंग कार्य कराने का फैसला लिया गया। (देखें अनुसूची 'स')

(6) जी नहीं। निविदा कार्यवाही राजकीय हित में मितव्ययता की दृष्टि से ही की गई है। इसमें कोई दोषी नहीं है क्योंकि अन्ततः निविदा निरस्त कर दी गई।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

साधारण श्रेणी के काश्तकारों के लम्बित कृषि कनेक्शन

584. श्रीमती सुमित्रा सिंह (झुंझुनूं) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार चार वर्षों से किसानों की खेती हेतु बिजली के नये कनेक्शन देने की नीति

(श्रीमती सुमित्रा सिंह)

की घोषणा करने में असमर्थ रही है? यदि नहीं, तो नीति क्या है?

(2) क्या यह सही है कि आम काश्तकार (साधारण श्रेणी) जिन्होंने 31 मार्च, 1990 से पूर्व कनेक्शन हेतु अपनी फाइल जमा करा दी थी तथा 12,000 रुपये एक खम्भे के तथा ट्रांसफार्मर की कीमत अलग से देने पर रजामंद होने के बावजूद भी अभी तक कनेक्शन के इंतजार में है?

(3) अब सरकार 31 मार्च, 1990 से पूर्व के प्रार्थियों को कब तक विद्युत कनेक्शन दे देगी?

उत्तर

(1) जी नहीं। प्रतिवर्ष किसानों की कृषि कनेक्शन जारी करने के सम्बन्ध में नीति जारी की जाती रही है। वर्तमान में चल रही कृषि नीति के अनुसार साधारण श्रेणी के आवेदकों के लिये राज्य में पंचायत समितिवार कट ऑफ डेट निर्धारित कर कृषि कनेक्शन दिये जाने का प्रावधान है। इनके अतिरिक्त राज्य में अनुसूचित जाति, जनजाति, उपयोजना क्षेत्र की अनुसूचित जनजाति, भारतीय सेना अर्द्धसैनिक बलों के सैनिकों के देश की सीमाओं व अन्य क्षेत्रों में युद्ध के दौरान शहीद होने पर उनके माता-पिता, विधवाओं, पुत्र, पुत्री को तुरन्त प्राथमिकता से कनेक्शन जारी करने का प्रावधान किया हुआ है।

सैनिकों, भूतपूर्व सैनिकों व उनकी विधवाओं, पुत्र, पिता व पौत्र, शारीरिक रूप से 40 प्रतिशत विकलांग, राष्ट्रपति द्वारा प्रदत्त पुलिस पदक प्राप्त कर्मियों को साधारण श्रेणी की कट ऑफ डेट से तीन वर्ष की प्राथमिकता दिये जाने का प्रावधान किया हुआ है।

(2) साधारण श्रेणी के ऐसे आवेदक जो श्रेणी परिवर्तन कर स्पेशल स्कीम में कनेक्शन लेना चाहते हैं, उनके द्वारा निर्धारित राशि जमा कराते हुए आवेदन करने पर तकनीकी रूप से साध्य पाये जाने पर व श्रेणी परिवर्तन पश्चात् औपचारिकताएं पूर्ण करने पर कनेक्शन जारी करने का प्रावधान किया हुआ है तथा ऐसे आवेदकों को कनेक्शन दिये जा रहे हैं।

(3) साधारण श्रेणी के कृषि आवेदकों को पंचायत समितिवार कट ऑफ डेट के अनुसार कनेक्शन जारी करन का प्रावधान किया हुआ है। साधारण श्रेणी के जो आवेदक कट ऑफ डेट की सीमा में आते हैं तथा जो तकनीकी रूप से साध्य होते हैं, उनको नियमानुसार मांग पत्र जारी कर कनेक्शन देने की कार्यवाही की जाती है। दिनांक 31 मार्च, 1990 से पूर्व के आवेदक जब भी निर्धारित कट ऑफ डेट की सीमा में आ जायेंगे तब उनको कनेक्शन देने की कार्यवाही की जायेगी।

समेकित ग्रामीण जलापूर्ति परियोजना के तहत धन्नासर हैडवर्क्स के निर्माण में अनियमितताएं

585. श्री सुरेन्द्र व्यास (मालपुरा) : क्या जनस्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री सुरेन्द्र व्यास)

(1) क्या यह सही है कि जिला चूरू, हनुमानगढ़ और झुंझुनूं के लिये समेकित ग्रामीण जलापूर्ति, सेनिटेशन एवं स्वास्थ्य शिक्षा परियोजना क्रेडिनेस्टाल फार विड्रावफू (जर्मनी) से ऋण लेकर प्रारम्भ की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि धन्नासर हैडवर्क्स पर अशुद्ध पानी जलाशय के निर्माण का कार्य ठेकेदार को दिया गया था?

(3) क्या यह सही है कि उक्त राशि बी.ओ.क्यू. में वर्जित दरों से 45 प्रतिशत अधिक है?

(4) क्या यह भी सही है कि कलस्टर वितरण प्रणाली को बिछाने एवं जोड़ने के कार्य के लिये बिना निविदाएं आमंत्रित किये आर्डर दे दिये गये जिसमें ठेकेदार को लगभग 18 लाख रुपये का अधिक भुगतान हुआ?

(5) क्या सरकार उक्त अनियमितताओं की जांच कराकर दोषी अधिकारियों पर उत्तरदायित्व निर्धारित कर दण्डित करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां।

(3) जी हां।

(4) जी नहीं।

(5) इसमें किसी प्रकार की अनियमितता नहीं बरती गई है।

राज्य में कक्षा पांचवीं में लागू बोर्ड परीक्षा का उद्देश्य

586. श्री मदन दिलावर (अटरू) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) कक्षा 5 वीं में बोर्ड की परीक्षा क्यों और किस उद्देश्य से लागू की गई थी? क्या 5वीं बोर्ड की परीक्षा में उत्तीर्ण होने से कम अंक लाने वाले विद्यार्थियों का छठी कक्षा में पढ़ाने का यानी फेल नहीं करने का निर्णय किस उद्देश्य से लिया गया?

(2) क्या सरकार उक्त उद्देश्य में सफल हुई? यदि नहीं, तो क्यों? अब पुन: 5वीं बोर्ड परीक्षा किस उद्देश्य से समाप्त की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्राथमिक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार एवं परीक्षा में समरूपता तथा विश्वसनीयता बनाने के उद्देश्य से 5वीं परीक्षा बोर्ड पैटर्न पर करवाने का निर्णय लिया गया था। छात्रों पर मानसिक दबाव कम हो तथा ड्राप-आउट न हो इसलिए छात्रों को फेल नहीं करने का निर्णय किया गया था।

(2) सत्र 2001-2002 में प्रारम्भ इस परीक्षा के गुणावगुण पर समग्र विचारोपरान्त उक्त निर्णय को वापस ले लिया गया।

जिला अलवर में विभिन्न निर्माण कार्यों में व्यय राशि की गुणवत्ता की जांच

587. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत चार वर्षों में जिला अलवर में विभिन्न मदों में कितनी राशि प्राप्त हुई? विधान सभा क्षेत्रवार सड़क, भवन व अन्य निर्माण कार्यों में कितनी-कितनी राशि व्यय की गई?

(2) क्या यह सही है कि स्वीकृत उक्त राशि में से अधिकांश राशि व्यय ही नहीं की गई? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि कतिपय विधान सभा क्षेत्रों में राशि व्यय करने में पक्षपात किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि खण्ड प्रथम, द्वितीय, तृतीय में राशि आबंटित करने में पक्षपात किया गया है? क्या कुछ सड़कें कृषि उपज मण्डी के द्वारा बनवाई गई हैं? यदि हां, तो कितने किलोमीटर?

(5) क्या सरकार उक्त सड़कों/भवनों की गुणवत्ता की जांच करायेगी? क्या उक्त में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जावेगी? यदि हां, कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) गत चार वर्षों में जिला अलवर में विभिन्न मदों में 3868.48 लाख की राशि प्राप्त हुई, जिसका विवरण परिशिष्ट 'अ' पर अंकित है एवं 2518.96 लाख रुपये की राशि व्यय की गई। विधान सभा क्षेत्रवार व्यय का विवरण परिशिष्ट 'ब' पर अंकित है।

(2) जी हां। यद्यपि विभाग द्वारा आबंटित राशि का समुचित व्यय करने का प्रयास किया गया है। फिर भी किसी-किसी मद में आबंटित राशि संवेदकों द्वारा समय पर कार्य सम्पादित न किये जाने या भूमि विवाद इत्यादि की वजह से पूर्ण व्यय नहीं किया जा सका।

(3) जी नहीं।

(4) जी नहीं। कृषि उपज मण्डी द्वारा अलवर जिले में गत चार वर्षों में 348.80 किमी. लम्बाई में सड़कें बनाई गई हैं।

(5) कोई जांच प्रस्तावित नहीं है।

परिशिष्ट–'अ'

गत चार वर्षों में जिला अलवर के लिये आबंटन राशि

(राशि लाखों में)

क्र.सं.	मद	1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	योग
1	2	3	4	5	6	7
1.	4059 लोक निर्माण	38.65	23.49	7.02	8.48	77.64
2.	4202 शिक्षा	31.11	9.25	3.23	2.68	46.27
3.	4210 चिकित्सा	77.88	17.79	7.84	25.75	129.26
4.	4211 परिवार कल्याण	4.99	0.18	1.77	2.00	3.34
5.	4216 आवास	67.12	27.41	23.33	14.00	131.86
6.	4225 एस.सी. एस.टी.	2.51	1.04	0.50	–	4.05
7.	4401 कृषि	1.14	17.74	1.35	–	20.23
8.	2245 बाढ़	150.35	–	–	–	150.00
9.	4250 आई.टी.आई.	0.05	6.72	1.44	–	10.21

1	2	3	4	5	6	7
10.	48.85 उद्योग	–	–	6.93	–	8.98
11.	42.35 सामाजिक सुरक्षा	–	–	–	10.40	10.40
12.	2059 लोकनिर्माण	19.53	18.11	23.61	34.64	95.89
13.	2852 इंडस्ट्रीज	–	1063	0.57	–	11.20
14.	2853 खान	6.02	10.83	1.11	–	17.76
15.	5054 लोक निर्माण मय पी.एम.जी.एस.वाई.	632.84	339.88	468.96	195.09	1936.77
16.	3054 सड़क पुल	365.77	332.00	345.00	168.50	1211.27
	योग	1397.96	816.87	892.11	761.54	3868.48

परिशिष्ट-'ब'

क्र.सं.	विधान सभा क्षेत्र का नाम	गत चार वर्षों में व्यय (लाखों में)				योग
		1998-1999	1999-2000	2000-2001	2001-2002	
1.	अलवर	147.51	90.46	69.17	101.98	409.12
2.	रामगढ़	39.36	30.25	86.42	15.00	171.03
3.	खैरथल	63.75	41.28	31.25	13.06	149.34
4.	बानसूर	61.30	35.96	15.08	22.29	134.63
5.	बहरोड़	100.25	85.70	50.41	9.08	245.44
6.	तिजारा	64.13	71.42	16.21	46.53	198.29
7.	मुण्डावर	32.62	33.09	163.34	33.54	262.59
8.	लक्ष्मणगढ़	105.29	55.13	69.21	37.36	266.99
9.	राजगढ़	106.52	64.31	31.62	43.81	246.26
10.	कठूमर	0.33	4.40	20.08	46.95	71.76
11.	थानागाजी	178.00	89.93	85.19	10.39	363.51
	योग	899.06	601.93	637.98	379.99	2518.96

जनशक्ति विभाग में नियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं को नियमानुसार देय परिलाभ

588. श्री अरुण सिंह (डीग) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या यह सही है कि जनशक्ति विभाग से पंचायती राज विभाग में नियुक्त कनिष्ठ अभियंता सरकार के कर्मचारी हैं? यदि हां, तो क्या उक्त पर सरकार के सभी नियम लागू हैं?

(2) क्या उक्त हेतु अन्य नये नियम बनाये गये हैं? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में बनाये गये नये नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त कनिष्ठ अभियंताओं को सेवा सम्बन्धी अन्य परिलाभ वेतन वृद्धि, भत्ते इत्यादि राज्य सरकार के नियमानुसार देय नहीं हैं? यदि हां, तो क्यों?

(4) उक्त कनिष्ठ अभियंताओं के बारे में क्या सरकार कोई विचार कर रही है? उक्त के नियमितीकरण की प्रक्रिया पूर्ण करने में विलम्ब के लिये कौन दोषी है?

उत्तर

(1) विभाग द्वारा वर्ष 1996, 1997 एवं 1998 में आयोजना (जनशक्ति) विभाग से मेरिट सूची मंगवाई जाकर आवश्यक/अस्थाई आधार पर कनिष्ठ अभियंताओं को नियुक्ति दी गई थी। चूंकि उक्त कनिष्ठ अभियंता राज्य सरकार के आवश्यक/अस्थाई कर्मचारी हैं। ऐसी स्थिति में उक्त कर्मियों पर सरकार के सभी नियम लागू नहीं है।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। उक्त कनिष्ठ अभियंता पंचायत विभाग में आवश्यक/अस्थाई आधार पर नियुक्त हैं। इस कारण इन्हें वेतन वृद्धि इत्यादि का लाभ नहीं दिया जा रहा है।

(4) RAPSAR Act लागू होने के उपरांत तदर्थ/अस्थाई आधार पर नियुक्त कनिष्ठ अभियंताओं को नियमितीकरण किया जाना सम्भव नहीं है।

विधान सभा क्षेत्र भादरा के प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशन

589. श्री संजीव कुमार (भादरा) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :–

(1) क्या विधान सभा क्षेत्र भादरा में 33/11 केवी. ग्रिड सब स्टेशन बनाये जाने प्रस्तावित हैं? यदि हां, तो कितने और कौनसी जगह पर?

(2) क्या सरकार उक्त प्रस्तावित ग्रिड सब स्टेशनों को स्वीकृत करके शीघ्र बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र भादरा के ग्राम गांधी बड़ी में 33/11 केवी. सब स्टेशन प्रस्तावित किया गया है।

(ऊर्जा मंत्री)

(2) उक्त सब-स्टेशन के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धि व प्राथमिकता के अनुसार स्वीकृत करके अग्रिम कार्यवाही की जावेगी।

ग्राम चामुण्डेरी (पाली) में पेयजल आपूर्ति की प्रस्तावित योजना

590. श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या तहसील बाली (पाली) के ग्राम चामुण्डेरी, लुनदाड़ा लालपुरा व चिमनपुरा में पेयजल आपूर्ति हेतु चामुण्डेरी से पानी लाने की कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो उक्त योजना पर कितनी राशि व्यय हुई?

(2) क्या यह सही है कि चामुण्डेरी के उक्त गांवों को पेयजल आपूर्ति हेतु पानी की पाइप लाइन डालने के बावजूद अभी तक पेयजल की आपूर्ति नहीं हो रही है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त गांवों को पेयजल हेतु चामुण्डेरी में बनी पानी की टंकी तक पानी पहुंचाने के पाइप पानी के चढ़ाने व उतरने के प्रेशर से फट जाते हैं? यदि हां तो सरकार इसके लिए क्या वैकल्पिक उपाय कर रही है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। तहसील बाली के ग्राम लालपुरा व चिमनपुरा में पेयजल आपूर्ति हेतु चामुण्डेरी के जल स्रोत से विस्तार योजना रुपये 9.66 लाख की स्वीकृत हुई थी। इस योजना पर 12.81 लाख रुपये का व्यय हुआ है। ग्राम चामुण्डेरी पहले से ही पाइप्ड योजना के रूप में संधारण में है। लुन्दाड़ा हैण्ड पम्प योजना के रूप में लाभान्वित है एवं इस योजना में लुन्दाड़ा हेतु कोई प्रावधान नहीं लिया गया था।

(2) जी हां। यह सही है कि लगातार 4 वर्षों से अकाल पड़ने के कारण ग्राम लालपुरा व चिमनपुरा को पानी की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ग्राम लालपुरा की 1991 की आबादी 516 व वर्तमान आबादी लगभग 670 है। गांव में 4 हैण्ड पम्प कार्यरत है। ग्राम चिमनपुरा की 1991 की आबादी 685 है एवं वर्तमान आबादी लगभग 890 है तथा 4 हैण्ड पम्प कार्यरत हैं। दिनांक 17 फरवरी, 2003 को हुई वर्षा से जल स्रोत कुछ रिचार्ज हुए हैं जिससे ग्राम चिमनपुरा की आपूर्ति शुरू कर दी गयी है।

आपातकालीन योजना लालपुरा-चिमनपुरा के अन्तर्गत माह जनवरी, 2003 में एक नलकूप खुदवाया गया था, जो असफल रहा था किन्तु फरवरी, 2003 में इसी नलकूप में हाइड्रोफैक्चरिंग करवाने से लगभग 7000 लीटर प्रति घंटा का पानी मिला है, जिससे ग्राम लालपुरा को विद्युत सम्बन्ध लेकर लाभान्वित किया जाना प्रस्तावित है।

(3) चामुण्डेरी पाइप्ड जल योजना के संवर्धन (40 से 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) में 250 किलो लीटर टंकी का प्रावधान था जो

(जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री)

पहाड़ी पर बनाई गई थी। इस टंकी से चामुण्डेरी मात्र को ही जल वितरित करना अभिकल्पित था। अल्प वर्षा के कारण जल स्रोत में आवक में कमी होने के कारण जब पाइप लाइन बन्द थी, तब उसी पाइप लाइन पर सड़क निर्माण के समय रोड रोलर चलने के कारण पाइप जगह-जगह से क्रैक हो गये। पानी उपलब्ध होने पर पाइप लाइन टेस्ट करते समय पाइपों में प्रैशर के कारण हेयर क्रैक के स्थानों से पाइप फट जाते हैं।

इस पाइप लाइन के पुनःरूद्धार हेतु प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं, जिसकी स्वीकृति व क्रियान्वयन प्राथमिकता व धन उपलब्धि के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है। इससे ग्राम चामुण्डेरी की वितरण स्थिति में सुधार होगा।

राज्य में अपराधों की रोकथाम हेतु प्रस्तावित योजना

591. श्री शिवनाथ सिंह (गुढ़ा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2002 से जनवरी, 2003 तक की अवधि में राज्य में हत्या, अपहरण, डकैती, चोरी तथा बलात्कार की कितनी-कितनी घटनाएं हुई?

(2) गत पांच वर्षों की अवधि में इस प्रकार के घटित अपराधों के मुकाबले इस अवधि में घटित मामलों की संख्या में कितनी कमी या बढ़ोतरी हुई है?

(3) उक्त अपराधों को रोकने हेतु क्या कोई विशेष योजनाएं बनाई जा रही हैं?

उत्तर

(1) वर्ष 2002 से जनवरी 2003 तक की अवधि में राज्य में हत्या की 1364, अपहरण की 2764, डकैती की 50, चोरी की 17878 तथा बलात्कार की 1156 घटनाएं हुई हैं।

(2) गत पांच वर्षों की अवधि के मुकाबले उक्त अवधि में घटित मामालें की संख्या में कमी हुई है। परिशिष्ट 'क' में विवरण संलग्न है।

(3) उक्त अपराधों को रोकने हेतु स्पेशल आपरेशन ग्रुप (एस.ओ.जी.) का गठन किया जा चुका है।

परिशिष्ट–'क'

राज्य में वर्ष 2002 एवं माह जनवरी-2003 में हत्या, अपहरण, डकैती, चोरी व बलात्कार शीर्षकों में दर्ज अभियोगों की तालिका

शीर्षक	वर्ष-2002 में दर्ज प्रकरण	माह जनवरी 2003 में दर्ज प्रकरण	वर्ष 2002 से जनवरी 2003 तक दर्ज प्रकरण
1-हत्या	1276	88	1364
2-अपहरण	2587	177	2764
3-डकैती	47	3	50
4-चोरी	16313	1565	17878
5-बलात्कार	1051	105	1156

वर्ष-2002 से जनवरी 2003 तक निम्नलिखित शीर्षकों में दर्ज अभियोगों का निस्तारण स्थिति

शीर्षक	दर्ज प्रकरण	एफ.आर. अ.वकू (झूठ)	एफ.आर. अन्य	चालान	पैंडिंग पैंडिंग
हत्या	1364	179	96	816	273
अपहरण	2764	1465	249	708	342
डकैती	50	2	5	29	14
चोरी	17878	2080	10489	3917	1392
बलात्कार	1156	339	10	616	191

राज्य में गत 5 वर्षों में हत्या, डकैती, चोरी,अपहरण व बलात्कार की घटनाओं की गत वर्ष की घटनाओं से तुलनात्मक तालिका

क्र.सं.	वर्ष	हत्या	डकैती	चोरी	अपहरण	बलात्कार
1.	1998	1514	140	18044	3066	1266
		-2.82%	-6.43%	+1.25%	+5.00%	+0.88%
2.	1999	1520	109	17730	3157	1198
		+0.40%	-22.14%	-1.74%	+2.97%	-5.37%
3.	2000	1513	99	17026	3070	1242
		-0.46%	-9.17%	-3.97%	-2.76%	+3.67%
4.	2001	1259	60	16939	2718	1049
		-16.79%	-39.39%	-0.51%	-11.47%	-15.54%
5.	2002	1276	47	16313	2587	1051
		+1.35%	-21.67%	-3.70%	-4.82%	+0.19%
पूर्ण अवधि के		कमी	कमी	कमी	कमी	कमी

विधान सभा क्षेत्र दानपुर के क्रमोन्नत विद्यालय

592. **श्री भाणजी (दानपुर)** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में गत चार वर्षों में कितने उच्च प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन किया गया है?

(2) क्या यह सही है कि उक्त क्षेत्र में उक्त अवधि में विद्यालयों के क्रमोनयन की संख्या नगण्य है? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार अब उक्त क्षेत्र के विद्यालयों को क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र दानपुर में गत चार वर्षों में क्रमोन्नत किये गये विद्यालय निम्नानुसार हैं :-

उ.प्रा.से मा.	मा.से उ.मा.
गामड़ी	सुखानिया
नागाबाड़ा	नावागांव
खेड़ावडलीपाड़ा	करजी
	ठिकरिया (बा.)
	सुरपुर
	खान्दूकोलोनी (बा.)

उच्च माध्यमिक विद्यालयों को विभाग द्वारा क्रमोन्नत नहीं किया जाता है।

(2) जी नहीं। सीमित वित्तीय साधनों में क्षेत्र की मांग, गांव की जनसंख्या, अंतिमं कक्षा की छात्र संख्या, फीडिंग विद्यालय, कुछ छात्रों की संख्या उपलब्ध सुविधा व गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं।

(3) वित्तीय वर्ष 2002-03 से प्रावधित बजट के अनुसार विद्यालय क्रमोन्नत करने का कार्य पूर्ण हो चुका है। आगामी वित्तीय वर्षों में विद्यालय क्रमोन्नति के लिए बजट प्रावधान उपलब्ध होने पर क्षेत्र की मांग, गांव की जनसंख्या, अंतिम कक्षा की छात्र संख्या, विद्यालय की कुल छात्र संख्या, फीडिंग विद्यालय उपलब्ध सुविधा एवं गुणावगुण के आधार पर अन्य क्षेत्र के विद्यालय क्रमोन्नत करते समय विधान सभा क्षेत्र दानपुर के विद्यालय क्रमोन्नति के प्रस्ताव प्राप्त होने पर विचारार्थ रखा जा सकेगा।

विधान सभा क्षेत्र मनोहरथाना में सड़क सुदृढ़ीकरण हेत आमंत्रित निविदाएं

593. **श्री जगन्नाथ (मनोहर थाना)** : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र मनोहर थाना में सड़क उन्नयन एवं सुदृढ़ीकरण योजना के तहत आसलपुर से भारता, अकलेरा से मनोहर थाना से राजगढ़, मनोहर थाना से बीनागंज, मनोहर थाना से हरनावदा व शोरती, चन्दीपुर, जावर की सड़क डामरीकरण की कब स्वीकृति जारी की गई थी? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री जगन्नाथ)

(2) उक्त सड़कों के डामरीकरण हेतु कितनी–कितनी राशि कितने–कितने किलोमीटर हेतु स्वीकृत की गई? उक्त कार्यों के लिये कब–कब निविदाएं आमंत्रित की गईं एवं किस–किस दिनांक को उक्त कार्यों हेतु ठेके दिये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त सड़क डामरीकरण कार्य करवाये जाने की समयावधि क्या निश्चित की गई थी? क्या निश्चित समयावधि में ठेकेदार के द्वारा कार्य पूर्ण करवाया गया? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त में दोषी के विरुद्ध सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

(4) उक्त स्वीकृत सड़क डामरीकरण कार्य में से कितने पूर्ण हो चुके हैं, कितने चल रहे हैं तथा कितने कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं किये गये हैं और कब तक पूर्ण करवा दिये जावेंगे?

उत्तर

(1) प्रश्न में वर्णित सभी सड़कों पर डामरीकरण की स्वीकृतियां दो चरणों में क्रमशः 24.11.01, 26.2.02 तथा 1.7.02 को जारी की गई। विवरण प्रपत्र 'अ' में संलग्न है।

(2) वांछित विवरण प्रपत्र 'ब' में संलग्न है।

(3) प्रथम चरण में स्वीकृत कार्यों में से आसलपुर–भालता सड़क को पूर्ण करने की अवधि 5 माह थी तथा अन्य सभी सड़कों के डामरीकरण पूर्ण करने की अवधि 8 माह थी। द्वितीय चरण के कार्यों को पूर्ण करने की अवधि 7 माह थी। संवेदकों द्वारा विलम्ब किये जाने के कारण कार्य प्रथम चरण में निश्चित समयावधि में पूर्ण नहीं हो सके इसके लिये दो कार्यादेशों के विरुद्ध अनुबंध के अनुसार शास्ति क्रमशः 7, 63, 713 रु. एवं 38, 675 रुपये काटी जा चुकी है। द्वितीय चरण के कार्यों के लिए अनुबंध की शर्तों के अनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(4) स्वीकृत कार्यों में से 7 कार्य पूर्ण हो चुके हैं एवं शेष सभी 4 कार्य प्रगति पर हैं। उनको माह जून, 2003 तक पूर्ण किया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

जिला पाली में आयोजित ग्राम सेवकों की लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अनियमितता की जांच

594. श्री केसाराम चौधरी (खारची) : क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि वर्ष 1999 में जिला पाली में ग्राम सेवकों को आयोजित लिखित प्रतियोगी परीक्षा में अंकतालिकाओं में अंकित अंक व उत्तर पुस्तिकाओं में अंकित अंकों में भिन्नता पाई गई? यदि हां, तो उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारी कर्मचारी कौन–कौन से हैं और उक्त के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री केसाराम चौधरी)

(2) क्या सरकार पुन: उक्त जिले में उक्त प्रतियोगी वापस आयोजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जी हां। उक्त प्रकरण में दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने व उच्च स्तरीय जांच हेतु कार्मिक विभाग को पत्र क्रमांक 5491 दिनांक 27.7.2001 के द्वारा लिखा जा चुका है।

(2) जी नहीं। पूर्व वर्ष 1999 में जिला पाली में सम्पन्न लिखित परीक्षा राज्य सरकार केआदेश दिनांक 28.5.2002 द्वारा निरस्त की जा चुकी है।

परिशिष्ट-2

(अतारांकित प्रश्न संख्या-888 की सूची)

परिशिष्ट-'अ'

लम्बित विभागीय जांचों की सूचना

क्र.सं.	नाम चिकित्सक मय पद नाम	दिनांक से विचाराधीन
1.	डा. मनोज शर्मा, सहायक आचार्य मेडिसिन	10.06.1999
2.	डा. अक्षयराज, उप निदेशक, फिजिकल मेडिसिन एवं रिहिबिलिटेशन	वर्ष 2000
3.	डा. जे.एन. मेहता, आचार्य सर्जरी	17.03.2001
4.	डा. आर.के. जैनव, सहायक आचार्य	17.03.2001
5.	डा. आर.सी. सुनार, सहायक आचार्य	17.03.2001
6.	डा. गुरुदत्त रेपुरिया, सीएएस सर्जरी	17.03.2001
7.	डा. मुमताज अली, चिकित्सा अधिकारी एक्सीडेंट इमरजेंसी	16.08.2001
8.	डा. अंजुम सैयर, सहायक आचार्य, निश्चेतन	15.11.1999
9.	डा. रमाकांत सक्सेना, आचार्य, सी.टी. सर्जरी (सेवानिवृत्त)	31.01.2002
10.	डा. एम.डी. चित्तौड़ा, सह आचार्य मेडिसिन	08.02.2002
11.	डा. एस.के. चुट्टानी, सह आचार्य, कार्डियोलोजी	09.08.2001

परिशिष्ट-3

(अतारांकित प्रश्न संख्या-889 की सूची)

पताका 'क'

क्र.सं.	नाम अधिकारी सर्वश्री	वेतन श्रृंखला	पद का नाम
1.	देवेन्द्र शर्मा	कनिष्ठ	महाप्रबन्धक, गंगानगर स्पिनिंग मिल्स, गुलाबपुरा (भीलवाड़ा)
2.	स्वरूप लाल पालीवाल	वरिष्ठ	महाप्रबन्धक, स्पिनिंग मिल्स, हनुमानगढ़
3.	रिक्त	–	महाप्रबन्धक, स्पिनिंग मिल्स, गंगापुर (भीलवाड़ा)

परिशिष्ट-4

(अतारांकित प्रश्न संख्या-892 का विवरण)

परिशिष्ट 'अ'

इकाइयों का नाम, कुल ब्याज, वसूल की गई राशि, डिक्री प्राप्त करने की तिथि एवं शेष राशि का इकाइवार विवरण

क्र.सं.	इकाई का नाम	डिक्री	कुल	वसूल	शेष राशि
1.	अल्विनो पोलीपैक	22.8.2000	1,33,67,909	81,44,786	52,23,123
2.	डायमण्ड मार्बल्स लि.	4.9.1999	23,45,000	13,38,000	10,07,000
3.	आसुप सिंथेटिक्स एण्ड केमि. लि.	22.8.2000	40,56,754	35,92,260	4,64,494
4.	एक्रोप्लास्ट लि.	8.1.2000	46,83,078	31,53,472	15,29,606
5.	न्यू इण्डिया फैशन फैब्रिक्स लि.	15.5.2002	39,87,003	24,92,681	14,94,322
6.	रीजेंसी फूड प्रोडक्ट्स लि.	8.1.2000	1,18,56,520	72,86,228	45,70,292
7.	इण्डिया इलैक्ट्रोनिक्स लि.	30.8.2001	92,65,321	42,66,240	49,99,081
8.	यूनिवर्सल कम्प्यूटर्स लि.	17.7.2001	37,22,807	32,23,488	4,99,319
9.	इंट्रोनिक्स कम्पोनेंट लि.	17.7.2001	31,94,420	17,50,021	14,44,399
10.	राजस्थान ऑयल इण्डस्ट्रीज	8.8.2002	41,16,079	30,03,750	11,12,329
11.	राजस्थान वूलटेक्स लि.	20.7.2002	1,39,66,488	60,45,676	79,20,812
12.	मृदुल टेक्सटाइल्स	9.1.2003	46,01,584	28,11,000	17,90,584
	योग		7,91,62,963	4,71,07,602	3,20,55361

परिशिष्ट-5

(अतारांकित प्रश्न संख्या-894 का विवरण)

परिशिष्ट-'क'

प्रशिक्षण (ट्रेडवाइज) कार्यक्रम में प्रयुक्त कच्चे माल के मूल्य का विवरण

क्र.सं.	ट्रेड का नाम	बैच कोड	प्रशिक्षण सामग्री का मूल्य
1.	ममता किट	1401	215
2.	टू व्हीलर मरम्मत	3101	3638
3.	बन्धेज कार्य	1809	6447
4.	बन्धेज कार्य	1810	5466
5.	बन्धेज कार्य	1811	4760
6.	फल संरक्षण एवं अचार निर्माण	706	3141
7.	फल संरक्षण एवं अचार निर्माण	707	3922
8.	बिजली मोटर बाईंडिंग	2301	10902
9.	बिजली मोटर बाईंडिंग	2302	11758
10.	सिलाई एवं कटिंग	1909	3715
11.	सिलाई एवं कटिंग	1910	5055
12.	सिलाई एवं कटिंग	1911	4391
13.	सिलाई एवं कटिंग	1912	1830
14.	घरेलू बिजली उपकरण मरम्मत	2201	4258
15.	घरेलू बिजली उपकरण मरम्मत	2202	4916
16.	घरेलू बिजली उपकरण मरम्मत	3001	794
17.	लाख चूड़ी निर्माण	1104	1636
18.	लाख चूड़ी निर्माण	1105	1292
19.	नमदा कार्य	2104	11281
20.	नमदा कार्य	2105	12152
		कुल योग	104569

परिशिष्ट–'ख'

स्टाक पोजीशन

क्र.सं.	विवरण	संख्या
1.	ब्लाउज	40
2.	घघरी	50
3.	फ्राक 30	
4.	झबले	60
5.	सलवार कमीज	10
6.	बैड शीट्स	10

नमदा आइट्म्स

1.	ड्अर मेट्स	6
2.	बैग	3
3.	टैबलमेट	13
4.	वाल हैंगर्स	3
5.	कुशन	2
6.	टी कोस्टल	27
7.	डिस्प्ले मेट (बड़ी साइज)	02

परिशिष्ट–'ग'

क्र. सं.	ट्रेड का नाम	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	टूल किट में रखा गया आइटम	आपूर्तिकर्त्ता का नाम	क्रय राशि	क्रय का आधार
1.	कटिंग टेलरिंग	200	9" पीतल कैंची, इंचटेप एवं चाक बाक्स	टेलरिंग मेटीरियल हाउस, पं. शिवदीन का रास्ता, जयपुर	10,258/-	क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार
2.	इलैक्ट्रिक हाउस वायरिंग	100	छोटा हथौड़ा, छह इंच प्लास, टेस्टर, पेचकस आठ इंच	वासूमल लालचंद, 76, त्रिपोलिया बाजार, जयपुर	15686/-	क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार
3.	टू व्हीलर रिपेयर	30	पांच स्पेनर, पेचकस, प्लग पाना, सोलिड बाक्स, स्पेनर	उमेश हार्डवेयर स्टोर, 291, इंदिरा बाजार, जयपुर	4,488/-	क्रय समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रियानुसार
		330			30,432/-	

परिशिष्ट 'घ'

फैकल्टी डवलपमेंट प्रोग्राम में बांटे गये बैग एवं स्मृति चिह्न का विवरण

क्र.सं.	किनको बांटे गये	बैग
1.	प्रशिक्षणार्थी	33
2.	रीजनल कार्डिनेटर	01
3.	मुख्य अतिथि समापन समारोह	01
4.	विशिष्ट अतिथि	02
5.	स्थानीय कार्यालय सहायक	01
	कुल	38

स्मृति चिह्न

क्र.सं.	किनको बांटे गये	बैग
1.	मुख्य अतिथि उद्‌घाटन समारोह	01
2.	निदेशक, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी (BITS)	03
3.	उप निदेशक, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी (BITS)	01
4.	रीजनल कोर्डिनेटर	01
5.	मुख्य अतिथि समापन समारोह	01
6.	बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी (BITS) की फैकल्टी	09
	कुल	16

परिशिष्ट-6

परिशिष्ट–'अ'

(अतारांकित प्रश्न संख्या–905 की प्रति)

APPRECIATIONS - NATIONAL AND INTERNATIONAL AGENCIES

1. **Govt. of India Letter to Chief Secretary, Govt. of Rajasthan :**

"Rajasthan has made rapid progress in expanding RNTCP and in spite of this quality of programme has largely been maintained. The detection rate, conversion rate & cure rates have been very good. Which is remarkable achievement.

J.A. Choudhary, Health Secretary

Oct. 12, 2000

2. **World Health Organisation - South East Asia Regional Office, New Delhi:**

"Rajasthan has accomplished one of the most rapid & effective expansion of DOTS Strategy ever documented for which it deserved tremendous credit."

Oct. 11, 2000

3. **World Health Organisation - Geneva Achievements in RNTCP : WONDERHUL**

Dr. Fabio, March 5, 2001

4. **Joint Secretary, MOHFW - Sh. Deepak Gupta :**

Visited Rajasthan from 24th Dec. 2001 to 30th Dec. 2001

"Rajasthan is fully covered under RNTCP and has witnessed the fastest expansion in India, perhapes the world. What is even more praiseworthy is that high quality has been achieved.

5. **Dr. Thomas R. Frieden, SEARO, WHO, New Delhi :**

Visited Rajasthan on 10th & 11th January 2002 - Letter Dated Jan. 15, 2002

Dr. Thomas R. Frieden along with Mr. Brooke Unger, South Asia Bureau Chief of "The Economics" and made following comments of Rajasthan's achievements in RNTCP :

a) "Anyway, with an asterisk (for the preliminary data at least), Rajasthan appears to have met Global Targets for TB control. If Rajasthan was a country, it would be the second largest country in the world to have met global targets, after Vietnam. CONGRATULATION to all who have worked with dedication to the programme."

b) The primary reasons for the success in Rajasthan appear to be, on the one hand, good cooperation between technical and administrative authorities, and intensive supervision at all levels.

6. Team from Tuberculosis Research Centre, Chennai :

Dr. Rani Balasubramanium Dy. Director ; Dr. Aleyamma, Thomas, Dy. Director Sr. Grade and Dr. Selv Kumar :

Visited Rajasthan from 2.1.2002 to 6.1.2002 :

"Thank you very much for your excellent hospitality and cooperation extended to us during our visit to Rajasthan. On behalf of our team members and others, I would like to thank you for the excellent opportunity given to us to observe the well conducted RNTCP programme in your state."

7. Team from DANID (DANTB) and Health Department, Orissa :

Team members were 2 officers from DANTB, Jt. Director Health Services, Dy. Director of Health Services. I MO-TU & 2 STSs.-

Visited Rajasthan From 10.12.01 to 13.12.01:

"There is an exemplary commitment in the whole state to control Tuberculosis which is presentable right from Sub-centre level up to the top most level in administration. The cooperation & the commitment of the Govt. is par excellence. Nevertheless, the total involvement and dedication of the Health functionaries had contributed a lot."

8. Tuberculosis Research Centre, Chennai :

Three Senior Officers from TB Research Centre who visited Rajasthan were highly impressed by the implementation of the DOTS programme and suggested that Rajasthan State can be a "MODEL STATE" of RNTCP.

DR. P. R. Narayanan, Director, TRC, Chennai
18th Jan, 2002

9. Hield Visit by : Uttar Pradesh STO, DTO, MOTC - during their training :

State programme officers of U. P. and officers of CTD have chosen Rajasthan for field visit to their DTOs & MOTCs, so that they can see Ideal implementation of RNTCP to be followed in their state.

Visitors in their ramerks have commented "we are fascinated to see bookish implementation of RNTCP in Rajasthan and overwhelmed by the commitment of Medical staff, administration, Beurocrates and Govt. to wards RNTCP."

परिशिष्ट-7

(अतारांकित प्रश्न संख्या-906 का विवरण)

परिशिष्ट 'अ'

पंचायत समिति का नाम	चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या	रिक्ति की अवधि
1	2	3	4	5
धौलपुर	जिला चिकित्सालय, धौलपुर	वरिष्ठ विशेषज्ञ (गायनी)	1	1/03
		वरिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु)	1	11/01
		उप नियंत्रक (वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी)	1	3/02
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (रेडियोलॉजी)	1	11/00
		नर्सिंग अधीक्षक (प्रथम)	1	3/99
		नर्सिंग अधीक्षक (द्वितीय)	1	4/99
		नर्स श्रेणी (प्रथम)	4	4/99, 2/00, 3/01, 2/02
		टेलर	1	4/99
		कुक	1	4/99
		स्वीपर	1	3/02
	पी.पी.सी. धौलपुर	चिकित्सा अधिकारी	2	12/02
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, चितोरा	सैक्टर सुपरवाइजर	1	3/96
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरानीखेड़ा	चिकित्सा अधिकारी	1	9/02
		सैक्टर सुपरवाइजर	1	5/96

1	2	3	4	5
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पंचगांव	सैक्टर सुपरवाइजर	1	4/98
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सेपऊ	सैक्टर सुपरवाइजर	1	4/98
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मनिया	सैक्टर सुपरवाइजर	1	3/99
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बिपरपुर	सैक्टर सुपरवाइजर	1	3/96
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसाईनवाब	बी.एच.एस.	1	4/00
		मलेरिया निरीक्षक	1	8/98
		संगणक	1	3/95
		एम.पी. डब्ल्यू.	2	4/00
		एस.एम.पी.डब्ल्यू.	4	4/99
राजाखेड़ा	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजाखेड़ा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	4/95
		कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	1	4/00
		वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी	1	6/98
		बी.एच.एस.	1	3/00
		संगणक	1	7/01
		कनिष्ठ लेखाकार	1	4/98
		मलेरिया निरीक्षक	1	7/01

1	2	3	4	5
		सैक्टर सुपरवाइजर	1	8/00
		एम.पी.डब्ल्यू.	4	3/99
		एस.एम.पी.डब्ल्यू.	1	3/99
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, मरेना	सैक्टर सुपरवाइजर	1	8/98
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जस्सुपुरा	सैक्टर सुपरवाइजर	1	8/96
बाड़ी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रसोत्तर केन्द्र, बाड़ी	नर्स श्रेणी (प्रथम) बी.एच.एस. (मेल) मलेरिया निरीक्षक	2 1 1	12/02, 9/02 5/98 5/01
		संगणक	1	3/96
		दन्त टेक्नीशियन	1	6/00
		सैक्टर सुपरवाइजर	1	4/00
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, खानपुर	सैक्टर सुपरवाइजर चिकित्सा अधिकारी	1 1	4/98 2/03
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कनचनपुर	सैक्टर सुपरवाइजर एम.पी.डब्ल्यू. (मेल) एस.एम.पी. डब्ल्यू.	1 6 2	6/98 4/00 3/99
बसेड़ी	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बसेड़ी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी) कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	1 1	5/96 5/98 डा. विक्रम सिंह को लगाया जा चुका है, किन्तु कोर्ट स्टे से अभी तक जोइन नहीं किया है

1	2	3	4	5
		नर्स श्रेणी (प्रथम)	1	3/00
		बी.एच.एस. (मेल)	1	3/98
		मलेरिया निरीक्षक	1	5/00
		संगणक	1	3/95
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बरोली	चिकित्सा अधिकारी	1	2/03
		नर्स श्रेणी (द्वितीय)	1	1/03
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरमथुरा	सैक्टर सुपरवाइजर	1	3/96
	प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, आंगई	सैक्टर सुपरवाइजर	1	3/96
		एम.पी.डब्ल्यू.	5	3/99
		एस.एम.पी.डब्ल्यू.	2	3/99

परिशिष्ट-8

(अतारांकित प्रश्न संख्या-909 की प्रति)

परिशिष्ट-'अ'

राजस्थान सरकार

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक : प.11(17)चिकित्सा स्वास्थ्य/2/95　　दिनांक : 6/6/95

निदेशक,
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं,
राजस्थान-जयपुर।

विषय : वित्तीय वर्ष 1995-96 में हाईवे पर तीन एक्सीडेंटल इकाइयों की स्थापना हेतु स्वीकृति।

महोदय,

निदेशानुसार वित्तीय वर्ष 1995-96 में न्यूनतम आवश्यक कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्य के राजमार्ग महुआ (जिला सवाईमाधोपुर), फतेहपुर (जिला सीकर) तथा देवली (जिला टौंक) में दुर्घटनाओं के समय अत्यावश्यक चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने हेतु तीन एक्सीडेंटल इकाइयों की सुविधा प्रदान करने हेतु महामहिम राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद् द्वारा प्रदान की जाती है।

तीन एक्सीडेंटल इकाइयों की स्थापना हेतु निम्नांकित पदों को राज्य सरकार द्वारा निर्धारित योग्यताओं वेतनमानों में दिनांक 1.7.1995 से अथवा पद भरे जाने की तिथि से जो भी बाद में हो, दिनांक 29.02.1996 तक अस्थाई रूप से सृजित करने हेतु वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति भी प्रदान की जाती है

क्रम संख्या	पदनाम	सृजित पदों की संख्या		
		महुआ (सवाईमाधोपुर)	फतेहपुर (सीकर)	देवली (टौंक)
1.	चिकित्सा अधिकारी	3	3	3
2.	मेल नर्स ग्रेड-द्वितीय	3	3	3
3.	ड्राइवर (वाहन चालक)	3	3	3
4.	वार्ड बॉय	3	3	3
	योग	12	12	12

वित्तीय वर्ष 1995–96 में उक्त प्रयोजनार्थ कुल व्ययभार राशि रुपये 22.19 लाख रुपये (अक्षरे बाईस लाख उन्नीस हजार रुपये मात्र) को निर्धारित सीमा में निम्नानुसार व्यय किया जावेगा

क्रम संख्या	व्यय उप मद	राशि (लाख रुपये में)
1.	वेतन	11.51
2.	यात्रा भत्ता	1.50
3.	चिकित्सा व्यय	1.00
4.	कार्यालय व्यय	1.00
5.	एम.ई.टी.पी.	4.50
6.	भेषज एवं औषधियां	2.17
7.	मोटर वाइनों के संचालन हेतु	0.51
	कुल योग	22.19 लाख रुपये

उक्त व्यय निम्नांकित बजट–शीर्षक से वहन किया जावेगा :

2210 – चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य

03 – ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं–एलोपैथी

104 – सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र

(आयोजना व्यय) 22.19 लाख रुपये

यह स्वीकृति वित्त विभाग से प्राप्त पत्रांक एफ 6(42)एफ.डी./व्यय–1/95–96 दिनांक 8.5.1995 के साथ प्राप्त अनुमोदित बी.एफ.सी. (प्लान) 1995–1996 के मिनिदत्त के आधार पर प्रसारित की जा रही है।

भवदीय

एस.डी.

उप शासन सचिव

परिशिष्ट-9

(अतारांकित प्रश्न संख्या-915 की सूची)

प्रपत्र "अ"

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र मुण्डावर में स्वीकृत गांवों की सूची

क्र.सं.	गांव का नाम	आबादी	विवरण
1	2	3	4
1.	सिहाती खुर्द	1721	कार्य पूर्ण हो गया है
2.	मोहम्मदपुर	1444	"_"
3.	दांतला	1480	"_"
4.	मंगली ओझा	1574	"_"
5.	बडली	1561	"_"
6.	बीरोद	1360	कार्य प्रगति पर है
7.	नांगल ऊदिया	1564	"_"
8.	श्रीकृष्ण नगर	2192	भूमि विवाद के कारण कार्य शुरू नहीं हो सका
9.	अगवानी	1064	निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है
10.	रायपुर	1090	"_"
11.	हाडाहेडी	1058	"_"
12.	खैराल	1090	"_"
13.	सिरोड खुर्द	1255	"_"
14.	जागीवाड़ा	1059	"_"

1	2	3	4
15.	गांधीनगर	1307	"–"
16.	गढ़ी	1298	निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी है
17.	माजरी भाण्डा	1152	"–"
18.	सबलगढ़	1127	"–"
19.	रामबास	1102	"–"
20.	अलीपुर	1060	"–"
21.	मनेठी	1028	"–"
22.	काली पहाड़ी	1006	"–"
23.	अजीजपुर	1067	"–"

परिशिष्ट-10

(अतारांकित प्रश्न संख्या-916 की सूची)

परिशिष्ट-'अ'

क्र.सं.	नाम व पता आशार्थी	पंजीयन सं.	एन सी ओ
1	2	3	4
1.	श्री मूलचंद सैनी पुत्र श्री रामचरण, मु. बिनोली पो. गांवड़ा मीना, हिण्डौन	1684/96	01.10
2.	श्री नथोली कोली पुत्र श्री श्रीचंद्र, मु.पो. महस्वा, टोडाभीम	4811/90	"
3.	श्री मुनीम लाल मीना पुत्र श्री चिरंजी लाल मीना, ग्रा.पो. दानालपुर, तहसील हिण्डौन	5439/93	"
4.	श्री रमेश चंद मीना पुत्र श्री परसादी, ग्रा.पो. सोप, नादौती	5749/93	"
5.	श्री राजेन्द्र कुमार जाटव पुत्र श्री किशोरी लाल मु.पो. वाजना कला, हिण्डौन	8064/96	191.10
6.	श्री धनराय मीना पुत्र श्री मीठालाल, ग्रा.पो. मोहनपुरा तहसील टोडाभीम	118/97	151.10
7.	श्री रमेश चंद खटीक पुत्र श्री सोहन लाल, मु.पो. कुडगांव, तहसील सपोटरा	198/97	"
8.	श्री कृष्णकांत सोनी पुत्र श्री विशम्भरदयाल, पुलिस थाना के पास, सूरोठ, हिण्डौन	364/97	"
9.	श्री भरोसी लाल मीना पुत्र श्री बदरीप्रसाद मीना, मु.पो. टोडाभीम	1916/96	"
10.	श्री मुकेश राम मीना पुत्र श्री रामस्वरूप मीना, मु.पो. सलावादा, नादौती	6224/95	"

1	2	3	4
11.	श्री मथुरा प्रसाद चतुर्वेदी पुत्र श्री सरदारी लाल ग्रा.पो. सायपुर वाया कुडगांव	6465/95	193.60
12.	श्रीमती संतोष शर्मा पत्नी श्री अशोक कुमार, स्टेशन रोड़ हिण्डौन सिटी	डब्ल्यू/467/94	02.10
13.	श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री घनश्याम दास, ग्रा.पो. गढमोरा, नादौती	2567/97	151.10
14.	श्री फतेह सिंह पुत्र श्री रामखिलाड़ी, गो.पो. गाजीपुर तहसील महवा	1650/92	01.10
15.	श्री रामकिशोर मीना पुत्र श्री गोपाल मीना, ग्रा.पो. गडी तहसील नादौती	2197/97	151.10
16.	श्री राधारमण जोनवाल पुत्र श्री जग्गूलाल, ग्रा.पो. केलादेवी, करौली	8147/96	"
17.	श्रीमती आशा गुर्जर पत्नी श्री बादाम सिंह द्वारा पन्नालाल ड्राईवर, झारेड़ा रोड, करौली	डब्ल्यू 96/98	089.30
18.	श्रीमती कमरा कुमारी पत्नी श्री नरेश कुमार द्वारा चंद्रभान वकील, गुलाब बाग, करौली	" 132/98	"
19.	श्रीमती रूपबंसती बाई मीना पुत्री श्री गज्जी लाल, मु.पो. रोसी का बडापुरा, तहसील नादौती	" 85/98	"
20.	श्रीमती राधादेवी शर्मा पुत्री श्री पन्नालाल शर्मा, झारेडा रोड, न्यू कालोनी, हिण्डौन	" 95/98	"
21.	श्रीमती मीना कुमारी बंसल पुत्री श्री रामनारायण बैरवा, गुलाब बाग, करौली	" 466/97	"
22.	कु. निशा शर्मा पुत्री श्री महेश नारायण शर्मा, नर्सिंग सामान्य चिकित्सालय, करौली	डब्ल्यू 120/98	089.30

1	2	3	4
23.	कु. जेसी थोमस पुत्री पी थोमस द्वारा नंदकिशोर शर्मा, खारे कुएं के पास, चौधरी पाडा, करौली	" 128/98	153.10
24.	श्रीमती माया मीना पत्नी श्री कलुवा राम गांव मेहतानका पुरा, पो. करौली	" 408/97	089.30
25.	श्रीमती अंजू बाला पत्नी श्री महेन्द्र सिंह सोलंकी, रा.रा.वि.मण्डल, करौली	" 72/98	"
26.	श्रीमती बबीता कुमारी पत्नी श्री चंद द्वारा रजनी शर्मा, चटोकना, करौली	" 78/98	"
27.	श्रीमती सावित्री देवी पत्नी श्री प्रेमचंद, नवीन मौहल्ला, अम्बेडकर कालोनी, सूरोठ	" 107/98	"
28.	कु. नगेन्द्रबाला पुत्री श्री रामस्वरूप भारद्वाज, रघुनाथ भवन, वजीरपुर गेट के अन्दर, करौली	" 4/97	"
29.	श्रीमती कमलेश कुमारी शर्मा पत्नी श्री श्याम लाल शर्मा, साइकिल वाले मुनीरो की मस्जिद के पास, करौली	" 76/97	"
30.	कु. उमा गुरु पुत्र श्री हसीराम द्वारा विष्णु कुमार पाण्डे, एल.आई.सी., करौली	" 136/98	"
31.	श्री मदन मोहन गुप्ता पुत्र श्री विजय लाल द्वारा खूबी लाल मीना, गा.पो. जनसी का पुरा, टोडाभीम	896/98	084.10
32.	श्री मदन मोहन गुप्ता पुत्र श्री रमेश चंद गुप्ता, ग्रा.पो. कुडगांव, करौली	895/98	"
33.	श्री दिनेश चंद गुप्ता पुत्र श्री सीताराम गुप्ता, ग्रा.पो. गुडला पहाड़ी, करौली	667/98	"

1	2	3	4
34.	श्री श्यामसुंदर पाठक पुत्र श्री जगदीश प्रसाद, कृष्णा कालोनी, हिण्डौन	958/98	"
35.	श्री भरतलाल शर्मा पुत्र श्री राधेश्याम, पाठक भवन, चौबे पाडा, हिण्डौन	658/98	"
36.	श्री मनीश पाठक, पुत्र श्री भगवान सहाय, मौहल्ला वर पाडा, हिण्डौन	660/98	"
37.	श्री मनीष दीवान पुत्र श्री ओमप्रकाश दीवान, मकान नम्बर ई 85 मोहन नगर, हिण्डौन	1127/98	060.40
38.	श्री दिनेश कुमार मीना पुत्र श्री रामस्वरूप, ग्रा.पो. केमा, नादौती	1825/98	"
39.	श्री माखन लाल तेली पुत्र श्री हट्टूलाल, ओनड रोड के पास, वार्ड नम्बर 5, हनुमान पाडा, मण्डरावल	1031/98	"
40.	श्री कमलेश लाल मीना पुत्र श्री जगन मीना, खानकापुरा, पो. करसाई, करौली	1077/98	"
41.	श्री सियाराम प्रजापति पुत्र श्री रामखिलाड़ी, ग्रा.पो. जोल, तहसील टोडाभीम	1080/98	"
42.	श्री रमेश चंद मीना पुत्र श्री बुद्धू लाल, गां.पो. पांचोली, तहसील करौली	2979/98	060.40
43.	श्री नजीर खान पुत्र श्री मुंशी खान, गा.पो. मडैस्वा, तह. टोडाभीम	6029/97	153.10
44.	श्री सुनील गुप्ता पुत्र श्री बाबूलाल, ग्रा.पो. मण्डरायल, गरोली	977/98	060.40
45.	श्री जुगल किशोर पुत्र श्री हरीराम, ग्रा.पो. शेरपुर, हिण्डौन	4423/97	076.10

1	2	3	4
46.	श्री रामराज मीना पुत्र श्री मूडया मीना, ग्रा.पो. केमा	4531/97	"
47.	श्री चौधरी सज्जन सिंह पुत्र श्री वूजी सिंह डागुर, गां.पो. हुंकमी खेड़ा, हिण्डौन	5885/97	153.10
48.	श्री हुकम चंद शर्मा पुत्र श्री किशोरी लाल, गांव मोरडा पो. खेड़ी, तहसील टोडाभीम	5647/95	193.60
49.	श्री रघुवीर शर्मा पुत्र श्री रामप्रसाद, गांव मोनादाव का पुरा, पो.कोटड़ी, तहसील हिण्डौन	5647/96	"
50.	श्री तेजेन्द्र सिंह राजावात पुत्र श्री रामसिंह, इन्द्रा कालोनी, करौली	4641/96	01.20
51.	श्री ओमप्रकाश शर्मा पुत्र श्री कन्हैया लाल, ग्रा.पो. हाड़ौती, सपोटरा	5561/93	076.10
52.	श्री सुरज्ञान मीना पुत्र श्री हरीकिशन, ग्रा.पो. गढखेड़ा, नादौती	5960/93	"
53.	श्री नरसिंह राम मीना पुत्र श्री किरोड़ी लाल, ग्रा.पो. गांवडी मीना, वाया श्रीमहावीर जी	6213/93	"
54.	श्री हरद्वारी लाल जाटव पुत्र श्री दयाराम, ग्रा. चुराली, पो. खेडली गुर्जर, तहसील हिण्डौन	5961/95	"
55.	श्री रामा खातुन पुत्र श्री गुलाब नवी, कम्पाउण्डर, हटवाड़ा खार रोड, करौली	डब्ल्यू 359/98	084.10
56.	कु. सरिता महावर पुत्र श्री हरिसिंह कोली, भीमनगर, हिण्डौन	" 489/98	089.30
57.	श्री राम कैलाश मीणा/श्री नथुबालाल, कारवाड़, करौली	6510/97	151.10
58.	श्री कमलेश मीणा/श्री रंगलाल मीणा, झारोहा, करौली	5683/97	"

1	2	3	4
59.	कु. अर्चना शर्मा/श्री राम सहाय, मदन मोहन की गली, करौली	डब्ल्यू 501/97	"
60.	श्रीमती अर्चना शर्मा/पत्नी श्री महेश शर्मा, इन्द्रा कालोनी, करौली	" 487/98	089.30
61.	श्रीमती अंजू शर्मा, पुत्री श्री वेदप्रकाश शर्मा, गुलाब बाग के सामने, इन्द्रा कालोनी, करौली	" 488/98	"
62.	कु. सविता महावर पुत्री श्री हरिसिंह कोली, भीमनगर, हिण्डौन	489/98	"
63.	श्रीमती उषा देवी पत्नी श्री महेन्द्र कुमार सेन, शिव कालोनी, हिण्डौन	" 497/98	"
64.	श्रीमती ममता शर्मा पत्नी श्री कृष्ण कुमार, करौली	" 501/98	"
65.	कु. सुनिता पुत्री श्री प्यारेलाल, प्रसाविका प्रशिक्षण केन्द्र, करौली	" 543/98	"
66.	श्रीमती प्रभाती देवी पुत्री श्री पोखर सिंह, प्रसाविका प्रशिक्षण केन्द्र, करौली	" 544/98	"
67.	श्री रामहरि बैरवा पुत्र श्री धनीराम, गा.पो. मातासूला, टोडाभीम	1967/98	151.10
68.	श्री मान सिंह जाटव पुत्र श्री जनसी राम, गा.पो. ढहरिया, हिण्डौन	3202/95	01.20
69.	श्री शिवसिंह मीना पुत्र श्री बदरीलाल, ग्रा. काला-खाना, पो. पालनपुर, तहसील हिण्डौन	2180/98	01.10
70.	श्री रमेश चंद मीना पुत्र श्री किशनलाल, गांव करमापुर, पो चितारा, तहसील हिण्डौन	1775/95	151.10

1	2	3	4
71.	श्री जलधारी मीना पुत्र श्री शंकरलाल, ग्रा.पो. बरदाला, नादौती	261/96	193.60
72.	श्री संतोष कुमार वर्मा पुत्र श्री रूपसिंह, ग्राम जमालपुरा, पो. खेड़ा	2860/98	151.10
73.	श्री कल्याण प्रसाद पुत्र श्री दोजीराम, ग्राम बडकापुरा पो. मण्डावरा, तहसील हिण्डोन	95/97	01.10
74.	श्री राजेश कुमार शर्मा पुत्र श्री जमना लाल, मु.पो. झारेडा, हिण्डौन	8944/96	193.60
75.	श्री कैलाश चंद मीना पुत्र श्री बदरी प्रसाद, मोहन नगर, हिण्डौन	2549/98	151.10
76.	श्री राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री नेतराम, नया अस्पताल के पास, हिण्डौन	3530/97	"
77.	श्री हरकेश मीना पुत्र श्री परसादी लाल, गांव केलागांव, पो. केलादेवी, करौली	3696/97	"
78.	श्री सुरेश चंद मीना पुत्र श्री रामजीलाल गांव सिकरोदा मीना	1934/98	"
79.	श्री भूरसिंह मीना पुत्र श्री शंकरलाल, ग्रा.पो. भुकरावली, तहसील हिण्डौन	6395/97	"
80.	श्री दशरथ कुमार शर्मा पुत्र श्री रामराज शर्मा, ग्राम डांगवा, पो. पाचोली	3594/96	"
81.	श्री जगदीश प्रसाद जाटव पुत्र श्री भंवर लाल, गांव हरीनगर, पो. मण्डावरा	1676/98	"
82.	श्री बीरसिंह मरना पुत्र श्री भरोसीलाल, मु. बडपुरा पो. गदानी, वाया मासलपुर, करौली	8880/96	01.20

1	2	3	4
83.	श्री देवीसिंह जाट पुत्र श्री रामजी जाट, ग्रा.पो. बाईखाट, पो. खज्यापुर, तहसील हिण्डौन	615/96	"
84.	श्री रामदयाल माली पुत्र श्री देवीलाल, धूड दरवाजे बाहर, करौली	2912/94	01.40
85.	श्री सैय्यद अतिम अहमद पुत्र श्री सैय्यद अतुल काजी, चटीकना, करौली	3712/96	151.10
86.	श्री सोहन लाल नाषित पुत्र श्री हजारीलाल, ग्रा.पो. पटोदा, श्रीमहावीरजी	3464/97	"
87.	श्री महेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री राधेश्याम, चौधरी पाडा, करौली	571/90	854.90
88.	श्री दीनदयाल शर्मा पुत्र श्री रामचरण लाल, मु.पो. राजोर, करौली	6541/98	084.10
89.	श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा पुत्र श्री चेतन्य कुमार, ग्रा.पो. कस्बाशहर, नादौती	6585/98	"
90.	श्री राधेश्याम मीना पुत्र श्री रतनलाल, ग्रा.पो. सनेट, हिण्डौन	962/98	060.40
91.	कु. निर्मला पुत्र श्री बृजलाल, गांव गुडली पो. बागोर	डब्ल्यू 200/98	153.10
92.	श्री चंद्रप्रकाश गर्ग पुत्र श्री घनश्याम, ग्रा.पो. नारौली डांग	6660/98	"
93.	श्री रणजीत सिंह पुत्र श्री कजोड़ी राम, ग्रा.पो. सलावद, नादौती	6092/98	"
94.	श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामेश्वर, मु.पो. रानौली, टोडाभीम	5458/98	"

1	2	3	4
95.	श्री मुंशीराम मीना पुत्र श्री किशनलाल, गांव घाटोली, पो. नीमामा	6003/97	"
96.	कु. आशा शर्मा पुत्री श्री शिवप्रसाद, ग्रा.पो. सलावद, नादौती	डब्ल्यू 539/98	"
97.	कु. कमलेश मीना पुत्री श्री प्यारेलाल, ग्रा.पो. दानालपुर, हिण्डौन	" 463/98	"
98.	कु. मन्सूरी मीना पुत्री श्री प्रभुलाल, गांव कलहारन का पुरा, पो. खेड़ाजमालपुर	" 532/98	"
99.	श्री बत्तीलाल मीना पुत्र श्री सुखलाल, गांव वादा पो. राजपुर, नादौती	1870/98	151.10
100.	श्रीमती सविता रानी पत्नी श्री राजेश शर्मा द्वारा नित्यानंद शर्मा, बस स्टेण्ड के सामने, करौली	डब्ल्यू 28/2000	089.30
101.	सुश्री हेमलता सेनी, करौली	" 140/98	"
102.	सुश्री सुनीता शर्मा, "	" 12/2000	"
103.	कु. लीना सिंघल, "	" 13/2000	"
104.	कु. रीता पंजाबी, "	" 14/2000	"
105.	श्रीमती लीलावती माली "	" 21/2000	"
106.	कु. वसीम खातून, "	" 24/2000	"
107.	श्रीमती उषा जांगिड़, "	" 27/2000	"
108.	श्रीमती वीनिता सैनी, "	" 18/2000	"
109.	श्रीमती अंजना सैन, "	" 38/2000	"
110.	कु. ममता सैन, "	" 26/2000	"

1	2	3	4
111.	सुश्री आशा वैष्णव "	" 137/99	"
112.	सुश्री ओमवती देवी, "	" 15/2000	"
113.	सुश्री समय मीना, "	" 19/2000	"
114.	सुश्री सुनीता शर्मा, "	" 18/2000	"
115.	सुश्री नवनीता शर्मा, "	" 16/2000	"
116.	श्रीमती संतोष शर्मा, "	" 21/2000	"
117.	श्रीमती मीना चतुर्वेदी, "	" 20/2000	"

परिशिष्ट–11

(अतारांकित प्रश्न संख्या–917 का विवरण)

परिशिष्ट 'क'

तहसील आसीन्द के प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों का विवरण

क्र.सं.	विद्यालय का नाम		रिक्त पद	
			II ग्रेड	III ग्रेड
1	2	3	4	5
1.	उच्च प्राथमिक विद्यालय,	बराना	–	01
2.	–"–	मोतीबोरवोड़ा	–	01
3.	–"–	रामपुरिया	–	01
4.	–"–	गिरधरपुरा	–	01
5.	–"–	नई परातोली	–	01
6.	–"–	प्रतापपुरा (च.)	–	01
7.	–"–	मेफलियास	–	01
8.	–"–	झालरा	01	02
9.	–"–	मालासेरी	01	02
10.	–"–	रामपुरा	01	01
11.	–"–	बा. शम्भुगढ़	–	01
12.	–"–	मरेवड़ा	–	01
13.	–"–	सुराज	–	01
14.	–"–	करजालिया	01	–
15.	प्राथमिक विद्यालय,	बड़ाखेड़ा	–	01
16.	–"–	झामरो का बाड़िया	–	01

1	2	3	4	5
17.	प्राथमिक विद्यालय	नया तालाब का बाड़िया	–	01
18.	–"–	सेमलों का बाड़िया	–	01
19.	–"–	बाला का बाड़िया	–	01
20.	–"–	चैनपुरा	–	02
21.	–"–	रायरा	–	02
22.	–"–	करनगढ़	–	01
23.	–"–	भानास	–	01
24.	–"–	बा. मरेवड़ा	–	01
25.	–"–	बा. तिलोली	–	01
26.	–"–	तिलोली	–	01
27.	–"–	बा. चैनपुरा	–	01
28.	–"–	बख्ता का खेड़ा	–	01
29.	–"–	मोटरा	–	01
30.	–"–	झरडू का खेड़ा	–	01
31.	–	बिच्छूदड़ा	–	01
32.	–"–	खारड़ा	–	01
33.	–"–	मेच्छो का बाड़िया	–	01
34.	–"–	बारेठपुरा	–	01
35.	–"–	बा. लाछूड़ा	–	01
36.	–"–	पीथा का खेड़ा	–	01
37.	–"–	जालरिया	–	01
38.	–"–	देवपुरा	–	01

परिशिष्ट–12

(अतारांकित प्रश्न संख्या–920 की सूची)

परिशिष्ट 'क'

उ. मा. विद्यालय, बेगूं के स्वीकृत एवं रिक्त पदों का स्थिति

क्र.सं.	नाम संवर्ग	स्वीकृत पद	रिक्त पदों की सख्या	कब से	कारण
1	2	3	4	5	6
1	प्रधानाचार्य	01	01	10/02	स्थानान्तरण से रिक्त
2	उपप्रधानाचार्य	01	01	05/02	पदोन्नति से रिक्त
3	व्याख्याता	21	08	7/99, 5/01 6/01, 7/99, 1/02	स्थानान्तरण से
4	कार्यालय सहायक	01	01	2/02	स्थानान्तरण से
5	व.अ.	12	03	8/01, 2/01, 2/03	स्थानान्तरण से
6	प्र.शा.से.	05	01	0/01	स्थानान्तरण से

राउमावि बस स्टेण्ड बेगूं

1	प्रधानाचार्य	01	01	11/02	स्थानान्तरण से
2	व्याख्याता	05	02	4/01, 4/01	व्या.पात वेतन पदोन्नति
3	व.अ.	06	01	3/01	स्थानान्तरण से
4	व.लि.	01	01	10/02	स्थानान्तरण से
5	अध्यापक	16	03	3/01	नवक्रमोन्नत पद स्वीकृति से रिक्त

राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पारनोली

1	व्याख्याता	04	02	10/02, 6/01	स्थानान्तरण से

1	2	3	4	5	6
2	व.अ.	07	01	7/01	स्थानान्तरण से
3	व.पु.अ.	01	01	7/99	स्थानान्तरण से
4	व.लि.	01	01	10/02	स्थानान्तरण से
			राउमावि चेची		
1	व.अ.	06	01	7/01	स्थानान्तरण से
			राउमावि रावतभाटा		
1	प्रधानाचार्य	01	01	10/02	स्थानान्तरण से
2	व्याख्याता	15	01	7/98	स्थानान्तरण से
3	कार्यालय सहायक	01	01	3/01	सेवानिवृत्त से
4	व.अ.	11	02	4/99	पदोन्नति से
5	प्र.शा.स.	03	01	7/01	स्थानान्तरण से
			राउमावि भैसरोडगढ़		
1	प्रधानाचार्य	01	01	11/02	स्थानान्तरण से
2	व्याख्याता	07	03	10/02, 6/00, 1/01	स्थानान्तरण से
3	व.शा.शि.	01	01	10/99	स्थानान्तरण से
			राउमावि बढ़सेरिश्त कुण्डमल		
1	व्याख्याता	05	03	7/99, 7/01	स्थानान्तरण, क्रमोन्नत
2	व.अ.	06	01	8/02	स्थानान्तरण से

1	2	3	4	5	6
		राउमावि लावदानी मण्डी			
1	व्याख्याता	05	04	7/99, 7/01	स्थानान्तरण से
2	व.अ.	06	03	7/01, 10/02	स्थानान्तरण से
3	व.शा.शि.	02	01	7/00	स्थानान्तरण से
		राउमावि खातोखेड़ा			
1	प्रधानाचार्य	01	01	10/02	स्थानान्तरण से
2	व्याख्याता	05	01	10/02	स्थानान्तरण से
3	व.अ.	06	01	8/02	स्थानान्तरण से
4	व.पु.अ.	01	01	3/97	नवक्रमोन्नत पद
		राउमावि बोराब			
1	व.लि.	01	01	7/00	स्थानान्तरण से
2	पु.अ.	01	01	11/02	स्थानान्तरण से
		बालिका उमावि बेगूं			
1	व्याख्याता	05	04	10/02, 10/96, 12/98, 8/01	स्थानान्तरण से
2	व.अ.	06	02	03/01, 7/01, 3/01, 7/01	स्थानान्तरण से
3	अध्यापक	08	02	3/01, 7/01	स्थानान्तरण से
		बालिका उ.मा.वि. रावतभाटा			
1	कार्यालय अधीक्षक	01	01	3/00	नवक्रमोन्नत से रिक्त
2	व.अ.	08	01	11/01	स्थानान्तरण से

1	2	3	4	5	6
			मा.वि. बिछोर		
1	व.अ.	06	02	3/01	स्थानान्तरण से
			मा.वि. नन्दबई		
1	पु.अ.	01	01	2/02	स्थानान्तरण से
2	व.अ.	06	01		स्थानान्तरण से
			मा.वि. रायता		
1	व.अ.	06	01	3/02	स्थानान्तरण से
			मा.वि. ठूकराई		
1	प्र.अ.	01	01	07/01	स्थानान्तरण से
2	व.अ.	06	01	10/02	स्थानान्तरण से
			मा.वि. काटून्दा		
1	व.अ.	05	01	10/02	स्थानान्तरण से
2	अध्यापक	01	01	4/01	स्थानान्तरण से
			मा.वि. मेघपुरा		
1	व.अ.	04	02	4/01	क्रमोन्नत से पद रिक्त
2	अध्यापक	03	01	7/00	स्थानान्तरण से
			मा.वि. शादी		
1	व.अ.	04	03	7/99, 10/02	नवक्रमोन्नत
2	अध्यापक	03	01	7/98	नवक्रमोन्नत
			मा.वि. राजगढ़		
1	व.अ.	04	02	7/00, 203	स्थानान्तरण से

1	2	3	4	5	6
			मा.वि. गोविन्दपुरा		
1	प्र.अ.	01	01	11/02	स्थानान्तरण से
2	व.अ.	03	03	4/01	क्रमोन्नति से सृजित
			मा.वि. एकलिंगपुरा		
1	व.अ.	06	02	11/01, 12/01	स्थानान्तरण से
			मा.वि. लाडपुरा		
1	प्र.अ.	01	01	01/01	स्थानान्तरण से
2	व.अ.	01	01	7/00	स्थानान्तरण से
3	शा.शि.	01	01	01/02	स्थानान्तरण से
			मा.वि. देवपुरा		
1	व.अ.	04	04	7/99	नव क्रमोन्नत विद्यालय
2	व.लि.	01	01	7/99	नव क्रमोन्नत विद्यालय
3	शा.शि. III	01	01	7/99	नव क्रमोन्नत विद्यालय
4	अध्यापक	03	03	7/99	नव क्रमोन्नत विद्यालय

परिशिष्ट-13

(अतारांकित प्रश्न संख्या-921 की प्रति)

परिशिष्ट 'क'

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

परिपत्र

विषय : अध्यापकों/कर्मचारियों को अन्य कार्य के लिए कार्यमुक्त करने हेतु आवश्यक निर्देश।

विभिन्न विभागों द्वारा राजकीय कार्यों हेतु बार-बार अध्यापकों की ड्यटी लगाने से अध्यापन कार्य दुष्प्रभावित होता है। एक सर्वे के अनुसार गत वर्ष मात्र 119 दिन अध्यापन कार्य दिवस रहे थे। इससे यह स्पष्ट होता है कि शिक्षा एवं शिक्षण को हम गम्भीरता से नहीं लेते हैं। राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर आदेश जारी कर अध्यापकों की प्रतिनियुक्ति कर उनसे अन्य कार्य लिए जाने पर सर्वथा प्रतिबंध लगा रखा है।

हाल ही में शासन सचिव महोदय पंचायत राज विभाग द्वारा दिनांक 06.02.2001 को प्रारम्भिक शिक्षा विभाग के अध्यापक/कर्मचारियों की ड्यूटी लगाए जाने के सम्बन्ध में आदेश जारी किया है। इसकी प्रति संलग्न है। इसी के अनुसरण में निम्न दिशा-निर्देश जारी किये जाते हैं, जिसकी पालना सुनिश्चित की जाये-

1. चुनाव कार्य के अलावा अन्य किसी कार्य के लिए अध्यापकों को जिला शिक्षा अधिकारी एवं खण्ड शिक्षा अधिकारी ही कार्यमुक्त करेंगे।
2. यह ध्यान रखा जाये कि एक ही स्कूल से अधिक अध्यापकों की ड्यूटी नहीं लगे ताकि अध्यापन कार्य दुष्प्रभावित नहीं हो।
3. कार्यक्रम की समाप्ति के पश्चात् यह आश्वस्त किया जाये कि कर्मचारी प्रत्यावर्तित हो जाता है। यदि कर्मचारी या अध्यापक प्रत्यावर्तित नहीं होता है तो उसका वेतन रोक कर निदेशालय को सूचित करें।
4. इस बात का भी ध्यान रखा जाये कि एक ही कर्मचारी/अध्यापक की बार-बार ड्यूटी नहीं लगे।
5. यदि कोई अध्यापक बिना जिला शिक्षा अधिकारी ब्लाक शिक्षा अधिकारी के आदेश के कार्यमुक्त होकर प्रतिनियुक्ति पर चला जाता है तो उसके विरुद्ध अविलम्ब अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाये।
6. यदि अन्य विभाग के कोई अधिकारी सीधे अध्यापक को आदेश जारी कर कार्यमुक्त होने के लिए बाध्य करता है तो उसकी सूचना निदेशालय को दी जाये।
7. यदि उपरोक्त दिशा निर्देश की पालना नहीं की जाती है तो जिला शिक्षा अधिकारी एवं ब्लाक शिक्षा अधिकारी की जिम्मेदारी नियत की जाएगी।

परिशिष्ट 'क'

कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान बीकानेर

परिपत्र

माध्यमिक शिक्षा विभाग से अन्य विभागों में लोक सेवकों की प्रतिनियुक्ति पर जाने के सम्बन्ध में चयन उपरांत राज्य सरकार के प्रशासनिक विभाग की स्वीकृति तथा विभागाध्यक्ष द्वारा कार्यमुक्ति के आदेश जारी किये जाने के उपरांत ही नियंत्रण अधिकारियों द्वारा सम्बन्धित योजना/विभाग हेतु विधिवत शर्तों के साथ कार्मिक को निर्धारित अवधि तक प्रतिनियुक्ति पर भेजने के विस्तृत निर्देश निदेशालय के पत्र क्रमांक शिविरा/मा/संस्था/एफ–3/13402/विप्रसि/02 दिनांक 19.2.2000 के द्वारा जारी किये जाकर निर्देशों की पालना कढ़ाई से करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिये गये।

इसी के क्रम में राज्य सरकार ने पत्र क्रमांक एफ 2(2)शिक्षा–2/2000 विविध जयपुर दिनांक 18.4.2000 से निर्देश दिये हैं कि केवल शिक्षा विभाग ने सम्बन्धित परियोजनाएं, लोक जुम्बिश परिषद, राजस्थान प्राथमिक शिक्षा परिषद्, शिक्षाकर्मी परिषद्, राजस्थान साक्षरता एवं सतत् शिक्षा आदि में कार्मिकों को प्रतिनियुक्ति पर भेजने का निर्णय निर्धारित शर्तों पर लिया जायेगा। साथ ही अन्य विभागों व परियोजनाओं में जो कि गैर शैक्षणिक विभागों/परियोजनाओं की श्रेणी में आते हैं, से प्रतिनियुक्ति पर शिक्षा विभाग के किसी भी लोक सेवक को नहीं भेजने का निर्णय लिया है।

यह भी देखा गया है कि कई विभागों के द्वारा सीधे ही समाचार पत्रों के माध्यम से वाक इन इंटरव्यू आयोजित कर विभागीय लोक सेवकों की प्रतिनियुक्ति करने के आदेश जारी कर दिये जाते हैं व कार्मिकों को कार्यमुक्त करने का आग्रह किया जाता है। इसके क्रम में निर्देश दिये जाते हैं कि शिक्षा विभाग द्वारा प्रतिनियुक्ति आदेश जारी किए बिना किसी भी लोक सेवक को कहीं भी प्रतिनियुक्ति हेतु कार्यमुक्त नहीं किया जावे अर्थात अन्य विभागों/संस्थाओं के आदेशों की पालना बिना शिक्षा विभाग/विभागाध्यक्ष की स्वीकृति के किसी को कार्यमुक्त नहीं किया जाये।

विभाग के यह भी ध्यान में आया है कि कुछ विद्यालय के संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी अपने स्तर पर ही कार्मिकों के आवेदन पत्र प्रतिनियुक्ति के सम्बन्ध में अग्रेषित कर देते हैं, जिन पर शिक्षा निदेशालय/राज्य सरकार से कोई सहमति नहीं ली जाती है।

अत: इसके सम्बन्ध में निर्देशित किया जाता है कि भविष्य में यदि कोई संस्था प्रधान/जिला शिक्षा अधिकारी अपने स्तर से ही सीधे आवेदन पत्र अग्रेषित करता है तो वे इसके लिए स्वयं जिम्मेदार होंगे। अत: निर्देश दिये जाते हैं कि बिना विभागाध्यक्ष की अनुमति सीधे किसी कार्मिक का प्रार्थना पत्र

भविष्य में अग्रेषित नहीं करें। विभाग को नाम प्रेषित करते समय निम्न शर्तों/बिन्दुओं के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण कर ही निदेशालय को प्रेषित किया जावे :

1. क्या कार्मिक पूर्व में प्रतिनियुक्ति पर कहीं भी कार्यरत रहा है? यदि हां तो कहां–कहां व कब–कब रहा?
2. कार्मिक के गत तीन वर्षों का परीक्षा परिणाम।
3. कार्मिक को प्रारम्भिक शिक्षा में अध्यापन का न्यूनतम अनुभव पांच वर्ष का होना आवश्यक है, यदि है तो कहां–कहां व कब–कब की स्थिति से अवगत करावें।
4. कार्मिक के ग्रामीण/शहरी ठहराव की स्थिति।
5. विभागीय जांच लम्बित/लम्बित न होने की स्थिति।
6. वर्तमान विद्यालय में पदस्थापन की अवधि एवं तिथि।

उक्त निर्देशों की कड़ाई से पालना की जावे। यदि किसी लोक सेवकों द्वारा उपरोक्त निर्देशों की अवहेलना की गई तो उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

परिशिष्ट-14

(अतारांकित प्रश्न संख्या-923 का विवरण)

परिशिष्ट-'अ'

Statement Showing Year wise & Head wise expenditure in DPEP Annexure 'A'

(Rs. in Lacs)

S.NO.	BUDGET HEAD	EXPENDITURE				
		1999-2000	2000-2001	2001-02		Total
				Phase-I	Phase-II	
1	2	3	4	5	6	7
1.	CIVIL WORKS	0.000	1734.640	3636.840	328.548	5700.028
2.	FURNITURE	6.410	28.570	119.131	32.457	186.568
3.	EQUIPMENT	15.320	178.840	19.053	24.601	237.814
4.	VEHICLE	0.000	0.000	34.144	0.027	34.171
5.	BOOKS & LIBRARIES	0.000	82.810	43.381	0.028	126.219
6.	CONSULTANCY	0.000	10.150	219.814	109.86	339.824
7.	RESEARCH & EVALUATION	41.510	10.110	55.823	10.178	117.621

1	2	3	4	5	6	7
8.	TRAINING	12.930	277.430	767.602	68.148	1126.11
9.	INNOVATION	0.000	4.130	8.741	0.044	12.915
10	AWARENESS	5.510	59.600	120.477	25.38	210.967
11	SALARY	84.740	576.980	1524.348	129.058	2315.126
12	CONSUMABLES	19.070	70.470	191.057	30.673	311.27
13	T.L.M.	0.000	469.950	587.986	222.065	1280.001
14	VEHICLES OP & MAINTANANCE	0.000	31.820	71.563	5.961	109.344
15	EQUIPMENT OP & MAINTANANCE	1.300	0.660	12.524	0	14.484
16	HONORARIUM	0.000	24.070	80.135	1.202	105.407
	TOTAL	**186.790**	**3560.230**	**7492.619**	**988.23**	**12227.87**

परिशिष्ट-15

(अतारांकित प्रश्न संख्या-924 की सूची)

परिशिष्ट-'क'

शिक्षा आपके द्वारा जिलेवार नामांकन प्रगति रिपोर्ट
(फरवरी, 2003 तक)

क्र.सं.	जिले का नाम	सर्वे 2002 के अनुसार शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या	कुल नामांकित बच्चों की संख्या	शेष रहे शिक्षा से वंचित बच्चों की संख्या संख्या	नामांकन प्रतिशत
1	2	3	4	5	6
1	अजमेर	45675	39934	5741	87.43
2	अलवर	42142	36229	5913	85.97
3	बांसवाड़ा	35044	33848	1196	96.59
4	बारां	12361	11765	596	95.18
5	बाड़मेर	74129	69193	4936	93.34
6	भरतपुर	32955	28979	3976	87.94
7	भीलवाड़ा	62980	59138	3842	93.90
8	बीकानेर	49687	36820	12867	74.10
9	बूंदी	16716	15787	929	94.44
10	चित्तौड़गढ़	31392	26988	4404	85.97
11	चूरू	28797	25217	3580	87.57
12	दौसा	22403	19364	3039	86.43
13	धौलपुर	20039	18176	1863	90.70

1	2	3	4	5	6
14	डूंगरपुर	11368	10561	807	92.90
15	हनुमानगढ़	29583	27672	1911	93.54
16	जयपुर	50971	43276	7695	84.90
17	जैसलमेर	18612	16162	2450	86.84
18	जालौर	52296	44940	7356	85.93
19	झालावाड़	28971	27140	1831	93.68
20	झुंझुनूं	5571	4507	1064	80.90
21	जोधपुर	83014	74153	8861	89.33
22	करौली	23589	20529	3060	87.03
23	कोटा	12896	11512	1384	89.27
24	नागौर	49965	47147	2818	94.36
25	पाली	34395	30771	3624	89.46
26	राजसमन्द	7944	7372	572	92.80
27	सवाईमाधोपुर	25043	24340	703	97.19
28	श्रीगंगानगर	15817	15088	729	95.39
29	सीकर	7882	6481	1401	82.23
30	सिरोही	28649	19069	9580	66.56
31	टौंक	33291	30155	3136	90.58
32	उदयपुर	58788	54257	4531	92.29
	योग	**1052965**	**936570**	**116395**	**88.95**

परिशिष्ट-16

(अतारांकित प्रश्न संख्या-929 का विवरण)

परिशिष्ट-'क'

महुआ में प्रतिनियुक्त कर्मचारियों का विवरण निम्नानुसार है

क्र.सं.	नाम कर्मचारी	पद	निवास स्थान	नियुक्ति प्रक्रिया
1.	श्री कैलाश प्रसाद गुप्ता	बी.आर.सी.एफ.	डीडवाना (लालसोट)	निदेशालय द्वारा चयनित
2.	श्री महेन्द्र सिंह यादव	जे.ई.एन.	अलवर	निदेशालय द्वारा चयनित
3.	श्री अजय कुमार सारस्वत	आर.पी.	हिण्डौन (करौली)	चयनित
4.	श्री रामभरोसी शर्मा	आर.पी.	धन्तूरी (महुआ)	चयनित
5.	श्री ओमप्रकाश शर्मा	आर.पी.	खेडला गदाली	चयनित
6.	श्री रोहिताश्व कुमार शर्मा	सी.आर.पी.एफ.	पाली (महुआ)	चनित
7.	श्री राजेन्द्र प्रसाद शर्मा	सी.आर.पी.एफ.	महवा	चयनित
8.	श्री मानसिंह यादव	सी.आर.पी.एफ.	महचौली (भरतपुर)	चयनित
9.	श्री बनवारी लाल शर्मा	सी.आर.पी.एफ.	रसीदपुर (महुआ)	चयनित
10.	श्री रामगोपाल गौड़	सी.आर.पी.एफ.	गढ़ हिम्मत सिंह (महुआ)	चयनित
11.	श्री मंगफूल वागवान	सी.आर.पी.एफ.	कोट (महुआ)	चयनित
12.	श्री विष्णु कुमार जसोरिया	सी.आर.पी.एफ.	बालाहेडी (महुआ)	चयनित
13.	श्री सतीश चन्द्र जैन	सी.आर.पी.एफ.	साहिडा (महुआ)	चयनित
14.	श्री हरिराम योगी	सी.आर.पी.एफ.	रसीदपुर (महुआ)	चयनित
15.	श्री भगवत प्रसाद मीना	सी.आर.पी.एफ.	बेरखेड़ा (महुआ)	चयनित
16.	श्री मोहन लाल गुर्जर	सी.आर.पी.एफ.	पावटा (महुआ)	चयनित

परिशिष्ट-17

परिशिष्ट-'अ'

झुंझुनूं जिले के नवीन परीक्षा केन्द्रों की सूची एवं विवरण

केन्द्र संख्या	केन्द्र का नाम	बनाने का कारण	स्वयं की शालाएं पंजीकृत हैं/नहीं
1	2	3	4
15009	माडर्न पब्लिक मा.वि. झुंझुनुं	पूर्व केन्द्रों पर छात्र सं. में वृद्धि	नहीं
15002	रा.उ.मा.वि. अलीपुर	केन्द्र सीमित	हां
15023	रा.मा.वि. माधोगढ़	केन्द्र सीमित	हां
15031	के.प्रवेशिका संस्कृत वि. मुकन्द-गढ़ मण्डी	केन्द्र सीमित	हां
15036	रा.मा.वि. नवलडी	छात्र संख्या में वृद्धि	हां
15037	सैंट्रल ऐकेडमिक मा.वि. नवलगढ़	छात्र संख्या में वृद्धि	नहीं
15047	रा.बा.मा.वि. परसरामपुरा	छात्र संख्या में वृद्धि	हां
15057	रा.मा.वि. सिहोड़	छात्र संख्या में वृद्धि	हां
15058	रा.मा.वि. त्योंदा	छात्र संख्या में वृद्धि	हां
15062	रा.मा.वि. गुढ़ाबावनी	छात्र संख्या में वृद्धि	हां
15063	रा.मा.वि. भगेरा	छात्र संख्या में वृद्धि	हां
15066	रा.श्रीमती ना.ज.बा.मा.वि. मण्डावा	छात्र संख्या में वृद्धि	हां
15067	रा.मा.वि. रघुनाथपुरा, सूरजगढ़	छात्र संख्या में वृद्धि	नहीं
15072	न्यू इण्डियन प.मा.वि. सिंघाना	छात्र संख्या में वृद्धि	नहीं
15073	राज. पब्लिक मा.वि. सिंघाना	छात्र संख्या में वृद्धि	नहीं
15096	विवेकानंद प.मा.वि. राजोता	छात्र संख्या में वृद्धि	नहीं
15100	रा.उ.प्राथ.वि. गोठड़ा	छात्र संख्या में वृद्धि	नहीं

1	2	3	4
15110	रा.मा.वि. झांझा	छात्र संख्या में वृद्धि	नहीं
15197	नेहरू बा.मं.मा.वि. चिड़ावा	छात्र संख्या में वृद्धि	नहीं
15198	राजस्थान प.उ.मा.वि. चिड़ावा	छात्र संख्या में वृद्धि	नहीं
15204	रा.मा.वि. हीरवा	केन्द्र सीमित	हां
15206	रा.बा.मा.वि. हेतमसर	छात्र संख्या में वृद्धि	हां
15207	आदर्श वि.मं.मा.वि. ढाणा	छात्र संख्या में वृद्धि	हां
15208	सरस्वती मा.वि. बड़ागांव	केन्द्र सीमित	नहीं
15213	रा.मा.वि. ओजटू	केन्द्र सीमित	नहीं
15214	सरस्वती वि.मं.मा.वि. जयसिंहवास	केन्द्र सीमित	हां
15215	रा.मा.वि. सीगड़ा	केन्द्र सीमित	हां
15216	रा.मा.वि. काकोड़ा	छात्र संख्या में वृद्धि	हां
15217	महर्षि दयानंद उ.मा.वि. ओजटू	केन्द्र सीमित	नहीं
15218	रा.मा.वि. मोहनपुर	केन्द्र सीमित	नहीं
15219	राज.मा.वि. हासलसर	केन्द्र सीमित	नहीं
15220	रा.उ.मा.वि. किदवाना	केन्द्र सीमित	हां
15222	केम्ब्रिज मा.वि. सिंघाना	छात्र संख्या में वृद्धि	नहीं
15223	रा.मा.वि. चन्दवा	केन्द्र सीमित	हां
15224	रा.मा.वि. गादोली ढोठी	केन्द्र सीमित	हां
15226	रा.मा.वि. भडोन्दखुर्द	छात्र संख्या में वृद्धि	हां
15227	नेहरू मेमो.मा.वि. धरडानाकलां	केन्द्र सीमित	नहीं
15228	रा.उ.मा.वि. पीपली	छात्र संख्या में वृद्धि	नहीं
15229	देवेन्द्र ग्रा.मा.वि. उरीका	छात्र संख्या में वृद्धि	हां
15230	प्रेरणा पब्लिक स्कूल इस्लामपुर	छात्र संख्या में वृद्धि	नहीं
15231	आ.ग्र. पब्लिक उ.मा.वि. बाकरा	छात्र संख्या में वृद्धि	हां

1	2	3	4
15233	भारती मा.वि. खानपुर बुहाना	छात्र संख्या में वृद्धि	हां
15234	रा.मा.वि. माकड़ो	छात्र संख्या में वृद्धि	हां
15235	एन.के. पब्लिक मा.वि. बाकरा	छात्र संख्या में वृद्धि	हां
15236	रा.बालिका मा.वि. पोंख	छात्र संख्या में वृद्धि	हां
15237	रा.1ा.वि. बजावरावतका	छात्र संख्या में वृद्धि	हां
15238	रा.उ.मा.वि. गोवला	छात्र संख्या में वृद्धि	हां
15239	सेठ बैजनाथ सोमानी मा.वि. सुल्ताना	केन्द्र सीमित	नहीं
15240	रा.मा.वि. बाडेट	केन्द्र सीमित	हां
15241	लछची प.मा.वि. बगवाना खुर्द	छात्र संख्या में वृद्धि	हां
15242	रा.मा.वि. देवरोड़	छात्र संख्या में वृद्धि	हां
15243	चिड़ावा पब्लिक मा.वि. चिड़ावा	छात्र संख्या में वृद्धि	नहीं
15251	बी.एन.उ.मा.वि. मलसीसर	केन्द्र सीमित	नहीं
15253	रा.मा.वि. रायपुरघरड़ाना	छात्र संख्या में वृद्धि	नहीं
15256	इंदोरिया उ.मा.वि. नवलगढ़	केन्द्र समिति	नहीं
15257	सरस्वती बा.वि.मं.उ.मा.वि. बलवंतपुरा	केन्द्र सीमित	हां
15260	शिव बाल वि.मं.मा.वि. अजाड़ीखुर्द	केन्द्र सीमित	हां
15261	शिव मेमो. ग्राम पब्लिक मा.वि. मालीगांव	केन्द्र सीमित	हां
15262	वीर नारायण वी1रा.व.उ.संस्कृत वि. महरमपुर	केन्द्र सीमित	हां
15264	लाम्बा प.स्कूल, लाम्बा	केन्द्र सीमित	हां
15265	रा.उ.प्रा.वि. ढाणा	केन्द्र सीमित	नहीं
15266	रा.उ.प्रा.वि. अगवाणा खुर्द	केन्द्र सीमित	नहीं

परिशिष्ट-18

(अतारांकित प्रश्न संख्या-931 की सूची)

परिशिष्ट-"क"

हिण्डौन तहसील में उमावि/मावि में शिक्षकों के रिक्त पदों की विद्यालयवार सूची

क्र.सं.	विद्यालय का नाम	रिक्त पद		
		व्याख्याता	वरिष्ठ अध्यापक	अध्यापक
1.	राउमावि हिण्डौन	5 चित्रकला गणित अर्थशास्त्र भूगोल-2	2 विज्ञान अंग्रेजी	–
2.	राबाउमावि हिण्डौन	4 अंग्रेजी, जीव विज्ञान संस्कृत-2	2 अंग्रेजी जीव विज्ञान	–
3.	राउमावि रतनजिला	2 भूगोल, गणित	1. गणित	2
4.	राउमावि श्री महावीरजी	5 अंग्रेजी, गणित अर्थशास्त्र. भूगोल-2	अंग्रेजी	–
5.	राउमावि सुरोठ	2 हिन्दी, संस्कृत	–	–
6.	राउमावि मुहुइब्राहिमपुर	–	–	1
7.	राउमावि शेरपुर (हि.)	3 भूगोल, अंग्रेजी संस्कृत	सामान्य	–
8.	राउमावि कोटरी	1 हिन्दी	सामान्य	–
9.	राउमावि कांचरोली	1 हिन्दी	–	–
10.	राउमावि ढिढोरा	–	अंग्रेजी	–
11.	रामावि सिकरोदामीना	–	विज्ञान	–
12.	रामावि खडली गुर्जर	–	विज्ञान	–
13.	रामावि सोमला	–	अंग्रेजी	–
14.	रामावि सनेट	–	सामान्य	–
15.	रामावि क्यारदाखुर्द	–	–	1
16.	रामावि सूरोठ	–	गणित	1

परिशिष्ट–19

(अतारांकित प्रश्न संख्या–932 की प्रति)

परिशिष्ट–'क'

श्रीमान् निदेशक महोदय,
प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा,
बीकानेर (राजस्थान)

विषय : कनिष्ठ वरिष्ठ अध्यापक की पदोन्नति प्र.अ., रामावि के पद पर करने के क्रम में।

प्रसंग : निदेशालय प्राथ. एवं माध्यमिक शिक्षा बीकानेर के आदेश क्रमांक शिविरा/संस्था/बी./पदो/450051/97–98 दिनांक 17.7.1997.

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि प्रार्थी ने दिनांक 9.9.1997 एवं 10.7.1998 में प्रार्थना पत्र निदेशालय बीकानेर भेज चुका था। प्रार्थना पत्र की छाया प्रति संलग्न है व निदेशालय बीकानेर भी प्रार्थी चार बार चक्कर लगा चुका है लेकिन अधिकारीगण एक–दूसरे पर टालते रहे हैं। इस पदोन्नति में व्यापक भ्रष्टाचार भी हुआ है। प्रार्थी को हमेशा निराशा ही हाथ लगी है और न्याय नहीं मिला है। इसी क्रम में प्रार्थी ने वरिष्ठ उप जिला शिक्षा अधिकारी व ब्लाक शिक्षा अधिकारी सिलौरा किशनगढ़ को फिर से प्रार्थना पत्र दिनांक 15.3.2002 प्रस्तुत किया, जिसकी छाया प्रति संलग्न है।

कनिष्ठ अध्यापक भंवरलाल कुमावत, प्र.अ. राज. महाराजा उप्रावि किशनगढ़ व वरिष्ठ अध्यापक गोपीलाल प्र.अ., रा. गोधी उप्रावि नयाशहर किशनगढ़ का तुलनात्मक सेवा विवरण निम्नलिखित है:

कनिष्ठ वरिष्ठ अध्यापक पदोन्नति प्र.अ., राज.मा.वि. के पद पर दी गई है।

क्रम सं. पदोन्नति लिस्ट	**74 से 78 तक वरिष्ठता सं.**	**नाम**	**योग्यता**	**ग्रेड 2 में पदो. दिनांक**
पेज–7 से 299	93/79–81 जन्मतिथि 15.6.41	श्री भंवरलाल कुमावत प्र. अ. रा. महाराजा उ. प्रा. वि., किशनगढ़	बी.ए. बी.एड.	23.12.78

जबकि 74 से 78 तक 30.6.1978 पर आधारित वरिष्ठता सूची में श्री भंवरलाल कुमावत का नाम नहीं है। इनका नाम 1 जुलाई 78 से 81 तक की वरिष्ठता सूची में होना चाहिए था। क्योंकि ग्रेड–II दिनांक 23.12.1978 को दी गई है। इसलिए वरिष्ठता क्रमांक 93 गलत है व कनिष्ठ है।

(2) वरिष्ठ अध्यापक जिसे पदोन्नति से वंचित रखा गया है :

क्र.सं.	74 से 78 तक अस्थाई वरि.सं.	नाम		योग्यता	ग्रेड-II का पदोन्नति वि.
1.	964 2189/74–78	गोपीलाल, प्र.अ., राज. गांधी. उप्रावि नयाशहर, किशनगढ़	जन्म तिथि 8.9.40	बी. ए. बी. एड.	9.5.1978
2.	78 से 81 50 राज्य 18 जय.	श्री भंवरलाल,	जन्म तिथि 15.6.41	बी. ए. बी. एड.	23.12.1978

अतः श्रीमान् श्री भंवरलाल कुमावत ग्रेड-2 दिनांक 23.12.1978 है जबकि गोपीलाल की पदोन्नति ग्रेड-2 में 9.5.1978 है, इसलिए श्री भंवरलाल से गोपीलाल वरिष्ठ है और पदोन्नति का हकदार है।

श्री भंवरलाल ने दिनांक 8.8.1997 से कार्यमुक्त होकर के दिनांक 10.8.1997 को प्र.अ. रामावि समिवि (बूंदी) में कार्यग्रहण कर लिया था। प्रार्थी का भी दिनांक 10.8.1997 से ही वेतन का स्टे अप कट के स्थिरीकरण करने की कृपा करें एवं भुतलक्षी पदोन्नति दी जावे।

दिनांक – 27.3.2002

संलग्न पत्र-10

प्रार्थी,
हस्ता.
(गोपीलाल)
सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक
रा. गांधी उप्रावि. नयाशहर,
किशनगढ़, अजमेर

द्वितीय वेतन श्रृंखला के दिनांक 14.5.1974 से 30.6.1978 तक के पदोन्नति/नियुक्ति अध्यापकों की राज्य स्तर पर मिश्रित वरिष्ठता सूची

अनुबन्ध

सामान्य अध्यापक

राज्य स्तर क्रमांक	मण्डल क्रमांक	नाम अध्यापक एवं पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	वर्तमान योग्यता वरिष्ठता	वर्ष/तिथि जिन पर आधारित	अनु. जाति/ अनु. जनजाति
1	2	3	4	5	6	7
1	1 जेबी	हरिसिंह चूरू	14.12.30	बी.ए.-63 बी.एड.-73	74-75	-
92	78 जेए	छीतरमल गांधी राउप्रावि, खारीकुई अजमेर	5.3.41	बी.ए.-64 बी.एड.-74	74-75	-
93	79 जेए	भंवरलाल कुमावत पं.सं. श्रीनगर	15.6.41	बी.ए.-72 बी.एड.-74	74-75	-
94	80 जेए	मोहनलाल जैन राउप्रावि, मांगलियावास	18.8.41	बी.ए.-65 बी.एड.-74 एम.ए.-72अर्थ.शा.	74-75	-
2189	964 जेए	गोपीलाल चौधरी राउप्रावि, सार्दुलरामगंज किशनगढ़ (अजमेर)	8.9.40	बी.ए.-68 बी.एड.-76	77-78	-
3216	1321-ए	सुरेश चन्द्र दायमा रामावि, चौड़ा रास्ता जयपुर	1.12.53	बी.एससी.-75 बी.एड.-76	12-77	-

परिशिष्ट-20

(अतारांकित प्रश्न संख्या-933 की सूची)

परिशिष्ट 'क'

कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, प्रारम्भिक शिक्षा, अलवर, (राज.)

वर्ष 2002-03 में अलवर जिले में प्राथमिक विद्यालयों से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत की सूचना

क्र.सं.	पंचायत समिति	विद्यालय का नाम	क्र.सं.	पंचायत समिति	विद्यालय का नाम
1.	बानसूर	उप्रावि. उधो का बास	15.	कठूमर	उप्रावि पींसई
2.	" "	" " फतेहपुर	16.	किशनगढ़बास	" " शेखपुर
3.	" "	" " मूण्डली	17.	" "	" " पट्टी जोडिया
4.	" "	" " तुराना	18.	" "	" " धमुकड
5.	" "	" " ईश्वर का बास	19.	" "	" " कांकरा
6.	" "	" " मांची मीरापुर	20.	कोटकासिम	" " झिरयानातहजादपुर
7.	बहरोड़	" " बा. खोहर	21.	" "	" " आकोली
8.	" "	" " नं. 4, बहरोड़	22.	" "	" " जखोपुर
9.	" "	" " गुहाना	23.	लक्ष्मणगढ़	" " अमरपुर
10.	" "	" " कांकरछाजा	24.	" "	" " रसूलपुर
11.	कठूमर	" " मानखेड़ा	25.	" "	" " हाजीपुर
12.	" "	" " मांगोलाकी	26.	" "	" " सहजपुर
13.	" "	" " जांगरू	27.	" "	" " पठडावती
14.	" "	" " जोधपुरा	28.	नीमराना	" " निहालपुरा

क्र.सं.	पंचायत समिति	विद्यालय का नाम	क्र.सं.	पंचायत समिति	विद्यालय का नाम
29.	नीमराना	उप्रावि चौबारा	43.	थानागाजी	उप्रावि मेजोल
30.	राजगढ़	" " होदायली	44.	" "	" " बान्दरोल
31.	" "	" " नारायणपुर	45.	" "	" " गोरड़ी
32.	" "	" " राजडोली	46.	" "	" " बा. गढबसई
33.	रामगढ़	उप्रावि गोहा	47.	" "	" " सांवतसर
34.	" "	" " बामनीखेड़ा	48.	उमरैण	" " निठारी
35.	" "	" " बान्धोली	49.	" "	" " मिर्जापुरी
36.	" "	" " नतोपुर	50.	" "	" " अहोर का तिबारा
37.	रैणी	" " आदुकापाटन	51.	" "	" " बा. धौतीदूब
38.	" "	" " डोरोली	52.	" "	" " ठेकड़ा
39.	" "	" " सिक्काओं का आकोदा	53.	" "	" " रोजा का बास
			54.	" "	" " झाडोली
40.	तिजारा	" " भाजरा पीपली	55.	अलवर शहर	" " बुद्धविहार
41.	" "	" " पलासली	56.	तिजारा	" " बीवाड़ी (बा.)
42.	" "	" " शाहडौद	57.	राजगढ़	" " सिरावट

माध्यमिक शिक्षा

परिशिष्ट–'क'

सत्र 2002-03 में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची

उप्रावि से मावि

1. राबामावि नयाबास, अलवर
2. रामावि करोली
3. " " बगडमेव
4. " " बगडराजपूत
5. " " लीली
6. " " टोडानांगल
7. " " सेहरा
8. " " वेरेर
9. " " नयागांवबोलक I
10. " " बहतूकलां
11. " " नाटोज
12. " " अर्लेई

मावि से उमावि

1. राउमावि बघेरीकलां
2. राबाउमावि बहादरपुर
3. राउमावि अलवरवडा
4. " " देशूला

5. राउमावि बाम्बोली

6. " " गण्डूरा

7. " " बा. रैणी

8. " " धमरेड

9. " " दरीबा प्रोजेक्ट

10. " " खोह

11. " " परवैणी

माध्यमिक शिक्षा

परिशिष्ट–'क'

सत्र 2002–2003 में राजकीय प्राथमिक विद्यालय से राजकीय माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची

क्रम संख्या	नाम विद्यालय
1.	रामावि खूदरोठ
2.	रामावि महाराजावास
3.	रामावि सींथल
4.	रामावि लुहादेरा
5.	रामावि लोयती
6.	रामावि नांगलसालियां
7.	रामावि खरकडीकलां
8.	रामावि रामजी का गुवाडा
9.	रामावि हाजीपुर
10.	रामावि जागूवास

सत्र 2002-2003 में राजकीय माध्यमिक विद्यालय से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत विद्यालयों की सूची

क्रम संख्या	नाम विद्यालय
1.	राउमावि पहाड़ी
2.	राउमावि हमीरपुर
3.	राउमावि अक्बरपुर
4.	राउमावि बालिका शाहजहांपुर
5.	राउमावि अंगारी
6.	राउमावि चांदोली
7.	राउमावि खोहरबसई
8.	राउमावि ईशरोदा
9.	राउमावि बालिका बड़ोंद
10.	राउमावि भोकर
11.	राउमावि भूपसेडा

परिशिष्ट-'ख'

विद्यालय खोलने क्रमोन्नत करने हेतु निर्धारित मानदण्ड

(1) प्राथमिक से उच्च प्राथमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु मानदण्ड

	मानदण्ड	सामान्य क्षेत्र	रेगिस्तानी क्षेत्र
1.	ग्राम की जसंख्या	1000	500
2.	कक्षा 5 की छात्र/छात्रा संख्या	20	15
3.	कक्षा 1-5 तक की कुल छात्र संख्या	100	75
4.	फीडर प्राथमिक विद्यालय	2	2
5.	2 कि.मी. परिधि में अन्य उच्च प्राथमिक की सुविधा का नहीं होना		

उपरोक्त मानदण्डों के आधार पर तथा जनप्रतिनिधियों की मांग के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं।

(2) उच्च प्राथमिक विद्यालयों को माध्यमिक स्तर में क्रमोन्नत करने हेतु मानदण्ड

जनसंख्या (1991) छात्र विद्यालय	3000	2500
छात्रा विद्यालय	4000	3000
छात्र संख्या (कक्षा 8) छात्र विद्यालय	30	20
छात्रा विद्यालय	20	10
फीडर विद्यालय	2	2
दूरी (कि.मी.)	10	10

(3) माध्यमिक विद्यालयों को सीनियर माध्यमिक विद्यालयों में क्रमोन्नत करने हेतु

1.	कुल संख्या (1991)	5000	4000
2.	छात्र/छात्रा संख्या कक्षा–10		
	छात्र विद्यालय	50	40
	छात्रा विद्यालय	40	30
3.	फीडर विद्यालयों की संख्या	2	2
4.	दूरी (कि.मी.)	10	10

अन्य आधार बिन्दु

1. उपलब्ध वित्तीय प्रावधान
2. प्रशासनिक आधार
3. क्षेत्र की शैक्षिक आवश्यकताएं
4. भौगोलिक परिस्थितियां
5. माध्यमिक एवं सी.उ.मा.विद्यालयों का अनुपात

उपरोक्त मानदण्डों एवं बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए गुणावगुण के आधार पर विद्यालय क्रमोन्नत किये जाते हैं।

परिशिष्ट–21

(अतारांकित प्रश्न संख्या–944 का विवरण)

परिशिष्ट–'अ'

पंचायत समिति सांगानेर (जयपुर) जलग्रहण योजना पर आय एवं व्यय का ब्यौरा

क्र.स.	नाम पंचायत	जल ग्रहण योजना	प्राप्त राशि	व्यय राशि	विशेष विवरण
1.	सांगानेर	दहमीकला	8.70 लाख	7.66 लाख	योजना प्रारम्भ 1.4.1998 से प्रारम्भ हुई
2.	सांगानेर	दहमीखुर्द	8.10 लाख	7.10 लाख	तथा व्यय का वितान मार्च 2003
3.	सांगानेर	पालड़ी	11.14 लाख	10.24 लाख	तक का है।
4.	सांगानेर	साझरिया	5.48 लाख	4.42 लाख	
5.	सांगानेर	साझरिया नाईवाला	2.70 लाख	2.40 लाख	
6.	सांगानेर	पी.आई.ए. पं.स. सांगानेर	17.64 लाख	16.896	
		योग	53.76	78.716	

परिशिष्ट-22

(अतारांकित प्रश्न संख्या-950 की सूची)

कार्यालय पंचायत समिति लूणकरणसर

परिशिष्ट-'अ'

शिक्षा उपकर वर्षवार वसूली विवरण (1993-94 to 2002-03)

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	वित्त वर्ष (1993-94 से 2002-03)										योग
		1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	
1.	अजीतमाना	0	0	0	5700	0	11457	0	0	8075	8685	33917
2.	बडेरन	0	0	5174	6527	0	0	0	6840	0	816	23687
3.	बालादेसर	0	0	0	0	12979	0	0	0	0	2014	14993
4.	भीखनेरा	0	0	3629	0	2765	0	0	0	5757	0	12151
5.	चक जोड	0	0	0	7838	5465	0	0	0	4750	0	18053
6.	ढाणी पाण्डुसर	0	0	1397	18839	0	0	0	0	0	0	20236
7.	धीरेरा	0	0	0	1981	0	16417	0	0	0	9500	27898
8.	गारबदेसर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	वित्त वर्ष (1993-94 से 2002-03)										योग
		1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	
9.	हसेरा	0	0	17709	0	0	0	32348	14440	0	0	64497
10.	जैतपुर	0	0	0	28497	0	0	0	8727	14688	665	52577
11.	काकडवाला	0	0	0	0	0	8893	2874	0	0	12825	24592
12.	कालू	18232	0	0	16135	0	0	0	0	22510	0	56877
13.	कपूरीसर	0	0	9756	0	0	0	0	0	10545	0	20301
14.	केला	76	1311	228	9795	0	0	0	14250	0	0	25660
15.	खारबास	0	0	4860	13933	8140	0	0	32377	5773	0	65083
16.	खियेरा	0	950	13489	2951	0	0	0	2375	0	0	19765
17.	खोखराना	0	2128	17357	2005	0	0	0	0	0	0	21490
18.	कुजटी	0	0	0	3990	0	0	0	3800	0	0	7790
19.	लूणकरणसर	0	0	0	66799	0	0	0	0	87164	30608	184571
20.	महादेववाली	0	0	0	13856	0	0	0	9500	0	0	23356

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	वित्त वर्ष (1993-94 से 2002-03)										योग
		1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	
21.	महाजन	0	0	13417	0	0	0	0	0	0	0	13417
22.	मकडासर	0	1102	15856	157	0	0	0	0	0	9500	26624
23.	नाथवाना	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	पीपेरा	0	0	2499	0	0	11557	0	16625	3800	0	34481
25.	राजासर भाटियान	0	0	9673	0	4005	0	0	0	0	0	13678
26.	राजासर करणीसर	0	0	8622	3610	0	0	0	0	0	0	12232
27.	रामबाग	0	0	4902	5392	15059	0	0	0	0	0	25353
28.	राणेर दामोलाई	0	0	1795	0	0	0	0	0	4170	27170	33135
29.	रावासर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	रोझा	0	1663	2850	5472	0	0	19836	19950	0	0	49771
31.	संसारदेसर	0	0	0	8455	0	0	0	15200	0	0	23655
32.	शेखसर	0	0	7600	5225	0	0	0	20892	0	0	33717

क्र.सं.	नाम ग्राम पंचायत	वित्त वर्ष (1993-94 से 2002-03)										योग
		1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	
33.	शेरपुरा	0	0	15618	0	0	0	0	0	0	0	15618
34.	सोढवाली	0	1330	13573	1695	0	0	0	0	0	7681	24279
35.	सुई	0	0	0	16150	0	0	0	0	0	0	16150
36.	तख्तपुरा	0	0	13250	3705	1368	0	0	18025	3040	3040	42428
	योग	18308	8484	183263	248707	54309	48324	55058	183001	170272	112306	1082032

शिक्षा उपकर व्यय विवरण

क्र.सं.	वित्त वर्ष (1993-94 से 2002-03)										योग
	1993-94	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98	1998-99	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	
	7930	0	137499	41175	12585	300170	0	96900	0	0	596259

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, लूनकरनसर

परिशिष्ट–'1'

कार्यालय पंचायत समिति लूणकरणसर
शिक्षा उपकर का मदवार व्यय विवरण

क्र.सं.	वर्ष	व्यय मदवार											
		प्राथमिक शाला में कार्यरत अर्शकालीन कर्मचारी	पुस्तक क्रय	स्टेशनरी	रसीद बुक छपाई	दरी पट्टी क्रय	विविध	शिक्षण सामग्री	शाला मरम्मत	राशन कार्ड	पत्र पत्रिकाएं	खेलकूद	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	1993–94	1846	0	0	0	0	110	1275	0	0	531	4168	7930
2.	1994–95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	1995–96	3375	21700	450	18750	64974	28250	0	0	0	0	0	137499
4.	1996–97	250	6653	26300	0	0	3432	4540	0	0	0	0	41175
5.	1997–98	3225	3600	0	0	5760	0	0	0	0	0	0	12585
6.	1998–99	1260	0	6320	0	277590	0	0	15000	0	0	0	300170

क्र.सं.	वर्ष	व्यय मदवार											
		प्राथमिक शालां में कार्यरत अशंकालीन कर्मचारी	पुस्तक क्रय	स्टेशनरी	रसीद बुक छपाई	दरी पट्टी क्रय	विविध	शिक्षण सामग्री	शाला मरम्मत	राशन कार्ड	पत्र-पत्रिकाएं	खेलकूद	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7.	1999–00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8.	2000–01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	2001–02	0	0	0	37400	0	0	0	0	59500	0	0	96900
10.	2002–03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	योग	9958	31953	33070	56150	348324	31792	5815	15000	59500	531	4168	596259

विकास अधिकारी
पंचायत समिति, लूनकरनसर

परिशिष्ट-23

(अतारांकित प्रश्न संख्या-952 का विवरण)

परिशिष्ट-'1'

List of Severely Drought Affected Blocks Alongwith Population

S.No.	Name of District	Name of Blocks	Population (1991)
1.	Ajmer	(1) Ajmer	646000
		(2) Beawar	375000
		(3) Sarwar	107000
2.	Banswara	(1) Anand Puri	85000
		(2) Kushalgarh	101900
		(3) Garhi	197876
		(4) Pipalkhoont	110617
		(5) Bagidora	137270
		(6) Talwara	168000
		(7) Ghatol	175991
		(8) Sajjangarh	103172
3.	Baran	(1) Kishanganj	108345
		(2) Sahabad	83028
4.	Barmer	(1) Barmer	169699
		(2) Baitu	151787
		(3) Sheo	121220
		(4) Sindhari	170795

S.No.	Name of District	Name of Blocks	Population (1991)
		(5) Chohtan	171105
		(6) Dhorimna	179604
		(7) Siwana	163143
		(8) Balotra	192132
5.	Bhilwara	(1) Asind	156028
		(2) Mandal	172145
6.	Bikaner	(1) Dungargarh	134000
		(2) Nokha	208913
		(3) Bikaner	247650
		(4) Loonkaransar	156382
		(5) Kolayat	132657
7.	Chittorgarh	(1) Arnod	91408
		(2) Pratapgarh	159206
8.	Churu	(1) Sujangarh	194402
		(2) Sardarshahar	174959
		(3) Ratangarh	125447
9.	Dungarpur	(1) Aspur	145507
		(2) Bichhi wara	180805
		(3) Dungarpur	133212
		(4) Sagwara	160585
		(5) Simalwara	195519

S.No.	Name of District	Name of Blocks	Population (1991)
10.	Hanumangarh	(1) Nohar	289856
		(2) Bhadra	180760
11.	Jaipur	(1) Mojmabad	211000
		(2) Fagi	130453
12.	Jaisalmar	(1) Jaisalmar	80310
		(2) Sam	94930
13.	Jalore	(1) Sanchor	260312
14.	Jhalawar	(1) Manoharthana	135768
15.	Jhunjhunu	(1) Alsisar	118705
16.	Jodhur	(1) Phalodi	161438
		(2) Shergarh	113079
		(3) Osion	306437
		(4) Bap	103647
		(5) Balesar	127529
17.	Karauli	(1) Sapotara	182378
		(2) Mandrayal	62000
18.	Nagaur	(1) Nagaur	181365
		(2) Khinvsar	107000
19.	Pali	(1) Bali	149232
		(2) Rohit	81290
		(3) Sojat	131378

S.No.	Name of District	Name of Blocks	Population (1991)
20.	Rajsamand	(1) Bheem	104066
		(2) Khamnor	143917
21.	S. Madhopur	(1) Bonli	164512
22.	Sikar	(1) Laxmangarh	158995
23.	Sirohi	(1) Pindwara	137051
		(2) Aburoad	80611
24.	Tonk	(1) Malpura	148406
25.	Udaipur	(1) Salumbar	161630
		(2) Jhadol	147044
		(3) Kotra	130449
		(4) Dhariawad	164836
		(5) Kherwada	199059
		(6) Girva	177158
		(7) Sarada	171060
		(8) Gogunda	121703
	Total	74 Blocks	11906873